उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खंड १००

बृहस्पतिवार, ६ मार्च, १९५२ ई० से
बुधवार, १९ मार्च, १९५२ ई० तक

मुद्रक
अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद
१९५२

मूल्य बिना महसूल ४ आने, महसूल सहित ५ आने।
वार्षिक चन्दा बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये।

विषय-सूची

खण्ड १००

बृहस्पतिवार, ६ मार्च, १९५२ ई०

शुक्रवार, ७ मार्च, १९५२ ई०

सोमवार, १७ मार्च, १९५२ ई०

शासन

राज्यपाल

महामान्य श्री होरमसजी पेरोशा मोदी ।

मंत्री-परिषद्

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, मुख्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासन और वित्त मंत्री ।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, निर्माण मंत्री ।

माननीय डा० सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, एम० एल० ए०, शिक्षा तथा पुलिस मंत्री ।

माननीय श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, बन, माल तथा परिवहन मंत्री ।

माननीय श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, एम० एल० ए०, रजिस्ट्रेशन स्टाम्प, जेल तथा मादक-कर मंत्री ।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, स्वशासन मंत्री ।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, स्वास्थ्य तथा अन्न मंत्री ।

माननीय श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, सूचना, कृषि तथा पशुपालन मंत्री ।

माननीय श्री सैयद अली जहीर, एम० एल० सी०, न्याय तथा श्रम मंत्री ।

माननीय श्री हर गोविन्द सिंह, एम० एल० सी०, उद्योग तथा विकास मंत्री ।

सभा-सचिव

माननीय मुख्य मंत्री के सभा सचिव--

१--श्री मंगला प्रसाद, एम० एल० ए० ।

२--श्री जगमोहन सिंह नेगी, एम० एल० ए० ।

माननीय निर्माण मंत्री के सभा सचिव--

१--श्री लताफत हुसैन, एम० एल० ए० ।

माननीय उद्योग मंत्री के सभा सचिव--

१--श्री वहीद अहमद, एम० एल० सी० ।

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

१--अक्षय कुमार करण, श्री	जिला फैजाबाद (पूर्व)।
२--अजित प्रताप सिंह, राजा	अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन।
३--अब्दुल गनी अन्सारी, श्री	जिला आजमगढ़ (पश्चिम)।
४--अब्दुल बाकी, श्री	जिला आजमगढ़ (पूर्व)।
५--अब्दुल मजीद, श्री	मुरादाबाद-अमरोहा-चन्दौसी नगर।
६--अब्दुल मजीद ख्वाजा, श्री	अलीगढ़-हाथरस-मथुरा नगर।
७--अब्दुल मुईज खां, श्री	जिला बस्ती (दक्षिण-पूर्व)।
८--अब्दुल रऊफ खां, श्री	जिला बांदा और फतेहपुर।
९--अब्दुल वाजिद, श्रीमती	मुरादाबाद जिला (उत्तर-पूर्व)।
१०--अब्दुल हमीद, श्री	जिला देहरादून और सहारनपुर (पूर्व)।
११--अम्मार अहमद खां, श्री	जिला बुलन्दशहर (पूर्व)।
१२--अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स, श्री	उत्तर प्रदेश भारतीय ईसाई।
१३--अलगूराय शास्त्री, श्री	जिला आजमगढ़ (उत्तर-पूर्व) [९-३-५२ पूर्वाह्न से स्थान रिक्त]
१४--अली जर्रार जाफरी, श्री	जिला गोंडा (उत्तर-पूर्व)।
१५--अल्फ्रेड धर्मदास, श्री	उत्तर प्रदेश भारतीय ईसाई।
१६--असगर अली खां, श्री	जिला मुजफ्फरनगर (पश्चिम)।
१७--अक्षयवर सिंह, श्री	जिला गोरखपुर (पश्चिम)।
१८--आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री	फर्रुखाबाद-इटावा-झांसी नगर।
१९--आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम, श्री	उत्तर प्रदेश एंग्लो इंडियन।
२०--इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री	जिला गाजीपुर (पश्चिम)।
२१--इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती	लखनऊ नगर।
२२--ईतजा हुसैन, श्री	मेरठ-हापुड़-बुलन्दशहर-खुरजा-नगीना नगर।
२३--उदयवीर सिंह, श्री	जिला बस्ती (दक्षिण)।
२४--एजाज रसूल, श्री	जिला हरदोई।
२५--कमलापति तिवारी, श्री	जिला बनारस (पूर्व)।
२६--करीमुर्रजा खां, श्री	बदायूं-शाहजहांपुर-सम्भल नगर।
२७--कालीचरण टंडन, श्री	जिला फर्रुखाबाद (दक्षिण)।
२८--किशनचन्द पुरी, श्री	उत्तर प्रदेश चेम्बर आफ कामर्स तथा उत्तर प्रदेश मर्चेन्ट्स चेम्बर।
२९--कुंजबिहारी लाल शिवानी, श्री	जिला झांसी (उत्तर)।
३०--कुशलानन्द गैरोला, श्री	जिला गढ़वाल (उत्तर-पश्चिम)।
३१--कृपाशंकर, श्री	जिला बस्ती (दक्षिण)।
३२--कृष्णचन्द्र, श्री	जिला मथुरा (पश्चिम)। [११-३-५२ अपराह्न से स्थान रिक्त]
३३--कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री	जिला सीतापुर (दक्षिण)।
३४--कृष्ण शरण आर्य, श्री	रामपुर (विलीन राज्य के नाम निर्दे शित)।
३५--केशव गुप्त, श्री	जिला मुजफ्फरनगर (पूर्व)।
३६--केशवदेव मालवीय, श्री	जिला मिर्जापुर (दक्षिण) [७-३-५२ पूर्वान्ह से स्थान रिक्त]
३७--खानचन्द गौतम, श्री	जिला बुलन्दशहर (पूर्व)।
३८--खुशवक्त राय, श्री	जिला खीरी (उत्तर-पूर्व)।
३९--खूशीराम, श्री	जिला अलमोड़ा।

४०—खूबसिंह, श्री	..	जिला बिजनौर (पूर्व)।
४१—गंगाधर, श्री	..	जिला आगरा (उत्तर-पूर्व)।
४२—गंगा प्रसाद, श्री	..	जिला गोंडा (उत्तर-पूर्व)।
४३—गंगा सहाय चौबे, श्री	..	जिला कानपुर (पश्चिम)।
४४—गजाधर प्रसाद, श्री	..	जिला आजमगढ़ (पश्चिम)।
४५—गणपति सहाय, श्री	..	जिला सुलतानपुर (मध्य)।
४६—गिरधारीलाल, माननीय श्री	..	जिला सहारनपुर (दक्षिण-पूर्व)।
४७—गुरुनारायण श्री	..	अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन।
४८—गोपाल नारायण सक्सेना, श्री	..	जिला सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)।
४९—गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री	..	बरेली-पीलीभीत-शाहजहांपुर-बदायूं नगर।
५०—गोविन्द सहाय, श्री	..	जिला बिजनौर (पश्चिम)।
५१—चतुर्भुज शर्मा, श्री	..	जिला जालौन।
५२—चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री	..	लखनऊ नगर।
५३—चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री	..	जिला गोंडा (दक्षिण)।
५४—चरण सिंह, माननीय श्री	..	जिला मेरठ (दक्षिण-पश्चिम)।
५५—चेतराम, श्री	..	जिला बाराबंकी (उत्तर)।
५६—छेदालाल गुप्त, श्री	..	जिला हरदोई (उत्तर-पश्चिम)।
५७—जगन्नाथ दास, श्री	..	जिला सहारनपुर (उत्तर-पश्चिम)।
५८—जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री	..	जिला सीतापुर (पूर्व)।
५९—जगन्नाथ सिंह, श्री	..	जिला बलिया (उत्तर)।
६०—जगन प्रसाद रावत, श्री	..	जिला आगरा (दक्षिण-पश्चिम)।
६१—जगमोहन सिंह नेगी, श्री	..	जिला गढ़वाल (दक्षिण-पूर्व)।
६२—जफर अहमद, श्री	..	जिला सहारनपुर (उत्तर)।
६३—जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री	..	जिला बाराबंकी।
६४—जयकृष्ण श्रीवास्तव, श्री	..	अपर इंडिया चेम्बर आफ कामर्स।
६५—जयपाल सिंह, श्री	..	जिला फैजाबाद (पूर्व)।
६६—जयराम वर्मा, श्री	..	जिला बाराबंकी (उत्तर)।
६७—जवाहरलाल रोहतगी, श्री	..	कानपुर नगर।
६८—जहूर अहमद, श्री	..	इलाहाबाद-झांसी नगर।
६९—जाकिर अली, श्री	..	आगरा-फर्रुखाबाद-इटावा नगर।
७०—जाहिद हसन, श्री	..	जिला सहारनपुर (दक्षिण-पश्चिम)।
७१—जुगल किशोर, श्री	..	मथुरा-अलीगढ़-हाथरस नगर।
७२—त्रिलोकी सिंह, श्री	..	जिला लखनऊ।
७३—त्रेपन सिंह, श्री	..	टेहरी-गढ़वाल (विलीन राज्य के नाम निर्देशित)।
७४—दयालदास भगत, श्री	..	जिला रायबरेली (उत्तर-पूर्व)।
७५—दाऊदयाल खन्ना, श्री	..	जिला मुरादाबाद (पूर्व)
७६—द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री	..	जिला जौनपुर (पूर्व)।
७७—दीनदयालु अवस्थी, श्री	..	जिला इटावा (पश्चिम)।
७८—दीनदयालु शर्मा, श्री	..	जिला बुलन्दशहर (दक्षिण-पश्चिम)।
७९—दीनदयालु शास्त्री, श्री	..	सहारनपुर-हरिद्वार-देहरादून-मुजफ्फरनगर नगर।
८०—दीपनारायण वर्मा, श्री	..	जौनपुर-मिर्जापुर-गाजीपुर-गोरखपुर नगर।
८१—नफीसुल हसन, माननीय श्री	..	जिला इटावा और कानपुर।

८२—नवाजिश अली खां, श्री .. फैजाबाद-सीतापुर-बहराइच नगर ।
८३—नवाब सिंह चौहान, श्री .. जिला अलीगढ़ (पूर्व) ।
८४—नाजिम अली, श्री .. जिला सुल्तानपुर ।
८५—नारायण दास, श्री .. लखनऊ नगर ।
८६—निसार अहमद शेरवानी, श्री .. जिला मैनपुरी और एटा । ।
८७—निहालुद्दीन, श्री .. जिला बदायूं (पूर्व) ।
८८—परागीलाल, श्री .. जिला सीतापुर (उत्तर-पश्चिम) । [११-३-५२ अपराह्न से स्थान रिक्त]
८९—पुरुषोत्तमदास टंडन, श्री .. इलाहाबाद नगर ।
९०—प्रकाशवती सूद, श्रीमती .. जिला मेरठ (उत्तर) ।
९१—प्रयागनारायण, श्री .. अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन ।
९२—प्रेमकिशन खन्ना, श्री .. जिला शाहजहांपुर (पश्चिम) ।
९३—प्रेमलाल वैद्य, श्री .. टेहरी-गढ़वाल (विलीन राज्य के नाम निर्देशित) ।
९४—फखरुल इस्लाम, श्री .. जिला जौनपुर और इलाहाबाद (उत्तर-पूर्व)।
९५—फजलुर्रहमान खां, श्री .. जिला शाहजहांपुर ।
९६—फतेह सिंह राणा, श्री .. जिला मुजफ्फरनगर (पश्चिम) ।
९७—फूल सिंह, श्री .. जिला सहारनपुर (दक्षिण-पूर्व) ।
९८—बदन सिंह, श्री .. जिला बदायूं (पश्चिम) [७-३-५२ अपराह्न से स्थान रिक्त]
९९—बनारसी दास, श्री .. जिला बुलन्दशहर (उत्तर) ।
१००—बलदेव प्रसाद, श्री .. जिला गोंडा (उत्तर-पूर्व) ।
१०१—बशीर अहमद हकीम, श्री .. जिला सीतापुर ।
१०२—बशीर अहमद अन्सारी, श्री .. जिला बिजनौर (दक्षिण-पूर्व) ।
१०३—बादशाह गुप्त, श्री .. जिला मैनपुरी (उत्तर-पूर्व) [१०-३-५२ पूर्वान्ह से स्थान रिक्त]
१०४—बाबूराम वर्मा, श्री .. जिला एटा (उत्तर) ।
१०५—बृजमोहनलाल शास्त्री, श्री .. जिला बरेली (दक्षिण-पश्चिम) ।
१०६—बेचन राम गुप्त, श्री .. बनारस [विलीन राज्य के नाम निर्देशित]
१०७—ब्रजरानी, देवी श्रीमती .. जिला कानपुर (उत्तर-पूर्व)
१०८—भगवती प्रसाद दुबे, श्री .. जिला गोरखपुर (दक्षिण-पश्चिम) ।
१०९—भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री .. जिला प्रतापगढ़ (पश्चिम) ।
११०—भगवानदीन, श्री .. कानपुर नगर ।
१११—भगवानदीन मिश्र, श्री .. जिला बहराइच (दक्षिण) ।
११२—भगवान सिंह, श्री .. जिला पीलीभीत (दक्षिण) ।
११३—भारत सिंह, श्री .. जिला मैनपुरी (दक्षिण-पश्चिम) ।
११४—भीमसेन, श्री .. जिला बुलन्दशहर (दक्षिण-पश्चिम) ।
११५—मंगलाप्रसाद, श्री .. जिला रायबरेली (दक्षिण-पश्चिम) ।
११६—मकसूद आलम खां, श्री .. बरेली पीलीभीत नगर।
११७—मसुरियादीन, श्री .. इलाहाबाद नगर [१०-३-५२ पूर्वान्ह से स्थान रिक्त]
११८—महफूजुर्रहमान, श्री .. जिला बहराइच (दक्षिण) ।
११९—महमूद अली खां, श्री .. देहरादून-हरिद्वार-सहारनपुर-मुजफ्फरनगर नगर ।
१२०—महमूद अली खां, श्री .. रामपुर (विलीन राज्य के नाम निर्देशित)
१२१—मिजाजीलाल, श्री .. जिला मैनपुरी (उत्तर-पूर्व) ।

१२२—मुकुन्दलाल अग्रवाल, श्री .. जिला पीलीभीत (उत्तर) [११-३-५२ अपरान्ह से स्थान रि त]
१२३—मुख्तार अहमद कि वाई, श्री .. जिला फैजाबाद।
१२४—मुजफ्फर हुसैन, श्री .. लखनऊ नगर।
१२५—मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री .. जिला बस्ती (पश्चिम)।
१२६—मुहम्मद असरार अहमद, श्री .. जिला बदायूं (पश्चिम)।
१२७—मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री .. जिला गढ़वाल और बिजनौर (उत्तर-पश्चिम)।
१२८—मुहम्मद इस्माईल, श्री .. जिला मुरादाबाद (पूर्व)।
१२९—मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी, श्री .. जिला अलीगढ़।
१३०—मुहम्मद एवज खां, श्री .. जिला पीलीभीत।
१३१—मुहम्मद जमशेद अली खां, नवाब .. जिला मेरठ (पश्चिम)।
१३२—मुहम्मद नबी, सैयद .. जिला मुजफ्फरनगर (पूर्व)।
१३३—मुहम्मद नजीर, श्री .. जिला बनारस और मिर्जापुर।
१३४—मुहम्मद फारूक़, श्री .. जिला गोरखपुर (पश्चिम)।
१३५—मुहम्मद फारूक़ चिश्ती, श्री .. जिला गोरखपुर (पूर्व)।
१३६—मुहम्मद याकूब, श्री .. जिला गाजीपुर और बलिया।
१३७—मुहम्मद यूसुफ, नवाब .. जिला इलाहाबाद (दक्षिण-पश्चिम)।
१३८—मुहम्मद रजा खां, श्री .. जिला बरेली (पूर्व, दक्षिण और पश्चिम)।
१३९—मुहम्मद रहमत खां, श्री .. जिला बुलन्दशहर (पश्चिम)।
१४०—मुहम्मद शकूर, श्री .. बनारस-मिर्जापुर नगर।
१४१—मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री .. जिला गाजीपुर-जौनपुर-गोरखपुर नगर।
१४२—मुहम्मद शोयब, श्री .. जिला रायबरेली।
१४३—मुहम्मद सआदत अली खां, राजा .. जिला बहराइच (उत्तर)।
१४४—मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री .. जिला बस्ती (उत्तर-पूर्व)।
१४५—यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री .. जिला बनारस (पश्चिम)।
१४६—रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री .. जिला झांसी (दक्षिण) [८-३-५२ पूर्वान्ह से स्थान रिक्त]
१४७—रघुवंश नारायण सिंह, श्री .. जिला मेरठ (पूर्व)।
१४८—रघुवीर सहाय, श्री .. जिला बदायूं (पूर्व) [१०-३-५२ अपरान्ह से स्थान रिक्त]
१४९—राघवदास, श्री .. फैजाबाद-बहराइच-सीतापुर नगर।
१५०—राजकुंवार सिंह, राव .. आगरा प्रान्त जमींदार एसोसियेशन।
१५१—राजाराम मिश्र, श्री .. जिला फैजाबाद (पश्चिम)।
१५२—राजाराम शास्त्री, श्री .. कानपुर औद्योगिक-श्रम।
१५३—राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री .. जिला हरदोई (मध्य)।
१५४—राधामोहन सिंह, श्री .. जिला बलिया (दक्षिण)।
१५५—राधेश्याम शर्मा, श्री .. जिला बस्ती (पश्चिम)।
१५६—रामकुमार शास्त्री, श्री .. जिला बस्ती (उत्तर-पूर्व)।
१५७—राम कृपाल सिंह, श्री .. बुलन्दशहर-हापुड़-मेरठ-खुरजा-नगीना नगर।
१५८—रामचन्द्र सेहरा, श्री .. आगरा नगर।
१५९—रामचन्द्र पालीवाल, श्री .. जिला आगरा (उत्तर-पूर्व)।
१६०—रामजी सहाय, श्री .. जिला गोरखपुर (मध्य)।
१६१—रामधर मिश्र, श्री .. इलाहाबाद लखनऊ, तथा आगरा विश्व विद्यालय।

१६२—रामधारी पांडे, श्री .. जिला गोरखपुर (उत्तर-पूर्व) ।
१६३—रामनन्दन सिंह, श्री .. बनारस (विलीन राज्य के नाम निर्देशित)
१६४—रामनारायण, श्री .. अपर इंडिया चेम्बर आफ कामर्स ।
१६५—रामबली मिश्र, श्री .. जिला सुल्तानपुर (पूर्व) ।
१६६—राममूर्ति, श्री .. जिला बरेली (उत्तर-पूर्व) ।
१६७—रामशंकर लाल, श्री .. जिला बस्ती (दक्षिण-पूर्व) [७-३-५२ अपराह्न से स्थान रिक्त]
१६८—रामशरण, श्री .. मुरादाबाद-अमरोहा-सम्भल-चन्दौसी नगर [८-३-५२ पूर्वान्ह से स्थान रिक्त]
१६९—रामस्वरूप गुप्त, श्री .. जिला कानपुर (दक्षिण) ।
१७०—रामेश्वर सहाय सिंह, श्री .. जिला हरदोई (दक्षिण-पूर्व) ।
१७१—रुक्नुद्दीन खां, श्री .. जिला प्रतापगढ़ ।
१७२—रोशन जमां खां, श्री .. जिला गोंडा (दक्षिण-पश्चिम) ।
१७३—लक्ष्मी देवी, श्रीमती .. जिला फैजाबाद (पश्चिम) ।
१७४—लताफत हुसैन, श्री .. जिला मुरादाबाद (उत्तर-पश्चिम) ।
१७५—लाखनदास जाटव, श्री .. जिला बदायूं (पूर्व) ।
१७६—लालबहादुर, माननीय श्री .. जिला इलाहाबाद (गंगापार) ।
१७७—लाल बिहारी टंडन, श्री .. जिला गोंडा (पश्चिम) ।
१७८—लीलाधर अष्ठाना, श्री .. जिला उन्नाव (पूर्व) ।
१७९—लुत्फ अली खां, श्री .. जिला मेरठ (पूर्व) ।
१८०—लोटन राम, श्री .. जिला जालौन [९-३-५२ पूर्वान्ह से स्थान रिक्त]
१८१—वंशगोपाल, श्री .. जिला फतेहपुर (पूर्व) ।
१८२—वंशीधर मिश्र, श्री .. जिला खीरी (दक्षिण-पश्चिम) ।
१८३—विजयानन्द मिश्र, श्री .. जिला मिर्जापुर (उत्तर) ।
१८४—विद्याधर वाजपेयी, श्री .. जिला सुल्तानपुर (पश्चिम) ।
१८५—विद्यावती राठौर, श्रीमती .. जिला एटा (दक्षिण) ।
१८६—विनय कुमार मुकर्जी, श्री .. लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद औद्योगिक मिल, श्रम ।
१८७—विश्वनाथप्रसाद, श्री .. जिला मिर्जापुर (उत्तर) ।
१८८—विश्वनाथ राय, श्री .. जिला गाजीपुर (पूर्व) ।
१८९—विष्णु शरण दुब्लिश, श्री .. जिला मेरठ (उत्तर) ।
१९०—वीरबल सिंह, श्री .. जिला जौनपुर (पश्चिम) [७-३-५२ अपराह्न से स्थान रिक्त]
१९१—वीरेन्द्रशाह, राजा .. आगरा प्रान्त जमींदार एसोसियेशन ।
१९२—वेंकटेशनारायण तिवारी, श्री .. जिला कानपुर (उत्तर-पूर्व) [११-३-५२ अपराह्न से स्थान रिक्त]
१९३—शंकरदत्त शर्मा, श्री .. जिला मुरादाबाद (पश्चिम) ।
१९४—शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री .. जिला देहरादून ।
१९५—शिव कुमार पांडे, श्री .. जिला इलाहाबाद (दोआबा) ।
१९६—शिवकुमार मिश्र, श्री .. जिला शाहजहांपुर (पूर्व) ।
१९७—शिवदयाल उपाध्याय, श्री .. जिला फतेहपुर (पश्चिम) [७-३-५२ अपराह्न से स्थान रिक्त]
१९८—शिवदान सिंह, श्री .. जिला अलीगढ़ (पश्चिम) ।
१९९—शिवमंगल सिंह, श्री .. जिला मथुरा (पूर्व) और जिला एटा (पश्चिम) ।

२००—शिवमंगल सिंह कपूर, श्री	.. जिला आजमगढ़ (दक्षिण)।
२०१—श्यामलाल वर्मा, श्री	.. जिला नैनीताल।
२०२—श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री	.. जिला प्रतापगढ़ (पूर्व)।
२०३—श्यामा चरण बाजपेयी, श्री	.. जिला बांदा (उत्तर)।
२०४—श्री चंद सिंहल, श्री	.. जिला अलीगढ़ (मध्य) [७–३–५२ अपरान्ह से स्थान रिक्त]
२०५—श्रीपति सहाय, श्री	.. जिला हमीरपुर।
२०६—सज्जनदेवी महनोत, श्री	.. बनारस नगर।
२०७—सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री	.. बनारस नगर।
२०८—सर्वर हुसैन काजी, श्री	.. जिला मुरादाबाद (उत्तर-पूर्व)।
२०९—सलीम हामिद खां, श्री	.. जिला झांसी, जालौन और हमीरपुर।
२१०—साजिद हुसैन, श्री	.. अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन।
२११—सालिगराम जायसवाल, श्री	.. जिला इलाहाबाद (यमुनापार)।
२१२—सिंहासन सिंह, श्री	.. जिला गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व) [८–३–५२ पूर्वान्ह से स्थान रिक्त]
२१३—सीताराम अष्ठाना, श्री	.. जिला आजमगढ़ (पश्चिम) [८–३–५२ पूर्वान्ह से स्थान रिक्त]
२१४—सुदामा प्रसाद, श्री	.. जिला गोरखपुर (उत्तर)
२१५—सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	.. जिला रायबरेली (उत्तर-पूर्व)।
२१६—सुल्तान आलम खां, श्री	.. जिला फर्रुखाबाद।
२१७—सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री	.. जिला उन्नाव (दक्षिण)।
२१८—सईद अहमद, श्री	.. जिला नैनीताल तथा अल्मोड़ा और बरेली (उत्तर)।
२१९—हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री	.. जिला लखनऊ तथा उन्नाव।
२२०—हरगोविन्द पन्त, श्री	.. जिला अल्मोड़ा।
२२१—हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री	.. जिला बाराबंकी (दक्षिण)।
२२२—हुकुमसिंह, माननीय श्री	.. जिला बहराइच (उत्तर)।
२२३—होतीलाल अग्रवाल, श्री	.. जिला इटावा पूर्व [१०–३–५२ अपरान्ह से स्थान रिक्त]
२२४—हैदर बख्श, श्री	.. जिला मथुरा तथा आगरा।
२२५—(रिक्त)	.. जिला उन्नाव (पश्चिम), सामान्य ग्रामीण।
२२६—(रिक्त)	.. जिला गोरखपुर (उत्तर), सामान्य ग्रामीण।
२२७—(रिक्त)	.. जिला फर्रुखाबाद (उत्तर), सामान्य ग्रामीण।
२२८—(रिक्त)	.. जिला खीरी, मुस्लिम ग्रामीण।
२२९—(रिक्त)	.. जिला बांदा (दक्षिण), सामान्य ग्रामीण।
२३०—(रिक्त)	.. कानपुर नगर, मुस्लिम नगर।
२३१—(रिक्त)	.. आगरा नगर, सामान्य नगर।
२३२—(रिक्त)	.. ट्रेड यूनियन।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

माननीय श्री नफ़ीसुल हसन, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए० ।

उपाध्यक्ष

श्री हर गोविन्द पन्त, एम० एल० ए० ।

सचिव

श्री कैलासचन्द्र भटनागर, एम० ए० ।

सहायक सचिव

श्री कृष्ण बहादुर सक्सेना, बी० ए० ।

अधीक्षक

श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० । ल०, एस-सी० ।

श्री राम प्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी० ।

-----:o -----

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ६ मार्च, १९५२ ई०

विधान परिषद् के माननीय सभापति तथा विधान सभा के माननीय अध्यक्ष के साथ महामान्य राज्यपाल विधान मण्डल के सदस्यों के समक्ष अभिभाषणार्थ, सभा मण्डप, लखनऊ में ठीक ११ बजे दिन में पधारे। विधान सभा के निम्नलिखित १८९ सदस्य उपस्थित थे --

अक्षय कुमार करण, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अब्दुल ग़नी अन्सारी, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ ख़ां, श्री
अब्दुल हमीद, श्री
अम्मार अहमद ख़ां, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
आर्चिबाल्ड जेम्स फ़ैन्थम, श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
इर्तिजा हुसैन, श्री
ई० एम० फ़िलिप्स, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
करीमुर्रजा ख़ां, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
किशन चन्द पुरी, श्री
कुंजविहारीलाल शिवानी, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवदेव मालवीय, श्री
खानचन्द गौतम, श्री
ख़ुशवक्त राय, श्री
गंगाधर, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय चौबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गणपति सहाय, श्री
गिरधारीलाल, माननीय श्री
गुरु नारायण, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
गोविन्द सहाय, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चरण सिंह, माननीय श्री
चेतराम, श्री
छेदालाल गुप्त, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
ज़फ़र अहमद, श्री
जमीलुर्रहमान क़िदवाई, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, श्री
ज़ाहिद हसन, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दाऊ दयाल खन्ना, श्री
दीन दयालु अवस्थी, श्री
दीन दयालु शर्मा, श्री
दीन दयालु शास्त्री, श्री

दीप नारायण वर्मा, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
नवाजिश अली खां, श्री
नवाब सिंह चौहान, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायण दास, श्री
निहालुद्दीन, श्री
परागीलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रयाग नारायण, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
प्रेमलाल वैद्य, श्री
फ़खरुल इस्लाम, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
ब्रजमोहन लाल शास्त्री, श्री
ब्रजरानी देवी, श्रीमती
बेचन राम गुप्त, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानदीन मिश्र, श्री
भारतसिंह यादवाचार्य, श्री
भीमसेन, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मसुरिया दीन, श्री
महफ़ूजुर्रहमान, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
मिजाजी लाल, श्री
मुकुन्दलाल अग्रवाल, श्री
मुख्तार अहमद क़िदवाई, श्री
मुजफ़्फ़र हुसैन, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद एवज़, श्री
मुहम्मद जमशेद अली खां, नवाब
मुहम्मद नजीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद रज़ा खां, श्री
मुहम्मद रहमत खां, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद शोएब, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री
रघुवंश नारायण सिंह, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
राघव दास, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधा मोहन सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृपाल सिंह, श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
रामचन्द्र सेहरा, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामधर मिश्र, श्री
रामधारी पाण्डे, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामशंकर लाल, श्री
रामशरण, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री

उपस्थित सदस्यों की सूची

रोशन जमां खां, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफ़त हुसैन, श्री
लाखनदास जाटव, श्री
लालबिहारी टण्डन, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोटन राम, श्री
वंशगोपाल, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विजयानन्द मिश्र, श्री
विद्याधर बाजपेयी, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय कुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरबल सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री
शंकर दत्त शर्मा, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पाण्डे, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदयाल उपाध्याय, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
श्याम लाल वर्मा, श्री
श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द सिंघल, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद अहमद, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सरवत हुसैन, श्री
सलीम हामिद खां, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सैयद जाकिर अली, श्री
सुदामा प्रसाद, श्री
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हर प्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

राज्य के विधान मण्डल के सदस्यों को महामान्य राज्यपाल का अभिभाषण

विधान मण्डल के सदस्यों के समक्ष महामान्य राज्यपाल ने इस प्रकार अभिभाषण किया--

MEMBERS OF THE LEGISLATIVE COUNCIL AND THE LEGISLATIVE ASSEMBLY—

WHEN I had occasion to address you in August last, I had thought that perhaps that session was going to be the last one of this Legislature: The time-table eventually adopted for the general elections in this State has, however, made it possible for me to have one more opportunity of addressing you before you hand over burden to the new and enlarged Legislature.

2. The new Legislature is not expected to be in session before May next, since although the elections to the Legislative Assembly have been completed, the Legislative Council has yet to be constituted. In the meantime, it has become necessary to summon you firstly because, under the Constitution, more than six months should not intervene between the last sitting of the Legislature in one session and the date appointed for their first sitting in the next session, and secondly because supplementary grants are needed for the current financial year and funds are to be provided for the next. There are also certain Ordinances which I had to promulgate as emergent measures and which will now be laid before you in the form of Bills.

3. With the completion of the general elections to the House of the People and the State Legislative Assembly, a new era in the growth of democracy will set in. The calm and dignified manner in which the elections have been conducted gives confidence in the successful working of democratic institutions in our State. We had no less than three crores of voters, of whom more than forty per cent. actually cast their votes. There were approximately 10,600 polling stations with more than 35,000 booths. The total number of voters who went to cast their votes was over twelve millions. A very pleasant feature of these elections was that women voters came in large numbers to cast their votes and they patiently awaited their turn in long queues. In terms of percentage, women voters exercised their franchise in a larger proportion to their numbers than men voters. In an age when women are coming into their own, this is a significant fact, full of promise for the future. A further promise is afforded by the fact that in the new Legislature we shall have a larger number of women members than we have in the present.

4. These elections cast a heavy burden of work and responsibility on our Services and over one lakh twenty thousand Government servants were required to work on election duty. This is exclusive of the number of Police personnel that had to be put on duty. In addition, there was a large number of non-officials who assisted in this task. It was indeed a test for all of them. Some time before the elections, my Chief Minister had issued an appeal to all officers engaged in election work and in it he had exhorted them to act with scrupulous impartiality and in a co-operative spirit for this unique national work and uphold the reputation of our State as a progressive and efficient unit of our great Union. I am glad to say that all concerned willingly and enthusiastically acted up to this appeal in letter and in spirit. We owe it to them, as well as to the public-spirited citizens who co-operated with them, that this tremendous task has been accomplished. Practically no law and order problem arose anywhere and this is a tribute to the party workers and to the electorate in general and, of course, to the arrangements made and the vigilance exercised by the District Officers and their staffs including the Police. I believe that the general feeling in all quarters is that the elections have been carried out with efficiency, fairness and complete impartiality and I take this opportunity of expressing publicly the thanks of my Government to all concerned for the orderly and efficient conduct of this work. In particular, our appreciation goes to the work done by our District Officers who had to shoulder great responsibility in this matter. I have no doubt that all of you will share the sentiments which I have expressed.

5. I need not go into the results of the elections beyond observing that it will be possible for us to continue to have in this State the benefit of a strong and stable Government with the will and ability to serve the public good. I also feel that it will be a matter of gratification to you, as indeed it is to me, that all my Ministers have been returned to the new Assembly.

6. The present Legislature and the present Ministry came into being in April, 1946, as a result of the general elections that were held after the War. This phase will now shortly be coming to a close and with it will end the first formative period in the progress of our State towards a welfare State. This period was not without its limitations, tests and trials. In the Legislative sphere, this Legislature

had to work first under the provisions of the Government of India Act, 1935. On the achievement of Independence on August 15, 1947, you functioned under the 1935 Act as adapted by the Independence Act, and since January 26, 1950, you have worked under the transitional provisions of the Constitution. During these phases of varying complexion, you have all worked with the one objective of bettering the conditions of our people, particularly the conditions of our rural population which, in the past, received little attention from an alien Government. Of the large mass of legislative business which you have done during this period of about six years, the one which will go down in history as a measure of far-reaching importance is the Zamindari Abolition and Land Reforms Act. Another measure which could be ranked as second in importance only to the Zamindari Abolition and Land Reforms Act is the Panchayat Raj Act. Both these enactments are designed to create an awakening in our rural population which is the bulwark of our society and to spur them to take their due share in the body politic of our State. While the latter measure has been in operation for some years now, and has helped to infuse a new spirit into the village folk, it is a matter of regret that the enforcement of the Zamindari Abolition and Land Reforms Act is being delayed for reasons which are beyond the control of my Government. I need hardly assure you, however, that no time will be lost in implementing it as soon as it legally becomes possible to do so.

7. In the administrative sphere, this period has been one of great stress for my Ministry. They had to work under conditions which were by no means propitious for inaugurating measures for agricultural and industrial progress. The dawn of Independence brought its own peculiar problems. The vast mass of displaced people who, in their distress, looked to us for succour and support, had to be rehabilitated. It is a matter of satisfaction to all of us that my Government has been able to settle to a very large extent the displaced persons who came to this State and that other residuary problems connected with them have also been receiving constant attention, not without success. Another task which faced my Government in the early stages was the maintenance of peace in our State which had been grievously disturbed as a result of Partition and the developments that followed. As you all know, the situation was resolutely tackled, the disruptive elements

were brought to book and the people were saved from what would otherwise have been an unprecedented orgy of bloodshed and destruction.

8. In the midst of these difficulties, there was the food problem. Towards the solution of this problem my Government have pursued with vigour the Grow-More-Food Campaign. In the result, considerable areas of land have been freshly reclaimed. For still wider areas, new irrigation facilities have been provided. Major schemes of colonization are in operation in the Ganga Khadar tract of the Meerut district and in the Naini Tal Tarai. The progress of these projects has been a source of encouragement to all of us.

9. Our efforts to grow and procure more food within our own borders have steadily reduced our deficit of food supplies. As against 230,000 tons of foodgrains imported in 1946-47, we had to import only 47,000 tons in 1950-51, in spite of considerable additions to our rationed population and the vicissitudes of the weather. Continued drought, especially in the eastern region of the State, has caused the Government many anxious moments, and it has not been without straining all its resources that it has managed to honour its commitments in full. After a Conference of Food Ministers at New Delhi, the Government have had recently to reduce the rice ration in this State to make it available to those areas of the country where it is the staple food. Though the rigour of the general cut has been mitigated to a certain extent by exceptions, the decision to impose it was required in the interests of the country as a whole. As you are aware the Government has had to carry on subsidized State-trading in foodgrains at a substantial loss, which, after allowing for the subsidies received from the Government of India hitherto, was of the order of three crores of rupees a year. Consequent, however, on the recent withdrawal of their subsidy by the Government of India and increase in the price of imported foodgrains, the cost of the scheme to this State will mount still higher, involving the Government in a loss of about nine crores of rupees. When I addressed you last, I had hoped that it might be possible for my Government to arrest a rise in the price of foodgrains in spite of the increased costs. So far, the Government has managed to keep prices from rising and it will persevere in its efforts to keep them as low as possible hereafter. But considering the great increase in the cost of foodgrains which we have

now to meet, the problem will need to be reviewed in its relation to our rationing commitments and the evolution of a price suitable in the circumstances.

10. In spite of the difficulties and handicaps inherent in a period of transition, my Government has kept constantly before it the needs of a welfare State. Fully conscious of the colossal amount of work that has to be done, it has continued to pursue its objectives in the confidence that every step in the right direction is worth taking. Realising that one of the foremost needs of the State is the expansion of education, it has tried to provide increasing funds for the purpose. Expenditure on education has almost trebled over the last five years. As against a little over 20 lakhs of scholars in 1946, the State is now providing education to over 32 lakhs. There has been a corresponding increase in educational institutions at all levels. Improvements have likewise been effected in the sphere of public health. There has been an increase in the number of hospitals and dispensaries managed by the State, and measures for the control of malaria and other epidemics have been promoted. Increased facilities for medical education have been provided.

11. For the industrial development of the State, my Government has constantly kept in mind the need for a sympathetic, human approach towards problems of labour-welfare, and has endeavoured to encourage the growth of cottage industries. Steps have been taken to standardise wages in some of the major industries of the State. A number of labour-welfare centres are being maintained. An effective machinery for amicable settlement of industrial disputes has been provided, and there has been no major industrial unrest in the State. Government have also agreed to contribute their quota of expenses towards the implementation of the Employees' Insurance Scheme, a measure designed to confer substantial benefit on the vast labour population of Kanpur, which was inaugurated by the Prime Minister recently. It will be the aim of my Government to continue to handle labour and industrial problems on a basis of fairness and equity to all the interests concerned.

12. Our planning set-up has been making good progress, and Government has under consideration measures for further improving its effectiveness. The Etawah Pilot Development Project, started towards the end of 1948 as a small-

scale experiment in the organization of all-round rural development and method of approach to village problems, has earned worldwide recognition. Similar projects have been started in the districts of Gorakhpur, Deoria, Azamgarh and Ballia. It is proposed to establish an increasing number of such community projects throughout the State. A planned economy is essential for the systematic development of the country, and my Government hopes that it will continue to receive the whole-hearted support and co-operation of all classes of the population in the implementation of its plans for the all-round development of the State.

13. The future programme and plan of action will be unfolded when the new Legislature begins to function, and I shall now refer to the business for which this session has been summoned. This business comes under two categories, financial and legislative. The financial business would consist of the Supplementary Estimates for the current year, the Annual Budget for the next financial year and the "Vote on Account" in respect of the first four months of the coming year. The budget for a year is required to be presented to the Legislature in the preceding financial year. In previous years the budget used to be presented, as well as discussed and passed by the Legislature, before the commencement of the financial year to which it related. The conditions this year are different, due to the fact that according to constitutional propriety the budget for the next financial year should be passed by the new Legislature; that Legislature, however, will not be able to function in time to vote the budget before the end of March, 1952. It has accordingly become necessary to have recourse to Article 206 of the Constitution which permits the obtaining of a "Vote on Account" when the procedure for the normal voting of demands for grants in the annual budget is not likely to be completed before the close of the preceding financial year. Thus, the Annual Budget for 1952-53, which will be presented to this Legislature, need only be discussed by this body, but not be voted upon; at the same time Government will ask for a "Vote on Account" covering expenditure for the months of April to July, 1952. The Appropriation Bill relating to the "Vote on Account" will also be introduced and got through during this session. You will also be asked to consider and pass the second instalment of Supplementary Demands for the current financial year and the connected Appropriation Bill.

14. There are, then, certain Ordinances which will be laid before you in the form of Bills. One of these is the U. P. Drugs Control Ordinance, 1952. The U. P. Drugs Control Act, 1950, was due to expire on January 31, this year, when the Legislature was not in session. It was considered necessary by my Government that the regulation of supply and distribution of certain imported or essential drugs should be continued. I promulgated an Ordinance to extend the life of the Act up to January 31, 1953. You will be asked to pass a Bill to enact the provisions of this Ordinance.

15. The elections to the village *panchayats* and *panchayati adalats* constituted under the Panchayat Raj Act, 1947, fell due in the ordinary course in February, this year, when the State was already in the midst of general elections to the House of the People and the State Legislative Assembly. As it was both difficult and inexpedient administratively to hold all these elections together, I promulgated two Ordinances with a view to extending the life of the existing village *panchayats* and *panchayati adalats*. You will be asked to enact the provisions of these Ordinances.

16. Article 382 of the Constitution makes provision for the continued functioning of the Provisional Legislature of the State until such time as the new Houses are summoned to meet for the first session. As the new Legislature may not meet before May this year and as some persons, who are already members of the Legislative Council, have been chosen to the new Legislative Assembly, it became necessary to supplement the provisions of the U. P. Prohibition of Simultaneous Membership of Legislature Act, 1950, to allow the constitution of the Provisional Legislature to remain undisturbed. The Uttar Pradesh Prohibition of Simultaneous Membership of Legislature (Supplementary) Ordinance, 1952, was accordingly promulgated by me. My Government will ask you to pass a Bill to re-enact its provisions.

17. Before I close, I would say that though you have had no opportunity of working as a full-fledged Legislature as contemplated in our Constitution, you will be leaving for the new Legislature a legacy of worthy traditions and an example of faithful devotion to the cause of securing for our people a better standard and more wholesome conditions of life than those which they enjoyed before we won our freedom. I leave with you my best wishes for success in your labours.

† विधान परिषद् और विधान सभा के सदस्यगण,

जब पिछली बार अगस्त में मुझे आपको संबोधन करने का अवसर मिला था तो उस समय मैंने यह सोचा था कि सम्भवतः वह सत्र उस विधान मण्डल का अन्तिम सत्र हो। किन्तु इस राज्य में साधारण निर्वाचन के लिए अन्तिम रूप से जो समय-सारिणी निश्चित की गई उस से यह सम्भव हो सका कि इसके पूर्व कि आप अपने दायित्वों का भार नये और वर्धित विधान मण्डल को सौंपें मैं आपको एक बार फिर संबोधन कर सकूं।

२--नये विधान मण्डल का सत्र अगली मई से पूर्व होने की आशा नहीं की जाती है क्योंकि विधान सभा के निर्वाचन समाप्त हो जाने पर भी अभी विधान परिषद् का निर्माण होना बाक़ी रह गया है। इसी बीच में आपका आवाहन करना प्रथमतः इस कारण आवश्यक होगया कि संविधान के अधीन विधान मण्डल के एक सत्र की अन्तिम बैठक और अगले सत्र में उसकी पहली बैठक के लिए निश्चित किये गये दिनांक के बीच का समय छः मास से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा यह भी कारण है कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक अनुदानों की आवश्यकता है और अगले वर्ष के लिए भी वित्तीय व्यवस्था करनी है। कुछ ऐसे अध्यादेश भी हैं जिन्हें आपाती विधान के रूप में मुझे प्रचारित करना पड़ा था और वे अब आपके सामने विधेयकों के रूप में लाये जायेंगे।

३--लोक सभा और राज्य विधान सभा के साधारण निर्वाचनों के पूरे होने के साथ ही लोकतंत्र के विकास में एक नये युग का सूत्रपात होगा। जिस शांति और गम्भीरता से इस राज्य में निर्वाचनों का परिचालन हुआ है उस से यह विश्वास होता है कि हमारे राज्य में लोकतंत्र की संस्थाएं सफलता से चल सकेंगी। हमारे राज्य में लगभग ३ करोड़ मतदाता थे। उनमें से ४० प्रतिशत से अधिक लोगों ने वस्तुतः अपने वोट डाले हैं। इस निर्वाचन के सम्बन्ध में लगभग १०,६०० पोलिंग स्टेशनों की व्यवस्था की गयी थी और उनमें ३५,००० से अधिक पोलिंग बूथ रखे गये थे। मतदान के लिए जो लोग गये उनकी संख्या एक करोड़ बीस लाख से अधिक थी। इन चुनावों की एक विशेष रोचक बात यह थी कि एक बड़ी संख्या में महिलायें मतदान के लिए आयी थीं और वे अपना वोट डालने के लिए लम्बी लम्बी पंक्तियों में खड़े होकर धैर्य के साथ अपनी बारी की प्रतीक्षा करती रहीं। प्रतिशत की दृष्टि से पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा महिलाओं ने अपनी संख्या के हिसाब से अधिक बड़े अनुपात में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आजकल जब कि महिलाओं में जागृति की भावना उत्पन्न हो रही है इस बात का बड़ा महत्व है और इससे उज्ज्वल भविष्य की आशा की जाती है। एक और आशा इस बात से होती है कि नये विधान मण्डल में हमारे वर्तमान विधान मण्डल की अपेक्षा अधिक संख्या में महिला सदस्याएं होंगी।

४--इन निर्वाचनों के कारण हमारे राज्य के अधिकारी वर्ग पर कार्य और उत्तरदायित्व का भारी बोझ आ पड़ा था और एक लाख बीस हज़ार से ऊपर सरकारी अधिकारियों को चुनाव का काम करने के लिए आदेश दिया गया था। इसमें उन पुलिस कर्मचारियों की संख्या सम्मिलित नहीं है जिन्हें चुनाव के सम्बन्ध में काम पर तैनात किया गया था। इसके अतिरिक्त एक बड़ी संख्या में गैर-सरकारी लोगों ने भी चुनाव के इस काम में सहायता की है। वस्तुतः उन सब के

† अंग्रेजी से अनूदित।

लिए यह एक परीक्षा थी। निर्वाचन के कुछ दिनों पहले हमारे मुख्य मंत्री ने चुनाव के काम में लगे हुए सब अधिकारियों के नाम एक अपील जारी की थी। उसमें उन्होंने अधिकारियों को बड़ी सावधानी से निष्पक्ष रहकर और सहकारिता की भावना से प्रेरित होकर इस अपूर्व राष्ट्रीय कार्य को करने के लिए और हमारे महान संघ की एक प्रगतिशील और कुशल इकाई के रूप में हमारे राज्य की प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया था। मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है कि उन सब लोगों ने बड़ी प्रसन्नता और उत्साह से उस अपील के अनुसार पूर्णरूप से काम किया। वे लोग और उनके साथ योग देने वाले लोक सेवी नागरिक जिनके कारण यह बहुत बड़ा काम पूरा हो सका, हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। विधि और व्यवस्था की तो प्रायः कोई समस्या ही नहीं उठी और इस बात से भिन्न भिन्न दलों के कार्यकर्त्ता और साधारण निर्वाचकगण और निस्सन्देह जिले के अधिकारियों और उनके कर्मचारियों, जिनमें पुलिस का अमला भी शामिल है, द्वारा किये गये प्रबन्ध और बरती गयी सतर्कता हमारी प्रशंसा के पात्र हैं। मेरा विश्वास है कि सब क्षेत्रों में यही सामान्य भावना है कि चुनाव कुशलता, ईमानदारी और पूरी निष्पक्षता से हुए हैं और मैं इस अवसर पर उन सब व्यक्तियों को, जिन्होंने इस कार्य को सुव्यवस्थित और कुशल ढंग से पूरा करने में सहयोग दिया है, सार्वजनिक रूप से अपनी सरकार की ओर से धन्यवाद देता हूं। हम अपने जिला अफ़सरों द्वारा किये गये कार्य की विशेष रूप से प्रशंसा करते हैं जिन्हें इस कार्य के सम्बन्ध में बहुत भारी उत्तरदायित्व लेना पड़ा है। मुझे इस में सन्देह नहीं है कि मैंने जिन भावों को व्यक्त किया है उनसे आप सब लोग सहमत होंगे।

५—मैं चुनाव के परिणामों के बारे में इसके अतिरिक्त कुछ और कहना आवश्यक नहीं समझता कि हमारे लिए इस राज्य में ऐसी मजबूत और सुस्थिर सरकार के बने रहने का लाभ बराबर मिलता रहेगा जिसमें जनसाधारण की भलाई करने का संकल्प और योग्यता हो। मैं समझता हूं कि आप लोगों को इस बात से कि मेरे सभी मंत्री नयी विधान सभा के लिए चुन लिये गये हैं, वैसा ही हर्ष और सन्तोष हुआ होगा जैसा कि वस्तुतः मुझे हुआ है।

६—वर्तमान विधान मण्डल और मंत्रिमण्डल की रचना युद्ध के बाद हुए साधारण निर्वाचन के फलस्वरूप अप्रैल, १९४६, में हुई थी। अब यह वस्तुस्थिति शीघ्र ही समाप्त होने वाली है और इस के साथ ही कल्याणकारी राज्य बनने के लिए हमारे राज्य की प्रगति का पहला निर्माणकालिक चरण भी समाप्त हो जायगा। यह काल भी अपनी असमर्थताओं, परीक्षाओं और कठिनाइयों से मुक्त नहीं रहा। विधान बनाने के कार्य के सम्बन्ध में, इस विधान मण्डल को पहले गवर्नमेंट आफ़ इण्डिया ऐक्ट, १९३५, के उपबंधों के अन्तर्गत कार्य करना पड़ा। १५ अगस्त, १९४७, को स्वतंत्रता मिल जाने पर आप लोगों ने इंडिपेंडेंस ऐक्ट द्वारा अनुकूलित १९३५ के ऐक्ट के अन्तर्गत कार्य किया, और २६ जनवरी, १९५० ई० से आप लोगों ने संविधान के अन्तर्कालीन उपबंधों के अन्तर्गत कार्य किया है। इन विभिन्न परिस्थितियों में आप सब ने केवल एक ही उद्देश्य से प्रेरित होकर कार्य किया है, वह उद्देश्य था हमारे जनसाधारण की, और विशेषतः उन ग्रामवासियों की दशा सुधारना, जिनकी अतीत में विदेशी शासन काल में उपेक्षा की गयी थी। आप लोगों ने लगभग छः वर्षों की इस अवधि में विधान बनाने का जो काम बहुत बड़े परिमाण में किया है उसमें से एक विधान जो इतिहास में सुदूरवर्ती प्रभाव रखने वाले विधान के रूप में प्रसिद्ध होगा, ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम है। दूसरा विधान जो अपने महत्व की दृष्टि से ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के ही बाद दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है, पंचायत राज ऐक्ट है। इन दोनों विधानों का यह

प्रयोजन है कि ग्रामीण जनता में, जो हमारे समाज के दृढ़ अंग हैं, जागृति पैदा हो और वह हमारे राज्य के संघटित समाज में अपना उचित स्थान ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित हो। यद्यपि पंचायत राज ऐक्ट को लागू हुए कुछ वर्ष बीत चुके हैं और उससे ग्रामीण जनता में एक नया उत्साह उत्पन्न हो गया है, किन्तु यह खेद की बात है कि जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के लागू होने में ऐसे कारणों से देर लग रही है जिनको दूर करना हमारी सरकार के वश के बाहर की बात है। फिर भी मैं आपको इस बात के आश्वासन देने की आवश्यकता नहीं समझता कि इस अधिनियम को लागू करने में बिल्कुल देर नहीं की जायगी जब कि उसे विधितः लागू करना हमारे लिए सम्भव हो जायगा।

७—प्रशासकीय क्षेत्र में, यह काल हमारे मंत्रिमण्डल के लिए बड़े परिश्रम और कठिनाइयों का रहा है। उन्हें ऐसी परिस्थितियों में काम करना पड़ा है जो कृषि और उद्योग की प्रगति के लिए विधानों को आरम्भ करने के लिए किसी भी प्रकार अनुकूल न थीं। स्वतंत्रता के साथ साथ हमारे सामने विलक्षण समस्यायें भी आयीं। विस्थापितों के उस बड़े जन समूह को जो अपनी विपत्ति के समय हमारी सहायता और सहारा चाहता था, फिर से बसाने का काम करना ही था। हम सभी के लिए यह बड़े सन्तोष की बात है कि हमारी सरकार उन विस्थापितों को जो इस राज्य में आये बहुत बड़ी सीमा तक बसाने में समर्थ हो सकी है और उन के सम्बन्ध की अन्य सभी शेष समस्याओं पर भी बराबर ध्यान दिया जा रहा है और उनके सम्बन्ध में भी सफलता मिल रही है। दूसरा कार्य जो हमारी सरकार के सामने प्रारम्भ में आया था वह हमारे राज्य में शान्ति बनाये रखना था जो विभाजन और उसके बाद होने वाली घटनाओं के कारण बुरी तरह से भंग हो गयी थी। जैसा कि आप सब को मालूम ही है, उस परिस्थिति का दृढ़ता से सामना किया गया और उसे क़ाबू में रखा गया। विध्वंसात्मक तत्वों को दण्ड दिया गया और जनता को उस परिस्थिति से बचा लिया गया जो अन्यथा अभूतपूर्व रक्तपात तथा विनाश के तांडव में बदल जाती।

८—इन कठिनाइयों में अन्न की समस्या भी शामिल थी। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमारी सरकार ने "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन को बड़े जोर से चलाया है। इसके फलस्वरूप बहुत बड़े क्षेत्रों का कृष्यकरण किया गया है। इस से भी बड़े क्षेत्र के लिए सिंचाई की नयी सुविधाएं दी गयी हैं। मेरठ जिले के गंगाखादर क्षेत्र में और नैनीताल की तराई में उपनिवेशन की बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं की प्रगति से हम सबका उत्साह बढ़ता रहा है।

९—अपने राज्य में ही अधिक अन्न उपजाने के और प्राप्त करने के हमारे प्रयत्नों से हमारी अन्न की कमी बराबर घटती गयी है। १९४६-४७ में २,३०,००० टन खाद्यान्न बाहर से मंगाया गया था। उसकी तुलना में १९५०-५१ में राशन से अन्न पाने वाली जनसंख्या के बहुत अधिक बढ़ जाने पर भी और मौसम की विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी हमने केवल ४७,००० टन अन्न बाहर से मंगाया। इस राज्य में और विशेषकर इसके पूर्वी भाग में बराबर सूखा पड़ने से सरकार को बहुत बार तीव्र चिन्ता हुई है और सरकार ने अपने सभी साधनों को अच्छी तरह से काम में लाकर ही अपने सब उत्तरदायित्वों को भली भांति पूरा किया है। नयी दिल्ली में खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन होने के बाद, सरकार को अभी हाल ही में इस राज्य में चावल के राशन की मात्रा कम करनी पड़ी है जिस से कि चावल इस देश के उन क्षेत्रों में भेजा जा सके जहां के लोगों का वह मुख्य भोजन है। यद्यपि इस आम कमी में कुछ हद तक कहीं कहीं

कुछ छूट दे दी गयी है किन्तु चावल की कमी करने का निश्चय पूरे देश के हित की दृष्टि से आवश्यक था। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, सरकार को पर्याप्त हानि उठाकर भी खाद्यान्नों का राजसहायता-प्राप्त सरकारी व्यापार करना पड़ा है, और यह आर्थिक हानि भारत सरकार से अब तक मिली राजसहायता की धनराशि के घटाने पर भी तीन करोड़ रुपये रही है। भारत सरकार द्वारा अभी हाल में अपनी राजसहायता रोक देने के कारण और बाहर से मंगाये हुए अन्न का मूल्य बढ़ जाने के फलस्वरूप इस राज्य को इस योजना पर और भी अधिक व्यय करना पड़ेगा, जिससे सरकार को लगभग ९ करोड़ रुपये का घाटा होगा। जब मैंने पिछली बार आप लोगों को संबोधित किया था तब यह आशा प्रकट की थी कि बढ़ी हुई लागत के होने पर भी मेरी सरकार के लिए खाद्यान्नों के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकना संभव हो सकेगा। अब तक तो सरकार मूल्यों की वृद्धि रोकने की व्यवस्था कर सकी है और इसके बाद भी मूल्यों को अधिक से अधिक कम करने के अपने प्रयत्नों को बराबर जारी रखेगी। किन्तु खाद्यान्नों के बहुत बढ़े हुए मूल्य पर ध्यान रखते हुए जो कि हमें अब देना पड़ रहा है, हमें अपने राशनिंग विषयक उत्तरदायित्वों और वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल मूल्य नियत करने की दृष्टि से इस समस्या पर फिर से विचार करना आवश्यक होगा।

१०—अन्तरिम काल में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों और बाधाओं के होते हुए भी, मेरी सरकार ने सदा ही कल्याणकारी राज्य की आवश्यकताओं को अपने सामने रखा है। इसको भली भांति जानते हुए कि कार्य बहुत करना है सरकार इस विश्वास के साथ अपने लक्ष्य का अनुसरण करती ही रही है कि उचित दिशा में की गयी कोई भी कार्यवाही करने ही योग्य होती है। इस बात का अनुभव कर के कि शिक्षाप्रसार राज्य की एक प्रमुख आवश्यकता है, सरकार ने इस प्रयोजन के लिए उत्तरोत्तर बढ़ती हुई धनराशियां देने का प्रयास किया है। पिछले पांच वर्षों में ही शिक्षाव्यय लगभग तिगुना हो गया है। १९४६ ई० में २० लाख से कुछ ही अधिक विद्यार्थी थे किन्तु अब राज्य सरकार ३२ लाख से भी अधिक विद्यार्थियों की शिक्षा का प्रबन्ध करती है। तदनुसार सभी स्तरों पर शिक्षासंस्थाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार हुए हैं। राज्य द्वारा अपने प्रबन्ध से चलाये जाने वाले अस्पतालों और औषधालयों की संख्या भी बढ़ी है, और मलेरिया तथा दूसरी महा-मारियों के नियंत्रण सम्बन्धी उपायों में वृद्धि की गयी है। चिकित्सा-शास्त्र की शिक्षा के लिए और अधिक सुविधाएं देने की व्यवस्था की गयी है।

११—राज्य के उद्योगों के विकास के लिए, मेरी सरकार ने सदैव ही श्रम-हितकारी समस्याओं की ओर सहानुभूतिपूर्ण तथा मानवीय दृष्टिकोण अपने समक्ष रखा है और कुटीर उद्योगों की वृद्धि को प्रोत्साहित किया है। राज्य के कुछ बड़े बड़े उद्योगों में मजदूरी को उचित स्तर पर लाने के लिए कार्यवाही की गयी है। बहुत से श्रम-हितकारी केन्द्र भी चलाये जा रहे हैं। औद्योगिक झगड़ों को समझौते से निपटाने के लिए प्रभावशाली साधन की व्यवस्था की गयी है और इसी से राज्य में कोई भी बड़ा औद्योगिक झगड़ा नहीं हो पाया। सरकार ने कर्मचारी बीमा योजना को कार्यान्वित करने के व्यय का अपना अंशदान देना स्वीकार कर लिया है। यह योजना कानपुर में बहुत बड़ी संख्या में रहने वाले मजदूरों को ठोस लाभ पहुंचाने के लिए बनायी गयी है। इस योजना का उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधान मन्त्री ने किया था। मेरी सरकार का यह उद्देश्य रहेगा कि वह श्रम तथा औद्योगिक समस्याओं को तत्सम्बन्धी सब दलों के प्रति निष्पक्षता और साम्या के भाव से सुलझाये।

१२—हमारे संविधायन तंत्र का काफ़ी विकास हो रहा है और उसे और भी अधिक उपयोगी और प्रभावकारी बनाने के लिए कुछ उपाय सरकार के विचाराधीन हैं। इटावा की पायलाट डेवेलपमेंट प्राजेक्ट का आरम्भ १९४८ ई० के अन्त में गांव के सभी प्रकार के विकास की व्यवस्था और गांवों की समस्याओं को हल करने का ढंग निकालने के परीक्षण के रूप में हुआ था। उक्त प्राजेक्ट को संसार के सभी क्षेत्रों से मान्यता मिली है। इसी प्रकार की योजनाएं गोरखपुर, देवरिया, आज़मगढ़ और बलिया के ज़िलों में भी प्रारम्भ की गयी हैं। यह विचार है कि इस प्रकार की सहकारी योजनाएं काफ़ी संख्या में सारे राज्य में स्थापित की जायं। देश के व्यवस्थित विकास के लिए संविधायित अर्थ व्यवस्था अनिवार्य है और मेरी सरकार को आशा है कि उसे जनता के सभी वर्गों से इस राज्य के सभी प्रकार के विकास के लिए इन योजनाओं को कार्यान्वित करने में बराबर सहयोग और सहायता मिलती रहेगी।

१३—भविष्य का कार्यक्रम तथा कार्य योजना तभी बतायी जायगी जब नया विधान-मण्डल अपना कार्य करने लगेगा। अब मैं उस कार्य की चर्चा करूंगा जिस के लिए यह अधिवेशन बुलाया गया है। यह कार्य दो वर्गों में आता है। एक वित्तीय और दूसरा विधान निर्माण सम्बन्धी। वित्तीय कार्यावली में चालू वर्ष के लिए पूरक अनुमान, अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक बजट और अगले वर्ष के पहले चार महीनों के लिए लेखानुदान होगा। किसी वर्ष का बजट उसके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में विधान मण्डल के सामने रखना आवश्यक होता है। पिछले वर्षों में अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के पहले ही तत्सम्बन्धी बजट विधान मण्डल में प्रस्तुत किया जाता था, उस पर बहस की जाती थी और तब वह पास किया जाता था। इस वर्ष की परिस्थिति कुछ भिन्न है। इसका कारण यह है कि संवैधानिक औचित्य के अनुसार अगले वर्ष का बजट नये विधान मण्डल द्वारा पास किया जाना चाहिए। किन्तु यह विधान मण्डल मार्च, १९५२ ई० के अन्त से पहले बजट पास करने के लिए काम न कर सकेगा। इस लिए यह आवश्यक हो गया है कि संविधान के अनुच्छेद २०६ का सहारा लिया जाय जिस के अनुसार उस समय लेखानुदान लिया जा सकता है जब वार्षिक बजट की अनुदान सम्बन्धी मांगों पर साधारण रूप से मत लेने की प्रक्रिया पूर्वगामी वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पहले पूरी न की जा सके। इस प्रकार १९५२-५३ के वार्षिक बजट पर जो इस विधान मण्डल में प्रस्तुत किया जायगा, इस विधान मण्डल द्वारा केवल विचार ही हो सकेगा, किन्तु उस पर मतदान नहीं होगा। इस के साथ ही सरकार अप्रैल से जुलाई, १९५२ ई० तक के व्ययों के लिए लेखानुदान मांगेगी। लेखानुदान के सम्बन्ध में विनियोग विधेयक भी प्रस्तुत किया जायगा और वह भी इसी सत्र में पारित किया जायगा। चालू वित्तीय वर्ष की पूरक मांगों की दूसरी किस्त तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक पर भी आपको विचार करना होगा और उन्हें पारित करना होगा।

१४—इस के अतिरिक्त कुछ अध्यादेश भी हैं जो आप के सामने विधेयकों के रूप में लाये जायेंगे। उनमें से एक उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) अध्यादेश, १९५२ ई० है। उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) ऐक्ट, १९५० ई० इस वर्ष ३१ जनवरी को समाप्त होने वाला था और उस समय विधान मण्डल का सत्र नहीं हो रहा था। मेरी सरकार ने यह आवश्यक समझा कि कुछ बाहर से आने वाली या आवश्यक औषधियों की पूर्ति तथा वितरण का विनियमन जारी रखना चाहिए। मैंने एक अध्यादेश उक्त ऐक्ट को ३१ जनवरी, १९५३ ई०

तक बनाये रखने के लिए जारी किया। आपसे अध्यादेश के उपबन्धों को अधिनियमित करने के लिए एक विधेयक पारित करने को कहा जायगा।

१५—पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ के अधीन बनी गांव पंचायतों और पंचायती अदालतों के चुनाव साधारणतः इस वर्ष फ़रवरी में होने को थे किन्तु उस समय इस राज्य में लोक सभा और राज्य विधान सभा के लिए आम चुनाव हो रहे थे। प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से इन सब निर्वाचनों को एक साथ करना कठिन भी था और अनुचित भी। इस लिए मैंने वर्तमान गांव पंचायतों और पंचायती अदालतों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए दो अध्यादेश प्रचारित किये। आप से उन अध्यादेशों के उपबन्धों को अधिनियमित करने के लिए कहा जायगा।

१६—संविधान के अनुच्छेद ३८२ में राज्य के अस्थायी विधान मण्डल के उस समय तक जब तक कि विधान मण्डल के नये सदन अपने पहले अधिवेशन के लिए आमंत्रित न किये जायं, बराबर काम करते रहने के लिए व्यवस्था की गयी है। संभव है कि नये विधान मण्डल की बैठक इस वर्ष मई मास से पहले न हो सके और क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही विधान परिषद् के सदस्य हैं, नयी विधान सभा के लिए निर्वाचित हो गये हैं, इस लिए यह आवश्यक हो गया कि "उत्तर प्रदेश विधान मण्डल समकालीन सदस्यता निषेधक अधिनियम, १९५० ई०" के उपबन्धों की अनुपूर्ति की जाय जिस से कि अस्थायी विधान मण्डल का संघटन ज्यों का त्यों बना रहे। तदनुसार मैंने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल समकालीन सदस्यता निषेधक (अनुपूरक) अध्यादेश, १९५२ ई० प्रचारित किया। मेरी सरकार आप से उसके उपबन्धों को अधिनियमित करने के लिए एक विधेयक पारित करने को कहेगी।

१७—अन्त में समाप्त करने से पहले यह कहना चाहूंगा कि यद्यपि आपको हमारे संविधान में अभिप्रेत पूर्ण विकसित विधान मण्डल के रूप में काम करने का अवसर नहीं मिला, फिर भी आप नये विधान मण्डल के लिए उचित और योग्य परम्परायें और जनता के लिए जीवन का उच्चतर स्तर और अधिक उत्तम परिस्थितियां जो हमारे स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले के स्तर और परिस्थितियों से अच्छी होंगी, प्राप्त कराने के काम के प्रति धर्मनिष्ठा से प्रयत्न करने का एक उदाहरण, विरासत में छोड़ जायेंगे। अपने प्रयत्नों में आपको सफलता प्राप्त हो इसके लिए मेरी शुभ कामनाएं आपके साथ हैं।

(११ बजकर ३० मिनट पर महामान्य राज्यपाल ने प्रस्थान किया और तत्पश्चात् विधान मण्डल के सदस्य भी चले गये।)

कैलासचन्द्र भटनागर,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :

६ मार्च, १९५२ ई०।

PSUP L. 141 L. A.—18-3-52—660.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ७ मार्च, १९५२ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में माननीय अध्यक्ष, श्री नफ़ीसुल हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (१८६)

अक्षय कुमार करण, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अब्दुल ग़नी अन्सारी, श्री
अब्दुल बाक़ी, श्री
अब्दुल मजीद, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अब्दुल हमीद, श्री
अम्मार अहमद खां, श्री
अलगूराय शास्त्री, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
आर्चिबाल्ड जेम्स फ़ैन्थम, श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
इर्तिज़ा हुसैन, श्री
ई० एम० फ़िलिप्स, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
करीमुर्रज़ा खां, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
कुंजबिहारी लाल शिवानी, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केशव गुप्त, श्री
खानचन्द गौतम, श्री
खुशवक्त राय, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय चौबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गुरु नारायण, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चरणसिंह, माननीय श्री
चेतराम, श्री
छेदालाल गुप्त, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
ज़फ़र अहमद, श्री
जमीलुर्रहमान क़िदवाई, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
ज़ाहिद हसन, श्री
जुगलकिशोर, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दयालदास भगत, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री

द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
नवाजिश अली खां, श्री
नवाब सिंह चौहान, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायणदास, श्री
निसार अहमद शेरवानी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रयाग नारायण, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
प्रेमलाल वैद्य, श्री
फ़ख़रुल इस्लाम, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
ब्रजमोहनलाल शास्त्री, श्री
ब्रजरानी देवी, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानदीन मिश्र, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
भीमसेन, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मसुरियादीन, श्री
महफ़ूजुर्रहमान, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
मिजाजीलाल, श्री
मुकुन्दलाल अग्रवाल, श्री
मुख्तार अहमद क़िदवाई, श्री
मुज़फ़्फ़र हुसैन, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी, श्री
मुहम्मद एवज़, श्री
मुहम्मद जमशेद अली खां, नवाब
मुहम्मद नजीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद रहमत खां, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद शोएब, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री
राघव दास, श्री
रघुवंश नारायण सिंह, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृपाल सिंह, श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
रामचन्द्र सेहरा, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामधारी पाण्डे, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामशंकर लाल, श्री
रामशरण, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामेश्वर सहाय सिंह, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
रोशन जमां खां, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफ़त हुसैन, श्री
लाखनदास जाटव, श्री
लालबिहारी टंडन, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोटनराम, श्री
वंशगोपाल, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विजयानन्द मिश्र, श्री
विद्याधर बाजपेयी, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती

विनय कुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरबल सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री
शंकर दत्त शर्मा, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पाण्डे, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदयाल उपाध्याय, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्याम लाल वर्मा, श्री
श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द सिंघल, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद अहमद, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सरवत हुसैन, श्री
सलीम हामिद खां, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सिंहासन सिंह, श्री
सैयद जाकिर अली, श्री
सुदामा प्रसाद, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हर प्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

माननीय श्री सैयद अली जहीर तथा माननीय श्री हरगोविन्द सिंह भी उपस्थित थे।

सन् १९५१ ई० के इंडियन फ़ारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक पर महामान्य राज्यपाल की अनुमति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष---मैं घोषणा करता हूं कि सन् १९५१ ई० के इण्डियन फ़ारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २३ अगस्त, सन् १९५१ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ६ सितम्बर, सन् १९५१ ई० की बैठक में पारित किया था, महामान्य राज्यपाल की अनुमति २३ सितम्बर, सन् १९५१ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश का १८वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल के सदस्यों के अनर्हता निवारण विधेयक, १९५१ ई०, पर महामान्य राज्यपाल की अनुमति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों के अनर्हता निवारण विधेयक, १९५१ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ५ सितम्बर, सन् १९५१ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ११ सितम्बर, सन् १९५१ ई० की बैठक में पारित किया था, महामान्य राज्यपाल की अनुमति २२ सितम्बर, सन् १९५१ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश का १९वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश टिड्डी विनाश विधेयक, १९५१ ई०, पर महामान्य राज्यपाल की अनुमति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश टिड्डी विनाश विधेयक, १९५१ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २९ अगस्त, १९५१ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १० सितम्बर, १९५१ ई० की बैठक में पारित किया था, महामान्य राज्यपाल की अनुमति २५ सितम्बर, १९५१ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश का २०वां अधिनियम बन गया।

रामपुर में बेदख़ली के वाद और व्यवहार रोकने के विधेयक, १९५१ ई०, पर महामान्य राज्यपाल की अनुमति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष---मैं घोषणा करता हूं कि रामपुर में बेदख़ली के वाद और व्यवहार रोकने के विधेयक, १९५१ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २७ अगस्त, १९५१ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १० सितम्बर, १९५१ ई० की बैठक में पारित किया था, महामान्य राज्यपाल की अनुमति २९ सितम्बर, सन् १९५१ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश का २१वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कांस उत्पादन विधेयक, १९५१ ई०, पर महामान्य राज्यपाल की अनुमति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कांस उत्पादन विधेयक, सन् १९५१ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ६ सितम्बर, सन् १९५१ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १७ सितम्बर, सन् १९५१ ई० की बैठक में पारित किया था, महामान्य राज्यपाल की अनुमति ३ अक्टूबर, सन् १९५१ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश का २२ वां अधिनियम बन गया।

माननीय अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) (संशोधन) और प्रकीर्ण निदेश विधेयक, १९५१ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १७ सितम्बर, सन् १९५१ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २४ सितम्बर, सन् १९५१ ई० की बैठक में पारित किया था, महामान्य राज्यपाल की अनुमति ६ अक्टूबर, सन् १९५१ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश का २३वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (पूरक) विधेयक, १९५१ ई०, एप्रोप्रियेशन (सप्लीमेंटरी) बिल पर महामान्य राज्यपाल की घोषणा

माननीय अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (पूरक) विधेयक, १९५१ ई० [एप्रोप्रिएशन (सप्लीमेंटरी) बिल] पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २४ सितम्बर, सन् १९५१ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २७ सितम्बर, सन् १९५१ ई० की बैठक में पारित किया था, महामान्य राज्यपाल की अनुमति ५ अक्टूबर, सन् १९५१ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश का २४वां अधिनियम बन गया।

इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५१ ई०, पर राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५१ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २७ अगस्त, सन् १९५१ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १० सितम्बर, सन् १९५१ ई० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति १३ अक्टूबर, सन् १९५१ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश का २५वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज भाषा विधेयक, १९५१ ई०, पर महामान्य राज्यपाल की अनुमति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज भाषा विधेयक, १९५१ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २७ सितम्बर, सन् १९५१ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २९ सितम्बर, सन् १९५१ ई० की बैठक में पारित किया था, महामान्य राज्यपाल की अनुमति ५ नवम्बर, सन् १९५१ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश का २६वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) और विविध उपबन्ध विधेयक, १९५१ ई०, पर महामान्य राज्यपाल की अनुमति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) और विविध उपबन्ध विधेयक, १९५१ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १८ सितम्बर, सन् १९५१ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २५ सितम्बर, सन् १९५१ ई० की बैठक में पारित किया था, महामान्य राज्यपाल की अनुमति ३ नवम्बर, सन् १९५१ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश का २७वां अधिनियम बन गया।

कोड आफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५१ ई०, पर राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि कोड आफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५१ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी

[माननीय अध्यक्ष]

६ सितम्बर, सन् १९५१ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ११ सितम्बर, सन् १९५१ ई० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति ३१ अक्टूबर, सन् १९५१ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश का २८वां अधिनियम बन गया।

रेलीजस एन्डाउमेंट्स (उत्तर प्रदेशीय संशोधन) विधेयक, १९५१ ई०, पर राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि रेलीजस एन्डाउमेन्ट्स (उत्तर प्रदेशीय संशोधन) विधेयक, १९५१ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २७ अगस्त, सन् १९५१ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १० सितम्बर, सन् १९५१ ई० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति २ नवम्बर, सन् १९५१ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश का २९वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश ज़रे चहारुम उत्सादन विधेयक, १९५१ ई०, पर राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश ज़रे चहारुम उत्सादन विधेयक, १९५१ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ६ सितम्बर, सन् १९५१ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ११ सितम्बर, सन् १९५१ ई० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति ७ नवम्बर, सन् १९५१ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश का ३०वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीज़ीशन (कण्टीन्यूएंस आफ़ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५१ ई०, पर राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कण्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५१ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ६ सितम्बर, सन् १९५१ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १७ सितम्बर, सन् १९५१ ई० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति २३ नवम्बर, सन् १९५१ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश का ३१वां अधिनियम बन गया।

दूधी राबर्ट्सगंज (ज़िला मिर्जापुर) कृषक ऋण उद्धार विधेयक, १९५१ ई०, पर राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि दूधी राबर्ट्सगंज (जिला मिर्जापुर) कृषक ऋण उद्धार विधेयक, १९५१ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ६ सितम्बर, सन् १९५१ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १७ सितम्बर, सन् १९५१ ई० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति २३ नवम्बर, सन् १९५१ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश का ३२वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश शरणार्थियों को फिर से बसाने (के लिये ऋण देने) के (संशोधक) विधेयक, १९५१ ई०, पर राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश शरणार्थियों को फिर से बसाने (के लिये ऋण देने) के (संशोधक) विधेयक, १९५१ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २७ अगस्त, १९५१ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १० सितम्बर, सन् १९५१ ई० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति

की अनुमति १४ दिसम्बर, सन् १९५१ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश का ३३वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक़्फ़्स (संशोधन) विधेयक, १९५१ ई०, पर राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ्स (संशोधन) विधेयक, १९५१ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २७ सितम्बर, सन् १९५१ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी २९ सितम्बर, सन् १९५१ ई० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति २२ दिसम्बर, सन् १९५१ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश का ३४वां अधिनियम बन गया।

सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश बालक विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश बालक विधेयक पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ३१ अगस्त, सन् १९५१ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २६ सितम्बर, सन् १९५१ ई० की बैठक में संशोधनों सहित पारित किया था तथा उन संशोधनों सहित विधेयक को उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २८ सितम्बर, सन् १९५१ ई० की बैठक में पुनः पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति ५ फरवरी, सन् १९५२ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

याचिका-समिति का नाम-निर्देशन

माननीय अध्यक्ष--मुझे यह इत्तिला देनी है कि इस सत्र के लिये याचिका समिति यानी पेटिशन्स कमेटी के लिये मैंने निम्नलिखित सदस्यों को नियुक्त किया है--

१--श्री हरगोविंद पन्त (उपाध्यक्ष)		सभापति
२--श्री फतेह सिंह राणा	..	सदस्य
३--शिव मंगल सिंह कपूर	..	"
४--श्री सलीम हामिद खां	..	"
५--श्री चेतराम	..	"

अधिष्ठाता-मंडल का नाम-निर्देशन

माननीय अध्यक्ष--मैंने इस सत्र के लिये निम्नलिखित सदस्यों को अधिष्ठाता-मंडल के सदस्य मनोनीत किया है --

१--श्री राम स्वरूप गुप्त
२--श्री चतुर्भुज शर्मा
३--श्री राधाकृष्ण अग्रवाल
४--श्री गोपाल नारायण सक्सेना
५--श्री ए० जे० फैन्थम
६--श्री रोशन जमा खां
७--श्रीमती प्रकाशवती सूद
८--श्री गुरु नारायण
९--श्री बनारसी दास
१०--श्री मुहम्मद असरार अहमद।

विशेषाधिकार समिति का नाम-निर्देशन

माननीय अध्यक्ष---विशेषाधिकार समिति यानी प्रिविलेजेज कमेटी, जो इसके पहले मैं नियुक्त की थी, उसे मैं इस सत्र के लिये भी जारी रखता हूं। नाम फिर से सुनाये देता हूं--

१---श्री हरगोविंद पन्त (उपाध्यक्ष)		सभापति
२---माननीय श्री चरण सिंह	..	सदस्य
३---श्री होतीलाल अग्रवाल	..	"
४---श्री बेचनराम गुप्त	..	"
५---श्री जगमोहन सिंह नेगी	..	"
६---श्री मुहम्मद अदील अब्बासी	..	"
७---श्री गोपाल नारायण सक्सेना	..	"
८---श्री ई० एम० फ़िलिप्स	..	"
९---श्री अब्दुल ग़नी अन्सारी	..	"
१०---श्री निहालुद्दीन	..	"

लोक सभा के लिये निर्वाचित किये जाने के कारण तीन सदस्यों का विधान सभा से त्याग-पत्र

माननीय अध्यक्ष---लोक सभा में चुने जाने के कारण हमारे तीन माननीय सदस्यों ने त्याग-पत्र दे दिये हैं। उनके त्याग-पत्र मेरे पास आ गये हैं। उन माननीय सदस्यों के नाम ये हैं-

१---श्री अचल सिंह,
२---श्री विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी,
३---श्री केशवदेव मालवीय।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त द्वारा विशेषाधिकार अवहेलना के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन

श्री हरगोविन्द पन्त (उपाध्यक्ष)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश विधान सभा विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं।

बम्बई के साप्ताहिक "ब्लिट्ज़" द्वारा विशेषाधिकार अवहेलना के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन

श्री हरगोविन्द पन्त---अध्यक्ष महोदय, मैं "ब्लिट्ज़" साप्ताहिक द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश विधान सभा विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं।

"ब्लिट्ज़" के सम्पादक व प्रकाशक श्री दीनशा मिस्त्री के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट

श्री हरगोविन्द पन्त---माननीय अध्यक्ष महोदय, "ब्लिट्ज" साप्ताहिक के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार करने के लिये उक्त साप्ताहिक के सम्पादक व प्रकाशक की उपस्थिति अनिवार्य है और चूंकि उक्त पत्र के सम्पादक व प्रकाशक श्री होमी दीनशा मिस्त्री को समिति के समक्ष उपस्थित होने का तथा अपना स्पष्टीकरण देने का जो अवसर समिति ने दिया था उससे उन्होंने कोई लाभ नहीं उठाया, इसलिये सदन निश्चय करता है कि उनके विरुद्ध सदन के समक्ष उपस्थित होने के लिये गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाय।

मानतीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि "ब्लिट्ज" साप्ताहिक के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार करने के लिये उक्त साप्ताहिक के सम्पादक व प्रकाशक की उपस्थिति अनिवार्य है और चूंकि उक्त पत्र के सम्पादक व प्रकाशक श्री होमी दिनशा मिस्त्री को समिति के समक्ष उपस्थित होने का तथा अपना स्पष्टीकरण देने का जो अवसर समिति ने दिया था उससे उन्होंने कोई लाभ नहीं उठाया, इसलिये सदन निश्चय करता है कि उनके विरुद्ध सदन के समक्ष उपस्थित होने के लिये गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मंडल अनर्हता निवारण अध्यादेश, १९५१ ई०

माननीय श्री हुकुम सिंह (माल मंत्री)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण अध्यादेश, १९५१ ई० की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ. ७५ पर)

उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (अधिकारों को जारी रखने) (संशोधन) का अध्यादेश, १९५२ ई०

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (अधिकारों को जारी रखने) (संशोधन) के अध्यादेश, १९५२ ई० की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ. ७५ पर)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९५२ ई०

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर (स्वसाशन मंत्री)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९५२ ई० की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७७ पर)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९५२ ई०

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९५२ ई० की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७८ पर)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता का निषेधक (अनुपूरक) अध्यादेश, १९५२ ई०

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता के निषेधक (अनुपूरक) अध्यादेश, १९५२ ई० की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७९ पर)

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५, की धारा २१ के अन्तर्गत टैक्सेशन रूल्स के नियम १२ (४) में किये गये संशोधन

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ ई० की धारा २१ के अन्तर्गत यू० पी० मोटर वहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स के नियम १२ (४) में किये गये संशोधन की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ. ८० पर)

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ ई० की धारा १३३ (३) के अन्तर्गत नियम १३० "ए" में किए गए संशोधन

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ ई० की धारा १३३ (३) के अन्तर्गत, यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० ई० के नियम १३० (ए) में किये गये संशोधन की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ८१ पर)

१९४९ ई० के कृषि-आय-कर ऐक्ट की धारा ४४ (३) के अन्तर्गत नियम १६, १८, २५ (च), (छ) और (ज) में किये गये संशोधन

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९४९ ई० का कृषि-आय-कर ऐक्ट की धारा ४४ (३) के अन्तर्गत सन् १९४९ ई० के युक्त प्रान्तीय कृषि-आय-कर नियमों के नियम १६, १८, २५ (च), (छ) और (ज) में किये गये संशोधनों की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ८२ पर)

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ (३) के अन्तर्गत नियम २५ (सी) में किये गये संशोधन

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ ई० की धारा १३३ (३) के अन्तर्गत, यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० ई० के नियम २५ (सी) में किये गये संशोधन की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ८३ पर)

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ (३) के अन्तर्गत नियम ५७ (ए) में किये गये संशोधन

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट सन् १९३९ ई० की धारा १३३ (३) के अन्तर्गत, यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स सन् १९४० ई० के नियम ५७ (ए) में किये गये संशोधन की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ८४ पर)

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ (३) के अन्तर्गत नियम ४४ (ए) में किये गये संशोधन

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, सन् १९३९ ई० की धारा १३३ (३) के अन्तर्गत यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, सन् १९४० ई० के नियम ४४ (ए) में किये गये संशोधनों की (क) (२) प्रतिलिपियां मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ८५-८६ पर)

यू० पी० पब्लिक सर्विस कमीशन की सन् १९४९-५० ई० की वार्षिक रिपोर्ट

माननीय श्री चरण सिंह (कृषि मंत्री)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० पब्लिक सर्विस कमीशन की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ८७-९३ पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण विधेयक, सन् १९५२ ई०

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण विधेयक, सन् १९५२ ई० पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ९४-९५ पर)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, सन् १९५२ ई०

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, सन् १९५२ ई० पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ९६-९८ पर)

उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने का) विधेयक, १९५२ ई०

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने का) विधेयक, सन् १९५२ ई० पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ९९ पर)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता का निषेधक (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ ई०

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता का निषेधक (अनुपूरक) विधेयक, सन् १९५२ ई० पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ १००-१०१ पर).

महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के लिये कृतज्ञता का प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष—कल ११ बजे दिन महामान्य राज्यपाल ने विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों के समक्ष अभिभाषण किया था। उन्होंने उसमें कहा था कि—

*"Members of the Legislative Council and the Legislative Assembly—

When I had occasion to address you in August last, I had thought that perhaps that session was going to be the last one of this Legislature......"

[विधान परिषद् और विधान सभा के सदस्य गण—

जब पिछली बार अगस्त में मुझे आपको सम्बोधन करने का अवसर मिला था तो उस समय मैंने यह सोचा था कि सम्भवतः वह इस विधान मंडल का अन्तिम सत्र हो········।]

माननीय सदस्यगण ज्यादातर तो मौजूद ही थे तथा उस अभिभाषण और उसके अनुवाद की प्रतियां हमारे सामने हैं, इसलिये मैं समझता हूं कि इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

यह मैं आपको बतला दूं कि जो प्रस्ताव अभी उपस्थित होने वाला है उस पर विवाद के लिये मैंने आज का दिन नियत किया है। मैं जानता हूं कि बाज माननीय सदस्य समझेंगे कि यह पर्याप्त समय नहीं है लेकिन कल हम नहीं बैठ सकेंगे, इसलिये कि हमारा नियम स्पष्ट है कि हम शनिवार, इतवार और पब्लिक हॉलीडेज (सार्वजनिक छुट्टियों) को नहीं बैठेंगे। इसके अलावा महामान्य राज्यपाल ने १४ तारीख बजट पेश करने के लिये मुक़र्रर की है। इसलिये इस बीच में और कोई समय नहीं है। इसलिये मैंने आज ही का समय इस पर विवाद के लिये नियत किया है। आमतौर से हमारी बैठक ५ बजे खत्म हो जायगी, लेकिन अगर सदस्य यह चाहेंगे तो नियम के अन्दर ऐसा है कि हम बैठक को आगे तक बढ़ा सकें। आखिरी वक्त में अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो ऐसी तजवीज पेश हो सकेगी और हम घंटे दो घंटे तक और बैठ सकेंगे।

---

*अभिभाषण ६ मार्च, सन् १९५२ ई० की कार्यवाही में छपा है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से में यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं—

"विधान सभा के अधिवेशन में उपस्थित सदस्यगण महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन के लिये अत्यन्त आभारी हैं।"

श्रीमान् जी, कल महामान्य राज्यपाल ने यहां सदन को सम्बोधित किया था और उन्होंने बहुत सी समस्याओं पर अपने विचार प्रकट किये। इस अधिवेशन के शुरू होने के पहले जो सब से बड़ी घटना हुई वह पिछला एलेक्शन (चुनाव) रहा और यह स्वभावतः तय था कि महामान्य राज्यपाल उन चुनावों की बाबत काफी डिटेल (विस्तार) में अपने सम्बोधन में कहेंगे। श्रीमान् जी, हम लोग जो प्रजातन्त्र पद्धति को अपनाये हैं वह वर्तमान समय में एक बड़ी कठिन चीज है। आजकल डेमोक्रेसी को सही-सही चला ले जाना दुनिया के सभी मुल्कों के लिये एक कठिन चीज है, क्योंकि डेमोक्रेसी सही तरीके से चले इसके लिये सब से बड़ी चीज यह है कि मुल्क के रहने वाले, देश के निवासी बहुत ऊंचे दर्जे के व्यक्ति हों। किसी राइटर (लेखक) ने यह कहा है कि—

"No government demands so much from the citizens as democracy and none gives so much back".

(कोई सरकार नागरिकों से इतनी अधिक मांग नहीं करती जितनी जनतन्त्र करता है और न कोई इतना अधिक प्रतिफल ही देती है।)

प्रजातन्त्र का सफल होना अकेले किसी गवर्नमेंट पर ही आधारित नहीं है बल्कि सारे समाज पर आधारित है। आजकल के जमाने में जब एक तरफ पूंजीवाद और दूसरी तरफ तानाशाही सारी दुनिया को अपनी तरफ खींचना चाहती है उस जमाने में प्रजातन्त्र को सफलतापूर्वक ले जाना, मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्यगण यह महसूस करेंगे बड़ी कठिन बात है। लेकिन हमें यह करना है और हमने इस सम्बन्ध में, इन ट्रांजिशनल पीरियड (संक्रमण-काल) में, जो कि ५ साल का हम गुजार आये हैं, उसमें प्रजातन्त्र के लिये एक खासा अच्छा काम किया है। इसके लिये जहां हमारे यहां के गवर्नमेंट बेंचेज पर बैठने वाले सदस्य गर्व कर सकते हैं वहां मैं समझता हूं कि उसके लिये हमारे अपोजीशन बेंचेज (विरोधी दल) पर बैठने वाले सदस्य भी गर्व कर सकते हैं। एक चीज और जो इस सफलता के लिये जरूरी कारण है वह है वह बुनियाद जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस मुल्क में डाली थी, यानी 'साधन की शुद्धि कार्य सिद्ध के लिये निहायत जरूरी है'। हम सौभाग्य से यह गर्व कर सकते हैं कि आज जहां कांग्रेस ने इस मुल्क को स्वतंत्रता दिलायी वहां कांग्रेस ने ही प्रजातंत्र की पद्धति को यहां पर कायम किया। मैं तो यह कहता हूं कि आज इस सदन में न केवल गवर्नमेंट कांग्रेस की है बल्कि विरोधीदल भी कांग्रेस की देन है और वह भी हमारे कुटुम्ब के आदमी हैं। वह भी उन्हीं भावनाओं से प्रेरित हैं जिससे सरकारी दल और सरकार की तरफ बैठने वाले सदस्यगण प्रेरित हैं। आज जो हमारा विरोधी-दल है किसान-मजदूर-प्रजा पार्टी, जिसको कहते हैं या और दूसरा जो दल है या और दूसरी असेम्बली में जो समाजवादी दल आ रहा है, वह सब कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने ही इसको जन्म दिया है और इन सब ने देश सेवा का व्रत लिया हुआ है। तो जहां तक हमारे उत्तर प्रदेश का ताल्लुक है यहां पर यह सब एक ही शरीर के अलग अलग अंग हैं। हम यह उम्मीद करते हैं कि हम सब अपने इस प्रदेश के लिये ऐसी परम्परा कायम करेंगे जिससे हमारे देश की तरक्की होगी।

श्रीमन्, मैं गत चुनाव के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह कहा जाता है कि नेशन (राष्ट्र) का रुख चुनाव से मालूम हो जाता है। यह चुनाव बहुत बड़ा था और इसमें बालिग मताधिकार दिया गया था। हमारे मुल्क में शिक्षा की कमी बताई जाती है। आदमियों में अक्षर ज्ञान की कमी है, लेकिन मैं यह कहता हूं कि यहां के लोगों का, यहां के देशवासियों का बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा है। उन्होंने जिस तरह से गत चुनाव में हिस्सा लिया और जिस तरह से अपना वोट दिया उससे हम लोगों को और इस मुल्क को प्रजातंत्र का बड़ा भारी अनुभव

हुआ है और उसमें हम लोग सफल निकले। इतने बड़े चुनाव में जहां पर सारे साधन भी प्राप्त नहीं हैं उसमें थोड़ी बहुत शिकायत की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन फिर भी जैसा कि आप जानते हैं डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने पार्लियामेंट में यह कहा कि चुनाव फेयर (उचित रूप से) हुआ है और जयप्रकाश नारायण जी ने भी यह कहा है कि चुनाव फेयर हुये हैं। तो मैं कहता हूं कि इतने बड़े चुनाव में हम लोगों की कुछ शिकायतें हो सकती हैं। दोनों तरफ के लोगों को कुछ शिकायतें हो सकती हैं। जिन्होंने भी चुनाव में हिस्सा लिया उनको शिकायत हो सकती है, लेकिन सारी चीजों को देखते हुये, काम के महत्व को देखते हुये कि कितने आदमी इसमें लगे हुये थे, उसको देखते हुये और किस तरह की लोगों की मनोवृत्ति काम कर रही थी उसको देखते हुये यह कहा जा सकता है कि हमारे मुल्क में और खासकर हमारे उत्तर प्रदेश में जो सफलता मिली है और जिस अच्छे ढंग से चुनाव हुआ है उसके लिये हम फ़ख्र कर सकते हैं और सही फ़ख्र कर सकते हैं। जिस अच्छे ढंग और एहतियात से आफिसर्स ने इसमें हिस्सा लिया और जिस तत्परता से काम किया उसका जिक्र माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में किया और मैं समझता हूं कि उससे सब लोग सहमत हैं।

इसके बाद अब हमें और चीजें भी देखना हैं। इस वक्त तक जो हमारा ५ साल का समय गया वह किस तरह का समय था, इस बारे में मैं अधिक नहीं कहूंगा क्योंकि इसकी चर्चा कई बार इससे पहले भी इस सदन में हो चुकी है और हमारे तमाम माननीय सदस्य इसको जानते हैं कि किस तरह की तब्दीलियां इस जमाने में हुई हैं। हमारे कांस्टीट्यूशन (संविधान) में भी और मुल्क की परिस्थिति में भी और आर्थिक मामलों में भी किस तरह की तब्दीलियां हुई हैं और उनमें इस हाउस ने और इस गवर्नमेंट ने किस तरह से काम किया है, यह एक ऐसी बात है कि जिस पर हम गर्व भी कर सकते हैं और हो सकता है कि हम से कहीं कुछ भूलें भी हुई हों, लेकिन सारी चीजों को देखते हुये इन ५ सालों में जितनी गड़बड़ी हुई, पार्टीशन (बटवारा) हुआ, कम्युनल (साम्प्रदायिक) झगड़ों की वजह से, जमींदार-काश्तकारों की खींचातानी की वजह से जो परिस्थिति हमारे प्रदेश की थी इन सारी बातों को देखते हुये और यह देखते हुए कि उन तमाम चीजों को किस तरह से गवर्नमेंट ने सुलझाया, किस तरह से शरणार्थियों को और विस्थापितों को बसाया गया और ५ लाख से ऊपर आदमियों को किस तरह से तमाम झगड़ों और उपद्रवों से बचाया गया यह सब देखते हुये हम कह सकते हैं कि हमको इन तमाम मामलों में काफी सफलता रही है। हम यह भी कह सकते हैं कि हमारे विरोधी दल के भाइयों ने भी इन तमाम कामों के करने में काफी हिस्सा बटाया है और वह भी प्रशंसा के भागी हैं। इन सब को देखते हुये हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सफल रही है, लेकिन आजकल के युग में केवल शासन चलाना ही गवर्नमेंट का काम नहीं है, बल्कि इस युग में एक और जरूरी बात यह है कि कोई भी राज्य हो, जिसे राज्य चलाना पड़ता है उसे अगर शासन करने के अलावा किसी और कठिनाई का अगर मुकाबिला करना पड़ता है तो वह लोगों को खाना खिलाने का सवाल है और उनके जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने का सवाल है।

हमारे सामने और इस गवर्नमेंट के सामने इस बीच में जितनी कठिन समस्यायें इस गल्ले की और खाने की कमी के बारे में आईं वह किसी से छिपी नहीं हैं। पूर्वी जिलों में और कई जगह तरह तरह की तमाम दैवी आपत्तियां आईं और हमारा प्रदेश जो गल्ले में सरपलस (आधिक्यपूर्ण) था उस में गल्ले की भारी कमी पड़ गई। उस कठिनाई का गवर्नमेंट ने किस खूबी के साथ मुकाबिला किया था और किस तरह से लोगों को भूखा मरने से बचाया था वह तमाम चीजें ऐसी हैं कि जिनसे हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने काफी ध्यान इस ओर दिया, लेकिन फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि जिस तरह से यह समस्या हल होनी चाहिये थी वह कोई पूरी तरह से हल हो गई, क्योंकि यह समस्या इतनी बड़ी और इतनी अहम है कि इसको बगैर हल किये हमारी तरक्की नहीं हो सकती। जो कुछ भी सफलता अभी हमें इसको हल करने में मिली है वह इस समस्या

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

को देखते हुये अभी बहुत ही कम है। इस समस्या को सुलझाने के लिये हमें और भी तरह तरह की चीजों पर ध्यान देना होगा। केवल इसी से कि हमने साढ़े नौ लाख एकड़ के करीब नई जमीन तोड़ी, कोई इस बड़ी समस्या का पूरा हल नहीं निकलता है। यह एक ऐसी समस्या है जिसके लिए केवल नई जमीन तोड़ना ही काफी नहीं है बल्कि आजकल की परिस्थिति में जब कि लोग खाने के गल्ले के बजाय कैश क्राप्स (कीमती फसलों) को उपजाने की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं तो हमें यह देखना है कि कहां पर कौन सी चीज पैदा की जाय और कितनी की जाय। उसे हमें रेग्यूलेट (विनियमित) करना पड़ेगा।

दूसरी चीज जो जरूरी है वह एक बहुत बड़ा सवाल है और वह है जमींदारी अबालीशन (उन्मूलन) का काम जो हमारी इस गवर्नमेंट ने किया। यह ऐसा काम है, जिसके लिये इस भवन में बैठने वाले कह सकते हैं कि हमने यह बहुत बड़ा काम किया। इससे हमारी जमीन से पैदावार अधिक होगी। इसके बिना हमारे देश की तरक्की रुकी हुई थी। हमने जमीन को ऐसे लोगों को दिया जो उसकी उन्नति करें। हमने यह जमीन ऐसे लोगों से ली जो उसकी तरक्की में बाधक थे, अर्थात् जमींदारी प्रथा को हमने समाप्त किया। लेकिन उससे पूरी समस्या हम लोग हल नहीं कर पाये हैं। हमको उस जमीन को अभी ऐसे लोगों को देना है जो उससे और भी ज्यादा पैदावार कर सकें। आजकल महामना विनोबा भावे जी महात्मा गांधी के तरीकों पर रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ लैंड (जमीन के पुनः वितरण) की तरफ कुछ ध्यान दे रहे हैं। उनके साथ रहने का दो दिन के लिये मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने यह देखा कि उनमें कितनी लगन है। नारों से शायद यह समस्या हल नहीं हो सकती क्योंकि हमारी पद्धति तो दूसरी ही रही है और उसके अनुसार इसके लिये एक साइकालोजिकल चेंज (मनोवैज्ञानिक परिवर्तन) जरूरी है। उस तब्दीली को महात्मा गांधी के तरीके पर लाने के लिये जरूरी है कि पहले उसके लिये ग्राउन्ड (आधार) तैयार किया जाय। हम और आप, अध्यक्ष महोदय, यह सब जानते हैं कि यह वाकया है कि पिछले तीस-चालीस वर्षों में निरन्तर प्रचार करके और किसानों के दिमाग में देश के हित के लिये, इस प्रदेश के हित के लिये, और खुद किसानों के हित के लिये हमने उनके दिमाग में इस चीज को जमाया है कि जमींदारी की प्रथा को उठा दिया जाय। इसके लिये यह जरूरी था कि जमींदारी प्रथा का खात्मा हो। गवर्नमेंट तो तब काम करती है जब लोगों में उसके लिये स्थल तैयार हो जाता है। साइकालोजिकली (मनोवैज्ञानिक ढंग पर) जब लोग उस चीज को ग्रहण करने के लिये तैयार हो जाते हैं तब सरकारें कोई कदम उठाया करती हैं। तब गवर्नमेंट यह करती है कि शान्तिपूर्वक उस काम को पूरा करे। इसलिये हमारे सामने यह समस्या है कि जमीन केवल उन्हीं लोगों के पास रहनी चाहिये जो उसका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कर सकें। जो लोग ज्यादा जमीन रखते हैं उन्हें खुद यह ख्याल हो जाना चाहिये कि यह उन्हें खुद के लिये भी अच्छा है कि वह ज्यादा जमीन दूसरों को दे दें। मुझे आशा है अगले ५ सालों में यह हो सकेगा। खुद समाज इसको करा लेगा तो फिर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इसे रोक सके। लेकिन भवन के सदस्यों का यह कर्त्तव्य है कि हम ऐसी जमीन तैयार करें जिससे लोग चेंज (परिवर्तन) के लिये तैयार जायं। तो यह दो बड़ी चीजें मेरी समझ में होनी हैं।

मैंने अर्ज किया कि इतनी नई जमीन में खेती हुई है। नई जमीन के तोड़ने का काम हमारे बुंदेलखंड में, गंगा खादर में और तराई में सरकार ने एक बड़े पैमाने पर किया और हमारे पड़ोसी जिले इटावा में जो एक प्रोजेक्ट (योजना) चालू किया गया है, वह एक बहुत ही बड़ी चीज है। उसकी वजह से वहां के गांव वालों की जिन्दगी एक तरह से बदल गई है और उनकी पैदावार सवाई हो गई है। इसी तरह से और भी जगहें चुनी जाने वाली हैं। जहां तक किसानों का ताल्लुक है, गवर्नमेंट ने उनको एक सही रास्ता दिखलाया है और उनका भरोसा इस सरकार पर है।

माननीय अध्यक्ष——मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को यह ज्ञात है कि २५ मिनट ही में उन्हें अपनी तकरीर खत्म करनी है। बीस मिनट हो चुके हैं और पांच मिनट के अन्दर उनको अपना भाषण खत्म करना है मैं पहले कहना भूल गया था, अन्य सदस्यों के लिये १५ मिनट का समय है।

श्री चतुर्भुज शर्मा——जी, बहुत अच्छा। मैं यह कह रहा था कि गल्ले की समस्या को सुलझाये बगैर कोई गवर्नमेंट सही तरीके से काम नहीं कर सकती। इसके सुलझाने के लिये हमारी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है और करने का इरादा करती हैं।

दूसरा बड़ा काम जो इस गवर्नमेंट ने किया और जिसका जिक्र महामान्य राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में किया, वह है मजदूरों के लिये इम्पलाईज़ का इंश्योरेंस, (श्रमिकों का बीमा) जिसका उद्घाटन हमारे नेता और प्रधान मंत्री जी ने कानपुर में किया। तो इस पांच साल के दर्मियान में हमारे इस सूबे में चारों तरफ कुछ न कुछ काम हुआ है। खास तौर से शिक्षा की तरफ बहुत बड़ा काम हुआ है। प्राइमरी स्कूल करीब-करीब दूने हो गये हैं, सेकेंडरी स्कूल भी अगर दूने नहीं तो पौने दो गुने तो जरूर हो गये हैं और डिग्री कालेज तो करीब करीब तिगुने हो गये हैं और पढ़ने वालों की भी संख्या बढ़ गई है। स्वास्थ्य की ओर भी काफी काम हुआ है और डिस्पेंसरीज भी बहुत बढ़ी हैं। इन सब चीजों का इस भवन में कई बार जिक्र हो चुका है और उनके कहने में मैं भवन का अधिक समय नहीं लेना चाहता।

अब जो दूसरा बहुत बड़ा काम हमारे सामने है और जिसकी बाबत एक बिल इस भवन के सामने आने वाला है वह है पंचायत का गांवों में सही तरीके से चलाया जाना। जैसा कि महामान्य राज्यपाल ने कहा, इस गवर्नमेंट का दूसरा महत्वपूर्ण काम इस दर्मियान में पंचायत राज ऐक्ट का पास करना और इसको अमल में लाना था। तजुर्बे से मालूम हुआ है कि उसमें कुछ खामियां थीं और कुछ शिकायतें आईं। परन्तु यह निर्विवाद है कि वह एक बहुत बड़ा कदम था और उसमें काफी सफलता मिली। प्रजातंत्र की प्रणाली नीचे से ही चल सकती है और गांवों में उसे सफल रूप से चलाना एक बहुत बड़ा काम था, लेकिन वह किया गया और सही तरीके से किया गया। बहुत सी गांव सभायें अच्छी तरह से काम कर रही हैं। उनमें अपने ऊपर आश्रित रहने की भावना जो आई है वह एक बहुत बड़ी बात है। उसको यों देखिये कि गांव वालों में अब यह हिम्मत आई है कि अपनी सड़क बनावें, अपने लिये स्कूल बना लें, अपने लिये दवाखाने खोल लें, अपने झगड़े को तय करने की कोशिश करें और अपनी तरक्की की दूसरी बातें करें। प्रजातंत्र के लिये जो सबसे बड़ा काम हुआ है वह यह है कि पंचायत राज को अमल में लाया गया है। मेरा विचार है कि इसकी तरफ और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और इसमें जो खामियां रह गई हैं उनको दूर करने की कोशिश करना है और सही मानों में प्रजातंत्र को सफल बनाना है और पंचायत राज ही एक ऐसी चीज है जो उसको पूर्ण सफल बना सकती है। मुझे आशा है कि इस भवन में इस पर ध्यान दिया जायगा और इस अधिवेशन में या आगे चलकर जो भी तरक्की की चीजें हैं उनको हम सोच-विचार कर करेंगे।

श्रीमन् जी, बहुत सी बातें महामान्य राज्यपाल ने अपने संबोधन में कही हैं और मैं समझता हूं कि उन बातों में बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है, जिनपर कुछ ज्यादा विवाद इस भवन में शायद नहीं होगा। मैं अपने मित्रों से यह निवेदन करूंगा कि वे इस पर जनहित की दृष्टि से विचार करें और देखें कि जो अपने देश की सारी समस्यायें हैं वे कैसे हल हो सकती हैं और उनका क्या दायित्व है, उनकी क्या ड्यूटी है और दूसरे लोगों की क्या ड्यूटी है। हम सब एक देश के निवासी हैं और मैं समझता हूं कि हम सब इस देश की तरक्की करना चाहते हैं और शायद एक भी सज्जन यहां ऐसा नहीं है, जो यह न चाहता हो कि यहां प्रजातंत्र की सही प्रथा न पड़े। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि सब लोग इस सम्बोधन को इस दृष्टि से देखेंगे और यह विचार करेंगे कि हम आज की परिस्थिति

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

म क्या कर सकते हैं और कितना किया है और जो काम हमने किये हैं वे ऐसे हैं या जो कि एक समझदार आदमी को करने चाहिये।

श्रीमान् जी, मैं इतना कहकर यह प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थित करता हूं।

श्री बादशाह गुप्त---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं श्री चतुर्भुज शर्मा के इस प्रस्ताव का कि "विधान सभा के अधिवेशन में उपस्थित सदस्यगण महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन के लिये अत्यन्त आभारी हैं" समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमान् जी, महामान्य राज्यपाल ने अपने इस सम्बोधन में मोटे तौर पर और सूक्ष्म रूप में जो मुख्य-मुख्य बातें हमारे राज्य में इन पांच वर्षों में हुई हैं उनका संक्षेप में वर्णन किया है। ये मुख्य बातें बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार हमने आरम्भ में प्राविंशियल आटोनामी (प्रान्तीय स्वायत्तता) के मातहत काम करते हुये पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त किया और उसके बाद हमारा संविधान बना और इस संविधान के अन्तर्गत हम लोग अभी तक काम करते चले आ रहे हैं।

महामान्य राज्यपाल ने आरम्भ से ही जैसी भी हमारे यहां तब्दीलियां आईं और मुल्क का बटवारा हुआ उसके दो मुख्य रूप उन्होंने बतलाये। वह थे, एक तो शरणार्थियों की समस्या का उत्पन्न होना कि जिससे एक करोड़ के लगभग हमारे भाई पाकिस्तान से भाग कर यहां आये और उनका सारा प्रबन्ध करना पड़ा और दूसरी समस्या उत्पन्न हुई स्थान की और ला ऐंड आर्डर की व्यवस्था की। इन दोनों बातों का भी उन्होंने जिक्र किया है। यह शरणार्थियों की समस्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या थी। एकदम बिना कोई तिथि निश्चित हुये इतने अपने भाइयों का आना और उनका ठीक-ठीक कुशलता-पूर्वक प्रबन्ध करना एक बहुत ही महत्व का काम था। इतना बड़ा काम देश के इतिहास में और कहीं नहीं पाया जाता है, बल्कि संसार के इतिहास में भी इतनी संख्या का इस प्रकार से कुशलता-पूर्वक प्रबन्ध कर लेना एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना हुई है, जिसकी ओर महामान्य राज्यपाल ने इशारा किया है। इतने आदमियों के आन-जाने में थोड़ी बहुत गड़बड़ी होना तो स्वाभाविक था, मगर जितनी कुशलतापूर्वक शान्ति और व्यवस्था को कायम रखा गया वह बहुत बड़ी तारीफ की बात है।

उसके बाद एक बहुत बड़ा कानून बना जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में सदैव अमर रहेगा। वह था जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था ऐक्ट का यहां पर बनना। उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया कि इतने अर्से में इस कानून के बनने पर भी अभी तक वह ठीक ढंग से लागू नहीं हो पाया है, मगर उनके साथ देश के हरएक शख्स की यह भावना है कि वह जल्द-से-जल्द कानून का रूप पा सकेगा और लागू हो सकेगा, ताकि जिनके लिये वह बनाया गया है वे उससे लाभ उठा सकें। तो मैं समझता हूं कि यह सारा भवन भी उनकी इस भावना के साथ अपनी भावना प्रकट करता है।

इसके बाद जो महत्वपूर्ण काम हुआ, वह था पंचायत राज ऐक्ट, जिसके द्वारा गांव-गांव में सारी व्यवस्था की गई। गांव के रहने वालों में जागृति पैदा हुई। उनमें यह भावना पैदा हुई कि मुल्क में वे खुद कुछ करने के लायक हुये। उन्होंने कानून की व्यवस्था की। छोटे-बड़े कानूनों के अनुसार खुद अपनी पंचायत में बैठकर उन्होंने निर्णय दिये और गांव सभाओं में बैठ कर सारे गांव का प्रबन्ध किया। जो बड़ी-बड़ी जगहों में, जिलों में, कमिश्नरियों में काम अभी तक होते थे वह पंचायत राज ऐक्ट के द्वारा गांव के आदमियों ने किये। जो गरीब थे, बेपढ़े-लिखे थे और समझते थे कि जानवरों की तरह दूसरों के हुक्म के मुताबिक काम करना उनका फर्ज है उन्होंने पहली बार महसूस किया कि मुल्क में वे भी अपना एक स्थान रखते हैं और उस स्थान को पाने के बाद उन्होंने उसका सदुपयोग किया। उससे उनमें बड़ी चेतना हुई और मैं तो यह समझता हूं कि उसी चेतना का यह फल है कि इतने बड़े इस पिछले चुनाव में उन्होंने बहुत मुस्तैदी के साथ काम किया है, शान्ति और व्यवस्था से उन्होंने काम किया है और यह भी देखने में आया है, तजुर्बे में यह

आया है कि गांव के रहने वाले जो हैं विशेष रूप से जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो गांव के रहने वाले हैं उन्होंने बहुत ज्यादा दिलचस्पी पिछले चुनाव में ली है और जिन भाइयों को उनकी सहायता मिल पाई है वही अधिकांश में विजयी भी हुये हैं।

जो पंचायत राज ऐक्ट है उसक अधीन काम करके गांव वालों ने यह महसूस किया कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट यह कहती थी कि हम उनको राजा बनाने जा रहे हैं, बहुमत के हाथ में सारी सत्ता देने जा रहे हैं, अब उन्होंने महसूस किया कि उनके हाथ में वह सत्ता आ गई है ।

इसके अलावा महामान्य राज्यपाल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अर्थात् "अधिक अन्न उपजाओ योजना" की ओर इशारा किया है और यह बतलाया है कि सन् १९४५–४६ ई० में हमारे यहां गल्ले की जो कमी थी वह २ लाख ३० हजार टन थी। इतना गल्ला हमको बाहर से मंगाना पड़ता था। उसमें हमने अधिक जमीन जुतवा कर, पानी के साधन उत्पन्न करके और दूसरे प्रकारों से पांच सालों में इस हद तक तरक्की की कि सन् १९५०–५१ ई० में केवल ४७ हजार टन की कमी रह गयी। हम इन पांच सालों में अपनी कुल कमी तो नहीं पूरी कर पाये, लेकिन जितनी बड़ी कमी थी उसको ध्यान में रखते हुये यह कहना ठीक ही होगा कि वह कमी करीब-करीब पूरी हो चुकी है।

एक और महत्वपूर्ण घटना हुई है। शिक्षा की ओर इशारा करते हुये महामान्य राज्यपाल जी ने बताया कि पहले की अपेक्षा शिक्षा में कितनी उन्नति हुई है। जो गांवों में रहते हैं उनको यह बात मालूम है कि पहले तो सारा प्रबन्ध बड़े-बड़े शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। शिक्षा का प्रबन्ध गांवों में बहुत कम था। बहुत दूर-दूर पर मदरसे पाये जाते थे। गरीब लोगों के लड़के वहां तक नहीं पहुंच सकते थे और अधिकांश में वह शिक्षा से वंचित रह जाया करते थे। इन पांच सालों के बीच में शिक्षा का बहुत अच्छा प्रबन्ध किया गया। जहां तक हो सका हर बड़े गांव में एक-एक स्कूल खोला गया है। वहां पर गरीब आदमियों के बच्चे शिक्षा पा लिया करते हैं। शिक्षा के सम्बन्ध में यह जरूर निवेदन करना है कि अभी भी गांवों में जहां तक देखने में आता है फीसें बहुत बढ़ रही हैं। उन फीसों की ओर ध्यान देना है और एक बात की ओर और ध्यान देना है, वह यह कि उनकी जो किताबें हैं, जो पढ़ायी जाती हैं वे जल्द-जल्द बदल दी जाया करती हैं। पहले यह देखने में आता था कि जो किताबें एक बार किसी क्लास के लिये मंजूर कर दी जाती थीं, वे किताबें फिर कुछ अर्से तक लगातार लागू रहती थीं। बड़े भाई के बाद अगर छोटा भाई पढ़ता था तो उसके काम में आती थीं, नहीं तो पड़ोसियों के काम आ जाती थीं। गरीब आदमी को उससे काफी सुविधा रहती थी।

महामान्य राज्यपाल जी ने यह भी इशारा किया है कि इस चुनाव के बाद जनतंत्र के विकास में एक नये युग का आरम्भ हुआ है। मैं समझता हूं कि वह इशारा इन सब बातों की ओर है और यह सारी कमियां जो हैं वे बहुत जल्द दूर होने वाली हैं। महामान्य राज्यपाल जी ने इस ओर भी इशारा किया है कि अब की बार चुनाव में महिलाओं ने अधिक भाग लिया है और यह सही है कि जितने भी मतदाता हैं उनमें जितने मर्द मतदाता हैं उनकी अपेक्षा स्त्रियों ने अनुपाततः अधिक भाग लिया है। उन्होंने बड़ी ही उत्सुकता दिखायी है। अभी तक यह देखने में आता था कि वे परदे में रहती थीं, पढ़ाई-लिखाई की सुविधाओं की उनमें कमी थी, मिलने-जुलने की सुविधाओं की भी कमी थी। लेकिन जब चुनाव का समय आया तो उन्होंने अपने मत दिये, और घंटों तक कतार में खड़ी रह कर अपने मत दिये। इस प्रकार से उन्होंने यह दिखलाया कि जो हमारे यहां प्रजातंत्र की प्रणाली काम करती रही पांच साल तक उसका असर यह हुआ कि लोगों

[श्री बादशाह गुप्त]

के दिमाग और दिल पर प्रभाव पड़ चुका है और उनको उस प्रणाली से प्रेम हो गया है और उसके अनुसार उन्होंने ठीक ढंग से काम करके यह दिखा दिया कि यह प्रणाली हमारे देश के लिये बहुत ही ठीक है।

हमारे यहां जो चुनाव हुये हैं उनके सम्बन्ध में यह भी सही बात है कि वह बहुत बड़ा चुनाव था, जिसमें एक करोड़ बीस लाख से भी अधिक मतदाताओं ने वोट दिये, जिसमें लगभग १० हजार ६ सौ पोलिंग स्टेशनों पर काम करना पड़ा, जिसमें करीब ३५ हजार बूथ थे, तो इतने बड़े काम में, जिसमें कि एक लाख २० हजार से अधिक सरकारी कर्मचारी लगे, पुलिस के कर्मचारी लगे और गैर--सरकारी कर्मचारी लगे, इतने बड़े काम में थोड़ी बहुत गड़बड़ियां हो जाना स्वाभाविक थीं। मगर ज्यादातर यह देखने में आया कि बहुत शान्तिपूर्वक सारा काम हो गया। यह कहने में आमतौर पर आता था कि चोरियां और डकैतियां अकसर हो जाया करती हैं। मगर जिस जमाने में पोलिंग का इंतजाम रहा, चुनाव का काम होता रहा, वोट पड़ते रहे, उन दिनों की रिपोर्ट है कि उस जमाने में चोरों ने चोरी करना और डाकुओं ने डाके डालना भी बन्द कर दिया। तो इस प्रकार से शान्ति और व्यवस्था कायम रही। इस प्रकार से यह भी काम बहुत शान्तिपूर्वक हो गया।

चुनाव में बहुत बड़ी विजय कांग्रेस की इस प्रदेश में हुई है जैसा, कि हम और आप सभी जानते हैं। महामान्य राज्यपाल जी ने कोई गर्व की बात नहीं कही। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इस चुनाव के उपरान्त हमको एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है और वह यह कि हमको एक बहुत मजबूत और स्थायी सरकार बनाने का अवसर मिला है, जिससे शान्ति और व्यवस्था का सुप्रबन्ध हो सके। उन्होंने इस बात को भी प्रकट किया है कि इसमें अवश्य यह कमी रह गई है कि विरोधी दल कोई ज्यादा मुनासिब या अच्छे ढंग का नहीं आ पाया जिससे कि वह हमें उचित रूप से सही तरीके से मशिवरा दे सके। इस बात को भी उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा है कि यह जो कार्य शान्तिपूर्वक हो गया है वह सब के सहयोग से हुआ है। जितने भी दल हैं जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने ठीक ढंग से इस कार्य को निबाहा है और इसी वजह से यह सारा काम ठीक से निभ गया है। तो इस प्रकार जो संबोधन महामान्य राज्यपाल ने दिया है, वह बहुत उचित ढंग का और सही है और जो प्रस्ताव श्री चतुर्भुज जी शर्मा ने रखा है कि "विधान सभा के अधिवेशन में उपस्थित सदस्यगण महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन के लिये अत्यन्त आभारी हैं" मैं समझता हूं कि वह बिलकुल ठीक है और मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री त्रिलोकी सिंह---अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मेरे मित्र श्री चतुर्भुज जी शर्मा ने उपस्थित किया है उसमें मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं--

प्रस्ताव के अन्त में यह शब्द जोड़ दिये जायं--

"किन्तु इस सदन को नम्रतापूर्वक यह दुख है कि इस सम्बोधन में पिछले आम चुनाव के सिलसिले में जो अनियमिततायें हुईं विशेषकर जो शिकायतें बैलट बक्सों के ऐसा बने होने पर कि उसमें बिना मुहर तोड़े बैलट पेपर्स रखे जा सकते अथवा निकाले जा सकते हैं तथा अन्न के भाव के घटाने का उल्लेख नहीं है।"

अध्यक्ष महोदय, पेश्तर इसके कि मैं उस प्रस्ताव पर जो इस आदरणीय सदन के सामने उपस्थित है और जो संशोधन मैंने उसमें पेश किया है उस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करूं, मैं माननीय श्री चतुर्भुज जी शर्मा, प्रस्तावक महोदय, और माननीय श्री बादशाह जी गुप्त, समर्थक महोदय, ने जिस कुशलता के साथ इस प्रस्ताव को उपस्थित किया और उसका समर्थन किया उसकी मैं आपकी आज्ञा से सराहना करना चाहता हूं।

महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन के देखने से यह ज्ञात होता है कि यह अधिवेशन एक रोटीन सेशन (कार्य-साधक सत्र) की तरह से है और इसलिये इसे बुलाने की जरूरत पेश आई। मुझे यह जरूर अचम्भा हुआ कि इस सम्बोधन में तमाम उन बातों का उल्लेख है जो पिछले ६ साल में इस सरकार की कार्यवाही रही है। साधारणतया इस

अवसर पर जो आगे का काम होता है उसका जिक्र होता है। काज आफ सम्मन (आह्वान का प्रयोजन) बतलाया जाता है। जो पिछले अधिवेशन और अगले अधिवेशन के बीच में कोई खास घटना हुई होती हैं, जिसका उल्लेख जरूरी है उसका उल्लेख किया जाता है। ऐसे सम्बोधन बहुत कम देखने में आये, जिनमें ६ वर्ष का जिक्र हो। तलाश करने पर भी मुझे नहीं मिले, जिसमें पिछले ६ साल की सरकार की पूरी कारगुजारी का जिक्र हो। यह सही है कि ६ साल के अन्दर काम हुआ और अच्छा काम हुआ, उससे तरक्की भी हुई। लेकिन इस मामले में एक से ज्यादा राय हैं कि जितना काम होना चाहिये था उतना नहीं हुआ। चूंकि साधारण-तौर पर संसदीय प्रथाओं के अनुसार यह मौका नहीं होता है कि पिछले ६ साल की कारगुजारियों पर कोई विवाद किया जाय, इसलिये अब उसका ज्यादा जिक्र न करके जो अपना संशोधन है उस पर आ जाता हूं।

श्रीमन्, लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था की सफलता न्याय-पूर्वक और निष्पक्षता-पूर्वक चुनाव करने पर है। महामान्य राज्यपाल ने अपने संबोधन में चुनाव का बहुत लम्बा-चौड़ा जिक्र किया है। भारतवर्ष के चुनाव का इतिहास इस बात का द्योतक है कि चुनाव सदा इस देश में शान्तिपूर्वक हुये हैं और ऐसी शिकायतें बहुत कम सुनने में आईं कि इस देश के सरकारी कर्मचारियों ने चुनाव के कराने में कुछ बेजा हस्तक्षेप किया और सही है कि इसी प्रथा के अनुसार इस बार भी ऐसी शिकायतें कम हैं जहां कि किसी अफसर के खिलाफ यह बात कही जाय कि उसने चुनाव के कराने में कुछ विशेष तौर पर नियमों का उल्लंघन किया हो। लेकिन एक बात मेरे इल्म में आई, स्वयं भी मैंने उसे देखा और स्वयं देखा ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का लिखा हुआ पत्र मेरी आंखों के नीचे जब आया तो मुझे भी इसमें संदेह हुआ कि यह चुनाव निष्पक्ष किये गये या नहीं। कहा जाता है कि बैलट बाक्सेज इस प्रकार बने थे कि जो चुनाव का नियम २१ है, जिसके अन्तर्गत बिना मोहर तोड़े हुये न बैलट पेपर निकाला जा सके, न बैलेट पेपर उसके अन्दर रखा जा सके, वैसे बाक्स नहीं बनाये गये। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट गोरखपुर ने, जो वहां की एक संसदीय सीट के रिटर्निंग आफिसर थे, लिख कर दिया है एक उम्मीदवार को जो, मेरी आंखों के नीचे गुजरा, कि उनके सामने बैलट बाक्स बिना मोहर तोड़े हुये खोला गया, जब काउंटिंग (गणना) शुरू होने वाली थी। संभवतः चुनाव के अनुसार इस प्रकार से होना नियमों का उल्लंघन है। मुझे नहीं मालूम कि इसका क्या होगा और इसका क्या उपचार है लेकिन यह बात जांच करने काबिल है। खास कर सरकार या इलेक्शन कमिश्नर को कि क्या जो बैलट बाक्सेज बने थे वे दरअसल ऐसे थे, जिनमें से बिना सील तोड़े हुये ही बैलट पेपर रखा और निकाला जा सकता था। यह मैं नहीं कह सकता कि मेरी इत्तिला कहां तक सही है लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि जब पहाड़ी इलाके के चुनाव हुये तो चीफ इलेक्टोरल आफिसर ने इस प्रकार की शिकायतों पर यह ताकीद जारी की थी कि बैलट बाक्सेज के ऊपर टाट लपेट दिया जाय जिससे किसी को भी कोई शिकायत न हो। जहां तक मुझे इल्म है पहाड़ी क्षेत्र से इस प्रकार के बैलेट बाक्सेज के खोले जाने की कोई शिकायत नहीं आई है। आप लोगों को यह भी मालूम है कि वहां के चुनावों का फल क्या हुआ। जो पार्टी हजारों की संख्या में जीत चुकी थी, एक हवा पैदा हो गई थी और तिस पर भी चुनाव का जो फल हुआ उससे शुबहा पैदा होने की गुंजाइश है।

इस सिलसिले में मैं यह भी अर्ज करूंगा कि पुराने वक्त में जब-जब चुनाव हुये तब-तब बैलट बाक्सेज बड़े सुरक्षित तौर पर रखे गये। लेकिन इस बार मुझे यह इत्तिला मिली है कि शाहजहांपुर में बैलेट बाक्सेज दो व्यक्तियों के घर में रखे गये। एक मंसूब हसन खां साहब के यहां फजल मंजिल में, दूसरे अली हसन साहब के यहां हसन मंजिल में रखे गये। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि मुरादाबाद में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दफ्तर में बैलेट बाक्सेज रखे गये। लेकिन पहिले ऐसा नहीं हुआ करता था।

श्री कृष्ण चन्द्र--श्रीमान् जी, मैं एक विधान का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

[श्री कृष्ण चन्द्र]

चुनाव की जो बहस है उस पर, श्रीमान् जी, इस राज्य की सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है। चुनाव की कार्यवाही, बैलेट बाक्सेज का बनवाना यह सब इलेक्शन कमिश्नर का काम था, जिस पर नियंत्रण भारत की सरकार का था। इस वास्ते मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्य का जो संबोधन से संबद्ध भाषण है वह केवल चुनाव ही से संबंध रखता है, क्योंकि वे जो भी कुछ कह रहे हैं सब बैलेट बाक्सेज पर ही कह रहे हैं जिसके कहने की उनको इजाजत नहीं दी जा सकती।

माननीय अध्यक्ष--माननीय सदस्य का इसके लिये क्या कहना है ?

श्री त्रिलोकी सिंह--जो ऐतराज मेरे माननीय दोस्त ने किया है उसके बारे में मैं इतना ही अर्ज कर दूं कि महामान्य राज्यपाल के संबोधन में यह शुरू में ही बताया गया है कि

"The general feeling in all quarters is that the elections have been carried out with efficiency, fairness and complete impartiality......"

(सर्व साधारण रूप से ऐसा विचार है कि निर्वाचन क्षमता, न्याय और पूर्ण निष्पक्षता के साथ हुये।)

महामान्य राज्यपाल का यह जो कथन है और उनका अपने संबोधन में यह कहना कि चुनाव के बारे में यही आम धारणा है उसके संबंध में ही मैं कह रहा था। इसके अतिरिक्त महामान्य राज्यपाल के संबोधन पर मैंने जो अमेंडमेंट पेश किया है उसके आखिरी पैरे को जब मैंने पढ़ा तो शायद माननीय सदस्य यहां नहीं थे, वह पैरा भी अम्न के बारे में है। इसलिये यह कहना कि मेरा अमेंडमेंट (संशोधन) केवल चुनाव के बारे में है सही नहीं है। इसलिये उनका ऐतराज सही नहीं है और उसमें कोई बल नहीं है।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि पहिले बैलट बाक्सेज बड़ी महफूज जगहों में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के दफ्तरों में रखे जाते थे, लेकिन इस बार जैसा मैंने अर्ज किया शाहजहांपुर में दो साहबों के घर में रखे गये, मुरादाबाद में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दफ्तर में रखे गये, अलीगढ़ में सोल्जर्स बोर्ड के दफ्तर में रखे गये। कहीं-कहीं तहसीलों में भी रखे गये। इसके अतिरिक्त बैलट बाक्सेज जिन कमरों में रखे गये थे उन कमरों की चाबियां भी कहीं रेस्पॉसिबिल (उत्तरदायित्वपूर्ण) लोगों के पास नहीं रखी गईं। जरा आप गौर करें, श्रीमन्, शाहजहांपुर में एक राशनिंग क्लर्क के पास उसकी चाबी थी जो पहले डिस्ट्रिक्ट एलेक्शन आफिसर के पास होती थी। नवाबगंज में तो तहसील के नायब नाजिर के कब्जे में ही बैलट बाक्स थे। अलीगढ़ के बारे में सुना है कि १२ बजे रात को ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट उस कमरे के अन्दर घुसे और न मालूम वहां जाकर क्या किया। तो ये बातें ऐसी हैं जिनकी जांच होने की जरूरत है, और मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बैलेट बाक्स में सिर्फ नुक्स होने के कारण ही नहीं बल्कि जहां बैलट बाक्स रखे हुये थे वहां बार-बार लोगों का जाना और कुंजियों का डिस्ट्रिक्ट एलेक्शन आफिसर के कब्जे में न रहना बड़ा भारी संदेह पैदा करता है। अगर चाबी एलेक्शन आफिसर के किसी क्लर्क के पास होती तो भी गनीमत थी लेकिन राशनिंग क्लर्क के पास चाबी का होना या नायब नाजिर के पास चाबी का होना कुछ समझ में आने वाली बात नहीं मालूम होती है। इस वजह से इस बात में सन्देह है, जैसा कि इसमें लिखा है कि चुनाव बहुत निष्पक्षतापूर्वक हुये।

एक सदस्य--लेकिन लखनऊ में तो बैलट बाक्सेज ठीक जगह रखे गये थे ?

श्री त्रिलोकी सिंह--मेरे मित्र लखनऊ की बात करते हैं। मुझे नहीं मालूम है कि उनको गोंडा की बाबत लखनऊ से ज्यादा शिकायत हो सकती है। मैं कोई एक या दो जगह का जिक्र नहीं करना चाहता हूं। लेकिन लखनऊ के बारे में भी मुझे इल्म है कि जिस तारीख को बैलेट बाक्स रखे गये उसी तारीख से जब तक वोट गिने नहीं गये वह कमरा कम से कम १०० मर्तबा खोला गया। क्यों १०० मर्तबा खोला गया और कौन-कौन लोग थे जो उसके

अन्दर गये, यह एलेक्शन पेटीशन जब लाया जायगा तब उस वक्त सब बातें सामने आ जायेंगी और तब माननीय मित्र को यह कहने का मौका नहीं मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष—जरा माननीय सदस्य तशरीफ रखें। मैं समझता हूं कि किसी माननीय सदस्य द्वारा किसी खास जगह का उल्लेख करना कि वहां बेउनवानी हुई या और कोई बात हुई इस आदरणीय सदन के सम्मान के मुताबिक नहीं है। मैं आपको बतला दूं कि यह विषय एलेक्शन पेटीशन में आ सकता है। इसलिये उस पर किसी किस्म की रायजनी करना इस आदरणीय सदन के लिये ठीक नहीं है। आमतौर से यह बात कि कहीं शान्ति कायम नहीं रही उसका तजकिरा कर लेना कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन किसी विशेष स्थान का यहां जिक्र आना मैं उचित नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य इससे सहमत हैं और वे इस आदरणीय सदन के सम्मान को बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

श्री त्रिलोकी सिंह--श्रीमान् जी, मेरा तो पहले ही से यह ख्याल रहा कि इस संबन्ध में किसी स्थान विशेष के उल्लेख करने की कोई जरूरत नहीं है और न मैं चाहता हूं कि कोई इस प्रकार का उल्लेख यहां किया जाय।

मैंने अपने संशोधन में अन्न के भाव के संबंध में जिक्र किया है। महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन में इस बात की ओर इशारा है कि अनाज का भाव जो सरकारी राशन में दिया जाता है, जैसे गेहूं, चना, चावल या जौ इनकी कीमत के भाव में कुछ बढ़ती की जाय। श्रीमन्, आप जानते हैं कि अनाज का भाव इतना महंगा है कि उसका बोझ साधारण आदमी के लिये उठाना आसान बात नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि यह सभी मानते हैं और डाक्टरों की भी यह राय है कि ६ छटांक राशन एक आदमी की गुजर के लिये कम है, लेकिन पूरा राशन नहीं उठ पाता है। कोई भी शहर ऐसा नहीं है जहां जितना राशन आता है वह सब का सब हर महीने बिक जाय। इसका कारण यही है कि लोगों के पास इतना धन नहीं है कि वे ६ छटांक राशन, जो सरकार द्वारा मिलता है, उसे भी पूरा-पूरा खरीद सकें। तो ऐसी दशा में अनाज के भाव के बढ़ने की तरफ संकेत होना, मैं समझता हूं बड़ा भयंकर मालूम होता है जिससे घबराहट और परेशानी होती है और विशेषकर जब हम यह जानते हैं कि पिछले तीन महीने से अनाज का भाव देहातों में भी गिर रहा है। मैं लखनऊ जिले की बात कहता हूं कि सवा तीन सेर का गेहूं लखनऊ के चारों तरफ बिक रहा है और सरकार की तरफ से यहां ढाई सेर बिकता है। पिछले ढाई-तीन महीन से नवम्बर के महीने से भाव का घटना शुरू हुआ। नवम्बर के महीने में लखनऊ जिले में बहुत अच्छे गेहूं का भाव ढाई और पौने तीन सेर के बीच में रहा है, और चीजों के भाव भी इस प्रकार से घटे और चावल का भाव भी घटा और आज बावजूद इसके कि सरकार की तरफ से लखनऊ ऐसे शहर में चावल नहीं मिलता है और सरकार ने चावल का भाव बढ़ाया भी है, लेकिन लखनऊ के देहात में डेढ़ सेर का चावल मिलता है और वैसा शायद सरकारी गोदामों में से एक सेर दो छटांक का भी नहीं मिलता है। ऐसे समय में अनाज के भाव को बढ़ाने की बात करना निहायत परेशानी की बात है।

मैं यह निवेदन करता हूं कि इस प्रश्न को इस तरह से नहीं टाला जा सकता। आजकल एक स्लम्प (अत्यधिक मन्दी) की बात चल रही है। तमाम चीजों के भाव घट रहे हैं। मैं यह अर्ज करता हूं कि भाव घटने से मध्यम वर्ग का फायदा है। सरकार का भी फायदा है। जो रुपया आज डियरनेस (महंगाई) में दिया जाता है वह बच जायगा और दूसरी तरह के काम जो सरकार करना चाहती है उनको वह कर सकेगी। जो इमारत आज ४० हजार में बनती है वह २० हजार में बन जायगी।

भाव घटने के सिलसिले में मेरा ख़याल यह है कि अगर यह भाव उधर तो घटते रहे और इधर सरकार बढ़ाती रही तो हमारा काम ठीक तौर पर नहीं चल सकेगा। मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करता हूं कि मेरी यह निश्चित राय है कि भाव के घटने से जनसाधारण का फायदा होगा। इस प्रदेश की सरकार का भी फायदा होगा। ऐसे समय में भी गन्ने का भाव जो सरकार ने

[श्री त्रिलोकी सिंह]
निश्चित किया है मिलमालिक उससे कम भाव पर खरीद रहे हैं और किसान उसको बेच रहा है। गुड़ का भाव गिर रहा है उससे भी काफी हलचल है। तो ऐसी हालत में इस प्रदेश की सरकार का यह सोचना कि अन्न का भाव बढ़ा दिया जाय, ठीक नहीं मालूम होता है। सरकार का विशेष ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह इस प्रश्न पर विचार करे। ऐसे समय में जबकि सब चीजों के भाव घट रहे हैं सरकार की इस कोशिश से देश को बड़ा नुकसान होगा और मैं यह उम्मीद करूंगा कि जितना भी प्रयत्न सरकार का इस सिलसिले में हो वह कीमतों को घटाने की तरफ हो, क्योंकि अगर सरकार ने गेहूं का भाव बढ़ा दिया और खुले बाजार में सस्ता मिलता रहा तो यह चीज चल नहीं सकती। देश का इससे नुकसान होगा और सरकार का भी नुकसान होगा। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन यह है कि वह इस बात पर विचार करे कि कीमत को न बढ़ाया जाय और बैलेट डिफैक्टिव (दोषपूर्ण) बनाने के बारे में जो शिकायतें हैं उनकी जांच की जाय ताकि शिकायत करने वालों को शिकायत करने का मौका न हो।

श्री बनारसी दास—अध्यक्ष महोदय, श्री चतुर्भुज शर्मा ने जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं और विरोधी दल के नेता ने जो संशोधन उपस्थित किया है उसका विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय राज्यपाल ने जो सम्बोधन दिया उसमें वास्तव में पिछले ६ सालों के कार्य का सिंहावलोकन किया गया है और जो शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हमारे प्रान्त में हुआ है उसके लिये उन्होंने जनता को धन्यवाद दिया है। इसके संबंध में जो संशोधन माननीय नेता विरोधीदल ने पेश किया है वह मैं समझता हूं जनतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है। जनतन्त्र सिद्धान्त की खूबी यही है कि वह सारी जनता को साथ लेकर चलता है और यही उसका सब से बड़ा आधार है ताकि जो भी विरोध हो वह सब ठीक हो जाय। तो इस चुनाव के संबंध में मैं इस सरकार के, जो पिछले ६ सालों के कार्यों का सिंहावलोकन है उस के संबंध में ज्यादा कह कर इस सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि विरोधी दल की तरफ से और दूसरे लोगों की तरफ से चाहे जितनी असफलता की सूची पेश की जाय, लेकिन इस प्रदेश के ३ करोड़ मतदाताओं ने जो अपना फैसला दिया है बावजूद उन कमियों के जो किसी सरकार के सामने हो सकती हैं। वह आप के सामने है। जितने भी कार्य किये गये हैं, जिन परिस्थितियों में किये गये हैं उन को देखते हुये वास्तव में इस प्रान्त की जनता ने अपना वरडिक्ट (निर्णय) इस चुनाव में इस प्रान्त की सरकार और कांग्रेस के पक्ष में ही दिया है और वह सबूत है इस बात का कि जनता हम में विश्वास करती है और हमारे इस ६ साल के कार्य भार का और हमारी परिस्थितियों और कठिनाइयों का पूरे तौर से जनता अहसास करती है। इसलिये जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अन्त में खुद ही संकेत किया है हमारा और इस सदन का कर्त्तव्य है कि इसके बाद आइन्दा जो सदन आने वाला है, जिस का आकार बढ़ गया है, उस के लिये हमारा यह भवन स्वस्थ परम्परायें पेश करे और अपने कार्यों से प्रेरणा दे।

जहां तक चुनावों का सवाल है यहां पर दो परस्पर विरोधी आपत्तियां हुई हैं। एक तरफ तो सरकारी कर्मचारियों को और चुनाव की मेशीनरी को धन्यवाद दिया गया, उनके कार्यों पर संतोष प्रकट किया गया और दूसरी तरफ आशंका प्रकट की गई कि उनके द्वारा बैलट बाक्सेज में हेर-फेर किया गया है और चुनावों में किस तरह की गड़बड़ी हुई है, जिससे जनता का फैसला सही-सही मालूम नहीं हुआ। एक बात जरा और विचारणीय है कि जब कि तमाम प्रान्त में ३५ हजार बूथ थे और जहां बैलट बाक्सेज की संख्या अगर आप देखें तो शायद वह एक लाख से भी ऊपर होगी यह बात कहां तक अनुमान में आ सकती है कि इतना बड़ा षड्यन्त्र इतनी बड़ी सरकारी मशीनरी को मिलाकर कैसे किया जा सकता है और एक लाख बैलट बाक्सेज को किस तरह से खोला जा सकता है और किस तरह से उनमें से पर्चियां निकाल कर चुनाव के परिणाम को बदला जा सकता है? विरोधी दल की तरफ से एक तरफ तो सरकारी

मशीनरी को धन्यवाद देना और दूसरी तरफ चुनाव के परिणाम पर आशंका प्रकट करना, दो परस्पर विरोधी चीजें हैं और मैं समझता हूं कि उन्होंने इस पर गम्भीरता के साथ विचार नहीं किया।

कहा गया है कि इन बैलट बाक्सेज़ को बिना सील खोले ही टैम्पर किया जा सकता है, लेकिन मैं माननीय मेम्बर का ध्यान इस तरफ दिलाऊंगा कि उन्हीं नियमों में इस बात की व्यवस्था है कि इन बैलट बाक्सेज पर कोई भी मेम्बर अपनी कास्ट (मूल्य) पर कपड़ा लगवा सकता है और जब यह नियम लिखित रूप में उन को दे दिये थे तब मेरी समझ में नहीं आता कि विरोधी दल के उम्मीदवारों को यदि ऐसी आशंका थी तो उन को कपड़ा या टाट लगवाने में क्या आपत्ति थी और क्या कठिनाई थी कि वे अपने बैलट बाक्स पर टाट या कपड़ा कवर न कर सके और जैसा कि उन्होंने स्वयं माना है पहाड़ों पर ऐसा किया गया और आज उन का कथन है कि वहां कोई शिकायत नहीं हुई।

एक सदस्य—सरकार की तरफ से किया गया है।

श्री बनारसी दास—सरकार ने तो केवल उन्हीं नियमों की ओर ध्यान दिलाया, जोकि पहले से मौजूद थे और हमारे विरोधी दल के नेता को पहले से मालूम थे और वह आसानी से दूसरी जगहों पर भी अमल में लाये जा सकते थे। पहाड़ों का जो चुनाव का परिणाम निकला है उससे यह कहना और यह नतीजा निकालना कि वहीं पर केवल फ़ेयर एलेक्शन हुये और परिणाम कांग्रेस के ख़िलाफ रहा। तो क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि देवरिया के क्षेत्र में जहां कांग्रेस ने अपनी ४ सीटें खोई हैं क्या वहां पर भी जीतने वालों ने सरकारी मशीनरी से मिलकर कोई षड्यन्त्र किया है? जो ये ३८-३९ चुनाव परिणाम हमारे ख़िलाफ निकले थे किस चीज़ का नतीजा है? उन प्रदेशों में जहां पर कांग्रेस के विरुद्ध परिणाम निकले वहां पर भी जो हमारे विरुद्ध पार्टियां हैं, खास तौर से जैसे के० एम० पी० पी० या अन्य पार्टियां, अगर वहां पर उनको असफलता रही तो यह क्यों रही? यदि यू० पी० की कांग्रेस का या सरकार का यहां पर अपने मुआफिक़ चुनाव कराना सफल हो सकता था तो मद्रास वगैरह में भी तो वहीं कांग्रेस की सरकार है वहां वह क्यों नहीं सफल हो सके? क्या कभी इस बात का हमारे विरोधी दल के नेता ने विचार किया है? वहां भी तो हम ऐसा षड्यन्त्र कर सकते थे। मैं उनसे कहूंगा कि जनता के अन्दर इस तरह की भावना पैदा करना जनतंत्रवाद के लिये घातक है। जनता का विश्वास इन स्वस्थ परम्पराओं में कम नहीं करना चाहिये।

मैं तो यह समझता था कि विरोधी दल के नेता यह कहेंगे कि उनका जनता से सम्पर्क कम रहा, उनका प्रचार और विचारशैली गलत रही, इसलिये उनकी हार हुई और जनता ने उनके अन्दर विश्वास नहीं दिखाया। जनता उनके कार्यक्रम से परिचित नहीं थी। अगर वह ऐसा कहते तो मैं समझता हूं कि उनको उससे शक्ति मिलती। उन्हें यह सोचना चाहिये था कि वहां बैलेट बक्सों के ऊपर पहरा रहता है, एक आदमी के हाथ में चाभी रहती है जो जिम्मेदार अफसर होता है। जब तक वे सब अफसर और आदमी कांग्रेसवालों के साथ न मिल जावें तब तक कोई गड़बड़ी संभव नहीं है। कैसे बाक्सेज़ को टैम्पर किया जा सकता है? मेरा अनुभव है कि हमारे ही इस प्रदेश में जितनी भी डकैतियां हुईं उनका भेद केवल इसीलिये खुला कि उनमें से कुछ मुखबिर बन गये। तो इस प्रान्त में इतने सारे अफसर हैं, जिन्होंने चुनाव में काम किया तो उन सब के लिये आप यह नहीं कह सकते कि उनकी विचारधारा या हमदरदी पूर्णतया कांग्रेस के साथ है। ऐसी सूरत में क्या आपको एक भी ऐसा अफसर नहीं मिल सकता जो यह आकर कह सके कि हमसे ऐसी गड़बड़ी करने को कहा गया? एक तरफ तो आप उन सरकारी अफसरों को सर्टीफिकेट देते हैं और दूसरी ओर आप उन्हीं पर यह आरोप लगाते हैं कि उनको गड़बड़ी करने का मौका मिला। मैं समझता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल यह आरोप लगा कर अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। ये दोनों बातें एक साथ ठीक नहीं बैठती हैं। यह उनके लिये ग्रेसफुल (शोभनीय) नहीं है।

उनकी जो यह भावनायें थीं कि लोगों का विश्वास कांग्रेस से उठ गया है और कांग्रेस अब निकम्मी हो चुकी है, जनता की श्रद्धा कांग्रेस में नहीं रही है, वे बिलकुल गलत साबित हुई, क्योंकि जनता ने उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया। इसलिये वे अपने आपको

[श्री बनारसी दास]

संतोष देने के लिये, बल्कि उन साथियों को धैर्य देने के लिये, जो हार गये हैं, ऐसी बातें करते हैं और इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि शान्ति के साथ अपनी असफलताओं के कारणों को वे सोचें तो उन्हें मालूम होगा कि उनकी पार्टी के अन्दर और उनकी विचार-धारा के अन्दर कोई बुनियादी खराबी है। गलियों में बैठकर यह विचार करना कि कांग्रेस सत्ताहीन हो चुकी है और उसके अन्दर अब दम नहीं रहा है, गलत है जैसा कि जनता ने सिद्ध करके दिखा दिया है। यह मानना चाहिये कि जो उनके पास साधन थे और जिन बातों को वे दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे वे उन्हीं के ऊपर आकर गिरीं। मैं इस प्रदेश की जनता को इस बात के लिये बधाई दूंगा कि उसने विवेक से काम लिया, बावजूद इस बात के कि यहां पर एक तूफान पैदा किया गया, जिसमें भले और बुरे की तमीज करना मुश्किल हो गया। जैसा कि हमारे देश के महान् नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा "मेरी श्रद्धा इस देश की जनता पर, यद्यपि शिक्षा कम है, बहुत बढ़ गयी है" उसको तमीज थी भले और बुरे की पहचान करने की। इसलिये मैं अपने मित्रों से कहूंगा कि इस चुनाव से अगर वह कोई सबक़ लेना चाहते हैं तो वह यह है कि यदि हम नीचे स्तर पर आकर, यहां के लोगों की भावनाओं को दूषित करके, दूसरे लोगों के खिलाफ चार्जेज लगा कर, दूरों की नैतिकता पर हमला करके, यदि उनका विश्वास जीतना चाहें तो यह भारी भूल है। इसलिये उचित तो यह होगा कि माननीय विरोधी दल के नेता अपने संशोधन को वापस लें और अपने आप इस सदन के द्वारा इस प्रदेश की जनता को धन्यवाद दें और साथ ही साथ कांग्रेस दल के लिये, जिसमें से वह स्वयं निकले हैं, यह कहें कि यह पार्टी अपनी सेवाओं के बल पर इस प्रदेश का विश्वास प्राप्त करने में सफल हुई है। ऐसा करने में उनकी उदारता होती और यह विरोधी दल के हृदय की विशालता का परिचय होता। इससे कटुता न बढ़ती क्योंकि विरोधी दल का एक ही ध्येय होता है कि वह बाग के माली की तरह उसको सुन्दर बनाये न कि उसकी सुन्दरता को उजाड़े।

जहां तक विरोधी दल के नेता ने भावों की कमी की ओर ध्यान दिलाया है उचित यह होता कि वह स्वयं सुझाव पेश करते जबकि भाव गिरते चले जा रहे हैं तब लखनऊ में राशनिंग की क्या जरूरत है? अन्य शहरों में राशनिंग की क्या जरूरत है? यह उनकी तरफ से एक कांस्ट्रक्टिव (रचनात्मक) सुझाव हो सकता था। इससे न भावों के बढ़ने का खतरा होता और न इस प्रान्त के टैक्सपेयर को ९ करोड़ रुपये देने का खतरा होता, जैसा कि संकेत महामान्य राज्यपाल ने किया है। इसलिये मैं समझता हूं कि यदि माननीय नेता विरोधी दल यह सुझाव पेश करते तो न ९ करोड़ की बढ़ती होगी और न ४७ हजार टन अनाज बाहर से मंगाना होता।

इन शब्दों में मैं एक बार फिर श्री चतुर्भुज शर्मा के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल ने इस सदन के सामने जो सम्बोधन किया है उसके संबंध में मैं कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं। मैंने अक्सर यह देखा है कि इस भवन में ....

माननीय अध्यक्ष—आप अपना संशोधन नहीं उपस्थित करना चाहते?

श्री राजाराम शास्त्री—उपस्थित करना चाहता हूं, लेकिन चूंकि आपने उसका नाम नहीं लिया इसलिये मैंने सोचा कि शायद उसकी जरूरत नहीं है।

माननीय अध्यक्ष—आपको अधिकार है चाहे आप उपस्थित करें या न करें। चूंकि आपने मेरे पास लिखकर भेजा था, इसलिये पहले आप उसको उपस्थित करें फिर बोलें। मगर मैं मजबूर नहीं करता। पेश करना या न करना आपके ऊपर है।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अक्सर यह महसूस किया है कि इस भवन में राज्यपाल का जो सम्बोधन होता है वह हुकूमत का प्रतिबिम्ब होता है। उनका भाषण हमारे सूबे की जनता की जो हालत है उसका प्रतिबिम्ब न कभी हुआ और न

आज ही हुआ। मेरा ख्याल यह है कि राज्यपाल जी को इस हुकूमत के ही अंग नहीं बल्कि जनता के रक्षक के रूप में उनको इस भवन के सामने आना चाहिये। मैं देखता हूं कि जब कभी उनका भाषण होता है तो उसमें यही होता है कि हमारी सरकार ने यह अच्छा काम किया, हमारी सरकार ने वह अच्छा काम किया। मैं समझता हूं कि हमारे राज्यपाल के लिये यह सफाई देना आवश्यक नहीं। यह काम तो इधर के बैठने वाले माननीय सदस्यगण दिन-रात किया ही करते हैं। जनता यह चाहती है कि जब कभी राज्यपाल जी अपना संबोधन भवन के सामने करें तो उन्हें जहां हुकूमत की बातें अच्छी दिखाई पड़ती हैं वहां इस हुकूमत की बदौलत इस सूबे की जनता को जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है उनका जिक्र भी उस सम्बोधन में होना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल जी ने चुनाव का जिक्र अपने सम्बोधन में किया है। इस चुनाव के बारे में मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि इस हुकूमत ने, कांग्रेस की पार्टी ने, इतिहास के सब से बड़े चुनाव को सफलतापूर्वक समाप्त किया है, इसको मैं बहुत बड़ी बात मानता हूं और मैं समझता हूं कि वे निश्चय ही बधाई के पात्र हैं। दुनिया के इतिहास को जब मैं देखता हूं तो पाता हूं कि बहुत सी हुकूमतें जब राजगद्दी पर बैठ जाती हैं तो इस भय से कि कहीं जनता हमें गद्दी से उतार न दे, चुनाव को कराने में आनाकानी करते हैं। आज चीन का उदाहरण हमारे सामने है। वहां किसान मजदूर का राज्य कहलाता है, लेकिन वहां की हुकूमत को यह अहसास न हुआ कि चुनाव कराये। ऐसे वातावरण में अगर कांग्रेस सरकार ने चुनाव कराने का साहस किया तो निश्चय ही प्रशंसा की बात है। साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि इतने बड़े चुनाव में जो राज्य के अधिकारियों ने इतनी शान्ति व्यवस्था कायम रखी वह भी प्रशंसा की बात है और इसके लिये अगर उनकी प्रशंसा की गई तो अच्छा ही किया गया। मैं चाहता हूं कि जब अधिकारी अच्छा काम करें तब उनकी प्रशंसा होनी चाहिये, ताकि अच्छा काम करने के लिये उनका उत्साह बढ़े। इन सब बातों को कहते हुये मैं यह महसूस करता हूं कि वास्तव में हमारे देश में प्रजातंत्र की जो नींव डाली गई है, जनता ने जिस तरह से वोट दिये हैं, जिस तरह से तमाम चुनाव का संचालन हुआ है उससे हमारे हृदय में यह विश्वास होता है कि हमारे देश में यह परम्परा कायम रहेगी और इस बात के लिये हममें हर एक व्यक्ति का, चाहे वह विरोधी पार्टी का हो, चाहे हुकूमत की पार्टी का हो, यह फर्ज होगा कि जो प्रजातंत्र की बुनियाद इस देश में रखी गयी है उसकी हम जान दे कर रक्षा करें और कोई भी दल उससे हमको वंचित न कर सके।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी को बताना चाहता हूं कि अगर चुनाव में कोई गलती रही है, और किसी तरह से गलत काम हुआ है तो अगर उसका जिक्र होता है तो वह मैं केवल एक ही दृष्टि से करना चाहता हूं, ताकि भविष्य में गलती न हो और जिस प्रजातंत्रवाद का बीड़ा हमने उठाया है उसको सफल करें। इसी दृष्टि से मैं इस बात को कहता हूं और एक बहादुर सिपाही के तरीके से यह भी स्वीकार करता हूं कि मैंने कांग्रेस का मुकाबिला किया और उसमें पराजित हुआ। हमारे संगठन की कुछ कमजोरियां रहीं, कुछ खराबियां रहीं और कुछ कमजोरी है, जिनकी वजह से मैं पराजित हुआ। अगर हम अपनी गलतियों की तरफ ध्यान दें, जनता के लोग ध्यान दें तो हम अपनी गलतियों को दुरुस्त कर के वास्तव में सही कदम उठा सकते हैं। इसी तरह से मैं कांग्रेस पार्टी से कहूंगा कि अगर इस खुशी में कि हम चुनाव जीत गये, जो त्रुटियां हों उन पर ख्याल न करें तो यह गलती होगी। इस चुनाव के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं और जो मुझे शिकायत है वह सिर्फ इस बात की है और वह बात ऐसी है जो मैं चाहता हूं भविष्य में न हो।

पहली चीज तो यह है कि जैसा कि अभी भवन में यह कहा गया कांग्रेस पार्टी विजयी हुई, तो उसके मानी यह लगाये गये कि हमारी हुकूमत पर जनता ने विश्वास किया। मैं ऐसा नहीं मानता। हमारा यह ख्याल है कि अब की बार का चुनाव न तो यह सरकार जीती है और न कांग्रेस ही जीती है, इस चुनाव में पं० जवाहरलाल नेहरू की विजय हुई है और उनके नाम का जितना इस्तेमाल हो सकता था, उतना इस्तेमाल किया गया। आज मैं यह महसूस करता हूं

[श्री राजाराम शास्त्री]
कि मेरा मुक़ाबला मेरे विरोधी से नहीं था, जवाहरलाल जी की मूर्ति सामने खड़ी थी। हर पोलिंग बूथ पर उनका नाम, हर गली कूचे में उनका नाम लिया गया। उनके प्रति जनता की जो श्रद्धा है उस श्रद्धा से कांग्रेस ने फ़ायदा उठाया। जिस प्रकार से धर्म के प्रति जो श्रद्धा लोगों में होती है उससे पंडे लोग अपना काम निकालते हैं वैसा ही मेरा ख्याल है कि जनता की जो श्रद्धा पं० जवाहरलाल नेहरू में है उसका फ़ायदा हर कांग्रेसी उम्मीदवार ने उठाया। मेरे पास इस समय एक कार्ड है। जरा गौर कीजिये कि बुलन्दशहर में यह कार्ड चुनाव के मौके पर बांटा गया। इसमें यह फोटो किसी उम्मीदवार का नहीं, बल्कि पं० जवाहरलाल नेहरू का फोटो है और इस पर लिखा हुआ है कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं दिया गया तो देश की आज़ादी ख़तरे में पड़ जायगी, जवाहरलाल जी का यह फ़रमान है।

अब मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे चुनाव के नियमों में आपने यह रखा था कि गांधी जी के नाम का प्रयोग करना, धर्म के नाम का प्रयोग करना, ईश्वर के नाम का प्रयोग करना एक नाजायज चीज होनी चाहिये, वैसे ही एक कैंडिडेट (उम्मीदवार) की जगह पर जवाहरलाल जी की फोटो सामने रख कर वोट मांगना भी एक माल प्रैक्टिस (गन्दी प्रणाली) है, उसको क्यों नहीं रोका गया और मैं अपने माननीय सदस्यों से कहूंगा और यह प्रार्थना करूंगा कि गांधी जी के नाम पर हमने बहुत दिनों तक कमाया-खाया और अब आजकल जवाहरलाल जी के नाम पर कमाते-खाते ह। अब कुछ अपनी करनी कीजिये और उससे कमाइये-खाइये। यह काम बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। आप खुशी मना लीजिये, लेकिन आपको भी यह सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। यह चीज मुनासिब नहीं। साथ-साथ मैं यह भी नहीं समझ सका कि एक यह चीज़ कहां तक मुनासिब है जिस दिन जहां चुनाव हो रहा हो वहां मंत्रियों का पोलिंग बूथ पर जाना, मैं समझता हूं ग़लत चीज है। आप मंत्री हैं, आपका सरकारी अधिकारियों पर दबाव पड़ता है। आप जहां के कैंडिडेट नहीं हैं उस पोलिंग बूथ पर आपके जाने की क्या जरूरत है? जहां के आप कैंडिडेट हों वहां आप जाइये, लेकिन और जगह जाना मुनासिब नहीं है। यह प्रथा बन्द होनी चाहिये। यह घूमने-फिरने का शौक़ बन्द होना चाहिये, उस रोज जिस रोज चुनाव शुरू होता है। दूसरे यह भी ख़राबी है कि चुनाव नजदीक आया और रोडवेज की जितनी मोटरें थीं वह कांग्रेस को दे दी गईं। कहा जाता है कि रोडवेज़ सबके लिये खोला जायगा। मगर मोटरें मिलीं सब कांग्रेस को। दूसरे लोगों ने मांगी तो किसी के लिये रही ही नहीं। कम से कम सरकारी माल का तो इस पक्षपातपूर्ण ढंग से प्रयोग करना कभी उचित नहीं कहा जा सकता।

एक सदस्य---उनका तो किराया दिया गया है।

श्री राजाराम शास्त्री---कितना अंधेर है कि जितनी मोटरें हैं सारी की सारी अपने पास रख लें और फिर कहें कि किराया दिया है, तो किराया तो दूसरे भी दे सकते थे। उनको भी किराये पर लेने का मौका मिलना चाहिये था। लोगों को बताना चाहिये था कि किस तरह से मोटरें दूसरों को भी मिल सकती हैं। लेकिन अपनी गद्दी पर बैठ कर उसका नाजायज़ प्रयोग करना ग़लत चीज है। इसी तरीक़े से मेरा यह ख़याल है कि देहातों के अन्दर ग्राम पंचायतों के अफ़सर जो हैं उनका खुले तरीक़े से प्रयोग किया गया। ऐसा प्रचार किया गया मानों वे सरकारी कर्मचारी हैं। सरकारी मशीनरी का इस तरह से चुनाव में उपयोग करना मुनासिब नहीं। आज आपकी सरकार है और आप चुनाव में उसको प्रयोग में ला रहे हैं, कर लीजिये, लेकिन जरा ख्याल कीजिये कि जब दूसरी पार्टी पावर में आती है और वह भी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करने लग जाय तो वह अच्छा तरीक़ा नहीं है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की चीज़ों से बचने की आवश्यकता है, ताकि उसको भविष्य के लिये मिसाल कायम न हो।

अब एक चीज मैं आपको और बतलाना चाहता हूं। रानीखेत के चुनाव का नतीजा निकलता है कि सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार श्री मदन मोहन

उपाध्याय विजयी हुए ८० वोटों से । २४ तारीख को यह अनाउंसमेंट (घोषणा) हुआ । २५ तारीख को कांग्रेस के उम्मीदवार ने अर्जी दी कि फिर से...

माननीय अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि किसी विशेष चुनाव का आप जिक्र न करें ।

श्री राजाराम शास्त्री--अध्यक्ष जी, आपने रोक दिया है, इसलिये मैं उसे नहीं कहूंगा। मैं यह कहूंगा कि कई जगह पर ऐसा हुआ है जिसके बारे में हमको संदेह पैदा हुआ। मेरा यह विश्वास है कि अगर समझदारी से काम न लिया गया होता और दिल्ली का दरवाजा न खटखटाया गया होता तो न मालूम कितने उम्मीदवार जो विजयी घोषित कर दिये गये थे पराजित घोषित कर दिये जाते, आज मैं अखबार पढ़ रहा था तो मैंने यह भी पढ़ा कि पार्लियामेंट में देशमुख साहब ने इस बात को स्वीकार किया है कि यू० पी० और मध्य प्रदेश में बक्स यहीं बनाये गये बाकी जगह के लिये दूसरी जगह बनाये गये थे। मैं कहता हूं कि जब दूसरी जगहों के बक्स और जगह बन सकते हैं तो यू० पी० में क्या खास बात है कि यहां के बक्स यहीं बनाये गये। लोगों से यह कहा गया किये बक्स न मालूम कहां से बन कर आये हैं जो कभी खुल नहीं सकते हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कई जगहों के प्रदर्शनों में, बिना सील मोहर टूटे तीन-तीन बक्से तक खोल कर दिखाये गये और जब हमने कहा कि हम खोलने का प्रदर्शन करना चाहते हैं तो हमें प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी गयी।

मुझे इस बात का सख्त अफसोस है कि चुनाव हो जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के जो विरोधी हैं उनके ऊपर तरह तरह की सख्तियां हो रही हैं। बहुत सी जगहों से लगातार शिकायतें आ रही हैं। उन पर दबाव डाला जा रहा है। उनको सताया जा रहा है। देहातों से शिकायतें आयी हैं कि विरोधी लोगों को खूंटा उखाड़ने का हुक्म होता है, चबूतरा खोदने का हुक्म होता है। ग्राम पंचायतों के करों की वसूलयाबी के नाम पर ग्रामीण जनता पर नाना प्रकार की सख्तियां हुई हैं। अच्छा हो अगर ये खबरें ग़लत हों। मुझे इसमें ऐतराज नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि अगर ऐसी शिकायतें आती हैं तो केवल इस बात को मान कर वे न बैठ जायं कि चूंकि हम इस बात को कहते हैं इसलिये ग़लत करार दे दें। हमारे यहां भी ऐसी बातें हुई हैं। वह मुक़दमा अभी अदालत में जायगा। चुनाव के कारण इतनी दुश्मनी बढ़ी और इस हद तक बढ़ गयी कि एक सोशलिस्ट समर्थक की जिन्दगी ही ले ली गयी। थाने में रिपोर्ट दर्ज की गयी जो नहीं लिखी गयी। ऐसी बातें जब सामने आती हैं तो इच्छा होती है कि आपके सामने रखी जायं ताकि आप भी कम से कम देख सकें और अगर सही हैं तो मानें। मैं यह नहीं कहता कि आप मान लें कि यह सब ख़बरें सच हैं, लेकिन अगर ऐसी चीजें होती हैं तो उनको रोकिये। मैं उन से कहूंगा कि जहां पर ऐसी चीजें उठायी जाती हैं वहां पर इतना ख्याल रखें कि वे उनको इसलिये ग़लत न समझ लें चूंकि उनको हम कहते हैं। मैं समझता हूं कि इतने बड़े चुनाव में अगर कहीं थोड़ी बहुत ग़लतियां हुई भी हैं तो एक तरीक़े से क्षम्य हैं।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि आप अपनी जीत की खुशी में इतना न फूल जायं कि जनता को भूल जायं और हम अपनी पराजय का दोष केवल बैलेट बक्स के ऊपर रख कर प्रजातन्त्र के खिलाफ भावना पैदा कर लें। यह भी मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं राज्यपाल की इस बात पर विश्वास करने के लिये तैयार नहीं हूं कि चुनाव बिलकुल निष्पक्ष हुए। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि चुनाव के बाद अब जनता यह भी कहने लगी है कि इस हुकूमत से बैलेट (मतपत्र) से नहीं लड़ा जा सकता है इसे तो बुलेट (गोली) से ही उलटा जा सकता है। यह चीज खतरनाक है। हम चाहते हैं कि हम भी कोशिश करें, आप भी कोशिश करें, सरकार भी प्रयत्न करें, सब लोग इस बात का प्रयत्न करें कि हमारे देश में प्रजातन्त्र फले-फूले। इसी मार्ग पर चल कर हमारे देश का कल्याण हो सकता है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी---(माननीय मुख्य मन्त्री के सभा सचिव)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री चतुर्भुज जी शर्मा ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव महामान्य राज्यपाल के लिये प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो सम्बोधन महामान्य राज्यपाल ने इस सदन के सम्मुख दिया है उसकी बहुत सी बातें पहले सम्बोधन में आ गई थीं। अनेक कारणों से यह सदन फिर बुलाया गया और उन बातों की पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता पड़ी। हम उस समय भी उन्हें हृदय से धन्यवाद दे चुके थे और इस अन्तिम अवसर पर भी हम उन्हें धन्यवाद देते हैं।

सर्वप्रथम जो उन्होंने चुनाव के सम्बन्ध में कहा कि जिस निष्पक्षता और जिस कुशलता के साथ इस प्रदेश में और सारे देश में चुनाव हुए हैं वह प्रशंसा के योग्य है। मैं भी यह कह सकता हूं और अभी हमारे विपक्ष के भाई श्री राजाराम शास्त्री ने भी यह कहा कि वे इस बात को मानने के लिये तैयार हैं कि इतने बड़े चुनाव में, जिसका प्रथम अनुभव हमारे देश में हुआ है, संसार के इतिहास में ऐसा पहले नहीं हुआ था और यह सौभाग्य हमारे देश को ही प्राप्त हुआ है और उसमें हम सफलता के साथ निकले। उन्होंने छोटी छोटी त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, लेकिन मेरे दिल में एक बात खटकी। यों तो स्वर्गीय और अमरात्मा बापू के नाम को किसी ने लिया नहीं। वह प्रातः स्मरणीय हैं और हर समय और हर एक, पापी तक, उनका नाम ले सकता है और जो शुद्ध आत्मा हैं वे तो लेने का अधिकार रखते हैं, मगर चुनाव के सम्बन्ध में मेरा अपना ख्याल यह है कि किसी भी पार्टी ने उनका नाम नहीं लिया।

जहां तक हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के नाम का प्रश्न है वह तो हमारी पार्टी के नेता हैं ही। हमें इस बात का गर्व और गौरव है कि हमें उनका नेतृत्व प्राप्त है और उनके नेतृत्व में हमारी पार्टी देश के अन्दर सुशासन व्यवस्था और एक समुन्नत सरकार बनाने के लिये तैयार है। मगर हमें खेद इस बात का है और इस बात को मैं डंके की चोट कह सकता हूं और यह नहीं कि इधर वालों को या उधर वालों को, बल्कि हमारे इस देश के सब लोगों ने यह अनुभव किया है कि इस चुनाव के दौरान में जिस प्रकार के नारे और जिस प्रकार की भाषा इन लाल टोपी वालों ने इस्तेमाल की है उससे उन्होंने, मैं समझता हूं, हमारी नवीन सुन्दर परम्परा के बनने में रुकावट डाली है और प्राचीन परम्परा को कलंकित किया है और उसे नीचे गिराया है। इस बात को मैं एक कांग्रेसमैन की हैसियत से नहीं कह रहा हूं हिन्दुस्तान के एक नागरिक की हैसियत से कह रहा हूं। मुझे उनकी पार्टी से कोई द्वेष नहीं है। लेकिन मुझे केवल यही पार्टी ऐसी नजर आयी जिसने जिस सुन्दर प्रणाली और परम्परा को हम अपने देश में लाना चाहते हैं उसको नष्ट किया है। आज उन्हें इस बात का गर्व होना चाहिये कि आज सारे देश की जनता जवाहरलाल जी के राज्य की हामी है। कोई कांग्रेसवाला इसे कांग्रेस की या मंत्रिमंडल की या व्यक्तिगत तौर पर अपनी विजय नहीं समझता है। जवाहरलाल जी की विजय ही कांग्रेस की विजय है। यह जवाहरलाल जी की उस संस्था की विजय है जिसका नाम 'कांग्रेस' है। कांग्रेस और जवाहरलाल जी दोनों "इनसेपेरेबिल" (अविभाज्य) हैं। इन दोनों को विलग नहीं किया जा सकता। अगर आप जवाहरलाल जी के व्यक्तित्व को मानते थे तो फिर क्यों अलग पार्टी में जा बैठे? हमें तो इस बात की खुशी है कि आखिर में आप इस बात को कबूल कर गये कि देश की जनता जवाहरलाल जी के पीछे है और आप भ्रम में हैं और ग़लती में हैं और दूसरे भी ग़लत रास्ते पर चल रहे हैं। मैं इस बात को कहता हूं कि लोगों ने नारे लगाये हैं और ग़लत नारे लगाये हैं। मैं उन नारों को यहां दुहराना नहीं चाहता, लेकिन यह कह सकता हूं कि जवाहरलाल जी, जिनकी ख्याति आज अन्तर्राष्ट्रीय जगत में है और जिन्होंने इतना त्याग और तपस्या इस देश के लिये किया है और जो रात-दिन हर घड़ी अपने देश को उन्नत बनाने के लिए सोचा करते हैं, उनके विरुद्ध कोई क्या ऐसा नारा लगा सकता है? मैं आज कहता हूं कि कांग्रेस की विजय का मुख्य कारण यही है कि इन विधिरोधियों ने जो नारे लगाये थे उससे जनता विचलित हो गई कि इतनी ग़ैरजिम्मेदारी से जो लोग नारे

लगाते हैं और अनर्गल बातें व्याख्यान के नाम पर कहते हैं वे वोट पाने के अधिकारी नहीं हैं और ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों के हाथ में शासन सूत्र देना भयंकर भूल होगी।

मैं समझता हूं कि कांग्रेस के जमाने में बहुत सी कठिनाइयां खाद्य के सम्बन्ध में, कपड़े के सम्बन्ध में रही हैं। हमारे प्रदेश के जितने प्रमुख पत्र हैं उन्होंने राज्यपाल के सम्बोधन की जिस प्रकार से टीका की है उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये ५ बरस बड़े कठिन बरस थे। देश का बटवारा हुआ, बड़ी खूनखराबी हुई, कितने भूकम्प आये, अनेक बातें हुईं लेकिन हमारी सरकार दृढ़ता के साथ एक कुशल नाविक की तरह इस नैया को खेने में सफल हुई। यह हो सकता है कि जितनी प्रगति की आशा थी, या जितनी प्रगति होनी चाहिये थी मुमकिन है उतनी प्रगति न हुई हो। लेकिन जहां तक हमारा प्रश्न है हम तो इस बात में अपने को इस तरह से पाते हैं कि हमने अपनी तरफ से प्रगति लाने में कोई कसर नहीं की। बाहरी वातावरण ऐसा था कि मैटीरियल (सामग्री) की कमी थी, टेक्नीशियनों की कमी थी, देश में सहयोग की कमी थी, जिससे पूरी प्रगति नहीं हो सकी।

इन पिछले ५ सालों को अगर हम राष्ट्रीय संकट मान कर ट्रान्जिशनल पीरियड (संक्रमण काल) मान कर हम लोग एक होकर एक दूसरे से सहयोग करके आगे बढ़ते तो वास्तविक प्रगति हमें प्राप्त होती लेकिन हम पद लोलुपता में फंस गये। पार्टी के अन्दर ही विभाजन हो गया तो ऐसी स्थिति में हम कैसे यह आशा कर सकते थे कि अपने उद्देश्य तक सफलतापूर्वक पहुंच पाते? इन बातों को समझने के लिये हमें ठंडे दिल से विचार करना चाहिये। ग्राम का ग्रामीण इस बात को अच्छी तरह से जानता है और समझता है कि प्रगति क्यों नहीं हुई। वह जानता है कि एक भूखा बच्चा, कमजोर बच्चा भी जो ग़रीब घर में पैदा हो, उसकी माता का खून व तमाम शक्ति परदेशी सरकारों ने हजारों वर्षों तक चूस कर समाप्त कर दी हो वह इतनी जल्दी कैसे तरक्की कर सकता है। आपका अथवा विरोधियों का नारा और दावा ग़लत रहा। जनता ने सरकार की कठिनाइयों को समझा, कांग्रेस की कठिनाइयों को समझा और मतदान द्वारा सही और उपयुक्त निर्णय दिया। कहा जाता है कि कांग्रेस को ४० परसेंट वोट मिले। जितना पोलिंग हुआ उसका ४० परसेंट कांग्रेस को मिला, टोटल वोट्स (समस्त मतों) का नहीं।

कई जगह विरोधी लोगों ने यह कहा कि यदि हमें वोट नहीं देना है तो पोलिंग स्टेशन पर मत आना। इन लाल टोपी वालों ने क्या-क्या नहीं किया, लेकिन मैं इन छोटी बातों पर जाना नहीं चाहता। मैं तो इतना ही कहूंगा कि चुनाव निष्पक्षतापूर्वक और सफलतापूर्वक हुए। कहा जाता है कि पहाड़ों में बैलेट बक्स बोरों में बांधे गये इसलिए वहां कांग्रेस हारी। इसका अर्थ यह है कि केवल पहाड़ों में गड़बड़ नहीं हुई बाकी सारे देश में गड़बड़ की गई। वहां तो याता-यात की कठिनाइयों के कारण बक्सों को बोरों में बांधने का आयोजन किया गया था। फिर भी सुनने में आया कि एक आध जगह पानी से भीगे हुए बैलेट बाक्स आये। उसके लिये इस तरह से ग़लत बात का प्रचार करना कहां तक मुनासिब है? मैं तो कहता हूं कि ९० फीसदी विजय कांग्रेस की पहाड़ों पर रही। लोग गढ़वाल और टेहरी—गढ़वाल को एक में मिला देते हैं। लोग कहते हैं कि पहाड़ पर हार गये। मैं कहता हूं कि पहाड़ पर केवल एक सीट कांग्रेस ने लूज की (हारी) है और वह भी कैसे हुई और क्यों हुई यह मैं नहीं बतलाना चाहता। कांग्रेस भी अगर धर्म की दुहाई देती, देवी-देवताओं की दुहाई देती तो वहां भी कांग्रेस की विजय होती। खैर मुझे इन चीजों पर जाना नहीं है।

किसी ने कहा कि पंत जी कहते थे कि सन् ५१ तक अन्न की कमी को पूरा कर लेंगे, परन्तु वह बात झूठी सिद्ध हुई। लेकिन सन् १९४६—४७ ई० में जब २ लाख ३० हज़ार टन नाज प्रदेश में बाहर से आता था वह सालाना १९५१—५२ ई० में ४७ हज़ार टन के क़रीब हो गया है। वैसे तो आप कहते हैं कि सरकारी आंकड़ों पर हमें कुछ विश्वास नहीं है, लेकिन अगर आप उन पर विश्वास करें तो आप ही समझिये कि

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

जो चीज ढाई लाख से ४७ हजार तक घट कर आ गई है उसमें कितनी बड़ी तादाद में हमने तरक्की की है। जो सफलतायें हमने प्राप्त की हैं और वे जिन परिस्थितियों में प्राप्त की हैं वे सब आपके समक्ष हैं। अब तो मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है कि आप खुदा के लिये कम से कम इन झूठी बातों को न कहें जोकि आप अब तक चुनाव के सिलसिले में केवल प्रचार की दृष्टि से कहते रहे हैं। आप अब जो तथ्य है उसको तथ्य ही मानिये।

हमारा और हमारे देश का उद्धार तभी हो सकता है जब हम अपनी गलतियों को स्वयं ही समझ कर उनको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। आप अपनी गलती को स्वयं स्वीकार भी करते हैं और श्री राजाराम जी इधर वालों को सुझाव भी देते हैं। तो क्योंकि आप हमें सुझाव दे रहे थे इसलिये मैं कहता हूं कि आप सबसे पहले अपने अन्तःकरण को ही टटोलिए। जिस प्रकार से आप इन ५ वर्षों तक केवल प्रचार की दृष्टि से ही अपने भाषणों को करते रहे, मेरा निवेदन है कि आप अपनी उस परम्परा को त्यागिये। इसके अतिरिक्त अगर कांग्रेस को भी जीवित रहना है और देश को ऊपर उठाना है तो उसे भी स्वयं अपनी कमियों पर दृष्टिपात करना पड़ेगा।

आज तक कांग्रेस से यह कहा जाता था कि पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के बाद अब नये चुनाव होने चाहियें और पुराने आधार पर आये हुये लोगों को यहां बैठने का अधिकार नहीं होना चाहिये। उसको आज हमने पूरा कर लिया है। इससे पूर्व भी उसने अनेक दिक्कतों के होते हुए भी देश की व्यवस्था का बहुत ज्यादा ध्यान रखा और शासन व्यवस्था को दृढ़ बनाते हुये सदा इस बात का ध्यान रखा कि प्रत्येक को नागरिक स्वतंत्रता दिये बिना देश की सच्ची तरक्की नहीं हो सकती। कांग्रेस ने पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक को पूरा लेटीटयूड (सुविधा) दिया। चुनाव हो चुके हैं उसके बाद भी जो विरोधी दिवस मनाये जा रहे हैं उनके जरिये से अशांति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बतलाऊंगा कि जहां तक रचनात्मक कार्यों का संबंध है अगर आप अपनी इस नीति को त्याग कर अपना ध्यान उधर लगायें तो देश का कल्याण हो सकता है। चुनाव के समय हमें लोगों को समझाने में बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उन्हें समझाना पड़ा कि अमुक-अमुक कांग्रेसमैनों ने बुराइयां की हैं और वे ही अधिकांश कांग्रेस से अलग हो गये हैं। तब उनकी समझ में असली बात आई। अब हमें व्यवस्थित ढंग से कार्य करना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है। जो लोग चुन कर फिर आ गये हैं उनको अपनी परम्परा कायम रखना है और जो भाई चुन कर नहीं आये उनको भी बाहर से प्रेम और भ्रातृभाव को रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक देश को आगे बढ़ाना है। हमारे महामान्य राज्यपाल ने जो संबोधन किया है उसमें उन्होंने एक निष्पक्ष बात ही कही है चाहे आप उसमें कुछ भी मीन मेख निकालते रहें। मैं विश्वास करता हूं कि सदन में जो भाषण होंगे उनका स्तर ऊंचा होगा। अन्त में मैं महामान्य राज्यपाल को पुनः धन्यवाद देते हुए अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १६ मिनट पर उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गोविन्द सहाय---उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय ने जो ऐड्रेस (अभिभाषण) दिया है उस पर किसी बहस का करना, उसकी तरफ जाकर कहना या उसके खिलाफ कहना, मैं नहीं समझता कि वह कोई बहुत जरूरी बात है क्योंकि उसके अन्दर न कोई स्टेटमेंट आफ पालिसी (नीति संबंधी विवरण) है, न पुराने जमाने में जो ६ साल में कांग्रेस ने किया है, गवर्नमेंट ने किया है, उसकी ही ज्यादा चर्चा है। कुछ बातों की तरफ इशारा किया गया है। जो कुछ इशारा किया गया है उसके साथ-साथ कुछ बातों के बारे में अपनी राय दे दी गयी है। मैं उन्हीं बातों को लेता हूं जिनकी तरफ गवर्नर महोदय ने इशारा किया है।

गवर्नर महोदय का कहना है कि हमें यह सोचना है कि जनतंत्र की सफलता के लिये जरूरी है कि कुछ स्वस्थ्य परम्परायें बनायी जायं और जो पुराना हाउस है वह अपने हाथ से कुछ ऐसी स्वस्थ परम्परायें छोड़ता जायकि जनतंत्र इस देश में सफल हो जाय। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा कि चुनाव ठीक हुआ या गलत हुआ, बेईमानी हुई या नहीं हुई। डेमोक्रेसी का यह पहला उसूल है जो कबूल करता है कि अगर चुनाव हो जाय तो चुनाव के बाद जो लोग भी जीत जायं या हार जायं उनको ऐसी हार और जीत को एक खिलाड़ी की तरह लेना चाहिये। जहां इस प्रकार के उसूल को हम मानते हैं उसके साथ-साथ चुनाव में जो बातें होती हैं, जो आबोहवा पैदा होती हैं, जिस किस्म के तरीके बरते जाते हैं उनका गहरा असर चुनाव में उतना नहीं पड़ता है जितना चुनाव की प्रणाली पर पड़ता है। इसके बारे में मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि डेमोक्रेसी के भविष्य के लिये अभी तक इस देश में इतना खतरा नहीं था जितना कि इस चुनाव में हम सब लोगों ने खड़ा कर दिया है।

डेमोक्रेसी की कामयाबी के लिये जरूरी है कि लोगों के अन्दर डेमोक्रेटिक ऐटिचयूड (जनतन्त्र प्रवृत्ति) हो, सोचने का तरीका हम लोगों में डेमोक्रेटिक हो। जो पार्टी चुनाव के मैदान में हों उनका प्रोग्राम उनके सामने हो कि क्या उन्होंने किया और आगे वह क्या करना चाहते हैं, उसकी तरफ इशारा होना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि इस उसूल को हम सभी ने इस चुनाव में पैरों तले रौंदा है। किसने ज्यादा रौंदा है, किसने कम इसके लिये मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन दूसरी पार्टियों से ज्यादा जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है उसके पास गलत बात करने के साधन भी होते हैं और इसलिये उसकी तरफ से ही ज्यादती होती है। लेकिन मैं कहूंगा कि सारे चुनाव के अन्दर जिस तरह से चुनाव हुआ है ऐसा नहीं मालूम होता कि लोगों ने कैंडीडेट्स (उम्मेदवारों) के सेलेक्शन में डेमोक्रेटिक उसूल की कोई बात कही हो। सभी ने बिरादरी, जातीयता, गलत नारे और गलत परसनलिटीज (व्यक्तियों) पर वोट मांगे हैं। अभी मुझे ताज्जुब हुआ कि इस सदन के दो मेम्बर्स, एक अपोजीशन के मेम्बर और दूसरे पार्टी इन पावर (शक्ति युक्त दल) के एक सदस्य ने बयान दिये कि इस चुनाव को जीतने का सारा श्रेय पंडित जवाहर लाल नेहरू को है। यह एक विरोधी पार्टी के मेम्बर ने कहा जिसे कांग्रेस पार्टी के एक मेम्बर ने तसलीम किया। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा घातक बयान जो है वह यही है। इस किस्म के बयान निकालना कि किसी खास आदमी की वजह से ही चुनाव में जीत हुई यह उस आदमी के लिये भले ही अच्छी चीज हो, लेकिन जनतंत्र की सफलता उससे जाहिर नहीं होती। जनतंत्र की सफलता के लिये यह जरूरी है कि जनता प्रोग्राम को समझ सके, जिस पार्टी को मुनासिब समझे उसको वोट दे। श्री जगमोहन सिंह नेगी ने इस बात को बड़े जोर से कहा। जोर से कहने का शायद उनका मतलब यह था कि उनकी बात कोई समझने न पावे। उन्होंने इस बात को बड़ी खुशी से तसलीम किया कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कांग्रेस को एक कदम और आगे बढ़ा दिया, इसे कांग्रेस स्वीकार करती है। लेकिन पंडित जवाहर लाल जी इसे सुन कर खुश नहीं होंगे। मैं जरूरी समझता हूं कि कोई पार्टी एक व्यक्ति पर नहीं रहा करती है। पार्टी का अपना एक प्रोग्राम रहता है और उसके लीडर उस पर खूबी के साथ चलते हैं। एक आदमी के ऊपर अगर उस पार्टी की ताकत रहती है तो वही उसकी कमजोरी है। इसलिये जनतंत्र राज्य की सफलता के लिये उन तमाम हालात को आप देखें। मैं नहीं मानता हूं कि इस चुनाव में जो जीत हुई है उसका श्रेय एक आदमी के ऊपर है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस की जितनी जीत हुई है उसकी मुझे आशा नहीं थी क्योंकि मैं यह समझता था कि इसके बहुत से वजूहात हैं कि जिससे कांग्रेस जीत नहीं सकती थी। यह बात जरूर है कि कोई मजबूत मुखालिफ पार्टी नहीं थी। संगठन भी कमजोर हो गया था लेकिन फिर भी लाखों आदमियों के दिल में कांग्रेस की इज्जत घर कर गई थी और दूसरी बात यह भी थी कि वह पार्टी इन पावर थी उससे भी उसको मदद मिली और भी मुश्तरका हालात थे और जवाहर लाल जी की भी शखसियत थी। लेकिन कुछ डेमोकेटिक ट्रैडीशन्स (जन तांत्रिक प्रथायें) हुआ करते हैं जिनकी चर्चा की गयी है। वह इसमें नहीं बरते गये हैं।

[श्री गोविन्द सहाय]

जहां तक बेईमानी का ताल्लुक है ऐसा कहना मुश्किल है कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन बईमानी के ऐसे तरीके अख्तियार किये गये जो मुनासिब नहीं थे । शनाख्त का कोई मुनासिब इन्तजाम नहीं था । जिसके पास २ हजार वोट थे वह १० हजार वोट डाल सकता था। मैं जानता हूं कि एक-एक आदमी ने १५-१५ वोट डाले थे । हो सकता है सब ने ऐसा किया हो लेकिन पार्टी इन पावर ने ऐसा ज्यादा किया है । इसलिये यह कहना कि बेईमानी नहीं हुई इसको मैं नहीं मानता हूं । इस चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत हुई है । डेमोक्रेसी में इतने कम वोट डालने पर इतनी ज्यादा जीत हुई है यह बात शक पैदा करती है। कुल वोट यहां पर ३८ परसेण्ट पड़े हैं और उनमें से १८ फीसदी कांग्रेस को मिले हैं जिनमें से उसको ९० और ९१ फी सदी सीट मिली है । पिछले सालों में इतने कम वोट कभी भी कांग्रेस को नहीं मिले और जीत भी ऐसी नहीं हुई है कि जैसी कि इस बार हुई । ऐसी हालत में ये बातें एक दूसरे के विरोधी हैं । इसलिये मैं इस बात की तरफ इशारा करता हूं कि जनतंत्र की सफलता के लिये जिस हवा की जरूरत है, डेमोक्रेसी में जिस कैरेक्टर (आचार) की जरूरत है उसको अमल में लाना निहायत जरूरी है । आज आम आदमी इस बात को कहने लग गया है कि इस चुनाव के अन्दर बेइमानी हुई है और अगर इस हवा को और चलने दिया गया तो आम आदमी का विश्वास बैलट से उठ जायगा और जनतंत्र का भविष्य फिर खतरे में पड़ जायगा । मैं नहीं मानता हूं कि जो बादल उठ रहे हैं, वे खाली जाने वाले हैं । आपकी इस तरह की जीत ने इस बात को दिखला दिया है कि इस चुनाव के अन्दर जनतंत्र के उसूल को नहीं बरता गया है ।

दूसरी बात चीजों के दाम बढ़ाने की कही गई है । मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी क्राइसिस (संकट) आने वाली है । यह क्राइसिस इस बात को साबित करती है कि जब पहले यहां पर चीजों की कमी थी तो दाम बहुत ऊंचे चले गये थे, क्योंकि चीजें नहीं मिलती थीं, लेकिन आज हालत यह है कि आप बाजार में देखिये कि चीजें मौजूद हैं उनके खरीदने वाला नहीं है। मैं यह समझता हूं कि इकानामिक क्राइसिस (आर्थिक संकट) को अगर हिम्मत के साथ, दिलेरी के साथ हल करने की कोशिश नहीं की गई तो यह इकानामिक क्राइसिस न सिर्फ जम्हूरियत को नुकसान पहुंचायेगी बल्कि मुल्क के अन्दर ऐसे खतरनाक हालत पैदा कर देगी कि जिसमें लोग काफी परेशान हो जायेंगे क्योंकि कोई भी पार्टी चाहे वह अपोजीशन हो या पार्टी इन पावर (शासनारूढ़) हो जब तक उसके सामने कोई निश्चित प्रोग्राम नहीं होता है, इकानामिक हालत को सुधारने के लिये जो बुनियादी उसूल हैं उसको नहीं मानती है, तब तक उस हालत को हल नहीं कर सकती है । तो चाहे आप की समझ में आये या न आये और बावजूद इसके कि आज कांग्रेस पार्टी की इतनी शानदार जीत हुई है हम कह सकते हैं कि इतनी शानदार जीत होने पर भी कभी कांग्रेस पार्टी के ऊपर इतना खतरा नहीं पड़ा है जितना कि इस चुनाव के बाद । इस जीत से जाहिर हो गया है कि क्या हालात मुल्क के सामने आगे आने वाले हैं और किधर यह मुल्क जाने वाला है । आप ने देखा कि आप की पूरी यंगर जेनरेशन (युवक मंडली) चाहे किसी पार्टी में गई, लेकिन वह कांग्रेस पार्टी की तरफ नहीं गई । इससे आप को समझ लेना चाहिये कि मुल्क के सामने जो हालात हैं और जो खतरात हैं उनसे आप को आगाह हो जाना चाहिये । आप को आगाह किया जा सकता है चाहे आप सुनें या न सुनें, विरोधी दल की आवाज ही क्या है ? उनकी तो आवाज जोर से बोलने से और मैजारिटी (बहुमत) की आवाज से दबाई जा सकती है । जिस तरीके से आज आपकी पार्टी का आरगेनाइजेशन (संघटन) है वह बहुत खतरे की तरफ आप को ले जा रहा है और वह बहुत ही गलत तरीके का है और खुद पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस बात को माना है कि कांग्रेस आरगेनाइजेशन (संघटन) बहुत फीबिल (शीर्ण) हो गई है। किसी भी जमाअत के लिये यह जरूरी है कि वह इन तमाम झोंकों को सहने के लिये मजबूत हो और उसका ताल्लुक मुल्क के दिलो दिमाग से हो, निश्चित तरीके से उसका प्लानिंग हो और उसका ऐडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) ऐसा हो कि जिससे लोगों को राहत मिल सके। एक गवर्नमेंट जिस बुनियादी प्रोग्राम से क़ायम रहती है वह प्रोग्राम उसके सामने होना बहुत

जरूरी है। इस तेजी की दुनिया में बहुत सी चीजें तेजी से बदल रही हैं और मुझे कोई शक नहीं दिखाई देता कि आप खतरे के रास्ते पर जा रहे हैं और आपका जो रवैया है उससे मुल्क सुधरता नहीं है। कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जो लड़ाई के बाद बहुत खराब हालत में नहीं पहुंच गया हो लेकिन सब ने एक रिआरगेनाइजेशन (पुनस्संगठन) का प्रोग्राम अपने सामने रक्खा और अपने को दोबारा खड़ा कर दिया।

आप चीन जैसे मुल्क को देखिये कि वह ३ साल के अन्दर कहां से कहां पहुंच गया। कैसी खराब हालत वहां की थी? आज वहां पैदावार बढ़ गई है और हर शोबे में वहां तरक्की नजर आती है। तो मैं मानने को तैयार नहीं कि कांग्रेस पार्टी कोई बड़ी मजबूत पार्टी है और कोई उम्दा आर्गेनाइज्ड प्रोग्राम लेकर वह आ रही है। मुझे भी कांग्रेस में रहने का काफी अर्से तक फ़ख्र हासिल रहा है और मैंने भी अपनी जिन्दगी का काफी हिस्सा कांग्रेस में लगाया है, लेकिन जितनी मायूसी और वेकेण्ट फ़ेसेज़ (हतोत्साह) के साथ अब के लोगों ने वोट दिया है उतना कभी नहीं दिया। पहले लोग प्रोग्राम को जानते थे कि क्या पार्टी हमारे लिये करेगी, उसमें एक जोश और एक उमंग होती थी, जनता प्रोग्राम को समझती थी। अगर आप देखें तो ६० या ७० फीसदी तो हुकूमत ही को वोटिंग हुआ है। अगर आप एनलेसिस (विश्लेषण) करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आप के ७१ फीसदी वोटर अनइण्टेलिजेंट (नासमझ) हैं। जहां दुनिया भर की बातें कही गई हैं वहां कोई क्रेडिट (श्रेय) की बात नहीं है। आपको मालूम होना चाहिये कि पढ़े लिखे लोग ही मुल्क के काम करते हैं और मुल्क को उठाते या गिराते हैं। यह फैक्ट आपको समझने की कोशिश करना चाहिये और आपको दिल व दिमाग से सोचना चाहिये कि इस तरह के वोटर कहां तक आपके काम के हो सकते हैं। आपको फैक्ट्स को समझने की कोशिश करनी चाहिये, लेकिन अगर आपने फैक्ट्स को ट्विस्ट (मरोड़) कर के छिपाने की कोशिश की तो मैं आपको आज बतलाये देता हूं कि इस मुल्क में बवंडर उठेगा जो आपके बस से बाहर होगा। आज आपकी पार्टी जिस जगह खड़ी हुई है आप कभी अपने को खतरे से बाहर नहीं ले जा सकते। आपको अपना एकनामिक स्ट्रकचर (आर्थिक ढांचा) और तमाम ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रकचर (प्रशासन का ढांचा) बदलना होगा और जम्हूरियत की एक सही आबोहवा पैदा करनी होगी। जो आपकी जिम्मेदारी है उसको आप पूरा करें। विरोधी दलों की भी जिम्मेदारी होती है वह भी एक जरूरी चीज होती है। उनको आपको इनकरेज (प्रोत्साहित) करना चाहिये। न भी आप इनकरेज करें तो उनकी प्रगति रुक नहीं सकती। उनका कार्य अगर यहां नहीं तो बाहर होगा। बाहर की हालत इससे नहीं बदल जाती है कि इस हाउस के मेम्बर बजाय २३२ के ४३० हो गये। किसी मुल्क की हालत इससे नहीं सुधर सकती कि आपकी यहां पर कितनी तादाद है। मुल्क की हालत तभी सुधर सकती है जबकि आपकी लीडरशिप या मुल्क की लीडरशिप उसे ठीक रास्ते की ओर ले जाय। मुमकिन है यह आखिरी मौका हो। सचाई को किसी को नहीं छिपाना चाहिये। सच्चाई को छिपाने से किसी की तरक्की नहीं हो सकती है। और न इससे देश को आप आगे बढ़ा सकते हैं। मैं जानता हूं कि क्या क्या अनडैमोक्रेटिक (अजनतान्त्रिक) तरीके इस एलेक्शन में इस्तेमाल किये गये और उन्हें जानकर मुझे हैरत हुई। इसको आपको सुधारना चाहिये पिछली बातों को भूल कर आगे का चैप्टर (अध्याय) खोलना चाहिये। अगर आप इस एलेक्शन से फायदा नहीं उठायेंगे तो मालूम नहीं यह देश कहां जायगा। दूसरे देशों में भी आजादियां हासिल हुई हैं और वहां की हुकूमतों ने एलेक्शनों से पूरे-पूरे फ़ायदे उठाये हैं, उन्होंने जनता का रुख पहचाना और उससे सबक़ हासिल किये। एक दूसरे पर दोषारोपण करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहले कांग्रेस को जितने वोट मिला करते थे उतने इस चुनाव में नहीं मिले हैं। जो कुछ मुझे कहना था मैंने भी इशारतन आपका ध्यान दिला दिया है।

श्री रामजी सहाय——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राज्यपाल महोदय का सम्बोधन इस भवन में प्रस्तुत है और उसके सम्बन्ध में निर्वाचन संबंधी प्रश्न बहुत महत्त्व प्राप्त कर गया है। लेकिन सही बात तो यह है कि हम लोगों को भी आशा नहीं थी कि निर्वाचन इतना

[श्री रामजी सहाय]
शान्तिपूर्वक समाप्त हो जायगा। मैं आपसे अपने अनुभव से कहता हूं कि इतना होते हुये भी हमारे सोशलिस्ट पार्टी क भाइयों ने सबसे गन्दा प्रचार किया। उन्होंने कहा कि या तो यह झंडा या मोटा डंडा और जातीयता का जितना विष इस पार्टी ने वमन किया उतना किसी और ने नहीं किया, इसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। कुछ लोगों का यह कहना है कि हम लोगों ने जवाहरलाल जी की वजह से चुनाव जीता है। मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूं। हमारी जनता का दिल कांग्रेस के लिये हमदर्दी से ओतप्रोत था, यह बात बहुत महत्व रखती है। हो सकता है कि कहीं-कहीं कुछ थोड़ी बहुत अनियमितता हुई हो, परन्तु साधारणतया तो यह चुनाव बहुत निष्पक्षता से और शान्तिपूर्वक हुये हैं। इसे प्रत्येक मनुष्य मानने को तैयार होगा।

माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में हमारी सरकार के पिछले ५ सालों के कार्यों का भी कुछ उल्लेख किया है। उन्होंने जमींदारी उन्मूलन का जिक्र किया, लेकिन हमारे प्रदेश में जिन्होंने १० गुना लगान दिया है उनसे अभी भी पूरा लगान लिया जा रहा है और न उन्हें सनद ही मिल पायी हैं। इस कारण आज भी जमींदार लोग उन्हें तबाह कर रहे हैं। मुझे मुख्यकर पूर्वी जिलों के बारे में कहना है। वहां सरकार ने थोड़ी बहुत सिंचाई की व्यवस्था तो करने का प्रयास किया है। लेकिन आज वहां की अवस्था ऐसी हो गयी है कि जो ट्यूबवेल्स हैं उनके जो चालक हैं उनका रिश्वतों का तांता बंध गया है। आज वहां की जनता तबाही में है। आज वहां ७ दिन का अनाज देकर कार्ड में १५ दिन का लिख लिया जाता है और उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस हालत में जबकि हर दिशा में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, यदि हम अपने निर्वाचन पर प्रसन्न होकर रह गये तो, श्रीमान् जी, हम सफल नहीं हो सकते। इसलिये मेरा अनुरोध है कि अब समय आ गया है कि जनता की यह मांग है कि भ्रष्टाचार और चोरबाजारी को खत्म किया जाय। केवल यही कह कर कोई भी उत्तरदायी सरकार छुटकारा नहीं पा सकती कि जब तक जनसाधारण में नैतिक स्तर ऊंचा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि यदि यही कह कर हम रह गये तो जो दशा दूसरे देशों की हुई है, चीन की हमारे सामने हुई है, वैसी ही दशा हमारे देश की भी होगी। आज उन जिलों में मैंने देखा है कि फसल खड़ी हुई है, लेकिन किसान उसको बचा नहीं सकता। तो यह छोटी मोटी चीजें हैं जिनके सुधारने से गांव के रहने वालों को राहत मिल सकती है। यदि हम आदर्शों की चर्चा करें और जनता की, किसानों की जो कठिनाइयां हैं उनकी ओर ध्यान न दें तो हमें सफलता नहीं मिल सकती। हमें तो विश्वास था कि महामान्य का जो संबोधन था उसमें जनता को आगे क्या लाभ होगा इसका भी कुछ निर्देश रहेगा, लेकिन उसमें जितनी हमने कल्पना की थी वह नहीं मिली। इसलिये, श्रीमान्, हमारी सरकार का यह ध्यान होना चाहिये कि जनता के दुख को कम करें। इन शब्दों के साथ मैं महामान्य का जो संबोधन है उसके प्रति अपनी बधाई दे रहा हूं।

श्री गुरु नारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा पहले नहीं था कि मैं इस संबंध में, जोकि आज राज्यपाल का सम्बोधन है, कुछ कहूं। लेकिन चूंकि इस संबोधन में खासतौर से एलेक्शन्स के निष्पक्ष होने का जिक्र किया गया है इसलिये मुझे मजबूर होना पड़ा कि मैं भी अपने विचार प्रकट करूं। यह जाहिर है कि जो चुनाव हुये, मैं शुरू से इस बात का क़ायल था और मैं यह जानता हूं कि जनता की जो आवाज होती है जब वह उठती है तो या तो इधर उलट देगी या उधर उलट देगी और यही मेरा ख्याल था और इसी ख्याल के साथ ही, जहां तक हम लोगों का सम्बन्ध है, हमने प्रचार किया और मुझे फख्र है और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि विरोधी दल का जहां तक संबंध है जितनी पेशेंस (धैर्य) हो सकती है और जितना कोआपरेशन (सहयोग) वह कर सकती है उसने उससे काम लिया और बहुत ही शांतिमय ढंग से इस चुनाव को लड़ा। यहां तक कि अगर कहीं कोई बात सरकार की तरफ से हुई भी तो उसको भी सहन कर के मुकाबिला किया। इसलिये मैं समझता हूं कि आज जो यह कहा जाता है कि शान्तिमय ढंग से चुनाव हुआ, अशांति नहीं हुई तो उसका

तात्पर्य यही है कि अगर अशांति होती तो वह विरोधी दल की तरफ से होती। अगर अशांति होने का लांछन हो सकता था तो वह विरोधी दल के ऊपर होता, लेकिन विरोधी दल ने जिस प्रकार से इस इलेक्शन में भाग लिया वह सराहनीय है। सब पार्टियों ने, चाहे वे समाजवादी पार्टी हो, चाहे किसान मजदूर प्रजा पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो सब दलों ने बराबर पेशेंस के साथ इसमें भाग लिया।

मैं पहले से जानता था कि कांग्रेस का बहुमत होगा, मैं इस बात को भी नहीं छिपाना चाहता कि जहां तक देहाती क्षेत्रों का संबंध है काफी लोग ऐसे हैं,जो कि कांग्रेस के नाम पर कांग्रेस को हर तरह की मदद देने के लिये तैयार हैं लेकिन इसके साथ मैं यह कहूंगा कि ऐसी बात नहीं कि अब कांग्रेस के विरोध में काफी जनता न हो। आप ताज्जुब करेंगे कि ऐसे-एसे भी लोग हैं, राजा महाराजा हैं, हम ही लोग हैं जिनको कि ८-८ और १०-१० हजार वोट किसानों के मिले हैं। तो यह बड़े ताज्जुब की बात थी। पहले पुराने जमींदारों को या ऐसे लोगों को वोट मिलना एक नामुमकिन बात समझी जाती थी।

मैं यह समझ सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के नेता हमारे राजाराम जी शास्त्री को, क्योंकि वह कल तक कांग्रेस में थे, वोट मिले, उनका नारा और आपका नारा एक ही है। किसान मजदूर प्रजा पार्टी और आपका नारा एक ही है, इसलिये उनको मिले। लेकिन जब हमारे क्लास के लोगों को जिनके विरोध में खास तौर से घोर प्रचार किया गया कि ये जमींदार वर्ग क लोग हैं, पूंजीपतियों के दरजे के लोग हैं, अगर ये आयेंगे तो फिर आकर के वही राज्य स्थापित करेंगे, फिर भी बावजूद इस प्रचार के हम लोगों को इतने वोट मिले तो यह इस बात का सूचक है कि जनता सोलहो आने कांग्रेस के साथ नहीं है। जैसा कि गोविन्द सहाय जी ने अभी कहा, कि जनता में ऐसी भावना है और जनता समझने लगी है। आपने रजवाड़ों को खत्म किया लेकिन फिर भी राजस्थान वगैरह में देखिये, तमाम राजे-महाराजों ने वहां एलेक्शन को आर्गेनाइज (संघटित) किया और लोक सभा तथा विधान सभा में वे विजयी हुये और जनता ने उनका आदर किया और उनका साथ दिया। मुझे यह ताज्जुब हुआ।

मैं नहीं कह सकता कि क्या हुआ और मैं कैसे कह दूं कि एलेक्शन में बैलेट के परचे हटा दिये गये और क्या हुआ। मैं कहने के लिये तैयार नहीं हूं जब तक कि अपनी आंखों से किसी चीज को देख न लूं। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि इस चुनाव में काफी गड़बड़ी हुई। मैंने देखा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मशीनरी, जोकि पूरी तरह से कांग्रेस के हाथ में थी, उसका हर प्रकार से प्रयोग किया गया। हर टीचर, हर पोलिंग आफिसर जहां किसान वोट डालने के लिये पहुंचता था उसको पूर्ण रूप से संकेत करता था कि इस बक्से में डालो यही तुम्हारा बक्सा है। अगर हम लोगों की तरफ से कुछ कहा जाय कि निष्पक्षता का व्यवहार होना चाहिये तो वह चीज बेकार है, क्योंकि उनके हाथ में सत्ता है, हुकूमत का मामला है दूसरों की कौन सुनता है! तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और लोकल बाडीज की मशीनरी ने जहां कांग्रेस का बहुमत था ऐसा किया। खैर जो किया सो अच्छा किया, हमें कोई शिकायत नहीं। मानी हुई बात है कि जो सत्तारूढ़ ताकत होगी उसको थोड़ा बहुत फायदा पहुंचता ही है, यह भी हम कह सकते हैं कि जहां नान-कांग्रेसमैन के हाथ में डिस्ट्रिक्ट बार्ड की मशीनरी है वहां मुमकिन है कि दूसरी प्रकार से वह चली हो। लेकिन यह सब होते हुये भी चाहे कुछ भी होता इस चुनाव में, लेकिन बैलेट बाक्स की जो सैंक्टिटी (पवित्रता) है वह तो मैं समझता हूं हर प्रकार से प्रिज़र्व (सुरक्षित) रखनी चाहिये। अगर बैलट बाक्स की सैंक्टिटी (पवित्रता) खत्म हो गयी तो आप समझ लीजिये कि देश की क्या हालत होगी।

यह जाहिर है कि आज कांग्रेस को बहुमत प्राप्त है, लेकिन यह भी सत्य है कि आज आप देहातों में जायं कोईएतबार करने को तैयार नहीं है कि इतनी जीत कांग्रेस की ऐसे ही हो

[श्री गुरुनारायण]

गई। यह गांव-गांव में प्रचार है और सबके मुंह पर यह बात है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर हुई। मैं यह जानता हूं कि यू० पी० के बक्सों का मामला तूफान है। कहा जाता है कि सील इण्टैक्ट (यथास्थित मुहर) थी और बक्सा खुल गया, क्या हुआ, यह तो ईश्वर ही जानता है या हुकूमत समझा सकती है कि क्या हुआ। यह मैं नहीं जानता कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ।

हमारा और कांग्रेस का जहां तक संबंध है हम बजाय इसके कि कोई होस्टाइल स्पिरिट (विरोधी भावना) में या वेंजियंस की स्पिरिट (बदले की भावना) में आपको क्रिटिसाइज (आलोचना) करें हम यह जरूर महसूस करते हैं कि अगर आप ने बैलट बाक्स की सैंक्टिटी को प्रिजर्व (प्रतिष्ठा की सुरक्षा) नहीं किया तो यह एक नमूना होगा जो आपके सामने आयेगा और आपको खलेगा और इसका परिणाम यह होगा कि कम्यूनिज्म (साम्यवाद) जिसको रोकने का आप प्रयत्न कर रहे हैं और देश की हर एक मेजर पार्टी प्रयत्न कर रही है कि वह बहुत जल्द फैल जायगा और किसी को विश्वास फिर बैलट बाक्स का और एलेक्शन का नहीं रहेगा। इसलिये मैं तो खास तौर से यह कहना चाहता हूं कि एलेक्शन हो गया। हम को एलेक्शन की जितनी बातें थीं, जितनी विषमतायें थीं वह भूल जानी चाहियें लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिये कि आगे चल कर के कभी भी चाहे कोई भी दल विरोध में हो या सत्तारूढ़ हो उसके खिलाफ अगर जनता में किसी प्रकार का भी शकोशुबहा हुआ तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। महात्मा गांधी जब तक जीवित थे वह अपने एम्स (उद्देश्य) के लिये जो मीन्स अडाप्ट करते (साधन बरतते) थे उनमें वह बराबर ईमानदारी के साथ बरतते थे और इसलिये मैं यह चाहता हूं कि कोई भी सत्तारूढ़ दल हो, कोई भी हिन्दोस्तानी हो हम लोगों को एम्स और मीन्स दोनों ही के लिये ईमानदारी का प्रयोग करना चाहिये। अगर हमने यह किया कि एम्स हासिल करने के लिये मीन्स में जरा भी गड़बड़ी कर दी तो उसका परिणाम होगा कि देश बरबाद हो जायगा और हमारे देश का मारेल (नैतिकस्तर) बिलकुल गिर जायगा।

जहां तक आफिसर्स का संबंध है मैं यह जानता हूं कि आफिशियल मशीनरी सरकार के हाथ में है। मैं अपने जिले के बारे में भी कह सकता हूं कि जहां तक हमारे कलेक्टर का संबंध है उस शख्स ने निहायत ईमानदारी के साथ अपना काम किया, लेकिन वे कर क्या सकते हैं जबकि उनके हाथ में बैलट बाक्स जहां रक्खे जाते हैं वहां की न तो चाभी रहती है न कोई चीज उनके पास रहती है और यह तमाम ६०-६० और ६५-६५ रुपये पाने वाले क्लर्क वहां घुसे रहते हैं। तो मैं क्या कहूं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। बहरहाल, जो कुछ भी हुआ, हमको आगे के लिये सबक लेना चाहिये और अगर हम यह चाहते हैं कि प्रजातंत्र को हमें आगे बढ़ाना है, अगर हमें ईमानदारी के साथ अपने मुल्क को अपने स्वार्थ को हटाकर के आगे बढ़ाना है तो जरूरी है कि हम चाहे जो कुछ भी करें पर जहां तक बैलट बाक्स का ताल्लुक है उसमें कभी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिये। आप विचार करें कि जब अंग्रेज थे, तो अगर वे भी अपनी राजसत्ता का इसी प्रकार प्रयोग करते तो विरोधी दल कभी पनपने न पाता। कुछ भी कहा जाय हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अंग्रेजी शासन में चाहे जितनी भी खराबी हो, लेकिन उसमें निष्पक्षता थी, एक किस्म का करेक्टर (आचरण) था। उसने उस चीज को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। उसे बराबर निभाया। उसी का नतीजा है कि हमारे देशवासियों ने अच्छे तरीके से चलते हुये प्रजातंत्र की ओर क़दम बढ़ाया और हमारा मुल्क प्रजातंत्र की ओर बढ़ा। अगर वह ऐसा न करते तो वह भी यह सब कर सकते थे। इसलिये मैं कहता हूं कि पांच वर्ष, दस वर्ष, पंद्रह वर्ष चाहे कांग्रेस की हुकूमत रहे, लेकिन अगर हमारे देश का मारेल (नैतिकता) गिर जायगा या जनता का विश्वास उठा तो उसके साथ देश को बड़ी भारी हानि पहुंचेगी जिसका खमियाजा देश को भुगतना पड़ेगा। इसलिये मैं यह जरूर चाहता हूं कि किसी को यह भी शिकायत न रह जाय कि साहब इसमें इस प्रकार की गड़बड़ी हो सकती है चाहे जैसी भी हो। यह जरूरी था कि मैं यह चीजें आप के सामने पेश कर दूं।

जहां तक इसका ताल्लुक है कि कांग्रेस को वोट जवाहर लाल जी की शख्सियत की वजह से मिले, ठीक है। जवाहर लाल जी को जो वोट मिले हैं, वे कांग्रेस के वोट हैं और कांग्रेस को जो वोट मिले हैं वे जवाहर लाल जी के हैं। जवाहर लाल जी कांग्रेस का संचालन करते

हैं, अगर उनके नाम पर कांग्रेस को वोट मिले तो कोई शिकायत की बात नहीं है और इसीलिये बीच में सभापति का आसन भी बदला गया कि एलेक्शन आ रहा है। तो जहां तक उसका ताल्लुक़ है मुझे इस पर कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मैं यह जरूर समझता हूं कि कुछ भी हो हम लोगों को एलेक्शन में बैलट बक्सों की सैंक्टिटी हर तरह से प्रिज़र्व (सुरक्षित) करनी चाहिये और अगर नहीं करेंगे तो हमारा देश मिट जायगा और देश को बहुत हानि पहुंचेगी। अगर नेशन करप्ट (राष्ट्र भ्रष्ट) हो गया तो फिर जो दशा भारत की होगी इसको विचार कर देखें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री केशव गुप्त--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण के ऊपर आज बारह बजे से विवाद चल रहा है और जो उन्होंने अपने भाषण में चुनाव के ऊपर संकेत किया है अधिकतर हमारे बोलने वाले मित्रों ने उसी पर जोर दिया है और चुनाव की शिकायतें की हैं। यह तो मानी हुई बात है और जैसा कि चतुर्भुज शर्मा जी ने अपने भाषण में कहा था कि विरोधी दल के नेता श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने इस बात को माना है कि चुनाव बहुत ही इम्पार्शल (निष्पक्ष) बहुत ही सुगमता से और सुन्दरता के साथ हुये। उसके फेयर होने में जरा भी संकेतमात्र कोई शक नहीं हो सकता है। प्रजातंत्र के बाद यह भारतवर्ष का सबसे पहला अनुभव भी था।

हमारे भाई गुरु नारायण जी ने अंग्रेजों की तारीफ की और कहा कि उन्होंने अपनी हुकूमत में एक इम्पारशलिटी (निष्पक्षता) से काम लिया। यह कहा कि यह उन के कैरेक्टर का एक गुण था। मैं यह कहना चाहता हूं कि इंगलैण्ड जो प्रजातंत्र का जन्म स्थान कहा जाता है उसके अन्दर जो जो पहले चुनाव हुआ करते थे उनमें खून की होली खेली जाती थी। उसके मुकाबले में भारतवर्ष ने, जहां कि पहला अडल्ट सफरेज (वयस्क मताधिकार) का चुनाव था, किस शान्ति के साथ किस सुन्दरता के साथ लड़ा। सब भाई और बहनों ने जिनको मत देने थे घंटों बैठकर अपने-अपने वोट डाले। यह क्या थोड़ी बात है जो भारतवासियों ने किया। मेरे भाई अंग्रेज़ों के आचरणों से तो शिक्षा लेना चाहते हैं लेकिन उन्हें अपने भाइयों के आचरण से शिक्षा लेनी चाहिये। उन्होंने पहले ही अनुभव में किस सुगमता से काम किया है। खैर यह तो चुनाव की ओर थोड़ा सा संकेत था।

मुझे इस भाषण में एक कमी मालूम हुई कि जो मौजूदा समय में चीजों की कीमतें गिर रही हैं, डिप्रेशन (मंदी) आ रहा है तेजी के साथ और जिसके कारण हमारे सूबे में और सारे देश में एक व्यापारिक हलचल मची हुई है उसका कोई संकेत राज्यपाल महोदय के भाषण में हमें नहीं मिलता। न उन्होंने इस बात का संकेत किया है कि इस डिप्रेशन के जमाने में किस तरीके से अपनी आर्थिक पद्धति को ठीक करना चाहिये और किस तरीके से मुल्क की हालत को दुरुस्त करना चाहिये। और इस जमाने के अन्दर किस तरीके से बेकारी जो फैल रही है उसको रोकना चाहिये इसकी तरफ कोई संकेत नहीं किया है। इसकी तरफ संकेत इस भाषण में होना चाहिये था और न आज ही किसी वक्ता महोदय ने इसकी तरफ संकेत किया है। मैं गवर्नमेंट का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह बहुत जरूरी मसला है जिसकी तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिये और तेजी से कदम उठाना चाहिये। मैं जानता हूं कि यह इंटरनेशनल (अन्तर्राष्ट्री) सा हो गया है। दूसरे देशों के अन्दर भी तेजी से दाम गिर रहे हैं लेकिन यह हमारे सूबे का भी मसला है इसलिये हमारी गवर्नमेंट को इस ओर ध्यान देना चाहिये और कोई कदम बहुत जल्द से जल्द उठाना चाहिये ताकि भाव का कोई निश्चित ढंग चल सके। इस तरफ ध्यान देना जरूरी है।

तीसरी बात है कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण के अन्दर फूड पालिसी (खाद्यविषयक) नीति का भी थोड़ा सा जिक्र किया है और ध्यान दिलाया है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो सबसिडी (सहायता) हमकोवह देती थी उसको देना बन्द कर दिया है और उसके कारण थोड़ा सा शुबहा जनता में भी यही है कि बहुत संभव है कि शहरों में जो अन्न के कंट्रोल रेट्स हैं वह बढ़ जायं, क्योंकि सबसिडी (सहायता) के बन्द हो जाने से जो हमारे सूबे की माली हालत है उसपर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है क्योंकि अन्न के वितरण के कारण अभी तक

[श्री केशव गुप्त]
हम तीन करोड़ से ज्यादा खर्च कर रहे थे और अब बहुत संभव है कि सबसिडी के न मिलने से ८ या ९ करोड़ का घाटा हमारे सूबे को पड़ेगा और बहुत संभव है कि यह घाटा हमारे सूबे के एकनामिक्स के लिये बहुत कठिन हो, इसलिये यह शुबहा हमारी जनता को हो रहा है कि शायद इससे कीमतों को बढ़ाना पड़े। गवर्नमेंट को, मैं आशा करता हूं, कि जब वह जवाब देगी तो इस ओर भी एक संकेत कर देगी और माननीय मिनिस्टर अपनी स्पीच में बतलायेंगे कि ऐसी हालत में उसका क्या मंशा है। क्या आज वह वास्तव में कीमतों को बढ़ाना चाहती हैं या नहीं और अगर नहीं तो जो घाटा पड़ेगा उसको किस तरीके से पूरा करना चाहती हैं। इसकी तरफ भी माननीय मंत्री एक इशारा करेंगे।

एक बात और देखने की है कि अगर वह कीमतें बढ़ाते हैं तो उनको यह भी देखना चाहिये कि जो कीमतें बाजार में चल रही हैं वह कंट्रोल से कम चल रही हैं। गेहूं का भाव कहीं कहीं पर १६ रुपये मन से भी कम चला गया है। चीनी का बाजार भाव कंट्रोल भाव से कम का रह गया है और ओपेन मारकेट (खुले बाजार) में चीनी की कीमत कम हो गयी है। इसलिये अगर कीमतें बढ़ती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यह भी देखना होगा कि जो हमारी आर्थिक बुनियाद है उस पर असर न पड़े। इसलिये इस मसले पर एक नीति बनावें और जब माननीय मंत्री खड़े हों तो उसका एक इशारा अपने भाषण में करें तो ठीक होगा।

चौथी बात यह है कि हमारे राज्यपाल महोदय ने प्लाण्ड (संयोजित) एकानामी (आर्थिक व्यवस्था) का जिक्र किया है और उन्होंने बतलाया है कि इस मौजूदा जमाने में एक नियंत्रित आर्थिक व्यवस्था का होना आवश्यक है। मैं भी इसको मानता हूं कि यह बहुत जरूरी चीज है। देश ने अपना कान्फीडेंस (विश्वास) कांग्रेस में दिखलाया है और पांच साल के लिये उसने कांग्रेस को शक्ति प्रदान की है।

हमारी कांग्रेस की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है और विशेषतया उस जमाने के अन्दर जबकि डिफ्लेशन (अपकर्ष) और डेप्रिसियेशन (मूल्यपात) का समय आता है उस समय के अन्दर प्लांड एकनामी की तरफ क्या कदम हमारी गवर्नमेंट बढ़ायेगी यह हमें देखना है। जो सबसे बड़ी कमी और जरूरत है वह अन्न की है और जिस तरह से हमारे देश में जनसंख्या बढ़ती जाती है, उस अनुपात से हम देख रहे हैं कि हमारे यहां अन्न की पैदावार नहीं बढ़ रही है। इस कमी को पूरा करना हमारे लिये जरूरी है। इतना इशारा जरूर दिखाई दिया कि दूसरे देशों से जो अन्न हमारे यहां पहले मंगाया जाता था उसमें कमी हुई है। जहां ३ साल पहले २ लाख टन से ऊपर हमारे सूबे में आता था उससे करीब-करीब ४० या ४२ हजार टन अब हमारी आवश्यकता बाहर से मंगाने की रह गयी। इससे मैं यह नहीं मानता कि कोई हमारे यहां अन्न की पैदावार ज्यादा हो गई, क्योंकि हमारे यहां ऐसे आंकड़े तैयार नहीं, जिनको देखकर हम कह सकें कि हमारे यहां कितनी पैदावार बढ़ी या कम हुई। जो आंकड़े तैयार होते हैं वे केवल एक संकेतमात्र हैं। हमारे स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे सही बात मालूम हो सके कि किस गांव के अन्दर कितना गेहूं बोया गया और कितना वास्तव में पैदा हुआ या कितना चना बोया गया और कितना वास्तव में पैदा हुआ। ऐसी चीजें हमारे यहां नहीं हैं। चीन की बात हमारे सामने रखी गयी है। सुन्दरलाल जी वहां गये थे। वहां का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने देखा और बतलाया कि आर्टिकिल्स वगैरह में भी जो छपा है उससे भी पता चलता है कि दो बरस के अन्दर जो अन्न का संकट था उसको चीन ने दूर कर लिया और दो बरस में वे इस योग्य हो गये कि वे दूसरे देशों को अन्न भेजने लगे और भारतवर्ष को भी उन्होंने दिया। यह इसी का नतीजा था कि उनके यहां प्लांड एकनामी थी। गांवों के अन्दर उन्होंने आर्थिक नियंत्रण रखा। हर शख्स की पैदावार पर नियंत्रण रखा। जितने अयोग्य व्यक्ति थे जिनके हाथ में जमीन थी उनसे लेकर योग्य व्यक्तियों के हाथ में जमीन दी। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि जिससे किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में जमीन न रह सके और योग्य व्यक्तियों के हाथ में पहुंचे और पैदावार बढ़े। हमारे देश में भी उसी तरह से प्लांड एकनामी बने जिससे हम जल्दी से जल्दी

अन्न और रुई की कमी को पूरा कर सकें। हर गांव की अलग व्यवस्था हो। हर गांव के आंकड़े हों। जो योग्य हों उनके हाथ में जमीन रहे।

मुझे खुशी है कि श्री चतुर्भुज शर्मा जिस वक्त राज्यपाल महोदय की सेवा में धन्यवाद का प्रस्ताव उपस्थित कर रहे थे उन्होंने भी इस ओर संकेत किया और गवर्नमेंट की तवज्जह इस ओर दिलाई कि गवर्नमेंट को प्लांड एकानामी की तरफ तवज्जह देनी चाहिये और इस तरह से जो हमारी टेनेन्टरी (कृषक गण) है, एग्रिकल्चरल होल्डिंगस (कृषियोग्य जोतें) हैं उनका प्रबन्ध करना चाहिये। मैं भी इस ओर जोर देना चाहता हूं। गवर्नमेंट परिवर्तन चाहती है तो वह जल्दी इस ओर ध्यान दे। अगर अन्न के संकट को दूर न कर सकी तो मैं कहता हूं कि वह दिन दूर नहीं जब हमारे मुल्क के अन्दर एक अव्यवस्थित अवस्था पैदा हो जाय और जैसा कि गुरु नारायण जी ने कहा कि कम्युनिज्म के दबाने की हम कोशिश करते हैं, मगर जबान के कहने से कम्युनिज्म नहीं दब जायगा। वह स्थितियां जो कि कम्युनिज्म को पैदा करती हैं जब तक उन कंडीशंस (दशाओं) को हम दूर नहीं करते उस वक्त तक कम्युनिज्म को रोकने की शक्ति किसी सरकार में नहीं हो सकती। उसको रोकने के लिये यही तरीका है कि मुल्क के अन्दर पैदावार बढ़े, मुल्क के अन्दर हर शख्स को खाना मिले, कोई शख्स बेकार न रहे, हर शख्स को आराम करने का मौका हो, हर शख्स को उन्नति करने का मौका हो और अपना पेट भर सके और अपने जीवन को सुख के साथ बिता सके। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा करने में कामयाब हो तो वह कम्युनिज्म को रोक सकेगी, और अगर ऐसा न कर सकी तो फिर कम्युनिज्म आयेगा, तेजी के साथ आयेगा और इसमें कोई शुबहा नहीं कि वह आ रहा है। अगर इन ५ साल के अन्दर हम जनता की तकलीफें दूर न कर सकें, मुझे तो यह आशा है और यह हो सकता है कि यह फर्स्ट ऐंड दी लास्ट इलेक्शन (प्रथम और अन्तिम निर्वाचन) हो, क्योंकि ५ साल बहुत ज्यादा हैं इम्तहान के लिये और खास कर उस समय जब कि हमारे देश की आंतरिक स्थिति और आर्थिक स्थिति बहुत जल्दी-जल्दी बदल रही है। हमारा कर्त्तव्य है कि इन रद्दोबदलों को सही तौर पर हम इस्तेमाल करें और ऐसी स्थिति पैदा करें कि वे हमारे काबू में आ जायं। इसलिये इस स्थिति को काबू में लाना गवर्नमेंट का कर्त्तव्य है। मौजूदा गवर्नमेंट का फ़र्ज होगा कि वह जितनी जल्दी हो सके ऐसे कदम उठाये, ऐसे क्रान्तिकारी कदम उठाये, एक नया रास्ता अख्तियार करे जिससे मुल्क के अन्दर व्यवस्था कायम हो।

मुझे एक बात और कहनी है कि राज्यपाल के ऐड्रेस में एक बात की और कमी है। वह यह कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डस के इलेक्शन्स (निर्वाचन) बहुत नजदीक आ रहे हैं उनके मुताल्लिक गवर्नमेंट क्या करने जा रही है उनके बारे में भी कोई इशारा नहीं किया गया। मेरा इतना ही कहना है कि गवर्नमेंट उनकी ओर भी इशारा करे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के इलेक्शन्स वह कब करने जा रही है। मैं यह भी नहीं चाहता कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डस के इलेक्शन्स जल्दी हों, लेकिन मेरा तो कहना यह है कि आजकल के जो डिस्ट्रिक्ट बोर्डस हैं वह आजकल के समय के लिये पर्याप्त नहीं हैं। वे सन् २२ में बनाये गये थे उस समय से तो अब काफी जमाना आगे बढ़ गया है। मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स जिस प्रकार के हैं उस प्रकार के अगर न रहें तो ही अच्छा है। उनको खत्म करके ऐजूकेशन (शिक्षा) और पी० डब्ल्यू डी० विभागों में मिला दें तो अच्छा है। मेरी इसलिये प्रार्थना है कि सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के संबंध में अपनी नीति बताये और यह बताये कि सरकार वास्तव में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के बारे में क्या रद्दोबदल करना चाहती है। अगर कोई रद्दोबदल करना चाहती है तो किस प्रकार का करना चाहती है।

पंचायत राज्य के बारे में भी कुछ कहा गया उनके चुनाव मुल्तवी किये गये। जरूर मुल्तवी करने चाहियें थे। उनके बारे में भी मेरा यह निवेदन है कि २ साल में जो अनुभव हुये हैं उनका लाभ भी हमको उठाना चाहिये। मुझे आशा है कि गवर्नमेंट इन चीजों पर ध्यान देगी। इन शब्दों के साथ चतुर्भुज शर्मा जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री अब्दुल बाक़ी—जनाब वाला, इस वक्त इस हाउस के सामने हिज ऐक्सीलैंसी गवर्नर का ऐड्रेस है। उसमें ६ साल के अन्दर इस सरकार ने जो कुछ किया है उसी का

[श्री अब्दुल बाक़ी]

इशारतन तज़किरा है और तज़किरा है पिछले इलेक्शन्स के मुताल्लिक़। जहां तक इलेक्शन्स का ताल्लुक है मैं इन इलेक्शन्स की कार्यवाही को अलहदा से देखता रहा हूं। क्योंकि इस इलेक्शन में मैंने कोई हिस्सा नहीं लिया। अगरचे मेरे बाज़ दोस्तों को यह शुबहा है कि मैं भी खड़ा हुआ था। कभी-कभी एक नाम के होने की वजह से आदमी को शुबहा हो जाया करता है। मेरे ही जिले में मेरे नाम के एक कोमरेड (साथी) खड़े हुये थे जिनके बारे में मेरे दोस्तों को यह शुबहा हो जाता है कि वह मैं ही हूं। हां, तो मुझे इस इलेक्शन को दूर से देखने का मौका मिला इसलिये मैं समझता हूं कि जो कुछ मैंने राय कायम की है और जो कुछ इस मुल्क में बसने वालों की आवाज मैंने पहचानी है वह बड़ी हद तक सही हो सकती है और मैं ख्याल करता हूं कि वह है। इसमें कोई शुबहा नहीं कि कांग्रेस कामयाब हुई और जैसा कि ऐड्रेस में जिक्र किया गया है इस सूबे की गवर्नमेंट बड़ी स्टेबिल (स्थायी) गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन मैं कहता हूं कि कहीं ऐसी स्टेबिल न हो जाय कि चटख जाय। बहुत ज्यादा स्टेबिल होने से चटख जाने का शुबहा होता है। इस बार जो असेम्बली कांस्टीट्यूट (बनेगी) होगी उसमें जो अपोजीशन होगा वह सिर्फ कहने भर को अपोजीशन होगा। सही क्रिटिसिज्म (आलोचना) करने के लिये, मुल्क के सामने सही राय रखने के लिये वह नहीं होगा। अब भी मुल्क में एलेक्शन बहुत हो रहे हैं। एलेक्शन के बाद जो नतायज होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि खुद पार्टी को इत्मीनान होता है कि जो कुछ हुआ सही हुआ। मगर अक्सरियत की यह राय है कि फेयर (निष्पक्ष) नहीं हुआ। खुदा को मालूम है कि फेयर हुआ या अनफेयर हुआ। इसके ऊपर मैं अपना ख्याल जाहिर नहीं करना चाहता हूं।

इस ऐड्रेस (अभिभाषण) में गवर्नमेंट के कारनामे जो ६ साल में उसने किये, सबका जिक्र किया गया है। लेकिन गवर्नमेंट के उस पहलू का जो बरसात की रात से भी ज्यादा तारीक है कोई जिक्र नहीं है। यह कहा गया है कि पाइलट स्कीम के मातहत गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ और बलिया में कार्यवाही हो रही है। कार्यवाही हो रही है और उसका नतीजा भी कोई है। मैं समझता हूं कि अगर कोई कार्यवाही हो रही है तो वह बिल्कुल बेकार है। जैसा कि कांग्रेस के दो दोस्तों ने कहा कि वहां की हालत यह है कि गवर्नमेंट उनको कोई मदद नहीं देती है। बल्कि गवर्नमेंट ने तो वहां जाकर उनको और खतरे में डाल दिया है।

पूर्वी जिलों की हालत यह है कि गवर्नमेंट राशन देती है, मगर कितना? मिसाल के तौर पर मैं बतला दूं कि आजमगढ़ की आबादी २१ लाख है। कुल ६३ हजार आदमियों के लिये राशन है। बकिया २० लाख और कुछ हजार का तो राशन ही नहीं है। गवर्नमेंट को यह सोचना चाहिये कि जमींदारी एबालिश (विनाश) होगी ही, क्योंकि उसके रहने का वक्त नहीं है। उसकी उम्र ही खत्म हो गयी है और उसे खत्म होना चाहिये। मगर गवर्नमेंट जिस तरीके से, जिस निजाम के मातहत, जिस कानून के मातहत उसे खत्म करना चाहती है वह भी सही है कि नहीं? अभी तक गवर्नमेंट के सामने जो नजरिया था वह यह कि छोटे छोटे काश्तकार बुलन्द हो जायंगे, आजाद हो जायंगे। बुलन्द क्या हो जायंगे? उन्होंने तो अभी से अपनी होल्डिंग्स (जोतों) को फरोख्त करना शुरू कर दिया है। जो लैंड (भूमि) वाले लेबरर्स (श्रमिक) थे वे लैंडलेस लेबरर्स (भूमि-हीन श्रमिक) होते जा रहे हैं।

गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि जमीदारी एबालिशन की वजह से मुल्क में आजादी पैदा होगी और लोगों की हालत ज्यादा बुलन्द हो जायगी। आयन्दा जमाना बतलायेगा कि क्या होगा। एबालिशन आफ जमींदारी जिस तरह से की जा रही है, जिस कानून के मातहत एबालीशन हो रहा है उसका नतीजा क्या होगा। मुझे तो इसका नतीजा कुछ अच्छा नहीं मालूम होता है। मुझे तो बड़ा तारीक नतीजा मालूम होता है। नतीजा यह होगा कि एक जमींदार की जगह बहुत से जमींदार हो जायेंगे। चूंकि आपने उनको फरोख्त करने

का राइट (अधिकार) दे दिया है। दरअस्ल जमींदारी एबालिशन कोई सही इलाज नहीं है। इसका कोई रोशन पहलू नजर नहीं आता है। अभी तक तो इस पर अमलदरामद शुरू नहीं हुआ है। अमलदरामद होने के पहले मुल्क की यह हालत है। मशरिकी अजला की हालत यह है कि मेरे ख्याल में कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसको दो वक्त रोटी भी मिलती हो।

जनाबवाला, दुनिया की जितनी भी स्कीमें हैं, रूस ने जो कुछ किया, जर्मनी ने जितनी साइन्स में तरक्की की, अमेरिका ने जितने असलहा तैयार किये, उन सब को अगर इस मुल्क में लाकर रख दें तो भी इससे कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला है। नतीजा तो सिर्फ उसी वक्त मालूम होगा जब कि मुल्क की गिजाई हालत को, कपड़े की हालत को हम दुरुस्त कर लें। गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि चीजों के भाव बहुत गिर रहे हैं, लेकिन जहां तक मै समझता हूं वह भाव इस वजह से गिर रहे हैं कि लोगों की, मुल्क के रहने वालों की परचेजिंग कैपिसिटी (क्रय क्षमता) बाकी नहीं रही। वह चाहे आपके फेल की वजह से हो, चाहे उनकी नादानी की वजह से हो, लेकिन अब उनके अन्दर परचेंजिंग कैपिसिटी बाकी नहीं है। कंट्रोल जो मुल्क में है वह इस क़दर खराब है कि जिससे हर दुकानदार घबराया हुआ है। इस वास्ते यह सबब नहीं है कि यहां पर पैदावार बढ़ गई है। अगर एसा होता तो बाहर से गल्ले के मंगाने की नौबत क्यों आती ! जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा, इससे पता चलता है कि मुस्तकबिल में एक खतरा आने वाला है।

मेरे लायक दोस्त चाहे मुबारकबादी के मुस्तहक़ हों या न हों कि वह यहां पर रिटर्न (निर्वाचित) होकर आये हैं, लेकिन उनको इन मसायल पर गौर करना जरूरी है। कांग्रेस का मेजारिटी में यहां पर रिटर्न होना कोई महत्व नहीं रखता है। मसला तो यह है कि गल्ले का मसला, कपड़े का मसला, ज़मीन का मसला और करेक्टर का जो मसला है उनको कैसे हल किया जाय। अगर आपने एलेक्शन में २ लाख या ३ लाख रुपया सर्फ कर दिया तो उसके लिय आपको कोई (श्रेय) क्रेडिट नहीं है। क्रेडिट (श्रेय) तो आपको उस वक्त होगा जब इस मसले का हल निकल आयेगा। पिछले ६ साल निकल गये, आपने क्या किया? जब आपने इन ६ सालों के अन्दर ही हालत को ठीक नहीं किया तो अब क्या तवक्को आपसे की जाय? अगर आपने इन मसायल को हल नहीं किया तो आप नीचे जायंगे। अगर आपकी यही रफ्तार जारी रही तो न मालूम आप मुल्क को किस घाट पर ले जाकर छोड़ेंगे। मेरे सामने एलेक्शन का मसला कोई अहमियत नहीं रखता है। मेरे सामने तो मुल्क के दूसरे खतरनाक मसले हैं, उनका हल होना अहमियत रखता है।

इस ऐड्रेस में पंचायत राज का जिक्र किया गया है। उसका मैं दो लफ्जों में जिक्र कर देना चाहता हूं। अदालतों की तादाद बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। अगर मुल्क के अन्दर लड़ने वाले ज्यादा हों तो यह बात मुल्क के लिये अच्छी नहीं है, बल्कि इस बात का इशारा है कि मुल्क का कैरेक्टर खराब है। मैं यह देखता हूं कि पंचायत राज जब से कायम हुआ है मुक़दमेबाजी में काफी इज़ाफा हो गया है। इन पंचायतों ने जो काम किया है वह कोई काबिले सतायश नहीं है। जहां तक मैंने सुना है, देखा है और समझा है और निगरानी दाखिल करने का सवाल है उसको गलत हमेशा सुना है। एक काम जिसमें समझ की जरूरत है, दिमाग की जरूरत है, अगर आप उस काम को किसी नासमझ आदमी को दे देंगे और फिर उससे तवक्क़ो करेंगे कि वह काम अच्छा हो तो यह बात गलत है।

(इस समय ३ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता मंडल की सदस्या श्रीमती प्रकाशवती सूद पीठासीन हुईं।)

आपने पंचायत राज कानून में बहुत से इज़ाफे किये हैं जिसमें समझ की जरूरत है, दिमाग की जरूरत है, लेकिन उसका काम आपने ऐसे आदमियों के हाथों में दे दिया है जो कानून

[श्री अब्दुल बाक़ी]

को बिल्कुल नहीं जानते ह तो फिर यह तवक्को करना कि वह इस्लाह करेंगे, गलत बात हैं। उसमें यह प्रोवीजन है कि हर तीसरे साल वन थर्ड रिटायर (एक तिहाई निकल) हो जायंगे, लेकिन अब तो आपकी पंचायती अदालतें हैं उनको ३ साल से ज्यादा हो गया है, वे अभी तक रिटायर नहीं हुये ह। जो पंचायतें इस शक्ल में ह वह इल्लीगल बाडी (अवैध संस्था) है और सको और आगे बढ़ाने में मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट की क्या मसलहत है।

जनाबवाला, एक चीज और कह कर मैं अपनी तक़रीर खत्म करना चाहता हूं। यह तो इस तरफ और उस तरफ के सभी लोगों ने बिल इत्तफ़ाक़ मान लिया है कि मुल्क में गल्ले की पैदावार नहीं बढ़ाई जा सकी हैं। इसके लिये ईर्रीगेशन की जरूरत थी। पाइलट स्कीम का जिक्र किया गया, लेकिन कहीं पर भी आजमगढ़, बलिया, बस्ती और देवरिया कहीं भी वह चालू नहीं हुई और वही पामाली की हालत बदस्तूर है। कागज पर स्कीम है लेकिन जमीन पर उसका अमल नहीं है। इस एड्रेस (अभिभाषण) में कुछ बातों की तरफ इशारतन नहीं, बल्कि सराहतन जिक्र आना चाहिये था, कि आइन्दा आने वाली मिनिस्ट्री मुल्क के मसायल का किस तरह मुकाबिला करेगी कैसे उन को हल करेगी।

आखिरी चीज एजूकेशन की है जिसका बड़ा दावा सुनते थे लेकिन उसका भी पहलू चीरा तो एक क़तरा खून का न निकला। इस एड्रेस से मालूम हुआ कि एजूकेशन का खर्च ३ गुना बढ़ गया है। मुल्क की हालत यह है कि लोगों के पास पैसा नहीं है ऐसी हालत में एजूकेशन का खर्च तिगुना कर देना यह मुतजाद बातें हैं और जब इस तरह का कनफ़लिक्ट (संघर्ष) होगा तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इससे कहां तक एजुकेशन बढ़ सकता है अगर आप मुल्क को आगे बढ़ाना चाहत हैं तो यहां फ्री एजूकेशन होना चाहिये और इसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की होनी चाहिये। जो गवर्नमेंट इस मुल्क में है वह लोगों की और मुल्क की माली हालत नहीं सुधार सकी और लोगों को खुशहाल नहीं बना सकी और न लोगों का कानफ़ीडेंस (विश्वास) ही हासिल कर सकी। ऐसी हालत में ऐसी गवर्नमेंट को तो खुशी से हट जाना चाहिये। मेरी जाती राय है कि इस एड्रेस में मुल्क की तरक्की की बात तो बरसात की रात से भी ज्यादा तारीक है। कोई हल या कोई नक़शा लेजिस्लेचर के सामने मुल्क के मामलात को हल करने का नहीं रखा गया है। एलेक्शन में क्या-क्या हुआ उस पर मुझे कहने की जरूरत नहीं है। दोनों तरफ से काफी कहा जा चुका है। ५ वर्ष में आइन्दा क्या होगा और जो नतीजे पैदा होंगे वह आप को देखने हैं। जो बच्चे पैदा होगें उनकी परवरिश आपको करनी हैं। इस एड्रेस पर इतना कहकर मैं अपनी तक़रीर को यहीं खत्म करता हूं।

श्री कुंजबिहारी लाल शिवानी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री चतुर्भुज शर्मा के प्रस्ताव का समर्थन करने और विरोधी दल के लोगों की बातों का उत्तर देने के लिये खड़ा हुआ हूं। चुनावों की निष्पक्षता के संबंध में कहा गया और चार्ज यह भी लगाया गया है कि एलेक्शन गलत तरीके से हुये और कुछ लोगों ने जाहिर किया कि उनको ताज्जुब हुआ एलेक्शन के नतीजे से। मैं उन को बतलाना चाहता हूं कि ताज्जुब तो हमें भी हुआ कि हमको इतनी अप्रत्याशित सफलता मिली। कुछ लोगों का कहना है कि बैलट बाक्सेज खोले गये। ताज्जुब यह है कि इतनी बातें जो कही जाती हैं, वह ३ तारीख के बाद जब से एलेक्शन के नतीजे खुलने शुरू हुये उसके बाद ही यह बातें कही गई। पहले जितने विरोधी थे अखबारों में यही छाया करते रहे कि हमारी बड़ी भारी सफलता है, बड़ी भारी विजय की आशा है और बहुमत हमारे साथ है लेकिन एलेक्शन के नतीजे सामने आने पर जब उनकी आंखें खुलीं, तो उनको इस क़दर मायूसी हुई। सबसे बड़ी बात जो इस एलेक्शन में हुई वह बैलट सीक्रेसी की बात है और वही सफलता का कारण है। और वही इस बार बैलट बाक्सेज की सीकरेसी (गोपनीयता) और सेन्कटिटी (पवित्रता) बाक़ी रही। जब आप वोटर के पास जाते हैं तो वह आपकी हां में हां मिला देता है। वोटर का रवैया मैंने बहुत देखा है। उसके ऊपर जमींदारों का और पूंजीपतियों का असर था। जब ये लोग किसी वोटर के पास जाते थे तो वह उन्हें आश्वासन दे देता था। कुंवर गुरुनारायण साहब ने

कहा कि जिससे उन्होंने पूछा उसीने कहा कि उसने उनको और उनकी पार्टी को राय दी है, तो वह कैसे यह आशा करते हैं कि कोई उनको सही-सही बात बतला देगा ? इसी लिये तो वोट की सीक्रेसी रखी गयी है। उनको किसी से यह पूछने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे ज़िले में भी कांग्रेस के विरोध में बहुत सी पार्टियों ने संयुक्त मोर्चे बनाये और बहुत प्रचार किया और बुराइयां कीं। लेकिन जब कभी भी मतदान का समय आया तो उन्होंने राय कांग्रेस को ही दी। इससे सिद्ध होता है कि हमारी पार्टी को जनता का विश्वास अभी भी प्राप्त है।

हमारे कुछ मित्र प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं। वे कहते हैं कि यह होना चाहिये और वह होना चाहिये। लेकिन वे लोग एक बात भूल जाते हैं। पहले मैं अपने उन मित्रों के लिये कहूंगा जोकि हमारे ही अंग थे। पहले उन्होंने यह बात कही कि इलेक्शन जल्दी होना चाहिये वरना यह तानाशाही बन जायगी चूंकि यह सरकार इलैक्टेड (निर्वाचित) नहीं है। हमारे भाई इस बात को भूल जाते हैं कि प्रजातंत्र के अन्दर यह बात निहित है और यही हमारी पार्टी ने भी किया है कि पहले तो आपको एक कांस्टीट्यूशन दिया और फिर उसके अनुसार चुनाव कराये। विरोधी दल तो होता ही इसलिये है कि वह विरोध करे और यही आप अपना फर्ज समझते हैं। आप बहुमत दल की नीयत पर हमला करते हैं। यह सब प्रजातंत्र के अन्दर निहित है।

जहां तक यह कहा गया कि माननीय राज्यपाल ने यह नहीं बतलाया कि आगे आने वाल ५ वर्षों में सरकार का क्या प्रोग्राम होगा, इसके लिये तो उन्होंने अपने प्रवचन में कहा है कि वह चीज नये लैजिस्लेचर के सामने आवेगी।

किन्हीं साहब ने चीन की मिसाल दी कि वहां दो साल में बहुत तरक्की हो गई है। लेकिन वह इस चीज को भूल जाते हैं कि डेमोक्रेसी में तो देर लगना अवश्यम्भावी है। यहां कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं कि कोई भी क़ानून फौरन पास हो जाय और लागू हो जाय। जहां तानाशाही थी वहां ५-७ साल में बहुत तरक्की हुई। जर्मनी और इटली की मिसालें हमारे सामने हैं। हिटलर ने सन् ३३ में शासन की बागडोर संभाली और ३९ में उसने अपने देश को इतना मजबूत बना दिया कि उसने ६ साल तक दुनिया से टक्कर ली। यही चीज मसोलिनी ने की। ज़रा से देश में उसने भी ८० लाख आदमियों की फ़ौज खड़ी कर दी। जो लोग चीन की मिसाल देते हैं व इस बात को भूल जाते हैं कि सन् १९११ में वहां सामन्तशाही का अन्त हुआ और सन् १९२५ तक सन्-यात-सेन ने उस देश के उत्थान के लिये प्रयत्न किया। इसके अलावा वहां कभी दूसरे मुल्क का राज्य नहीं रहा। वहां ऐसा नहीं हुआ कि दो-ढाई सौ साल तक एक ऐसी क़ौम की गुलामी बर्दाश्त करनी पड़ी हो, जिनका रहन-सहन, जिनकी संस्कृति उनसे भिन्न हो। चीन कभी गुलाम नहीं रहा, उसका कभी बटवारा नहीं हुआ। आज अन्न की जो समस्या हमारे सामने है वैसी समस्या वहां नहीं है। तो अगर वहां दो वर्ष के अन्दर सरकार के बदल जाने से कोई परिवर्तन हो गया तो हमारे मित्र यह भूल जाते हैं कि वहां सन् १९११ से सन् १९२६ तक एक शासन नहीं रहा है और इस जमाने में क़रीब-क़रीब एक करोड़ की फ़ौज वहां रही है और वह फौज उनके मुल्क की तरक्की के काम में आ रही ह। यदि हमने अपना प्रजातंत्र का विधान बनाया तो यह तो अवश्यम्भावी है कि देर लगे।

हमारे मुल्क में काश्मीर प्रान्त में शेख अब्दुल्ला ने एकदम से जमींदारी प्रथा को क़रीब क़रीब खत्म कर दिया। लेकिन हमारे यहां हमारे जमींदार भाइयों की मेहरबानी से आज छः वर्ष हो गये, लेकिन यह नौबत नहीं आयी कि हम जमींदारी विनाश क़ानून को लागू कर सकें और अपनी जनता को कोई फायदा पहुंचा सकें। तो जो लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि सरकार ने यह नहीं किया, वह नहीं किया और साथ-साथ डेमोक्रसी का दम भरते हैं उन्हें यह जानना चाहिये कि डेमोक्रेसी में तो यह बात निहित है कि सब लोगों की राय से काम होता है और इस वजह से देर होना अवश्यम्भावी है। मैं समझता हूं कि कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है कि जिसने इतनी सदियों के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की हो और इन साढ़े चार वर्षों में जितनी तरक्की हमारे मुल्क ने की उतनी तरक्की की हो। हमारे

[श्री कुंजबिहारी लाल शिवानी]

सामने जितनी विषम परिस्थितियां पैदा हुईं वैसी किसी दूसरे मुल्क में नहीं पैदा हुईं। आज योरोप वाले बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा मुल्क इंडस्ट्रियली (उद्योगों में) बहुत डेवलप्ड (विकसित) है, लेकिन वहां भी लड़ाई को खत्म हुये छः वर्ष से अधिक हो गये फिर भी वहां बहुत से शरणार्थी आज भी पड़े हुये हैं, जिनको वहां की सरकारें बसा नहीं पाई हैं। हमारे देश में लगभग एक करोड़ शरणार्थियों की समस्या थी और जिस खूबी से हमारी सरकार ने इस प्रश्न को हल किया उसकी विदेशी भी तारीफ करते हैं।

बैलट बाक्सेज की सैंक्टिटी का बहुत जोर-शोर से जिक्र किया गया। क्या उस समय उनके कार्यकर्त्ता नहीं थे जबकि बैलट बाक्सेज सील किये गये थे? उनका यह कर्तव्य था कि वे उनको देखें। यह कहा गया कि बैलट बाक्सेज खोल लिये गये। यह बिलकुल निराधार बात है। मेरे जिले में भी इस क़िस्म का प्रचार किया गया कि बैलट बाक्सेज के ऊपर उम्मीदवारों की तस्वीर तब्दील कर दी गयी और एक बाक्स की तस्वीर दूसरे में लगा दी गयी। जब उनको इस बात का यह जवाब दिया गया कि बाक्स के अन्दर भी तस्वीर रहती है तो वे निरुत्तर हो गये। हमारे विरोधियों ने अंग्रेज़ों का ज़िक्र किया कि वे बहुत निष्पक्षता से काम करते थे। शायद विरोधी दल इस बात को भूल गया कि अंग्रेज साथ ही साथ एक खिलाड़ी भी था और किस तरीके से अपनी हार को प्रसन्नता से स्वीकार करता था। मुझे इस एलेक्शन में काफी कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे तो अपने विरोधियों में एक ही विरोधी ऐसा नजर आया जिसने बड़ी खुशी के साथ अपनी हार स्वीकार की। बजाय इसके कि विरोधी पक्ष के लोग हमारी नियत पर हमला करें या बैलट बाक्सों के संबंध में आरोप लगायें या और कोई बहाना लें, उनको यह मानना चाहिये कि जनता ने यह मत प्रकट किया और उसकी सैंक्टिटी (पवित्रता) को मानना चाहिये। चुनाव का नतीजा खुल जाने के बाद बजाय इसके कि अपनी हार को प्रसन्नता क साथ स्वीकार करें यह कहना कि बैलेट बाक्स तोड़े गये, निराधार चीज है। अगर स्थान की कमी है, काफी स्थान नहीं हैं और बैलेट बाक्स को किसी दूसरी जगह पर रखना पड़ा और पुलिस के पहरे में, तो यह कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे कोई शक व शुबहा ज़ाहिर हो सके।

मेरे कुछ मित्रों ने भारतवर्ष में कम्युनिज्म आने का बहुत जोरों से जिक्र किया है। म कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष की संस्कृति और सभ्यता ऐसी है जहां बहुत सी कौमें आईं, हूण आये, शक आये, मंगोल आये, लेकिन आज उनका कोई नामोनिशान नहीं है। अंग्रेज भी आये और शायद कुछ दिनों के बाद उनका भी नामोनिशान न रहे। अगर भारतवर्ष महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलेगा तो सिवाय इसक कि गांधीवाद का प्रचार हो, इसकी कोई आशा नहीं है कि यहां कम्युनिज्म पनप सके। हमने सदा विरोधियों की बातों की कद्र की, हमने हमेशा दूसरे धर्म के मानने वालों की कद्र की। भारतवर्ष ऐसा देश है जहां की सभ्यता और संस्कृति ने बहुत से देशों से टक्कर ली, लेकिन अब भी हमारी कौम जिन्दा है और उनका नामोनिशान बाकी नहीं रहा।

मैं कुछ शब्द, महामान्य राज्यपाल न पंचायत राज के संशोधन का जो जिक्र किया है, उसके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। पंचायत राज कानून बनाकर हमने गांव-गांव में एक स्वतंत्र गवर्नमेंट के सिद्धांत को लागू किया। अगर इस पंचायत राज में ऐसा संशोधन हो कि बजाय इसके कि जो अदालती पंचायतें मुकर्रर हैं उन्हीं के द्वारा न्याय हो, एक पैनेल बना दिया जाय, जिसमें हर एक पार्टी को यह मौका दिया जाय कि वह उस पैनेल में से अपने पंच मुकर्रर कर सके, जैसा कि आर्बिटरेशन (मध्यस्थता) के पंचों का सिद्धांत है तो वह ज्यादा मुफीद होगा। इसमें ऐसे संशोधन की आवश्यकता है।

जहां तक महामान्य राज्यपाल के संबोधन में अन्न का जिक्र किया गया है उसके संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने १८३ हजार टन गल्ला कम मंगाया, लेकिन यदि हम अन्न की समस्या ठीक करना चाहते हैं तो हमें चाहिये कि छोटी-छोटी स्कीम, खासतौर से पानी देने की स्कीमों पर, विचार करें। हमें प्रसन्नता है कि सरकार ने बांध बनवाये और कांस वगैरह की स्कीम जारी की, लेकिन अगर हम छोटी-

छोटी बंधियों, तालाबों, कुओं, वगैरह पर ध्यान दें और ६ करोड़ रुपये में से, जो कि सरकार को गल्ले के लिये खर्च करना पड़ता है, ४ करोड़ रुपये भी छोटी-छोटी बंधियों, तालाबों और कुओं वगैरह का प्रबन्ध करने में लगा दें तो हमारे प्रान्त में बहुत जल्दी ही अन्न की समस्या हल हो सकती है।

मैं इन शब्दों में माननीय मित्र श्री चतुर्भुज शर्मा के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--समानेत्री जी, जो तरमीम मेरे भाई श्री त्रिलोकी सिंह जी ने पेश की है मैं उसकी ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं जानता हूं कि उस तरफ के बैठने वालों को हैरत व इस्तेजाब होगा, आश्चर्य और अचम्भा होगा, कि ऐसा फर्द, एक ऐसा व्यक्ति, जो चुनाव में हार चुका है और हारा ही नहीं बल्कि बुरे तौर से जिसकी जमानत जब्त हो चुकी है, वह आज इस ऐवान में, इस भवन में इस बात की जुर्रत करे कि महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन पर जो तरमीम पेश हुई है उसके ऊपर कोई तक़रीर करे। लेकिन मैं साफ कह देना चाहता हूं कि मुझे जरा भी नदामत नहीं है, मुझे जरा भी क्षोभ नहीं है। दो बरस पहले जब मैंने कांग्रेस छोड़ी थी तभी मुझे पूरा यकीन था कि यह कांग्रेस और यह कांग्रेस की हुकूमतें इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जा सकती हैं। अब मैं आज खुदावन्दकरीम का शुक्रिया अदा करता हूं, ईश्वर की कृपा समझता हूं कि उसने इस दो वर्ष के बीच में मेरे पैरों में कहीं भी लग़जिश पैदा नहीं होने दी। यहां तक कि चुनाव के पहले पं० जवाहर लाल नेहरू साहब ने भी एक जोरदार अपील निकाली थी, लेकिन मैंने उस वक्त भी यही समझा था कि पं० जवाहर लाल नेहरू साहब भी इस देश को तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जा सकते हैं और मेरे पैरों में उस वक्त भी कोई लगजिश नहीं आई। आज मेरा कांशेंस क्लियर (हृदय निर्मल) है। मैं अपना सर उठा कर आज भी तकरीर कर सकता हूं चाहे मेरी जमानत भले ही जब्त हो गई हो।

यह जो राज्यपाल का सम्बोधन है उसके एक हिस्से में उन्होंने चुनाव के बारे में कहा है, जिसके ऊपर तरमीम भी पेश हुई है। मैं चुनाव में जो बदउनवानियां हुई हैं उनका कोई ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता। मुझे तो एक फारसी का मिसरा याद आता है कि "चहे दिलावर अस्त दुजूदे कि बकफ़ चिरागे दारद"। और मैं क्या कहूं। इसके अलावा मैं बदउनवानियों के मुताल्लिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन हां, कुछ गौरतलब बातें हैं, जिनकी तरफ मैं समझता हूं सरकार को तवज्जह करनी चाहिए। मुझे हैरत हुई, क्योंकि मैंने सन् ३६ और ३७ के भी चुनाव लड़े, सन् ४६ का भी चुनाव लड़ा। उस वक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जीवित थे और उन चुनावों के वक्त वह कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे और उस वक्त कांग्रेस का बड़ा बोलबाला था, कांग्रेस की कुरबानियां, कांग्रेस का असर उस वक्त ऊंचाई पर था। कांग्रेस वाले पूजे जाते थे। लेकिन उस वक्त भी इस प्रदेश में कांग्रेस ने इतनी बड़ी विजय नहीं प्राप्त की जैसी अच्छी विजय इस चुनाव में प्राप्त हुई है। यह सोचने की बात है। मैं आप हज़रात से दरख्वास्त करूंगा कि जरा आप इसके ऊपर भी गौर करें।

दूसरी बात, जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं वह यह है कि मुझे ताज्जुब इस पर भी होता है कि इतनी जबरदस्त फतैहयाबी के बाद भी आप की आंखें नहीं खुल रही हैं। इससे ज्यादा और क्या कामयाबी चाहते हैं। कुल ३९ आदमी विरोधी दल के चुने गये है, लेकिन जहां-जहां वे ३९ आदमी चुने गये हैं वहां हालत आज यह हो रही है कि इतना ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है और इस बात का जवाब तलब किया जा रहा है कि आखिर ३९ आदमी हो कैसे गये। आज मैनपुरी से, फतेहपुर से, गोरखपुर से तमाम शिकायतें इस किस्म की आ रही हैं कि जो एक-दो भूले-भटके चुन भी गये हैं आखिर वह चुने क्यों गये? डिप्टी कमिश्नर्स से जवाब तलब किया जा रहा है कि आखिर वह क्यों चुने गये? मेरे पास इस तरह की शिकायतें आई हैं। मैंने यहां के आई० जी० पुलिस को भी लिखा है कि वह इसके ऊपर मुनासिब कार्रवाई करें। मैं सरकार की भी तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। आज जब आपके इतने आदमी चुने गये हैं इससे भी आपको

[श्री गोपाल नारायण सक्सेना]

इत्मीनान नहीं हुआ है अब भी आप संतुष्ट नहीं हैं। तो आप किस रास्ते पर जा रहे हैं? मैं चाहूंगा कि इसकी भी तहकीकात जरूर की जाय। मैंने इसीलिए जिलों के नाम दे दिये हैं। खासतौर से मैनपुरी से बेहद शिकायतें आ रही हैं।

दूसरे एक बात की तरफ मैं और तवज्जह दिलाना चाहता हूं। बहुत कहा जा रहा है कि रुपया कम खर्च हुआ इन चुनावों में। मैं तो यह कहूंगा कि सरकार एक तहकीकात करा ले कि जो प्रेस्काइब्ड लिमिट (विहित परिसीमा) थी कि इतना खर्चा होना चाहिए कितने उम्मीदवारों ने उस प्रेस्काइब्ड लिमिट के अन्दर खर्चा किया है। अगर तहकीकात हो जाय तो मैं यह जानता हूं कि चाहे जो लोग भी चुने गये हों शायद हर एक का एलेक्शन नाजायज हो जायगा क्योंकि मुझे यकीन है कि हर शख्स ने उस लिमिट को क्रास (उल्लंघन) कर दिया है।

और दूसरी तरफ भी तवज्जह करनी है। कुछ इशारा राजाराम जी ने उस तरफ किया था कि पूंजीपति जीते, रुपये वाले जीते, राजे-महाराजे जीते। कांग्रेस हारी, किस से? पूंजीपतियों से हारी, राजा-महाराजाओं से हारी। गरीब आदमी तो दस-पांच इधर-उधर आ गये हैं वरना नहीं। यह भी गौर करने की बात है।

बहुत कहा जाता है कि पं० जवाहर लाल को एलक्शन में सब से ज्यादा वोट मिले। मगर मैं पूछता हूं कि क्या यह वाकया नहीं है कि चार सौ आदमी, औरतें काश्मीर से आए। उनके क्षेत्र में उन्होंने काम किया। जरा सोचा तो जाय कि इन चार सौ आदमी, औरतों का आने-जाने का खर्चा, उनके पंद्रह रोज के खाने का खर्चा कितना होता है। इसका अगर हिसाब लगाया जाय तो मालूम होगा, कांग्रेस ने कितना खर्च किया है। मैं तो दावे से इस बात को कह सकता हूं कि इस एलेक्शन में कोई भी इमानदारी से नहीं कह सकता कि उसने प्रेस्काइब्ड लिमिट के अन्दर खर्चा किया है।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम (निर्माण मंत्री)——हारने वाले भी?

श्री गोपाल नारायण सक्सेना——मेरे ख्याल में हारने वाले भी नहीं कह सकते। उन्होंने जरूर इससे ज्यादा खर्चा किया होगा। जिसके पास रुपया ही न हो वह बात दूसरी है, लेकिन जिसके पास रुपया होगा उसने जरूर खर्चा किया होगा। मुझे इसमें शक नहीं है।

दूसरे इसी सिलसिले में आज ही मेरी नजर से गुजरा। काउंसिल का चुनाव होने जा रहा है। एक नई चीज आज देखने में आयी। एक नोटिफिकेशन निकला है कि यह जो पोस्टल बैलेट्स हैं यह मैसेंजर के हाथ भी भेजे जा सकते हैं। आज तक जो चुनाव हुए, यूनिवर्सिटी के चुनाव में भी और दूसरे चुनावों में भी आज तक मैसेंजर को इजाजत नहीं दी गयी कि वह ला कर बैलेट पेपर को दाखिल करे। मैं समझता हूं कि सरकार को अपनी तरफ से एलेक्शन कमिश्नर को लिखना चाहिए कि इसमें बहुत नाजायज बातें हो सकती हैं। इसकी इजाजत एलेक्शन कमिश्नर न दे कि मैसेंजर के जरिये से यह बैलेट पेपर्स लाये जा सकें। मैंने जैसा पहले ही अर्ज किया था मैं चुनाव के बारे में जो बदउनवानियां हुईं, जिनका लोगों ने जिक्र किया उनका मैं जिक्र करना नहीं चाहता। यह तो आपके सोच-विचार के लिए मैंने कुछ बातें कहीं।

लेकिन मेरे मित्र बादशाह गुप्त साहब ने मेरे मित्र श्री चतुर्भुज शर्मा के शुक्रिया के प्रस्ताव की ताईद करते हुए एक बड़ी ताज्जुबखेज बात कह दी। उन्होंने फरमाया कि इस एलेक्शन के दौरान में चोरी, डकैती भी बन्द हो गयी। मालूम नहीं वह चोर, डकैत कहां चले गये? क्या वह एलेक्शन में काम कर रहे थे? किस तरफ से कर रहे थे? यह तो गुप्ता जी ही जानते होंगे। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जरा वह इस बात की तहकीकात तो करे कितने चोर, डकैतों ने इस एलेक्शन में काम किया और किस की तरफ से काम किया और चोरी-डकैती छोड़ दी।

वक्त कम है इसलिए मैं ज्यादा रोशनी न डाल सकूंगा। एक एतराज किया गया कि यहां चुनाव का ही ज्यादा जिक्र हुआ। असल बात यह है कि इस सम्बोधन में किसी नई चीज का जिक्र ही नहीं है। हम किस बात पर नुक्ताचीनी करें। ६ वर्ष का ब्योरा सामने रखा गया और

सरकार जानती है कि इन ६ वर्षों में हम लोगों ने काफी नुक्ताचीनी की । जो-जो बातें इस सम्बोधन में मौजूद हैं उन सब के बारे में हम लोग पिछले बजट में नुक्ताचीनी कर चुके हैं। आपका ऐलीगेशन (अभियोग) गलत है। हम लोग जितनी भी बातें उसमें हैं उन पर ६ वर्ष तक नुक्ताचीनी करते रहे और कर चुके। कोई नई बात इस सम्बोधन में हमारे सामने तो आयी नहीं और स्वयं राज्यपाल ने कहा कि आइंदा बजट के वक्त जब वह सम्बोधन करें उस वक्त वह शायद कोई नयी नीति रखेंगे। उस वक्त मैं ऐवान में न हूंगा लेकिन बाहर से नुक्ताचीनी करूंगा। मुमकिन है कि पांच वर्ष तक हमारी आवाज़ इस ऐवान के अन्दर न सुनाई पड़े, लेकिन बाहर जरूर सुनाई पड़ेगी क्योंकि जैसा मैंने कहा मेरे पैरों में लगजिश नहीं आई है और न मेरे दिल में कोई चोर है। लेकिन मैं इस सम्बोधन के बारे में क्या कहूं, हां, म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव का इसमें जिक्र नहीं है। आज आठ या सात वर्ष हो चुके । कम से कम वह तो ऐसी चीज़ थी जिसका जिक्र इस सम्बोधन में होना चाहिए था कि म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव कब होने जा रहे हैं । मालूम नहीं कि बोर्ड्स सुपरसीडेड (अवक्रान्त) हैं। आज कौंसिलों का चुनाव होने जा रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी हकतलफी होने जा रही है। अगर लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड और गोरखपुर बोर्ड सुपरसीडेड (अवक्रान्त) न होते तो उनके वोट भी कौंसिल में होते। इसलिए यह तो सरासर हकतलफी हो रही है कि उनकी कोई नुमाइन्दगी कौंसिल में नहीं होने जा रही है।

इस सम्बोधन में कम से कम इस बात का भी जिक्र होना चाहिए था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव कब होने जा रहे हैं। पंचायतों के बारे में कहा गया है कि उनके लिए आर्डिनेंस एक वर्ष के लिए हो गया है, क्योंकि उसके लिए वक्त नहीं था और वह नहीं हो सकता। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के एलेक्शन के बारे में जिक्र नहीं है। तो हम क्या इस सम्बोधन के बारे में जिक्र करें। जो गौर तलब बातें थीं वह मैंने आपके सामने कहीं और मेरी फिर दरख्वास्त है कि जिन बातों की तरफ तवज्जह दिलाई गई है उसकी कम से कम तहकीकात होनी चाहिए क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस की विजय हुई और उसको बड़ी जबर्दस्त कामयाबी हासिल हुई । लेकिन जिन लोगों ने वोट दिये वे भी आज मातम मना रहे हैं। आज उनके चेहरों पर वह शिगुफ्तगी नहीं है। जो चुनकर आ भी गये हैं, वे परेशान हैं और सोचते हैं कि क्या कर सकेंगे। कांग्रेस के नेता भी कहते हैं कि जनता ने इतना बड़ा भार उनके ऊपर डाल दिया है इसको संभालना चाहिए। सही बात है कि पांच वर्ष का फिर वक्त है । पांच वर्ष तो आपने खो दिये, लेकिन आइन्दा पांच वर्ष का फिर एक मौका है और जैसा मेरे मित्र केशव गुप्त जी ने फरमाया यह मुल्क तो कम्युनिज्म की तरफ जा रहा है उनको इसमें जरा शक नहीं है कि यहां कम्युनिज्म आने वाला है। मुमकिन है उनकी धारणा सही हो। मैं अपने दिल से उसको रोकना चाहता हूं कि वह रुक जाय और सोशल डिमोक्रेसी कायम हो, लेकिन अगर आप अब भी अपनी गलती न महसूस करेंगे और अब भी अपनी आंखे न खोलेंगे तो यह देश, यह भारतवर्ष किस तरफ जायगा कुछ कहा नहीं जा सकता।

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी——माननीया सभानेत्री जी, सदन के सामने राज्यपाल महोदय ने जो संबोधन किया है मैं उसी में से कुछ बातों को ले कर अपनी सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा। जहां तक चुनाव का संबंध है उसमें तो काफी विवाद हुआ और आगे भी होगा । यह काम तो हम अपने विरोधी मित्रों के लिए ही छोड़ रहे हैं।

इस संबोधन में एक जगह पर महामान्य राज्यपाल ने छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज और मजदूरों के संबंध में कुछ यह कहा था कि हां हमने इस प्रांत में मजदूरों के लिए बहुत बड़ी सुविधायें कर दीं। उन सुविधाओं को गिनते हुए आप बताते हैं कि श्रमिक हितकारी केन्द्र खोल दिये गये, मजदूरों के मुकदमों को जल्दी करने के लिए सुविधा कर दी गई और साथ ही साथ मजदूरों का जीवन स्तर ऊंचा करने के लिये प्रबन्ध किया गया। मुझे आप क्षमा करें और मेरी इस आवाज को वहां तक पहुंचाने की कृपा करें कि यह सब बातें लिखने की तो जरूर हैं, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं है। अभी तक वस्तुतः इतने दिन तक श्रमिक हितकारी केन्द्रों को काम करते हो गया, लेकिन गवर्नमेंट यह तय नहीं कर सकी कि ये केन्द्र मजदूरों के लिए हैं या जनता के लिए हैं या सरकारी

[श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी]

अफसरों के लिए हैं। वहां कुछ ऐसा सार्वजनिक रूप से कार्य हो रहा है कि मजदूर उससे कोई लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

इसी तरह से मुकदमों की बात है। मुकदमों के सम्बन्ध में मैं राज्यपाल महोदय का ध्यान गवर्नमेंट के १५ मार्च, सन् ५१ के निकले हुए आर्डर की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें यह कहा गया है कि कोई मुकदमा ३० रोज के अन्दर कंसिलियेशन आफिसर (संराधन अधिकारी) के यहां से खत्म होगा। फिर गवर्नमेंट के पास आयेगा और मालूम नहीं कितने दिन यहां रहेगा। उसके बाद गवर्नमेंट तै करेगी कि यह मुकदमा ट्रिब्यूनल (न्यायाधिकरण) के पास जाय या नहीं। वह मुकदमा फिर ४१ रोज ट्रिब्यूनल के पास रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज तक कोई भी मुकदमा ट्रिब्यूनल के सामने या कंसिलियेशन आफिसर के सामने गया उसमें कोई भी ऐसा फैसला नहीं हुआ जिसमें सरकार से समय मांगा हो और सरकार ने न दिया हो। मैं तो कहता हूं कि जो भी समय निश्चित किया जाय उसकी पाबन्दी की जाय ताकि उन मजदूरों का जो अपना समय खराब करते हैं और कानपुर जैसे शहर में ६ ६ महीने मारे मारे फिरते हैं और जिनके खाने-पीने और रहने-सहने का कोई इंतजाम नहीं होता, उनको कुछ राहत मिल सके।

दूसरी बात मैं राज्यपाल महोदय को यह याद दिलाना चाहता हूं कि अगला भाषण जब उनका हो तो इस बात पर भी वह विचार करें कि जितने मुकदमे हुए वह कानून में परिणत किये गये या नहीं। मैं बताऊं कि वह भी हालत बहुत खराब है। ऐसी दशा में मजदूरों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। किसी कारण से वह दबा हुआ है। वह चाहे मरघट जैसी शांति हो, लेकिन वास्तविक शांति उनमें नहीं है।

इधर कुछ दिनों से चीजें सस्ती हो रही हैं, होना भी चाहिए थीं। कानपुर की सारी की सारी मिलें बन्द हो चुकी हैं और हजारों की तादाद में मजदूर गलियों में घूम रहे हैं। इसके साथ ही साथ खतरा यह है कि इसका असर कपड़े और शकर के कारखानों पर भी पड़ेगा। इस तरह से दूसरी तरफ हमें बेकारी का मुकबला करना पड़ेगा। इसके लिए जरूरत यह है कि जिन कामों को सरकार ने पैसे की वजह से रोक रखा था यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (सार्वजनिक निर्माण-विभाग) की तरफ से मैं चाहता हूं कि उन कार्यों को शुरू किया जाय ताकि बेकार मजदूरों को दूसरी तरफ लगाया जाय और उनके खाने का प्रबंध किया जाय।

तीसरी चीज मजदूरी की शरह के सम्बन्ध में है। राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में इसका भी जिक्र था। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, में वह भी नीचे की श्रेणी के मजदूरों की तनख्वाह ३० रुपये नियत की गई है, लेकिन दूसरे व्यवसायों के मजदूरों के न्यूनतम वेतन के सम्बन्ध में कोई निर्णय अभी तक नहीं किया गया है। कहा जाता है कि बार-बार यहां यह चीजें उठाई जाती हैं। लेकिन कहना इसलिए पड़ता है कि इस तरफ कोई कदम नहीं उठाया गया है। मैं चाहता हूं कि इन चीजों पर ध्यान दिया जाय और मंत्रिमंडल अपने बजट भाषण के समय इन चीजों का ध्यान रखे, उस वर्ग की तरफ जिसकी तरफ से देश की उन्नति होना है उसकी तरफ ध्यान रखे।

नवाब मुहम्मद जमशेद अली खां—जनाबवाला, इस एड्रेस के सिलसिले में जो जेरे बहस है मुझे कोई लम्बी-चौड़ी चीज कहने या तकरीर करने की जरूरत नहीं है। मुझसे पहले जिन-जिन साहबान ने तकरीर की है उन्होंने तकरीबन जरूरी जरूरी सारे प्वाइंट्स हाउस के सामने पेश कर दिये हैं। बहरहाल मौसमी चीज जो इस वक्त यहां है वह इलेक्शन्स हैं, जो अभी हाल में ही हुए हैं। इलेक्शन के बक्सों के मुताल्लिक बहुत कुछ कहा गया, बहरहाल मुझे उनके बारे में कोई जाती तजुरबा नहीं है। क्योंकि मैं इलेक्शन्स में खड़ा नहीं हुआ था। जो इसमें खड़े हुए थे उनको जाती तजुरबा इसका है। उस तजुरबे की बिना पर उन्होंने जो कुछ फरमाया, उसके मुताल्लिक मैं राहजनी करने का मजाज नहीं रखता हूं।

दूसरी चीज इसी के मुताल्लिक यह भी अर्ज करूंगा कि जितनी चीजें यहां इलेक्शन्स के बारे में कही गई हैं वे फिर जब इलेक्शन पेटीशन दायर होंगे उनके सिलसिले में कही जायेंगी और वे फिर ट्रिब्यूनल के सामने आयेंगी और उसका जो भी फैसला होगा वह सही होगा। लेकिन इन इलेक्शन्स के सिलसिले में मैं यह कहने के लिए तैयार हूं, इस वास्ते कि मैं उन लोगों में से हूं

जो अपोजीशन का फर्ज सिर्फ यह नहीं समझते हैं कि हर तरीके पर, हर मौके पर, गलत या सही गवर्नमेंट की नुक्ताचीनी की जाय और उसकी गलती निकाली जाय, बल्कि मैं तो यह समझता हूं कि गवर्नमेंट की जो चीज नुक्ताचीनी के काबिल है उसको बिला किसी खौफ व तरदीद के कहना चाहिए, लेकिन जो मामलात ऐसे हैं, जहां हम देखें कि गवर्नमेंट की जानिब से यह चीज सही तरीके पर की गई है तो उसको सही कहना चाहिए ।

जनाब वाला, इस सिलसिले में मैं यह अर्ज करूंगा और कम से कम मैं अपने जिले के मुताल्लिक यह कह सकता हूं कि आफिसरान ने अपना प्रेशर बिलकुल इस्तेमाल नहीं किया । अपने जिले के मुताल्लिक मैं यह कहता हूं कि हरगिज भी आफीशियल्स ने कोई तरीका ऐसा नहीं बरता कि जिसके बारे में यह कहा जा सके कि उन्होंने दबाव या किसी और गैरवाजिब तरीके से वोट हासिल करने की कोशिश की । यह गवर्नमेंट आफीशियल्स और गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बेहतर और मुफीद चीज है ।

जहां तक आफिसरान की काबलियत का ताल्लुक है उन्होंने अपना फर्ज बड़ी काबलियत से अंजाम दिया । यह मुमकिन था कि इलेक्शन के सिलसिले में झगड़े और फसाद हो जाते, ला एंड आर्डर (शान्ति एवं व्यवस्था) में किसी किस्म की खराबी वाकय हो जाती, लेकिन मुझे यह देखकर बड़ी मसर्रत होती है कि सूबे के इलेक्शन्स बड़ी शान्ति और सकून के साथ अमल में आये। कांग्रेस के उन मेम्बर साहबान को, जो कामयाब हुए हैं और कांग्रेस की जमात ने, जो गैरमामूली कामयाबी हासिल की है, मैं यह जरूर कहूंगा कि इस मौके पर दो-चार अल्फाज उन हजरात की खिदमत में अर्ज कर दूं । वह इस कामयाबी से, जो इस वक्त उनको हासिल हुई है और सूबे ने जो अपने कांफीडेंस को, अपना एतमाद और एतबार उन्होंने रखा है उसकी पूरी कद्र व कीमत उनको देनी चाहिए और उसका पूरा खयाल रखना चाहिए । इस इलेक्शन के बाद मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट मुनज्जम होगी उसका यह फर्ज है कि वह इस तरीके से अपना काम शुरू करे जैसे क्लीन स्लेट पर नये नक्शे बनाये जा सकें । आप सूबे की स्लेट पर ऐसा नक्शा बनावें कि आप अपना फर्ज समझ सकें और सूबे का कोई भी फर्द हो, कोई भी जमात हो उसको तो पूरा हक हासिल है कि वह गवर्नमेंट से दरियाफ्त करे कि आपने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है, आपने अपने कंधों पर बोझ डाला है लिहाजा आपका फर्ज है कि हमारी तकलीफों को और हमारी परेशानियों को दूर करें । उस वक्त आप का यह सोचना कि किसने हमारी मुखालिफत की थी या किसने हमारे मुआफिक राय दी थी यह गवर्नमेंट के लिए शायानेशान नहीं है । मुझे उम्मीद है कि वे लोग, जिनके ऊपर, कांग्रेस जमात के ऊपर लोगों ने अपना एतमाद जाहिर किया है वे इस चीज का पूरा-पूरा खयाल रखेंगे और उनकी बनायी हुई गवर्नमेंट भी इसका पूरा-पूरा खयाल रखेगी । बेशक, मुबारकबाद का मौका जरूर है उन हजरात के लिए जो इस एलेक्शन में कामयाब हुए हैं, लेकिन उसके साथ ही मुझे उनके साथ हमदर्दी भी है । वह हमदर्दी यह है कि एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गयी है, तमाम मुल्क की जिम्मेदारी उनके कंधे पर आ गयी है, क्योंकि हमारा सूबा इतना बड़ा है कि हमारा सूबा ही तमाम मुल्क है । लिहाजा वे इस खुशी के अन्दर , इस मशर्रत के अन्दर यह न भूल जायं कि एक बड़ी जिम्मेदारी मुल्क के एलेक्टोरेट (मताधिकारियों) ने उनके कंधों पर रखी है ।

इस इलेक्शन के सिलसिले में मुझे यह देखकर निहायत मशर्रत हुई कि एलेक्टोरेट की अक्सरियत की जमात ने इस बात का पूरा सबूत दे दिया कि उसने इस एलेक्शन के अन्दर कहीं कम्युनल रंग नहीं आने दिया । मुझे इस सिलसिले म अफसोस होता है कि बाज-बाज ऐसे साहबान जो कांग्रेस की हुकूमत में हैं उन्होंने अपनी जबान से और किसी खास जमात के मुताल्लिक यह अल्फाज निकाले कि उस जमात ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया कि कांग्रेस को धोखा दिया। मैं यह समझता हूं कि यह गलत है और वाकये के भी खिलाफ़ है । उनकी जबान से भी अच्छा नहीं मालूम होता है कि इस किस्म की बातें करें । इस उसूल के मातहत तो हर हिन्दू, जिसने कांग्रेस के खिलाफ राय दी वह भी आ सकता है । हालांकि मैं यह बतला दूं और साफ नाम लेकर कहूंगा कि मेरे देश के इस इलेक्शन के अन्दर खुदा का शुक्र है कि मुसलमानों को इतनी तमीज हुई, उनको अक्ल आयी और उन्होंने समझा कि कांग्रेस ही एक ऐसी जमात है, जिसको

[नवाब मुहम्मद जमशेद अली खां]

साथ लेकर और जिसको कामयाब करने के बाद इस मुल्क की भलाई, इस मुल्क की अच्छाई, इस मुल्क का इन्तजाम और ज्यादा अच्छा और बेहतर हो सकता है। ज्वायंट एलेक्टोरेट (संयुक्त निर्वाचन) का यह नया और पहला तजुर्बा था, जो इस मुल्क में किया गया। मुझे खुशी व मशर्रत है कि यह तजुर्बा कामयाब साबित हुआ। आज यह मुमकिन है कि कहा जाय कि मुसलमानों को टिकट कम तादाद में मिले। लेकिन जहां तक एलेक्टोरेट का ताल्लुक है जो मुसलमान कांग्रेस को जानिब से उनके सामने पेश किये गये उनके लिए पूरे तौर पर पूरी जिम्मेदारी के साथ फिरकेवाराना खयाल हटा कर अपने वोट उन्हें रिकार्ड किये। जहां तक ज्वायंट एलेक्टोरेट का ताल्लुक है उसमें बहुत कामयाबी हासिल हुई और इससे हम समझ सकते हैं कि ज्वायंट एलेक्टोरेट कैसी कामयाबी के साथ अपने फरायज को अंजाम दे सकता है। और उसे अपनी फर्ज अदायगी का अहसास भी होगा।

गल्ले की पैदावार के ऊपर ऐड्रेस में काफी तजकिरा किया गया है। मैं इस वक्त इस हाउस का कुछ ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। इस सिलसिले में सिर्फ दो-तीन बातें सीधी साधी कहूंगा। मैं यह अर्ज करूंगा कि इस सूबे में गल्ले की पैदावार बढ़ाने के ऊपर, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन (व्यापक कृषि) के लिए बहुत काफी रुपया सर्फ किया जा चुका है। जितने बड़े रकबे को जेरेकाश्त लाया जाय, मैं इसके मुखालिफ में नहीं हूं। लेकिन इस वक्त हमें सब से बड़ी जरूरत है कि हमारे यहां इन्टेन्सिव कल्टीवेशन (घनी कृषि) किया जाय। जो काश्तकार एक मन पैदा करता है वह दो मन पैदा करे। मैं यह कहूंगा कि हमारे मिनिस्टर इन्चार्ज एग्रीकल्चर (कृषि भार-साधक मंत्री) बजाय इतनी कसीर रकम को गल्ला बढ़ानें पर खर्च करनें के अगर वह यह तरीका अख्तयार करें तो बहुत फायदा हो सकता है। हम अपने यहां के काश्तकारों से यह कहें कि हम तुमको ज्यादा रुपया देंगे अगर तुम १ मन के बजाय २ मन पैदा करो। मैं समझता हूं कि इसमें कामयाबी हासिल होगी। जहां तक गल्ले का ताल्लुक है हमको दूसरे मुल्कों की तरफ देखना पड़ता है और उसके लिए एक कसीर रक़म सर्फ करनी पड़ती है।

(इस समय ४ बजकर १३ मिनट पर माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

लिहाजा में यह अर्ज करूंगा कि आनरेबिल मिनिस्टर आफ एग्रीकल्चर इस पर तवज्जह करें। पहले चीज जरूर कुछ मुश्किल सी लगती है, लेकिन फिर बाद में कामयाबी होने की उम्मीद की जा सकती है।

आखिर में एक-दो जुमले जमींदारी के खात्मे के मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूं। जहां तक आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवन्यू की कामयाबी का ताल्लुक है, जमींदारी अबालिशन की कामयाबी का ताल्लुक है उनको कामयाबी हो चुकी है। उसके मुताल्लिक मामला जो अदालत के सामनें पेश है उसका यहां पर जिक्र करना बेकार है। बहरहाल जहां तक क़ानून का ताल्लुक है जमींदारी का खात्मा हो चुका है। मैं जनाब की वसातत से यह अर्ज करूंगा कि उनके पास इसके बाद क्या आल्टरनेटिव स्कीम (वैकल्पिक योजना) है, जिससे उन हजारों-लाखों आदमियों को रिहैबिलिटेट (पुनर्वास) किया जायगा जो जमींदारी के खात्मे पर बेकार हो जायंगे और सड़कों पर भीख मांगते फिरेंगे। उनको बसाने के लिये क्या आपने स्कीम सोची है। मैं नहीं समझता कि कोई स्कीम कोई लेजिस्लेशन विधान सरकार पास करेगी बिला सोचे-समझे। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेविन्यू ने इसकी तरफ गौर नहीं किया होगा। कितने मुलाजमीन बेकार हो जायंगे, कितनों की फेमिली बरबाद हो जायगी। इस जमींदारी के खात्मे के बाद यह उन्होंने जरूर गौर किया होगा और कोई न कोई प्लान उनके दिमाग़ में जरूर होगा, ताकि कोई मुसीबत इस सूबे में न खड़ी हो जाय। मैं चाहता था कि इस एड्रेस में उसका जिक्र होता लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस एड्रेस के अन्दर उसका जिक्र नहीं है। मैं कोई लम्बी-चौड़ी तक़रीर नहीं करना चाहता था। मेरा तो सिर्फ यही मकसद था जो मैंने आपके सामने रखा। अब मैं इन अल्फाज के साथ अपनी तक़रीर खत्म करता हूं।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त (अन्नमन्त्री)—जनाब स्पीकर साहब, राज्यपाल के संबोधन केसंबंध में प्रदेश की खाद्य परिस्थिति के सिलसिले में चन्द बातें विरोधी दल के नेता और सामने की बेंचों पर बैठने वाले सदस्यों ने की हैं। बढ़ने वाली क़ीमतों के संबंध में भो कुछ बातें उधर कही गई हैं। मुझे कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती थी कि मैं इस विषय पर अधिक प्रकाश डालने की कोशिश करूं, क्योंकि संबोधन में उन तमाम कारणों का ज़िक्र कर दिया गया था जिन कारणों से ऐसी सम्भावना हम महसूस कर रहे हैं कि हमें अनाज की क़ीमतें बढ़ानी पड़ें। माननीय सदस्यों को यह भलीभांति ज्ञात है कि पिछले वर्ष से गेहूं की प्राइस (मूल्य) बढ़ी है। जनवरी सन् ५१ में जो गेहूं यहां आता था वह बम्बई के पोर्ट पर सरकार को १५ रुपया मन मिलता था और उसको यहां तक लाने में २ रु० ८ पाई पड़ते थे जिसमें और दूसरे खर्च भी शामिल हैं। जुलाई ५१ में गेहूं की क़ीमत बम्बई पोर्ट पर १८ रुपये ६ आने हो गई और खर्च वही २ रुपया ८ पाई यहां तक लाने का रहा। इसके बाद अभी केन्द्रीय सरकार ने हमें सूचित किया है कि इस मास से गेहूं वह २० रुपया ६ आना मन देगी और वही खर्च २ रुपया ८ पाई उसको लाने का पड़ रहा है जो हमें देना पड़ेगा। तो ये आंकड़े इस बात को साफ ज़ाहिर करते हैं कि किन कारणों से हमें तै करना पड़ेगा कि हमें गेहूं की क़ीमत प्रदेश में कितनी रखनी चाहिए।

माननीय सदस्यों को यह याद होगा कि जुलाई के मास में और प्रदेशों की सरकारों ने अपने अपने क्षेत्रों में गेहूं को क़ीमतें बढ़ा दी थीं जब से कि केन्द्रीय सरकार ने १८ रुपया ६ आना मन बम्बई पोर्ट पर देना प्रारम्भ किया था, लेकिन उस वक्त बढ़ती हुई क़ीमतों को सामने देखकर और मिडिल क्लास की हालत को देखकर कि वह बढ़ती हुई क़ीमत बरदाश्त न कर सकेगी, हमने यह कोशिश की कि इन्हीं क़ीमतों को जारी रखा जाय और न बढ़ाया जाय, परन्तु दुर्भाग्य-वश अब केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि वह लखनऊ, कानपुर नगरों के सिलसिले में जो सबसिडी (राज सहायता) हम को देती थी वह अब न देगी और साथ ही उसने दूसरे प्रदेशों के नगरों की सबसिडी (राज सहायता) भी बन्द कर दी है। तो इन्हीं तमाम कारणों से हम महसूस कर रहे हैं कि हम इस लम्बे चौड़े ख़र्च को बरदाश्त न कर सकेंगे। इसीलिए हम अभी विचार कर रहे हैं कि अब गेहूं की क़ीमत किस दर पर निर्धारित करें। हम जानते हैं कि आज भी हमारे प्रदेश में और हमारे प्रदेश के नगरों की जनता और खास कर मिडिल क्लास इन बढ़ती हुई क़ीमतों को नहीं बरदाश्त कर पा रही है, लेकिन हमें सोचना है कि प्रदेश की आमदनी और खर्च को सामने रख कर हम अपने बजट को कैसे सफल बना सकते हैं। इसी वजह से सम्बोधन में यह बात बतला दी गई है कि अगर हम अपने प्रदेश में मौजूदा क़ीमतें क़ायम रखें और राशन व्यवस्था क़ायम रखें तो हमें ६ करोड़ के करीब ख़र्च करना पड़ेगा। हमें देखना है कि हम ६ करोड़ के ख़र्च को बरदाश्त कर सकते हैं या नहीं। अगर हमने क़ीमत में तब्दीली की तो उसके यही कारण हैं जिनको मैंने आप के सामने रखा है। हम नहीं चाहते कि क़ीमतें बढ़ें और हम बराबर गवर्नमेंट आफ इंडिया पर ज़ोर देते रहे हैं और फूड मिनिस्टर्स कांफ्रेंस में भी हमने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रदेश की सरकार बढ़ती हुई क़ीमतों को बरदाश्त नहीं कर सकती जब कि गवर्नमेंट आफ़ इंडिया इस सबसिडी (राज सहायता) को बन्द करना चाहती है जो वह आजकल दो नगरों को गल्ले के सिलसिले में दे रही है। इसी कारण से हमें गेहूं की क़ीमत के विषय पर विचार करना है। अभी हमने क़ीमत बढ़ाने का निर्णय नहीं किया है और यदि कैबिनेट ने यह किया तो उसके लिए दुख का विषय होगा। परन्तु अपने ख़र्च और आमदनी को देखते हुए तो हमें यह निर्णय करना ही पड़ेगा।

पूर्वी जिलों की खाद्यस्थिति का भी यहां ज़िक्र किया गया है। वहां की खाद्य स्थिति शोचनीय रही है और ख़ासकर मई सन् ५१ से। उसके कारण भी हमारे सामने समय-समय पर, और इस हाउस के सामने आते रहे हैं। पिछली मर्तबा भी वहां सूखा पड़ गया और रबी और खरीफ़ की दोनों फ़सलें ख़राब हो गईं। अतः वहां सरकार ने आस्टिरिटी प्राविज़निंग की योजना चलाई है। यह स्कीम क़रीब १६,८७१ गांवों में लागू है, जिनमें ५१,३६,२७८ प्राणी रहते हैं। अब तक १३,३०,६४४ मन ग़ल्ला वहां इस योजना के अन्तर्गत बांटा जा चुका है। आज भी वहां यह स्कीम चल रही है और हमारे वहां के गोदामों में क़रीब साढ़े तीन लाख टन ग़ल्ला मौजूद है। हम लगभग ४ लाख टन और भेजने का प्रबन्ध कर रहे हैं। हमने उन क्षेत्रों

[माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त]

में जो लैंडलैस लेबरर्स (भूमिहीन श्रमिक) हैं और जिनके पास रुपया गल्ला खरीदने के लिए नहीं है, उनके लिए गल्ला खरीदने के साधन भी दिये हैं। हमने वहां टेस्ट वर्क्स खोले हैं और उन लोगों को रोजगार दिया है। इसके साथ साथ वहां रवेन्यू और रेंट में भी रेमिशन्स छूट दिये गये हैं। उन क्षेत्रों की जनता को आज बहुत ही परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। जो रक़म वहां अब तक खर्च हुई है उसके आंकड़े ये हैं :

	बहराइच जिला	बस्ती जिला	गोंडा जिला	आजमगढ़ जिला
स्क्रेयर डिपार्टमेंट	३५५ हजार रुपया	४५ हजार रुपया	१०१ हजार रुपया	२० हजार रुपया
फारेस्ट	५०	..	..	..
पी० डब्ल्यू० डी०	७३	..	२०७	..

बहराइच, बस्ती और मिर्जापुर में हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों के डिस्पोजल पर कुछ रुपया इसलिए भी रखा है कि वह उन लोगों को गल्ला खरीदने के लिए दिया जाय जो गल्ला खरीद ही नहीं सकते थे। तक़ावी भी वहां बांटी गई है जिससे वहां के लोग सीड्स और बैल वग़ैरह खरीद सकें। ये आंकड़े मेरे सामने हैं और रेंट और रेवेन्यू रेमिशन के आंकड़े भी हैं, लेकिन उनको हाउस के सामने पढ़कर हाउस का समय नहीं लेना चाहता हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार की ओर से बराबर इस बात की चेष्टा रही है कि इन स्थानों के रहने वाले जो आज एक दयनीय-शोचनीय अवस्था से गुजर रहे हैं उन्हें सरकार की ओर से अधिक से अधिक मदद दी जाय जिससे वहां की खाद्य स्थिति में सुधार किया जा सके। मुझे इस बात के स्वीकार करने में कि वहां की स्थिति शोचनीय रही है, कोई गुरेज नहीं है। मैं जानता हूं कि यह मेरे लिए, सरकार के के लिए और जनता के लिए बड़ी परेशानी और कठिनाई की बात रही है ताहम सरकार की ओर से सदैव इस बात की चेष्टा रही है कि अधिक से अधिक गल्ला और अधिक से अधिक सुविधा यहां के क्षेत्रों के रहने वालों को दी जाय। जब जब हमारे पास सूचनायें आयी हैं कि किसी अमुक स्थान में गल्ले की कमी है वहां आस्टिरिटी प्राविज़निंग (मिताहार योजना) के अन्तर्गत हमने गल्ला भिजवाने का प्रयत्न किया है। आज भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि प्रदेश की खाद्य अवस्था बिलकुल सुधर गयी है, परन्तु जिस तरह से हमने खाद्यावस्था को सुधारने की चेष्टा की है उसके अन्तर्गत सदैव हमारी यह भावना रही है कि प्रदेश का रहने वाला कोई भी भूख से न मरे और हमने उसमें सफलता प्राप्त की है, यह हम गर्व के साथ कहते हैं। आज खाद्य समस्या का विषय ऐसा नहीं है जिसे हम कोई राजनीतिक दलबंदी के कारण ऐसा फैलाने की कोशिश करें कि जिससे जो चीज हमारे बीच में नहीं है उसका भय प्रतीत होने लगे। मेरा इस भवन के सदस्यों से यह अनुरोध है कि जिस तरह से पहले उन्होंने सदैव इस खाद्य समस्या के सुलझाने में हमारी मदद की है, आज भी जब प्रदेश कठिनाइयों से गुजर रहा है हमारे इस भवन के सदस्यगण और इस प्रदेश की जनता और वे हमारे साथी और सहयोगी जो अब इस भवन के सदस्य नहीं रहेंगे, उनका सहयोग और उनकी कृपा हमारे ऊपर इसी प्रकार बनी रहेगी जिस प्रकार उन्होंने अब तक इस समस्या को हल करने में हमें सहयोग प्रदान किया है, जिसके द्वारा हम इस समस्या का निराकरण कर सकेंगे और जनता की जो तकलीफ़ें हैं उनका निवारण कर सकेंगे। इस विषय के ऊपर और अधिक न कहते हुये मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी ओर से हमेशा इस बात की कोशिश जारी रही है और आज भी जारी है कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स या प्रदेश के और वे हिस्से जहां गल्ले की कमी है वहां हम अपनी कोशिशों के द्वारा गल्ले की कमी न रहने देंगे। अधिक न कहते हुए मैं उस सहयोग के लिए, जो सदैव इस विभाग के कर्मचारियों को और मुझे आप लोगों से मिला है उसके लिये आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष—अगर पांच ही बजे तक आज हम लोगों को बैठना है तो ग़ालिबन अब मौक़ा नहीं है किसी और को बोलने का। अगर माननीय सदस्य चाहें तो यह सदन वक्त बढ़ा सकता है। अगर कोई साहब इसकी तजवीज करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री फ़खरुल इस्लाम——जी हां, समय बढ़ा दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष——इस तरह नहीं। मुझे समय बढ़ाने का अधिकार नहीं है। आप बाक़ायदा तजवीज़ पेश करें और तब मैं हाउस की राय लूंगा।

श्री फ़खरुल इस्लाम——तजवीज़ करनी है या सजेशन देना है?

माननीय अध्यक्ष——अब तो क़ायदे के अन्दर तजवीज़ करनी होगी। वैसे १०-१५ मिनट के लिए तो कोई हर्ज नहीं है, वह तो मैं बैठ सकता हूं।

श्री फ़खरुल इस्लाम——मैं तजवीज़ नहीं पेश करना चाहता हूं।

श्री चतुर्भुज शर्मा——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों को, जिन्होंने इस विवाद में हिस्सा लिया धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं यह महसूस करता हूं और मेरे खयाल में इस सदन के सब सदस्य इस बात को महसूस करेंगे कि प्रस्ताव को रखते हुये मैंने जो अपील सदन के माननीय सदस्यों से की थी उसका माननीय सदस्यों ने ध्यान रखा और जिन लोगों ने भी इस वाद-विवाद में भाग लिया उन्होंने अपने को संयत कर के अपने भावों को एक संयत भाषा में और अपने को एक तरह से दबा करके कहने की कोशिश की।

मुझे थोड़ी सी बातों का जवाब देना है। इस विवाद में ज्यादातर चुनाव के बारे में ही कहा गया और वह एक लाजमी चीज़ है, क्योंकि हाल का तजुर्बा है। अपने अपने तजुर्बे हैं। और मैं महसूस करता हूं कि जो जो तजुर्बे माननीय सदस्य को महसूस हुये उसको उन्होंने जेन-रेलाइज (सामान्यीकरण) करके सब के लिए अपने तजुर्बे को लागू कर दिया। इत्तिफ़ाक से ऐसा हुआ कि विरोधी दल की बेंचेज से जिन माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया, एक साहब को छोड़कर ज्यादातर वह लोग थे कि चुनाव में कामयाब नहीं हुये और जिस सज्जन ने हिस्सा लिया है वह चुनाव में खड़े नहीं हुये थे, मुझे खुशी है कि उन्होंने इस बात का सर्टीफिकेट दिया कि चुनाव बिलकुल फेयर (न्यायोचित) हुये और अधिकारियों ने अच्छी तरह से काम किया और चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, और यह भी एक इत्तिफाक की बात है कि विरोधी दल के सदस्यों की तरफ से नुक्ताचीनी हुई, इत्तिफक से मैं इत्तिफाक ही कहता हूं—कुछ ऐसा रहा कि जिनको जितनी बुरी डिफीट (पराजय) इस चुनाव में हुई उन्होंने उतने ही बुरे तरीके से चीज़ों को पेश किया।

माननीय अध्यक्ष——मैं इस तरीके से आक्षेप की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री चतुर्भुज शर्मा——मैं आक्षेप नहीं करूंगा। मैं सिर्फ यह अर्ज कर रहा था कि इस डिबेट (वाद-विवाद) में जो हिस्सा लिया गया उसमें किस तरह से लोगों के भाव रहे।

मैं अब यह कहना चाहता हूं कि जो यह चुनाव की पद्धति की बाबत, बैलेट बाक्सेज़ की बाबत आक्षेप लगाये गये हैं आखिर उसकी शुरूआत कहां से हुई। जो बैलेट बाक्सेज़ बने उनमें वोट पड़े, उनके वोटों की गिनती हुई, इन चीजों के अलग अलग स्टेजेज (प्रक्रम) हैं। श्रीमान्, आप देखेंगे कि जब बैलेट बाक्सेज बने तो किसी ने एतराज़ नहीं किया। जब वोट पड़े, किसी ने किसी तरह का एतराज नहीं किया जब गिनती शुरू हुई तो मेरा खयाल है बहुत कम उम्मेदवारों ने दरख्वास्तें एतराज की दी हों। श्रीमान्, मैं यह बात बतलाऊंगा कि कहां से यह शुरूआत शिकायतों की होती है। मैं कहता हूं कि तमाम पार्टियां जो हमारे देश में हैं वे अनजाने में एक विशश प्रोपेगेंडा के (दूषितप्रचार) शिकार हो गये। चुनाव में अनजाने में वे एक ऐसी पार्टी की टेक्निक में फंस गये, जिसकी टेक्निक हमारी टेक्निक से बिलकुल विरुद्ध है।

मैंने शुरू में अर्ज किया था कि श्रीमान् जी, यहां जो पार्टियां बैठी हुई हैं वे सब महात्मा गांधी की पद्धति से, कार्य करने की शैली से, किसी न किसी तरह से प्रभावित हैं, लेकिन एक ऐसी पार्टी मुल्क में है, जिसकी टेक्निक दूसरी है। जो कामयाबी को पहला स्थान देती है और मीन्स (साधन) को कोई चीज नहीं समझती, और वह पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। दुर्भाग्य से हमारे यहां जो बैठी हुई पार्टियां हैं उन्होंने चुनाव में वह टेक्निक, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोपगेंडा

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

(प्रचार) को अपनाया यानी कि हुकूमत को, कांग्रेस को किसी न किसी तरह से बदनाम किया जाय, यह कम्युनिस्ट पार्टी ने नारा दिया और विरोधी पार्टियों ने, जिनका उससे घोर विरोध है जैसे जन संघ, जमींदार पार्टी आदि उन्होंने भी उस नारे को अपनाया जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का नारा था।

मैं यह बतलाना चाहता हूं कि चुनाव के बारे में जो यह चला कि चुनाव इम्पार्शल (निष्पक्ष) नहीं हुये इसकी शुरूआत कहां से हुई। कम्युनिस्ट पार्टी के रेडियो से, मास्को रेडियो से, यह एलान चुनाव होने पर जारी हुआ कि हिन्दुस्तान में आफिसर्स की बाकयादा ट्रेनिंग दी गई थी बैलेट बाक्सेज के पेपर्स कैसे एक से बदल कर दूसरे में डाले जायं। रूस में कम्युनिस्ट पार्टी के अखबारों में यह निकाला गया कि हिन्दुस्तान में एक कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़ रही है जो जनता की पार्टी है और एक गवर्नमेंट पार्टी चुनाव लड़ रही है जिसमें सब पार्टियां शामिल हैं। क्या बदकिस्मती है। हालत यह है कि कांग्रेस एक तरफ से चुनाव लड़ रही थी जिसे चुनाव ने साबित किया कि जनता की पार्टी है और सब पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर, लेफ्ट से लेकर राइट तक, जितनी पार्टियां थीं वह सब मिलकर कांग्रेस का विरोध कर रही थीं। लेकिन मास्को रेडियो, और कम्युनिस्ट पार्टी का यह प्रोपेगेंडा था, जो हिन्दुस्तान में आया और हिन्दुस्तान के कम्युनिस्टों ने किया और अनजाने में, सबकांशसली (जान-बूझकर) या अनकांशसली (अनजाने) हमारे यहां की पार्टीज ने उसको अख्तियार कर लिया कि बैलट बाक्सेज बदले गये। मैं कहता हूं कि यह बिलकुल गलत है। यहां के बैठने वाले माननीय सदस्य इस बात का एहसास करेंगे और अगर वह सही तरीके से इसकी छानबीन करेंगे कि क्या यह मुमकिन हो सकता है तो उसको इस बात पर यकीन हो जायगा कि दरअस्ल यह बैलेट बाक्सेज बदले ही नहीं जा सकते थे।

मैं यह कहूंगा कि जब बैलेट पेपर्स इशू (जारी) किये जाते हैं, उनके नम्बर दिये जाते हैं। एक बूथ में कई गांव लगे होते हैं। उसके नम्बर दिये होते हैं और दसियों क्लार्क्स वहां मौजूद रहते हैं और सील होने के बाद सैकड़ों क्लार्क्स के हाथ में वह चीजें चली जाती हैं। इस चीज के लिये कि एक बैलेट बाक्स के पेपर्स दूसरे में डाल दिये जायं सैकड़ों आदमियों को मिलाना पड़ेगा।

एक जरा सी कांसपिरेसी (षड्यन्त्रों) मामूली तरह से खुल जाती है, लेकिन जैसा कि कहा गया कि पेटी क्लार्क्स ने काम किया, एक राजा साहब ने कहा कि पेटी क्लार्क्स बदल सकते हैं, लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि उन पेटी क्लार्क्स को आप भी बदल सकते हैं। आप एक जगहभी बतलाइये और कांसपिरेसी (षड्यन्त्र) खोलिये कि फलां इंसटैंस (उदाहरण) है कि इसमें बैलेट बाक्स बदले गये। आखिर पेटीशन का आपके यहां प्राविजन (उपबन्ध) है। यह हो सकता है कि कहीं गलतियां हुई हों, कहीं किसी बैलट बाक्स में सील लगने से रह गई हो या टूट गई हो। मैं अपने यहां कह सकता हूं, श्रीमान् जी, कि वहां भी यह बैलट बाक्सों के बदलने की हवा फैली। लोगों से कहा गया कि तुम लिख दो कि बैलेट बाक्स टूटे हुये थे, लेकिन उम्मीदवारों ने इन्कार किया कि हम इतने पतित नहीं हैं कि सही को गलत बतलायें। तो भी कुछ लोगों ने जो तजुर्बेकार बनते थे कोशिश यह की कि पेपर की जो सील लगती है उसमें दस्तखत किये जाते हैं अगर चाहें तो एजेंट्स दस्तखत कर सकते हैं कि यह सही है। लोगों ने कहा कि उसको उंगली से देखो। आंख से देखने की चीज को उंगली से देखने की कोशिश की गई और दरख्वास्त दी गई कि बैलेट बाक्स टूटा था तो सब तरह के उदाहरण मिल सकते हैं। तो यह टेक्निक जो आम टेक्निक है यह कम्युनिस्टों की चलाई हुई है। यह उनकी टेक्निक है, उनका प्रोपेगेंडा है, जिनकी नीति दूसरी ही है। आज साथ ही साथ में उसका नतीजा भी बतला दिया गया और यह बतलाया गया कि जो चीज बैलेट से भी न होगी तो बुलट से तो होगी। यह किसकी बात है? यह किसका टेक्निक है। हमारे मित्रों ने भी वही चीजें कीं। हमें यहां प्रजातंत्र को पनपाना है। उसके लिए ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। दो-एक गलतियां हो सकती हैं, मैं मानता हूं कि किसी व्यक्ति से गलती हो गयी हो। लेकिन उसको

जनरलाइज करना और सारे के सारे आफिसर्स को कंडेम (गर्हण) करना, सारे एलेक्शन के सिस्टम को कंडेम करना यह प्रजातंत्र की पद्धति को बढ़ावा देना है या उसको जमींदोज करना है। हमारे मुल्क में जो एलेक्शन हुआ, प्रजातंत्र को बहुत अच्छी कामयाबी उस में मिली। सारे मुल्कों में आपकी तारीफ है और अगर उससे फायदा होगा और हमारी साख अंतर्राष्ट्रीय जगत् में बढ़ी तो उससे फायदा न केवल कांग्रेस पार्टी को होगा बल्कि पूरे मुल्क को होगा और जैसा कि नतीजा आप के सामने है सारे मुल्क का फायदा हो रहा है। दूसरे मुल्कों की सरकारें हमारे देश को इज्जत की नजर से देखने लगी हैं। कुछ लोग हैं, जिनका टेक्निक हमसे बरअक्स है वह डेमोक्रेसी की कामयाबी को नहीं चाहते। तो वह एक नारा दे सकते हैं। लेकिन उनमें वह पार्टियां शामिल हों जो प्रजातंत्र की पद्धति में विश्वास रखती हों तो मैं समझता हूं कि वह सही नहीं है।

एक चीज यह कही गयी कि जवाहरलाल जी के नाम पर वोट दिये गये। इसमें शक नहीं कि कांग्रेस की एक साख है। उसके नेता सौभाग्य से पं० जवाहरलाल नेहरू हैं। हमारे देश का यह दुर्भाग्य है और कोई दूसरा उनके टक्कर का नेता नहीं है। फिर भी जयप्रकाश नारायण और कृपलानी जी दूसरे नेता हैं, जिनके ऊपर मुल्क को इस बात का फख्र है कि वह सच्चाई की कद्र करते हैं। अगर यह कहा जाय कि जवाहर लाल जी हिन्दू कोड बिल के जरिये से बहन-भाई की शादी कराना चाहते हैं, जवाहर लाल जी गऊ हत्या को बढ़ावा देना चाहते हैं तो क्या इस का जवाब भी न दिया जाय, उनकी तारीफ भी न की जाय कि उन्होंने मुल्क की कितनी खिदमत की है, उन्होंने मुल्क के लिए क्या क्या किया है और क्या क्या करना चाहते हैं। तो अपने नेता की बात कहना क्या अनुचित है। पब्लिक को गलत तरीके से भुलावा दिया जा रहा था पब्लिक उस भुलावे में नहीं आयी।

जहां तक एलेक्शन में खर्चे का सवाल है एक साहब ने कहा कि बहुत बड़ा खर्चा किया गया। मेरा खर्चा, जो लिमिट है उसके एक-चौथाई से भी कम है। लेकिन मैं जानता हूं कि विरोध में ऐसे आदमी बैठे हुये हैं जिनका खर्चा चुनाव की लिमिट के दुगना नहीं चौगने तक पहुंचा है।

चुनाव के नतीजों से मालूम होता है कि जहां पर कांग्रेस विरोधी जीते हैं वे बेकवर्ड एरियाज हैं। वे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर डेमोक्रेसी व कांग्रेस का प्रचार बहुत कम हुआ है। लेकिन आम-तौर पर यह साबित हो गया कि हमारे यहां डेमोक्रेसी सफल हुई है। कुछ जगह लोग गलत-फहमी में आ गये। दूसरे देशों में गलतफहमी के कारण एलेक्शन उलट जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया था अपने मुल्क में वोटरों ने कामनसेंस और इंटेलीजेंस स काम लिया। उसने फैसला ठीक किया। कहीं कहीं मजहब का नाम, कहीं कहीं कास्ट और जाति-बिरादरी का नाम और कहीं कहीं पैसा काम कर गया, लेकिन ज्यादा सही कामनसेंस (समझदारी) ने काम किया। भीड़ आपके कैम्पों में ज्यादा दिखाई दी, लेकिन उन्होंने वोट बैलों के बक्स में डाले।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को इस सदन के सामने रखता हूं और इस दरख्वास्त से कि चूंकि यह आखिरी सत्र है। हमारी असेम्बली का, हमारे माननीय मित्र त्रिलोकी सिंह जी अपने संशोधन को वापस कर लेंगे जिससे हमारे इस भवन की शान बढ़े।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम—जनाब स्पीकर साहब, मैं अपोजीशन के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो तकरीरें इस ऐवान में कीं उनसे मुझको यह महसूस हुआ कि उन्होंने इस ऐवान की और खास तौर पर इस मौके की शान और अजमत को सामने रख कर तकरीरें कीं। जो रिजोल्यूशन (संकल्प) इस ऐवान के सामने रखा गया और उस पर जो तरमीम मेरे दोस्त श्री त्रिलोकी सिंह साहब ने पेश की उस पर मुख्तलिफ तरीकों से बहस हुई और ज्यादातर यह बात बहस में आई कि यह एलेक्शन जो हो चुके उनमें क्या हुआ।

मैंने जितनी तकरीरें सुनीं अपोजीशन की उनसे मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह बात कहना कि यह एलेक्शन वाकई मानों में फ्री ऐंड फेयर है। (स्वतंत्र एवं न्यायसंगत) एक बिलकुल सच्ची बात है। इस बात को

[माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम]
अपोजीशन के मुकर्रिरों के तकरीरों से मैं इसलिये और भी अक्श करता हूं कि एक तो उन्होंने कोई बात ऐसी बतलाई नहीं कि जिसकी बिना पर किसी अनफेयरनेस का चार्ज (अनौचित्य का अभियोग) लग सकता हो। दूसरे यह कि उनकी तबियतों का उनकी तकरीरों के ट्रेंड से जो अन्दाजा होता था वह यह था कि उनका कनविक्शन (विश्वास) यह इजाजत नहीं देता है कि वह उसके खिलाफ कोई बात कहें। मैं इस मामले में अपनी तरफ से कुछ ज्यादा अर्ज करना नहीं चाहता। कुछ बातें कही गईं। उनमें से एक बात यह है और उसमें भी मैं बाद में अर्ज करूंगा कि जिससे जो बात मैंने कही उसका अन्दाज लगेगा कि वह सही है। एक बात यह कही गई कि बैलट बक्सों की साख्त ऐसी थी कि वह इस तरीके से खुल सकते थे कि मुहर न टूटे और बक्स खुल जायं। थोड़ी देर के लिये फर्ज कर लीजिये कि उन बक्सों की साख्त ऐसी थी--कि जिसकी तरदीद भी मैं बाद में करूंगा कि ऐसा नहीं है-लेकिन मैं मान लूं आरग्यूमेंट (तर्क) के तौर पर कि साख्त ऐसी ही थी तब भी इससे यह साबित नहीं होता कि बक्सों को तोड़ कर परचों को रद्दोबदल किया गया और आज किसी को जुरंत नहीं है कि दुनिया के सामने कह सके कि फलां केस में ऐसा किया गया। इसलिये मैं समझता हूं कि मुझको उन बातों के कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां तक बक्सों की साख्त का ताल्लुक है मैं उसकी निस्बत कुछ अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि यहां दो बाक्स रखे हुये हैं। इस स्टेट में जो पेटेंट्स इस्तेमाल हुये वह दो थे--एक गोडरेज का था और एक स्टेट के मुख्तलिफ फर्मों से इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के जरिये से बनवाये गये थे। कुछ जगह पर एक थे और कुछ जगह पर दूसरे थे। वह दोनों बाक्सेज यहां रखे हुये हैं। अगर मैं इसकी मेकेनिज्म को समझाने लगूं तो शायद मैं इतनी सक्सेसफुली (सफलतापूर्वक) बयान न कर सकूंगा और वक्त भी ऐवान का खामख्वाह ले लूं। जिस मेम्बर की यह ख्वाहिश होगी जो इस बात को समझना चाहें कि बगैर मोहर के टूटे हुये बाक्स खुल सकते हैं या नहीं खुल सकते हैं इसे उन्हें बाद में यहां समझाया जा सकता है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--मैं दिखला सकता हूं।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--नहीं दिखला सकते।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--आप इजाजत दें तो मैं अभी दिखाला दूं।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--गोपाल नारायण जी घबड़ायें नहीं, मैं उन्हें इजाजत भी दे दूंगा। उसका डिमांस्ट्रेशन किया गया दिल्ली में कमीशन के सामने। उसमें मुख्तलिफ पार्टीज के नुमाइंदे गये। सोशलिस्ट पार्टी और दूसरी पार्टीज के लोग उसमें थे। उन्होंने जाकर दिखाया कि इस तरह से यह बाक्स बगैर मोहर तोड़े खुल सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने जो राय दी वह यह है। अगर हाउस चाहे तो मैं इसे पढ़ भी सकता हूं। वक्त बचाने के ख्याल से पढ़ना मुनासिब न होगा। उस रिपोर्ट में है कि यह गलत है कि बैलट बाक्सेज को बगैर सील तोड़े हुये खोला जा सकता है। यह फाईंडिंग वहां हुई। हां, यह हो सकता है कि कहीं गल्ती हुई हो।

जहां तक रूल्स (नियमों) के बनाने का ताल्लुक था, इंस्ट्रक्शन (अनुदेश) देने का सवाल था, जितने भी हो सकते थे उनको जारी किया गया, मेम्बरान ने उनको खुद भी पढ़ा होगा और उनका दिल इंसाफ से कहता होगा कि इंसान की अक्ल जिस हद तक इस सिलसिले में जा सकती थी उस हद तक गई ताकि किसी किस्म की कोई गलती न होने पाये। मैं मान सकता हूं कि चुनाव का पहला इत्तिफाक था, पहला तजुर्बा बैलट बाक्सेज का था। हो सकता है कि मौके पर इंस्ट्रक्शन (अनुदेश) के मुताबिक कहीं गलती रह गई हो, लेकिन जितनी गल्ती वहां पोलिंग आफिसर कि उसमें है उतनी ही पार्टीज के एजेंट्स की भी है। उनकी भी जिम्मेदारी है कि वह भी देख लें। या तो दोनों को सजा दी जाय नहीं तो दोनों को माफ कर दिया जाय, इसलिये कि दोनों नातजुर्बेकार थे। लेकिन जहां जरा सा भी शुबहा हुआ है वहां रिपोलिंग कराया गया है। २५० रिपोलिंग हुई।

फिर कहा जाता है कि जिन्होंने वोट दिये वह कहते हैं कि यह तो बेईमानी है। इसका इलाज क्या है। कान कान है। आंख आंख है। आदमी आदमी है। मैं सुनता हूं कि जिन्होंने वोट नहीं दिये कांग्रेस को वह यह कहते हैं कि सब फिजूल बकवास है। मेरे दोस्त ने कहा कि जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिये उनके चेहरों पर आज शुगुफ्तगी नजर नहीं आती। मैं उसी को अर्ज करूं कि किसी को किसी के चेहरे पर शुगुफ्तगी देखने के लिये उसके चेहरे पर शुगुफ्ता आंखें भी होनी चाहियें। इसका उनको अहसास नहीं है।

लेकिन यह बातें ऐसी हैं, जिनमें मेरे नजदीक पड़ना और जाना गैर जरूरी है। मेरे एक दोस्त और थे जो अब यहां से चले गये। उन्होंने एक जगह बड़ी जोर से एलेक्शन लड़ा और किसी को यह जुर्रअत नहीं हुई कि यह कहे कि फलां बात हुई और उन्हें भी नहीं हुई। उन्होंने कहने को कह दिया कि कुछ हुआ तो सही, लेकिन जो गवर्नमेंट पावर में थी लिहाजा उस किस्म की बातें करने में ज्यादा हिस्सा कांग्रेस का हो सकता है। अल्लाह जाने उस कमजोरी के दिल के अन्दर होते हुये भी और इस बात का कनविक्शन (विश्वास) होने पर भी कुछ न जाने किस गरज से कह ही दिया।

कुछ बातें एलेक्शन के अलावा भी कही गईं कि गवर्नर साहब के ऐड्रेस में फलां बातें नहीं हैं। हमारे दोस्तों ने भी कहीं और इधर के दोस्तों ने भी कहीं। एक साहब ने कहा कि साहब एक बात गवर्नर साहब भूल गये कि उन्होंने म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के एलेक्शन का जिक्र नहीं किया। उन एलेक्शन का जो नई गवर्नमेंट के जरिये से होंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि यह गवर्नमेंट आज यह कैसे एलान कर दे जब कि वह यह जानती है कि वह अब जाने वाली है। मैं कैसे कोई काम ऐसा कर दूं जो कि किसी आउट गोइंग (जाती हुई) गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिये। यह मिनिस्ट्री पिछले ६ सालों से थी, अगले पांच साल और रहेगी। लेकिन उस गवर्नमेंट में कौन आदमी होंगे, जो भी हों वे उन कामों को करेंगे जो उनके लिये हैं। इन सब बातों को करने का मौका यह नहीं है। इसलिये जितने सजेशन (सुझाव) दिये गये वे मेरे नजदीक गैर जरूरी थे। उन सजेशन को आपको अगर आप चाहेंगे तो बजट के मौके पर फिर दोहराने का मौका मिलेगा। कांग्रेस कामयाब हुई और अपोजीशन के अल्फाज में उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, हम भी कहते हैं कि हां है और उसको नहीं भूलना चाहिये। यह बिलकुल सही है। कांग्रेस को, कांग्रेस वालों को, और जो लोग कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाये हैं उनको इस बात का अहसास है कि जो कुछ ऐतमाद हासिल किया है उससे यह बात साबित होती है कि जो कुछ उसने किया है वह ठीक किया है और जनता ने फिर पांच साल के लिये उन्हीं से कहा है कि तुम फिर इस काम को करो। अब हमारा यह फर्ज है कि, यहां जो काम करेंगे यानी यहां जो लेजिस्लेचर होगा या और जो कांग्रेस वाले हैं उनका यह फर्ज है कि वे आइन्दा मुल्क की अब से भी ज्यादा खिदमत करें और पिछले जमाने में जो कमी और कसूर उनसे हुये हैं उनको दूर करके काम को पूरा करें और इस बात की कोशिश करें कि यह मुल्क फूले-फूले, तरक्की करे।

जो अपोजीशन के लोग हैं वे भी हमारे भाई हैं, यह नहीं है कि हम कुछ हैं और वे कुछ हैं। एलेक्शन में किसी को भी वोट दिया हो अगर कांग्रेस को दिया हो तो, और अगर कांग्रेस को न दिया हो तो, वह हमारी कांग्रेस की खिदमत के मुस्तहक हैं। कांग्रेस उनकी भी खिदमत करेगी। तो मैं इन अल्फाज के साथ उस प्रस्ताव की ताईद करता हूं जिसके जरिये से गवर्नर साहब के एड्रेस का शुक्रिया अदा किया गया है। यह जो मेरे दोस्त ने तरमीम पेश की और इसके जरिये से एड्रेस पर एतराज किया और शिकायत की गो कि वह काबिल शिकायत बात नहीं थी। मुझे उम्मीद है कि वह उसको वापस ले लेंगे। आखिर में मैं इस सब के लिये हाउस को मुबारकबाद देता हूं और चाहता हूं कि अल्लाह सबको तौफीक दे कि हम सब मिल कर देश की खिदमत कर सकें।

माननीय अध्यक्ष——सदन के सामने जो प्रस्ताव है उसे मैं आपको पढ़ कर सुना दूं—

"विधान सभा के अधिवेशन में उपस्थित सदस्यगण महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन के लिये अत्यन्त आभारी हैं।"

[माननीय अध्यक्ष]

इसमें श्री त्रिलोकी सिंह ने एक संशोधन पेश किया है। वह यह है कि प्रस्ताव के अन्त में ये शब्द जोड़ दिये जायं—

"किन्तु इस सदन को नम्रता पूर्वक यह दुख है कि इस सम्बोधन में पिछले आम चुनाव के सिलसिले में जो अनियमिततायें हुईं विशेष कर जो शिकायतें बैलट बक्स के ऐसा बने होने पर कि उसमें बिना मुहर तोड़े, बैलट पेपर रखे जा सकते अथवा निकाले जा सकते हैं तथा अन्न के भाव के घटाने का उल्लेख नहीं है।"

मैं इस संशोधन पर पहले राय लूंगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष—अब मैं मूल प्रस्ताव पर राय लूंगा।

प्रश्न यह है कि विधान सभा के अधिवेशन में उपस्थित सदस्यगण महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन के लिये अत्यन्त आभारी हैं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रक्रिया नियमावली के नियम १८ के अन्तर्गत मार्च के दूसरे शुक्रवार को सरकारी कार्य न करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान् जी की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १८ के अन्तर्गत यह सदन निश्चय करता है कि मार्च के दूसरे शुक्रवार, तारीख १४ को कोई असरकारी कार्य सम्पादन नहीं होगा। उस नियम के मुताबिक असरकारी काम को सरकारी काम से तरजीह होगी, लेकिन इस सदन को अधिकार है कि अगर यह सदन यह तय कर दे कि किसी असरकारी काम को तरजीह न दी जाया करे तो ऐसा किया जा सकता है। चूंकि पब्लिक इंटरेस्ट (सार्वजनिक हित) में यह किया जा रहा है कि १४ तारीख को कोई असरकारी काम न लिया जाय, इसलिये मैं यह प्रस्ताव इस सदन के सामने पेश करता हूं और मुझे आशा है कि यह सदन इसे स्वीकार करेगा।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १८ के अन्तर्गत यह सदन निश्चय करता है कि मार्च के दूसरे शुक्रवार तारीख १४ को कोई भी असरकारी कार्य सम्पादन न होगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

लोक सभा के लिये निर्वाचित किये जाने के कारण कुछ सदस्यों के विधान सभा से त्यागपत्र

माननीय अध्यक्ष—उठने से पहले मुझे यह इत्तिला देनी है कि आज निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने अपने अपने त्यागपत्र मेरे पास भेजे हैं। ये वे सदस्य हैं, जो लोकसभा के लिये चुन लिये गये हैं:—

१—श्री बीरबल सिंह।
२—श्री बदन सिंह।
३—श्री शिवदयाल उपाध्याय।
४—श्री रामशंकर लाल।
५—श्री श्रीचन्द सिंघल।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५ मिनट पर शुक्रवार, १४ मार्च, सन् १९५२ ई० के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
७ मार्च, १९५२ ई०।

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ २५ पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों का अनर्हता निवारण अध्यादेश, १९५१ ई०

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० ४, १९५१ ई०)

भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (१) के अधीन उत्तर प्रदेश के गवर्नर द्वारा प्रचारित :

कुछ ऐसे पदों के सम्बन्ध में यह घोषित करने के लिये कि उन पर अध्यासीन, उक्त पदों के कारण राज्य विधान मंडल के सदस्य चुने जाने अथवा उन पर बने रहने के लिये अनर्ह न होंगे,

अध्यादेश

गवर्नर महोदय को इस बात से संतोष है कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान है, जिसके कारण यह आवश्यक है कि कुछ लाभप्रद पदों के सम्बन्ध में तुरन्त यह घोषित कर दिया जाय कि उन पर अध्यासीन उक्त पदों के कारण राज्य विधान मंडल के सदस्य चुने जाने अथवा उन पर बने रहने के लिये अनर्ह न होंगे,

और उत्तर प्रदेश विधान मंडल की इस समय बैठक नहीं हो रही है,

अतएव 'भारत के संविधान' के अनुच्छेद २१३ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के गवर्नर निम्नलिखित अध्यादेश बनाते और प्रचारित करते हैं :

संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ।

१—(१) इस अध्यादेश का नाम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों का अनर्हता निवारण अध्यादेश, १९५२ ई० होगा।

(२) वह तुरन्त प्रचलित होगा।

राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिये अनर्हता का निवारण।

२—एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि राज्य सरकार के अधीन निम्नलिखित पदों के कारण उन पर अध्यासीनों की उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदस्य चुने जाने या उन पर बने रहने की अनर्हता न होगी और न कभी रही समझी जायगी :

(क) भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अथवा उसकी आज्ञा के अधीन नियुक्त किसी कमेटी या बोर्ड के, जिनके अन्तर्गत किसी विधायन या नियम के अधीन या उसके द्वारा संगठित या स्थापित कमेटी या बोर्ड होगा, चेयरमैन या सदस्य का पद जो ऐसी अवधि के लिये अध्यासित रहा हो, जो ३० अप्रैल, १९५२ ई० के बाद का न हो,

(ख) यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, की धारा ४५ में उल्लिखित लम्बरदार का पद,

(ग) कुमायूं डिवीजन में प्रधान, सरगरोह और मालगुजार, देहरादून जिले के जौनसार बाबर परगना में गांव सियाना या सात सियाना तथा कैमूर पर्वतमाला के दक्षिण में मिर्जापुर जिले के भाग में सुपरदार के पद,

इस अध्यादेश के प्रारम्भ के बाद उठने वाले प्रश्नों का अवधारण।

३. इस अध्यादेश के बाद यदि किसी पद के राज्य सरकार के अधीन लाभप्रद पद होने के विषय में प्रश्न उठे तो वह इस प्रकार अवधारित किया जायगा मानो कि इस अध्यादेश के उपबन्ध सभी आवश्यक दिनांकों पर प्रचलित थे।

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ २५ पर)

उत्तर प्रदेश औषधि नियन्त्रण (अधिकारों को जारी रखने) (संशोधन) का अध्यादेश, १९५२ ई०

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश, संख्या १, १९५२)

(उत्तर प्रदेश के गवर्नर महोदय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (१) के अन्तर्गत दिनांक ३० जनवरी, सन् १९५२ ई० को प्रचलित किया और दिनांक ३० जनवरी, सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ।)

उत्तर प्रदेश औषधि (नियन्त्रण) ऐक्ट सन् १९५० ई० को जारी रखने की व्यवस्था के लिये

अध्यादेश

उत्तर प्रदेश औषधि (नियन्त्रण) ऐक्ट, सन् १९५० ई० अस्थायी है और वह ३१ जनवरी, सन् १९५२ ई० को समाप्त होने वाला है ;

और, गवर्नर को यह सन्तोष है कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान है, जिसके कारण उक्त अधिनियम का कार्यकाल बढ़ाना आवश्यक है ;

और उत्तर प्रदेश के विधान मंडल की बैठक अभी नहीं हो रही है, और भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (१) (क) के अधीन राष्ट्रपति के उपादेश प्राप्त हो चुके हैं;

अतः अब उक्त अनुच्छेद द्वारा मिले अधिकारों को प्रयोग में लाकर उत्तर प्रदेश के गवर्नर महोदय निम्नलिखित अध्यादेश बनाते और प्रचारित करते हैं ;

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ। १--(१) इस अध्यादेश का नाम, उत्तर प्रदेश औषधि नियन्त्रण (अधिकारों को जारी रखने) (संशोधन) का अध्यादेश, १९५२ ई० होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

मूल अधिनियम को जारी रखना। उ० प्र० अधिनियम १४, १९५०। २--उत्तर प्रदेश औषधि (नियन्त्रण) ऐक्ट, सन् १९५० ई० की धारा (४) १ की उपधारा में संख्या "१९५२" के स्थान में "१९५३" रखा जाय।

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ २५ पर)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९५२

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २, १९५२)

(उत्तर प्रदेश के गवर्नर महोदय ने भारत संविधान के अनुच्छेद २१३ (१) के अन्तर्गत दिनांक ७ फरवरी, १९५२ ई० को प्रचारित किया और दिनांक ७ फरवरी, सन् १९५२ ई० के सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ।)

कुछ प्रयोजनों के निमित्त युनाइटेड प्राविन्सेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७, को संशोधित करने का अध्यादेश

गवर्नर को संतोष है कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान है, जिसके कारण कुछ प्रयोजनों के निमित्त यूनाइटेड प्राविन्सेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७, में संशोधन करना तुरन्त आवश्यक है;

और राज्य विधान मंडल की इस समय बैठक नहीं हो रही है ;

और संविधान के अनुच्छेद २१३ के खंड १ के प्रतिबन्ध के उपखंड (ख) के अधीन राष्ट्रपति का उपादेश प्राप्त हो चुका है।

अतएव भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ द्वारा प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके गवर्नर महोदय निम्नलिखित अध्यादेश बनाते और प्रचारित करते हैं :

१—(१) इस अध्यादेश का नाम, उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९५२ ई० होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२—यूनाइटेड प्राविन्सेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७, (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १२ की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(3) The term of office of a member of a Gaon Panchayat other than a President or Vice-President or a member chosen to fill a casual vacancy shall be three years or if the State Government so declare by publication in the Gazette, such longer term not exceeding four years, as may be specified.

(3-A) The declaration under sub-section (3) may be published at any time before the expiry of three years aforesaid."

३—मूल अधिनियम की धारा ४५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय।

"45. (1) **Term of Panchayat Adalat**—The term of office of every Panch shall be three years from the date of his election or if the State Government so declare by publication in the Gazette, such longer term, not exceeding four years, as may be specified.

(2) The declaration under sub-section (1) may be published at any time before the expiry of three years aforesaid."

नत्थी 'घ'

(देखिए पीछे पृष्ठ २५ पर)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९५२

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३, १९५२)

[उत्तर प्रदेश के गवर्नर महोदय ने भारत संविधान के अनुच्छेद २१३ (१) के अन्तर्गत दिनांक ९ फरवरी, १९५२ ई० को प्रचारित किया और दिनांक ९ फरवरी, सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ।]

कुछ प्रयोजनों के निमित्त उत्तर-प्रदेश पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ को संशोधित करने का

अध्यादेश

गवर्नर को संतोष है कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान है, जिसके कारण कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू०पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७, में संशोधन करना तुरन्त आवश्यक है;

और राज्य विधान मंडल की बैठक इस समय नहीं हो रही है;

अतएव भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके गवर्नर निम्नलिखित अध्यादेश बनाते और प्रचारित करते हैं:

१—(१) इस अध्यादेश का नाम उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९५२ होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२—यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७, की धारा ११ की उपधारा (३) में शब्द "their term of office shall be three years" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"their term of office shall be three years from the date of their respective election or if the State Government so declares by publication in the Gazette, such longer term, not exceeding four years as may be specified."

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २५ पर)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता का निषेधक (अनुपूरक) अध्यादेश १९५२ ई०

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ४, १९५२)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता का निषेधक अधिनियम, १९५० ई० की अनुपूर्ति के लिये

अध्यादेश

यू० पी० ऐक्ट २२, १९५०

गवर्नर को संतोष है कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता का निषेधक अधिनियम, १९५० ई० को अनुपूर्ति करना तत्काल, आवश्यक है,

और उत्तर प्रदेश विधान मंडल की बैठक इस समय नहीं हो रही है, अतः संविधान के अनुच्छेद २१३ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के गवर्नर निम्नलिखित अध्यादेश बनाकर प्रचारित करते हैं :

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

१.—(१) इस अध्यादेश का नाम उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता का निषेधक (अनुपूरक) अध्यादेश, १९५२ ई० होगा।

(२) यह तत्काल प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट २२, १९५० ई० का संशोधन

२. संविधान के अनुच्छेद ३८२ में यह व्यवस्था की गई है कि जब तक उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदन संविधान के उपबंधों के अधीन उचित रूप से संगठित न हो जाय तथा प्रथम सूत्र में अधिवेशित होने के लिये आहूत न हो जाय तब तक अस्थायी विधान मंडल के सदन उक्त सदनों की शक्तियों का प्रयोग तथा उनके कर्त्तव्यों का पालन करेंगे, इसलिये ऐसे व्यक्ति के विषय में, जो अस्थायी विधान परिषद् का पहले से सदस्य हो और ऐसी परिषद् में अपना स्थान ग्रहण कर चुका हो और बाद में उत्तर प्रदेश विधान सभा का सदस्य निर्वाचित किया जाय, उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता का निषेधक अधिनियम, १९५० ई० की धारा ४ इस प्रकार प्रभावशाली होगी मानो कि शब्द "इस घोषणा के प्रकाशित होने पर कि वह इस प्रकार निर्वाचित किया गया है" के स्थान पर शब्द "प्रथम सत्र में अधिवेशित होने के लिये उक्त सभा के आहूत होने पर" रख दिये गये थे।

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ २५ पर)

वाहन-विभाग

२२ सितम्बर, १९५१ ई०

सं० ३९३०-टी/३०--१४२(१२)-टी-५१--उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५, के संशोधन का निम्नलिखित मसविदा, जिसे उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ ई० (१९३५ ई० को ऐक्ट संख्या ५) (U. P. Motor Vehicles Taxation Act, 1935) को धारा २० की उपधारा (२) के खंड (ज) में मिले हुये अधिकारों का उपयोग करते हुये करने का प्रस्ताव है, उन सब लोगों की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है जिन पर इसका प्रभाव पड़ने को संभावना हो और यह नोटिस दिया जाता है कि संशोधन के उक्त मसविदे पर १५ अक्तूबर, १९५१ ई० को या उसके बाद विचार किया जायगा।

२--ऊपर लिखी तारीख से पहिले कोई आपत्ति या सुझाव जो किसी व्यक्ति से प्राप्त होगा उस पर सरकार विचार करेगी।

३--उक्त मसविदे के सम्बन्ध में समस्त आपत्तियां या सुझाव सरकार के अंडर सेक्रेटरी, वाहन विभाग, के पते पर भेजे जायं।

संशोधन का मसविदा

1. Sub-rule (4) of rule 12 of the U. P. Motor Vehicles Taxation Rules, 1935, shall be deleted.

2. *Substitute* the following as sub-rule (4) of rule 12 of the said Rules,

"Temporary permit holders may at their option deposit tax on monthly basis.

आज्ञा से,
गिरिजापति मुखर्जी,
सेक्रेटरी।

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २६ पर)

वाहन–विभाग

४ अक्तूबर, १९५१ ई०

सं० ४४०६-टी/३०—१४२ (२)–टी–५१—ता० २१ अगस्त, १९५१ ई० की विज्ञप्ति सं० ३६८२–टी/३०––१४२ (२)–टी–५१ के सिलसिले में और मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९, (Mo o Vehi l s Act, 1939) (१९३९ ई० की ऐक्ट संख्या ४) (Act IV of 1939) की धारा ६८ की उपधारा (१) के द्वारा प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुये उत्तर प्रदेश के गवर्नर महोदय ने यू० पी०. मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० (U. P Motor Vehic es Rul s, 1940) में निम्नलिखित संशोधन किया है, जो जैसा कि उक्त ऐक्ट की धारा १३३ की उपधारा (१) के अनुसार आवश्यक है, उक्त विज्ञप्ति में पहले प्रकाशित हो चुका है––

संशोधन

(1) The proviso under rule 130-A of the said rules shall be deleted.

(2) The following shall be inserted as new provisos under 130-A of the said rules.

"Provided that any such vehicle belonging to Uttar Pradesh Police may be painted in a combination of blue and red colours or in deep Khaki colour and that no vehicle other than that belonging to Uttar Pradesh Police be painted in this colour combination or in Khaki colour. Provided further that the vehicles of Uttar Pradesh Government Roadways may be painted in a combination of cream and blue colours with a white or cream hood and that no other transport vehicle plying in Uttar Pradesh shall be painted with this colour combination.

आज्ञा से,
गिरिजापति मुखर्जी,
सेक्रेटरी।

नत्थी 'ज'

(देखिए पीछे पृष्ठ २६ पर)

माल विभाग

---

२६ सितम्बर, १९५१ ई०

सं० ४०८०/१-सी---१९४८ई० के संयुक्त प्रान्तीय कृषि-आय-कर (ऐक्ट संख्या ३, १९४९ ई०) की धारा ४४ में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये गवर्नर महोदय विज्ञप्ति सं० ३७४/१-सी, ता० १८ फरवरी, १९४९ ई० में प्रकाशित युक्त प्रान्तीय कृषि-आय-कर नियम, १९४९, में जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया, तारीख १ अक्तूबर, १९५१ ई० से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:--

संशोधन

निम्नलिखित नियमों में "बोर्ड आफ रेवेन्यू" के स्थान पर "लैंड रिफार्म्स कमिश्नर" पढ़ा जाय।

नियम १६, १८, २५ (च), (छ) और (ज)।

आज्ञा से,
जगदीश्वर निगम,
सेक्रेटरी।

नत्थी 'झ'

(देखिए पीछे पृष्ठ २६ पर)

वाहन विभाग

२६ अक्तूबर, १९५१ ई०

सं० ३८२ (३)-जी-टी/३०--३८६-टी-४७--१४ सितम्बर, १९५१ ई० की विज्ञप्ति संख्या ३८२-जी-टी/३०--३८६-टी-४७ के सिलसिले में और मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट १९३९ ई० (Motor Vehicles Act, 1939) (१९३९ ई० की ऐक्ट सं० ४) की धारा ४१ की उपधारा (२) के खंड (ज) के द्वारा प्राप्त अधिकारों को काम में लाते हुए गवर्नर महोदय उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० ई० (U. P. Motor Vehicles Rules, 1940) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जो उक्त ऐक्ट की धारा १३३ के अनुसार उक्त विज्ञप्ति में पहले ही प्रकाशित हो चुका है--

संशोधन

In clause (*c*) of rule 25 of the said Rules *for* the words "The registration mark shall be in English letters and numerals", *substitute* the following:

"The registration mark shall be in English letters and numerals or in Hindi with letters in Devnagri script and numerals in the international form of Indian numerals.

Provided that if the registration mark is in Hindi, it shall be repeated by displaying the letters in Latin character and Arabic numerals."

आज्ञा से,
गिरिजापति मुखर्जी,
सेक्रेटरी।

नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २६ पर)

वाहन विभाग

२६ अक्तूबर, १९५१ ई०

सं० ४६८६–टी/३०२—१४(३)टी–५१—३१ अगस्त, १९५१ ई० की विज्ञप्ति संख्या २२०६–टी/३६—१४२(३)–टी–५१ के सिलसिले में और मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा ६८ की उपधारा (२) के खंड (एम) के द्वारा प्राप्त अधिकारों को काम में लाते हुए गवर्नर महोदय ने उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में निम्नलिखित संशोधन किया है, जो उक्त ऐक्ट की धारा १३३ के अनुसार उक्त विज्ञप्ति में पहले प्रकाशित हो चुका है—

संशोधन

For the last two sentences of clause (*a*) of rule 57 of the U. P. Motor Vehicles Rules, 1940, *substitute* the following :

"The articles mentioned below will be treated as personal effects and will be charged for separately as follows :—

(*i*) Harmonium, one or two small pet birds in a cage and a small will be charged for 20 seers.

(*ii*) Cycle, sewing machine (hand), battery (6 volts), babies tricycle, cot, table fan, office chair, typewriter (Standard), bench, table, gramophone with horn and articles kept in special lockers provided in the bus will be charged for one maund.

Note—not more than two cycles will be carried on any Stage-Carriage.

(*iii*) Sewing machine (foot), harmonium (foot), and articles of similar description will be charged for two maunds.

Not—eThe above-mentioned articles will be carried in a Stage carriage only if room permits.

आज्ञा से,
गिरिजापति मुखर्जी,
सेक्रेटरी।

नत्थी 'ट' (१)

(देखिये पीछे पृष्ठ २६ पर)

वाहन विभाग

---

२७ दिसम्बर, १९५१ ई०

सं० ५११२–टी-पी/३०—ता० ६ नवम्बर, १९५१ ई० की विज्ञप्ति संख्या ४७१७-टी/३०–१४२–१४–टी–५१ के सिलसिले में और मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ ई० (१९३९ ई० की ऐक्ट संख्या ४) की धारा ६८ की उपधारा (१) द्वारा मिले हुये अधिकारों को प्रयोग में लाकर उत्तर प्रदेश के गवर्नर महोदय उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४०, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जो उक्त ऐक्ट की धारा १३३ (१) के अनुसार उपर्युक्त विज्ञप्ति में पहले ही प्रकाशित हो चुका है :—

संशोधन

After sub-rule (c) of rule 44-A of the said Rules, *add* the following as a new sub-rule (d) :

"(d) to the Secretary-Member all or any of its powers under rules 63, 64 and 65 regarding the grant or refusal to grant replacement of vehicle."

आज्ञा से,
गिरिजापति मुखर्जी,
सेक्रेटरी।

नत्थी 'ट' (२)'

(देखिए पीछे पृष्ठ २६ पर)

वाहन विभाग

---

१९ दिसम्बर, १९५१ ई०

संख्या ४८८७-टी-पी/३०--१४२-टी (१५)-५१--ता० २९ अक्तूबर, १९५१ ई० की विज्ञप्ति सं० ४६४८-टी/३०--३६३-टी-५१ के सिलसिले में और मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ ई० (१९३९ ई० की ऐक्ट सं० ४) की धारा ६८ द्वारा प्रदत्त अधिकारों को काम में लाकर उत्तर प्रदेश के गवर्नर महोदय उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जो कि उक्त अधिनियम (ऐक्ट) की धारा १३३ की उपधारा (३) के नियमानुसार पहले ही उपर्युक्त विज्ञप्ति में प्रकाशित हो चुके हैं :--

संशोधन

---

(1) In clause (*a*) of rule 41-A of the United Provinces Motor Vehicles Rules, 1940—

(i) *between* "to the Secretary-Member" and " power to grant contract" *insert* "and to the Assistant Regional Transport Officer in the case of Regional Transport Authority and the Assistant Transport Commissioner (Administration) and Assistant Regional Transport Officer (Headquarter) in place of the State Transport Authority".

(ii) *between* "unless the Secretary-Member" and "has by a resolution of the authority" *insert* "or the Assistant Regional Transport Officer in the case of Regional Transport Authority or the Assistant Transport Commissioner (Administration) or Assistant Regional Transport Officer (Headquarter) in the case of State Transport Authority, as the case may be".

(2) In clause (*c*) of rule 44-A the said Rules *insert* the words "and to the Assistant Regional Transport Officer in the case of Regional Transport Authority and the Assistant Transport Commissioner (Administration) and Assistant Regional Transport Officer (Headquarter) in the case of State Transport Authority" *between* the words "to the secretary-Member" and "all or any of its powers."

आज्ञा से,
गिरिजापति मुकर्जी,
सेक्रेटरी।

नत्थी 'ठ'

(देखिए पीछे पृष्ठ २६ पर)

उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की १९४९-५० ई० की वार्षिक रिपोर्ट

संविधान के अनुच्छेद ३२३ (२) के अनुसार विधान मंडल के लिए स्मृति-पत्र

भारत के संविधान के अनुच्छेद ३२३ (२) के अनुसार राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन की वार्षिक रिपोर्टों को राज्य के विधान मंडल के सामने पेश करना पड़ता है। यदि किसी रिपोर्ट में ऐसी बातें हों, जिनमें सरकार ने कमीशन की सलाह को स्वीकार न किया हो, तो रिपोर्ट के साथ एक स्मृतिपत्र भी रखना पड़ता है, जिसमें उस सलाह को स्वीकार न करने के कारण बताये जायं।

२--संविधान २६ जनवरी, १९५० ई० से लागू हुआ, इसलिये सरकार की राय में विधान मंडल के सामने वह रिपोर्टें जो २६ जनवरी, १९५० ई० से आगे की अवधि के सम्बन्ध में हों, उनको पेश करना आवश्यक है और इस अवधि के पहले की रिपोर्टों को पेश करना आवश्यक नहीं है। कमीशन की १९४९-५० ई० की रिपोर्ट १ अप्रैल, १९४९ से ३१ मार्च, १९५० ई० तक की अवधि के सम्बन्ध में है, यानी इस रिपोर्ट में अधिकांश बातें संविधान के लागू होने के पूर्व की अवधि के बारे में हैं। फिर भी सरकार के विचार में विधान मंडल के सामने पूरी ही रिपोर्ट को रखना लाभदायक होगा, और इसलिये ऐसा ही किया जा रहा है।

मामले, जिनमें कमीशन की राय न मानी गयी हो

३--सन् १९४९-५० की रिपोर्ट में कोई भी ऐसे मामले नहीं हैं, जिनमें कमीशन की राय अन्त में न मानी गयी हो। कुछ मामले ऐसे अवश्य थे, जिनमें शुरू में एक ओर कमीशन और दूसरी ओर सरकार या विभागों के अध्यक्षों में मतभेद था, लेकिन बाद में इन मतभेदों को इस तरह तय किया गया जिससे कमीशन को संतोष हो जाय। इन सब मामलों की जिन पर कमीशन ने रिपोर्ट के भाग VI-IX से और भाग XVIII (पृष्ठ ६-१७ और पृष्ठ २३-२४) में आलोचना की है, उनकी स्थिति का उल्लेख आगे किया जाता है :

(१) लेबर कमिश्नर के कार्यालय में स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के दो पद (पृष्ठ ७, पैरा ६)--कमीशन ने जनवरी, १९५० ई० में निम्नलिखित क्रम में चार उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की थी :--

(१) श्री प्रेम सागर निगम।
(२) श्री राम नारायण लाल।
(३) श्री राम प्रसाद पंथारी।
(४) श्री विप्र नारायण त्रिवेदी।

इस पद पर पहले श्री प्रेम सागर निगम की नियुक्ति नवम्बर, १९४८ ई० में कमीशन की सिफारिश पर की गयी थी, परन्तु उन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नौकरी मिल जाने के कारण उस पद से त्याग-पत्र दे दिया। श्री निगम के आचरण से लेबर कमिश्नर को कुछ संशय पैदा हो गया, और उन्होंने कमीशन से इस बात की स्वीकृति मांगी कि वह उनके सम्बन्ध में कमीशन की सिफ़ारिश को न मानें। उसी समय लेबर कमिश्नर ने सरकार से भी प्रार्थना की कि वह इस मामले में कमीशन से लिखा-पढ़ी करे। कमीशन ने लेबर कमिश्नर को यह जवाब दिया कि वे उम्मीदवारों के चुनाव में अपने सामने आये हुए कागज़ों के अलावा और बातों की ओर ध्यान नहीं देते और यह कि श्री निगम ने अपने पद से जो पहले त्याग-पत्र दिया था वह इस बात का काफ़ी कारण नहीं है कि उन्हें दूसरा

अवसर न दिया जाय। सरकार ने भी लेबर कमिश्नर को यह बतलाया कि सरकार के समक्ष में कमीशन की राय न मानने के समुचित कारण नहीं हैं। उनसे यह भी कहा गया कि वे श्री निगम को इस पद पर नियुक्त करने के पहिले डाइरेक्टर एग्रीकल्चर से सलाह कर लें। लेबर कमिश्नर ने डाइरेक्टर एग्रीकल्चर से सलाह की। किन्तु इसी बीच श्री निगम की उस विभाग से छटनी हो गयी थी और जब श्री निगम लेबर कमिश्नर से मिले तो उन्होंने उनको लेबर असिस्टेंट के पद पर नियुक्त कर लिया, जिसका वेतन क्रम उतना ही था जितना कि स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के पद का था और जिस पद पर उनकी नियुक्ति के लिए कमीशन ने मंजूरी भी दी थी। लेबर कमिश्नर ने कमीशन को यह बात बतायी किन्तु कमीशन लेबर कमिश्नर के इस प्रस्ताव से कि श्री निगम को लेबर असिस्टेंट के रूप में नियुक्त किया जाय राज़ी नहीं हुआ, जब-कि उसने स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए सिफ़ारिश की थी। लेबर कमिश्नर कमीशन की राय से सहमत नहीं हुए और उन्होंने इस मामले पर सरकार से लिखा-पढ़ी की। सरकार लेबर कमिश्नर से सहमत नहीं हुई और यह आदेश दिया गया कि वे कमीशन की सिफ़ारिशों के अनुसार कार्यवाही करें। (लेबर कमिश्नर के कार्यालय के स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के पद अब कमीशन के क्षेत्राधिकार में नहीं हैं।)

(२) <u>एरिया राशनिंग अफ़सर (पृष्ठ ८–९, पैरा ११)</u> —कमीशन ने एरिया राशनिंग अफ़सरों की पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए सामान्य सिविल कैडर और अन्य उम्मीदवारों का वैभागिक (डिपार्टमेंटल) उम्मीदवारों में सम्मिलित करने का प्रश्न का उल्लेख किया है। इन लोगों को वैभागिक उम्मीदवार समझने का कारण सरकार की राय में यह था कि वे उम्मीदवार स्थानीय राशनिंग अथारिटीज की सहायता के लिए विभिन्न ज़िलों में किसी किसी समय नियुक्त किये गये थे और इस सम्बन्ध में सरकार ने उन्हें १०० रु० महीने का वज़ीफ़ा भी दिया था। उस खर्च को ध्यान में रखते हुए सरकार की राय में इन उम्मीदवारों को वैभागिक उम्मीदवार समझना ठीक था। उसके बाद सरकार ने राज्य के कुछ क़स्बों में राशनिंग बन्द करने की नीति को दृष्टि में रखते हुए एरिया राशनिंग अफ़सरों का चुनाव ही नहीं किया।

(३) <u>विमेन डाइरेक्टर, विमेन वेल्फ़ेयर स्कीम)</u>

<u>(पृष्ठ ९.पैरा १३)</u>—जब कि कमीशन द्वारा इस पद पर भरती करने के प्रश्न पर विचार हो रहा था सरकार ने सोचा कि यदि कोई उपयुक्त व्यक्ति मिल जाये तो इस पद को अधिक समय तक खाली रखने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है इस पद पर एक नियुक्ति अस्थायी रूप से कर ली गयी। जिस महिला को सरकार ने नियुक्त किया था वह उस दूसरी महिला से, जिसकी नियुक्ति के लिए कमीशन ने प्रारम्भ में सिफारिश की थी, अधिक शिक्षित और अनुभवी पायी गयी। फिर भी कमीशन की सलाह के अनुसार इस पद का फिर से विज्ञापन किया गया और फिर कमीशन ने भी उसी महिला की सिफारिश की, जिसको सरकार ने इस पद पर नियुक्त किया था।

(४) <u>रिहन्द बांध के लिए इंजीनियर (पृष्ठ १०, पैरा १५)</u>—सरकार का भी वही विचार था जो कि कमीशन का कि चीफ़ इंजीनियर के पदों को विज्ञापित करने और उनके लिए चुनाव करने की जो कार्यवाही को वह अनियमित तथा अनावश्यक थी और यह कि चुनाव करने के लिये कमीशन से न पूछने का कोई उचित कारण नहीं था। बाद में इन पदों पर नियुक्तियां करने का प्रस्ताव रिपोर्ट में बताये गये कारणों से छोड़ दिया गया।

(५) <u>साइकालोजिकल ब्यूरो, इलाहाबाद (Psychological Bureau) में नियुक्तियां (पृष्ठ १२, पैरा २)</u>—रिपोर्ट में टेस्टर (tester) के दूसरे पद के सम्बन्ध में जो लिखा गया है उसके लिये कमीशन ने आवेदन [illegible] । उम्मीदवारों

को इन्टरव्यू करने के पश्चात् कमीशन ने भी उसी अध्यापक को स्थायीरूप से नियुक्त करने की सिफारिश की, जिसे डाइरेक्टर एजुकेशन ने पहले नियुक्त कर लिया था ।

(६) हरिजन सहायक तथा रिक्लेमेशन आफ़िसर की नियुक्ति (पृष्ठ १२--१३, पैरा ३)--इस मामले में, प्रशासकीय कारणों से सरकार ने बाद में यह निश्चय किया कि हरिजन सहायक आफ़िसर के पद पर एक आई० ए० एस० पदाधिकारी को नियुक्त किया जाय। तब से श्री छेदी लाल, आई० ए० एस०, हरिजन सहायक आफ़िसर के रूप में उस अफ़सर के स्थान में नियुक्त कर दिये गये हैं, जिसका जिक्र कमीशन ने किया है। उन्हें रिक्लेमेशन का काम भी सौंपा गया है। इस बात की सूचना कमीशन को दे दी गयी है।

(७) डिप्टी केन डेवलेपमेंट आफ़िसर का पद (पृष्ठ १४, पैरा ३)--सरकार ने बाद को कमीशन की बात मान ली। सरकार ने कमीशन की राय पर डिप्टी केन डेवलपमेंट आफ़िसर की पदोन्नति के लिए १९ मई, १९५१ ई० को आदेश जारी कर दिया और कमीशन को इस बात की सूचना दे दी गयी है।

(८) एक्साइज इन्सपेक्टरों की कुछ जगहों की पूर्ति के लिए पदोन्नतियां (पृष्ठ १५, पैरा ४)--अब सरकार के सामने यह प्रस्ताव है कि विशेष इन्टरव्यू द्वारा उन व्यक्तियों में से, जो कि इस समय स्थानापन्न एक्साइज इन्सपेक्टर हैं, उनको उमर और शिक्षा का बन्धन रखे बिना ही एक्साइज इन्सपेक्टर की कुछ जगहों पर स्थायी नियुक्तियां कर दी जायं। इस प्रस्ताव पर कमीशन से राय ली गयी थी। कमीशन ने यह सुझाव दिया कि एक्साइज इन्सपेक्टरों के सर्विस रूल्स में ऐसी रद-बदल कर दी जाय जिससे ऊपर बतायी गयी कार्यवाही हो सके। कमीशन ने वर्तमान एक्साइज इन्सपेक्टरों को उस समय तक अपनी अपनी जगहों पर बनाये रखने के लिए भी सम्मति दे दी है जब तक कि नियमों में संशोधन करने के प्रश्न पर निर्णय न हो जाय। कमीशन की राय के अनुसार नियमों में संशोधन का मसविदा तैयार किया गया है और उसे कमीशन के पास आलोचना के लिए भेज दिया गया है। कमीशन की सम्मति की प्रतीक्षा की जा रही है।

(९) सुपरिंटेंडेंट इन्डस्ट्रीज (रिलीफ़ और रिहैबिलिटेशन) और असिस्टेंट डाइरेक्टर, इन्डस्ट्रीज (रिलीफ़ और रिहैबिलिटेशन) की नियुक्ति (पृष्ठ १६, पैरा ३)--ये जगहें पहले पहल मार्च, १९५१ ई० तक के लिए मंजूर की गयी थीं। कमीशन को लिखा गया कि वह उस तारीख तक उन्हीं व्यक्तियों को इन जगहों पर काम करते रहने की मंजूरी दे दे। साथ ही यह भी सुझाव दिया गया कि यदि इन जगहों का कार्यकाल बढ़ाया जाय तो कमीशन द्वारा नियमित रूप से भरती की जा सकेगी। कमीशन इस पर राजी हो गया। इन जगहों का कार्यकाल मार्च, १९५२ ई० तक और बढ़ा दिया गया है और कमीशन को लिखा गया है कि वह विज्ञापन निकाल कर और उम्मीदवारों का इन्टरव्यू इत्यादि कर के इन पदों पर भरती करने के लिये सिफारिश करे।

(१०) सरकारी स्टेट अफ़सर की नियुक्ति (पृष्ठ १६, पैरा ४)--इस पद पर अब एक इंजीनियर नियुक्त किया गया है। इस पद पर जो असिस्टेंट सेक्रेटरी पहले कार्य कर रहे थे उन्हें सचिवालय में अपने पुराने पद पर भेज दिया गया है।

कमीशन द्वारा दिये गये सुझाव

४--कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कई जगहों पर सरकार के विचार के लिए सुझाव दिये हैं। ये सुझाव प्रायः सबके सब मान लिये गये हैं। एक विवरण-पत्र, जिसमें वह इन सुझावों पर की गयी कार्यवाहियों का उल्लेख है, संलग्न है।

गोविन्द बल्लभ पन्त,
मुख्य मंत्री,
उत्तर प्रदेश।

७ फ़रवरी, १९५२।

१९४९-५० की वार्षिक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सुझावों पर की गयी कार्यवाही का विवरण पत्र।

(स्मृतिपत्र का पैरा ४)

क्रम-संख्या	रिपोर्ट का पृष्ठ	पैरा	कमीशन के सुझाव	कार्यवाही का विवरण
१	२	३	४	५
			भाग V—परीक्षाएं	
१	२	१	सब स्टेट सर्विसों (जुडीशियल सर्विस के अतिरिक्त) के लिए एक ही परीक्षा और सब सबार्डिनेट नौकरियों के लिए भी एक ही परीक्षा नियत हो।	जहां तक स्टेट सर्विसों का सम्बन्ध है यह सुझाव मान लिया गया है और अप्रैल, १९५१ ई० में आदेश जारी कर दिये गये हैं, जिसके अनुसार १९५१ ई० से यू० पी० सी० एस० (इक्जीक्यूटिव ब्रांच) यू० पी० पुलिस सर्विस और यू० पी० एकाउन्ट्स सर्विस के लिए एक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा निर्धारित की गयी है।
२	४	१०	यू० पी० सिविल सर्विस (जुडीशियल ब्रांच) की भरती के नियमों में संशोधन किया जाना चाहिये	कमीशन से राय लेने के बाद इन नियमों में संशोधन किया गया है और संशोधित नियम प्रकाशित कर दिये गये हैं।
			भाग V क—वैभागिक परीक्षाएं	
३	६	४	जूनियर अफ़सरों की वैभागिक परीक्षा का काम कमीशन से न लिया जाय।	यह काम कमीशन से हटा कर अफ़सरों के ट्रेनिंग स्कूल, इलाहाबाद के प्रिंसिपल को दे दिया गया है।
			भाग VI—चुनाव द्वारा भरती	
४	८	९	इन्फ़ार्मेशन डाइरेक्टरेट में अराजनीतिक (non-political) नियुक्तियों के सम्बन्ध में जो कमीशन के अधिकारिक क्षेत्र (purview) में हैं, कमीशन के साथ परामर्श किया जाना चाहिए।	जैसा कि कमीशन ने उल्लेख किया है यह मामला इन्फ़ार्मेशन डाइरेक्टरेट के पुनस्संगठित हो जाने तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब इस प्रस्ताव पर विचार हो रहा है कि डिप्टी डाइरेक्टर इन्फ़ार्मेशन जर्नलिस्टों और फ़ील्ड पब्लिसिटी अफ़सरों की जगहों के लिए, जो कि यद्यपि राजनीतिक नियुक्तियां हैं, चुनाव कमीशन द्वारा ही किया जाना चाहिए और इन जगहों पर भरती के

क्रम-संख्या	रिपोर्ट का पृष्ठ	पैरा	कमीशन के सुझाव	कार्यवाही का विवरण
१	२	३	४	५
				लिए नियम भी बनाये जाने चाहिए जिनमें इन पदों पर आज कल काम करने वाले व्यक्तियों पर विचार करने के लिए भी व्यवस्था हो। जहां तक टेक्निकल और मिनिस्टीरियल पदों का सम्बन्ध है और जिन्हें राजनीतिक (Political) नियुक्तियां नहीं माना जा सकता, उन पर नियुक्तियां यथाविधि की जानी चाहिए, अर्थात् इन पदों पर कमीशन द्वारा उसी ढंग से भरती की जानी चाहिए जिस प्रकार कि सचिवालय के स्थायी कर्मचारियों के लिये की जाती है।
			भाग VIII—पदोन्नति द्वारा भरती	
५	१३	१	डिप्टी जेलरों की जगहों पर पदोन्नति नियमित करने के लिए नियम बनाये जाने चाहिए	सरकार ने कमीशन से सलाह करके नियमों का एक मसविदा तैयार किया है, जो कमीशन के पास आलोचना के लिए भेज दिया गया है।
६	१३–१४	२	सरकार को एक सर्कुलर जारी करना चाहिए, जिसमें वैभागिक चुनाव समिति (Departmental Selection Committee) द्वारा सिफ़ारिश किये गये उम्मीदवारों के कमीशन द्वारा इन्टरव्यू से संबंधित स्थिति को स्पष्ट कर दिया जाय	फ़रवरी, १९५१ ई० में सब विभागों के अध्यक्षों को एक ऐसा सर्कुलर जारी कर दिया गया है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि यदि कमीशन किसी ऐसे उम्मीदवार का इन्टरव्यू करना चाहे, जिसकी वैभागिक चुनाव समिति ने सिफ़ारिश की हो, तो उसको सरकार से बिना मंजूरी लिये ही कमीशन के सामने भेज दिया जाय।
			भाग XVIII—लिमिटेशन आफ़ फंक्शन्स रेगुलेशन्स	
७	२३	१	वे पद, जिनका अधिकतम वेतन २०० रु० से ज्यादा न हो और जिनकी गजेटेड नियुक्ति होने की संभावना न हो, कमीशन के आधिकारिक क्षेत्र से बाहर रखे जायं	लिमिटेशन आफ़ फ़ंक्शन्स रेगुलेशन्स में संशोधन करने के सम्बन्ध में यह सुझाव सरकार के विचाराधीन है।

क्रम-संख्या	रिपोर्ट का पृष्ठ	पैरा	कमीशन के सुझाव	कार्यवाही का विवरण
१	२	३	४	५
८	२३	२	अधीनस्थ (Civil Court) सिविल कोर्ट्स के मिनिस्टीरियल और निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही के मामलों को कमीशन के अधिकारिक क्षेत्र से अलग किया जाय	इस सुझाव का संशोधित लिमिटेशन आफ़ फ़ंक्शन्स रेगुलेशन्स के मसविदे में समावेश कर दिया गया है।
९	२३	३	सचिवालय के सुपरिंटेंडेंटों के पदों को फिर से कमीशन के अधिकारिक क्षेत्र में सम्मिलित करना और माननीय मंत्रियों के परसनल असिस्टेंटों के पदों को और सचिवालय के स्टेनोग्राफरों के सुपरिंटेंडेंटों के पद को कमीशन के अधिकारिक क्षेत्र के अन्तर्गत ले आना	जैसा कि कमीशन ने उल्लेख किया है सरकार ने यह प्रस्ताव मान लिया है। संशोधित लिमिटेशन आफ़ फ़ंक्शन्स रेगुलेशन्स में संशोधन कर दिये जायेंगे।
१०	२४	४	स्टेट आर्म्ड कांस्टेबुलरी के गजेटेड कर्मचारियों के लिए अनुशासन, दण्ड और अपील के सम्बन्ध में अतिरिक्त नियम बनाये जायं	ये नियम बनाये जा रहे हैं। यथा समय इनके विषय में कमीशन से राय ली जायगी।

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २७ पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण विधेयक, १९५२ ई०

कुछ ऐसे पदों के संबंध में यह घोषित करने के लिये कि उन पर अध्यासीन व्यक्ति उक्त पदों के कारण राज्य विधान मंडल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्ह न होंगे

विधेयक

यह आवश्यक है कि कुछ लाभप्रद पदों के संबंध में यह घोषित किया जाय कि उन पर अध्यासीन व्यक्ति उक्त पदों के कारण राज्य विधान मंडल के सदस्य चुने जाने या रहने के लिये अनर्ह न होंगे ;

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण अधिनियम, १९५२ ई० होगा।

(२) यह समस्त उत्तर प्रदेश में प्रचलित होगा।

(३) यह २४ नवम्बर, १९५१ ई० से प्रचलित हुआ समझा जायगा।

राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिये अनर्हता का निवारण

२—एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि राज्य सरकार के अधीन निम्नलिखित पदों के कारण उन पर अध्यासीन व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्हता न होगी और न कभी रही समझी जायगी :

(क) भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की आज्ञा के अधीन या उसके द्वारा नियुक्त किसी कमेटी या बोर्ड के, जिनके अन्तर्गत किसी विधायन या नियम के अधीन या उनके द्वारा संघटित या स्थापित कोई कमेटी या बोर्ड है, चेयरमैन या सदस्य का पद, जो ऐसी अवधि के लिये अध्यासित रहा हो जो ३० अप्रैल, १९५२ ई० के बाद की न हो,

यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९०१।

(ख) यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ४५ में उल्लिखित लम्बरदार का पद,

(ग) कुमायूं डिवीजन में प्रधान, सरगरोह और मालगुजार, देहरादून जिले के जौनसार बावर परगने में गांव सियाना या खात सियाना तथा कैमूर पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित मिर्जापुर जिले के भाग में सुपरवार के पद।

इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद उठने वाले प्रश्नों का अवधारण

३—इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद यदि किसी पद के राज्य सरकार के अधीन लाभप्रद होने के विषय में प्रश्न उठे तो वह इस प्रकार अवधारित किया जायगा मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी अपेक्षित (मेटीरियल) दिनांकों पर प्रचलित थे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ४, १९५१ ई० का निवर्तन

४--उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों का अनर्हता निवारण अध्यादेश, १९५१ ई० एतद्द्वारा निवर्तित (रिपील) किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज़ ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध इस पर उसी प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा अधिनियम (ऐक्ट) रहा हो जो किसी उत्तर प्रदेश ऐक्ट से निर्वातित किया गया था ।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों का अनर्हता निवारण अध्यादेश, १९५१ ई० गवर्नर महोदय द्वारा कुछ लाभप्रद पदों के संबंध में यह घोषित करने के लिये कि उन पर अध्यासीन व्यक्ति उक्त पदों के कारण राज्य विधान मंडल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्ह न होंगे, २४ नवम्बर, १९५१ ई० को प्रचारित किया गया था। इस अध्यादेश का व्यापार विधान मंडल के फिर से समवेत होने के दिनांक से छः सप्ताह के बाद समाप्त हो जायगा। यह आवश्यक है कि इस अध्यादेश के स्थान पर विधान मंडल का एक अधिनियम बनाया जाय। अतएव यह विधेयक उपर्युक्त प्रयोजन की पूर्ति के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है।

अली जहीर,
न्याय मंत्री।

नत्थी 'ठ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २७ पर)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

१९४७ ई० का यू० पी० ऐक्ट संख्या २६

यूनाइटेड प्राविंसेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७, को कुछ प्रयोजनों के निमित्त फिर से संशोधित करने का

विधेयक

यह आवश्यक है कि यूनाइटेड प्राविंसेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ को इसमें आगे दिये प्रयोजनों के निमित्त फिर से संशोधित किया जाय ;

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१––(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, १९५२ ई० होगा।

(२) यह ७ फरवरी, १९५२ ई० से प्रचलित हुआ समझा जायगा।

२––यूनाइटेड प्राविंसेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७, (जिसे इसमें आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्त में फ़ुलस्टाप निकाल कर निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :

"and make such incidental and consequential orders as may be necessary for effecting the change".,

३––मूल अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (३) में शब्द "their term of office shall be three years" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(3) their term of office shall be three years from the date of their respective election or if the State Government so declares by notification in the Gazette, such longer term, not exceeding five years, as may be specified."

और तत्पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (३–ए) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(3-A) The declaration under sub-section (3) may be published at any time before the expiry of three years aforesaid or where the period has been extended, before the expiry of such extended period.

४––मूल अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(3) The term of office of a member of a Gaon Panchayat other than a President or Vice-President or a member chosen to fill a casual vacancy shall be three years or if the State Government so declares by notification in the Gazette, such longer term not exceeding five years, as may be specified."

और तत्पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (३–ए) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(3-A) The declaration under sub-section (3) may be published at any time before the expiry of three years aforesaid or where the period has been extended, before the expiry of such extended period."

५—मूल अधिनियम की धारा २५–ए की उपधारा (१) में शब्द " such directions " के बाद कामा रख दिया जाय और उसके पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :

"including directions regarding payment from Gaon Sabha Fund of his salary, allowances and other dues."

६—मूल अधिनियम की धारा ४५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"45. (1) The term of office of every *Panch* shall be three years from the date of his election or if the State Government so declares by notifications in the Gazette, such longer term, not exceeding five years, as may be specified.

(2) The declaration under sub-section may be published at any time before the expiry of three years aforesaid or where the period has been extended, before the expiry of such extended period."

७—मूल अधिनियम की धारा ९५ के पश्चात् निम्नलिखित धारा " ९५–ए " के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"95-A. (1) If at any time it appears to the State Government that a Gaon Sabha or a Gaon Panchayat has made default in performing a duty imposed on it by or under this or any other enactment, the State Government may by order in writing fix a period for the performance of that duty.

(2) If the duty is not performed within the period so fixed, the State Government may direct such authority as may be specified to perform it and may further direct that the expenses, if any, of performing the duty shall be paid from the Gaon Sabha Fund and thereupon the person having the custody of the Fund shall pay the amount from such fund."

८—उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९५२, और उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९५२, एतद्द्वारा निवर्तित (रिपील) किये जाते हैं और युनाइटेड प्राविंसेज़ जनरल क्लाजेज़ ऐक्ट, १९०४, की धारा ६ और धारा २४ के उपबन्ध उन पर उसी प्रकार लागू होंगे मानों वे ऐसे अधिनियम (ऐक्ट) हों जो किसी उत्तर प्रदेश ऐक्ट द्वारा निवर्तित किये गये थे।

उद्देश्य और कारण

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७, के प्रयोग से जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उससे यह प्रकट है कि उक्त ऐक्ट में कुछ और संशोधन करना आवश्यक है। उक्त ऐक्ट के वर्तमान उपबन्धों के अधीन गांव सभा के सभापति या उपसभापति या गांव पंचायत के सदस्य या पंचायती अदालत के पंच का कार्यकाल उसके चुनाव के दिनांक से तीन वर्ष है, और इस ऐक्ट में तीन वर्ष के बाद उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिये कोई उपबन्ध नहीं है। इस विधेयक

में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह अधिक से अधिक दो साल तक उनका कार्यकाल बढ़ा सके, यदि सरकार ऐसी कार्यवाही करना आवश्यक समझे। इस विधेयक में सरकार को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह गांव सभा के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन करने के लिये ऐसी पारिमाणिक और आनुषंगिक आज्ञायें जारी करे, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

इस विधेयक में यह भी अधिकार प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे पंचायतों को गांव पंचायत के सेक्रेटरी का वेतन, भत्ता और दूसरी अदायगियां गांव सभा फंड में से देने के लिये आदेश दिया जा सके। उसी संबंध में यह भी वांछनीय समझा गया है कि अन्य स्थानीय संस्थाओं से सम्बद्ध अधिनियमों में दिये हुए अनुरूप अधिकारों के समान ऐसे अधिकार प्राप्त कर लिये जायं जिनसे किसी गांव सभा या गांव पंचायत को निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना कर्त्तव्य पालन कराने के लिये, जिसका उसने पालन नहीं किया हो, आदेश दिया जा सके, या यदि निर्दिष्ट अवधि के भीतर कर्त्तव्य पालन न किया जाय तो उक्त कर्त्तव्य का पालन कराने के लिये गांव सभा के खर्च पर उसका पालन कराने की व्यवस्था की जा सके, और उसका भुगतान सभा के फंड से कराया जा सके।

आत्माराम गोविन्द खेर,
स्वशासन मंत्री।

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ २७ पर)

उत्तर प्रदेश औषधि (नियन्त्रण) (अधिकार जारी रखने का) विधेयक, १९५२ ई०

उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) ऐक्ट, सन् १९५० ई०, को प्रचलित रखने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) ऐक्ट, सन् १९५० ई० की अवधि सीमित है और उसे उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (अधिकारों को जारी रखने) (संशोधन) का अध्यादेश, १९५२ ई०, द्वारा प्रचलित रखा गया है,

और उक्त अध्यादेश उत्तर प्रदेश विधान मंडल के पुनः समवेत होने के दिनांक से छः सप्ताह के बाद समाप्त हो जायगा,

और यह आवश्यक है कि उक्त अधिनियम को ३१ जनवरी, १९५३ ई० तक प्रचलित रखने के लिये व्यवस्था की जाय,

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने का) अधिनियम, १९५२ ई०, होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

मूल अधिनियम का प्रचलित रहना

२—उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) ऐक्ट, सन् १९५० ई०, की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या "१९५२" के स्थान पर संख्या "१९५३" रखी जायगी।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) ऐक्ट, सन् १९५० ई०, ३१ जनवरी, १९५२ ई०, को समाप्त होने को था। तो भी यह आवश्यक समझा गया कि परमावश्यक औषधियों पर एक वर्ष तक और नियंत्रण रखा जाय। उस समय राज्य विधान मंडल का अधिवेशन नहीं हो रहा था, इसलिये गवर्नर महोदय ने उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (अधिकारों को जारी रखने) (संशोधन) का अध्यादेश, १९५२ ई०, प्रचारित किया था। यह अध्यादेश राज्य विधान मंडल के अगले अधिवेशन के दिनांक से छः सप्ताह के बाद समाप्त हो जायगा। इसलिये यह विधेयक विधान सभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है।

चन्द्रभानु गुप्त,
अन्न तथा रसद मंत्री।

नत्थी 'ल'

(देखिये पीछे पृष्ठ २७ पर)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता का निषेधक (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ ई०

उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता का निषेधक अधिनियम, १९५० ई०, की अनुपूर्ति के लिये,

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट २२, १९५० — यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता का निषेधक अधिनियम, १९५० ई०, के उपबन्धों की अनुपूर्ति की जाय,

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ — १—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता का निषेधक (अनुपूरक) अधिनियम १९५२ ई० होगा।

(२) यह २६ जनवरी, १९५२ ई०, से प्रचलित हुआ समझा जायगा।

यू० पी० ऐक्ट २२, १९५० का संशोधन — २—संविधान के अनुच्छेद ३८२ में यह व्यवस्था की गई है कि जब तक उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदन संविधान के उपबन्धों के अधीन उचित रूप से संघटित न हो जायं तथा प्रथम सत्र में अधिवेशित होने के लिये आहूत न हो जायं, तब तक अस्थायी विधान मंडल के सदन प्रथमोक्त सदनों के अधिकारों का प्रयोग तथा उनके कर्त्तव्यों का पालन करेंगे, इसलिये ऐसे व्यक्ति के विषय में, जो अस्थायी विधान परिषद् का पहले से सदस्य हो और उक्त परिषद् में अपना स्थान ग्रहण कर चुका हो और बाद में उत्तर प्रदेश विधान सभा का सदस्य निर्वाचित किया जाय, उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता का निषेधक अधिनियम, १९५० ई०, की धारा ४ इस प्रकार प्रभावशाली होगी, मानो कि शब्द "इस घोषणा के प्रकाशित होने पर कि वह इस प्रकार निर्वाचित किया गया है" के स्थान पर शब्द "प्रथम सत्र में अधिवेशित होने के लिये उक्त सभा के आहूत होने पर" रख दिये गये थे।

निवर्तन। यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९०४ — ३—उत्तर प्रदेश विधानमंडल की समकालीन सदस्यता का निषेधक (अनुपूरक) अध्यादेश, १९५२ ई०, एतद्द्वारा निवर्तित किया जाता है और यू० पी० जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४, की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध उसे उसी प्रकार लागू होंगे कि वह एक मानों ऐसा विधान (ऐक्ट) था जो किसी उत्तर प्रदेश ऐक्ट द्वारा निवर्तित किया गया हो।

उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद ३८२ में यह व्यवस्था की गयी है कि जब तक उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदन संविधान के उपबन्धों के अधीन उचित रूप से संघटित न हो जायं, तथा प्रथम सत्र में अधिवेशित होने के लिये आहूत न हो जायं, तब तक अस्थायी विधान मंडल के सदन उक्त सदनों के अधिकारों का प्रयोग तथा उन के कर्त्तव्यों का पालन करेंगे। तदनुसार उत्तर

प्रदेश की अस्थायी विधान परिषद् के ऐसे सदस्यों के उस दिनांक से, जब संविधान के अधीन उक्त सभा प्रथम बार अधिवेशित होने के लिये आहूत की जाय, स्थानों की रिक्तता की व्यवस्था के लिये गवर्नर ने अध्यादेश प्रचारित किया था ।

यह विधेयक उक्त अध्यादेश के स्थान पर प्रस्तुत किया जाता है ।

अली जहीर,
न्याय मंत्री ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ३४ एल ०—१६५२—६६०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १४ मार्च, १६५२ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में माननीय अध्यक्ष, श्री नफ़ीसुल हसन, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (१३८)

अक्षयवर सिंह, श्री
अब्दुल ग़नी अन्सारी, श्री
अब्दुल मजीद, श्री
अम्मार अहमद खां, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
इर्तिजा हुसैन, श्री
ई० एम० फ़िलिप्स, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
करीमुर्रजा खां, श्री
किशन चन्द पुरी, श्री
कुंजविहारी लाल शिवानी, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
खुशवक्त राय, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगा सहाय चौबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गुरुनारायण, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
गोविन्द सहाय, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चरण सिंह, माननीय श्री
चेतराम, श्री
छेदालाल गुप्त, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जफर अहमद, श्री
जमीलुर्रहमान क़िदवाई, श्री
जयकृष्ण श्रीवास्तव, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जाहिद हसन, श्री
जुगुलकिशोर, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दयाल दास भगत, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
नवाजिश अली खां, श्री
नवाब सिंह चौहान, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दास, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रयाग नारायण, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़खरुल इस्लाम, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
ब्रजमोहन लाल शास्त्री, श्री
ब्रजरानी देवी, श्रीमती
बेचन राम गुप्त, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री

भगवानदीन, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
भीमसेन, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
महमूद अली खां, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मुख़्तार अहमद किदवाई, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद एवज़, श्री
मुहम्मद जमशेद अली खां, नवाब
मुहम्मद रज़ा ख़ाँ, श्री
मुस्म्मद रहमत खां, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मुहम्मद शोएब, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
राजकुंवार सिंह, राव
राजाराम शास्त्री, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृपाल सिंह, श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
रामचन्द्र सेहरा, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामधर मिश्र, श्री
रामधारी पांडे, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रुकनुद्दीन, खां, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर, श्री
लाल बिहारी टंडन, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विद्याधर बाजपेयी, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय कुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पांडेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्याम लाल वर्मा, श्री
श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
सईद अहमद, श्री
सज्जन देवी मनहोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सरवत हुसैन, श्री
सलीम हामिद खां, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सैयद ज़ाकिर अली, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हर गोविन्द पंत, श्री
हर प्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री

माननीय श्री सैयद अली ज़हीर तथा माननीय श्री हर गोविन्द सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

मई, १९५१ ई०, में बिजनौर कलक्टरी के अवकाश प्राप्त और मुअत्तल कर्मचारी

१-श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या माननीय माल मंत्री कृपया यह बतायगे कि पिछले मई मास में जिलाधीश बिजनौर के तबादले के समय कलक्टरी कचेहरी के कितने कर्मचारी मुअत्तल थे और कितने छुट्टी पर थे ?

माननीय श्री हुकुम सिंह (माल मंत्री)--दो कर्मचारी मुअत्तल और पांच छुट्टी पर थे।

२-श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या माल मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि इन मुअत्तल किये गये कर्मचारियों का अपराध क्या था और क्या जिलाधीश ने उन्हें अपने जाने से पूर्व बहाल कर दिया था ?

माननीय श्री हुकुम सिंह--एक कर्मचारी मद्यपान, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, काम की खराबी एवं जुआड़ी होने की शिकायत के कारण तथा दूसरा निष्क्रांत-सम्पति के दाखिल-खारिज के वादों में अवैध लाभ के स्वीकार करने के संदेह में मुअत्तल थे। जिलाधीश ने उन्हें अपने जाने से पहिले बहाल कर दिया था।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या यह सही है कि जिन लोगों को छुट्टी पर भेजा गया था या जो मुअत्तल हुये थे, उनके खिलाफ जो रिपोर्ट थीं वह सही नहीं थीं ?

माननीय श्री हुकुम सिंह--जो छुट्टी पर थे उनके खिलाफ कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं थी। वह तो मुख्तलिफ वजूहात पर छुट्टी लिये थे। दो शख्स मुअत्तल थे, एक के खिलाफ़ महज शिकायत थी, कोई बात साबित नहीं हुई और दूसरे के खिलाफ कुछ चार्जेज साबित हुये तो उसको कुछ सजायें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने दीं।

३-श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि छुट्टी पर जाने वाले कर्मचारी कितने-कितने दिन की छुट्टी पर गये थे ?

माननीय श्री हुकुम सिंह-- एक तालिका माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४४ पर।)

श्री जहूर अहमद के निधन पर शोकोद्गार

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त (मुख्य मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का अफ़सोस है कि हमारी इस सभा के सदस्य श्री जहूर अहमद का इस बीच में देहान्त हो गया। वह बहुत दिनों से हमारी व्यवस्थापिका सभा से ताल्लुक़ रखते थे। पुरानी कौंसिल के भी वे मेम्बर थे और जब इस देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी तब भी वह उसमें काफ़ी हिस्सा लेते थे। बाद में वे कौंसिल के भी और नई असेम्बली के भी अरसे से मेम्बर रहे और अपने विचारों के मुताबिक देश की सेवा करने की पूरी कोशिश करते रहे। उन्होंने हम लोगों की जब तक वे जीवित थे, हर तरह से मदद की। देश को आगे बढ़ाने में और उसको कामयाब कराने में, जो कुछ उनसे हो सकता था उसे करने में, वे दत्तचित्त रहते थे। कुछ दिनों से वे बीमार चले आते थे और उस बीमारी से तकलीफ़ में होते हुये भी उन्होंने कौंसिल और असेम्बली में जब भी मौक़ा मिला तब हाजिर रहने की और यहां के कामों में हिस्सा लेने की कोशिश की। वे एक बहुत पुराने मेम्बर थे। मुझे अफ़सोस है कि वे हमारे बीच में नहीं रहे। मैं आपसे दरख़्वास्त करता हूं कि आप इस असेम्बली की ओर से उनके कुनबे वालों को हमारी दिली हमदर्दी का इजहार करने की कृपा करें।

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

श्री त्रिलोकी सिंह---अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री जहूर अहमद जी का नाम मैं इस प्रदेश के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं में बचपन से सुना करता था। इलाहाबाद के मशहूर व मारूफ़ बैरिस्टर होने के अलावा पुरानी लेजिस्लेटिव कौंसिल के भी वे मेम्बर थे और राजनीतिक कार्यों के साथ-साथ सामाजिक कार्यों में भी उनकी हमेशा खासी दिलचस्पी रही। पिछले तीन वर्षों से उनका स्वास्थ्य ख़राब था। उनको फ़ालिज की बीमारी हो गई थी। बावजूद इसके वह असेम्बली के अधिवेशन में शरीक होते थे और सदा उनके दिल में यह भावना रहती थी कि जो कुछ उनसे हो सके वे देश की सेवा करें। मुझे इस बात का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ कि अक्सर उनसे मिलकर बात करूं और सलाह करूं। बावजूद अपने स्वास्थ्य के ख़राब होने के वे हमेशा बहुत खुशी से, जो दिक्कत उनके सामने पेश की जाती थी, उसमें सलाह देते थे। उनके न रहने से इस प्रदेश के राजनीतिक क्षेत्र से पुराने काम करने वालों में से विशेषकर इलाहाबाद शहर से एक बड़ा भारी रुक्न उठ गया है जिसका हम सबको दुःख है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरी पार्टी तथा इस असेम्बली की ओर से उनके परिवार को, उनके न रहने पर जो हमको दुःख है, उसकी सूचना भेजने की कृपा करें।

नवाब मुहम्मद जमशेद अली खां---जनाबवाला, जो सवाल इस वक़्त हाउस के सामने है वह निहायत ही अफ़सोसनाक और दर्दनाक मज़मून का है। जहूर अहमद साहब मेरे क़दीम करमफ़रमां और दोस्त थे और मिस्ल हक़ीक़ी भाई के हम आपस में मिला-जुला करते थे। आज यह मालूम होकर बहुत दुख हुआ कि वे हमारा साथ छोड़ गये। उनकी ख़िदमात इस हाउस के अन्दर ऐसी नहीं हैं जिनको आसानी से भुलाया जा सके। बावजूद इसके कि अरसे दराज से वे बीमार थे और चलना-फिरना भी उनका मुश्किल से होता था, वे अपने फ़रायज़ को बहुत दिलचस्पी के साथ अदा करते थे और इलाहाबाद से लखनऊ का सफ़र करते थे और यहां पर शिरकत करते थे। यह जहूर साहब मुल्क के उन सिपाहियों में से थे जिन्होंने आज़ादी की जंग में एक क़दीम ज़माने से बराबर हिस्सा लिया है और हर उस तहरीक में, जो मुल्क की आज़ादी के लिये, यहां से अंग्रेज़ों को हटाने के लिये की जाती थी, सीनासिपर होकर मौजूद रहते थे। वतन की ख़िदमात में वे हमेशा सब से आगे रहते थे। वह आज हमसे जुदा हो गये यह निहायत अफ़सोस का मुक़ाम है। मैं श्री त्रिलोकी सिंह साहब की राय से बिल्कुल इत्तफ़ाक करता हूं कि जनाब, मेरी जानिब से, मेरी पार्टी की जानिब से, इन्तहाई ग़म का इज़हार उनके खानदान को इस हाउस की तरफ़ से भेजने की इनायत करें कि इस हाउस की उनके साथ पूरी हमदर्दी है। आप इन ख्यालात को उनके खानदान के लोगों को भेज दें।

श्री फ़खरुल इस्लाम---जनाबवाला, मुझे अभी इस हाउस में यह खबर मालूम हुई कि हमारे बुज़ुर्ग शेख जहूर अहमद साहब आज हमारे बीच में नहीं हैं। जनाबवाला को यह मालूम है कि जहूर अहमद साहब की ख़िदमत अरसे दराज से जारी थी और खुसूसियत से नान-कोआपरेशन मूवमेंट की तहरीक जो इस मुल्क के लिये जारी हुई वह उनके ही घर से जारी हुई थी और सब से पहले उनके बंगले पर ही यह तहरीक मंजूर हुई थी। वे लोग जो उस वक़्त से सियासी दुनिया में हैं जानते हैं कि श्री जहूर अहमद साहब ही के बंगले से, जो इलाहाबाद में है वह नान-कोआपरेशन की पहली तजवीज़ मंजूर हुई थी। उसके बाद जो कारनामे सियासी तौर पर उन्होंने ख़िलाफ़त और कांग्रेस के सिलसिले में किये वे सबको मालूम हैं और श्री जहूर अहमद उन सब में आगे रहने वालों में थे और उनकी जिन्दगी एक सियासी जिन्दगी रही। उन्होंने बार-ऐट-ला करने के बाद सिर्फ़ चन्द दिन तक ही प्रैक्टिस की और उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी ताक़त जनता और मुल्क की ख़िदमत करने में लगादी। इलाहाबाद की सियासी बेदारी में अगर दूसरे पूज्य नेताओं का हाथ है तो मैं कह सकता हूं कि उसमें जहूर अहमद साहब का भी बहुत बड़ा और काफ़ी मज़बूत हाथ रहा है। उनकी जिन्दगी से हम सब यह सबक़ ले सकते हैं कि वे जिस काम में भी लगते थे अपने तन, मन, धन से उसको आख़िरी मंज़िल तक पहुंचाने की हमेशा कोशिश करते थे और इसी चीज़ को पूरा करने के लिये

वे अपनी ज़िन्दगी भर बड़े से बड़े कारनामे पेश करते रहे। मुझे अफसोस है कि वे आज हमारे बीच में नहीं रहे जब कि हमको उनकी सख्त ज़रूरत थी।

इधर कुछ दिनों से उनकी तबियत ऐसी ख़राब रही कि वे सियासी कामों में उतनी दिलचस्पी से हिस्सा नहीं ले सके जैसा कि वे चाहते थे। जनाबवाला को मालूम है कि मुझे भी जहां तक सियासत में आगे खींच कर लाने का सवाल है उसमें भी जहूर अहमद साहब का बड़ा हाथ रहा और मैं समझता हूं कि हमारे शहर का एक सियासी रहनुमा और खुद मेरा एक बहुत बड़ा रहबर जिसने मुझे सियासी ज़िन्दगी में जगह दी, आज नहीं है। जो कुछ आनरेबिल प्रीमियर ने और इधर बैठने वाले दोस्तों ने कहा है उसकी मैं भी ताईद करता हूं और अपनी जानिब से और अपनी पार्टी की जानिब से उनके पसमांदगान के साथ इज़हारे अफ़सोस करता हूं।

श्री ई० एम० फ़िलिप्स––श्रीमान् स्पीकर महोदय, सबसे पहले मेरी मुलाक़ात श्री जहूर अहमद साहब से सन् १९२२ ई० में हुई। वह ज़माना था जब कि नान-कोआपरेशन बहुत ऊंचे दर्जे पर था और वह मुलाक़ात उनसे एक राय लेने के सिलसिले में हुई और उन्होंने मुझे राय दी लेकिन मैंने उनसे जो फ़ायदा उठाया वह उनकी उस राय से ही उठाया, जो कि वह उस वक्त मुल्क के मुताल्लिक़ रखते थे। मैं मुहकमा पुलिस में उस वक्त था और बहैसियत कोर्ट इंस्पेक्टर के मुझे कोई इग्ज़ीक्यूटिव ड्यूटीज़ नहीं करना पड़ती थीं और जब कभी मुझे उनके साथ काम करने का मौक़ा मिला तो मैंने उनको हमेशा देखा कि वे अपनी राय पर सच्चे थे और सदाक़त पर कायम थे। उसके बाद सन् १९२७ ई० में जब मैंने अमरीका जाने का इरादा किया तो उन्होंने मुझसे यह कहा कि तुम बहैसियत मुलाज़िम सरकार के भी ख़िदमत कर सकते हो और वह इस तरीक़े से कि मिस मेयो की जो किताब निकली है उसकी तरदीद करो। उसके बाद मैं श्रीमती नायडू से फ़ैज़ाबाद में मिला ताकि और सही वाक़यात मालूम हो जायं। मैंने उनकी राय पर अमल किया था और इंडियन एकेडेमी के ज़रिये से उसकी तरदीद अमरीका में पेश कराई। उस वक्त मुझे अन्दाज़ा हुआ कि उन्होंने हर तरीक़े से मुल्क की ख़िदमत करना चाही थी। इस तरीक़े से वह अपने दोस्तों से भी मुल्क की ख़िदमत कराना चाहते थे। मुझे उनके ख़यालात से बराबर इत्तिफ़ाक़ रहा क्योंकि वे हमेशा ऐसी बात कहा करते थे कि जिससे मुल्क की तरक्क़ी हो और वह आगे बढ़े। उनके व्यूज़ (विचार) हमेशा मुल्क को आगे बढ़ाने वाले होते थे। अब जबकि मैं और वे दोनों इस असेम्बली के मेम्बर रहे तो वे मेरे कमरे के बराबर रहते थे। तब भी मैं यह देखता था कि उनको यह ख़याल रहता था, प्रोग्राम में भी जो बात आती थी उसका उन्हें यह ख़्याल रहता था कि इसमें फ़लानी बात जो आई है वह ऐसी है कि जिससे हमारे मुल्क की तरक्क़ी हो सकती है। इन बातों से न सिर्फ़ यही कि मुल्क को फ़ायदा पहुंचता था बल्कि मुझे ख़ुद को भी फ़ायदा पहुंचा। बहैसियत दोस्त के मैं उनका बड़ा मशकूर और ममनून हूं। बड़ा अफ़सोस है कि वे अब हमारे साथ नहीं हैं। इस रास्ते पर हम सबको जाना है और वे हमसे आगे चले गये। लेकिन मैं यह जानता हूं कि हम उनको इस तरह से याद रखेंगे जिससे कि आयन्दा हम उनके ख़यालात से फ़ायदा भी उठावें और उनकी क़द्र हमारे दिल में हमेशा रहे। मुझे इस बात से बिल्कुल इत्तिफ़ाक़ है कि जो उनके ख़ान्दानवालों को ख़त लिखा जाय उसमें हम लोगों का इज़हारे अफ़सोस किया जाय कि हम लोगों को बहुत अफ़सोस है।

श्री राजाराम शास्त्री––अध्यक्ष महोदय, श्री जहूर अहमद साहब की मत्यु के बारे में हम लोग इस समय शोक मना रहे हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भवन के बहुत क़ाबिल-क़ाबिल लोग हमारे बीच से उठते चले जा रहे हैं। मुझे याद है कि श्री जहूर अहमद ने सन् १९२१––२२ में देश के आन्दोलन में भाग लिया था। उसके बाद उनक विचार बदले और जब कभी भी वे इस भवन में बोले तो हमारे और उनके विचारों में भिन्नता भले ही हो लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा, वही कहा जिसको वह सत्य और देश के फ़ायदे के वास्ते समझते थे। वे एक अच्छे देशसेवक थे। राजनीतिक विचारों में अन्तर होना साधारण बात है परन्तु उसके साथ सच्चाई उन्होंने नहीं छोड़ी। जो विभिन्न दलों की ओर से विचारयहां इस समय

[श्री राजाराम शास्त्री]

प्रकट किये गये हैं उनसे मैं पूर्णतया सहमत हूं और मुझे आशा है कि आप हमारे इन विचारों को उनके परिवार वालों के पास अवश्य भेज देंगे। हम केवल यही चाहते हैं कि उनकी अच्छी बातों की हम क़द्र करें और देश की अच्छी से अच्छी सेवा करें।

माननीय अध्यक्ष---माननीय मुख्य मंत्री और दूसरे माननीय सदस्यों ने जिन ख़यालात का इज़हार ज़हूर अहमद साहब के मुताल्लिक़ किया है मैं उनकी पूरे तरीक़े से ताईद करता हूं। ज़हूर अहमद साहेब इस सदन के और इससे पहले कौंउंसिल के मेम्बर थे और लगातार क़रीब-क़रीब ३२-३४ साल से मेम्बर चले आ रहे थे। उनकी ज़िन्दगी, जैसा कि अभी कहा गया है, मुल्क की आज़ादी के लिये, मुल्क की सेवा के लिये बराबर सर्फ़ हुई। बावजूद इसके कि वह एक लायक़ बैरिस्टर थे, अपने वक्त का ज्यादातर हिस्सा उन्होंने इस मुल्क की खिदमत में सर्फ़ किया। मेरी उनसे जान-पहचान एक काफ़ी अर्से की बात हो गयी मैंने बराबर उनमें वह चीज़ पायी जो कि बुज़ुर्गों में ख़ासतौर से हुआ करती है। वह मेरे साथ किस क़दर शफ़क़त से पेश आते थे यह मैं ही अच्छी तरह से महसूस कर सकता हूं। मुझे उनके न रहने का सख्त सदमा है। हालांकि उनकी तन्दुरुस्ती पिछले दो-तीन वर्षों से काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह हत्तुलइमकान कोशिश करते थे कि जो कुछ हिस्सा इस आदरणीय सदन की कार्यवाही में ले सकें वह लें। उनका इन्तक़ाल ८ मार्च को उनके मकान मऊआयमा, जिला इलाहाबाद में हुआ। मैं, जैसा कि इस आदरणीय सदन ने कहा है, इसके रंज के इज़हार को ज़रूर उनके कुनबेवालों के पास भेज दूंगा।

अब मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप सब दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान जाहिर करने के लिये अपनी-अपनी जगह पर एक मिनट के लिये खड़े हो जायं।

(सब सदस्य एक मिनट के लिये अपने अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

लोक सभा के लिये निर्वाचित हो जाने के कारण कतिपय सदस्यों के विधान सभा से त्याग-पत्र

माननीय अध्यक्ष--- मुझे यह घोषणा करनी है कि जो पहले ८ माननीय सदस्यों ने त्याग-पत्र इस आदरणीय सदन की सदस्यता से दिये थे उनके अतिरिक्त भी १४ त्याग-पत्र और आये हैं। ये सब उसी कारण से हैं कि लोक-सभा के लिये वे लोग चुन लिये गये हैं। उनके नाम ये हैं---

१---श्री सिंहासन सिंह
२---श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर
३---श्री राम शरण
४---श्री सीताराम अष्ठाना
५---श्री लोटन राम
६---श्री अलगू राय शास्त्री
७---श्री बादशाह गुप्त
८---श्री मसुरिया दीन
९---श्री होती लाल अग्रवाल
१०---श्री रघुवीर सहाय
११---श्री कृष्णचन्द्र (मथुरा)
१२---श्री वेंकटेश नारायण तिवारी
१३---श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल
१४---श्री परागी लाल।

ये सब त्याग-पत्र मुझे ११ तारीख के अन्दर मिल गये।

सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय निजी जंगल संरक्षण ऐक्ट की धारा ७५ (३) के अन्तर्गत निर्मित नियम

माननीय श्री हुकुम सिंह--मैं सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय निजी जंगल संरक्षण ऐक्ट की धारा ७५, उपधारा (३) के अन्तर्गत १९५० ई० के उत्तर प्रदेश निजी जंगल संरक्षण नियम की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगें

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मैं वित्तीय वर्ष सन् १९५१-५२ ई० के (द्वितीय) अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगें उपस्थित करता हूं।

वित्तीय वर्ष १९५२-५३ ई० का आय-व्ययक

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--श्रीमान्, मैं १९५२-५३ का बजट पेश करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

जैसी कि परम्परा रही है, वित्त मंत्री को बजट पेश करते समय उसकी मुख्य-मुख्य बातों पर और उसमें दी हुई विभिन्न मांगों के प्रयोजनों और उद्देश्यों पर विस्तृत रूप में अपने विचार प्रकट करने चाहिये। लेकिन मेरा काम अपेक्षाकृत कुछ आसान है। इस बजट में, जो कि सदन में पेश किया जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो। कारण स्पष्ट ही है। आम चुनाव शीघ्र ही खत्म हो जायेंगे और अगले कुछ हफ्तों के भीतर नये विधान मंडल की स्थापना हो जाने के बाद एक नयी सरकार बन जायगी। इन परिस्थितियों में यह ठीक ही होगा कि नयी सरकार और नये विधान मंडल को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को अंतिम रूप से तय करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिये उपयुक्त वित्तीय व्यवस्था करने का अवसर दिया जाय। इसलिये मौजूदा सरकार को अभी इस मौके पर किसी नयी नीति का श्रीगणेश करने अथवा सदन को किसी बड़ी रक़म के अतिरिक्त खर्च के लिये वचनबद्ध करने की जरूरत नहीं है। यह मुनासिब ही है कि अगले वित्तीय वर्ष का असली बजट बनाने का काम नयी सरकार पर छोड़ दिया जाय।

फिर भी संविधान के अधीन कुछ कानूनी पाबंदियों का पूरा करना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम १४८ के अनुसार यह आवश्यक है कि किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र को उससे पहले के वित्तीय वर्ष में पेश किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले नये विधान मंडल को न तो पूर्ण रूप से बनाया ही जा सकता है और न उसकी बैठक ही बुलायी जा सकती है। इसलिए इस महीने के खत्म होने के पहले ही सदन के सम्मुख अगले वर्ष का एक अस्थायी बजट पेश करना जरूरी हो गया है। नये वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के बाद अंतिम बजट के स्वीकृत होने तक कुछ समय अवश्य व्यतीत हो जायगा। यह जरूरी है कि इस अवधि में प्रशासन के लिये आवश्यक धनराशि की स्वीकृति नये वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने से पहले ही प्राप्त कर ली

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

जाय। संविधान के अनुच्छेद २०६ क अनुसार लखानुदान (Vote on Account) पर विधान मंडल की स्वीकृति मांगने से पहले उस वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र को पेश करना जरूरी ह जिसके लिए स्वीकृति मांगी जा रही हो। इस कारण भी मौजूदा सरकार के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह आगामी वर्ष क लिये एक अस्थायी बजट (Provisional budget) सदन के सामने पेश करे। इस काम चलाऊ (caretaker) बजट म प्राप्तियों के तखमीने राजस्व क वतमान साधनों के आधार पर तैयार किये गये हैं और खर्च के तखमीने केवल वतमान सेवाओं के खर्च को पूरा करन के उद्देश्य से व्यय क वतमान स्तर के आधार पर तैयार किये गए हैं। इस अस्थायी बजट म व्यय की नयी मद शामिल नहीं की गयी हैं। यही कारण ह कि परम्परागत विस्तृत बजट भाषण अनावश्यक हो गया है और बजट साहित्य का वह खंड, जिसमें व्यय की नयी मदों के संबंध में टिप्पणियां दी हुई होती हैं, माननीय सदस्यों के सामने पेश नहीं किया गया है। इसम कोई सन्देह नहीं कि नयी सरकार इस अस्थायी बजट म दिये हुए प्रस्तावों का पुनरवलोकन करेगी और यदि चाहेगी तो उसम आवश्यक संशोधन करके नये तखमीने पेश करेगी।

यद्यपि इन परिस्थितियों में बजट म दी हुई किसी भी मद क लिय स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है और मैं अभी अपन राज्य के भावी विकास क बारे में कोई नयी योजनाय पेश नहीं कर सकता हूं। फिर भी सदन शायद यह चाहेगा कि मैं राज्य की वित्तीय स्थिति और तत्संबधी उन कार्यवाहियों का संक्षप में बयान करूं जो मौजूदा सरकार ने अपने कार्यकाल में, जो कि जल्दी ही खत्म होने जा रहा है, की हैं। १९४६ ई० में पद ग्रहण करने के समय हम एडवाइजरी शासन से एक ऐसे राज्य का काय-भार ग्रहण करना पड़ा जो क़रीब क़रीब पुलिस राज्य था। उस समय हमारे गवर्नर एक अंग्रेज थे और बहुत से प्रमुख प्रशासकीय पदों पर अंग्रेज अफसर नियुक्त थ। शान्ति व व्यवस्था बनाय रखन और नित्य-प्रति के प्रशासन क लिये ही मुख्य तौर पर सरकारी रुपया खर्च किया जा रहा था। यहां तक कि १९३७ और १९३९ ई० के बीच जो थोड़े से विकास संबंधी कार्य हम शुरू कर पाय थ, उनकी भी ऐडवाइजरी शासन म उपक्षा की गयी। विकास विभागों पर बहुत थोड़ा व्यय किया गया। युद्ध काल की निरन्तर बढ़ती हुई मुद्रास्फीति (inflation) के फलस्वरूप एडवाइजरी शासन न राजस्व म बहुत बचतें कर ली थीं। लेकिन उसने राष्ट्रनिर्माण योजनाओं पर खच करने की आवश्यकता की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। यद्यपि राज्य की आर्थिक स्थिति युद्ध कालीन मुद्रास्फीति के असर से संभल नहीं पा रही थी और पूंजी जमा होना क़रीब क़रीब रुक गया था, और सभी बातों से स्पष्ट था कि देश के रहन-सहन के स्तर, जो पहले ही बहुत गिरे हुये थे और अधिक गिर जायंगे, फिर भी राज्य इस घटनाचक्र को बदलने के लिये कुछ भी नहीं कर रहा था। इसलिऐ हमारा पहला काम यह था कि हम ऐसी विकास योजनाय तैयार और कार्यान्वित कर, जिनसे इस राज्य के निवासियों की आर्थिक दशा सुधर सके।

इस काम पर होने वाला खर्च बहुत ज्यादा था और इस राज्य की ताक़त क बाहर प्रतीत होता था। परन्तु थोड़ा-थोड़ा करके कुछ वर्षों में केन्द्रीय सरकार न कुल लगभग ४६ करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने का वचन दिया। तदनुसार योजनाय तैयार की गयीं और उन्हें यथाशीघ्र कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया गया। स्कूलों, अस्पतालों सड़कों, इमारतों, बांधों, बिजली घरों और सिंचाई के निर्माण-कार्य आरम्भ किए गए। भूमि को खेती योग्य बनाने और उपनिवेश बसाने की योजना तथा कृषि और पशु पालन के सुधार की योजनाओं को अमल में लाया गया। सामाजिक और कृषि संबंधी सुधार की व्यापक कार्यवाहियों को करने के लिये प्रारम्भिक कार्यवाहियां आरम्भ की गयीं और जनता क कल्याण की विभिन्न योजनायें तैयार की गयीं।

यद्यपि इन योजनाओं पर व्यय यथोचित सावधानी क साथ और एसी परिस्थितियों में किया गया था जो वित्तीय दृष्टि से काफी आशा-प्रद थीं, फिर भी इन योजनाओं के कार्यान्वित

करने में जल्दी ही बड़ी-बड़ी कठिनाइयां सामने आ पड़ीं जिनके लिये हम जिम्मेदार नहीं थे। योजनाओं के आरम्भ किये जाने के बाद ही केन्द्रीय सरकार उस वित्तीय सहायता को बन्द करने के लिये विवश हो गयी, जिसके देने का उसने वचन दिया था। कुछ ऐसे बड़े-बड़े क्षेत्रों के, जो पहले इस देश के भाग थे, और जहां आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न उत्पन्न होता है, बंटवारे के बाद विदेशी क्षेत्र बन जाने के कारण इस देश में गल्ले की बहुत कमी हो गयी और इससे मुद्रास्फीति की ताक़तों ने जो पहले ही से काम कर रहीं थीं और भी जोर पकड़ लिया। राज्य की वित्तीय स्थिति पर इसका दो तरह का असर पड़ा। सभी प्रकार की सेवाओं के खर्चे में बढ़ती हुई। शहरी जनता को अन्न सप्लाई करने और बांटने में करोड़ों रुपये का अनुत्पादक व्यय करना पड़ा। शरणार्थियों के आने से भी राज्य की वित्तीय स्थिति पर अप्रत्याशित भार पड़ा और शान्ति व व्यवस्था बनाये रखने में भी काफ़ी अधिक खर्चा करना पड़ा। एक ओर जितने अचानक ढंग से राजस्व व्यय में इस तरह बढ़ती हुई, दूसरी ओर उतने ही अचानक ढंग से पूंजी प्राप्तियां आशा के अनुकूल नहीं हुईं। यद्यपि देश में मुद्रास्फीति अत्यधिक थी फिर भी आमदनी की वितरण व्यवस्था में परिवर्तन होने के कारण पूंजी प्राप्त करना बहुत कठिन हो गया और सार्वजनिक ऋण न लिये जा सके। सरकार ने स्वभावतः यह आशा की थी कि उसे अपनी पूंजी योजनाओं (Capital Schemes) को वित्तपोषित करने के लिये जितने रुपये की जरूरत होगी उसका अधिकांश हुंडी बाजार (money markets) में मिल जायगा। लेकिन हुआ यह कि जितनी उम्मीद की गयी थी उसका थोड़ा भाग भी प्राप्त न हो सका। इन बातों को देखते हुये सदन को आसानी से यह मालूम हो जायगा कि राज्य की विकास योजनाओं को, जिनकी शुरुआत बड़ी उम्मीदों के साथ हुई थी, बहुत जल्द ही अत्यधिक वित्तीय कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ा। इस प्रकार यह ज्ञात हो जायगा कि यद्यपि यह राज्य बहुत बातों में स्वशासित है और इसका अपनी नीति पर एक बड़ी हद तक नियंत्रण है फिर भी जिन अप्रत्याशित कारणों से इसकी वित्तीय स्थिति में यह प्रतिकूल परिवर्तन हुआ, वे उसकी नियंत्रण शक्ति के बिलकुल बाहर थे।

इस प्रकार जो स्थिति पैदा हुई उसका सामना करना आसान नहीं था। नये कर लगाये जा सकते हैं या नहीं, इस पर भी विचार किया गया, लेकिन यह महसूस किया गया कि इस वक्त जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुये इससे कुछ वर्गों की तकलीफें बढ़ जावेंगी। १९४८ ई० में बिक्री कर लगाया गया और हमने महसूस किया कि अगर लगातार बढ़ते हुये दामों को रोकना है—और उस समय दामों के बढ़ने को रोकना बहुत महत्वपूर्ण था—तो कम से कम फिलहाल अतिरिक्त कर न लगाने चाहियें। लेकिन साथ ही हम इसके लिये भी तैयार नहीं थे कि विकास योजनाओं में, जिनसे हमें बड़ी आशाएं थीं, काट-छांट की जाय या उन्हें बिलकुल ही खत्म कर दिया जाय। इन हालतों में मुझे यह कहते हुये खुशी होती है कि हमने उस अत्यधिक कठिन समय में न सिर्फ लोगों पर अतिरिक्त कर का भार नहीं डाला, बल्कि वास्तव में विकास कार्य के व्यय में वृद्धि भी की। ऐसा करने में सफलता मिलने का मुख्य कारण यह है कि खरचों में कड़ाई के साथ कमी की गयी और इस प्रकार जो रक़में बचीं, उन्हें विकास योजनाओं के व्यय को पूरा करने में लगाया गया। इस प्रकार संकट पर क़ाबू पा लिया गया और राष्ट्र-निर्माण-कार्यों के लिये जितनी रक़मों की व्यवस्था की गयी थी उनका दिया जाना केवल जारी रखा गया, बल्कि उनमें वास्तव में बढ़ती भी की गयी। मिसाल के तौर पर मैं आपका ध्यान शिक्षा, कृषि और पशु-पालन विभागों के व्यय की ओर दिलाता हूं। शिक्षा विभाग का अनुदान अब लगभग ८ करोड़ रुपया है, जब कि वह १९३६-३७ ई० में २.०६ करोड़ और १९४५-४६ ई० में २.६५ करोड़ रुपया था। कृषि और पशु-पालन विभागों को, जिन्हें १९४५-४६ ई० में ११४ लाख रुपये मिलते थे, अब अपने वायदों को पूरा करने के लिये ४७२ लाख रुपये से अधिक की आवश्यकता है। ऐसी ही पूंजी संबंधी स्थिति भी है। जबकि १९४५-४६ ई० में सिंचाई योजनाओं के पूंजी व्यय के लिये ७८ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी अब इसके लिये ३३६ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक वर्क्स (जल विद्युत् निर्माण कार्यों) का पूंजी व्यय ५१ लाख रुपये से बढ़कर ३२९ लाख रुपया

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

हो गया है। १९४५-४६ ई० में औद्योगिक विकास के लिये पूंजी की लागत की कोई व्यवस्था नहीं थी। बजट वर्ष में उम्मीद है कि यह २ करोड़ रुपया हो जायेगा। हमारे कार्यकाल में नयी सड़कों और इमारतों के बनाने में राज्य ने २० करोड़ रुपये का राजस्व और पूंजी दोनों ही प्रकार का व्यय किया है। राज्य के कुछ इलाकों में परिवहन (Transport) के राष्ट्रीयकरण और राज्य की बस सरविसों को संगठित करने में ३ करोड़ रुपये से अधिक लगाया गया। साधारण तौर पर यह सब पूंजी व्यय सार्वजनिक ऋण से पूरा किया जाना चाहिये था, लेकिन उन कारणों से, जिन्हें मैं बता चुका हूं, खुले बाजार से कुल ४.५ करोड़ रुपया ऋण के रूप में मिला। इसका नतीजा यह हुआ कि राज्य को भारत सरकार से जो कुछ भी ऋण मिल सका उसी पर उसको निर्भर रहना पड़ा और बाकी के लिये अपने ही साधनों का सहारा लेना पड़ा।

माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि मौजूदा वित्तीय कठिनाई और पूंजी की कमी जैसी बाधाओं के होते हुये भी राष्ट्र-निर्माण संबंधी कार्यों पर यह सब अतिरिक्त व्यय, राज्य की वित्तीय स्थिति को किसी भी प्रकार कमजोर किये बिना ही पूरा किया गया। वास्तव में सावधानी के साथ वित्तीय स्थिति को अच्छी दशा में रखा गया है और वह पहले से अधिक सुदृढ़ हो गयी है। १९४६-४७, १९४७-४८, और १९४८-४९ ई० के अन्त में क्रमश: २.०४ करोड़, १.०५ करोड़ और २.९१ करोड़ रुपये की राजस्व की बचतें हुई। सिर्फ १९४९-५० ई० में केन्द्रीय राज्य सहायता (central subsidy) में अप्रत्याशित कमी हो जाने के फलस्वरूप २.३१ करोड़ रुपये का घाटा, हुआ जिसके कारण सुरक्षित निधि (Revenue Reserve fund) से रुपया निकालना पड़ा। लेकिन तुरन्त ही खरचे में आवश्यक कमी-बेशी की गयी और १९५०-५१ ई० में फिर कुछ बचत हुई। चालू वित्तीय वर्ष में हाल ही में बाहर से मंगाये गये गल्ले के दाम तेजी से बढ़ जाने के फलस्वरूप अन्न योजना के सिलसिले में जो भारी घाटा उठाना पड़ा उसे पूरा करने के लिये पूंजी में १ करोड़ रुपया मुन्तक़िल करने के बाद भी संशोधित तखमीनों में आय के मुक़ाबिले खर्चा केवल ४१ लाख रु० अधिक हुआ है, और इस राज्य को केन्द्र से अनुदानों की जो रक़में मिलनी बाक़ी हैं, वे अगर वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले मिल जायं, तो मुमकिन है कि व्यय में यह वृद्धि घटकर नाम-मात्र रह जाय या शायद बिलकुल ही न रहे।

अब हम अपनी सार्वजनिक ऋण (public debt) संबंधी नीति पर आते हैं। सदन यह देखेगा कि इस संबंध में भी सरकार सतर्कता की नीति बरतती रही है। सार्वजनिक उपयोगिता संबंधी राज्य योजनाओं में लगे हुये रुपयें पर जो सूद मिल रहा है, वह वस्तुत: उस ब्याज से कुछ अधिक है जो राज्य के सार्वजनिक ऋणों पर देना पड़ता है। इन ऋणों को कम करने या उनसे बचने के संबंध में आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। जहां कहीं ऋणों के लिये ऋण परिशोध निधियों (sinking funds) का होना अनिवार्य नहीं है, वहां भी सरकार ने ऐसी निधियों (Funds) की व्यवस्था कर दी है, और इन निधियों में पर्याप्त अंशदान दिये जा रहे हैं। मसलन् दो करोड़ रुपये के ऋण के संबंध में, जिसका भुगतान अगले वर्ष होना है, उपयुक्त ऋण परिशोध निधि में वह रक़म जमा की जा चुकी है, जिसका भुगतान करना जरूरी है। मैं समझता हूं कि इन बातों को देखते हुये हम उचित रूप से यह दावा कर सकते हैं कि हमारी राजस्व और व्यय संबंधी नीति का संचालन सुदृढ़ आधार पर किया गया है।

जिन विभिन्न कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ा, और देश के बंटवारे के फल स्वरूप जो समस्यायें पैदा हुई उनके बावजूद राज्य के भौतिक साधनों (Material Resources) को विकसित करने, उत्पादन बढ़ाने, और खाद्यान्न, रुई तथा जूट अधिक पैदा करने के संबंध में हर प्रकार की कोशिश की गयी और सामाजिक सेवाओं (social services) का

प्रसार करने और उनमें सुधार करने तथा अन्य मामलों के संबंध में, जो कि समय समय पर सदन के सामने रखे गये, उचित ध्यान दिया गया। लगभग ११ लाख एकड़ जंगल और परती भूमि तोड़कर कृषि योग्य बनायी गयी है। बहुत से बांध, जलाशय और ट्यूब-वेल तथा सैकड़ों मील लम्बी नहरें, हजारों पक्के कुयें बनाकर सींची न जाने वाली १३ लाख एकड़ से अधिक भूमि में सिंचाई की व्यवस्था कर दी गयी है। बहुत बड़े परिमाण में उन्नत क़िस्म के बीज और खाद बांटी गयी है। पशु प्रजनन फार्म (Breading farms) और Artificial Insemination Centres (कृत्रिम शुक्राधान केन्द्र) खोले गये हैं। इस राज्य में विद्युत् शक्ति का उत्पादन भी लगभग २६,००० किलोवाट बढ़ा दिया गया है, और तीन और बड़े बिजली घर बनाये जा रहे हैं। एक बड़ी सीमेंट फैक्टरी भी बनायी जा रही है। कुटीर उद्योगों को भी विशेष प्रोत्साहन दिया गया है, और विभिन्न दस्तकारियों और कुटीर उद्योगों के संबंध में १०० से अधिक शिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों (Tuition-*cum*-production centres) में शिक्षा दी जाती है। यातायात के साधन उन्नत करने के लिये ११३ मील लम्बी सीमेंट कंकरीट की सड़कें, लगभग १,६०० मील लम्बी पक्की नयी सड़कें और ४,५०० मील से भी अधिक लम्बी कच्ची सड़कें बनायी गयीं और २,००० मील से अधिक लम्बी सड़कें फिर से बनायी गयीं। सड़क परिवहन (Transport) का राष्ट्रीयकरण करने और जनता के लिये परिवहन संबंधी अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था करने के विचार से ३ करोड़ से अधिक की लागत पर एक सरकारी रोडवेज संगठन (Organisation) कायम किया गया है।

सभी सेवाओं के मुक़ाबले में सरकार इस समय सब से ज्यादा व्यय शिक्षा पर कर रही है। छात्रों की संख्या बढ़ गयी है और जबकि १९४६ ई० में उनकी संख्या केवल २० लाख से कुछ अधिक थी इस समय उनकी संख्या ३२ लाख से कुछ अधिक हो गयी है। चिकित्सा और जनस्वास्थ्य विभागों का व्यय भी बढ़कर लगभग दूना हो गया है। स्वास्थ्य संबंधी उपायों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने के फलस्वरूप महामारी रोगों की भयंकरता भी कम हो गयी है। चिकित्सा संबंधी शिक्षा के लिये सुविधायें बहुत बढ़ा दी गयी हैं।

अगले वर्ष के अस्थायी बजट तखमीनों से, जो वर्तमान कर व्यवस्था और व्यय के वर्तमान स्तर के आधार पर तैयार किये गये हैं, यह पता चलता है कि राजस्व में ४७ लाख रुपये का घाटा होने की संभावना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि नयी सरकार इस बात पर ध्यानपूर्वक विचार करेगी कि आया बजट में दिखाये गये व्ययों में कमी की जा सकती है अथवा राजस्व के नये साधन उपलब्ध किये जा सकते हैं। जहां तक पूंजी व्यय का संबंध है, बजट की कुल व्यवस्था मोटे तौर पर उसी स्तर पर की गयी है जिस स्तर पर कि चालू वर्ष में की गयी है। यह व्यवस्था केवल उन निर्माण कार्यों का काम और आगे बढ़ाने या उन्हें पूरा करने के लिये की गयी है जो आरम्भ किये जा चुके हैं। यह स्पष्ट ही है कि ये तखमीने भी नयी सरकार द्वारा संशोधित किये जा सकेंगे। यह बजट इस विचार से तैयार किया गया है कि अगले वित्तीय वर्ष में जमींदारी विनाश अधिनियम लागू किया जा सकेगा। इसके वित्तीय तथा अन्य प्रकार के अनेक परिणाम होंगे। यह किसान को आर्थिक तथा सामन्ती दासता (feudal bondage) से मुक्त करके और इस प्रकार उसे आत्म सम्मान प्रदान करके और पूर्ण उन्नति का अवसर देकर ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह और नवजीवन का संचार करेगा।

यह समय असामान्य ही रहा और हमें शहरी इलाक़ों में अन्न की कमी को पूरा करने की एक जरूरी और गम्भीर समस्या भी हल करनी पड़ी। हमें लाखों व्यक्तियों को खिलाने के लिये अन्न सप्लाई करने तथा अन्न बांटने की व्यवस्था करनी पड़ी और इस संबंध में हमें वित्तीय तथा प्रशासकीय भार उठाना पड़ा और अब भी उठाना पड़ रहा है। हम इस भारी अनुत्पादक व्यय से बच सकते तो अच्छा होता। १९४८ ई० में आजमाइश के तौर पर थोड़े समय के लिये अखिल भारतीय नीति के रूप में कंट्रोल उठा लिया गया था, लेकिन इससे

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

परेशानियां इतनी बढ़ गयीं कि कंट्रोल फिर से लागू करना पड़ा। बाहर से मंगाये जाने वाले अनाजों के मूल्यों में हाल ही में जो वृद्धि हुई है और भारत सरकार ने खाद्यान्न के निमित्त दी जाने वाली राज्य सहायता को बन्द करने की जो घोषणा की है उनके फलस्वरूप इस खाद्यान्न सप्लाई योजना के प्रशासकीय व्यय में लगभग ५ या ६ करोड़ रुपये की वृद्धि हो गयी है। इस नये अतिरिक्त व्यय के लिये बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। यह वित्तीय भार अब राज्य की सामर्थ्य के बाहर है और इस सम्पूर्ण योजना पर फिर से विचार किया जा रहा है। यह अनुमान लगाना कठिन है कि भविष्य में क्या होगा। बाजार इस वक्त अस्थिर है और पिछले दो सप्ताहों में कुछ चीजों के दाम काफी गिर गये हैं। इसके कारण इस समय लोगों में जो घबराहट पैदा हो गयी है वह जब तक दूर नहीं हो जाती और मूल्य एक समान स्तर पर नहीं आ जाते उस समय तक कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर बाढ़ आने, सूखा पड़ने और टिड्डियों के आक्रमण जैसी दैवी आपदाओं के कारण खाद्यान्न समस्या और भी कठिन होती गयी है। इस संबंध में पिछले कुछ वर्ष विशेष रूप से खराब रहे हैं और सरकार को प्रायः हर वर्ष अन्न की कमी को दूर करने के लिये कुछ देहाती क्षेत्रों में भी सहायता देने का प्रबन्ध करना पड़ा। फ़सलों के खराब हो जाने के कारण कुछ भागों में अन्न की अब भी बहुत कमी है। बाढ़ और दुर्भिक्ष सहायता संबंधी आम कार्यवाहियों के अलावा राज सहायता देकर देहाती क्षेत्रों के बड़े जनसमुदाय के हाथ कम दरों पर खाद्यान्न बेचने का भी व्यापक प्रबन्ध करना पड़ा। इस संबंध में जो दिक्क़तें उठानी पड़ीं और जो प्रशासकीय प्रयत्न करने पड़े उन के अलावा सरकार का खर्चा भी बहुत बढ़ गया, फलतः अन्य प्रयोजनों के लिये उपलब्ध कोषों में भी कमी हो गयी।

इन तखमीनों के संबंध में मैं सदन का ध्यान कुछ ऐसी परिस्थितियों की ओर आकृष्ट करूंगा जो राज्य के विकास की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया है, यद्यपि व्यय के आंकड़े केवल वर्तमान सेवाओं के आधार पर ही तैयार किये गये हैं फिर भी अगले वर्ष के तखमीनों के अनुसार राजस्व में एक छोटे से घाटे का पता चलता है। यदि पंच वर्षीय योजना को, जो कि बड़ी ही सावधानी और दूरदर्शिता के साथ तैयार की गयी है और जिसके कार्यान्वित होने पर इस राज्य का और अन्ततः सारे देश का भविष्य निर्भर है, निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चलाना है तो यह जरूरी है कि राज्य को और भी अधिक साधन उपलब्ध कराये जायं। मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता कि आया योजना में जो प्रस्ताव किये गये हैं वे हमारी आवश्यकताओं को अच्छी तरह पूरा कर सकेंगे। अभी तक जो कुछ भी किया जा सका है वह उन परिस्थितियों को देखते हुये, जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है, असन्तोषप्रद नहीं समझा जा सकता। लेकिन यह उस काम का, जो अभी करना बाकी है, वस्तुतः एक बहुत थोड़ा सा भाग है। हमें अपनी रफ्तार के साथ-साथ शायद अपनी योजनाओं को भी बढ़ाना पड़ेगा। जन साधारण के खाने, कपड़े और रहने की वर्तमान समस्या को यों ही बहुत दिनों तक नहीं रहने दिया जा सकता और न उसको सुलझाने में ही देर की जा सकती है। हमें बुनियादी तौर पर तब्दीलियां करनी पड़ेंगी और नयी व्यवस्था क़ायम करनी पड़ेगी जिससे कि आज की दुखद और दयनीय हालत में जल्दी ही बहुत काफी सुधार हो जाय। हम इस बात के लिये उत्सुक हैं कि राज्य के सभी संभव साधनों का और हमारे प्रचुर जनवाद का पूरा पूरा उपयोग किया जाय लेकिन आवश्यक योजनाओं को चलाने के लिए कम से कम जितने उपायों और साधनों की जरूरत है उनके मुक़ाबिले में हमारे उपाय और साधन बावजूद हमारी भरसक कोशिशों के कम ही पड़ेंगे। अतिरिक्त कर लगाकर भी राज्य जितना रुपया वसूल कर सकेगा, वह काफी न होगा और मौजूदा सेवाओं के व्यय की साधारण वृद्धि को पूरा करने के लिये भी रुपयों का इन्तजाम करना पड़ेगा। अभी तक हम अधिकांश पूंजी व्यय को अपनी सुरक्षित धनराशियों और अपने ही राज्य के साधनों से पूरा करने में सफल हो सके हैं। हमें सारी वित्तीय स्थिति पर गम्भीरता के साथ फिर से विचार करना पड़ेगा और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के पारस्परिक

संबंधों को बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्हें एक सच्चे लोक कल्याण कारी राज्य (Welfar-estate) के निर्माण और विकास के लिये निरन्तर बढ़ती हुई मांगों को पूरा करना पड़ता है। मुझे पूरी-पूरी आशा है कि संविधान के अनुच्छेद २८० के अधीन हाल ही में नियुक्त फ़ाइनेंस कमीशन वस्तुस्थिति को सही तौर पर समझेगा और इस बात का प्रबन्ध करेगा कि हमारी योजना को तेजी से चलाने में रुपयों की कमी के कारण कोई बाधा न पड़े।

इधर पिछले कुछ दिनों में थोक बाजारों के मूल्यों में जो उल्लेखनीय कमी हुई है उसको ओर जनता का ध्यान आकृष्ट होना स्वाभाविक था। मूल्यों के गिरने के कारण अभी पूरे तौर से स्पष्ट नहीं हुए हैं लेकिन यह काफी निश्चित सा मालूम पड़ता है कि हाल ही में रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने बैंक की दर में जो वृद्धि की है उसी की कई प्रतिक्रियाएं हुई हैं जिनका आर्थिक स्थिति पर और फलस्वरूप पैदा होने वाली दशाओं पर बहुत असर पड़ा है। कुछ समय से यह सन्देह पैदा हो रहा था कि बैंक क्रेडिट (साख) से अस्वस्थ सट्टेबाजी हो रही है और जो कुछ हम देख रहे हैं उससे इस सन्देह की पुष्टि होती जान पड़ती है। जाहिर है उधार लिए हुए रुपये से सट्टे के कारण ज़खीरेबाजी काफी बड़े पैमाने पर की जा रही थी और शायद बैंक की दर बढ़ाने क फलस्वरूप क्रेडिट (साख) कम हो जाने से कई ज़खीरेबाज़ों को एक साथ नाजायज़ तौर पर कमाया हुआ धन निकालने के लिये विवश होना पड़ा। स्थिति के इस प्रकार अध्ययन से यह प्रकट होता है कि साधारण पूंजी लगाने वाले किसी व्यक्ति या व्यापारी के घबड़ाने का कोई कारण नहीं है क्योंकि यह संकट थोड़े ही समय में समाप्त हो जायगा और आर्थिक व्यवस्था में जो खराबियां आ गयीं थीं उनके दूर हो जाने पर वह और अच्छी होकर फिर अपन साधारण रूप में आजायंगी। मालूम ऐसा होता था कि आर्थिक व्यवस्था ही छिन्न-भिन्न हो जायगी लेकिन वास्तव में यह सब कुछ हद तक उस स्थिति का अवश्यम्भावी परिणाम था जो कुछ समय से तेजी के साथ पैदा हो रही थी। कुछ महीनों से मूल्य लगातार गिरते जा रहे हैं, यद्यपि वे बहुत धीरे-धीरे गिर रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जिन कारणों से मुद्रास्फीति होती है वे कुछ कम हो गये हैं क्योंकि कोरिया की स्थिति में जैसी कि आशा थी, सुधार हुआ है और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने स्टाक जमा करना कम कर दिया है। देश में साख घट गयी है। बहुत सी उत्पादक योजनायें जो अब तक कार्यान्वित हो रही थीं, अब देश की समृद्धि में योग देने लग गयी हैं। इन सब बातों से लाभ यह हुआ है कि केन्द्र तथा राज्यों द्वारा मुद्रास्फ़ीति को रोकने के लिए की गयी विभिन्न कार्यवाहियां अन्त में सफल होती हुई दिखलायी दे रही हैं। इन सब परिस्थितियों के कारण यह बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि बाजारों में वर्तमान संकट के टल जाने पर मूल्य आस-तौर पर से एक नये निम्न स्तर पर स्थिर हो जायं। ऐसी स्थिति का पैदा होना अत्यन्त आवश्यक है, जिस से वर्तमान दुर्व्यवस्था दूर हो जाय, दृढ़ सन्तुलन फिर से स्थापित हो जाय और उपभोक्ता को चीजें ठीक दामों पर मिलने के साथ-साथ उत्पादक को भी अपने परिश्रम के बदले मुनासिब लाभ हो । कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जिनकी ओर खास तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है जैसे कि गुड़ की क़ीमत का एक दम काफ़ी गिर जाना, और हो सकता है कि अन्त में वे इतनी लाभप्रद साबित न हों। बाजार के मूल्यों में ऐसे उतार-चढ़ाव को रोकना होगा और उससे सजग रहना पड़ेगा जो बहुत से उत्पादकों और किसानों को उनकी जायज आमदनी से वंचित करता है और सट्टेबाज को प्रोत्साहित करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि चालाक लोगों को ऐसी कार्यवाहियां करने न दिया जायगा जो सिर्फ बहुत से खेतिहरों को उनकी सीमित क्रय शक्ति (Purchasing Power) से वंचित करती हैं और जिनसे साथ ही उपभोक्ता (Consumer) को कोई आराम भी नहीं मिलता है और न रहन-सहन के खर्च में कोई उल्लेखनीय कमी ही होती है। एक लम्बे अरसे तक बाजार में अस्थिरता (Instability) और उदासीनता बने रहने से न केवल बेरोजगारी ही फैलती है बल्कि राज्य की प्राप्तियों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। वास्तव में यह राज्य या उत्पादक या जन-समुदाय किसी के लिये भी हितकर न होगी। असल में जरूरत इस बात की है कि मुद्रा स्फीति (Inflation) तो रुके

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

पर उत्पादन में कोई बाधा न पड़े। लोगों को अधिक से अधिक परिश्रम करना चाहिये ताकि देश में उत्पादन बढ़े, रहन-सहन का स्तर ऊंचा हो, समान वितरण हो और उन सब लोगों की, चाहे वे खेत में काम करते हों या कारखाने में, क्रय शक्ति (Purchasing Power) में वृद्धि हो। केन्द्रीय और राज्य सरकार वर्तमान स्थिति का बड़ी सतर्कता के साथ अध्ययन करती रहेंगी। उत्पादन में वृद्धि विशेष रूप से होती दिखायी पड़ती है और यदि ऐसा ही उत्पादन होता रहा तो हम अगले वर्ष के लिये आशायें बांध सकते हैं।

इससे पहले कि अपना भाषण समाप्त करूं, मैं इस अवसर पर सदन के माननीय सदस्यों के प्रति कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमेशा अपना पूरा सहयोग और समर्थन हमें प्रदान किया है। इस राज्य में विधान मंडल तथा सरकार ने परस्पर बन्धुत्व की भावना से काम किया है जिससे हमारा काम न केवल आसान और सुखप्रद हो गया बल्कि यह बात सार्वजनिक हित में भी थी, क्योंकि ऐसे मामलों पर जो सदन के सामने आये, शान्ति और सद्भावना के वातावरण में विचार-विमर्श किया गया। इस सदन के कुछ माननीय सदस्य नये विधान मंडल की बैठक के अवसर पर सदन में पुनः उपस्थित न रहेंगे। मेरी शुभ कामनायें सदैव उनके साथ रहेंगी और मुझे यकीन है कि भविष्य में चाहे जो भी उनका कार्यक्षेत्र हो, वे सम्मानपूर्वक और योग्यता से अपना कार्य करते रहेंगे और राज्य के, जिसके प्रति हम सब निष्ठा रखते हैं, हित करने में सदैव प्रयत्नशील रहेंगे।

मैं वित्त सचिव और उन सभी अफ़सरों और कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बड़ा परिश्रम किया है और बजट तैयार करने में मदद की है। मैं अनुवाद विभाग और इलाहाबाद तथा लखनऊ के सरकारी छापेखानों के कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बजट साहित्य तैयार करने में सहयोग प्रदान किया है।

श्रीमान् जी, मैं १९५२-५३ ई० का आय-व्ययक उपस्थित करता हूं।

चालू वर्ष के अनुपूरक अनुदानों और आगामी वर्ष के आय-व्ययक पर विवादार्थ कार्यक्रम

माननीय अध्यक्ष - सदस्य देखेंगे कि आज एक तो आने वाले वर्ष का आय-व्ययक पेश किया गया है और एक इस चालू वर्ष के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगें पेश की गयी हैं। यह तो माननीय सदस्य जानते हैं कि इस पर विचार करने के लिये कितना समय दिया जाय। यह अधिकार मुझको इस आदरणीय सदन ने दे रखा है। जहां तक इस चालू वर्ष के अनुपूरक अनुदानों का संबंध है मैंने इस संबंध में १७ और १८ मार्च दो दिन नियत कर दिये हैं। जैसा कि पहले से होता आया है इस बीच में इन अनुपूरक अनुदानों के संबंध में सामान्य विवाद १७ मार्च के दोपहर तक होगा। उसके बाद मतदान होगा और १८ तारीख को ही विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) ले लिया जायगा।

जहां तक अगले वर्ष के आय-व्ययक का संबंध है माननीय सदस्य यह समझते ही होंगे कि इस वर्ष की स्थिति कुछ भिन्न है। माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसमें भी उन्होंने बताया है कि चूंकि एक दूसरा हाउस आने वाला है इसलिये हम एक काम चलाऊ बजट पेश कर रहे हैं। मेरे सामने यह प्रश्न था कि इस बजट पर, जो कि पेश किया गया है, आया इस सदन को, जो इस वक्त मौजूद है, बहस करना चाहिये या वही आगे आनेवाला सदन इस पर विचार करे। आने वाली असेम्बली के लिये सभी मेम्बर चुने जा चुके हैं मगर वह हाउस अभी बुलाया नहीं जा सकता क्योंकि हमारी कौंसिल अभी तक पूरी तरह नहीं बन सकी है। मैंने इस संबंध में माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधीदल से भी बात की और उन दोनों साहबान ने इस बात से इत्तफाक किया कि जो अगले वर्ष का आय-व्ययक पेश हुआ है उसके ऊपर कोई बहस इस सदन को नहीं करना चाहिये। बल्कि जो वोट आन अकाउण्ट आने वाला है उस पर जो कहना हो कह दें। इसलिये लेखानुदान (Vote on Account)

१७ तारीख को उपस्थित हो जायगा और उस पर विचार करने के लिये मैंने १६ तारीख मुकर्रर कर दी है। चूंकि इस साल एक खास परिस्थिति है इसलिये यह सोचकर कि नये आय व्ययक पर पूरी तरह विचार करने से अगला हाउस वंचित न रह जाय मैंने यह कार्यक्रम रखा है। मैं समझता हूं कि इससे पूरा हाउस सहमत है।

संसद् के अधिनियम द्वारा कृषि संबंधी भूमि पर सम्पत्ति शुल्क लगाये जाने के निमित्त विनियमन के संबंध में संकल्प

माननीय श्री गोविंद वल्लभ पंत--मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूं--

"सार्वजनिक हित की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधी भूमि पर संपत्ति शुल्क (स्टेट ड्यूटी) लगाने की व्यवस्था करना आवश्यक है और यह एक ऐसा विषय है कि जिसके संबंध में संविधान की ७ वीं अनुसूची की सूची २ की मद ४८ के अधीन केवल राज्य विधान मंडल राज्य के लिये विधि बनाने की शक्ति रखता है,

और यह वांछनीय समझा गया है कि सभी राज्यों में इस संबंध में विधान की समानता हो और तदनुसार संसद् इस राज्य की ओर से विधान बनाये,

और संविधान के अनुच्छेद २५२ (१) में इस बात की व्यवस्था है कि यदि किन्हीं दो अथवा अधिक राज्यों के विधान मंडलों को यह वांछनीय प्रतीत हो कि उन विषयों में से, जिनके बारे में संसद् को उन राज्यों के लिये विधि बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसद् विधि द्वारा करे तथा यदि उन राज्यों के विधान मंडलों के सब सदनों ने उन संकल्पों का पारण किया है तो उस विषय का तदनुकूल विनियमन करने के लिये किसी अधिनियम का पारण करना संसद् के लिये विधि संगत होगा।

अतएव उत्तर प्रदेश की विधान सभा एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि कृषि संबंधी भूमि पर संपत्ति शुल्क के लगाये जाने का विनियमन संसद् के अधिनियम द्वारा होवे और संसद् को यह सिफारिश करती है कि इस प्रकार पारित किया गया अधिनियम इस राज्य में भी लागू किया जाय।"

यह तजवीज जो आपके सामने मैंने रखी है इसलिये रखी है कि पालियामेंट को यह अख्तियार दिया गया है कि वह सारे मुल्क के अन्दर जहां पर कि खेती की ज़मीन है या ऐग्रीकल्चर इण्टरेस्ट की बात है उसके बारे में स्टेट (राज्य) ड्यूटी लगा सके। यह स्टेट ड्यूटी लगाने का सवाल बहुत दिनों से चल रहा है और वह स्टेट ड्यूटी शहरों की जायदाद पर और जो खेती की जायदाद है दोनों पर लगा सकती है। मगर इस वक्त जो क़ायदा हमारे कांस्टीट्यूशन में है उसके मुताबिक़ जहां तक शहरों की जायदाद का संबंध है उस के बारे में पालियामेंट को अधिकार है और जहां तक ऐग्रीकल्चर जायदाद का ताल्लुक है उस पर हमारे यहां की ग्राम सभाओं को अधिकार है। जहां तक कानून का संबंध है यह मुनासिब होगा कि जो कानून बने वह सारे मुल्क के लिये एक सा हो और हर सूबे के लिये अलग-अलग किस्म का कानून न रहे। और पालियामेंट जब इस बारे में भी क़ानून बनावे तो जो हमारे सूबे के एग्रीकल्चरल इण्टरेस्ट की बात है उसके बारे में भी क़ानून बनाने का अख्तियार पालियामेंट को ही है जिससे कि जो क़ानून एग्रीकल्चरल इण्टरेस्ट के बारे में बने वह जैसा और सूबों के लिये बने उसी की बुनियाद पर हमारे लिये भी वहीं से बन जायं। यदि इस ढंग से क़ानून बनेगा तो उसमें कोई खास फ़र्क शहरी और देहाती जायदाद या खेती और बिना खेती की जायदाद के बारे में नहीं रहेगा और एक सूबे और दूसरे सूबे के बीच में कोई इस तरह का अन्तर न रहेगा। इसी ख्याल से यह तजवीज आप के सामने रखी गयी है।

कुछ सूबों में वहां की असेम्बलियों ने इस तरह के प्रस्ताव पहले मंजूर कर लिये हैं और वही अब यहां लाया गया है। इसका सिर्फ यही मतलब है कि

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

आगे जो पार्लियामेंट बनेगी वह इस तरह का मसविदा जो पेश होगा उस पर गौर कर सके क्योंकि अब इस पार्लियामेंट की बैठक खत्म हो चुकी है और क्योंकि यह मसला पहले से चला आ रहा है इसलिये बजाय इसके कि इसे बाद में रखा जाता और चूंकि इस पर कार्यवाही होना जरूरी था इसलिये जरूरी समझा गया कि मसविदा असेम्बली के सामने रखा जाय। फ़र्क़ सिर्फ इतना है कि बजाय इसके कि हम यहां इसको बनावें हम पार्लियामेंट को यह अख्तियार देते हैं कि वह हमारे सूबे के लिये क़ानून बनावे और तमाम मुल्क के हालात को सामने रखते हुये वह इस पर गौर करे। हम अपने यहां के क़ानून बना सकते हैं और अगर सदन चाहे तो यहां के लिये यह असेम्बली क़ानून बना सकती है मगर हम सिर्फ इस सूबे के नुक़्ते निगाह से ही अगर क़ानून बनाते हैं तो वह दायरा बहुत तंग होगा और अगर पार्लियामेंट बनावेगी तो उसके सामने बहुत वसीअ दायरा होगा और पार्लियामेंट में हमारे प्रतिनिधि भी मौजूद हैं

हमारी स्टेट के ८६ हाउस आफ़ प्यूपिलमें और क़रीब ३१ के कौंसिल आफ़ स्टेट में प्रतिनिधि रहेंगे और वे सब हमारे सूबे की बातों पर गौर करेंगे और जिस तरीके से हम अपनी राय यहां दे सकते हैं वैसे ही वे वहां अपनी राय दे सकेंगे। मालूम नहीं कब मसविदा तैयार हो और कब क़ानून बने, लेकिन वह फिर सब के सामने आयेगा। अगर यहां की असेम्बली और कौंसिल चाहे कि उस पर वाद विवाद करे तो उसे मौका रहेगा और अपनी राय का इजहार कर सकेगी। मगर इस वक्त तो हम सिर्फ पार्लियामेंट को अख्तियार देते हैं कि वह हमारे सूबे के लिये और मुल्क के लिये क़ानून बनावे जिस से एक यूनिफ़ार्मिटी (एकरूपता) रहे और देश के भिन्न-भिन्न अंगों में अलग-अलग किस्म के क़ानून न बनें। इससे कोई हमारा नुक़सान नहीं होता और मैं समझता हूं कि यह सब को पसन्द होगा। इस तरह का क़ानून सारे देश के लिये फ़ायदेमन्द होगा। जो बातें इस तरह की सारे देश से संबंध रखने वाली होती हैं अगर यह हाउस चाहे तो इसमें जो विधान के आर्टिकिल का जिक्र किया गया है उसके मुताबिक़ बाजी बातों में पार्लियामेंट को हम अधिकार दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह सिर्फ एक तरतीबी तजवीज है और इसे हाउस पसन्द करेगा।

नवाब मुहम्मद जमशेद अली खां——जनाब वाला, यह तजवीज जो मुख्य मंत्री जी। हाउस के सामने पेश की है वह मेरे लिये और गालिबन इस तरफ के सब बैठने वालों के लिये बिलकुल नई चीज है, जिस पर इससे पहले कभी गौर नहीं किया गया है। मेरे लिये बड़ी मुश्किल है इस स्टेज पर इसके फार या अगेंस्ट (पक्ष या विपक्ष में) इजहार राय करूं। एग्रीकल्चरल रिफार्म या जमींदारी अबालीशन के मसलों पर गौर करते वक़्त इस बात का ख़याल रखना चाहिये कि हर सूबे के हालात मुख़्तलिफ़ हैं। हर सूबे के मामले और जराअती चीजें एक दूसरे से बिलकुल जुदा हुआ करती हैं। लिहाजा हर सूबे के वाक़यात को अलहदा अलहदा सोचना होगा और उसके मुताबिक़ अमल करना होगा। इस हाउस को यह हक़ हासिल है कि जो भी रेजोल्यूशन (संकल्प) चाहे यहां पेश कराके उसे पास करा ले मगर मेरी सिर्फ यही गुजारिश है कि हर बात के तमाम हालात को पेशेनजर रखते हुये सोच विचार कर कोई फैसला करना चाहिये। इस बात के लिये कि पार्लियामेंट को यह हाउस ऐसा अख़्तियार दे इसके लिये और मुख़ालिफ़त में बहुत कुछ कहा जा सकता है। मैं जनाबवाला के जरिये आनरेबिल मुख्य मंत्री साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस चीज को नये हाउस के लिये छोड़ दें क्योंकि यह हाउस तो अब थोड़े दिनों बाद खत्म होने वाला ही है और यह मसला बहुत अहमियत रखता है। इस तरह क़ाफी वक्त मिलने के बाद यह मसला तय अच्छी तरह से किया जा सकता है और इसे इंटेलीजेंटली (समझदारी) रखा जा सकता है। तभी इनके ऊपर ठीक तौर से इजहारे ख्याल किया जा सकता है। यह एक उसूली मामला है और इसके अन्दर जो उसूल आते हैं वह इतने अहम हैं कि उनको आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। अगर मेरी यह बात नहीं मानी जाती है तो फिर मैं जनाब के तवस्सुत से यह दरख्वास्त करूंगा कि अगर कुछ दिनों

के लिये इसे मुल्तवी कर दें तो ज्यादा अच्छा हो और कुछ दिनों के बाद इस मसले को पेश किया जाय। इस अरसे में इस तरफ के बैठने वाले इस पर गौर कर लेंगे और तभी वे इस क़ाबिल हो सकेंगे कि सही तरीके से डिबेट में हिस्सा ले सकें।

मनानीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मुझे किसी बात में कोई उज़्र नहीं है। एक चीज थी जो मैंने इस हाउस के सामने रख दी है। चूंकि यह मामला हमारे सामने था, इसलिए इसे हाउस के सामने रख देना मुनासिब समझा गया। अगर हाउस इस पर बहस करना चाहे तो करे, वरना पोस्टपोन (स्थगित) कर दे। हम उसे मजबूर नहीं कर सकते। अगर हाउस चाहे तो आगे के लिए छोड़ दे। एक मौक़ा हाउस को दिया है। वह चाहे तो इसे २० तारीख तक के लिए स्थगित कर दे, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है।

माननीय अध्यक्ष--तो यह २० तारीख के लिये स्थगित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण विधेयक, १९५२ ई०

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण विधेयक, १९५२ ई०, पर विचार किया जाय।

इस विधेयक का मतलब बिलकुल साफ है और पहले भी यह आर्डिनेंस के रूप में छपा था। इसकी प्रतियां रख दी गई हैं। इसमें सिर्फ इस ख्याल से कि शायद कहीं कोई बहस हो कि जो लोग नामजद किये गये हैं या जो मेम्बर होना चाहियें और चूंकि जो ऐक्ट था उसमें ये अल्फ़ाज नहीं थे कि इस इलेक्शन के लिए भी डिसक्वालीफ़ीकेशन (अनर्हता) नहीं रहेंगी, इसलिए यह विधेयक जरूरी हुआ। इस ख्याल से कि इलेक्शन में कोई ऐसा उज्र न कर दे कि वह नम्बरदार था लिहाज़ा वह नहीं हो सकता या कोई और ऐसी ही बातें न उठाई जावें, इसलिए यह आर्डिनेंस बनाया गया था और वह अब क़ानून बनाने के लिए सामने रखा गया है। यह सब के लिए एक मुफ़ीद चीज थी। मैं समझता हूं कि इस पर किसी को मतभेद नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण विधेयक, १९५२ ई० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष--इसमें किसी संशोधन की सूचना नहीं है। यदि किसी को आपत्ति न हो तो मैं इसकी तमाम धाराओं पर एक साथ राय ले लूं।

(सदन की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गयी।)

धाराएं १-४

१--(१) इस अधिनियम का नाम. उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य अनर्हता निवारण अधिनियम, १९५२ ई०, होगा। — संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ।

(२) यह समस्त उत्तर प्रदेश में प्रचलित होगा।

(३) यह २४ नवम्बर, १९५१ ई० से प्रचलित हुआ समझा जायगा।

२--एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि राज्य सरकार के अधीन निम्नलिखित पदों के कारण उन पर अध्यासीन व्यक्तियों की उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्हता न होगी और न कभी रही समझी जायगी : — राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिए अनर्हता का निवारण।

(क) भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की आज्ञा के अधीन या उसके द्वारा नियुक्त किसी कमेटी या बोर्ड के, जिनके अन्तर्गत किसी विधायन या नियम के अधीन या उसके द्वारा संघटित या स्थापित कोई कमेटी या बोर्ड है, चेयरमैन, या सदस्य का पद जो ऐसी अवधि के लिए अध्यासित रहा हो, जो ३० अप्रैल, १९५२ के बाद की न हो,

यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९०१।

(ख) यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ४५ में उल्लिखित लम्बरदार का पद,

(ग) कुमायूं डिवीजन में पधान, सरगरोह और मालगुजार, देहरादून जिले के जौनसार बावर परगने में गांव सियाना या खात सियाना तथा कैमूर पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित मिर्जापुर जिले के भाग में सुपरदार के पद।

इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद उठने वाले प्रश्नों का अवधारण।

३--इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद यदि किसी पद के राज्य सरकार के अधीन लाभप्रद पद होने के विषय में प्रश्न उठे तो वह इस प्रकार अवधारित किया जायगा मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी अपेक्षित (मेटीरियल) दिनांकों पर प्रचलित थे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ४, १९५१ ई० का निवर्तन।

४--उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों का अनर्हता निवारण अध्यादेश १९५१ ई० एतद् द्वारा निवर्तित (रिपील) किया जाता है और यू० पी० जेनेरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबंध इस पर उसी प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा अधिनियम (ऐक्ट) रहा हो जो किसी उत्तर प्रदेश ऐक्ट से निवर्तित किया गया था।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १, धारा २, धारा ३ और धारा ४ इस विधेयक का अंग बनें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना

यह आवश्यक है कि कुछ लाभप्रद पदों के सम्बन्ध में यह घोषित किया जाय कि उन पर अध्यासीन व्यक्ति उक्त पदों के कारण राज्य विधान मंडल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए अनर्ह न होंगे;

इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण विधेयक, १९५२ ई० पारित किया जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण विधेयक, १९५२ ई० पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर (स्व-शासन मंत्री)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर विचार किया जाय।

इस विधेयक में दो या तीन बातें साधारण सी हैं। अभी पंचायतों के चुनाव के लिए तीन वर्ष हो चुके और उसकी मियाद खत्म हो गई। लेकिन चूंकि आम चुनाव असेम्बली के अभी आने वाले थे इसलिए आर्डिनेंस निकाल कर उसकी मियाद बढ़ा दी गयी। म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, टाउन एरिया इत्यादि सब के चुनाव इस वर्ष में आने वाले हैं। तो इस विधेयक द्वारा सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह अधिक से अधिक दो वर्ष तक मियाद बढ़ा सकती है। दूसरे सेक्रेटरियों की तनख्वाह के बारे में जो दिक्कतें आती थीं उनके दूर करने के लिए कुछ सुधार इसमें जोड़ दिये गये हैं। इसके अलावा इस विधेयक में अधिक कुछ नहीं है।

श्री राजाराम शास्त्री--मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि इन विधेयकों पर विचार करने का मौजूदा तरीक़ा मुनासिब नहीं है। मेरी राय यह है कि जिस दिन किसी विधेयक पर यहां पर विचार हुआ करे, अगर एक दिन पहले हमको नोटिस मिल जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। पंचायत-राज (संशोधन) विधयक पर विचार होने जा रहा है। हमको बिल की कापी मिल गयी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज वह विधेयक हमारे सामने नहीं है। या हम लोग जितने काग़ज असेम्बली से मिलते हैं उन सब को रोज बांध कर लाया करें या हम अन्दाज लगायें कि आज फलां बिल पर विचार होने वाला है। मैं यह चाहता हूं कि जो और आवश्यक काम हो उसको आप कर लें और इसके लिए सरकार कल तक का मौक़ा दे ताकि हम लोग उसे देख सकें। अगर इसके लिये गवर्नमेंट तैयार न हो तो इस वक्त जो बात कहनी है वह कही जा सकती है, लेकिन यह तरीका अच्छा नहीं मालूम होता। माननीय मंत्री जी ने बिल तो पेश किया, लेकिन यह नहीं बताया कि जो सुधार किये गये हैं वे कौन कौन से हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि सेक्रेटरियों को तनख्वाह मिलने में दिक्कत होती थी उसकी वजह से सुधार किये हैं। अगर माननीय मंत्री इसको भी एक्सप्लेन (स्पष्ट) कर दें कि क्या सुधार किये हैं तो शायद कुछ कहा जा सके।

माननीय अध्यक्ष--विधेयक तो ७ तारीख को उपस्थित हो गया था और उसी दिन इसकी प्रतियां दे दी गयीं थीं।

श्री राजाराम शास्त्री--मेरी शिकायत यह नहीं है। हमको हाउस में बहुत सा लिट्रेचर (साहित्य) दे दिया गया है, लेकिन यह नहीं मालूम कि आज किसके ऊपर विचार होगा। इसके माने यह हैं कि सारी की सारी चीज हम लोग रोज लावें और इस अंदाज़ में बैठे रहें कि मालूम नहीं किस वक्त किस पर विचार हो जाय। अगर ऐसा कह दिया जाय कि फलां रोज फलां बिल पर विचार होगा तो हम उसी को पढ़ कर आया करें। आज यह मालूम नहीं था कि इस बिल पर विचार होगा। कम से कम माननीय मंत्री जी उसको एक्सप्लेन (स्पष्ट) ही कर दें।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--मैं उसका स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं। मैं समझता था कि शायद यह बिल भवन के सदस्यों के सामने मौजूद हो। इसलिए विस्तार में जिक्र नहीं किया। जहां तक मियाद बढ़ाने की बात है, उसका स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि अधिक से अधिक दो साल तक मियाद बढ़ाने का अधिकार है।

दूसरे, सेक्रेटरियों के विषय में मैंने जो कहा कि जो दिक्कतें उनकी तनख्वाह देने में आती हैं उनका निराकरण इसमें है। पिछली बार इस ऐक्ट में यह सुधार हो गया था कि तीन-चार गांव-सभायें मिल कर एक मंत्री की नियुक्ति करें और उसका क़ायदा भी बना दिया गया था। तो मंत्री को वेतन देने में तीन-चार गांव-सभाओं को हिस्सा देना पड़ता है, जैसे ४० रुपया तनख्वाह

[माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर]

है तो १०-१० रुपये चार गांव-सभाओं को देना है । अब दो गांव-सभायें दे देती हैं और जो कहती हैं कि नहीं देंगे और रुपया होते हुये भी नहीं देतीं तो यह अधिकार दिया गया है कि जो विशेष अधिकारी सरकार नियुक्त करती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वह पंचायत के फंड में से रुपया लेकर यह तनख्वाह दे सकते हैं । यह अधिकार दिया गया है और कुछ नहीं । अगर उसके फंड में रुपया होगा तो दे दिया जायगा नहीं तो सरकार जैसे मदद करती है वैसे करेगी। कोई विशेष अधिकार नहीं लिया गया कि उनके ऊपर टैक्स लगा दिया जाय या और कुछ कर दिया जाय । अगर कोई सभा रुपया होते हुये भी नहीं देती है तो यह अधिकार दिया गया है कि उसके फंड से दे दिया जाय ताकि वक्त पर वेतन मिल सके ।

श्री राजाराम शास्त्री--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वशासन मंत्री ने जो पंचायत-राज (संशोधन) विधेयक पेश किया है और जो बयान उन्होंने दिया है कि क्यों उनको संशोधन करना पड़ा उसके संबंध में मुझे कुछ कहना है और वह यह है कि पंचायत-राज का यह विधेयक हमने इस दृष्टि से पास किया था कि देहात के रहने वाले लोग इस बात को महसूस कर सकें कि अपने ग्राम का प्रबन्ध वह अपने हाथ से कर रहे हैं । वे स्वयं उसके मालिक हैं, इसलिये उनमें प्रजातंत्र की भावना पैदा हो सके और वह यह महसूस करें कि अपने भाग्य के विधाता हम हैं । मैं यह महसूस कर रहा हूं कि यह अधिनियम काफी अच्छा है, इसने प्रजातंत्र की बुनियाद डाली है लेकिन जिस तरीके से यह कार्य रूप में परिणत किया जा रहा है उससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस ध्येय को लेकर यह विधेयक बना था वह पूरा नहीं हो रहा है । ग्रामीण जनता आज यह महसूस कर रही है कि जिस तरह आज सरकार की तरफ से और बहुत से कायदे क़ानून उसके ऊपर लादे गये हैं उसी तरीके से एक नई चीज यह भी सिर पर आ गयी है जो राहत देने के बजाय उनकी मुसीबत बढ़ा रही है। गांव में अगर गवर्नमेंट ने पहले से यह प्रबंध किया होता कि किस तरीके से यह क़ानून लागू किया जायगा तब तो कोई बात नहीं थी । नये टैक्सेज अगर न लगाने पड़े होते तब तो जनता ऐसा महसूस करती कि कुछ इससे फायदा हुआ । लेकिन जब से यह क़ानून लागू हुआ है तब से ग्राम-सभाओं ने, ग्राम-पंचायतों ने जिस तरीके से नये-नये टैक्सेज देहात की जनता पर लगाये हैं उससे यह क़ानून देहात में दिनों दिन बदनाम होता जाता है ।

अभी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया कई-कई महीनों की तनख्वाहें मन्त्री लोगों को नहीं मिल पातीं । आप अनुमान कर सकते हैं कि आजकल के इस मंहगाई के जमाने में जिन मंत्रियों को कई कई महीने तक वेतन नहीं मिलता होगा वह किस तरह से अपना गुजारा चलाते होंगे । साथ ही इस कानून में यह भी प्राविजन हो गया कि ग्राम पचायतें चाहें तो अपना खर्चा चलाने के लिए नये टैक्स लगा सकती हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर ग्राम पंचायतों को अपनी स्थिति को कायम रखना है तो उनके लिए लाजमी है कि वे नये नये टैक्स लगायें। हमारा खयाल यह है कि जब तक उनको ये नये नये टैक्स लगाने पड़ेंगे और उसी कोष से उनको मंत्रियों की तनख्वाहों का भुगतान करना पड़ेगा तब तक आपका यह क़ानून सफल नहीं हो सकता है । मेरा आप से यह कहना है कि गवर्नमेंट जिस तरीके से ग्रामीण जनता से लगान वसूल करती है और उस लगान को लेकर वह अपने डिपार्टमेंटों को चलाती है, उनका संचालन करती है और उस रुपये में से लोगों को तनख्वाहें देती है और प्रत्येक डिपार्टमेंट का काम सुचारु रूप से चालू करती है, इसी तरीके से जब देहात से लगान वसूल होता है, गवर्नमेंट जो वहां से अपनी आमदनी करती है उसी का एक भाग ग्राम पंचायतों के लिए छोड़ दिया जाय और हम लोगों का सुझाव यह है कि कम से कम अगर आप चाहते हैं कि ग्रामों की उन्नति हो और वहां की जनता इस बात को समझ सके कि अपना पैसा हम ही खर्च करेंगे गांव के फायदे के लिए, तो कम से कम एक चौथाई जो आमदनी देहात से होती है उसका एक चौथाई ग्राम पंचायतों के अधिकार में दे दिया जाय और उनको यह अधिकार दिया जाय कि गांव की उन्नति के लिये वह जैसा मुनासिब समझें

खर्चा करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको यक़ीन दिलाता हूं कि ग्राम पंचायतें लगातार नये नये टैक्स लगाती जायंगी ग्रामीण जनता उससे लाभ नहीं उठा पायेगी। अगर कभी भवन के सामने माननीय मंत्री यह पेश करें कि ग्राम पंचायत कैसे नये नये टैक्स लगाती हैं तो आपको आश्चर्य होगा शायद उन बातों के बारे में आपने सुना भी नहीं होगा कि कैसे कैसे टैक्स लगाये जाते हैं। मैं बहुत ही अदब के साथ माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि आपने ग्राम पंचायतों को आजकल जो अख्तियार दे रखा है कि अगर मंत्रियों की तनख़्वाह अदा करनी है तो तुम नये नये टैक्सेज़ लगाओ, तो आप समझ सकते हैं कि उस सेक्रेटरी की यह कोशिश होती होगी कि अगर हमें अपनी तनख़्वाह वसूल करनी है तो नये नये टैक्सेज़ लगाये जायं जिससे हमको तनख़्वाह मिल सके। इसलिए बहुत से टैक्सेज़ ऐसे लगा दिये जाते हैं कि जिनसे जनता को बहुत परेशानी होती है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आप के जरिये से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि क़ानून तो यह है कि ग्राम सभायें जिस टैक्स को मंजूर करें वही टैक्स वसूल किया जाना चाहिये। यह आम शिकायत देहातों में है कि ग्राम सभाओं की आम मीटिंगों में ये नये नये टैक्स पेश नहीं किये जाते। उनकी राय नहीं ली जाती कि तुम यह टैक्स पास करना चाहते हो या नहीं। ग्राम पंचायतों के थोड़े से लोग आपस में बैठ करके सेक्रेटरी महोदय की मदद से नये टैक्सेज़ का एलान कर दिया करते हैं और उसके बाद ग्रामीण जनता को मजबूर किया जाता है कि नये कानून के मुताबिक तुमको यह टैक्स अदा करना पड़ेगा।

मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र का यह बुनियादी उसूल है कि अगर आप जनता से कर वसूल करते हैं तो वह कर जनता द्वारा ही पास किया जाना चाहिए। अगर ग्रामीण जनता द्वारा कोई टैक्स पास नहीं करवाया गया तो उसका वसूल करने का अधिकार गवर्नमेंट को और पंचायत को नहीं हो सकता। इसलिए इसको लाजिमी कर दिया जाय कि ग्राम सभाओं से उस टैक्स को मंजूर करा लें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो टैक्सों की वसूलयाबी, अभी देहातों के अन्दर, इस ग्राम पंचायत ऐक्ट के मुताबिक होने जा रही है या हो रही है अगर उन टैक्सों को ग्राम सभाओं के अन्दर पास कराया जाय तो उनमें से अधिकांश टैक्स ऐसे होंगे, जिनको ग्राम सभाएं अस्वीकार कर देंगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ग्राम सभाओं की मीटिंग नहीं की जातीं। एक कमरे में बैठ कर दो चार आदमी बिना किसी इत्तिला के उनके ऊपर टैक्स लाद देते हैं और फिर हुकूमत की ताकत के जोर से उन टैक्सों को उसूल करते हैं और मंत्रियों के वेतन को अदा करने की कोशिश करते हैं। मेरा खयाल यह है कि अगर किसी कानून के मुताबिक यह नियम बना दिया जाय कि जितने माननीय मंत्रीगण यहां पर बैठे हुये हैं उन को तनख़्वाह तभी दी जायगी जब यह अपने विभाग से उतनी बचत कर दें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मंत्री महोदय अपनी तनख़्वाह निकालने के लिए अपने विभाग के कितने ही कर्मचारियों को निकाल देंगे या नये नये टैक्स अपने विभाग से लागू कराने की कोशिश करेंगे। हर तरह से बचत करने की कोशिश करेंगे और फिर अपनी तनख़्वाह वसूल करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों और पंचायत के सेक्रेटरियों को मजबूर न किया जाय कि वे अपनी तनख़्वाह निकालने के लिये जनता पर नये नये टैक्स लगाएं।

इस मौके पर मैं बिलकुल स्पष्ट कह देना चाहता हूं और पूरे जोर के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो नये टैक्स लगाये हैं देहातों में, ग्राम सभाओं के बीच में वे नहीं रखे गये हैं। हमको पता लगा है कि अब नये नये उपनियम बना दिये गये हैं और उनमें उन को पूरा अधिकार दे दिया गया है कि वे जाकर टैक्स को वसूल करें। यही तो मैं भी दलील दे रहा हूं कि इस ऐक्ट के मुताबिक ग्राम सभाओं को ही टैक्स लगाने का अधिकार है। वही टैक्स लगा सकती हैं लेकिन ग्राम सभाओं से स्वीकृति नहीं ली जाती है। मेरा यह कहना है कि आज गांवों की जनता यह चाहती है कि बिना गांव सभा के बुलाये हुये जो टैक्स उनके ऊपर लगाये जा रहे हैं उनको देने के लिए आज ग्रामीण जनता तैयार नहीं है। और मैं यह साफ तौर से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी और दूसरे मंत्री महोदय इस बात को अच्छी तरह से महसूस करें कि अगर ऐसे टैक्सों को देहातों की जनता से वसूल किया गया और देहात की जनता ने उनको देने से इनकार किया और देहात के अन्दर सरकारी मुलाज़िमान और ग्रामीण जनता

[श्री राजाराम शास्त्री]

के अन्दर किसी तरह का संघर्ष हुआ, किसी तरह की बदअमनी हुई, किसी तरह का असंतोष फैला तो उस का पूर्ण उत्तरदायित्व इस हुकूमत पर और गलत तरीके से जनता को दबाने की चेष्टा करने वालों पर होगा । मैं यह बात केवल इसलिये कहता हूं कि जहां कहीं मुझे जाने का मौका मिला है मुझ से लोगों ने शिकायत की है कि किस आधार पर नये नये टैक्स लगाये जा रहे हैं। यह बताया गया है कि कुर्क अमीन लोग देहातों में इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जनता से उन टैक्सों को भी वसूल करें जिन को ग्राम सभाओं ने नहीं भी पास किया है। मैं जानता हूं कि गांव की जनता जब इस तरह के गैर क़ानूनी टैक्सों को देने से इनकार करेगी तो यह हुकूमत उस मौके पर एक ही नारा बुलंद करेगी कि समाजवादी चूंकि उनकी हार हुई है इसलिए बदअमनी पैदा करने की कोशिश करते हैं यह वस्तुस्थिति पर पर्दा डालने के बराबर होगी ।

मुझे जितनी भी थोड़ी बहुत जानकारी देहाती जनता की भावना की है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से, जिस तरह की भावना ले कर आप अपने सेक्रेटरियों को तनख्वाह देने के लिए या अपने दूसरे कामों को करने के लिए देहाती जनता से एक जबरदस्ती के जरिये से जिन टैक्सों को वसूल करने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि, एक प्रान्त व्यापी ढंग से ग्रामीण जनता इसका विरोध करेगी और उसकी वजह से हमारे प्रान्त में बदअमनी और अशान्ति पैदा होगी। इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि तनख्वाह सेक्रेटरियों को वक्त पर मिलनी चाहिए, मैं इसका समर्थक हूं और समझता हूं कि अगर उनको तनख्वाह वक्त पर नहीं मिलेगी तो वह सुचारु रूप से काम नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर ग्राम पंचायतों के ऊपर छोड़ दिया गया कि अगर उनकी माली हालत अच्छी होगी तो उनको तनख्वाह दी जा सकेगी और अगर उनकी माली हालत अच्छी नहीं होगी और वह तनख्वाह नहीं दे सकेंगी और आप भी तनख्वाह नहीं दे सकेंगे तो ग्रामीण जनता की यह हालत नहीं होगी कि वह नये नये टैक्सेज अदा कर के तनख्वाह दे सके तो परिणाम यह होगा कि सेक्रेटरियों में भी असंतोष होगा और जनता में भी असंतोष होगा । इसलिए अन्ततोगत्वा इसका नतीजा यह होगा कि संघर्ष होगा । सब से अच्छा तो यह है कि जो धनराशि वसूल होती है उसका एक बड़ा अंश ग्राम पंचायतों के लिए छोड़ दिया जाय। यह एक बहुत ही अच्छा कानून है । अगर अच्छे ढंग से इसको काम में लाया जाय तो प्रजातंत्र की बुनियादें देहात में मजबूत हो सकती हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जिस तरह से और बहुत सी चीजें हुकूमत की तरफ से जनता पर लादी जाती हैं उसी तरह से यह कानून भी लादा हुआ माना जायगा ।

मुझे बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि शुरू-शुरू में हमने जो यह क़ानून बनाया था उसके अधिकार, सारी सत्ता धीरे धीरे हुकूमत संशोधन द्वारा अपने हाथों में खींच रही है और जनता से अधिकार लेती चली जा रही है और कुछ दिनों के बाद यह नौबत आने वाली है कि यह क़ानून सरकार के हाथ में एक हथियार बन कर रहेगा । जिस उद्देश्य से यह क़ानून बनाया गया था वह बरकरार रहना चाहिए। इसलिए मैं आशा करता हूं कि जो बातें मैंने कही हैं माननीय मंत्री जी उन पर ध्यान देंगे कि इस कानून का दुरुपयोग न हो । आपकी ओर से हिदायतें जानी चाहिये कि प्रत्येक ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई जायें और वही टैक्सेज पास करें। मुझे पता लगा है कि सन् १९५० ई० तक के टैक्सेज अभी तक वसूल नहीं हुये हैं। अब आप उनको वसूल करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसका खयाल रखेंगे और इस तरह से क़ानून को लागू करेंगे जिससे ग्रामीण जनता में इसके खिलाफ कोई भावना न हो ।

राजा वीरेन्द्र शाह--माननीय स्पीकर महोदय, मुझे दुख के साथ इस संशोधन के, जो सरकार ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज का पेश किया है, विरोध में खड़ा होना पड़ा है। अभी मेरे मित्र श्री राजा राम जी ने बहुत सी बातें इसके विरोध में कही हैं। मैं उनको दुहराना नहीं चाहता हूं। मैं अवश्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस पंचायत राज ऐक्ट

को लाते वक्त सरकार ने जितनी धूमधाम के साथ इसकी तारीफ की थी कि हम ऐसी चीज लाये हैं कि जिससे हमारी ग्रामीण जनता को और आम जनता को बड़ा भारी लाभ होगा। लेकिन आप इसके विपरीत जा रहे हैं। आप उनको एक तरीके से जाल में फंसा रहे हैं। जिस तरह से अंग्रेजों ने हुकूमत की उसी तरह से आप भी करें लोगों को लम्बी लम्बी बातें बतला कर उनसे रुपया वसूल करके उनके लिए हित की बात कहना कहां तक उचित होगा ?

मैंने देखा है कि सरकार के कई विभाग हैं और उन सब विभागों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन का प्रबंध सरकार स्वयं बजट में पेश करती है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इधर तो आप ढिंढोरा पीटते हैं कि हम ने उनके हित में यह बिल पेश किया है..........

माननीय अध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य की तवज्जह इधर दिलाना चाहता हूं कि पूरे पंचायत राज ऐक्ट के विरोध में बोलने का यह मौका नहीं है बल्कि जो संशोधन लाया गया है उसी पर अपने भाषण को सीमित रखें।

राजा वीरेन्द्र शाह--श्रीमान्, "उद्देश्य और कारण" में जो लिखा हुआ है कि इस विधेयक में यह भी अधिकार प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे पंचायतों को गांव-पंचायत के सेक्रेटरी का वेतन, भत्ते और दूसरी अदायगियां गांव सभा फंड में से देने के लिये आदेश किया जा सके, मैं इसका विरोध करता हूं। यह चीज पहले नहीं थी, अब यह नई चीज रखी जा रही है। यह अनुचित है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। यह भार अगर सरकार ग्राम पंचायतों पर न डाल कर सप्लीमेंटरी डिमांड्स में रखती तो मुनासिब होता।

मुझे इससे विरोध नहीं कि सेक्रेटरीज को वेतन समय पर दिया जाय, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ग्राम पंचायतें अपने पैरों पर खड़ी हो सकें तो आप उनको खड़ा होने का मौका दीजिये। लेकिन आप उल्टे उन पर बोझा लादते रहे हैं कि वह खड़ी ही नहीं हो सकतीं। जब जब ग्राम पंचायतें खड़े होने लायक होती हैं तब तब आप उन पर बोझा लाद देते हैं। हमारे मंत्री जी तो ग्राम-पंचायतों की दशा अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन मालूम नहीं क्यों केबिनट में अपनी सरकार से यह जोरों के साथ नहीं कहते कि अगर आप ग्राम पंचायतों और ग्रामीण भाइयों का उत्थान चाहते हैं तो ऐसी चीज कीजिये जिससे कि उनका उत्साह बढ़े, न कि उनका उत्साह घटे और उनको मजबूर हो कर आपका आश्रय लेना पड़े। मैं चाहता हूं कि गांव के लोग अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकें और उनको सरकार का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े। यह वेतन का भार जो लादा जा रहा है इस सम्बन्ध में मैं सरकार को यह बतलाना चाहता हूं कि उस गांव की जितनी कुल आमदनी होगी उसका ज्यादा हिस्सा वेतन ही में चला जायगा। सेक्रेटरी साहब क्या काम करते हैं यह अभी न बतला कर जब बजट का मौका होगा तब बतलाऊंगा कि वह बिल्कुल फिजूल साबित हुये हैं। मैं तो यही मुनासिब समझता हूं कि जिस तरह से हमारे सभापति आनरेरी वर्क (अवैतनिक) कार्य करते हैं उसी तरह से आप यह निकाल दीजिये कि सेक्रेटरीज भी आनरेरी वर्क (अवैतनिक) कार्य करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और फिर सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर आप गांवों की दशा सुधारना चाहते हैं तो यह जो नये नये प्रकार के टैक्सेज, जबकि आप पहले पहल जीत कर आये हैं, न लगाइये जिससे आपके प्रति लोगों में असंतोष पैदा हो और लोग यह सोचें कि उन्होंने आप को वोट दिया, उसी का यह नतीजा है।

श्री खूब सिंह--अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट की तरफ से जो संशोधन पंचायत राज ऐक्ट में पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। इसकी मुखालिफत में जो दो स्पीचेज अभी इस भवन में हुई हैं उनको सुनकर ऐसा मालूम होता है कि संशोधन की स्पिरिट (भावना) को वह बिल्कुल समझ नहीं पाये हैं। राजा साहब का कहना है कि उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। उनके पैरों के नीचे से जमीन निकली जाती है। उन्हें खुद कुछ करने का मौका

[श्री खूब सिंह]

नहीं दिया जाता। शास्त्री जी फरमाते हैं कि वह यह तो चाहते हैं कि सेक्रेटरीज को समय पर तनख्वाहें दी जायं लेकिन कलेक्टर के जरिये से पंचायतों से रुपया ले कर सेक्रेटरीज को तनख्वाह देने का जो सवाल है इसको यह सदन को तै न करना चाहिये, बल्कि उन पंचायतों से पहले पूछ लेना चाहिये। मुझे तो इस बात में कोई तत्व दिखाई नहीं देता। सवाल तो यह है कि पंचायतों के पास रुपया होता भी है फिर भी वह अपने सेक्रेटरीज को रुपया नहीं देतीं। कलेक्टर के जरिये से अगर उनको तनख्वाह दी जायगी तो इसमें शास्त्री जी को कोई आपत्ति तो नहीं है, यह भी उनसे पूछ लिया जाय।

इस काम के लिये अगर रुपया ले लिया जाता है तो इसमें शास्त्री जी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिये। अगर कोई ऐसा सवाल इस हाउस के सामने होता कि कोई नया टैक्स लगाया जाता तब तो उन लोगों से पूछने का सवाल पैदा हो सकता था या कोई नई पोस्ट क्रियेट (पैदा) करने का सवाल होता तो उनकी रजामन्दी लेने की जरूरत हो सकती थी। लेकिन जब आपने एक आदमी को वहां काम करने के लिये नियुक्त किया है तो उसका पेट भरने के लिये कोई इन्तजाम करना निहायत जरूरी है और तभी उसके ऊपर नियंत्रण रखा जा सकता है। उसी हालत में वह अच्छी तरह से काम कर सकता है। अगर उसको समय पर तनख्वाह नहीं मिलती है और आप उससे जबरदस्ती काम लेते हैं तो वह काम सुचारु रूप से नहीं चल सकता है। यह तो महज समझने की बात है।

मेरा ख्याल यह है कि अगर सेक्रेटरी से सही काम लेना है तो उसका पेट भरने के लिये कम से कम उसकी तनख्वाह वक्त पर देना निहायत लाजिमी है और मैं यह समझता हूं कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। हमने गांव पंचायत को और उसके सरपंच को अधिकार दिये हैं। और हम यह भी चाहते हैं कि वह अपने कर्तव्य को समझें कि उसको क्या करना है। वह अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करे। आप जानते हैं कि वहां पर सरपंच वगैरह की मदद के लिये सेक्रेटरी रखा जाता है ताकि वह सही तरीके से काम चला सके और उनकी मदद करता रहे। बहुत जगहों पर बिला पढ़े-लिखे लोग भी आ गये हैं। उनकी मदद के वास्ते भी इन सेक्रेटरियों की जरूरत होती है, ताकि वह थोड़ा बहुत अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। अगर आपने वहां पर उन सब की मदद के लिये कोई आदमी मुकर्रर किया है, कोई सेक्रेटरी मुकर्रर किया है तो उसको तनख्वाह जरूर मिलनी चाहिये। जो संशोधन इस वक्त इस कानून में पेश किया गया है वह निहायत सुन्दर है। सेक्रेटरी के रहने या न रहने का सवाल इस वक्त पैदा नहीं होता है। जब यह सवाल सामने आयेगा तब यह बहस हो सकती है कि वहां पर आनरेरी (अवैतनिक) सेक्रेटरी हो या पेड (सवेतन) हो। जब आप पेड सेक्रेटरी मुकर्रर कर चुके हैं तो उसको तनख्वाह मिलना आवश्यक है। और उसके प्रबन्ध के लिये यह संशोधन पेश किया गया है। मैं पूरे तरीके से इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री गजाधर प्रसाद--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हाउस के सामने पेश है मैं उसका सख्त विरोध करता हूं। जहां तक ग्राम-पंचायत के सेक्रेटरी की तन्ख्वाह का प्रश्न है वह तो उसी तरह का प्रश्न है जैसा कि सरकार, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के सेक्रेटरी का प्रश्न है। जिस तरह से सरकार उनकी तनख्वाह अपने खजाने से देती है उसी तरह से उनकी तनख्वाह भी सरकार को अपने खजाने से देनी चाहिये। ग्राम जनता की ऐसी हालत नहीं है कि वह टैक्स से रुपया इकट्ठा करके उसकी तनख्वाह के लिये दे सके। आजकल बहुत सी पंचायतों की हालत बहुत दर्दनाक और खराब है। आप जानते हैं कि इस साल सूखा पड़ जाने से लोगों की हालत बहुत खराब हो गई है और लोग बहुत परेशान हैं।

गांवों में तरह तरह की पार्टियां गरीब लोगों की हैं। एक पार्टी के आदमी पर दूसरी पार्टी के आदमी ज्यादा टैक्स लगा देते हैं और अपनी पार्टी के लोगों पर कम। तो इस तरह से टैक्स लगाकर सेक्रेटरियों की तनख्वाह देने का जो काम है उससे गांवों में बड़ी गड़बड़ी होगी और काफी परेशानी बढ़ेगी। मैं निवेदन करता हूं कि सरकार कोई स्थायी प्रबन्ध इसके लिये करे। गांवों में बहुत से पढ़े-लिखे लोग होते हैं वह आज भी मौजूद हैं उनसे आनरेरी सेक्रेटरी का काम लिया जाया करे। गांवों में ऐसे लोग पढ़े-लिखे इंट्रेंस तक के बहुत से मिल सकते हैं, जो इस काम को आनरेरी कर सकते हैं और हफ्ते में घंटा दो घंटा दे सकते हैं। क्योंकि कभी कभी काम पड़ता है और इस तरह से उनसे काम लिया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इसमें वेतन की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस तरह से किया गया तो बहुत सी आफतें होंगी। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जो लगान वसूल होता है जिसके बल पर सरकार चलती है उससे उनका कोई स्थायी प्रबन्ध करे। इस तरह से टैक्स लगाने से गांवों का उत्थान नहीं हो सकता। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो रेवेन्यू (मालगुजारी) सरकार वसूल करती है उसी में से सेक्रेटरियों का वेतन दिया जाय। गांवों में टैक्स लगाने से सेक्रेटरियों की तनख्वाह वसूल नहीं हो सकती। ऐसी परिस्थिति में एक तरह की बौखलाहट पैदा होगी और वहां टैक्स वसूल नहीं हो सकता। सरकारी कर्मचारी वहां वसूल करने जायेंगे, जनता देना नहीं चाहेगी तो जनता पर जुल्म होगा, सरकारी कर्मचारियों की तरफ से उनको कुर्की होगी, उनके गाय-बैल-भैंस बिकेंगे तरह तरह की आफतें आयेंगी। तो मेरा निवेदन है कि सरकार ऐसा प्रबन्ध करे जिससे सरकार के खजाने से सेक्रेटरियों की तनख्वाह दी जाय और मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन का विरोध करता हूं।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि मैंने जो यह विधेयक और उसके बाद उसका यह संशोधन पेश किया उसके सम्बन्ध में बिला समझे कि जो कानून पंचायत राज ऐक्ट है उसमें क्या अधिकार पंचायतों को दिये गये हैं और उसके ऊपर कैसे अमल हो रहा है इसका विचार बगैर किये हुये एक बहस उठा दी गई और मैं समझता हूं कि यह थोड़ा सा चुनाव के परिणाम के कारण है। देहातों में प्रचार करके जनता को उभाड़ने का प्रयत्न किया गया और उसमें जब नाकामयाबी हुई तो भवन में एक अन्तिम डोज देने का प्रयत्न किया गया और यहां भी एक प्रचार सा खड़ा कर दिया गया। इस संशोधन में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बारे में बहस हो। जहां तक यह कहा जाता है कि पंचायतों को टैक्स लगाना चाहिये या न चाहिये या पंचायतें बगैर पूछे हुये टैक्स लगा देती हैं उसके लिये तो मैंने स्पष्टीकरण कर दिया कि गांव सभा को ही अधिकार है कि इस ऐक्ट को लाये और जब गांव सभा में प्रस्ताव पास होता है तब ही टैक्स लगता है। सरकार ने अपनी तरफ से कोई हिदायत टैक्स लगाने की नहीं दी कि तुम फलां टैक्स लगाओ। सरकार ने तो यह कहा है कि टैक्स लगाने का उसको अधिकार है, बल्कि एकआध शिकायतें इस किस्म की आईं कि गांव सभा ने बिला पूछे हुये ही टैक्स लगाया तो हमने कहा कि गांव सभा में पास होना चाहिये तभी टैक्स लगाया जा सकता है। तो जो शिकायत राजाराम जी को है कि बगैर गांव सभा के पास किये हुये टैक्स लगा दिया जाता है वह ठीक नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी निगाह में अगर कोई चीज ऐसी आवेगी तो उसकी छान-बीन भी की जायगी और गांव सभा के सामने वह प्रश्न रखा जायगा।

जहां तक टैक्स लगाने की बात है, पंचायतों को सिर्फ वसूल करने का अधिकार है और यह अधिकार इस सदन ही ने उनको दिया था और राजाराम शास्त्री भी खुशी से उसमें शामिल थे, जब और टैक्स का यह अधिकार पंचायतों को दिया गया था। वसूल करने का अधिकार पंचायतों को दिया गया है और वह टैक्स वसूल करती हैं और अब कानून में यह भी दिया गया है कि हर एक चार-पांच गांव सभाओं को एक सेक्रेटरी रखना चाहिये।

[माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर]

मैं राजा राम जी से यह पूछना चाहता हूं कि जैसे वह कहते है उस तरह से तो बोझ और बढ़ेगा, बोझ घटेगा नहीं। भवन की इच्छा के अनुसार यह पास हुआ कि हर एक गांव सभा को एक सेक्रेटरी रखना चाहिये लेकिन सवाल यह है कि गांव सभा उसकी तनख्वाह दे भी सकती है या नहीं ? अगर वह देखें तो उनको मालूम होगा कि इस तरह से तो बोझ बहुत घट गया, बढ़ा नहीं है। हमने देखा कि इतना रुपया गांव सभा नहीं दे सकतीं इसलिये चार-पांच गांव सभाओं के बीच में एक सेक्रेटरी रखने की बात रखी है ताकि एक सभा पर बजाय ५० रुपये के दस रुपये ही खर्च पड़े। तो यह सुझाव तो बोझ हलका ही करता है। अब यह बोझ चार-पांच सभा आसानी से मिलकर उठा सकती हैं। अब अगर ३ गांव सभायें अपना हिस्सा तनख्वाह का देती हैं और एक नहीं देती तो इस कानून के मुताबिक गवर्नमेंट को अखित्यार होगा कि कोई भी कड़ी कार्यवाही सरकार कर सकती है, यह अखित्यार आज मौजूद है। सरकार चाहे तो गांव सभा को ही बरखास्त कर सकती है। जिस तरह से अगर कोई म्यूनिसिपैलिटी अपने फरायज अदा नहीं करती तो सरकार को अखित्यार है कि वह हुक्म दे कि वह अपने फरायज अदा करे, लेकिन अगर कुछ मियाद के बाद फिर भी वह अपने फरायज अदा नहीं करती है तो वह काम कर लिया जाता है और उसका खर्च म्यूनिसिपैलिटी से कराया जाता है और उसको बरखास्त करने का अखित्यार इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसी ढंग का कानून यह है कि अगर गांव सभा अपनी तनख्वाह का हिस्सा नहीं देती तो उसको मियाद दी जाय और अगर फिर भी वह नहीं देती है तो उसके फंड से रुपया काटकर दिया जायगा। यह जरासा सुझाव इसीलिये है ताकि सख्त कार्यवाही न करनी पड़े। हमें अख्तियार है कि हम किसी भी गांव सभा को बरखास्त कर दें और नया चुनाव करा लें, लेकिन हम उसको इस्तेमाल करना नहीं चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो सभा का जो रुपया जमा है उसमें से काटकर रुपया दे दिया जाय, यही अख्तियार इसमें लिया जा रहा है। हम पंचायतों के अधिकारों को किसी तरह से कम नहीं कर रहे हैं बल्कि पंचायतों पर जो सख्ती हो सकती है उसको हम कम करना चाहते हैं, यही इसका उसूल है। यह कोई नये टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है और मैं समझता हूं कि राजा राम शास्त्री जी यह जानकर कि इस से तनख्वाह देने में सहूलियत होगी अपने विरोध को वापिस ले लेंगे।

श्री गजाधर प्रसाद जी ने कहा कि सरकार जिस तरह से म्यूनिसिपैलिटीज में करती है उसी तरह से तनख्वाह सेक्रेटरी को दिया करे। उन्होंने शायद नहीं समझा। यह बात नहीं है कि सरकार अपने बजट से वक्त पर म्यूनिसिपैलिटी वालों को तनख्वाह देती है वहां भी म्यूनिस्पैलिटी अपने फंड से तनख्वाह देती है और टैक्स लगाकर दिया करती है। इसी तरह से पंचायतें टैक्स लगाकर अपने सेक्रेटरीज को तनख्वाह देती हैं। पहले हर एक के लिये सेक्रटरी रखना जरूरी था, अब हम ४ पर एक सेक्रटरी कर रहे हैं। इस तरह से उनका बोझा हमने कम किया है और जिस तरह से म्यूनिसिपैलिटी अपने फंड में से रुपया देती है उसी तरह से पंचायतें भी देंगी।

जहां तक पंचायतों की हालत के बारे में कहा गया है कि उनकी हालत ऐसी है कि वे इतना वसूल कर सकती हैं, मैं इस बात से हमदर्दी रखता हूं और मैं समझता हूं कि जब सरकार अगले सदन में पंचायतों के बारे में कोई प्रस्ताव लायेगी तब उस समय सारे टैक्सेशन के ऊपर फिर से विचार करने का ख्याल रखा जायगा। और जिस तरह से उचित समझा जायगा उनकी हालत दुरुस्त करने का प्रयत्न किया जायगा। इस बीच में जो प्रयोग हमने किये हैं उनके करने में हमें जो अड़चनें मालूम हुईं उनका फायदा उठाने का हमने प्रयत्न किया है। आपके द्वारा मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इस साल हमने १२ लाख रुपया देकर उनका काम पूरा किया और पारसाल भी १४ लाख दिया था। इसमें डिस्ट्रिक्ट

मैजिस्ट्रेट को यह अख्तियार होगा कि वह किसी भी पंचायत से उसका हिस्सा दिला सके तो ऐसी हालत में जहां ३ पंचायतों के काम को फायदा होता है अगर एक के साथ जरा सी सख्ती भी हो गई तो कोई हर्ज नहीं है और अन्त में उसका भी इससे लाभ है। मैं समझता हूं कि जो एतराज़ात माननीय सदस्यों ने नाजानकारी के कारण किये हैं वे उन्हें अब असलियत को समझ कर वापस ले लेंगे और सदन इसे स्वीकार करेगा।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष--इसमें भी कोई संशोधन की सूचना नहीं है। अगर किसी को आपत्ति न हो तो मैं सब का सब एक ही प्रश्न के जरिये ले लूं?

श्री राजाराम शास्त्री--यदि एक-एक करके धाराएं हमारे सामने आवेंगी तो उनमें किसी पर हमें जो कहना होगा हम कह सकेंगे।

माननीय अध्यक्ष--ठीक है, तो मैं एक-एक करके लेता हूं।

खंड २

२--यूनाइटेड प्राविन्सेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ (जिसे इसमें आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्त म फुलस्टाप निकाल कर निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :

"and make such incidental and consequential orders as may be necessary for effecting the change.".

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंश बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३--मूल अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (३) में शब्द "their term of office shall be three years". के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(3) their term of office shall be three years from the date of their respective election or if the State Government so declares by notification in the *Gazette* such longer term, not exceeding five years, as may be specified.

और तत्पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (3-A) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(3-A) The declaration under sub-section (3) may be published at any time before the expiry of three years aforesaid or where the period has been extended, before the expiry of such extended period."

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंश बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४--मूल अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(3) The term of office of a member of a *Gaon Panchayat* other than President or Vice President or a member chosen to fill a casual vacancy shall

be three years or if the State Government so declares by notification in the *Gazette*, such longer term not exceeding five years, as may be specified."

और तत्पश्चात निम्नलिखित उपधारा (3-A) के रूप में बढ़ा दिया जाय:

"(3-A) The declaration under sub-section (3) may be published at any time before the expiry of three years aforesaid or where the period has been extended, before the expiry of such extended period."

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंश बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

५---मूल अधिनियम की धारा (25-A) की उपधारा (१) में शब्द "subject to such directions" के बाद 'कामा' रख दिया जाय और उसके पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय-

"including directions regarding payment from *Gaon Sabha* Fund of his salary, allowances and other dues."

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंश बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राजा वीरेन्द्र शाह---मैं इसका विरोध करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष---जरा सी देर की आपने। अब तो मैं राय ले चुका।

खंड ६

Term of Panchayti Adalat.

६---मूल अधिनियम की धारा ४५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"45. (1) The term of office of every *Panch* shall be three years from the date of his election or if the State Government so declares by notification in the *Gazette*, such longer term, not exceeding five years, as may be specified.

(2) The declaration under sub-section (1) may be published at any time before the expiry of three years aforesaid or where the period has been extended, before the expiry of such extended period."

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

७---मूल अधिनियम की धारा ९५ के पश्चात् निम्नलिखित धारा "95-A" के रूप में बढ़ा दिया जाय।

"95-A. (1) If at any time it appears to the State Government hat a *Gaon Sahba* or a *Gaon Panchayat* has made default in performing a duty imposed on it by or under this or any ther enactment, the State Government may by order in writing fix a period for the performance of that duty.

(2) If the duty is not performed within the period so fixed, the State Government may direct such authority as may be specified to perform it and may further direct that the expenses, f any, of performing the duty shall be paid from the **Gao sadha** Fund and thereupon the person having the custody of the fund shall pay the amount from such fund".

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंश माना जाय।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, गांव–सभा के फंड से अदायगी की जो बात हमारे सामने पेश की गई है और अभी माननीय मंत्री जी ने भवन के सामने जो बयान दिया उसके सम्बन्ध में मुझे केवल इतना कहना है कि मैं फिर उस बात को दोहराता हूं कि हम लोग इस बात के खिलाफ नहीं है कि गांव सभाओं के कोष से वहां के सेक्रेटरियों को तनख्वाह दी जाय। हमारा तो एक एतराज है और वह एतराज यह है कि अगर-आपने जैसा कहा कि कुछ गांव सभाओं के पास फंड है और वे अपनी खुशी से पैसा दे देती हैं कोई गांव सभा ऐसी है जो पैसा नहीं दे पाती है, तो आप यह कहते हैं कि उस गांव-सभा पर कुछ सख्ती करने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि अगर आपने गांव सभाओं पर सख्ती इसलिये की कि वे अपने यहां फंड इकट्ठा करें और उस फंड से वे ग्राम-सभाओं के सेक्रेटरियों को वेतन दें तो मुझको इस बात का अन्देशा है कि वे गांव सभायें अपने सेक्रेटरियों को पैसा अदा करने के लिये ही नये नये टैक्सेज लगायेंगी, जिसका परिणाम यह होगा कि असन्तोष बढ़ेगा। गांवों की हालत ऐसी नहीं है कि नये नये टैक्सेज लोगों पर लगाये जायं। इस सम्बन्ध में केवल एक बात की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जैसे माननीय मंत्री जी ने बार बार ऐक्ट की तरफ मेरा ध्यान दिला कर यह कहा कि ग्राम सभाओं को यह अधिकार है कि वे अपने टैक्स लगा सकतीं हैं और वसूल कर सकती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से बहुत अदब के साथ यह कहूंगा कि जरा भवन को आप यह भी बतलाने की कृपा कीजिये कि गांव सभाओं में जब यह मीटिंग बुलायी जाती है, क्या आपने उनके लिये कोई नियम बनाये हैं? क्या आपने कभी इस बात की जांच करने की कोशिश की कि कितनी ग्राम सभाओं की यह शिकायत है कि उनकी मीटिंग नहीं बुलायी गयी? उनको मालूम ही नहीं कि यह मीटिंग कब हुई और कब टैक्स लगाया गया।

मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जहां हमको यह सिखाने की कोशिश करते हैं कि गांव सभाओं को यह अधिकार है कि वे अपने टैक्स लगायें वहां वास्तव में आज गांव सभाओं की ऐसी छीछालेदर हो रही है कि उनको पता ही नहीं कि मीटिंग कब बुलाई गई, कहां बुलाई गयी। वह तो वहां के अधिकारी लोग अपने घर में बैठ कर टैक्स लगा लेते हैं और बाद में स्टेट की मशीनरी के जोर से फंड इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। यह ठीक है कि इस भवन ने ऐक्ट पास किया, मेरी राय उसमें रही। मैंने आज भी कहा कि यह ऐक्ट अच्छा है। लेकिन जो मैंने पहले बात कही उसको फिर दोहराना चाहता हूं कि आज अगर आपने ग्राम सभाओं को मजबूर किया कि वह अपने फंड से सेक्रेटरियों को तनख्वाह दें और उनकी माली हालत अच्छी नहीं है तो परिणाम यह होगा कि या तो सेक्रेटरियों को तनख्वाह न मिलने के कारण वे सही ढंग से काम नहीं करेंगे या ग्राम सभाओं को मजबूर करके गलत ढंग से मीटिंग बुलाई जायंगी और वे नये-नये टैक्स लगाने की कोशिश करेंगे। यह चीज इतनी आसान नहीं है कि मंत्री जी यहां खड़े हो कर यह देख रहे हैं कि सारे सूबे में कानून अच्छी तरह लागू है, ग्राम सभाओं के पास फंड काफी है, केवल सेक्रेटरियों को तनख्वाह देते नहीं हैं इसलिये उन पर जरा सख्ती करदी जाय। मैं कहता हूं कि गांवों की हालत अच्छी नहीं है, ग्राम सभाओं में टैक्स नहीं वसूल हो रहे हैं। तो यह कहना चाहता हूं कि आप ऐसा कोई संशोधन लाइये कि गांवों से जो कुछ पैसा वसूल होता हो उसका एक अंश कम से कम मौजूदा स्थिति के लिये उनके पास छोड़ दीजिये। और ग्राम सभाओं से यह कहिये कि तुम्हारे पास इतना रुपया छोड़ देते हैं उसमें से सेक्रेटरियों

[श्री राजाराम शास्त्री]

को तनख्वाह दो। अगर ग्राम सभाओं के फंड से वह तनख्वाह निकालने की कोशिश करेंगे तो वह नहीं निकल पायगी। मुझे यह दुख है कि माननीय मंत्री जी ने इस बिल को पेश किया, प्रत्येक दफा पर व्याख्यान दिया, फिर भी भवन को अन्धकार में रखा, यह नहीं मालूम हो सका कि सूबे में सेक्रेटरियों का कितने महीने का वतन अभी बाकी है। अगर मंत्री जी भवन के सामने यह आंकड़े पेश करते तो हम और भी बहस कर सकते थे कि इतनी रकम गांव पंचायतों से वसूल हो सकती है या नहीं। अगर थोड़ी सी रकम है तो आसानी से वसूल हो सकती है और कोई झगड़े की बात नहीं होती लेकिन अगर ज्यादा रकम है और आप मजबूर करेंगे, सख्ती करेंगे तो मैं फिर कहता हूं कि आप अशान्ति पैदा कर देंगे।

मेरा अपना ख्याल है कि मौजूदा स्थिति में ग्राम सभायें इस योग्य नहीं हैं कि वह मंत्रियों की तनख्वाह दे सकें। आप उनको मजबूर न कीजिये और अगर आप सख्ती करेंगे तो अशान्ति होगी और सेक्रेटरियों को पैसा नहीं मिलेगा। मैं शुरू की हालत के लिये कहता हूं कि आप ऐसा न करें। जब ग्राम पंचायतें ठीक से चलने लगेंगी और वह अच्छी तरह से चलने लगेंगी तो वह खुद सेक्रेटरियों को पैसा दे सकेंगी, लेकिन मौजूदा हालत में उनको मजबूर न कीजिये। मैं यह कहता हूं कि देहातों में असंतोष है और जो सख्ती आप करने जा रहे हैं उससे बदअमनी पैदा होगी। जब यह मैं कहता हूं तो इसलिये नहीं कहता कि कोई चुनाव का भूत मेरे सिर पर सवार है और उसका गुबार निकालने की गर्ज से कह रहा हूं। मेरे पास शिकायतें आ रही हैं कि लोग गांवों में जा रहे हैं और वसूलयाबी हो रही है। मैंने एक हितैषी के नाते कह दिया, समझ में आ जाय तो मान लीजिये और अगर न मानिये तो कोई जिद की बात भी नहीं है। मैंने तो जनता के हित में जो बात थी उसको कह दी, अगर आपको बुरी लगी तो फिर आप जानें।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्टीकरण कर ही दिया कि इसमें टैक्स बढ़ाने का कोई सवाल नहीं। अब राजाराम शास्त्री जी कहते हैं कि जो पंचायतें अपना हिस्सा नहीं देतीं उनको लाचार किया जायगा सो लाचार करने का तो कोई अधिकार नहीं। अगर पंचायत के पास फंड है तो उसमें से लिया जायगा और अगर नहीं है तो कोई टैक्स लगाने या लाचार करने का अधिकार नहीं। मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं :—

"If the duty is not performed within the period so fixed, the State Government may direct such authority as may be specified to perform it and may further direct that the expenses, if any, of performing the duty shall be paid from the Gaon Sabha Fund and thereupon the person having the custody of the fund shall pay the amount from such found.

[यदि इस प्रकार निर्धारित समय के भीतर कर्त्तव्य पालन न किया गया तो राज्य सरकार ऐसे प्राधिकारी को, जिसका कि उल्लेख किया गया हो, इस कार्य को करने का आदेश दे सकती है और यह भी आदेश दे सकती है कि उस कार्य को करने का व्यय, यदि कोई हो, गांव सभा फंड से दिया जायगा और तत्पश्चात् वह व्यक्ति जिसके संरक्षण में वह फंड है उस फंड से उस धनराशि का भुगतान करेगा।]

यानी फंड हो तब, और अगर फंड नहीं होगा तो उसमें से काटा नहीं जा सकता। अगर फड होते हुए भी गांव सभा नहीं देती तो उसके फंड में स काटा जा सकता है। मैं समझता हूं कि राजाराम जी किसी गलतफहमी पर आक्षेप कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि उनका सुझाव यह है कि यह सब सिस्टम (प्रणाली) ही बदल देना चाहिये और गांव सभाओं पर भार नहीं डालना चाहिये बल्कि सरकार को देना चाहिये। यह सुझाव तभी हो सकता है जब हम इस सम्बन्ध में कोई मुकम्मिल सुधार भवन के सामने पेश करें। जब इस तरह का सुधार भवन के सामने आयेगा तो उसके ऊपर ग़ौर किया जायगा, उसके बारे में मैं यकीन दिला सकता हूं। लेकिन यह एक छोटा सा सुधार है कि जब

गांव सभा के पास फंड होते हुए भी वह नहीं देते हैं तो सिवाय इसके कि गांव सभा को रिप्लेस (प्रतिस्थापित) कर दें और कोई अधिकार नहीं है। वह सब कदम नहीं उठाया और सिर्फ उस फंड से रुपया दे दिया। हम इतना ही चाहते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि राजाराम जी अपने विरोध को वापस ले लें और सदन इस सुधार को पास करे।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंश बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

८--उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९५२, और उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९५२ एतद् द्वारा निर्वातित (रिपील) किये जाते हैं और यूनाइटेड प्राविंसेज जनरल क्लाज़ेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और धारा २४ के उपबन्ध उन पर उसी प्रकार लागू होंगे मानो वे ऐसे अधिनियम (ऐक्ट) हों जो किसी उत्तर प्रदेश ऐक्ट द्वारा निर्वातित किये गये थे।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंश बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ)--

पक्ष में--६०

विपक्ष में--३

माननीय अध्यक्ष--प्रस्तावना पर राय लेने के पहले मैं यह बात कहे बग़ैर रह नहीं सकता कि इस आदरणीय सदन की मर्यादा कायम रखने के लिये हर चीज़ पर विचार करके राय देना मैं समझता हूं हर एक माननीय सदस्य का कर्त्तव्य है। खंड ८ में चीज़ यह है कि आर्डिनेंस इस बिल के पास होने पर खत्म होंगे। जहां तक मैं समझता हूं किसी माननीय सदस्य ने इस विषय पर कोई तक़रीर नहीं की कि वह आर्डिनेंसेज खत्म न हों और जिस चीज़ पर कोई तक़रीर न की जाय उस पर डिवीज़न चैलेंज करना कोई अच्छी बात नहीं मालूम होती। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य जरूर इस पर विचार करेंगे।

प्रस्तावना और खण्ड १

यह आवश्यक है कि यूनाइटेड प्राविंसेज पंचायतराज ऐक्ट, १९४७ ई० को इसमें आगे दिये प्रयोजनों के निमित्त फिर से संशोधित किया जाय ;

इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१--(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, १९५२ ई० होगा।

(२) यह ७ फरवरी, १९५२ ई० से प्रचलित हुआ समझा जायगा।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १ और प्रस्तावना इस विधेयक का अंश बन जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष--मैं पूछना चाहूंगा कि अगर तृतीय वाचन पर कुछ कहना है तो हम इस समय उठ जायं और एक घंटे के बाद जब हम बैठें तब आगे बढ़ें।

श्री राजाराम शास्त्री--सिर्फ एक बात की ओर ध्यान दिलाना है। यह बिल आज पास हो गया। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं सिर्फ यह कहना चाहूगा कि अगर सारी बहस का नतीजा एक ही निकल आये तो हाउस को बहुत फ़ायदा हो सकता है।

[श्री राजाराम शास्त्री]

मैं आपके जरिये से गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि आइन्दा जिस दिन असेम्बली में विधेयक पर बहस होने वाली हो वह कम से कम मेम्बरान को एक दिन पहले मालूम हो जाय तो सदन को बहुत कुछ फायदा हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष--मैं इसके मुताल्लिक अर्ज कर दूं कि हमारे यहां नियम बन गये हैं। हर सप्ताह में पहले दिन जब असेम्बली की बैठक होगी उस दिन उस सप्ताह का कार्यक्रम गवर्नमेंट बता देगी। मगर अब तक जो बैठे हैं माननीय सदस्य देखेंगे कि इस सप्ताह में पहले ही दिन आज बैठे हैं। इसलिए अब अगले दिन जब सोमवार को बैठेंगे उस वक्त पूरे हफ्ते का कार्यक्रम माननीय नेता सदन को रखना होगा और इस प्रकार उसकी पूरी इत्तिला सभी माननीय सदस्यों को हो जाया करेगी। यह हमारा अब नियम बन गया है उसका पालन हुआ ही करेगा।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, सन् १९५२ ई० पारित किया जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बज कर २५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर ३३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधाकृष्ण अग्रवाल, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने का) विधेयक, १९५२ ई०

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त (अन्न मंत्री)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने के) विधेयक, १९५२ ई०, पर विचार किया जाय।

इस विधेयक पर कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। जो उद्देश्य और कारण इस बिल के साथ में छापे गये हैं उनको पढ़ने से यह पता तो चल ही जाता है कि किन कारणों से यह विधेयक इस भवन में फिर उपस्थित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने के) विधेयक १९५० ई० की अवधि ३१ जनवरी, सन् १९५२ ई० को समाप्त हो गई थी। उस समय असेम्बली की बैठक होने वाली नहीं थी। इस कारण से गवर्नर महोदय ने इस ऐक्ट की अवधि को बढ़ाने के लिये एक आर्डिनेंस जारी किया जो आज विधेयक के रूप में भवन के सामने उपस्थित है। आज के जमाने में जब कि हम आधुनिक ढंग पर इलाज कराते हैं, औषधियां कितनी आवश्यक हैं और इनकी कीमत बढ़ जाने पर लोगों को कितनी तक़लीफ होती है, इसके ऊपर अधिक प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। आज भी समय समय पर औषधियों की कीमत बढ़ जाती हैं अतः उनके ऊपर नियंत्रण रखने के लिये केन्द्रीय सरकार की सलाह से यह ऐक्ट बनाया गया था और आज भी सरकार महसूस करती है कि ऐसे ऐक्ट हमारे बीच में कानून के रूप में रहना चाहिये। इसी कारणवश यह विधेयक इस भवन में विचारार्थ उपस्थित किया जा रहा है।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) अधिकार जारी रखने के) विधेयक, १९५२ ई० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड २

मूल अधिनियम का प्रचलित रहना।

२--उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) ऐक्ट, सन् १९५० ई० की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या "१९५२" के स्थान पर संख्या "१९५३" रखी जायगी।

अधिष्ठाता--इस विधेयक पर कोई संशोधन नहीं है। इसलिए खंड २ उपस्थित किया जाता है।

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का भाग बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) ऐक्ट, सन् १९५० ई० की अवधि सीमित है और उसे उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (अधिकारों को जारी रखने) (संशोधन) का अध्यादेश, १९५२ ई० द्वारा प्रचलित रखा गया है,

और उक्त अध्यादेश उत्तर प्रदेश विधान मंडल के पुनः समवेत होने के दिनांक से छ: सप्ताह के बाद समाप्त हो जायगा,

और यह आवश्यक है कि उक्त अधिनियम को ३१ जनवरी, १९५३ ई० तक प्रचलित रखने के लिए व्यवस्था की जाय,

इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

१--(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने का) अधिनियम, १९५२ ई० होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और खंड १ इस विधेयक का अंश माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने के) विधेयक, १९५२ ई० को पारित किया जाय।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने के) विधेयक, १९५२ ई० को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता का निषेधक (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ ई०

माननीय श्री सैयद अली ज़हीर (न्याय मंत्री)--मैं तजवीज़ करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता के निषेधक (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ ई० पर विचार किया जाय।

[माननीय श्री सैयद अली जहीर]

मुझे इस विषय पर कुछ ज्यादा नहीं कहना है। जो बिल पहले था उसकी रू से अगर कोई कौंसिल का मेम्बर है और फिर वह असेम्बली का मेम्बर मुंतख़िब हो गया तो वह कौंसिल का मेम्बर नहीं रह सकता था। पुराने ऐक्ट की रू से एक मेम्बर दोनों हाउसेज (सदनों) में काम नहीं कर सकता था, इसलिये यह जरूरी हुआ कि इस तरह का एक आर्डिनेंस पास किया जाय जब तक पहला सेशन असेम्बली का न हो उस वक्त तक जो कौंसिल का मेम्बर है वह कौंसिल का मेम्बर रहेगा और असेम्बली का भी मेम्बर रहेगा। चुनांचे इस आर्डिनेंस को कानून की शक्ल में इस हाउस के सामने पेश किया जा रहा है और मेरे ख्याल में इससे किसी को कोई एतराज न होगा। लिहाजा मैं तजवीज करता हूं कि इस ऐक्ट पर गौर किया जाय।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता के निषेधक (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ ई० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना तथा खण्ड १--३

यू० पी० ऐक्ट २२, १९५० ।

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता के निषेधक अधिनियम, १९५० ई० के उपबन्धों की अनुपूर्ति की जाय।

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ ।

१--(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता का निषेधक (अनुपूरक) अधिनियम, १९५२ ई० होगा।

(२) यह २६ जनवरी, १९५२ ई० से प्रचलित हुआ समझा जायगा।

यू० पी० ऐक्ट २२, १९५० का संशोधन

२--संविधान के अनुच्छेद ३८२ में यह व्यवस्था की गयी है कि जब तक उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदन संविधान क उपबंधों के अधीन उचित रूप से संघटित न हो जायं तथा प्रथम सत्र में अधिवेशित होन के लिए आहूत न हो जायं, तब तक अस्थायी विधान मंडल के सदन प्रथमोक्त सदनों के अधिकारों का प्रयोग तथा उनकेकर्त्तव्यों का पालन करेंगे, इसलिए ऐसे व्यक्ति के विषय में, जो अस्थ यी विधान परिषद् का पहले से सदस्य हो और उक्त परिषद् में अपना स्थान ग्रहण कर चुका हो और बाद में उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित किया जाय, उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता का निषेधक अधिनियम, १९५० ई०, की धारा ४ इस प्रकार प्रभावशाली होगी, मानो कि शब्द "इस घोषणा के प्रकाशित होने पर कि वह इस प्रकार निर्वाचित किया गया है" के स्थान पर शब्द "प्रथम सत्र में अधिवेशित होने के लिए उक्त सभा के आहूत होने पर" रख दिये गये थे।

निवर्तन । यू० पी० ऐक्ट १, १९०४ ।

३--उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता का निषेधक (अनुपूरक) अध्यादेश, १९५२ ई० एतद् द्वारा निवर्तित किया जाता है और यू० पी० जनेरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६

तथा २४ के उपबन्ध उसे उसी प्रकार लागू होंगे मानों कि वह एक ऐसा विधायन (ऐक्ट) था, जो किसी उत्तर प्रदेश ऐक्ट द्वारा निवर्तित किया गया हो।

अधिष्ठाता--इस विधेयक पर कोई संशोधन नहीं है। इसलिये इस विधेयक को एकदम लिया जाता है।

प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और खंड १--३ विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

माननीय श्री सैयद अली जहीर--मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता के निषेधक (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ ई० को पास किया जाय।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता के निषेधक (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ ई० को पास किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी आत्ययिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) का विधेयक, १९५१ ई०

माननीय श्री हुकुम सिंह--श्रीमान् की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी आत्ययिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) के विधेयक, १९५१ ई० पर विचार किया जाय।

इस सम्बन्ध में मुझे चन्द शब्द कहने हैं। तजुर्बे से पता चला है कि सैलाब के जमाने में अक्सर ऐसे मौक़े आये हैं कि जहां पर सैलाब के खतरे बहुत ज्यादा दिखाई पड़े और जब वहां रहने वालों से सरकारी और गैर-सरकारी तौर से कहा गया कि वह खाली कर दें तो खाली करने में उनको ताम्मुल हुआ और उससे खतरात बढ़े। इसके साथ किश्तियों के जमा करने में भी दिक्कतें सामने आईं और जो लोग सैलाबी इलाके से दूसरी जगह ले जाये गये तो वहां उनकी रिहायश के लिये, मकानात वगैरह का इन्तजाम करने की भी दिक्कतें सामने आईं। यह मसला सिलेक्ट कमेटी के सामने भी पेश था। कमेटी ने जो सिफारिशात कीं उनको गवर्नमेंट ने मंजूर किया। इसलिये यह विधेयक लाया गया है। इसमें सैलाबी इलाके को खाली कराने, किश्तियों, को जमा करने के लिये और ऐसे मकानात जिनमें कि ऐसे लोगों को पनाह दी जा सके, यह सब प्राविजन्स इसमें रखे गये हैं। मुझे आशा है कि यह सदन इस बिल पर विचार करेगा और विचार करके इसे मंजूर करेगा।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी आत्ययिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) के विधेयक, १९५१ ई० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना तथा खंड १--१६

नावों को अधिगृहीत करने और ऐसे क्षेत्रों को जिनमें बाढ़ आने का भय हो या जिन पर बाढ़ का प्रभाव पड़ा हो, खाली कराने के लिये व्यवस्था करना आवश्यक है;

इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ।

१--(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी आत्ययिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) का अधिनियम, १९५१ ई० होगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित हो जायगा।

परिभाषा।

२---इस अधिनियम में विषय या प्रसंग के विपरीत न होने पर---

(क) "नाव" के अन्तर्गत "स्टीमर" भी है।

(ख) "डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट" के अन्तर्गत परगनाधीश मजिस्ट्रेट (sub-divisional magistrate) और तहसीलदार भी हैं।

(ग) "स्वामी" के अन्तर्गत भुक्तिमान् बंधकी या गिरवीदार (pledgee or pawnee in possession) भी हैं और यदि वह व्यक्ति जिसकी भुक्ति (possession) में नाव हो अवयस्क है तो स्वामी के अन्तर्गत उक्त अवयस्क (minor) का अधिरक्षक (guardian) भी है, और

(घ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है।

क्षेत्रों को खाली कराना।

३---(१) बाढ़ के कारण आई हुई या सम्भावित विपत्ति (danger) से जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा करने के प्रयोजन से यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो तो वह आज्ञा द्वारा उन अपवादों (exemption) के अधीन जो सामान्य आज्ञा या विशेष अनुज्ञा (permission) से किए गए हों, उक्त आज्ञायें निर्दिष्ट क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों या उनके वर्ग विशेष के विषय में यह आदेश दे सकता है कि वे उस क्षेत्र से कहीं और या उसके किसी निर्दिष्ट भाग में या तो स्वयं हट जायं या हटा दिए जायं; और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऐसे अन्य कार्य भी करने का अधिकार होगा जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(२) व्यक्तियों को हटाने के लिए उपधारा (१) के अधीन दी गई आज्ञा में निम्नलिखित बातों का उल्लेख हो सकता है--

(क) वह या वे मार्ग जिससे या जिनसे सब व्यक्तियों या उनके किसी वर्ग विशेष को निर्दिष्ट क्षेत्र से अपने आपको हटाना है या हटाया जाना है;

(ख) वह या वे समय जिनके भीतर निर्दिष्ट क्षेत्र से वे हटेंगे या हटाये जायंगे;

(ग) वह या वे स्थान जिन पर निर्दिष्ट क्षेत्र से हटने या हटाये जाने पर उन्हें जाना या ले जाया जाना है;

और यदि उक्त आज्ञा के प्रयोजनों के लिये कोई अन्य आनुषंगिक या पूरक (incidental or supplementary) निदेश आवश्यकया उचित प्रतीत हों तो उसमें उनका भी समावेश हो सकता है।

४--उन व्यक्तियों के लिए, जो धारा ३ के अधीन दी गई आज्ञा के अनुसार अपने मकानों को छोड़ चुके हों या उससे हटा दिए गए हों, निवास स्थान की व्यवस्था करने के निमित्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निम्न-लिखित को छोड़ कर किसी भी भू गृहादि पर अधिकार (possession) कर सकता है। उन व्यक्तियों के लिये निवास स्थान की व्यवस्था जिनसे कोई घर ख़ाली कराया गया हो।

(क) धार्मिक पूजा के निमित्त उपयोग में आने वाले भू गृहादि (premises) ; तथा

((ख) कोई निजी निवासगृह जो निजी निवास गृह के रूप में उपयोग में आता हो।

५--(१) यदि किसी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियोंके जीवन नावों का अधिग्रहण और सम्पत्ति पर बाढ़ के कारण आई हुई या सम्भावित विपत्ति का सामना करने या उसका निवारण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखित आज्ञा द्वारा जिस नाव को चाहे अधिगृहीत (requisition) का सकता है और इसके अतिरिक्त ऐसी अन्य आज्ञा भी दे सकता है जो अधिग्रहण के सम्बन्ध में आवश्यक या उचित प्रतीत हो।

(२) उक्त आज्ञा की एक प्रति नाव के स्वामी के ऊपर तामील की जायगी और यदि स्वामी का शीघ्र पता न चल सके या नाव का स्वामित्व विवाद का विषय हो तो जहां नाव हो उसके आस पास किसी प्रमुख स्थान पर चिपका दी जायगी।

(३) यदि उपधारा (२) में दी गई रीति के अनुसार आज्ञा की तामील हो जाने पर नाव का स्वामी नाव कोउल्लि-खित अधिकारी के अधिकार में न दे तो उक्त नाव उस समय जिस व्यक्ति के अधिकार में हो, उससे उक्त अधिकारी उसे छीन ले सकता है।

(४) अधिगृहीत नाव को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिस प्रकार उचित समझे काम में ला सकता है या उसके विषय में जो उचित जान पड़े कर सकता है।

६--(१) यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट धारा ४ के अधीन किसी भूगृहादि को अपने अधिकार में ले लेता है अथवा धारा ५ के अधीन किसी नाव को अधिगृहीत कर लेता है तो इमारत या नावके स्वामी को, यथा स्थिति ऐसा प्रतिकर दिया जायगा जिसकी मात्रा नीचे लिखी रीति और सिद्धान्त के अनुसार अवधारित की जायगी : गृहादि के लिये प्रतिकर।

(क) डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निम्नलिखित बातों पर विचार करके प्रतिकर की मात्रा अवधारित करेगा :

(१) इमारत के सम्बन्ध में आस-पास की समान इमारतों के लिये देय किराया, और

(२) नाव के सम्बन्ध में उक्त प्रकार की नावों के भाड़े की प्रचलित दर,

(३) ऐसी क्षति (damage) जो अधिग्रहण के समय भूगृहादि या नाव को हुई हो, और

(४) कोई वास्तविक परिस्थिति (material circumstances) जिसे स्वामी प्रमाणित करे।

(ख) उक्त प्रकार से अवधारित प्रतिकर की मात्रा स्वामी को प्रस्तुत की जायगी और यदि वह लेना स्वीकार करे तो उसे दे दी जायगी।

(ग) यदि स्वामी उक्त मात्रा को स्वीकार न करे तो यह प्रश्न अधिकार प्राप्त सिविल जज को अभिदिष्ट (refer) किया जायगा। सिविल जज उपर्युक्त खंड (क) में लिखित बातों पर विचार करते हुए प्रतिकर की मात्रा को अवधारित करेगा।

(घ) सिविल जज का निर्णय अन्तिम होगा। उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकेगी।

(२) उस दशा को छोड़ कर जहां इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी बात से विरोध होता हो, सिविल जज के समक्ष इस अधिनियम के अधीन होने वाली सब कार्यवाहियों में कोड आफ सिविल प्रोसीजर १९०८ ई० के निदेश लागू होंगे।

नावों के स्वामी को आदेश देने के अधिकार।

७—बाढ़ आत्ययिक समय के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो किसी नाव का स्वामी हो या हों या एसे को या एसों को जो अपने अधिकार (possession) में या अपने नियंत्रण (control) में नाव रखता हो या रखते हों, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट धारा ५ के निदशों पर विपरीत प्रभाव न डालते हुए यह आदेश दे सकता है कि उक्त व्यक्ति उन आदेशों का पालन करेगा या करेंगे जो वह उसे या उन्हें लेख में दे।

प्रवेश और निरीक्षण।

८—डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत कोई व्यक्ति इस बात के निश्चय के लिए कि कोई भू गृहादि या नाव उपयोग के लिए उपयुक्त है या नहीं और धारा ४ या ५ के अधीन यथास्थिति अधिगृहीत किया या की जाय या नहीं, उक्त भूगृहादि या नाव में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है।

सूचना तथा हटाने के सम्बन्ध में आज्ञा।

९—किसी भूगृहादि या नाव को अधिगृहीत करने अथवा धारा ६ के अधीन दिए गए प्रतिकर को अवधारित करने के विचार से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आज्ञा द्वारा :

(क) किसी व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि वह उक्त भू गृहादि या नाव के सम्बन्ध में ऐसी सूचना, जो उसे ज्ञात हो, और जो निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अधिकारी को दे जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट किया जाय।

(ख) यह आदेश दे सकता है कि नाव का स्वामी या उस पर अधिकार (possession) रखने वाला कोई व्यक्ति, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की आज्ञा के बिना किसी भू गृहादि

या स्थान से, जहां पर नाव रक्खी हो, आज्ञा में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक उसे निरस्तरित (dispose) नहीं करेगा अथवा उसको कहीं नहीं हटायेगा।

नाव के अंगों को हटाने की रोक।

१०—किसी नाव का स्वामी या ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अधिकार (possession) में वह हो, धारा ५ के अधीन आज्ञा की तामील होने पर, नाव के किसी अंश या अन्य उपसाधन (accessory) को इस प्रकार नहीं हटायेगा और न नाव में इस प्रकार की कोई क्षति पहुंचायेगा जिससे कि नाव की उपयोगिता में कमी आवे :

अधिग्रहण से मुक्ति।

११—(१) कोई भू गृहादि जिस पर धारा ४ के अधीन अधिकार (possession) किया गया है, स्वामी को या उस व्यक्ति को जिससे अधिकार लिया गया था, निम्नलिखित स्थिति में लौटा दिया जायगा।

(क) यदि धारा ४ में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग न किया गया हो, तो अधिकार लेने के दिनांक से तीन मास की समाप्ति पर;

(ख) यदि उसका इस प्रकार उपयोग किया गया हो तो उक्त दिनांक से बारह मास की समाप्ति पर ।

(२) धारा ५ के अधीन अधिगृहीत नाव, उसके स्वामी या ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जिससे अधिकार लिया गया हो, अधिकार लेने के दिनांक से तीन मास की समाप्ति से पूर्व अधिग्रहण से मुक्त कर दी जायगी।

(३) यदि कोई भू गृहादि उपधारा (१) के अधीन अधिग्रहण स मुक्त कर दिया गया हो या कर दिया जाने वाला हो, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखित आज्ञा द्वारा ऐसे व्यक्ति को जो समस्त उक्त भू गृहादि या उसके किसी भाग में अधिवास करता हो यह आदेश दे सकता है कि निर्दिष्ट समय के भीतर उसे खाली कर दे और यदि उक्त व्यक्ति उक्त सूचना का अनुपालन न करे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उक्त भू गृहादि से उसे निकाल (evict) सकता है और उक्त आज्ञा को कार्यान्वित करन के लिए ऐसा बल प्रयोगकर सकता है जो आवश्यक हो।

(४) उपधारा (१) के अधीन दी गई आज्ञा में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को, नाव या भू गृहादि पर अधिकार (possession) और उसके लिये प्रतिकर देने पर, न्याययुक्त अधिकार रखनेवाले (having rightful claim) व्यक्ति को उक्त नाव या भू गृहादि पर अधिकार (possession) देने और उसके लिये प्रतिकर देनेके दायित्व से राज्य सरकार पूर्णतया मुक्त हो जायगी। किन्तु इसका कोई विपरीति प्रभाव उक्त नाव या भू-गृहादि या प्रतिकर के सम्बन्ध में किसी ऐसे व्यक्ति के अधिकार (possession) पर न होगा जो विधि के उचित प्रसार (due process of law) द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसे अधिकार (possession) दिया गया हो, प्रयोग में लाने का अधिकारी (entitled) हो।

वाद और अभियोग से बचाव। १२---कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक व्यवहार (suit prosecution or legal proceeding) किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिए न हो सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी आज्ञा के अनुसार सद्भावना से किया गया हो या जिसे उक्त प्रकार करने का उद्देश्य हो।

प्रशस्ति। १३---यदि कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को धारा ४ या ५ के अधीन किसी भू गृहादि या नाव पर अधिकार (possession) न दे या उक्त भू गृहादि या नाव पर अधिकार लने में विलम्ब करे या बाधा डाले अथवा इस अधिनियम के किसी निदेश या उसके अधीन दी गई किसी आज्ञा का उल्लंघन करे तो उसे ऐसे कारावास का दड जो एक महीने तक का हो सकता है, या अर्थ दंड जो दो सौ रुपये तक का हो सकता है दिया जा सकता है, या दोनों दिए जा सकते हैं।

गिरफ्तारी का अधिकार। १४---कोई पुलिस अधिकारी जो सब-इंस्पेक्टर के पद से नीचे का न हो बिना वारन्ट किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसके विषय में उचित प्रकार से यह सन्देह करने के कारण हों कि उसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है।

अपवाद। १५---(१) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्राप्त अधिकार के प्रयोग में दी गई किसी आज्ञा के विरुद्ध किसी न्यायालय में आक्षेप नहीं किया जा सकेगा।

(२) यदि किसी आज्ञा के विषय में ऐसा अभिप्रेत प्रतीत हो (purports) कि उक्त आज्ञा इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन मिले अधिकार के प्रयोग में किसी अधिकारी द्वारा दी गई है अथवा उस पर अधिकारी ने हस्ताक्षर किया है तो उसके सम्बन्ध में इंडियन एविडन्स ऐक्ट, १८७२, के अर्थ में यह परिकल्पना की जायगी (shall be presumed) कि वह आज्ञा उस अधिकारी ने इस प्रकार दी थी।

नियम बनाने का अधिकार। १६---इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है।

अधिष्ठाता---इस पर किसी संशोधन की सूचना नहीं है इसलिये एक साथ ही प्रश्न रखता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड २ से लेकर खंड १६ तक, प्रस्तावना तथा खंड १ इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री हुकुम सिंह---मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी आत्ययिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) के विधेयक, १९५१ ई० को पास किया जाय।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी आत्ययिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) के विधेयक, १९५१ ई० को पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन २ बज कर ४५ मिनट पर सोमवार, १७ मार्च, १९५२ ई० के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
१४ मार्च, १९५२ ई०

नत्थी 'क'

(देखिए प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०५ पर)

(१) श्री रिजवानुल हक़	६–३–५१ से १–६–५१ तक।
(२) श्री कृष्णौतार	१–४–५१ से १६–६–५१ तक।
(३) श्री कुन्दन लाल	१४–५–५१ से १३–८–५१ तक।
(४) श्री राजेश्वर दयाल	१–५–५१ से ३१–५–५१ तक।
(५) श्री राम बहादुर	४–५–५१ से ८–६–५१ तक।

PSUP A.P. 37 L.A.–1952–660.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १७ मार्च, १९५२ ई०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में माननीय अध्यक्ष, श्री नफ़ीसुल हसन, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (१५६)

अक्षय कुमार करण, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अब्दुल ग़नी अन्सारी, श्री
अब्दुल मजीद ख्वाजा, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अम्मार अहमद खां, श्री
अलगराय शास्त्री, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
आतमाराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
इर्तिज़ा हुसैन, श्री
ई० एम० फ़िलिप्स, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
काली चरण टंडन, श्री
किशन चन्द पुरी, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केशव गुप्त, श्री
खुशवक़्त राय, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय चौबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गिरधारी लाल, माननीय श्री
गुरु नारायण, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
गोविन्द सहाय, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चरण सिंह, माननीय श्री
चेतराम, श्री
छदालाल गुप्त, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
ज़फ़र अहमद, श्री
जमीलुर्रहमान क़िदवाई, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, श्री
ज़ाहिद हसन, श्री
जुगलकिशोर, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
दयालदास भगत, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
नवाज़िश अली खां, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायण दास, श्री
निसार अहमद शेरवानी, श्री
पुरुषोत्तमदास टण्डन, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़खरुल इस्लाम, श्री
फ़ज़लुर्रहमान खां, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री

फूल सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
ब्रजरानी देवी, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवान दीन, श्री
भगवानदीन मिश्र, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मुख्तार अहमद क़िदवाई, श्री
मुजफ़्फ़र हुसैन, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद एवज़, श्री
मुहम्मद जमशेद अली ख़ां, नवाब
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नज़ीर, श्री
मुहम्मद रज़ा ख़ां, श्री
मुहम्मद रहमत ख़ां, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मुहम्मद शोएब, श्री
मुहम्मद सआदत अली ख़ां, राजा
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
राजकुंवार सिंह, राव
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृपाल सिंह, श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामधारी पाण्डे, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामनारायण, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रुक्नुद्दीन ख़ां, श्री
रोशन जमां ख़ां, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लताफ़त हुसैन, श्री
लाखनदास जाटव, श्री
लालबिहारी टंडन, श्री
लुत्फ़ अली ख़ां, श्री
वंशगोपाल, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विजयानन्द मिश्र, श्री
विद्याधर बाजपेयी, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय कुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
शंकरदत्त शर्मा, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्यामलाल वर्मा, श्री
श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
सईद अहमद, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सरवत हुसैन, श्री
सलीम हामिद ख़ां, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सैयद ज़ाकिर अली, श्री
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हर प्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री

माननीय श्री सैयद अली ज़हीर तथा माननीय श्री हरगोविन्द सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

३१ अगस्त, १९५१ ई० को विभिन्न जेलों में राजनीतिक नजरबन्द और कैदी

*१--श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या माननीय मादक-कर मंत्री कृपया बतायेंगे कि किस किस जेल में ३१ अगस्त, सन् १९५१ ई० को, किस किस राजनीतिक पार्टी के, कितने कितने क़ैदी नजरबन्द थे या सजा भुगत रहे थे ?

माननीय श्री गिरधारी लाल (मादक-कर मंत्री)--३१ अगस्त, सन् १९५१ ई० को ४ नजरबन्द और २० कैदी निम्नलिखित जेलों में थे--

नजरबन्द

आगरा सेण्ट्रल जेल	..	..	२
नैनी सेन्ट्रल जेल	..	..	२

क़ैदी

अलीगढ़ जिला जेल	..	..	१८
आजमगढ़ जिला जेल	..	..	१
कानपुर जिला जेल	..	..	१

ये सब क़ैदी और नजरबन्द कम्युनिस्ट पार्टी के थे। इनके अतिरिक्त किसी पार्टी का कोई क़ैदी या नजरबन्द किसी जेल में इस तारीख़ को नहीं था।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि अब इन क़ैदियों और नजरबन्दों की जेलों में कितनी संख्या है ?

माननीय श्री गिरधारी लाल--इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है।

१९४९-५० ई० के विनियोग तथा वित्त लेखे और उनसे सम्बद्ध लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त (मुख्य मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश सरकार के सन् १९४९-५० ई० के विनियोग तथा वित्त लेखे और उनसे संबंधित लेखा-परीक्षा की रिपोर्टों की प्रतियां मेज पर रखता हूं।

वित्तीय वर्ष १९५२-५३ ई० के लिये लेखानुदान

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--अध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९५२ ई० के लिये लेखानुदान उपस्थित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २०४ पर)

वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के (द्वितीय) अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

माननीय अध्यक्ष--अब वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के (द्वितीय अनुपूरक) अनुदानों पर सामान्य वाद-विवाद होगा।

श्री त्रिलोकी सिंह--अध्यक्ष महोदय, इस वित्तीय वर्ष के अन्दर यह दूसरा मौका है जब सप्लीमेंटरी डिमांड्स (अनुपूरक मांगें) इस सदन के सम्मुख उपस्थित की गई हैं। पिछली बार १ करोड़ ५८ लाख रुपया सप्लीमेंटरी डिमांड्स के सिलसिले में मंजूर किया गया था और इस बार ७ करोड़ ४६ लाख रुपया मांगा गया है। जो मांगें उपस्थित की गई हैं उनके देखने से यह मालूम हुआ कि बहुत कम ऐसी मांगें हैं कि जिसका सरकार को साल भर के अन्दर पहिले से अन्दाजा न रहा हो। जो मद में कमी हुई है उस कमी को पूरा करने के लिये सरकार को जरूरत हुई कि वह अधिक रुपया खर्च करे और उसकी मांग इस सदन के सामने रखे।

इस सिलसिले में मुझे कुछ विशेष अर्ज करना नहीं हैं सिवाय ५-६ बातों के, खास तौर पर मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। इन मांगों में एक मांग ३५ लाख ६४ हजार रुपये की है, जो उत्तर प्रदेश रोड फंड में मोटर विहिकिल्स ऐक्ट के अन्तर्गत जो मद है उसमें मुन्तकिल करना है। इसकी मंजूरी गत वर्ष भी दी गयी थी और जो अनुदान आया है, जो लेखा हमारे सामने पेश है उसमें लिखा हुआ है कि गत वर्ष यह रुपया नहीं मुन्तकिल किया जा सका था लिहाजा इस वर्ष फिर सरकार को उनके लिये मंजूरी की जरूरत है। मुझे इसका ज्ञान नहीं है लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का विशेषतौर पर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि रोड्स फंड के ट्रांसफर न होने का कारण कहीं ऐसा तो नहीं है कि रोड्स के रिपेयर्स (मरम्मत) का जो प्रोग्राम था उसमें कोई कमी आ गयी है? मुझे इसका ज्ञान नहीं है, इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री का इस ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं और यदि इसके ट्रांसफर (स्थानान्तर) न होने से रोड्स के प्रोग्राम में कोई धीमापन आया है तो वह एक पब्लिक इंटरेस्ट (जनहित) का प्रश्न उपस्थित होता है और मैं यह आशा करूंगा कि आयन्दा जब कभी भी इस प्रकार की आमदनी सरकार को मिला करे तो उसका मुन्तकिल भी समय के अन्दर हो जाया करे ताकि महज लिखा-पढ़ी रुक जाने की वजह से रोड फंड के रुपये में कमी न हो जाय। इसमें लिखा है कि रुपये की कमी थी लिहाजा रोड फंड में ट्रांसफर नहीं किया जा सका। लेकिन जब एक रकम आती है एक महदूद काम के लिये, तो कोई वजह नहीं कि सरकार, जिसका इतना बड़ा बजट हो, उसके पास इतना न हो कि दूसरे मद में वह खर्च हो जाय और एक मद का रुपया दूसरे मद में समय के अन्दर ट्रांसफर न कर सके।

एक बात मुझे विशेषतौर पर आपसे कहनी है कि एक नयी जगह एनीमल हस्बैंडरी (पशु-पालन) कमिश्नर की बनायी गयी है। इसमें लिखा हुआ है कि एनीमल हस्बैंडरी डिपार्टमेंट का काम इतनी तेजी से बढ़ा कि इसमें एक करोड़ से ज्यादा सरकार का सालाना खर्च होगा। यह जरूरी समझा गया कि एक ऐसा आफिसर मुकर्रर किया जाय जो तमाम मुहकमे के जितने भी कार्य हैं उनको ठीक से निगरानी कर सके और उसमें नियंत्रण रख सके। लेकिन मेरी राय में, और श्रीमन्, मैं बहुत नम्रता पूर्वक आप के जरिये यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जगह कुछ बहुत जल्दी में न बननी चाहिये। यह अनसीन एक्सपेंडिचर (अदृष्ट व्यय) नहीं है अगर सरकार तीन-चार महीने तक इस जगह को नहीं बनाती तो कोई खास गड़बड़ी नहीं होती। इस प्रकार की जगह

हमेशा बहुत सोच-समझ कर बनानी चाहिये। जल्दी में ऐसी जगह नहीं बनानी चाहिये। यह ठीक है एक आफिसर साहब आपको मिल गये, मुमकिन है कि वे तीन-चार महीने बाद आपको न मिलते, लेकिन जब इस प्रकार की जगह की जरूरत है तो हमें कोई न कोई आफिसर मिलता, चाहे यह आफिसर न मिलते। इस प्रकार की हेड आफ डिपार्टमेंट की जगह जल्दी में बनाना कुछ समझदारी का काम नहीं हुआ करता।

मैं अर्ज करूं कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिये आबपाशी के सिलसिले में एक बेलन प्रोजेक्ट चलाया गया। यह प्रोजेक्ट इलाहाबाद में चलाया गया था। ख्याल था कि यह ३९ हजार एकड़ की आबपाशी करेगा और इस पर एक करोड़ तेरह लाख रुपया खर्च होगा। स्कीम चलायी गयी। बीच में ख्याल आया कि बजाय ३९ हजार के एक लाख एकड़ की स्कीम होगी और एक करोड़ रुपया खर्च होगा। तो इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें, जिसमें एक-एक, दो-दो करोड़ रुपये खर्च हों वे इस तरह से नहीं चला करतीं। एक स्कीम चली एक करोड़ तेरह लाख की, और ३९ हजार एकड़ जमीन के इर्रीगेशन का सवाल था। अभी वह स्कीम चली भी नहीं थी कि फिर चार-छः महीने के बाद ख्याल हुआ कि इसे तीन लाख एकड़ का कर दिया जाय या आइन्दा साल दो लाख एकड़ का कर दिया जाय। तो अगर इस प्रकार की स्कीम बनावें तो इसमें बहुत ज्यादा रुपया खर्च होता है और नुक़सान होता है। इस प्रकार की जितनी भी स्कीमें हैं जैसा कि मैंने निवेदन किया कि इधर आपने एक डिपार्टमेंटल हेड मुक़र्रर कर लिया, जिनके लिये दो हजार रुपये महीना खर्च होता है, उनके स्टाफ वगैरह में और ज्यादा होगा। इस तरह से इर्रीगेशन प्रोजेक्ट बनाने से और उसको घटाने-बढ़ाने से कैपिटल एक्सपेंडीचर (पूंजी-व्यय) में सिवा नुक़सान के फायदा नहीं होता।

मैं यह निवेदन करूंगा कि जितनी स्कीम सरकार की इस प्रकार हों उनमें भले ही थोड़ी देर हो जाय, लेकिन यह स्कीम सोच-विचार के साथ, पूरे अन्दाजे के साथ होनी चाहिये और उनका पूरी तरह से सर्वे (पर्यालोचन) होना चाहिये और उनके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिये और जहां तक भी हो यह अन्दाजा रहना चाहिये कि इस स्कीम से डेवलेपमेंट कैसे किया जा सकता है। इसी प्रकार से जो स्कीम हमारे प्रदेश में ही बनी हैं उनका सही अन्दाजा पहले कर लिया जाता था। मसलन् शारदा नहर जब बनाई गई तो मुझे मालूम है कि उसका बहुत अच्छी तरह से सर्वे किया गया था और फिर उसके लिये स्कीम बनी कि आगे १०–१५ वर्ष के अन्दर कैसे इसको डेवलप किया जायगा। लेकिन अगर कोई स्कीम चले और शुरूआत में ही उसमें काटछांट होने लगे तो फिर उससे कोई लाभ नहीं होता है। उसमें को आर्डिनेशन (एकीकण) नहीं रहता है, क्योंकि उनका पूरा नक़शा सामने नहीं रहता है, और इन सब बातों का अन्दाज न रहने से बहुत नुक़सान होता है। हमको नयार डाम के सिलसिले में और यमुना हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसर्च के सिलसिले में, जो कि देहरादून में खोला गया था, काफी तजुर्बा है। वहां पर इसी प्रकार से इनर्जी (शक्ति) नष्ट हुई और रुपया नष्ट हुआ। इसलिये मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि इस वक्त जितनी स्कीम उठाई गई हैं उनका सही अन्दाजा होना चाहिये और आगे के लिये भी कोई खाका दिमाग़ में होना चाहिये कि आइन्दा उससे किस तरह डेवलपमेंट किया जायगा। इसका सही अन्दाज सरकार के पास होना चाहिये और ऐसा नहीं होने पर रुपया नष्ट होगा और साथ ही समय की भी बरबादी होगी।

मैंने इसी प्रकार से इसमें देखा कि भदरुक डेरी का भी कुछ जिक्र है कि वहां पर शुगर रिसर्च इन्स्टीट्यूट खोलने का विचार किया गया है और भदरुक डेरी को वहां से हटाया जायगा। यह ठीक हो सकता है कि किसी खास जगह कोई काम शुरू करने से अधिक लाभ हो और वहां पर जो काम होते हैं उनको कभी-कभी वहां से हटाना जरूरी हो जाता है, लेकिन अगर शुरू में ही इन सब बातों का अन्दाजा कर लिया जाय तो इससे लाखों रुपये जो इस तरह से खर्च किया जाता

[श्री त्रिलोकी सिंह]

है वह बच सकता है और वह रुपया दूसरे जरूरी काम में लग सकता है। मसलन् वहां पर जब आपने डेरी का खोलना जरूरी समझा तो वहां पर इमारत बनाई गई और इसी तरह से दूसरे कामों के लिये रुपया सर्फ किया गया। अगर यह सब आप पहले ही गौर कर लेते तो काफी बचत हो सकती थी। इस प्रकार से राज्य का रुपया सर्फ नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि आपकी जितनी स्कीम हों उन सब का पूरा अन्दाजा रहना चाहिये। इसमें यह कहा गया है कि ५ लाख रुपया खर्च होगा। यह ५ लाख रुपया कोई छोटी रक़म नहीं है।

मैंने देखा कि मेडिकल ग्रांट भी इसके अन्दर है उसमें दवाइयों के सिलसिले में सरकार ने मांगा है। इसका मुझे जाती इल्म है और अफसरों से बात करने से मालूम होता है और स्वयं सरकार के ऐसे मुख्य आदमियों से भी बात करने पर मालूम होता है कि अस्पतालों में दवाइयों की बहुत कमी है। यह ५ लाख रुपया अगर आप उस काम के लिये लगा देते तो और भी अच्छा होता। इस तरह से अगर सरकार ख्याल करे तो सरकार के पास बहुत रुपया खर्च के लिये बाकी रह सकता है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आपकी जितनी भी स्कीम है वह स्कीम कोई जल्दबाजी, उजलत में नहीं होनी चाहिये। अगर किसी तरह से फिर उलझन पैदा हो गई तो उससे सारा रुपया और वक्त नष्ट हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि बहुत सोच-समझ कर आप कोई स्कीम बनावें और तब उसके ऊपर आगे के लिये क़दम बढ़ावें। पिछली मर्तबा भी मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि मैं इस आदरणीय सदन में यह विचार प्रकट कर सकूं कि सरकार द्वारा जो जमीनें रिक्लेम की गई हैं और जो आराजी मजरुआ बनाई गई है ऊसर व बंजर वगैरह को तोड़ कर उसमें बजाय इसके कि बड़े-बड़े फार्म बनाये जायं यह ज्यादा बेहतर होगा कि वह खेतिहर मजदूरों या ऐसे लोगों को, जो किसान की मजदूरी करते हैं और गांवों में रहते हैं या उन किसानों को, जिनकी जमीनें फ़ार्मों में सरकार ने ले ली हैं, दे दी जायं। सप्लीमेंटरी डिमांड को देखने से मालूम हुआ कि यह सरकार गवर्नमेंट आफ इंडिया की अफ़ज़लगढ़ स्कीम को कार्यान्वित कर रही है। इसके अन्दर जो जमीनें ली जायंगी वे ३ साल तक सरकार के इन्तजाम में रहेंगी और उसके बाद वे पुराने फौजी पेंशनर्स को दे दी जायंगी। इस आराजी को सरकार अपने इंतजाम से आबपाशी, खाद, सड़कें, पुल वग़ैरह बना कर डेवलप (विकसित) करेगी और उसके बाद दस-बारह एकड़ के टुकड़े बना कर वह फौज के सिपाहियों में बांटेगी, जो फ़ौज से पेंशन पाकर हट गये हैं। इसी तरह की कार्यवाही अगर सरकार खेतिहर मजदूरों के सिलसिले में भी करे और ख़ास कर उन किसानों के सिलसिले में जिनकी जमीन सरकार ने अपने फ़ार्मों वगैरह के सिलसिले में ले ली है और अक्सर ६ या ७ सौ एकड़ जमीन इस तरह से यहां ले ली गई है। यह किसान क़तई फटे-हाल हो गये हैं और गांव से अकसर भाग भी गये हैं। अगर इसी तरह से ३ साल बाद सरकार इन किसानों को जमीनें दिलाने का प्रबन्ध कर दें तो बेहतर होगा और यह स्कीम देश के हित में भी होगी और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस (उत्पादन) के लिये भी अच्छी साबित होगी।

एक बात देख कर बड़ी हंसी मालूम होती है कि इतना पानी होगा तो इतने हजार एकड़ में पैदावार बढ़ जायगी और इतना टन गल्ला अधिक पैदा होने लगेगा, इलाहाबाद के क़रीब इतने लाख टन इस हिसाब से हो जायगा। बस जरब-तकसीम करके इस तरह से स्कीम नहीं चला करती हैं। इस तरह से कागज पर हिसाब लगाने से कुछ नहीं होता। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि यह खेती का काम किसान और उसके लड़के ही अच्छा करते हैं और जिन लोगों को इस तरह से बेदख़ल किया गया है

अपनी ज़मीनों से यानी जिनकी ज़मीनें सरकारी फार्मों में आ गयी हैं अगर वे ज़मीनें डेवलप होने के बाद उन्हीं को वापिस हों तो देश की भी बेहतरी होगी और उन किसानों के साथ भी न्याय होगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अमरीका में स्वायल कन्ज़रवेशन स्कीम (मिट्टी संरक्षण योजना) में तजुर्बा हुआ है कि वहां वह स्वायल को कनजर्व करके, पेड़ लगा कर और दूसरे तरीक़ों से ज़मीन बनाते हैं और जिन किसानों से वह ज़मीन लेते हैं उन्हीं को फिर उस ज़मीन को वापिस कर देते हैं और वहां ऐसा नहीं होता है कि स्वायल कनजरवेशन इस प्रकार किया जाय कि किसान उजाड़ दिये जायं और सरकारी फार्म बनाये जायं। अफ़ज़लगढ़ स्कीम जो बनी है उसमें यही बात रखी गयी है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि कोई वजह नहीं है कि जो सहूलियतें एक्स-सर्विसमैन को दी जा रही हैं वही सहूलियतें इन खेतिहर मज़दूरों को और उन किसानों को, जिनकी ज़मीनें सरकारी फ़ार्मों वग़ैरा में ली गई हैं, न दी जायं। उम्मीद है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी। लखनऊ और हरदोई जिले में भी करीब ८ हज़ार एकड़ के फार्म बने हैं और उनमें क़रीब १,५०० एकड़ ज़मीन किसानों की ली गई है, उसमें से कुछ वापिस भी दी गई है जिनके कम्पेन्सेशन (प्रतिकर) का सवाल सप्लीमेंटरी डिमांड में आया है। किसानों को कंपेंसेशन दिया जाय और उनकी ज़मीन वापस करेंगे तो देश की बेहतरी होगी और उनकी भी बेहतरी होगी। उनको सरकार बेचेगी और गांव उजड़ जावेंगे। यहां कंजर्वेटिव स्कीम (संरक्षण योजना) बने वहां क़रीब ४५० बीघे के किसान बिलकुल उजड़ गये। उनके पास कुछ ज़मीन भी नहीं रही। इसी तरह से दूसरी जगह ५०० बीघे तक के किसान उजड़ गये। उन लोगों को करना क्या पड़ा? कोई कानपुर में, कोई अहमदाबाद में और कोई बम्बई में रोज़गार की तलाश में गया। इस तरह वे बेचारे मारे-मारे फिरें। यह स्कीम स्वायल कंजर्वेशन की, रिक्लेमेशन आफ ऊसर, वेस्ट या बंजर लैंड की तभी कामयाब होगी जब कि ज़मीन खेतिहर मज़दूरों को दी जायेगी। इस सिलसिले में जो अफ़ज़लगढ़ की स्कीम की शुरूआत हुई है वही चीज़ इन स्कीमों के बारे में भी हो। बजाय इसके होगा यह कि कोई १०, कोई १५ और इसी तरह पर कोई १२रु० बीघा पा जावेगा। अगर किसी को कुछ अच्छी ज़मीन मिल जायगी तो उसकी गुज़र औकात हो सकेगी।

श्रीमन्, इस सिलसिले में मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में पंचायतों के सेक्रेटरीज़ की संख्या ८,००० से भी ऊंची है और पंचायतों का काम उनके हाथ में है। लेकिन अफ़सोस है कि उनको तनख्वाह वक्त से नहीं मिलती। २-२, ४-४ और ६-६ महीने तक हो जाते हैं उनको वेतन मिले हुये। इससे लूट-खसोट होती है। काम ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस आदमी की तनख्वाह ठीक समय से न मिले वह कैसे अपना मन काम में लगा सकता है? अभी २-३ दिन क़ब्ल इस आदरणीय सदन में इस बात का जिक्र था कि यदि कोई पंचायत न दे तो उसका रुपया दूसरी पंचायतों से दिला दिया जाय या कहां से दिया जाय। इस सिलसिले में गवर्नमेंट एक कानून भी लाई थी। यदि कोई पंचायत रुपया होते हुये भी तनख्वाह न दे तो सरकार को यह हक़ हासिल है कि वह उससे उसकी तनख्वाह दिलाये। पंचायतों को मजबूर करे। कुछ पंचायत ऐसी हैं जिनके पास साधन नहीं हैं कि वे यह वेतन बरदाश्त कर सकें। दूसरे यह कि जिन पंचायतों के पास साधन मौजूद हैं पर तो भी किसी कारण से वे नहीं देती हैं। ऐसी शिकायतें सरकार के पास आईं और उन्हें ऐसा कानून बनाना पड़ा। यह भी कहा गया कि कुछ सूखा पड़ने से और कुछ रेमिशन्स (छूटों) की वजह से कमी हो गई। इसमें मुझे बड़ा संदेह है कि इस तरह से कमी हुई या कोई और कारण थे। हो सकता है कि यह भी कुछ हो। मगर यह बहुत कम है। असल बात यही है कि उनके पास साधन नहीं है। वे दे नहीं पाते। पंचायतों को जो आब्लीगेशन्स (दायित्व) और

[श्री त्रिलोकी सिंह]

फ़रायज़ हैं जो आपने उन पर आयद किये हैं वे उनके मीन्स (साधनों) से बाहर के हैं। इसलिये मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि बजाय इसके कि उस ५० रुपये के अहलकार को इतने दिनों तक इन्तजार करावे उसे कुछ सहायता करे। और मैं तो यह भी कहूंगा कि यह तनख्वाह भी कोई मुनासिब तनख्वाह नहीं है। यह सहायता सप्लीमेंटरी से नहीं हो सकती। अभी १ या २ साल तक हमारी पंचायतें इस क़ाबिल नहीं हो सकतीं कि इन सैलेरीज (वेतनों) को बरदाश्त कर सकें। तो ऐसे सेक्रेटरीज के रहने से, जो चार-चार महीने तनख्वाह नहीं पाते, काम नहीं चल सकता। सरकार का यह फर्ज है कि वह इस पर विचार ही न करे बल्कि तुरन्त किसी नतीजे पर आये जिससे कि सेक्रेटरीज को नियत समय पर तनख्वाह मिल सके। सेक्रेटरीज की तनख्वाह के एक जुज़ की जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर ले। मैं यह भी अर्ज करूंगा कि सरकार ने पंचायत के सेक्रेटरीज के सिलसिले में ऐसे क़ानून बना रखे हैं जो लोकल बाडीज के एम्प्लाईज पर (नियोजित) नहीं लागू होते, मसलन् पंचायत के सेक्रेटरीज राजनीति में हिस्सा नहीं ले सकते हैं लेकिन म्यूनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सेक्रेटरीज हिस्सा ले सकते हैं। सरपंच वग़ैरह राजनीति में हिस्सा नहीं ले सकते हैं लेकिन आनरेरी मैजिस्ट्रेट ले सकते हैं। तो कोई वजह नहीं है कि वे लोग भी हिस्सा क्यों न ले सकें। जहां सरकार ने यह मुनासिब समझा कि पंचायत के सेक्रेटरीज का तबादला लखनऊ से डाइरेक्टर साहब करें वहां लोकल बाडीज के एम्प्लाईज का तबादला इस प्रकार नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टीचर्स का तबादला सरकार नहीं कर सकती, लेकिन सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टीचर्स की तनख्वाह का एक जुज़ देती है बतौर इमदाद के। पंचायत के सेक्रेटरीज के सिलसिले में सरकार ने तमाम अधिकार, श्रीमन्, अपने हाथ में ले रखा है और वे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बाडीज के एम्प्लाइज़ के अधिकारों से मेल नहीं खाते। जब उनके ऊपर सरकार ने नियंत्रण कर रखा है तो उसकी यह भी जिम्मेदारी है कि उनको नियत समय पर तनख्वाह मिले। या तो उनकी तनख्वाह का एक जुज़ सरकार की तरफ से दिया जाय या सरकार अपना नियंत्रण हटा ले और पंचायत के सेक्रेटरीज को बिलकुल पंचायत के ऊपर ही छोड़ दे। तभी पंचायत अपनी जिम्मेदारी समझेगी। सेक्रेटरीज के एप्वाइंटमेंट (नियुक्ति) को क़ानून के अन्दर लाज़िमी कर दिया जाय। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, एक बार फिर कहूंगा कि पंचायतों की माली हालत अभी साल-दो साल तक ऐसी नहीं होगी कि वे इस बोझ को खुद उठा सकें। इसलिए सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि वह माकूल इन्तजाम इस सिलसिले में करें।

एक बात मुझे फ़ेमीन रिलीफ़ (दुर्भिक्ष-सहायता) के बारे में और कहना है। पिछले साल सूखा होने के कारण सरकार ने विशेषकर पूर्वी जिलों में, गोंडा, बस्ती, बहराइच वग़ैरह में टेस्ट वर्क्स (परीक्षा कार्य) खोले थे। श्रीमन्, टेस्ट वर्क्स में मजदूरी बहुत कम मिलती है। कहा यह जाता है कि कम मजदूरी देने से इस बात का अन्दाज होता है कि वाक़ई तक़लीफ किस दर्जे तक है। सरकार चाहती है कि १० आने में मामूली आदमी उस क्षेत्र में, जहां डेढ़ सेर का गेहूं और १ सेर ४ छटांक और १ सेर ६ छटांक का चावल मिलता है, दिन भर मेहनत से काम करे। और अगर लोग काम करने नहीं आते हैं तो सरकार का यह ख्याल होता है कि तक़लीफ नहीं है क्योंकि अगर वाक़ई तक़लीफ़ होती तो १० आने में आधा पेट खाना पानी के लिए ही लोग काम करने आते। पिछले वर्ष भी सरकार ने टेस्ट वर्क्स खोले थे। लोग नहीं आये और वे टेस्ट वर्क्स बीच में ही बन्द कर दिये गये थे। इस वर्ष वे खोले गये और वहां कुछ आये और जो सरकार का अंदाज था उससे ज्यादा लोग आये। जाहिर है कि वह इस बात का चिन्ह है कि वहां तकलीफ है, वहां मुफलिसी है और वहां लोगों को तंगी है। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि इस प्रकार की तंगी में सरकार को कुछ ज्यादा हिम्मत से काम लेना चाहिये और जिम्मेदारी से भी। यह जो १० लाख रुपया रखा गया है, अगर हम गौर करें तो यह १० लाख रुपया एक जिले में

नहीं बल्कि ६, ७, ८ जिलों में खर्च होगा तो वह नहीं के बराबर रह जाता है। गोंडा जिले की, या बहराइच जिले की जिस जिले के फेमीन रिलीफ (दुर्भिक्ष सहायता) के मंत्री जी भी रहने वाले हैं, जो जरूरत है वह महज ५०, ६० हजार रुपये से नहीं पूरी हो सकती। आज भी मशहूर है कि महंगाई का पुल है, सूखा का पुल है, या महंगाई के जमाने में यह सड़क बनाई गई वग़ैरह वग़ैरह। तो सरकार को ऐसे समय में कोई बड़ी स्कीम लानी चाहिये जिसमें ५०, ६० हजार नहीं बल्कि १०, २० लाख रुपया खर्च हों जिससे कि वहां के लोगों की दिक्कत भी दूर हो और पब्लिक के फायदे का कोई काम भी हो जाय। हमारे देश का यह इतिहास रहा है कि कितनी दफा कितने पुल, कितने तालाब, कितनी सड़कें सूखे के जमाने में बनाई गईं। तो इस किस्म का कोई इन्तजाम सरकार की तरफ से होना चाहिये। यह जो इतनी थोड़ी रकम सरकार की तरफ से मांगी गई है, मैं उसकी तफसील में जाता नहीं, क्योंकि मैंने देख लिया कि वह कहीं ६५ हजार है, कहीं ३५ हजार है, तो वह ठीक नहीं है। अगर आपने ६५ हजार रुपया खर्च किया और १० आने मजदूरी दे दी तो आप ग़ौर करें कि दो हजार आदमियों को भी रिलीफ (सहायता) नहीं पहुंचाते हैं। जहां आदमी बेकारी की वजह से परेशान हैं वहां हम इससे कोई ज्यादा लाभ नहीं पहुंचा सकते। बेहतर यह है कि ऐसे मौके पर हम कुछ इस तरह की स्कीम लायें जिससे लोगों को ज्यादा फायदा हो।

एक करोड़ की रक़म, श्रीमान्, इसमें ग्रेन (अन्न) सप्लाई के सिलसिले में मांगी गई है। मुझे दुख है कि मैं इस सिलसिले में नहीं देख सका कि इसमें कितना रुपया साधारण बजट में मंजूर किया गया था। संभवतः ३ करोड़ था। महामान्य राज्यपाल के संबोधन में भी इसका जिक्र था। ७-८ लाख रुपये की बचत होगी और ९२ लाख रुपये का घाटा रह जायगा। मैं समझता हूं कि यह ९२ लाख रुपया उस ३ करोड़ के अलावा है। मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में इस राज्य का ४ करोड़ रुपया इस वर्ष के अन्दर खर्च होगा। आजकल अनाज का भाव गिर रहा है, हर तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं और ४ महीने से अनाज का भाव गिर रहा है। मैं तो चाहता हूं कि भाव गिरे और वह इतना ज्यादा गिरे कि साधारण आदमी भर पेट खाना खा सके और उस सिलसिले में यह जाहिर सी बात है कि यह कंट्रोल वग़ैरह की बात कम रह जायगी। सरकार के भी इस सिलसिले में कमिटमेंट्स (वायदे) हैं और वह विदेशों से अनाज मंगा रही है और यहां की कमी को पूरा करती है। विदेश से जो अनाज आता है वह २० रुपये से ज्यादा कीमत पर बम्बई में आकर पड़ता है और दो-ढाई रुपया फी मन भाड़े वग़ैरह में लग जाता है। गर्ज यह कि यू० पी० में पहुंचते-पहुंचते उसकी कीमत २२, २३ रुपये फी मन हो जाती है और उससे बहुत ज्यादा नुक़सान होता है। इस सिलसिले में यह जो ९२ लाख का और नुक़सान हुआ तो मालूम यह होता है कि कुछ स्टोरेज वग़ैरह में सरकार को दिक्कत थी। उसमें लिखा हुआ है कि तमाम नुक्सानात भाड़े में, ट्रांस्पोर्ट (यातायात) वग़ैरह वग़ैरह में हुए। तो इस किस्म के नुक़सानात हमें कम करना चाहिये और मैं यह अर्ज करूंगा कि सरकार को यह तजुर्बा है कि जब कम्पलसरी लेवी (अनिवार्य उदग्रहण) करते थे तो उसके मुक़ाबले में जब मोनोपोली प्रोक्योरमेंट (एकाधिकार संग्रह) उन्होंने किया तो अधिक अनाज उन्होंने वसूल किया। दिक्कत भी कम हुई और परेशानी भी कम हुई और आज इस प्रदेश के बाजारों में अनाज का भाव जो सरकार का कंट्रोल का भाव है उससे कम पर हर चीज बिक रही है। गेहूं ढाई सेर का सरकार का भाव है, पर बाजार में पौने तीन सेर, तीन सेर, सवा तीन सेर का गेहूं आसानी से मिल जाता है। चावल की भी यही हालत है। चने की भी यही हालत है। तो ऐसी सूरत में बजाय इसके कि हमारे प्रदेश की जो कमी है वह दूसरे देशों से अनाज को मंगा कर पूरी की जाय और उसके दाम यहां के दामों से ६—७ रुपया मन अधिक दाम दें, यह बेहतर होगा कि

[श्री त्रिलोकी सिंह]

इसी प्रदेश के अन्दर सरकार का ध्यान अपने प्रोक्योरमेंट (संग्रह) की तरफ रहे और वह तरीका मोनोपोली प्रोक्योरमेंट (एकाधिकार संग्रह) का होना चाहिये, जैसा कि इस समय चल रहा है। तो यह जो लास (हानि) अनाज के सिलसिले में, हुआ है जो नुकसानात हुए हैं उनको कम करने के क्या उपाय हैं, क्या तरकीब सरकार ने सोची कि आइंदा इस किस्म के नुक़सान नहीं होंगे, इस डिमांड के सिलसिले में बताया नहीं गया। आइंदा हो सकता है कि फिर ऐसे नुक्सानात हों तो जिन वजूहात से वह नुक्सानात हुए उन पर गौर करके साल आइन्दा में वह नुक़सानात न हों वह तरकीब सरकार के सामने होनी चाहिये और उसका सुझाव इस आदरणीय सदन के सामने भी होना चाहिये ताकि हमें यह इत्मीनान हो कि जो रुपया सरकार ने मांगा है वह रुपया जरूरी था और उसके बिना काम नहीं चल सकता और आइन्दा साल के लिये सरकार की तरफ से इस प्रकार का इन्तजाम होगा कि इस किस्म के नुक्सानात न हों।

श्रीमन्, जैसा कि मैंने शुरू शुरू में अर्ज किया था इस सप्लीमेंटरी डिमांड्स में ज्यादातर रक़म उन्हीं कामों के लिये मांगी गई है जिसमें थोड़ी बहुत कमी मामूली सरर्फे में सरकार को दीख पड़ी। कोई बड़ी स्कीम्स और नई स्कीम्स इस सिलसिले में नहीं आई हैं। तो मैं यही आशा भी करता था कि किसी बजट की खूबी इसी में है कि वह साल भर का पूरा अनुदान उनके सामने होना चाहिये और कोई ऐसी एक्सेप्शनल (असाधारण) बात हो, अजीब बात हो, बहुत जरूरी बात हो कि आप उनको नये आइटम्स आफ एक्सपेंडीचर (व्यय की मदें) तमाम साल के अन्दर लाना चाहें, खास कर जब इस आदरणीय सदन का जो समय है वह भी समाप्त हो रहा है तो ला सकते हैं। इस सिलसिले में मुझे माननीय मुख्य मंत्री को एक और विशेष बात की तरफ अपनी बात को समाप्त करने के पहले तवज्जह दिलानी है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो उस मोहकमे के कर्मचारी हैं उनको सालाना तरक्की देने के सिलसिले में दो लाख रुपये की रक़म की मांग की गयी है। सालाना तरक्की का अन्दाज साल भर पहले न हो पाये यह एक बड़ी अजीबोगरीब बात है। सालाना तरक्की उन्हीं कर्मचारियों को दी जाती है जो साल भर नौकरी कर चुके हैं और उनका इनक्रीमेंट ड्यू (वेतन-वृद्धि देय) होता है। नये अहलकारों को तरक्की नहीं दी जाती। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में किस की भूल से तरक्की रुक गयी इसका कोई जिक्र हमारे सामने इस मैटर में जो पेश किया गया है नहीं दिया गया। मैं यह आशा करूंगा कि इस प्रकार का एक्सपेंडीचर (व्यय) यह जरूर है कि लाजमी है, तरक्की वाजिब तारीख पर उनको देनी चाहिए, लेकिन यह कि बजट के बनाते समय इस प्रकार की खबरदारी से काम लेना चाहिये ताकि इस प्रकार की भूलें कि ऐसे मामूली आइटम्स आफ एक्सपेंडीचर (व्यय की मदें) जैसे किसी ड्यू इन्क्रीमेंट का उल्लेख बजट में न होना, भविष्य में न हों।

इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री कुशलानन्द गैरोला--अध्यक्ष महोदय, मैं चन्द शब्द जो बजट हमारे सामने पेश किया गया है उस पर हमारे विरोधी दल के नेता ने जो अल्फाज कहे हैं मैं उसके सिलसिले में कहना चाहता हूं। मैं आपको थोड़ी देर सी के लिये दुनिया के उस कोने पर ले जाना चाहता हूं जिस की शायद आप कल्पना भी न करते हों। यह है पहाड़ों के ऊपर क्षितिज क उस पार, जहां पर शायद आपने अखबार में पढ़ा होगा कि इंडो-तिब्बतन बार्डर पर बड़े जोर से हमारे जो कम्युनिस्ट भाई हैं वह आगे बढ़ रहे हैं। मैंने एक वक्तव्य में इस तरफ सरकार का ध्यान दिलाया था कि हमारे इंडो-तिब्बतन बार्डर की परिस्थिति गम्भीर है। हमारे यहां यातायात के जो साधन हैं वे बहुत कम हैं, अपूर्ण हैं। मैंने यहां भी कहा था कि जहां तक हो सके जो बद्रीनाथ-केदारनाथ की सड़क है या जो गंगोत्री यमुनोत्री की सड़क है ये गवर्नमेंट हाई-वेज डिक्लेयर

(घोषित) कर दिये जायं, क्योंकि हमारे प्रांत के पास इतना धन नहीं है कि तेजी के साथ हमारे यातायात विशेषकर के जो मोटर की सड़कें हैं उनको बढ़ा सकें। वहां एक मील की सड़क पर ६० हजार से एक लाख रु० तक लगता है और इस फाइनेंशल सिचुएशन (आर्थिक संकट) में यह बड़ा मुश्किल है कि इतना रुपया पहाड़ों की सड़कों पर खर्च कर सकें। लेकिन जब कि ऐसी गम्भीर परिस्थिति है तो कुछ करना ही होगा। आपने सुना होगा कि लासा से बांक्रट तक आठ सौ से बारह सौ मील की सड़क एक साल के अन्दर बन गयी है और तिब्बतन जो बार्डर्स हैं उन पर कम्युनिस्ट फ़ोरसेज़ दिन-प्रति दिन आगे बढ़ती चली जा रही हैं। तो यह चीज हमारे लिये बहुत खतरनाक है। आप की सात-आठ आउट-पोस्ट्स (चौकियां) हैं। वहां जो भी आदमी जाते हैं उनको सुविधा नहीं है। वहां की हालतों में वे रह नहीं सकते हैं। वे बहुत ही बड़े संकट में हैं। मैंने पिछली दफा अर्ज किया था कि जैसे कि इस समय आसाम कांस्टेबुलरी है उसी तरह से वहां पर भी आप के जो अब तक प्रान्तीय रक्षक दल के लोग हैं यहां के लिये बार्डर फोर्सेज की तरह से रेक्रूट किये जायं। गवर्नमेंट के पास शायद इस तरह की एक स्कीम है। लेकिन उसकी स्वीकृति हुई है या नहीं हुई है इसका जिक्र मैंने यहां नहीं देखा है। लेकिन मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा कि यह खतरा जो दिन-प्रति दिन बढ़ता चला आ रहा है इससे हमें सतर्क होना चाहिये।

दूसरी चीज मैं अपने शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं कि सन् १९४६–४७ ई० से मैंने बराबर कहा और माननीय शिक्षा मंत्री ने मुझे आश्वासन भी दिया। हमारे गढ़वाल में एक कालेज की मांग थी, जिसको कि उन्होंने सन् १९४६–४७ ई० के बजट में स्वीकार भी किया था और हमें आश्वासन भी दिया गया। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि वह मांग कल्पना ही रही और आश्वासन भी कल्पनावत् ही रहा। मैं आशा करता हूं कि पौड़ी, श्रीनगर, देवप्रयाग, कर्ण प्रयाग, चमोली जहां पर भी वह चाहें इसको कायम कर दें। आप यह न देखें कि वहां की जनता एकमत से निर्णय कर के दे तो ऐसा होना बड़ा कठिन है। क्योंकि आप जानते हैं कि पहाड़ों में छोटी-छोटी लोकल प्राबलेम्स (स्थानीय) होती हैं। किसी को अपनी शिक्षा की फिक्र है, किसी को अपनी खेती की फिक्र है, किसी को अपने पानी की फिक्र है, उसी चीज में लोग पड़े रहते हैं और वह उससे आगे उठ भी नहीं सकते। उन को वहां पर यह प्राबलेम्स बड़े महत्त्व की मालूम पड़ती हैं।

मैं आपसे अर्ज करूंगा कि गढ़वाल के लिये जो कालेज खोलने का आपका आश्वासन है उसके लिये आप इस साल कम से कम एक टोकिन ग्रांट प्रतीक अनुदान रख सकते हैं। क्योंकि जब कभी भी मैंने डिपार्टमेंट से कहा है तब ही मुझको यह जवाब मिला है कि हम चाहें तो कल ही कालेज खोल सकते हैं, लेकिन विद्यार्थी कहां से आयेंगे। अभी से आप आयोजना कीजिये तो मैं समझता हूं कि काफी विद्यार्थी मिल सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस ओर हमारे शिक्षा मंत्री जी का ध्यान होगा।

दूसरी चीज यह है कि शिक्षा के प्रसार के अन्तर्गत यानी ५ साल की योजना के अन्तर्गत लोगों ने अपने पैसे से प्राइमरी स्कूल्स खोले और आप जानते हैं कि शिक्षा प्रसार की योजना पर्वतीय इलाकों में बड़े भारी पैमाने पर आगे बढ़ी। लोगों के दिलों के अन्दर ज्वालामुखी है और उन्होंने कितना शिक्षा का प्रसार किया है। लेकिन आपने कुछ आश्वासन दिये थे उनको आपने पूरा नहीं किया। अभी भी पौने दो लाख रुपये की रक़म आपके पास बाकी है। आपने कुछ रुपया प्राइमरी स्कूलों को देने के लिये स्वीकार किया था। लोगों ने इमारत तक बनवा ली है और उनकी छतें टूटने जा रही हैं। जो इंसपेक्टर आफ स्कूल्स ने पौने दो लाख रुपये की रक़म भेजी है जिसका पेमेंट (भुगतान) होना अभी बाकी है उसका ध्यान रखा जाय।

तीसरी चीज मैं एग्रीकल्चरल सर्वे के ऊपर कुछ कहना चाहता हूं। सन् १९११ ई० में पर्वतीय इलाकों में जितनी भी तरक्की एग्रीकल्चर की हो सकती थी वह हो गई। लेकिन ताज्जुब होगा

[श्री कुशलानन्द गैरोला]

कि अभी टेहरी के लिये एक फारेस्ट सैटिलमेंट की आयोजना की गयी थी। वहां पर मैंने लोगों की अर्जियां देखीं तो हजार-ग्यारह सौ अर्जियों में से ९०० अर्जियां ऐसी हैं, जो फारेस्ट के लिये नहीं बल्कि जमीन के सिलसिले में हैं। यानी वहां पर फारेस्ट की इतनी प्राबलम नहीं है जितनी कि लोगों को खेती की भूख है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट उनकी इस समस्या को हल करे और जो भूमिहीन हैं उन लोगों को कहीं न कहीं जमीन मिलनी ही चाहिये।

दूसरे इसी के संबंध में मैं अर्ज कर रहा था कि हिल एरियाज (पर्वतीय क्षेत्रों) में जितनी भी ज्यादा से ज्यादा तरक्की कृषि की हो सकती थी वह १९११ में हो चुकी है और कृषि हो रही है। लैण्ड स्लाइड्स वगैरा हो रहे हैं जिनसे बाढ़ें आ रही हैं और देश को नुकसान पहुंच रहा है। एक छोटा सा एक्सपेरीमेंट (प्रयोग) टेहरी सरकार ने किया था। हम अर्ज करना चाहते हैं कि हिल एरियाज के लिये एक एग्रीकल्चर सर्वे करायें। जितनी वैलीज (घाटियां) हैं उनमें हार्टीकल्चर (उद्यानीकरण) की स्कीम है। उनमें आपने हार्टीकल्चर के इन्सपेक्टर्स रखे हैं। लेकिन पहाड़ों की ऐसी परिस्थिति है कि वहां पर लोग जा नहीं सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जितने हमारे मंत्रीगण हैं या आफिसरान हैं वह अब तक गढ़वाल या नैनीताल वगैरह के इलाकों में एक दफा भी गये हैं? एक दो चार मिनिस्टर साहबान जरूर पहुंचे हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं। अगर हमारे मंत्रीगण वहां जायं और स्वयं वहां की परिस्थिति को देखें तो वहां की बहुत सी समस्यायें हल हो सकती हैं, क्योंकि न तो आफिसरान ही रिपोर्ट दे सकते हैं और न मंत्रीगण को ही एक नीति निर्धारित करने में सुभीता हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि अपने कार्यकाल में हर एक मंत्री एक दफा इन इलाकों को देख सकेगा। और अफसरों को भी साल में कम से कम एक टूर (दौरा) तो इन इलाकों का करना चाहिये तभी हमारे पहाड़ों की जो परिस्थिति है वह सम्भल सकती है क्योंकि यहां और वहां में बहुत अन्तर है।

इसके अनन्तर पी० डब्ल्यू० डी० का जो बजट पिछले साल डिसकस (चर्चा) हुआ था उसमें मैंने यातायात मंत्री से अर्ज किया था कि हमारे यहां यातायात की सुविधायें बहुत जरूरी हैं। जो परिस्थिति वहां की है उसमें वहां पर १२ छटांक, १४ छटांक और कभी कभी तो ८ छटांक तक का अनाज मिलता है। वहां लोगों में पेइंग कैपेसिटी (देय क्षमता) नहीं है। इसलिये आपकी जितनी फर्स्ट, सेकन्ड, थर्ड फेजेज की स्कीम्स हैं उनको वहां शीघ्र से शीघ्र लें और वहां अनाज आदि जितनी भी सुविधायें पहुंचा सकते हैं पहुंचावें। वहां तीस, चालीस और पचास रुपये तक अनाज ले जाने में मोटर रोड से लगता है बद्रीनाथ और केदारनाथ तक पहुंचाने के लिये। बद्रीनाथ और केदारनाथ की सड़क जो है, उसका जब से प्रान्तीयकरण हुआ है तब से मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक शायद कभी उसकी रिपेयर्स भी हो जाती थीं लेकिन एक साल के अन्दर उसमें जो लद्दाख वैली है या ऐसी ही और जगहें हैं उनमें एक भी रिपेयर्स नहीं हो पाई। मैंने आपसे अर्ज किया कि हमारे आफिसरान वहां पहुंच नहीं पाते और यही वजह है कि वहां यह तकलीफें हैं। सड़कों की हालत तो यहां तक खराब है कि आलू वहां ४० और ३५ रुपये मन बिकता है। अगर यातायात की सुविधा होती तो जो यहां १२ आने १४ आने सेर आलू बिकता है वह न बिकता। स्कार्च पोटैटो जो बहुत अच्छे किस्म का आलू होता है वह यहां पहुंच नहीं पाता और वहां सड़ता है। इसी तरह से बहुत से टेहरी के इलाके हैं जहां बहुत अच्छा सेब होता है जिनको गोल्डन एपिल कहते हैं, वह वहां सड़ते हैं लेकिन आपके पास तक नहीं पहुंच पाते। तो पहाड़ों के लिय आपको विशेष प्रयत्न करना है और मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा कि वह वहां के यातायात के लिये विशेष ध्यान दे और मोटर की सड़कों का प्रबन्ध करे क्योंकि जब तक मोटर सड़कों का जाल नहीं बिछ जाता तब तक आप वहां की समस्या को हल नहीं कर सकते।

माननीय अध्यक्ष--माननीय सदस्य कृपया तीन मिनट में अपना भाषण समाप्त करें। उनके लिये और उनके बाद बोलने वालों के लिये मैं १५ मिनट का समय नियत करता हूं।

श्री कुशलानन्द गैरोला--तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि यातायात की ऐसी समस्या है जिसकी तरफ गवर्नमेंट को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। इसके अतिरिक्त हमारे यहां कुछ विशेष सड़कें हैं जैसे रुद्रप्रयाग से अगस्त्यमुनि तक। कुछ दूर तो वह तैयार है लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो ११ मील की सड़क बन गई है उसकी भी माइनर रिपेयर्स (साधारण मरम्मत) ठीक से न होने के कारण ट्रांसशिपमेंट (परिवहन) नहीं हो पाता। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उसको ठीक कराकर इस तरह से आगे बढ़ाइये कि उससे आगे केदारनाथ तक सड़क जा सके।

तीसरी बात जो मैं अर्ज कर रहा था वह यह है कि हमारे यहां जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता महोदय ने कहा कि हमारे यहां पर पंचायत राज्य, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स आदि ऐसी जितनी संस्थायें हैं इनक कोआर्डिनेशन (सहयोग) के लिये कोई प्रयत्न आवश्यक है। आपकी पंचायतें और आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्डस कई-कई स्थानों पर एक ही से कर लेते हैं और एक ही सी उनकी बहुत सी योजनायें हैं। मैं समझता हूं कि विशेष तौर से पर्वतीय इलाके में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ठीक तौर से काम नहीं करता है। उनकी आमदनी कुछ होती नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि पर्वतीय इलाके में अगर हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का फेडरेशन आफ पंचायत बना दें तो बहुत सी चीजें हमारी सुलभ हो जायंगी। मैं तो एक क़दम और आगे जाता और वह यह है कि जैसे डेवलपमेंट स्कीम्स हमारी चल रही हैं, जैसे पशु-पालन, चिकित्सा, ग्राम उद्योग ये जो चार पांच विभाग हैं उनको अगर एमलगमेट (एकीकरण) करके एक कर दें तो आपका बहुत सा खर्चा बच जायगा और आपके अफसरान जैसे डिप्टी कलेक्टर जिनके पास कोई काम नहीं रह गया है उनको अगर एक चेकिंग आफिसर की तरह से नियुक्त कर दें और वे वहां की प्रोग्रेस (उन्नति) के बारे में रिपोर्ट करें तो जो ओवरलेपिंग आफ वर्क होती है वह बच जायगी। वही काम चिकित्सा विभाग करता है, वही कार्य पशु-पालन विभाग कर रहा है और वही कार्य ग्राम उद्योग विभाग। इस विषय में ज्यादा न कह कर मैं आपसे केवल यही प्रार्थना करूंगा कि इन सब विभागों को मिला कर एक में एमलगमेट (एकीकरण) कर दिया जाय, उससे आप देश का ज्यादा फायदा कर सकेंगे।

अन्त में मुझे सिर्फ एक चीज़ यह अनुरोध करनी है कि हमारे यहां पहाड़ों पर जितने भी आफिसर भेजे जाते हैं, विशेष कर पनिशमेंट दण्ड के बतौर भेजे जाते हैं। जैसे ही उनका तबादला हुआ वह यह समझते हैं कि उनको काला पानी हो गया और उससे बचने के लिये वह यह करते हैं कि किसी तरह से वहां से छुटकारा मिले। जो आफिसर वहां जाता है वह एक तरह की नादिरशाही करता है और और ५०, ६० मील तक वहां कोई कार भी नहीं पहुंच सकती, लिहाजा आपको कुछ खबर भी नहीं होती। मैं समझता हूं कि जो आफिसर वहां भेजा जाय उसको हिल एलाउन्स मिलना चाहिये और जिस तरह से मेडिकल डिपार्टमेंट में होताहै उसी तरह से दो साल के लिय इन अफसरों के लिये पहाड़ पर काम करना लाजमी करार दे दिया जाय और वहां काम करने के बाद ही उनको प्रोमोशन दिया जाया करे तो इससे वह खुशी से काम करेंगे वरना वह बराबर अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं कि हमको पनिश्मेंट (दंड) के बतौर पहाड़ भेज दिया गया और इससे आपको बड़ा नुकसान होता है। मुकदमों की २०, २० तारीखें पड़ती रहती हैं और लोगों को परेशानी रहती है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन चीजों पर ध्यान देगी।

श्री राजा राम शास्त्री--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरक अनुदानों के संबंध में यह कहना है कि पिछले साल हमने डढ़ करोड़ के पूरक अनुदान दिये और इस साल ७ करोड़, ४६ लाख के ये अनुदान हमको देने हैं। इस तरह से कुल मिला कर अब तक ९ करोड़ रुपये की, पूरक अनुदान के रूप में नई मांगें पास करनी पड़ीं। किसी भी बजट के संबंध में मेरा हमेशा यह ख्याल रहा है कि आंकड़ों का जोड़ बाकी ठीक मिला देना मुनासिब बात है लेकिन किसी भी बजट की सफलता और विफलता हमको इस बात से देखना चाहिये कि जिस उद्देश्य के लिये रुपयों की मंजूरी की गयी थी वह उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं। मेरा अपना ख्याल यह

[श्री राजाराम शास्त्री]

हैं कि इस निगाह से अगर बजट को और इन पूरक अनुदानों को देखा जाय तो मुझे तो इस संबंध में यह कहना पड़ता है कि वह उद्देश्य पूरा नहीं होता है। बल्कि यह बात देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है कि हुकूमत को करीब-करीब यह आदत सी हो गयी है कि प्रत्येक चीज के लिये वह अपनी तारीफ का ढिंढोरा पीटती है जब मैं पूरक अनुदानों के विषय में यह साहित्य पढ़ रहा था तो आबकारी विभाग के बारे में यह पढ़ा कि प्रभावशाली ढंग से उसका प्रचार किया गया और उसके विषय में गवर्नमेंट ने जोरदार क़दम उठाया। उसके लिये ५० हजार रु० के कार्यकर्त्ता भी मांगे गये। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि हुकूमत कितना भी इस बात के लिये प्रचार करे कि उसने बहुत ही प्रभावशाली कदम उठाया है, जितना रुपया इस मद में खर्च किया गया है उसका कोई खास असर इस सूबे पर नहीं पड़ा है। आप किसी भी शहर में चले जाइये, खास तौर से उन शहरों में जहां पर कि मद्यनिषेध है, तो मेरा अपना ख्याल है कि वहां पहिले की अपेक्षा वह कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ा है चाहे आंकड़ों में वह न बढ़ा हो। जब हमारे आबकारी मंत्रीजी खुद बजट पेश करेंगे तो आपको यह मालूम हो जायगा कि इस सरकार को ऐसा कमाल हासिल है कि मद्यनिषेध का जितना ही ढिंढोरा पीटा जाय उतनी ही आमदनी सरकार की ज्यादा बढ़ती जाती है। यह चीज मेरी समझ में नहीं आती है। जब मद्यनिषेध का आपका दायरा बढ़ता जाता है फिर आपकी आमदनी कहां से बढ़ती जाती है बाकया यह है कि आप किसी शहर को ले लीजिये, मैं अपने ही शहर कानपुर की कहता हूं वहां भी गवर्नमेंट की तरफ से मद्यनिषेध घोषित है। वहां पर इसमें कोई भी कमी नहीं हुई है। वहां लोग शराब पीते हैं और बड़े भद्दे ढंग से। मुझे तो कभी कभी लोगों के मुंह से यह सुनकर बड़ा दुख होता है कि वे टिंचर पी कर आये हैं। गवर्नमेंट को भी ये सब बातें पता हैं लेकिन वह यह समझती है कि चूंकि वह वचनबद्ध है इसलिये मद्यनिषेध तो चलना ही चाहिये। महात्मा गांधी के सामने वह वचन बद्ध है इसलिये उसको ऐसा करना ही चाहिये। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आप सच्चाई से इस बात को मानते हैं तो मजबूती के साथ कदम उठाइये। अगर आप समझते हैं कि मद्य खोरी बुरी चीज है और हुकूमत इस बात को मानती है तो उसको समूचे सूबे में नशा खोरी को बन्द कर देना चाहिये। और अगर वह समझती है कि ऐसा नहीं हो सकता तो वह दिखावटीपन को छोड़ दे। मैं तो इसको ज्यादा पसंद करूंगा। यह नहीं कि ५०-५१ जिलों में से केवल ११ जिलों में आप लगाये हुये हैं। यह नहीं कि आप ११ जिलों में लगा कर महात्मा गांधी को दिखायें कि हम आपके क़दमों पर चल कर नशाखोरी को बन्द कर रहे हैं। कम से कम ईमानदारी तो रहे कि आप क्या करना चाहते हैं, यह नहीं कि आप गुनाह तो करते जायं लेकिन प्रचार यह करें कि नहीं कर रहे हैं। इस दुरंगी नीति को आप छोड़ दें।

जहां तक श्रम का ताल्लुक़ है इस संबंध में मुझे यह कहना है और खासतौर से मैं बरसों से मजदूरों के संबंध में बातें कहता आया हूं और बराबर मैंने यह कहा कि श्रम को उचित स्थान मिलना चाहिये। यद्यपि उसके संबंध में कुछ तरक्की हुई है लेकिन आजकल की समाज-व्यवस्था में जो स्थान उसे मिलना चाहिये वह स्थान नहीं मिला है। मैं यह देख रहा हूं कि कभी तो इस विभाग का ताल्लुक माननीय शिक्षा मंत्री जी के सुपुर्द कर दिया जाता है, कभी माननीय न्यायमंत्री के और कभी किसी दूसरे के मतलब यह है कि इस विभाग की कोई अहमियत नहीं समझी जाती जितनी कि समझनी चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर इसको उचित स्थान दिलाना है, तो इसका एकमात्र तरीका यही है कि यह भवन उसके महत्व को स्वीकार करे। मुझे इन आंकड़ों को देखने से बड़ी खुशी हुई कि हुकूमतका ध्यान इस ओर जरूर है। श्रम विभाग में अभी तक एक हजार पद थे। उनमें से २२८ पद तो स्थायी थे और ७४९ अस्थायी थे। अब हुकूमत ने यह महसूस किया कि केन्द्रीय सरकार भी कुछ कानून बनाती है और हमारे यहां भी काम बढ़ता जा रहा है इसलिये ७४९ जो अस्थायी पद थे उनमें से ५८४ पदों को अब हुकूमत स्थायी करने जा रही है। इससे मेरा यह ख्याल होता है कि हुकूमत यह महसूस करती है कि मजदूरों का काम, मजदूरों के कल्याण का काम ऐसा नहीं है जिसको यों ही टाल दिया जाय। हमने तो देखा है कि इतने

रोज से एक हजार पद वैसे ही चले आ रहे थे। वर्षों गुजर गये मगर उनको स्थायित्व नहीं दिया जा सका लेकिन हमें खुशी है कि हुकूमत ने अब इसको महसूस किया कि श्रम विभाग भी एक ऐसा विभाग है जिसको बहुत कुछ स्थायित्व देना पड़ेगा। श्रम की जो बात है, मजदूरों के कल्याण की जो बातें हैं, वे ऐसी चीजें हैं जिनकी ओर गवर्नमेंट को ध्यान देना ही पड़ेगा। हां, इतना मैं जरूर कहूंगा कि श्रम विभाग काफी मशीनरी बढ़ाता जा रहा है लेकिन रुपया भी उस पर खर्च हो रहा है।

मालिक और मजदूरों का संबंध कारखानों के अन्दर अच्छा हो उस संबंध में मुझे केवल यह कहना है कि अगर आज आप कारखानों के अन्दर जाकर देखें तो मालूम होगा कि मजदूर और मालिक का संबंध अच्छा नहीं है। हां, हुकूमत यह बात कह सकती है, अपने दिल की खुशी जाहिर कर सकती है कि कोई हड़ताल नहीं हुई, असंतोष की बात ऊपर से दिखायी नहीं पड़ती है। इस विभाग के कितने भी आंकड़े पेश किये गये उससे आपने यह साबित किया और अपनी मशीनरी का भी जिक्र किया जिसकी वजह से अब स्थायी शान्ति प्राप्त हो गयी। मैं यह चाहूंगा कि शासन के अन्दर कुछ काम करने के तरीके ऐसे किये जायं जिसकी वजह से जो प्रभाव आप डालने वाले हैं कि मालिक और मजदूरों का संबंध अच्छा हो, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान जाय। जो भी हमारे नये श्रम मंत्री हों उनसे मैं केवल यह दरख्वास्त करूंगा कि काम करने का दिया जो पुराना ढर्रा चला आ रहा है उसके बजाय इन बातों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाय कि कारखानों के अन्दर मालिक-मजदूरों का संबंध अच्छा हो और उसी वक्त स्थायी शान्ति हो सकती है वरना नहीं हो सकती है।

मैंने यह भी देखा कि कानपुर डेवलपमेंट का भी जिक्र आया और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स वगैरह का भी जो काम होता है, हम लोग लाखों रुपया मंजूर करते हैं, लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगा कि लाखों रुपये कैसे खर्च हुये? उसका परिणाम जो हुआ उस पर विचार करें तो देखेंगे कि वास्तव में कुछ नहीं हुआ है। मैंने सूबे का दौरा किया है और अबकी बार चुनाव के मौके पर माननीय मंत्रियों को भी देहातों में जाने का मौका मिला होगा और मेरा अपना ख्याल यह है कि इतने वर्षों तक के आंकड़े मिला कर आपने साबित कर दिया कि वास्तव में बहुत अच्छा काम हुआ है, इतनी सड़कें बनी हैं, इतनी ये चीजें बनी हैं लेकिन वास्तव में देहातों की दशा क्या है? कितनी सड़कें बनी हैं इसका अन्दाजा तो माननीय सदस्यों को अब की बार निश्चित-रूप से मिल गया होगा और मैं यह कह सकता हूं कि और कामों की अपेक्षा इस बात की ओर गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान दे। देहातों के अन्दर जहां तक यातायात का ताल्लुक है, सड़कों के प्रबन्ध का ताल्लुक है इस बात की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जब बरसात नजदीक आती है, तब कितने गांव ऐसे मिलते हैं, जो बिलकुल दुनिया से कट आफ (संबंध-विच्छेद) हो जाते हैं, वहां जाना मुश्किल हो जाता है, कोई रास्ता नहीं होता है। ये चीजें ऐसी हैं जिनकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं गवर्नमेंट से अर्ज करूंगा कि मैं ने लखनऊ और कानपुर की सिविल लाइन्स को देखा है, हमने उन सड़कों को देखा है कि उन पर कितना खर्च होता है। जनता जहां पर परेशान है उसकी तरफ ध्यान कम है और जहां पर जनता ज्यादा सुखी है, जहां बड़े-बड़े लोग रहते हैं उनको और भी सुखी करने की कोशिश की जाती है। मेरा कहना यह है कि शासन का यह दृष्टिकोण होना चाहिये कि, जो लाखों करोड़ों रुपया हम बजट पेश करके खर्च करने की मंजूरी मांगते हैं उसका खर्च बहुत ढंग से हो, जहां पर खर्च करने की बहुत ज्यादा जरूरत हो वहां पर खर्च किया जाय और जहां पर काम चल सकता हो वहां पर बाद को खर्च किया जाय। जिससे जनता का ज्यादा लाभ हो उसका विचार सब से पहले होना चाहिये।

मैंने देखा कि जब हमारे प्रधान मंत्री माननीय पं० जवाहर लाल जी कानपुर में पधारे तो वहां पर वैसे तो सिविल लाइन बहुत अच्छी है बड़े-बड़े बंगले बने हैं, बड़ी-बड़ी कोठियां बनी हैं, रईसों के आलीशान बंगले हैं और आप देखकर यह कह सकते हैं कि कानपुर बड़ा आलीशान शहर है, लेकिन हम को इस बात की खुशी है कि जब पं० जवाहरलाल जी वहां पर गये तो उन्होंने मजदूरों के अहातों में भी जाने की तकलीफ गवारा की। तब उनको मालूम हुआ

[श्री राजाराम शास्त्री]

कि असल में हुकूमत में क्या किया। उन्होंने इस बात को कहा कि मुझको यह विश्वास नहीं होता है कि कोई आदमी यहां पर कैसे रह सकता है। आप इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि आप जो पैसा खर्च करते हैं वह गरीब जनता तक कैसे पहुंचता है। अगर वह जनता तक नहीं पहुंचता है तो उससे कैसे गरीबों का लाभ हो सकता है। इसलिये मैं निहायत अदब के साथ सरकार से कहूंगा कि आप अपने काम करने के तरीके को कुछ बदलिये और इस बात को देखिये कि जितना रुपया गवर्नमेंट के पास है वह इस तरीके से खर्च किया जाय कि जहां पर ज्यादा जरूरत हो, जो लोग ज्यादा दुखी हों और जिनको ज्यादा आवश्यकता हो उनको पहले लीजिये और उनकी मुसीबत को दूर करने की कोशिश कीजिये और जहां पर आप देखते हैं कि अभी काम चल सकता है उन कामों को आप बाद को लीजिये। हमें इस बात का दुख है कि लाखों करोड़ों रुपया हम यहां पर मंजूर करते हैं उसमें बहुत ही कम रुपया जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचता है। इसमें से अधिकांश रुपया तो व्यवस्था में ही खर्च हो जाता है। आप हर एक डिपार्टमेंट को देखिये कि उसकी व्यवस्था में कितना रुपया खर्च हो जाता है। इन्सपेक्टर होता है, असिस्टेंट इन्सपेक्टर होता है, डिप्टी इन्सपेक्टर होता है फिर डिप्टी होता है और इसी तरह से बहुत से अफसर रख दिये जाते हैं और हर एक डिपार्टमेंट की यही हालत है। बहुत सारा रुपया इसी व्यवस्था में खर्च हो जाता है और वास्तव में काम कुछ भी नहीं हो पाता है। आप इससे यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितना रुपया असल में इसमें बचकर गरीब जनता के हित में लगाया जाता है। अगर इस रुपये का प्रपोर्शन (समानुपात) प्रत्येक डिपार्टमेंट के माननीय मंत्री साल भर में जबकि वह अनुदान पेश करते हैं उस वक्त यह चीज देखें कि जितना रुपया मंजूर किया गया था उसमें कितना रुपया जनता के हित में लगाया गया और कितना रुपया व्यवस्था में खर्च किया गया तो उनको मालूम हो जायगा कि बहुत थोड़ा हिस्सा गरीब जनता के हित में खर्च किया जाता है। यह तो पहले अंग्रेजी सरकार का तरीका था कि उसके जमाने में लोग भूखों मरते रहें और दुखी रहें उनको किसी तरह से भी परवाह नहीं होती थी लेकिन इस वक्त तो जनता की सरकार है। उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिये। इसलिये मेरा यह कहना है कि अब सरकार को अपना वह तरीका बदलना चाहिये और एक नये दृष्टिकोण से इन बातों पर बिचार करना चाहिये।

हमारी सरकार अब विजयी होकर यहां पर लौटी है। इसका नतीजा यह निकाला जाता है कि जनता ने उसका समर्थन किया है। आप यह कह सकते हैं कि जनता बहुत संतुष्ट है और उसने फिर इसी सरकार को यहां पर भेजा है लेकिन मैं यह कहूंगा कि अधिकांश जनता संतुष्ट नहीं है और मैं इस बात को नहीं मानता कि चूंकि जनता संतुष्ट है इसीलिये उसने अपने वोट से जिता कर आपको यहां पर भेजा है। आप इसको समझें कि जनता खुशहाल है लेकिन मैं इसको नहीं मानता। जैसा कि मेरे मित्र गैरोला जी ने कहा कि हमारी उत्तर की सरहद पर कम्युनिस्ट लोग आ गये हैं और उसका असर यहां पर पड़ेगा। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप कितनी ही कोशिश करें लेकिन कम्युनिज्म जो पैदा होगा वह गरीब लोगों के घर से पैदा होगा, गरीब लोगों की झोपड़ी से पैदा होगा। जिनका पेट भूखा है उनके घर से कम्युनिज्म पैदा होगा। जिनके शरीर पर कपड़े नहीं हैं और जिनके पास रहने को जगह नहीं है उनके घर से यह कम्युनिज्म पैदा होगा। उसको रोकने का यही सिर्फ तरीका है कि जिसको रोटी की जरूरत है उसको रोटी मिले और जिसके पास कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा मिले। समाज की हालत अच्छी होगी तो यह रुक सकता है। आप इस बात को देखिये कि जितना हमने दिया वह वास्तव में पब्लिक के हित में खर्च हुआ है या नहीं और उसका इस्तेमाल अच्छे ढंग से हुआ है या नहीं और वह जनता के हित में खर्च हुआ है या नहीं। हम चाहते हैं कि यहां पर जो भी बजट पेश किये जायं उनका रुपया सही तरीके से खर्च हो जिसका नतीजा भी अच्छा निकले और लोगों की हालत अच्छी हो और वह अपना काम अच्छी तरह से चला सकें। वर्ना मैं समझता हूं कि अगर हम इसी तरह से आंकड़े पास करते रहे हैं और करते रहेंगे तो देश को जिस तरह का लाभ होना चाहिये वह हम न पहुंचा पायेंगे। अन्त में मैं आशा करता हूं कि जो

आंकड़े पेश किये गये हैं वे सही ढंग से खर्च किये जायेंगे और यह सूबा तरक्की करे यही मेरी कामना है।

श्री भगवान दीन मिश्र--अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक अनुदानों के स्मृति पत्र में दुर्भिक्ष सहायता के शीर्षक में बहराइच जिले में कुछ खर्च दिखाया गया है। बहराइच जिले में २ वर्ष से जो सूखे का प्रकोप है और जिस सिलसिले में वहां पर पिछले वर्ष से कुछ काम प्रारम्भ किया गया था वहां इस वर्ष भी टैस्ट वर्क के नाम पर कुछ काम जारी किया गया है। इस तराई के इलाक़े में १ लाख ४५ हजार रुपया सरकार की ओर से खर्च किया गया और ७५ हजार रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बहराइच ने वहां पर सहायता के रूप में खर्च किया और इसके परिणाम स्वरूप अब जो काम जारी किया गया है उसमें अनुपूरक अनुदान में १ लाख १८ हजार की रक़म देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। जिस टैस्ट वर्क में १ लाख ४५ हजार गवर्नमेंट की ओर से और ७५ हजार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से दिया जाय वहां आज यह रक़म देखकर मुझे ताज्जुब हुआ और वह भी जिस स्कीम में रखा गया है वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा जो दी गई सड़कें हैं उनकी मरम्मत करने के लिये रखा गया है। वास्तव में कई बार इसके लिये निवेदन किया गया कि यह जिला एक ऐसा जिला है कि जिस पर अगर थोड़ी सी भी गवर्नमेंट दृष्टि डाले और कुछ सिंचाई का, बांधों का, तालाबों का ऐसा प्रबन्ध करे कि जिनके द्वारा लोगों को सूखे के काल में सहायता मिल सके तो बहुत कुछ अन्न पूर्ति, पेट पूर्ति हो सकती है। जो टैस्ट वर्क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जरिये से किये गये, और उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट महोदय ने जगह जगह पर जो तालाब खुदवाये थे वे बराबर से हो चुके थे या जहां पर नहीं थे वहां तालाबों की पूर्ति कराई, लेकिन अब जो काम जारी किये गये हैं उसमें केवल दो तीन सड़कें ही ली गयी हैं और उसी के लिये १ लाख १८ हजार रुपया रखा है। क्या सरकार इस रक़म को पर्याप्त समझती है कि ऐसी जगह जहां पर क़रीब दो लाख टेस्ट वर्क में खर्च हुये हों जहां पर ३ साल से (तराई में) सूखे के कारण धान की फ़सल जाती रही है वहां पर कहां तक यह रक़म काफ़ी कही जा सकती है।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पिछले बजट में भी मैं ने हाथीकुंड के बांध के सिलसिले में निवेदन किया था लेकिन वह सब अरण्यरोदन ही प्रतीत हुआ। उसके बाद मैंने मौके पर वहां जाकर देखा जहां पर बराबर पहाड़ से नाला बहता है। वहां पर अगर बांध हो तो दो काम उससे हो सकते हैं--एक तो यह कि तराई के जो भूखे लोग हैं उनको काम मिल जाय और दूसरे यह कि बांध के बंधने से एक फ़सल तो अनिवार्य रूप से होने लगे और कुछ न कुछ दूसरी फसल में भी पैदा होने लगेगी। मेरी प्रार्थना पर कलेक्टर जिला मौके पर पहुंचे और उन्होंने देखने के बाद कई रिपोर्ट चीफ़ इंजीनियर साहब के पास भेजीं कि आप किसी इंजीनियर को भेजें और वह इसकी जांच करे। अगर वह उचित समझे कि इससे गांव का भला हो सकता है, एक तो यह कि सूखा की समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है और दूसरे वहां की जनता को सहायता पहुंचेगी। सरकार तो यदि ऐसा समझेतो इस कार्य को सरकार हाथ में तुरन्त ले। लेकिन उनके लेख भी के सामने अरण्यरोदन के समान रहे। यहां से कोई नहीं भेजा जा सका। हमारा यह निवेदन है सरकार अच्छी तरह से ध्यान दे और इस समस्या को ठीक करे। १ लाख १८ हजार से वहां की कठिनाइयां ठीक तरह से हल होने वाली नहीं है। वहां की दशा ऐसी है कि जिसे देख कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां तालाब अधिक से अधिक संख्या में खुदवाये जावें और बांध बनवाये जायें। इससे वहां स्थायीरूप से सिंचाई का प्रबन्ध हो सकेगा। प्रति वर्ष यह सूखा की समस्या नहीं रहेगी। इससे हम वहां की समस्या हल करने में सफल होंगे।

दूसरी बात यह है कि ग्रांट नं० १३ में गांव सभा और पंचायतों का जिक्र है। बड़े अच्छे ढंग से ये संस्थायें चलाई गयीं। इनमें मंत्री नियुक्त हुये और उनकी संख्या ८ हजार कुछ सौ हमारे प्रदेश में है। उनकी तनख्वाहों का भार हमारी ग्राम सभाओं पर डाला गया है। सरकार यह जानती है कि प्रति वर्ष इनकी तनख्वाह पूरी नहीं होती है और तब वह कभी सहायता

[श्री भगवान दीन मिश्र]

के रूप में और कभी पूरक अनुदान के रूप में उसे देती रही है। मुझे यह आश्चर्य होता है कि ऐसी अच्छी संस्था भी सफल नहीं हो रही है। यह रुपये की कमी की वजह से है कि उनके पास पर्याप्त रुपया नहीं है। चुनाव के सिलसिले में हमारे मंत्रिगण और सदस्यों को तो अच्छी तरह ज्ञात हो गया कि ये पंचायतें विफल हो गई हैं। जनता यह समझती है कि य उनके ऊपर एक बोझ लाद दिया गया है। बात यह है कि वहां अर्थाभाव से कोई काम नहीं हो रहा है। जो भी रुपया वहां जुरमाने के या और किसी रूप में आता है वह सब तनख्वाहों के देने के लिये भी पूरा नहीं हो पाता है। २-२ और ४-४ महीने तक ये वेतन नहीं मिल पाते हैं। जब यहां ५ या ७ तारीख तक ही किसी को तनख्वाह न मिले तो उसे काम करना कठिन हो जाता है। तो भला जब लोगों की तनख्वाह महीनों तक न मिले तो वे कैसे काम में अपना जी लगा सकते हैं, यह सोचने की बात है। अर्थाभाव से वहां कुंयें साफ नहीं हो सकते, उनकी मरम्मत नहीं हो सकती, सड़कें नहीं बन सकतीं, लालटेनें नहीं लग सकतीं और कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिये यह योजना निरर्थक सी होती जा रही है। मैं तो यह निवदन करना चाहता हूं और गवर्नमेंट से साग्रह अनुरोध करना चाहता हूं कि एक चौथाई रक़म जो सेक्रेटरियों की तनख्वाह की है वह तो गांव सभायें देने के लिये बाध्य कर दी जायं और तीन चौथाई अपनी आमदनी का वह गांव सभाओं पर खर्च करें। यदि इस प्रकार के नियम बना दिये जायं तो गांव सभाओं की पापुलरिटी (जनप्रियता) हो जायगी और वे अच्छा काम कर सकेंगी अन्यथा वे काम नहीं कर सकेंगी। इसी प्रकार जो गांव सभायें किसी भय से अपना रुपया दे देती हैं वे तो बिलकुल बेकार सी रह जाती हैं और जिनके यहां से रुपया किसी वजह से नहीं आता उनको गवर्नमेंट सहायता कर देती है। ऐसी अवस्था में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार पूरक अनुदानों से गांव सभाओं का काम किसी प्रकार संभव नहीं है।

दूसरी इसमें एक और आपत्ति है जो अभी तक गवर्नमेंट न मालूम किस वजह से तय नहीं कर रही है। गांव सभाओं में दो प्रकार का टैक्स लोगों पर पड़ रहा है। एक तो अधिकार गांव सभाओं को है कि वे लगान पर एक पैसे से चार पैसे तक लोगों से वसूल कर सकती हैं। इसके अलावा जो लोग गांवों में दूकानदारी करते हैं उनसे लाइसेंस के रूप में एक रुपये से आठ रुपये तक वसूल किया जाता है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का टैक्स भी उन लोगों पर है जिन्हें कृषि-आय के अलावा दूसरे तरीक़े से आय होती है। इस प्रकार से गांवों में रहने वाले साधारण व्यापारी जो नमक, तेल आदि बेचते हैं उनको दो प्रकार के टैक्स देने पड़ते हैं। तो यह बहुत ही आपत्तिजनक बात है। बार बार कहा जाता है कि इस पर विचार हो रहा है। मैं समझता हूं कि ऐसी बातें जो हैं उनको जल्दी से जल्दी तय करना चाहिये और जनता पर दोबारा इस प्रकार का भार जो अवैधानिक है किसी तरह से जारी नहीं रहना चाहिये। जब सरकार ने पंचायत राज ऐक्ट के अन्दर यह अधिकार दे दिया है कि एक पैसे से लेकर चार पैसे तक वसूल किया जा सकता है तो जितने भी वहां व्यापारी हैं उनसे इसके अलावा दूसरा किसी प्रकार का टैक्स गांव सभाओं को नहीं लेना चाहिये।

इसके अलावा मैं ग्रांट नम्बर ४३ में यह भी देखता हूं कि ट्यूब-वेल की व्यवस्थायें भी जगह जगह पर की गयी हैं। फैज़ाबाद में ट्यूब-वेल की व्यवस्था के सिलसिले में कुछ रक़म इसमें रक्खी गयी है। मुझे यह मालूम है, पता नहीं कहां तक सही और कहां तक गलत है कि पंच वर्षीय योजना जो है उसमें डेढ़ सौ ट्यूब वेल्स बहराइच में भी रखे गये है। तो क्या उसमें से कुछ भी ट्यूब-वेल्स इस वर्ष बहराइच जिले में बनाये जा सकेंगे कि जिससे कि इस जिले को जल्द से जल्द सहायता प्राप्त हो सके और वे इसके इलाक़े जिनमें सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं उससे फायदा उठा सकेंगे? इसके बाद मैं अपने शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि संस्कृत विद्यालयों की हालत इस समय आपके प्रदेश में बहुत खराब है। ज्यादातर संस्कृत विद्यालय अभी तक धनी सज्जनों के दान पर चला करते थे और कुछ थोड़ी बहुत सहायता इधर उधर से मिल जाती थी जो कि अब नहीं के बराबर हो गयी है। संस्कृत

विद्यालयों का न चलना इस जमाने में जबकि हमारे सूबे और देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी हो चुकी है और जिस हिन्दी भाषा के स्तर को ऊंचा करने के लिये तथा उसके शब्दकोश को पूरा करने के लिये संस्कृत विद्या का होना और उसका फैलना अतिआवश्यक है; केवल अर्थाभाव के कारण उनका न रह जाना किसी तरह से ठीक नहीं है। इसलिये मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान संस्कृत विद्यालयों की ओर दिलाना चाहता हूं कि कुछ विशेष-रूप से अगले बजट में इस बात का ध्यान रख कर जो कुछ संभव हो सके स्थायी-रूप से सहायता देकर उनको चलाने में सहायता कीजिये। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुपूरक अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री वंशगोपाल--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से जो सप्लीमेंट्री बजट इस समय असेम्बली में पेश किया गया है उसके विषय में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। यह तो सभी को मालूम है कि हर एक देश और हर एक सूबे में सबसे खास बातें, सबसे खास मदें जिनके बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित होना चाहिये वह खाना और कपड़ा है। इस समय खाने और कपड़े की हालत हमारे प्रान्त में अच्छी नहीं है यद्यपि इस समय चारों ओर से मद्दी की पुकार मची हुई है। पहले तो केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया और हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी इस बात को इस असेम्बली में और दूसरी जगहों पर कहा कि जो कीमतों में मद्दी आ रही हैं इसके विषय में वह कोई खास राय नहीं रखते। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद केन्द्रीय सरकार के श्री मेहताब जी ने इस बात की घोषणा की कि यह जो मद्दी आ रही है वह उनकी पालिसी का नतीजा है। यदि यह मद्दी जो इस समय प्रान्त में और सारे देश में हो रही है सरकार की नीति का नतीजा था तो मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि हमारे प्रधान मंत्री जी को इस बात का पता पहले से कैसे नहीं था। खैर, जो भी हुआ, इस समय हमारे सूबे में गल्ले और अनाज का भाव सस्ता हो रहा है। यह हमारे लिये प्रसन्नता की बात है। जनता और खासकर गरीब जनता इस बात को देख कर कि गल्ले का भाव सस्ता हो रहा है प्रसन्न सी दिखाई पड़ती है लेकिन दूसरी ओर सरकार की नीति और खासकर हमारी सरकार की नीति जो हो रही है उसको देखकर एक आश्चर्य सा मालूम होता है।

हमें इस बात को सुनकर और माननीय गवर्नर महोदय के एड्रेस (संबोधन) में इस बात को पढ़ कर आश्चर्य हुआ कि यहां पर हमारे गल्ले का भाव जो सरकार की ओर से राशन में बिकता है ज्यादा किया जा रहा है। यदि सारे सूबे में और सारे देश में हर चीज सस्ती हो रही है, यदि गल्ले का भाव हमारे सूबे के बाजारों में गिर रहा है, यदि गेहूं 2½ सेर के बजाय ३ सेर या 3½ सेर तक तक बाजारों में मिल सकता है तो कोई वजह नहीं मालूम होती है कि सरकार उस भाव को, जो अभी भी राशन में 2½ सेर था, उसे घटा कर 2¼ सेर कर दे और आइन्दा भी 2¼ सेर को २ सेर का भाव करनेका इरादा मालूम होता है। यदि सरकार इस बात का इन्तजाम नहीं कर सकती कि जनता को गल्ला कम से कम उस भाव पर दे जो उसे खुले बाजार में मिल सकता है तो कोई वजह नहीं मालूम होती है कि सरकार इस राशन को इस कंट्रोल की व्यवस्था को कायम रखे। मेरी तो अपनी राय यह है कि इस कंट्रोल के कारण बहुत अत्याचार हो रहा है, कितना हमारा और हमारी जनता का सदाचार गिर रहा है, कितना हमारा कैरेक्टर रोज ब रोज ऊपर से नीचे गिरता जाता है और बेईमानी के बीज हमारे दिलों में हो रहे हैं उससे तो चाहे कंट्रोल के हटाने से हमें तकलीफ ही क्यों न हो, हमें इस कंट्रोल को खत्म करना चाहिये और हमारी सरकार को इस नीति की घोषणा करनी चाहिये कि वह कंट्रोल को कायम नहीं रखना चाहती।

साथ ही साथ में इस कंट्रोल के विषय में एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं। जैसा कि मैंने आगे कई बार अपने वक्तव्यों और अपने व्याख्यानों द्वारा इस असेम्बली में मिनिस्टर महोदयगणसे जिक्र किया है और वह बात यह है कि आज कल के नियम और आजकल की नीति के अनुसार गल्ला बाहर से राशन टाउन्स में आने नहीं दिया जाता। इसके बारे में बहस के रूप में कई बार मंत्री महोदय से निवेदन किया और उनका एक लेख भी मैंने

[श्री वंश गोपाल]
इंफ़ारमेशन अखबार में पढ़ा था, जिसमें उन्होंने किसी तरीके का खास तौर पर जवाब न देकर यह जाहिर किया था कि गल्ले का बाहर से राशन टाउन में आना कंट्रोल की नीति के खिलाफ है। अगर कंट्रोल की नीति ऐसी है जिससे कि जनता को तकलीफ होती है तो मेरे ख्याल में उस चीज को बदलना ही सरकार के लिये ज्यादा मुनासिब होगा। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि राशन और कंट्रोल को रखें या न रखें, कम से कम गल्ले के बारे में आप इस नीति की घोषणा कीजिये कि राशन टाउन में देहातों से शहरों में गल्ला आ सकेगा और बराबर खुले बाजार में बिक सकेगा। अगर आप ऐसा कर सकेंगे तो जनता की तकलीफ भी दूर हो जायगी और बाहर से यहां आकर गल्ला बिकने में किसी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं होगा।

दूसरी बात जो मैंने आपसे निवेदन की वह सरकार का कपड़े के विषय में इंतजाम है। मुझे इस बात को देखकर आज खुशी हुई कि हमारी सरकार ने कपड़े के डिस्ट्रीब्यूशन (वितरण) पर से राशन की नीति हटा ली है और अब वह आसानी से बिक सकेगा। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा और यह बात बिलकुल सरकार के हाथ में है कि आप केन्द्रीय सरकार से मिलकर इस बात की कोशिश कीजिये कि कपड़े का भाव जो हमारे बाजारों में इस वक्त है और जो हमारे सूब का इस वक्त है उसमें कमी की जाय ताकि जनता को वह आसानी से मिल सके।

तीसरी बात जिसके बारे में आपके सामने चर्चा की गयी और विरोधी दल के नेता श्री त्रिलोकी सिंह ने आपके सामने निवेदन किया है वह पंचायत राज की बात है। पंचायत राज्य के बारे में आपने अपने सप्लीमेंटरी डिमांड में सेक्रेटरियों की तनख्वाहों के बारे में जिक्र किया है और आपने यह कहा है कि हमें इस बात का ख्याल था कि गांव फंड जमा हो जाया करें और उस गांव फंड से आप पंचायत के सेक्रेटरियों को तनख्वाह दे सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसलिये और आपको उसमें कुछ इजाफा करने की जरूरत हुई। आपने अपना हिसाब भी उसमें अच्छी तरह से दिखलाया है कि ८,४१४ यहां पर पंचायतों के सेक्रेटरीज हैं, जिनकी तनख्वाह ५६ लाख रुपया फी साल होती है। मेरे ख्याल में जिस वक्त बजट बनाया गया था आपको इस बात का अन्दाजा लगा लेना चाहिये था। आपके सामने पंचायतों के बजट मौजूद थे, लेकिन दरअस्ल बात तो यह है कि पंचायतों के जरिये से जो टैक्स जमा किया जा रहा है उससे कोई मुनासिब काम नहीं हो रहा है और वह कुछ लोगों के निजी फायदे के लिये खर्च हो रहा है।

जैसा कि पूर्व वक्ता ने आपके सामने बयान किया। जनता के दिल में पंचायतों के विरुद्ध एक घृणा सी उत्पन्न हो गई है। आपको मालूम होगा कि आपने जमींदारों की मालगुजारी पर जो रुपया दिया और किसानों के ऊपर जो आपने एक रुपया फी बीघा टैक्स लगा रखा है इस साल आपने टैक्स के वसूल करने में काफी सख्ती से काम किया है और तीन साल का टैक्स एक साल में वसूल किया जा रहा है जिससे देहातों में हाहाकार मचा हुआ है और देहात की जनता इस टैक्स से परेशान है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जनता इस तरीके से आपके इस दमन को बरदाश्त नहीं कर सकती और शायद यह एक खास आइटम होगा। एक खास बात, एक खास चीज होगी, जिसके बारे में जनता आपके विरुद्ध खड़ी हो जाय और आपको ऐसा करने से रोके। जैसा पूर्व वक्ता ने अभी आपके सामने निवेदन किया आपके टैक्स चारों ओर बढ़ रहे हैं। जनता को उससे कोई फायदा भी नहीं मालूम होता। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप ऐसे टैक्सों को कम करें। इसके बारे में मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि आपके पंचायत राज कानून के अनुसार कोई भी टैक्स गांव सभा के जरिये से लगना चाहिये और उस गांव सभा में एक कोरम होना चाहिये। लेकिन आम तौर पर गांव सभा का वह कोरम कभी भी पूरा नहीं होता है। अगर पूरा भी होता है तो गांव सभा के प्रधान जी उस पंचायत को मुल्तवी कर देते हैं और दूसरी मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें चाहे दस व्यक्ति हों या पांच हों, वही लोग मिल कर उस टैक्स को लगा देते हैं। मैं अपने जिले फतहपुर का उदाहरण आपको देता हूं कि वहां यह हो रहा है कि अगर किसी गांव सभा ने टैक्स कम लगाया या एक पैसा या दो पैसे रुपया टैक्स लगाया तो पंचायत राज अफ़सर साहब का यह कंटेंशन

(दावा) है कि उनको खुद इस तरह के प्रस्तावों को तरमीम करने का अधिकार है और उसके अनुसार वह उस टैक्स को बढ़ा कर एक आना रुपय कर देते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस विषय में कानून को खासतौर से देख कर के पंचायत राज आफिसर्स को इस बात की हिदायत कर दें कि उन्होंने ऐसे प्रस्तावों को तरमीम करके ज्यादा टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है।

पंचायत राज की स्कीम एक ऐसी स्कीम है, जिसकी चर्चा सारे देश ही में नहीं बल्कि आपके कथानुसार यह एक ऐसी योजना है जिसने हिन्दुस्तान में ही में नहीं, दुनिया में एक मिसाल क़ायम कर दी है। लेकिन उसके दो टुकड़े हैं—एक तो लेजिस्लटिव डिपार्टमेंट है और दूसरा एग्जिक्यूटिव डिपार्टमेंट। जहां तक लेजिस्लटिव डिपार्टमेंट का ताल्लुक़ है मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आपके योजना सिद्धान्ततः (उसूलन) ठीक नहीं मालूम होती। इस चीज के फैलाने का अख्तियार उन लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिये जो एलेक्शन से और वोट से चुने जाते हैं। और इसका कारण यह है कि जो कोई शख्स किसी का वोट लेकर किसी पद पर जाता है तो खामखाह उसको उस आदमी का खयाल करना पड़ता है, उसके लिये उसके दिल में हमदर्दी होती है। जब कि पंचायत के पंच और सरपंच जनता के वोट से चुने हुये होते हैं तो जब वह फैसला करने बैठते हैं तो उनको उनका खयाल करना पड़ता है और वह ठीक तरीके से फैसला नहीं कर सकते हैं। इसी बुनियाद पर जब कि इस भवन में मसला पेश हुआ था तो आपकी ही तरफ से बहुत से लोगों ने यह बात कही थी कि बेंच मैजिस्ट्रेटों और आनरेरी मजिस्ट्रेटों की योजना को हटा देना चाहिये क्योंकि वे लोग वोट ले कर आते हैं अभी असेम्बली के चुनाव के संबंध में भी आपने एक नियम बनाया था कि बेंच मजिस्ट्रेट साहबान को इस एलेक्शन में किसी तरह का भाग नहीं लेना चाहिये और किसी किसी जिले में पंचायत राज अफसरों की तरफ से यह आज्ञा निकली थी कि वहां के पंचों और सरपंचों को भी चुनाव में भाग न लेना चाहिये। इसका क्या कारण था। इसके पीछे भी वही सिद्धांत था कि पंचायत के सरपंच और पंच चुनाव में इस लिये भाग न लें क्योंकि अगर वह किसी का वोट लेंगे तो उन को उसका एहसान मानना पड़ेगा। इस लिये मेरा खयाल है कि अदालती पंचायत की जो आपकी प्रथा है वह कामयाब नहीं हो रही है।

इसके बाद मैं आपका ध्यान पी० आर० डी० की ओर दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि जब आपने प्रान्तीय रक्षक दल की योजना बनायी थी तो इस भवन में उस कानून की चारों ओर से प्रशंसा हुई थी। लेकिन थोड़े ही दिनों में पुलिस और प्रान्तीय रक्षक दल में खटक गयी और प्रान्तीय रक्षक दल को खत्म करके आपने उसे दूसरा रूप देकर प्रादेशिक कार्य के नाम से उन्हें नियत कर दिया। इसके मानी यह हैं कि आपने ऐसी योजना जिस से सूबे का काफी फायदा हो रहा था उसको खत्म कर दिया। मैं चाहता हूं कि उसे फिर से तैयार करें और फिर से प्रान्तीय रक्षक दल की संस्था को यहां पर संचालित करें।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप योजनाएं तो बनाते हैं, लेकिन उनको कार्यान्वित बहुत कम करते हैं। दरख्त लगाने की योजना आपकी असफल हो गयी, तालाब खोदने की योजना आपकी असफल हो गयी, ज्यादा गल्ला पैदा करने की योजना आपकी असफल हो गयी। गरजे कि आप देखेंगे कि आपने जितनी योजनाएं बनायीं थोड़े अरसे के बाद खत्म हो गयीं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आइन्दा जब आप कोई योजना बनायें तो आप पहले से विचार कर लें। आप अधिक योजनायें न बनाएं। अगर आप मौजूदा योजनाओं पर भी गौर करें और उनको अच्छी तरह से चलाएं तो ज्यादा उचित होगा।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक अनुदान के संबंध में उसूली मसलों पर कहने का न समय है और न मुनासिब है लेकिन कुछ चन्द बात है जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना आवश्यक समझता हूं।

[श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य]

अनुदान संख्या १२ में जिला प्रशासन के व्यय के संबंध में एक मांग की गयी है जो अदालतों के काम बढ़ जाने के कारण कुछ अमले नियुक्त किये जायंगे उनके संबंध में है। केवल इस संबंध में इतना मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अदालतें भी बढ़ गयी हैं, अमला भी बढ़ गया है, लेकिन जो तजुर्बा है वह यह है कि अदालतों में जिनका काम है, जो अदालत में न्याय की याचना के लिये आते हैं उनके लिये कठिनाइयां ज्यों की त्यों हैं। तारीखें इतनी ज्यादा पड़ती हैं कि लोग परेशान होते हैं, गवाहों को लेकर आते हैं, तारीखें बढ़ जाती हैं, सबेरे से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, उसके बाद पेशकार अपना जो उनका तरीका है तारीख की वह रकम लेता है और तारीख दे देता है। अदालतों के बढ़ने से जो सुविधा होनी चाहिये थी वह नहीं हुई है, यानी जो यह तारीखें पड़ती हैं उनको कम किया जाय। यद्यपि बार-बार कहा गया है और सरकार भी चाहती है कि इतनी तारीखें न लगायी जायं और लोगों को परेशान न होना पड़े। लेकिन अभी भी यह रोग ज्यों का त्यों बना हुआ है सरकार को कोई और तरीका या व्यवस्था करना आवश्यक है ताकि यह शिकायत दूर हो सके।

जमींदारी अबालीशन फंड का जिक्र किया गया है। इसमें कुछ खर्चे की मांग की गयी है। एक बात की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि फंड का रुपया जमा करने के लिये पहले सरकार ने आदेश जारी किये थे कि रुपया जमा करने वालों को सुविधायें दी जायं। वे आदेश अब अमल में नहीं आते हैं और उनको दिक्कतें होती हैं। जैसा कि हर मुवक्किल को मुकद्दमा लड़ने में दिक्कतें होती हैं। इसी तरह से पैसा जमा करने वालों को परेशानियां होती हैं और नाजायज-तौर पर उनका पैसा खर्च होता है। पटवारी उनका सार्टीफिकेट लेकर रख लेता है और जब उसको पैसा मिलता है तब सार्टीफिकेट देता है। इस तरह की उनके सामने दिक्कतें हैं। हर जगह अदालतों के ढंग के अनुसार ही इसमें भी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। अगर यह दिक्कतें दूर हो जायं तो लोगों को ज्यादा सुविधायें हों।

ग्राम-पंचायतों के संबंध में भी काफी कहा गया है। हमारे माननीय मित्र वैद्य जी ने भी कहा है कि ग्राम-पंचायतें सेक्रेटरी को चौथाई तनख्वाह दें और बकिया गवर्नमेंट दे। मैंने पिछले बजट अधिवेशन के अवसर पर इस बात को काफी जोर के साथ कहा था कि पंचायतें इनकी तनख्वाह नही दे सकतीं। इसकी बजट में व्यवस्था होनी चाहिये। उस समय नहीं किया गया लेकिन आज हम देखते हैं कि पूरक अनुदान द्वारा उनकी तनख्वाहों का प्रबंध किया जा रहा है। मैं केवल एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सी गांव-सभाएं ऐसी हैं जिनके पास केवल जमीन के टैक्स वसूल करने के अलावा और कोई जरिया नहीं है पैसा आने का। न कोई बाजार है और न कोई रोजगार ही है, न घोड़े हैं, न टट्टू हैं और न ऊंट हैं। यानी कोई भी जरिया उनके पास नहीं है। इनके ऊपर सेक्रेटरी की तनख्वाह का बोझ लादना इनके साथ अन्याय होगा। जो जरूरी चीजें हैं जैसे झाड़ू देने के लिये नौकर रखा जाय या लालटेन लगायी जाय, ऐसे कामों के लिये पैसा बचे और यह काम हों तब तो लोगों को कुछ उत्साह हो सकता है, कुछ उनमें जान आ सकती है। लेकिन अगर सारा पैसा सेक्रेटरी की तनख्वाह पर खर्च कर दिया जायगा तो उनको कोई दिलचस्पी नहीं रह जायगी, उनको कोई जोश पैदा नहीं होगा। इसलिये जैसा कि इन्स्पेक्टर्स हैं और उनको सरकार तनख्वाह देती है इसी तरह से इन सेक्रेटरियों की तनख्वाह भी सरकार दे। अगर यह चीज नहीं होगी तो जो गांव-सभाओं की आमदनी होगी उससे बमुश्किल सेक्रेटरी की तनख्वाह पूरी हो पायेगी और बड़ी दिक्कत होगी।

शिक्षा के संबंध में मैं एक बात की तरफ माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यद्यपि शिक्षा में जो योजना या ढंग अख्तियार किया गया है वह काफी उत्साह-वर्द्धक है। लेकिन जो विद्यार्थियों की मैंटेलिटी (मनोवृत्ति) है यानी जो लड़के कालेज या स्कूलों से निकलते हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। उनकी किसी भी ऐसे काम की तरफ रूझान नहीं होता है जो स्वतंत्र रूप से वह कोई कार्य कर सकें। केवल नौकरियों के पीछे, सरकारी दफ्तरों के पीछे दौड़ना यही काम, यही मनोवृत्ति उनकी अब तक बनी हुई है। किसी उद्योग-धंधे या कोई टेक्निकल काम अपने हाथ में लेने की जो विद्यार्थियों में मनोवृत्ति होनी

चाहिये वह अब तक नहीं हुई है और उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। शिक्षा संस्थाओं में पार्टीबन्दी शिक्षा के कार्य में रुकावट पैदा करती है। मैं इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां पर वाइसचांसलर का चुनाव जो हुआ है उसका प्रभाव उसकी पार्टीबन्दी का प्रभाव वहां के विद्यार्थियों पर अच्छा नहीं पड़ा है।
खेती की जो योजना है उसके संबंध में काफी इस पूरक अनुदान के द्वारा रुपये की मांग की गयी है। जो योजनाएं रखी गयी हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। वह उत्तम योजनाएं हैं लेकिन एक बात की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिये पुरस्कार वितरण वगैरह करती है उसको एक चीज और करनी चाहिये जैसा कि किसानों के लिये पहले एक ऐसा नियम था कि अधिक गल्ला पैदा करने वालों को जो पुरस्कार में प्रथम आते हैं उनके लड़कों को सरकारी नौकरी में विशेष ध्यान दिया जाता था। नकदी पुरस्कार के अतिरिक्त उनके लिये और भी विशेष सुविधायें होनी चाहिये, क्योंकि जो अधिक गल्ला पैदा करने वाला किसान है वही सच्चा किसान कहा जा सकता है तो सच्चे किसान को जितनी भी सुविधायें दी जा सकें उनका देना हमारे ख्याल से अधिक उत्तम होगा और किसान के साथ न्याय भी होगा।

ग्रामोद्योग के संबंध में भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ग्रामोद्योग को जिस ढंग से प्रोत्साहन मिलना चाहिये उस ढंग का प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। पूर्वी जिलों में खासतौर पर ज्यादा लेबर क्लास (श्रम श्रेणी) के आदमी हैं। जहां भी देखिये पूर्वी जिलों के लोग लेबर में हैं, कानपुर में, बम्बई में या कलकत्ते में। यहां सब जगह हमारे पूर्वी जिलों के लोग ज्यादा जाते हैं मजदूरी के लिये। पूर्वी जिलों में जहां मजदूरों की आबादी अधिक है वहां उन्हें सुख नहीं है। इसमें सन्देह नहीं है कि किसानों को सुख है, लेकिन मजदूरवर्ग दुखी है। अभी जो चुनाव हुये उसमें किसी-किसी पूर्वी जिले में एक मुख्य कारण कांग्रेस वालों के असफल होने का कुछ यह भी है कि वहां मजदूर दुखी हैं और मजदूरों में असंतोष है। इसमें संदेह नहीं है कि किसान सुखी है, लेकिन मजदूरों के पास कोई उद्योग-धंधा न होने के कारण वे परेशानियों में पड़े हुये हैं, इसलिये इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि उनकी जीविका का प्रबन्ध हो सके।
साथ ही साथ जमींदारी अबालीशन के सिलसिले में बहुत सी नई बातें होने वाली हैं। जो शिकमी पर खेत देने वाले हैं वे अब नहीं देंगे और ऐसी अवस्था में जो भूमि रहित किसान होंगे उनके लिये उद्योग ही सहारा होगा। ऐसी अवस्था में हमें जल्द ही उन लेबर क्लास वालों के लिये ग्रामोद्योग की व्यवस्था करनी चाहिये।
हैंडलूम इंडस्ट्री का जहां तक संबंध है मैंने स्वयं देखा है कि पहले देहातों के बुनकर मोटा कपड़ा बुना करते थे, लेकिन वह इंडस्ट्री अब खत्म होती जा रही है। उसकी तरफ ध्यान देने कीआवश्यकता है। उन कपड़ों की खपत होना चाहिये, बुनकरों को सूत मिलने की व्यवस्था होनी चाहिये। सूत न मिलने की वजह से ही बहुत से बुनकर बेकार हो चुके हैं। दूसरे शहरों में मिलों में काम करने के लिये भाग जाते हैं जब कि देहात में रह कर ही हैंडलूम के व्यवसाय से ही वह अपनी गुजर कर सकते थे।

मैं एक और बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि खेती के संबंध में कुछ योजनायें हैं उनमें मैंने देखा कि कुछ कर्मचारी बढ़ाये जायेंगे। उसमें छोटे कर्मचारी और बड़े कर्मचारियों की तंख्वाहों में बड़ा अन्तर है। इस भवन में इस बात पर पहले भी कई बार जिक्र किया जा चुका है और सरकार का ध्यान खींचा गया है कि बड़ी और छोटी तनख्वाहों में इतना ज्यादा अन्तर नहीं होना चाहिये। २० रुपये जो तनख्वाह रखी गयी है उसमें तो आज के जमाने में एक अकेला आदमी भी गुजर नहीं कर सकता, फिर एक परिवार जिसमें ५ आदमी हों, उनका गुजारा कैसे हो सकता है। सरकार को हर विभाग के छोटे और बड़े कर्मचारियों की तनख्वाहों में जो अन्तर है उसकी ओर ध्यान देना चाहिये। मुझे आशा है कि अगले बजट में इस ओर विशेष ध्यान दिया जायगा।

एक बात और कह कर मैं खत्म करता हूं। पिछड़ी जातियों के सुधार के संबंध में कुछ व्यवस्था की गयी है। हरिजन सहायक डिपार्टमेंट की तरफ से एक अलग मद कायम करके

[श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य]

पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को वजीफा देने का प्रबंध किया गया है, वह उत्तम है। लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि पिछड़ी हुई जातियों की जो सूची है उसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। एक जाति मुसहर है। मैंने देखा है कि वह न अनुसूचित जातियों में है, न पिछड़ी जातियों में। उनके लड़के पढ़ते हैं। यह दिक्कत होती है कि उनको वजीफा हरिजन सहायक फंड से दिया जाय या कहां से दिया जाय। इसलिए उसमें संशोधन होने की जरूरत है।

अन्त में मैं जो-जो स्कीमें चलाई गई हैं उनके लिये धन्यवाद देता हूं और मैंने अभी अखबार में पढ़ा कि कपड़े पर से कंट्रोल की तकसीम हटा ली गई, इसके लिये भी सरकार को धन्यवाद देता हूं। इससे जनता को संतोष होगा। हम लोगों ने अपने एलेक्शन के दौरे में वायदा भी किया था कि अब की जायंगे तो कपड़े पर से कंट्रोल हटा लेंगे वह पूरा होगा।

माननीय अध्यक्ष--अब मैं माननीय मुख्य मंत्री को उत्तर का अवसर दे सकूंगा। सवा बजे यह बहस समाप्त हो जानी चाहिये।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--अध्यक्ष महोदय, मुझे इस वाद-विवाद में बहुत लम्बा समय नहीं लेना है, वैसे समय है भी नहीं। १५ मिनट ही हैं। अगर होता भी तो मैं ज्यादा समय लेना आवश्यक नहीं समझता। वास्तव में मेरा ख्याल तो यह होता है कि अनुपूरक अनुदानों के सिलसिले में आम बहस कोई बहुत ज्यादा दूर तक नहीं की जा सकती क्योंकि बजट में प्लान के मुताबिक सारी चीज होती है, लेकिन अनुपूरक अनुदानों में तो एक मांग का दूसरे से कोई ताल्लुक होता नहीं। जहां भी कोई कमी या जरूरत होती है उसके लिये, उस कमी को पूरा करने के लिये,-उसमें रुपया रखा जाता है और एक का दूसरे से कोई ताल्लुक न होने से कोई ऐसी बात उसूली नहीं निकलती जिससे आलोचना करने का अच्छा ढंग अख्तियार किया जा सके। हर अनुदान की बात अलग होती है। परन्तु अभी तक हमारा यही सिलसिला रहा है और वह आज भी जारी है। मैं आशा करता हूं कि अगले वर्ष के अनुपूरक अनुदानों के सिलसिले में आम बहस की जरूरत नहीं समझी जायगी और हमारे नियमों में ऐसा संशोधन हो जायगा।

जो भी बातें इस सिलसिले में कही गयी हैं मैं उनकी कद्र करता हूं और जिस तरीके पर उनकी समालोचना की गयी है वह जिम्मेदार और ऊंचे दर्जे की समालोचना कही जा सकती है। हमारे जो अनुपूरक अनुदान हैं वे मामूली तौर से बजट के मुकाबले में किसी तरह से भी बहुत ज्यादा नहीं हैं। अगर आप रेवेन्यू अकाउंट, कैपीटल और पूंजी की आमदनी को और खर्च को देखें तो उसके मुकाबले में जो हमने अनुपूरक अनुदान रखे हैं वह मामूली तौर से ज्यादा नहीं हैं। इसमें भी एक बहुत बड़ी रकम ५ करोड़ रुपये की है वह इस बारे में है कि जो गल्ला हमें खरीदना है उसके खर्च के लिये ट्रान्सफर अकाउंट में जमा करना है, जोकि सिर्फ कागजी खानापूरी है। इससे एक बड़ी भारी रक़म निकल जाती है। इसमें कोई उसूली चीज नहीं है। इस तरह से एक करोड़ रुपया और जमा किया गया है। शहरों में गल्ला बेचने में हमें जो नुक्सानात होते हैं उनके लिए १ करोड़ रुपया रेवेन्यू से निकाल कर रिजर्व में रखा जा रहा है। यह भी कोई असली खर्चा नहीं है वह तो सिर्फ उसको खर्च करने के लिये गुंजाइश निकालने की बात है, इनके अतिरिक्त जो और खर्चे उसमें दिखाये गये हैं वे ऐसी स्कीमों के लिये हैं जो कि सूबे और मुल्क के लिये बहुत जरूरी थीं मसलन अफजलगढ़ स्कीम और ट्यूबवेल की स्कीम्स। इन स्कीम्स के लिये एक दिन भी देर लगाना अच्छा नहीं हो सकता। इनसे हमारे गल्ले, जिन्स की पैदावार बढ़ी है। इस तरह की रक़म अनुपूरक अनुदानों के जरिये से इस सदन के सामने लाना हर तरह से उचित है। इन मदों के निकाल देने के बाद जो अनुपूरक अनुदान रह जाते हैं वह बरायनाम हैं। अगर हम इस निगाह से देखें तो मैं समझता हूं कि हमारा बजट बहुत अच्छी तरह से बनाया गया था उसमें बहुत थोड़ी तरमीम की जरूरत हुई और जो पहिले रक़म रखी गयी थी वह काफी ही नहीं बल्कि सही साबित हुई। जिन्होंने बजट बनाया उन्होंने बहुत सूझबूझ के साथ उसको बनाया।

हमारे विरोधी दल के नेता जी ने भी कुछ बातें कहीं। उन बातों में मैं समझता हूं खासतौर से एक बात बेलन प्रोजेक्ट के बारे में थी और दूसरी बात रोड ट्रान्सपोर्ट में जो रुपया रखा गया है उसके बारे में। उसके बारे में उन्होंने पूछा कि क्या उसकी वजह से सड़क के बनने में कोई रुकावट नहीं हुई। २१ मार्च के करीब उसमें १ करोड़ रुपया था जो अब भी चला आता है। उस रुपये की वजह से कोई रुकावट काम में नहीं हुई। यह भी एक तरह से पेपर एंट्री है। चूंकि उस वक्त रुपया ट्रान्सफर न हो सका इसलिये इस वक्त वह किया जा रहा है। इससे सड़क के बनने में कोई अड़चन नहीं हुई। बेलन की स्कीम में जो तब्दीली हुई वह इस तरीके से हुई कि इसमें जितना खर्चा हुआ और उसकी वजह स जो आमदनी हुई वह दुगनी और ढाई गुनी हो गई। इसलिये इस संशोधन का करना सब के लिये फायदेमन्द बात थी। एक तो पैदावार बढ़ेगी, दूसरे उससे ज्यादा आमदनी होगी और तीसरे सरकार को भी मुनाफा, होगा कम से कम जो घाटा था वह नहीं उठाना पड़ेगा। यह स्कीम सब सोच समझकर बनायी जाती है मगर तजुर्बे से मालूम होता है, जो बड़ी-बड़ी स्कीम होती हैं उसमें कुछ और संशोधन करने से कुछ और ज्यादा फायदेमन्द हो सकता है। इसलिये इस तरीके पर यह कार्यवाही की गयी।

श्री त्रिलोकी सिंह जी ने शारदा केनाल के लिये भी कहा कि बीस साल से उसकी चर्चा चल रही थी। मगर आज कल का जमाना तो हवाई जहाज का जमाना है। पहले तो आदमी बैलगाड़ी वगैरह पर ही सफर करते थे। मैं खुद यह समझता हूं कि हमारी रफ्तार उतनी तेज नहीं है जितनी कि होनी चाहिये। आज ऐसा जमाना आ गया है कि जरूरत है कि हम बहुत तेजी से काम करें और हमारे सामने जो कमियां हैं उनको दूर करने में जितनी बड़ी-बड़ी स्कीमें हैं उनको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अमल में लाना चाहिये वरना तकलीफों को बहुत दिनों तक देखना एक कठिन बात हो जाती है। इसके लिये यह मुमकिन हो सकता है कि हम अपनी स्कीम को बढ़ावें और ऐसा करने में हमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा। मैं यह खुद पसन्द करूंगा कि स्कीम चालू हो तो उसे अच्छी तरह देख लिया जाय। लेकिन जितनी जल्दी हो सके वह किया जाय ताकि लोगों की तकलीफें दूर हों।

श्री राजाराम शास्त्री ने अभी कानपुर की मजदूर बस्ती के बारे में कहा। बिलकुल सही है कि बहुत सी इस किस्म की बस्तियां हैं, इस किस्म की और चीजें हैं जिनको आदमी देखता है तो उसे परेशानी होती है मगर हम तो उनको बहुत दिनों से देखते आये हैं, कोशिश भी की। मगर फिर भी जब आदमी चीजों को देखता है तो उसे धक्का भी लगता है और इन कामों को करने की कोशिश करता है लेकिन एक दम से उनको दूर करने की कोई गुंजायश नहीं है। उसको दूर करने के लिये जितने भी जरिये और तरीके हैं उनको अमल में लाना चाहिये।

कुछ यहां पर अनाज के बारे में भी कहा गया। हम यह नहीं चाहते हैं कि अनाज की क़ीमत कुछ बढ़ावें। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि गल्ला शहरों के करीब कम कीमत पर मिलता है। हम ढाई सेर का ग़ल्ला देते हैं और लोगों को कम कीमत पर गेहूं मिलता है, तो उसकी वजह यह भी है कि इस वक्त शहरों में राशनिंग जारी है और इस वजह से लोगों को ग़ल्ला सरकार उन जगहों पर पहुंचाती है, तो ऐसी जगहों पर जहां लोगों के पास अधिक ग़ल्ला है वे सस्ती कीमत पर बेच सकते हैं। मगर इसके साथ ही हमें तो यह भी देखना है कि हमें यकीन हो जाय कि भाव यही रहेगा और ज्यादा मंहगा नहीं होगा बल्कि मंदा होगा तो फिर कोई वजह नहीं है कि हम इस घाटे के भाव पर इतना खर्च करें। मुमकिन है कि और कंट्रोल की जरूरत बाकी न रहे तो फिर गवर्नमेंट को कोई जरूरत नहीं है कि वह ३,४,५ करोड़ रुपया और अब तक का यही सिलसिला रहा, जो था तो ९ करोड़ का घाटा बर्दाश्त करे। न तो यह मुमकिन है और न हो सकता है। तो हम तो चाहते हैं कि मुनासिब कीमत पर मिले और जो कीमत लोग दे सकें, फिर उसमें कोई इजाफा या महंगाई ज्यादा न बढ़े जिससे लोगों की तकलीफ दूर हो सके।

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पंत]

पैदावार ज्यादा बढ़ गयी और इसी तरह से काम चल सकता है तो फिर सरकार को हालत को दोबारा देखने की जरूरत होगी। मैंने अपने बजट भाषण में कुछ इस सिलसिले में कहा था और वह बात हमारे सामने है। जहां तक इस मामले में खर्चे की बात है, खर्चा काफी हो रहा है मगर वह इस संबंध में नहीं खर्च होता है बल्कि वह इस पर खर्च होता है कि हम महंगा खरीद कर सस्ता बेचते हैं। तो जाहिर है कि उसमें नुकसान होगा। हमें २० रुपये फी मन गेहूं के लिये क़ीमत देनी पड़ती है और खर्चे तो अलग हैं। और उसको हम १६ रुपया मन देते हैं तो इससे जाहिर है कि ६,७ रुपया मन सरकार को अपने पास से देना पड़ता है। मगर उस सब का कोई न कोई उपाय निकालना है और उसके लिये यह देखना होगा कि इसका क्या उपाय हो सकता है।

यहां पर कुछ बहराइच की दिक्कतों का भी जिक्र किया गया जो कि वहां पर अनाज की पैदावार में कमी होने से वहां के लोगों को हुई। उनकी दिक्कतों के बारे में जो इलाज किये गये हैं उनका भी कुछ जिक्र किया गया। वैद्य जी ने जो हिन्दसे दिये शायद उनको पूरी इत्तिला नहीं है। जो खर्चा हुआ उसकी पूरी इत्तिला के बारे में मेरे सामने कुछ कागज रखे हुये हैं। बहराइच जिले में जो खर्चा हुआ उसकी रिपोर्ट तो यह है कि वहां पर उन लोगों की मदद के लिये करीब ५ लाख रुपया अब तक खर्च हो चुका है और अभी इसके लिये और रक़में रखी गयी हैं। मैं ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सूबे में जहां पर भी कोई तकलीफ हो और उसके लिये जो जरूरी उपाय हों उनको करना हम अपना फर्ज समझते है। लोगों को अगर अनाज नहीं मिलता है या उनको कोई और तकलीफ है तो उसका इलाज करना हमारा फर्ज है और गवर्नमेंट को इस काम को पूरी तरह से अदा करना चाहिये। मैंने जिले के अहलकारों को इस बात की पूरी ताकीद की है और फूड डिपार्टमेंट को भी कहा है कि जहां कहीं भी लोगों को दिक्कतें हों उनको दूर करना चाहिये और इसमें कोई किसी तरह से देर नहीं करनी चाहिये।

जहां तक टेस्ट वर्क का ताल्लुक है इसके लिये काफी हिदायत दी गई है और मैं यह उम्मीद करता हूं कि इससे लोगों को ज्यादा फायदा हो सकेगा। जिससे ज्यादा फायदा लोगों का हो सके ऐसा काम हमको करना चाहिये। इस सिलसिले में जो कुछ भी अभी तक किया गया है अगर उसमें कुछ कमी रहती है तो उसके लिये और रुपया हम खर्च करने को तैयार हैं ताकि लोगों की दिक्कत दूर हो सके।

अभी यह फसल खराब होने की वजह से, सूखा पड़ जाने की वजह से और हाल ही में ओलों के पड़ जाने की वजह से रबी की फसल को नुकसान पहुंचा है और वह खराब हो चुकी है, मगर फिर भी हम यह भरोसा रखते हैं कि लोगों की जो दिक्कतें हों उनको हम हल कर सकेंगे।

जहां तक पंचायत के सेक्रेटरी की बात है उनके लिये कुछ कहा गया। आज भी फिर इसमें सप्लीमेंटरी डिमाण्ड के जरिये से करीब १४,१५ लाख रुपया पंचायत के सेक्रेटरीज की तनख्वाह देने के लिये रखा गया है। माननीय नेता विरोधी दल ने दो बातें कहीं, जो एक दूसरे से संगत नहीं हैं। उनकी तनख्वाह गवर्नमेंट को देनी चाहिये और दूसरे उन लोगों को इजाजत होनी चाहिये कि पोलिटिकल बातों में जिस पार्टी के साथ मिल कर काम करना चाहें करें और उनकी देखभाल करने का हक नहीं होना चाहिये। यह तो उन्होंने ऐसी बात कही जिस तरह से कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के मुलाजिमान के लिये यह लागू हो सकती है कि उनको भी इस तरह से इजाजत मिलनी चाहिये कि जहां चाहे काम करें।

श्री त्रिलोकी सिंह--मैंने तो श्रीमान् यह बात कही कि अगर सरकार इस तरह से उनके ऊपर नियंत्रण रखना चाहती है, तो फिर यह भी जरूरी है कि उनकी तनख्वाह सरकार को अपने पास से देनी चाहिये।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---नियन्त्रण अगर सरकार रखती है तो इस वजह से उनको तनख्वाह दे और अगर तनख्वाह उनको दी जाय तो उनके ऊपर नियन्त्रण रखना जरूरी है। अगर इसका आल्टरनेटिव (वैकल्पिक) देखा जाय तो यही निकलता है कि अगर तनख्वाह न दी जाय तो फिर नियन्त्रण रखने की भी जरूरत नहीं है। मगर नियन्त्रण अगर रखा जाय तो वह सब के लिये हितकारी हो सकता है और अगर पंचायत इस बात को समझे कि कोई नियन्त्रण की जरूरत नहीं है तो हम इस पर विचार करने के लिये हर वक्त तैयार हैं। मगर मैं नहीं समझता कि उनके ऊपर नियन्त्रण रखने या न रखने से उनकी माली हालत में किसी तरह से कोई खास फर्क पड़ जायगा। अगर नियन्त्रण न रखा जाय तो और भी कुछ मुश्किल पैदा हो सकती हैं। बहरहाल, जरूरत इस बात की है कि गांव की हालत अच्छी हो।

कुछ साहबान ने यह भी कहा कि पंचायतें बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हैं। मैं इस राय को बिलकुल सही नहीं समझता हूं इसलिये कि हमको भी सारे सूबे में घूमने का मौक़ा मिलता है और मिला है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आमतौर पर पंचायतों ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारी पंचायतों की तादाद इस वक्त क़रीब ३५ हजार के है और इस देश के लिये यह एक नई चीज है। हमारे गांवों में अभी बहुत पढ़े लिखे आदमी नहीं हैं। इस बात से फायदा भी है और नुक़सान भी है कि वे लोग जो कुछ काम करते हैं सीधे ढंग से करते हैं और मैंने कई गांवों में देखा कि उन्होंने अपनी सड़कों में लालटेनें लगवाई है, रास्ते बनाये हैं और इसी तरह के और काम किये हैं जिन को देख कर मुझे बड़ा भरोसा हुआ और आशा हुई कि हमारे यहां लोगों पर अगर जिम्मेदारी लगाई जाती है तो वह अच्छा काम कर सकते है। वैसे कमियां तो आज इतने दिन बाद हमारे म्युनिसिपल बोर्ड में और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी है और गवर्नमेंट में भी है। यह तो नहीं कहा जा सकता है उनमें कमी नहीं है मगर आमतौर पर अगर बेलाग ढंग से देखा जाय तो जो कुछ काम उन्होंने किया है उस से आगे के लिये हमें आशा प्रतीत होती है कि वह हमारी डेमोक्रेसी के लिये बुनियाद होंगी। जैसे जैसे उनको तजुर्बा होगा वैसे वैसे काम जिम्मेदारी से वह करेंगी। वह भी टैक्स लगाती हैं और उस से अपने यहां काम करती हैं। इस से उनको भी मालूम होगा कि जो लोग काम करने वाले हैं उनके सामने क्या-क्या दिक्क़तें होती हैं और किस तरह से वह हल हो सकती है। इनसे एक लाभ यह भी हुआ है कि लोगों में जिम्मेवारी से काम करने की आदत पैदा होती है और एक बहुत अच्छा असर सारे देहात में पड़ता है। लोगों में एक टीम वर्क की जिम्मेदारी आती है और एक नई स्पिरिट इससे हमारे यहां पैदा हुई है और काम भी काफी अच्छे ढंग से हुआ है।

मुझे अफ़सोस है कि पूर्वी जिलों में कुछ दिक्क़तें हैं और इसलिये भी उधर ग़ल्ले की कुछ कमी हो रही है। इसको दूर करने के लिये काफ़ी ध्यान हमारी तरफ से पूर्वी जिलों की तरफ दिया जा रहा है। हम २०० से ज्यादा ट्यूब वेल उधर लगाना चाहते हैं। बहराइच में भी लगाना चाहते हैं। ७०० ट्यूबवेल के क़रीब लगने को है। वैद्य जी ने जानना चाहा कि बहराइच में भी लगेंगे। ज़रूर लगेंगे। माल मंत्री जी बहराइच में लगवाने की कोशिश करेंगे, यों भी उन्हें आशा करना चाहिये और हमारी भी कोशिश रहेगी कि पूर्वी जिलों में जल्द से जल्द इस तरह का इंतजाम किया जाय। रेहन्द डैम की स्कीम को भी हम जल्द से जल्द कामयाब बनाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि बहुत बड़ी स्कीम है, इसलिये इसमें वक़्त लगेगा, लेकिन इस बड़े मुल्क के लिये बड़ी स्कीमों को भी हमें लेना ही है। जरूरत इस बात की भी है कि हमारी काटेज इंडस्ट्रीज की तरक्की हों। किसानों की तरक्की की बात भी सही है। अफ़ज़लगढ़ की और दूसरी स्कीम में भी हमने शुरू की है और हमने इन स्कीमों से काफी तरक्की हासिल की है और उम्मेद है कि इनके जरिये से अभी और तरक्की होगी। काश्तकारों की बात भी सही है उनके लिये हमदर्दी होना चाहिये और इन सब स्कीमों में उनका खयाल रखा गया है और उस जगह के रहने वाले जो काश्तकार हैं उनकी दिक्क़तों को हल करने की कोशिश की

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

गई है लेकिन जो ज़मीनें आबाद की गई हैं वह सब ग़ैर आबाद, जंगल ऊबड़-खाबड़ कटी-पिटी ख़राब ज़मीनें ही ली गई हैं। जो पहले से खेती में थीं और कालोनाइज़ेशन (उपनिवेशीकरण) में ली गयी हैं वह कहीं दसियों एकड़ के बीच में कोई टुकड़ा आ गया है। बाक़ी आमतौर पर उफ़तादा ज़मीनें ली गयी हैं।

भद्रुक डेरी से हटाने के बारे में कहा गया। वह ज़मीन हमारी नहीं थी वह शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट की ज़मीन थी। उन्होंने उसमें हमें अपनी डेरी का काम करने की इजाज़त दी थी, हमें उसमें कोई ख़ास खर्च नहीं करना पड़ा था। अब वहां वह अपना शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, इसलिये उसे दूसरी जगह ले जाने की सूरत है। मगर इसमें कि जो अब तजवीज़ हो रही है उससे भी बहुत फायदा होगा बमुक़ाबिले उस जगह के। जब तक मिक्स्ड (मिश्रित) न हो कि वहीं पर फ़ाडर (भूसा) भी हो, और वहीं पर कोई डेरी भी हो और वहीं पर कोई पोल्ट्री फ़ार्म भी हो तब तक वह काम बहुत ख़ूबी से नहीं चलता। और जहां हम ले जा रहे हैं वहां ये सब ज़रूरतें पूरी होंगी।

मुझे यह उम्मीद है कि जो भी बातें यहां कही गयी हैं उनसे जो कुछ भी फ़ायदा हो सकता है उसे उठाने की कोशिश की जायगी और आयन्दा जब इस क़िस्म के मसले सामने आयेंगे तो हमको जो सलाह दी गयी है उनको ध्यान में रखा जायगा।

(इस समय १ बज कर २२ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर ३० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० के (द्वितीय) अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या २--लेखा शीर्षक ७--मालगुज़ारी

माननीय श्री हुकुम सिंह (माल मंत्री)--श्रीमान् जी, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २--लेखा शीर्षक ७--मालगुज़ारी के अन्तर्गत ३,९१,००० रु० की अनुपूरक मांग स्वीकार की जाय।

इसके संबंध में मैं इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान वाल्यूम (खण्ड) १ की ग्रांट नं० २ की तरफ दिलाता हूं जिसको देखने से यह साफ हो जायगा कि यह मांग क्यों रखी गयी है। फ़ैज़ाबाद और रायबरेली के कलेक्टरियों के स्टाफ़ की जो रिवाइज्ड स्केल आफ पे (संशोधित वेतन-क्रम) के हिसाबसे तनख़्वाह देनी पड़ी है उसमें ६,००० रु० की कमी होने से ६,००० रु० उस के लिये चाहिये। दूसरी मद है मैंनेजमेंट आफ़ गवर्नमेंट इस्टेट्स। इसमें बजट में २१,३१,१०० रुपया था, लेकिन वाक़ई ख़र्चा २१,७८,६०० होता है। इस तरह से ४७,५०० रु० फ़ाज़िल ख़र्चा होता है, जिसमें से २९,७०० और मदों की सेविंग से पूरा किया जायगा। बाक़ी १७,८०० रु० की कमी पड़ती है। तीसरी मद है लैंड रेकार्ड्स की। १९५०-५१ में बजट में ३० लाख रुपया रखा गया था पटवारियों की बक़ाया तनख़्वाह और लैंडरैकार्ड के स्टाफ़ की तनख़्वाह के वास्ते। लेकिन १९५०-५१ में एरियर बिल ठीक वक्त से तैयार नहीं हो सका। लिहाज़ा कुल रक़म सर्फ़ नहीं हुई। वह पेमेंट अब इस मौजूदा साल में होने से ३,६७,२०० रुपये की और जरूरत पड़ेगी। इस तरीक़े से कुल ३,९१,००० रुपया होता है। उसी के लिये यह अनुपूरक मांग पेश की गयी है। आशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री ई० एम० फ़िलिप्स----श्रीमान् डिप्टी स्पीकर साहब, यह मांग बहुत ही बजा है और इसमें कोई शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। मेरे ख़याल से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में एक बात की तरफ तवज्जह दिलाने की जरूरत है और वह यह है एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेज़। इससे ताल्लुक़ रखते हुये यह कहा जा सकता है कि जो आपकी स्टेट का निज़ाम है वह अच्छे तरीक़े स कंटोल नहीं है। यह भी रेवेन्यू साइड यानी एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकता है।

मेरा मतलब कहने का यह है कि माल व फौजदारी का काम पड़ा हुआ है ।

श्री बेचन राम गुप्त--मैं यह कहना चाहता हूं कि यह ग्रांट जो पेश है वह लैंड रेवेन्यू की है और इसमें जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन कैसे आ सकता है?

श्री ई० एम० फिलिप्स--मैं अर्ज करूंगा कि लैंड रेवेन्यू में जो अफसर काम करते हैं वे सब एक ही हैं। डिप्टी कलेक्टर' वगैरह इनका भी काम करते हैं। इस वजह से उन आफिसर्स की तरफ में जरूर इशारा कर सकता हूं। अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं वापस लेने के लिये तैयार हूं। मुझे बता दिया जाय कि ऐसा नहीं है। यह मेरा तजुर्बा भी है और मेरी वाकफियत भी है कि दोनों कम्बाईन्ड (सम्मिलित) हैं। मैं इतनी बात की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं। मुझे और कुछ नहीं कहना है।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २--लेखा शीर्षक ७--मालगुजारी के अन्तर्गत ३,६१,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १६५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३-लेखा शीर्षक ८-राज्य आबकारी

माननीय श्री गिरधारी लाल--श्रीमान् जी, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३-लेखा शीर्षक ८-राज्य आबकारी के अन्तर्गत ५०,६०० रु० की अनुपूरक मांग सन् १६५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस विषय में ज्यादा नहीं कहना है। जो साहित्य माननीय सदस्यों के सामने हैं उससे बहुत साफ तरीके से मालूम हो जायगा कि यह, जो मांग है वह इसलिये है कि एक तो थोड़ा सा स्टाफ स्मगलिंग को रोकने के ख्याल से रखा गया है। दूसरे पावर अलकोहल की जो सेण्ट्रल लेबोरेट्री है उसमें कुछ सामान वगैरह खरीदा गया है। इन सब चीजों के लिये मांग रखी गई है। मैं समझता हूं कि यह स्वीकार की जायगी।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३--लेखा शीर्षक ८--राज्य आबकारी के अन्तर्गत ५०,६०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १६५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४-लेखा शीर्षक ६-स्टाम्प

माननीय श्री गिरधारी लाल--श्रीमान् जी गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४-लेखा शीर्षक ६-स्टाम्प के अन्तर्गत १,२८,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १६५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

इसके विषय में भी मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि इसके लिये जो साहित्य है उसमें इसका जो एक्सप्लेनेशन (व्याख्या) है वह पूरे तौर पर दे दिया गया है।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४--लेखा शीर्षक ६-स्टाम्प के अन्तर्गत १,२८,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १६५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५-लेखा शीर्षक १०-वन

माननीय श्री हुकुम सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५-लेखा शीर्षक १०- वन के अन्तर्गत ४,१५,१०० रु० की अनुपूरक मांग सन् १६५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

जहां तक इस मांग का सम्बन्ध है इसके बारे में मुझे केवल यह अर्ज करना है कि जिस वक्त बजट तैयार हुआ था उस वक्त इस बात का ख्याल नहीं किया जा सकता था कि इतना सूखा पड़ेगा और जंगलों से रेजिन निकालने का काफी मौका मिलेगा। चूंकि ऐसा हो गया और रेजिन निकालने के लिये कंडीशंस (परिस्थिति) ज्यादा फेवरेबिल (उपयुक्त) हो गई तो काफी तादाद में रेजिन जंगलों से निकाली गई, टैप की गई जिसकी ८,२०,३०० रु० की आमदनी हुई लेकिन इस आमदनी को पैदा करने के लिये ४,६८,००० रुपये के खर्च की भी जरूरत पड़ी। यह ४,६८,००० रु० की मांग है उसमें से ५२,९०० रुपया दूसरे मद से जो बचत होगी उससे पूरा हो गया, बकिया ४,१५,१०० रुपये की अनुपूरक मांग है। इसमें सौदा बहुत अच्छा है। मुनाफा ज्यादा है और खर्च कम है। मैं समझता हूं कि सदन इसे जरूर स्वीकार करेगा।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५-लेखा शीर्षक १०-वन के अन्तर्गत ४,१५,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान सं० ७--लेखा शीर्षक १२--मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय

माननीय श्री हुकुम सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७--लेख शीर्षक १२-मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय के अन्तर्गत ३५,६४,२०० रुपये की अनुपूरक मांग स्वीकार की जाय।

इस सम्बन्ध में वाल्यूम १ के सफा ५ पर इसका पूरा हवाला दिया गया है जिससे जिससे साफ हो जाता है कि क्यों इस अनुपूरक मांग की जरूरत हुई। मुझे आशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७-लेखा शीर्षक १२--मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय के अन्तर्गत ३५,६४,२०० रुपयों की अनुपूरक मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या संख्या १०-----लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८--सिंचाई और जल विद्युत् स्थापना पर व्यय

श्री लताफत हुसैन (माननीय निर्माण मंत्री के सभा सचिव)--जनाब वाला, गवर्नर महोदय की इजाजत से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०-लेखा शीर्षक १७,१८,१९ और ६८-सिंचाई और जल-विद्युत् स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत १०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

इस सिलसिले में बैलन प्रोजेक्ट इलाहाबाद का इस हिस्से की आबपाशी करने के लिये बनाया जा रहा है क्योंकि इसके लिये कोई और जरिया आबपाशी का नहीं था। यह १९४९ और ५० ई० में गवर्नमेंट ने इस स्कीम को सैंक्शन किया था। उसके बाद यह महसूस हुआ कि थोड़ा सा रुपया सर्फ करने के बाद उसको और ज्यादा कारआमद किया जा सकता है और मामूली रकम खर्च करके ज्यादा आबपाशी की जा सकती है तो इसलिये इस स्कीम को एक्पेंड (बढ़ावा) कर दिया गया है और इसी सिलसिले में यह मांग रखी गई है। तो इस प्रोजेक्ट से क्योंकि जायदा फायदा होने वाला है, मुझे उम्मीद है कि हाउस इसको स्वीकार करेगा।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०-लेखा-शीर्षक १७,१८,१९ और ६८-सिंचाई और जल-विद्युत् स्थापना पर व्यय क अन्तर्गत १०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ११–लेखा शीर्षक २५–सामान्य प्रशासन

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द (शिक्षा मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११–लेखा शीर्षक २५–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५१–५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

जैसा कि इसका ब्योरा दिया गया है इस किताब में इसमें दो मुख्य मदें हैं। एक तो यह कि माननीय स्पीकर महोदय के लिये मोटर गाड़ी खरीदना बहुत जरूरी हो गया और दूसरी मद यह है कि एनीमल हस्बेंण्डरी डिपार्टमेंट के लिये कमिश्नर का नया पद बनाया गया और उस पर एक आफिसर नियुक्त किया गया, जो आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी का भी काम करेगा। मैं आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

उपाध्यक्ष--प्रश्न है कि अनुदान संख्या ११--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१–५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १२-लेखा शीर्षक २५–सामान्य प्रशासन (कमिश्नर और जिला प्रशासन का व्यय)

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२–लेखा शीर्षक २५–सामान्य प्रशासन (कमिश्नर और जिला प्रशासन के व्यय) के अन्तर्गत १५,८४,००० रु० की अनुपूरक मांग सन् १९५१–५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

इसका ब्योरा जो कागजात पेश किये गये हैं उनमें दिया हुआ है।

श्री ई० एम० फ़िलिप्स--श्रीमान् डिप्टी स्पीकर साहब, जैसा कि मैंने पेश्तर अर्ज किया यह बहुत सही है कि इस रुपये की जरूरत है, बल्कि मैं समझता हूं कि शायद कम पड़े अगर यह खर्चा आइन्दा साल इफेक्टिव तरीके से किया गया। मगर मैं आपके जरिये से गवर्नमेंट की तवज्जह इस तरफ जरूर दिलाना चाहता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन के मुताल्लिक मैजिस्ट्रेट्स के कोर्ट्स में मुकदमात बहुत पड़े हुये हैं। मुझे मालूम है कि मुख्य मंत्री जी की तरफ से अहकाम जारी हुये हैं। लेकिन खुदा करे कि वह लोग उनकी परवाह करें। इस बात के वास्ते मैं गवर्नमेंट की तवज्जह आपके जरिये से दिलाना चाहता हूं।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जो बात फिलिप्स साहब ने कही उस बात के में मैं उनसे इत्तिफाक करता हूं कि मुकदमे वक्त पर होने चाहिए। मैजिस्ट्रेटों को जो वक्त मुकर्रर है उस में अदालतों में आना चाहिए और मुकदमों की तारीख इस तरह से मुकर्रर होनी चाहिए कि जो गवाह उस रोज आएं उन की जरूर सुनवाई हो जाय और किसी को जहां तक हो सके जितना कि जरूरी वक्त अदालत में लगाना पड़ता है, उससे ज्यादा न लगाना पड़े। बाज वक्त यह शिकायत होती है कि मैजिस्ट्रेट लोग अपने पेशकार को या औरों को यह काम छोड़ देते हैं कि वह तारीखों को लगायें और इस वजह से काम ठीक तरह से नहीं होता और उसमें कुछ गोलमाल भी हुआ करता है। गवर्नमेंट की तरफ से हिदायतें भेजी गई हैं कि मुकदमों की ठीक पेशी करने में, उनकी तारीख मुकर्रर करने में, गवाहों के सुनने में सब बातों की तरफ मैजिस्ट्रेटों को खुद ध्यान देना चाहिये और वक्त मुकर्रर पर पंकच्युअली (समय पर) आना चाहिये। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब की पाबन्दी पूरे तौर से मैजिस्ट्रेटों की तरफ से की जायगी। अगर न की जाय तो मैं चाहूंगा कि इस हाउस के मेम्बर या जो लोग भी इसमें दिलचस्पी लें वह इसकी इत्तिला दें ताकि मैजिस्ट्रेटों के लिये जो अहकाम जारी होते हैं उसके खिलाफ अगर काम करें तो उनको यह मालूम हो जाय कि इस तरह की गफलत उनके लिये नुकसानदेह हो सकती है।

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]
मैं समझता हूं कि यह बिलकुल सही है कि मुकदमों का काम अच्छी तरह से होना चाहिये ताकि कम से कम दिक्कत मुकदमे वालों को उठानी पड़े। ये शिकायतें बार-बार होती हैं और अब इन शिकायतों की गुंजाइश नहीं। हमने मैजिस्ट्रेटों की तादाद बढ़ाई है। अगर ऐसी शिकायतें कायम रहेंगी तो गवर्नमेंट को फिर सख्ती से काम लेना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन (कमिश्नर और जिला प्रशासन के व्यय) के अन्तर्गत १५,८४,००० रु० की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १३--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन (गांव सभाएं और पंचायतें)

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर (स्वशासन मंत्री)--श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३-लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन (गांव सभाएं और पंचायतें) के अन्तर्गत १४,२५,००० रु० की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

जो अनुदान का स्मृतिपत्र है उसमें इसकी वजह बतला दी गई है कि यह मांग क्यों रखी गई है। पंचायतों के मंत्रियों की संख्या ८,४१४ है और ५६ लाख रुपया खर्च होता है उसमें से १४ लाख रुपया पंचायतें नहीं दे सकी तो उनको मदद के तौर पर देने के लिये वे ग्रांट रखी गई है क्योंकि सेक्रेटरियों की तनख्वाह पिछड़ गई थी। बहुत सी जगह पानी न बरसने की वजह से टैक्स वसूल करने में दिक्कतें हुईं। पहाड़ी इलाके में हर साल कमी होती है वह पूरी की गई। इस तरह से यह १४ लाख के करीब रुपया होता है। मुझे आशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री मुहम्मद रज़ा खां--जनाबवाला, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो तवक्कुआत पंचायतों की तकर्रुरी से अवाम को थीं वह पूरी नहीं हुई। जो लोग देहातों में रहते हैं वे जानते हैं कि पंचायतों का काम इस वक्त नामाकूल तरीके पर चल रहा है। अवाम उससे हरगिज मुतमइन नहीं है। रिश्वत का बाजार गरम हो गया है। दो एक शख्स इस किस्म के भी उनमें होते हैं जो चाहते हैं कि रिश्वत न ली जाय लेकिन वह भी मजबूर हो जाते हैं। जहां तक बुरे आदमियों का ताल्लुक था वे लोग भी इस इंतखाब में मुंतखिब होकर आ गये हैं। उनकी वजह से दिक्कतें पैदा हो रही हैं। मैं यह उम्मीद नहीं करता कि इस टर्म में पंचायतों की हालत दुरुस्त हो सकेगी। गवर्नमेंट को जितनी भी कोशिश करनी थी वह उसने की मगर उनमें कोई सुधार इस वक्त तक नहीं हुआ है।

मैं ख्याल करता हूं कि पंचायतों के काम की तरफ गवर्नमेंट को ज्यादा तवज्जह देनी चाहिये। जहां तक एस० डी० ओज० वगैरह का ताल्लुक है। मैंने देखा है कि बहुत से मुकद्दमात में उन्होंने जुर्माने माफ कर दिये हैं जो गलत किये गये थे। मुझे ऐसे फैसले मालूम हैं जिनमें बेवाओं और कमजोर औरतों के ऊपर भी जुरमाने सख्ती के साथ किये गये हैं। एक औरत के ऊपर, महज इस वजह से कि उसने चंदा नहीं दिया था, ७० रुपये जुर्माने किये गये। आखिर एस०डी० ओ० ने छोड़ दिया। लेकिन यह काफी नहीं है।

मैं ख्याल करता हूं कि पंचायतों का जो सिस्टम है वह इतना बेहतर है और अगर सही तौर पर काम लिया जाय तो मैं समझता हूं कि लोगों को अदालत में जाने की जरूरत ही न पड़े लेकिन गलत तरीके पर काम लिया जा रहा है। शायद ५ फीसदी पंचायतें भी ऐसी नहीं हैं जो सही तरीके पर काम करती हों। गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा तवज्जह करने की जरूरत है और जो पंचायत राज्य आफिसर बनाये गये हैं वह दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं उनको आप हिदायत जारी कीजिये। मुझे कुछ और अर्ज नहीं करना है।

अनुदान संख्या १३—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन
(गांव सभाएं और पंचायतें)

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मुहम्मद रज़ा साहब ने जिस तरफ इशारा किया है वह मैं समझता हूं कि अदालती-पंचायतों की तरफ किया है। जहां तक जुर्माने के बारे में वह जिक्र करते हैं उनका कहना यह है कि पंचायतों की तरफ से लोग मुतमईन नहीं हैं और जो वह फैसला करती हैं उनमें अन्याय करती हैं। इसके लिये उन्होंने यह भी कहा कि अपील में, रिवीजन में वह उलट दिये गये। उन्हें इस बात का अन्दाजा लगाना चाहिये कि ३५ हजार पंचायतें हैं और इनमें ८००० अदालती पंचायतें हैं और लाखों की तादाद में यह छोटे छोटे मुकदमें करती हैं। इनमें वह जुर्माने की ही सजा दे सकती हैं। ऐसी हालत में जब लाखों मुकदमें होते हैं तो कुछ ऐसे मुकदमें हो सकते हैं जिनमें अन्याय हो जाय। अपील में अगर कोई चीज उलट जाय तो ऐसे नहीं कहा जा सकता कि वहां अन्याय होता है। बहुत से हाईकोर्ट के फैसले होते हैं जिनकी अपीलें मंजूर होती हैं। इस लिये यह नहीं कहा जा सकता कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के जितने फैसले होते हैं वह ठीक नहीं होते हैं। इसी तरह से पंचायतों के बारे में भी यह आम तौर पर कह देना कि वह नाकामयाब हो गई हैं यह वाजिब नहीं है। मैं समझता हूं कि दो-चार वाकये ऐसे हो जाते हैं तो उसके ऊपर सरकार सतर्क रहती है और उनमें जब सरकार को यह मालूम होता है कि पंचायतें नाजायज तौर पर फैसला करती हैं तो पंचायतों के पंचों और सरपंचों को सजा देने का अधिकार भी सरकार के पास है और कई पंचायतों के बारे में ऐसा किया भी गया कि वहां पंच या सरपंच हटाये गये। इसलिये यह आमतौर पर कह देना कि उनके फैसले ठीक नहीं होते हैं गलत है। मैं कह सकता हूं कि ६६ फीसदी फैसले सही करते हैं और एक फीसदी कहीं गलत होते हैं और इन्हीं एक फीसदी फैसलों के ऊपर शोर ज्यादा होता है। ऐसी हालत में मेरे ख्याल में उनका यह कहना ठीक नहीं है। इसके साथ ही यह भी ख्याल रखना है कि पंचायतों के फैसला करने का तरीका नया है इसलिये हम सबको उसे हमदर्दी से देखना चाहिये। मैं अगर उनको हिसाब लगाकर बताऊं तो उनके फैसले ज्यादातर सही पाये गये हैं और थोड़े से फैसले ऐसे मिलेंगे जो कि गलत पाये जाते हैं। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि वे अपने एतराज को वापस लेंगे और इस अनुदान को यह भवन स्वीकार करेगा।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन (गांव सभायें और पंचायतें) के अन्तर्गत १४,२५,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १६५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १५—लेखा शीर्षक २८—जेल और बन्दी बस्तियां

माननीय श्री गिरधारी लाल—श्रीमान् जी, गवर्नर महोदय की सिफ़ारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदानसंख्या १५—लेखा शीर्षक २८—जल और बन्दी-बस्तियों के अन्तर्गत ६,६८,२०० रुपयों की अनुपूरक मांग स्वीकार की जाय।

श्रीमान् जी, इस विषय में भी मुझे ज्यादा नहीं कहना है। जो साहित्य माननीय सदस्यों के सामने है उसमें इसका एक्स्प्लेनेशन पूरे तौर पर दिया गया है। इसलिये मुझे उम्मीद है कि उसको देखते हुये इसको स्वीकार किया जायगा।

श्री मुहम्मद रज़ा खां—जनाबवाला, मेरा यह अर्ज करना है कि यह कहना कि जब से यह गवर्नमेंट आई जेलों में कोई सुधार नहीं हुआ बिल्कुल गलत होगा जेलों में बहुत कुछ सुधार हो चुके हैं लेकिन सब से ज्यादा शर्म की बात यह है कि अब भी जलों में रिश्वत जारी है। मैं यह महसूस करता हूं कि जेल ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिसमें रिश्वतों के मुताल्लिक, शिकायतें बहुत ही कम होती हैं इसलिये कि जिन कैदियों से उनका वास्ता होता है वह अगर शिकायतें करें तो उनको ज्यादा तकलीफ पहुंचने का एहतिमाल होता है। मैं गवर्नमेंट कि तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि वह जेलों की तकलीफों को दूर करने के लिये और दिक्कतों को बन्द करने के लिये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे।

श्री ई० एम० फ़िलिप्स—श्रीमान् डिप्टी स्पीकर महोदय, मुझको अपने दोस्त मुहम्मद रजा खां साहब से इत्तिफाक है और मैं एक तरफ गवर्नमेंट की तवज्जह दिलाना चाहता हूं जिसके मुताल्लिक मुझे दो-तीन दफा जेल के दफ्तर में देखने का इत्तिफाक हुआ। वहां पर गल्ला वगैरह सप्लाई के जो ठेकेदार हैं वे सिर्फ इस अन्दाज से लाये जाते हैं कि जो जेल-वालों के चहेते हों। आप यह खूब समझ सकते हैं और आप के जरिये से मैं गवर्नमेंट के कानों तक यह सदा पहुंचा सकता हूं कि अगर यही सिलसिला कहीं रहा तो पेचीदगी बढ़ जाने का अन्देशा है। मैं जो कुछ समझा हूं वह यह है कि उन ठेकेदारों को रकमें देनी पड़ती हैं। हम लोगों ने जब उन्हें दफ्तर में बुलाया तो हमको यह दिक्कत महसूस हुई कि उन लोगों से जिनसे हमने पूछना चाहा उन्होंने यह कहा कि जो और लोग हैं वह ज्यादा चहेते हैं और इसी वजह से ज्यादा फेवरिट बन गये हैं। मगर साफ खुलकर उन्होंने नहीं कहा लेकिन उनसे जब कान्फीडेन्शली (गुप्त रूप से) पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इतना नहीं दे सकते इस लिये इस तरफ जरूर ध्यान देने की जरूरत है।

माननीय श्री गिरधारी लाल—माननीय सदस्य ने इस विभाग के सिलसिले में खास तौर से यह बतलाया कि रिश्वत वगैरह रुकनी चाहिये। वास्तव में सिर्फ इस विभाग के लिये नहीं, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से सब विभागों में यह कोशिश रही है कि रिश्वत दूर हो। जिस तरह से भी हो सकता है बराबर इस बात की कोशिश की जाती है और रिश्वतों को दूर भी किया जाता है। मुझे खुशी होगी अगर कोई खास मिसाल मुझे दी जाय उसकी तहकीकात की जायगी और उसे दुरुस्त करने की कोशिश की जायगी और इससे पूरे मुहकमे पर अच्छा असर भी पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे माननीय सदस्य गवर्नमेंट के साथ पूरा-पूरा सहयोग देंगे और इन चीजों को दूर करने में हमारी मदद करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि इस अनुदान को स्वीकार किया जायगा।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५—लेखा शीर्षक २८—जेल और बन्दी-बस्तियों के अन्तर्गत ६,६८,२०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १६—लेखा शीर्षक २९—पुलिस

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६—लेखा शीर्षक २९—पुलिस के अन्तर्गत २०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१–५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

इसका ब्योरा तो दिया हुआ है। इस सदन के माननीय सदस्यों की हमेशा यह इच्छा रही है कि पुलिस रिआर्गनाइजेशन कमेटी की सिफारिशों पर अमल किया जाय और वह देखेंगे कि इसमें जो खर्चा हुआ है वह ज्यादातर उस कमेटी के सिफारिशों के अमल में लाने की वजह से हुआ है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि यह अनुदान स्वीकार किया जायगा।

श्री मुहम्मद रजा खां—जनाब वाला, पुलिस के मुताल्लिक अवाम की जो शिकायत हैं वे इतनी ज्यादा हैं कि उनका बयान करना बहुत ही मुश्किल है। रिश्वत, जिसकी निस्बत गवर्नमेंट ने एंटी करप्शन कमेटीज बनाई, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी रिश्वत बन्द होना तो दरकिनार, आज रिश्वत अपने काफी उरूज पर है। जहां तक कि काम का ताल्लुक है इसमें कोई शक नहीं पुलिस अब काफी काम करती है। लेकिन वह भी अफसोस की बात है कि जरायम की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमारी पुलिस अर्से तक डाकुओं की परवरिश करती रही है। परवरिश का लफ्ज मैंने इसलिये इस्तेमाल किया कि मैं देखता हूं कि हमारे सूबे के अन्दर बहुत से डाकू बरसों से जरायम कर रहे हैं और उनके लिये पुलिस तैनात रही है, लेकिन उनकी गिरफ्तारियां अमल में नहीं आईं। ऐसे डाकू जो देहातों में छिपे रहते हैं और गिरोह बना कर

हमला कर देते हैं उनकी बात तो जाने दीजिये लेकिन जो बड़े बड़े नामी डाकू हैं और जिनके पीछे पुलिस ६-६ महीने और एक-एक साल से लगी हुई है लेकिन उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आती और वे बराबर डकैती करते रहे हैं, इसकी खासतौर से तवज्जह की जरूरत है । मैं जानता हूं कि इंस्पेक्टर जनरल बड़े नेकनाम और ईमानदार आदमी हैं और वह इस बात की कोशिश भी करते हैं कि रिश्वत बन्द हो, लेकिन सूरत यह है कि हजारों आदमी अजला में काम करते हैं और एक इंस्पेक्टर जनरल साहब मेरे खयाल में उनको नहीं रोक सकते हैं। एक बात मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां तक पुलिस का ताल्लुक है अब इस किस्म की तब्दीलियां हो गई हैं कि अफसरान का रोब कुछ कम हो गया है। मसलन मैं यह देखता हूं कि डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस सब इन्स्पेक्टर के यहां खाना खाते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं। मेरे खयाल में यह बात बहुत तकलीफदेह है । ब्रिटिश दौर में ऐसा नहीं हुआ करता था। अगर कोई डिप्टी सुपरिटेंडेंट, सुपरिण्टेन्डेण्ट या असिस्टेंण्ट सुपरिण्टेन्डेण्ट किसी सब इन्स्पेक्टर के यहां खाना खा लेता था या चाय पी लेता था तो बहुत बुरा समझा जाता था, लेकिन आज यह बात जायज समझी जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट इसकी तरफ ज्यादा तवज्जह करेगी। मैं यह नहीं कहता कि गवर्नमेंट ने कोई तवज्जह नहीं की है। उन्होंने तवज्जह की है और ऐंटीकरप्शन कमेटी (भ्रष्टाचार विरोधी समिति) बनाई है, लेकिन उनमें से कुल लोगों ने पूरे तरीके से काम नहीं किया जिसकी वजह से इस वक्त पुलिस में बहुत ज्यादा रिश्वत जारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जह रखेगी।

श्री ई० एम० फिलिप्स—श्रीमान् डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं एक तरफ और तवज्जह दिलाना चाहता हूं अलावा उन बातों के जिनकी ओर मेरे दोस्त ने अभी तवज्जह दिलाई। मैंने चन्द मर्तबा इस बात के मुताल्लिक कहा और आज फिर उसको दोहरा रहा हूं कि हमारे सूबे में ही नहीं बल्कि तमाम हिन्दुस्तान में हमारे पुलिस वालों की तनख्वाहें बहुत कम हैं और यही वजह मालूम पड़ती है कि वह रिश्वत लेने पर मजबूर होते हैं। मान लिया कि एक सब-इंस्पेक्टर है उसका एक भाई कलेक्टर है दूसरा एम० एल० ए० है और ऐसे वाक़यात बहुत से हैं, गोकि मैंने यह मिसाल के तौर पर कहा और मेरी समझ में यह नहीं आता कि किस तरीके पर हो सकता है कि सब-इंस्पेक्टर यह सोचे कि मेरे बच्चे सिनेमा न जायं, रेडियो न सुनें, मेरे बच्चे ऐसे कपड़े न पहनें जैसे कि और भाइयों के पहन सकते हैं। अब उनको ऐसा रहन-सहन करने के लिये ज्यादा रुपये की जरूरत पड़ती है और उसको पूरा करने के लिये वह रिश्वत लेकर दुरुस्त करता है। मेरे कहने का मुद्दआ यह है कि विलायत के मुकाबिले में हम वैसा ही काम चाहते हैं पर तनख्वाह नहीं देते । मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे हैड कांस्टेबिल और कान्स्टेबिल्स को जो तनख्वाहें मिलती हैं वह डेली वेजेज वाले मजदूर से कम मिलता है। जब कि कांस्टेबिल आपका २४ घंटे का नौकर है और मजदूर शाम को आठ घंटा फरुवा का काम करने के बाद आपसे कहता है कि कल नहीं आऊंगा। उस मजदूर को आप डेढ़ रुपया देते हैं जो ४५ रुपया महीना होता है । एक बेलदार या वह शख्श जिसको गारा ईंट ढ़ोना पड़ता है उसको आप तीन, साढ़े तीन रुपया रोज देते हैं । आप जरा गौर से देखें तो आपको मालूम होगा कि पुलिस में रिश्वत लेने की खास वजह क्या है। मैं जानता हूं कि पुलिस के सामने बड़ी मुश्किलात आती हैं। यह भी मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट ने उस तरफ तवज्जह थोड़ी बहुत की है । और यह भी मुझे मालूम है, और मैंने हत्तुल वसा इस बात की कोशिश की कि गवर्नमेंट की तवज्जह इस तरफ जाय। और-और साहबान ने भी गवर्नमेंट की तवज्जह इस तरफ दिलायी। लेकिन इस बात को सामने रख कर अगर कोई ऐसी मियार नहीं कायम की जायगी जिसको कि लेकर पुलिस के रिश्वत के कम से कम जगह के ऊपर पहुंच सकें तो पुलिस की शिकायतें जो हैं उनकी दुरुस्तगी नहीं हो सकेगी। पुलिस की तनख्वाह और उनके ऐसे जायज खर्चे जो हैं उनको भी गवर्नमेंट इस निगाह से देखे जिससे कि अब तक नहीं देखा जाता है। मसलन् ११० का मुकदमा अगर सब-इंस्पेक्टर चालान करता है, आप जाकर पूछ लीजिये, जितने साहबान यहां पर हैं वे खुद अपने तजुर्बे से समझ सकते हैं कि एक सब-इंस्पेक्टर का कितना रुपया खर्च हो जाता है । क्योंकि गवर्नमेंट के किसी क़ायदे से उसे वह रुपया नहीं

[श्री ई० एम० फ़िलिप्स]

मिलता है। तो वह क्या करे ? अगर वह ऐसी शिकायतें अपने मुताल्लिक न पैदा कर ले जैसा कि श्री रज़ा खां ने बतलाया, तो मेरी समझ में नहीं आता कि वह क्या करे ? और अगर वह ११० का मुकदमा नहीं चालान करता है तो वह निहायत नालायक, निहायत नाकाबिल और ऐसा आदमी समझा जाता है कि वह स्टेशन आफिसर,या सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के काबिल नहीं है। तो इन दिक्कतों को सामने रख कर मैं यह अर्ज करूंगा कि इस तरफ खास तवज्जह की जरूरत होगी, कि क्या किया जाय। मैं तो सोचता हूं कि पुलिस रिआर्गनाइजेशन कमेटी की जो शहादतें हुई हैं मैं भी उनका एक गवाह था और मुझे खुशी है कि मेरी शहादत के मातहत बहुत सी बातें दुरुस्त की गई हैं। मगर मैं इस बात का इसरार करता हूं कि गवर्नमेंट की तवज्जह इस तरफ जाना जरूरी है और इस डिपार्टमेंट की इन दिक्कतों को सामने रखते हुये इसमें सुधार इस तरीके से किया जाय जिससे वे अपनी इन दिक्कतों को सामने ला सकें। एक बात मुझे और अर्ज़ करनी है। गवर्नमेंट ने यह वादा किया था कि हम ऐसे तरीके अख्तियार करेंगे कि हमारी पुलिस यह समझे कि मुल्क हमारा है और काम हमें करना है और हमें वाकई में मुल्क के अन्दर ऐसी खिदमत करना है जिससे हमारे मुल्क को आयन्दा सही तरीके से तरक्की हो सके। ऐसा अभी तक इन्तजाम नहीं किया गया। इस तरह की कोई ट्रेनिंग सब-इंस्पेक्टरों को नहीं है या उनके दीगर मातहतों को नहीं है। और जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं उनमें ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जिसमें इस तरह की ट्रेनिंग दी जाय कि वे वाकई महसूस करें कि मुल्क हमारा है और हमें इसे दुरुस्त करना और हमें सही तरीके से खिदमत करनी है।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द---श्रीमन्, मैं नहीं कह सकता कि अनुपूरक बजट पर जिस तक्त बहस हो रही हो, जिसमें दो चार खास-खास मदें ही होती हैं, ऐसे मौके पर जेनरल पा लिसी की बातों का जिक्र करना कहां तक उचित है। बहरहाल, अभी जो पुलिस की तनख्वाह का जिक्र किया गया, हमारे दोस्त फिलिप्स साहब ने उन लोगों का मुकाबिला, जो कि पुलिस में हैं और और दूसरे पेशों में हैं, एम० एल० एज० से किया। जहां तक मैं समझता हूं एम० एल० एज० तो कोई पेशे वाले नहीं हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने कुछ और पेशे वालों से पुलिस की तनख्वाह का मुकाबिला किया। मुझे उनसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि फिलिप्स साहब इस बात को भी याद करेंगे कि उन लोगों की तनख्वाह, जो किसी लड़के को पढ़ा लिखा कर सब-इंस्पेक्टर होने के लायक बनाते हैं यानी टीचर्स, उनकी तनख्वाह भी बहुत ज्यादा कम है। बहरहाल , सरकार उनकी तनख़्वाह के मुताल्लिक गौर करेगी और वह हमेशा इस बात का खयाल रखेगी कि वह उनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिये जो कुछ कर सके करे। मुहम्मद रजा खां साहब ने कुछ बातों की तरफ ध्यान दिलाया। जो बात उन्होंने कही वह सही है लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह बात तो सही नहीं है कि सूबे में जुर्म बढ़ रहे हैं। कम से कम ऐसा तो नहीं है कि जुर्म बढ़ रहे हैं। उन्होंने तो एक अजीब बात यह कही कि डाकुओं की परवरिश होती है। यह मेरे देखने में तो नहीं आया। जो वर्षों से यहां पर उत्पात कर रहे थे उनको बहरहाल जेलखाने के अन्दर बन्द कर दिया गया है और अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो और लोग भी उत्पात करने वाले जो गलत आदमी बाहर रह गये हैं वह भी बहुत जल्द बन्द कर दिये जायंगे। अगर कोई बात ऐसी हो गई है कि जिसकी वजह से बदरोबी है तो उसको रोकना चाहिये और जिससे डिसिप्लिन (अनुशासन) ठीक हो। पुराने जमाने की चर्चा करना तो बेकार है। जिस वक्त यहां पर ब्रिटिश हुकूमत थी तो उस वक्त यह फर्क जरूर हो सकता था लेकिन आज वह बात नहीं है और उसके रहने की जरूरत भी नहीं है कि अफसर और उसके मातहत में कोई फर्क रखा जाय और वह एक-दूसरे मिल न पायें। और उनको अलग-अलग रखा जाय। मेरा यह ख़याल है कि जिस चीज़ को उन्होंने जिकर किया कि पुलिस वाले इस देश को अपना समझ कर सेवा नहीं करते हैं ऐसी बात नहीं है। पुलिस वालों का ऐसा ख्याल है और वह यह समझते हैं कि यह मुल्क हमारा है और इसकी हमको सेवा करनी चाहिये मैं यह नहीं कहता कि यह चीज सब लोगों के अन्दर है लेकिन यह बात जरूर है कि बहुत लोगों के अन्दर यह बात है। ट्रेनिंग कालेज में कोर्स ऐसा है कि जिसका असर पड़ता हो यह बात नहीं है। चारों तरफ मुल्क के अन्दर जो फिजा है उसका असर जरूर लोगों पर पड़ता है और

जरूर वह चीज है और उन लोगों के अन्दर भी देशभक्ति का माद्दा है। इसलिये मैं यह आशा करता हूं कि सदन इस अनुदान को स्वीकार करेगा।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६--लेखा शीर्षक २९--पुलिस के अन्तर्गत सन् १९५१-५२ ई० के लिये २०० रुपयों की अनुपूरक मांग मंजूर की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १७-लेखा शीर्षक ३६-वैज्ञानिक विभाग

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७--लेखा शीर्षक ३६-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत सन् १९५१-५२ ई० के लिये १०० रुपयों की अनुपूरक मांग मंजूर की जाय।

जैसा कि इसमें लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया है जिसके अन्तर्गत तस्वीर या स्टेच्यू वगैरह जो चीजें हैं उनको खरीदा जायगा ताकि वह उधर-इधर मारीमारी न पड़ी रहें। उस फंड में हमको भी रुपया देना है। हमको एक हजार देना है। एक हजार पिछले साल का देना है। वह रुपया बजट में मौजूद है तो महज उसके लिये यह १०० रुपये की मांग पेश की गयी है। और मैं आशा करता हूं कि सदन इस मांग को स्वीकार करेगा।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७-लेखा शीर्षक ३६-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत सन् १९५१-५२ ई० के लिये १०० रुपये की अनुपूरक मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १८-लेखा शीर्षक ३७-शिक्षा

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द---गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८-लेखा शीर्षक ३७-शिक्षा के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

जैसा कि इससे मालूम होगा इसमें कई मदें हैं और वह रुपया बजट से निकालना है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८-लेखा शीर्षक ३७-शिक्षा के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १९-लेखा शीर्षक ३८-चिकित्सा

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त (अन्न मंत्री)—उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९-लेखा शीर्षक ३८-चिकित्सा के अन्तर्गत ७,७०,३०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१--५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

जिन कारणों से यह मांग भवन के सामने उपस्थित की जा रही है उस का विवरण तो ग्रांट नंबर १९ में चिकित्सा के अन्तर्गत दिया हुआ है। इसलिये अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९--लेखा शीर्षक ३८--चिकित्सा के अन्तर्गत ७,७०,३०० रु० की अनुपूरक मांग सन् १९५१--५२ ई० के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २०-लेखा शीर्षक ३९-जन-स्वास्थ्य

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त---उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०-लेखा शीर्षक ३९-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत ५०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

[माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त]

इसका भी विवरण ग्रांट नं० २० में दिया हुआ है। जिन चीजों के लिये यह मांग की जा रही है उसका विस्तारपूर्वक विवरण उस में दिया हुआ है। इसलिये इसके ऊपर भी अधिक प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। आशा है भवन इसे भी स्वीकार करेगा।

श्री ई० एम० फ़िलिप्स--श्रीमान् डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं इस मद में केवल एक सवाल गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं और वह यह है कि मेरे नोटिस में यह बात लाई गई कि टी० बी० रिसर्च के मुताल्लिक़ कुछ सील्स या छपे हुये टिकट जो कि चर्च सरकिल से आते हैं बेचने की मुमानियत कर दी गई है। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों किया गया है। मैं नहीं समझता कि ऐसा क्यों किया गया है। क्या मेहरबानी करके गवर्नमेंट इस पर रोशनी डालेगी?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कह सकता कि यह सूचना माननीय सदस्यों को कहां से मिली। टी० बी० सील्स तो अब भी बेची जा रही है यद्यपि सरकार की तरफ से नहीं बल्कि वह टी० बी० असोसियेशन के अन्तर्गत बेची जाती है और उसका जो रुपया इकट्ठा होता है वह यू० पी० टी० बी० असोसियेशन में जमा होता है। उसका खर्च भी उसी की आज्ञा से होता है। मैं नहीं जानता कि जिस बात का जिक्र किया गया है उसकी सूचना उनको कहां से मिली। सरकार ने ऐसे आदेश जारी नहीं किये हैं।

श्री ई० एम० फ़िलिप्स--मैं आपके पास भेज दूंगा यह वादा करता हूं।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०--लेखा शीर्षक ३९--जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत ५०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २१--लेखा शीर्षक ४०--कृषि

माननीय श्री चरण सिंह (कृषि मंत्री)--गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१--लेखा शीर्षक ४०--कृषि के अन्तर्गत ७,५४,६०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

इस मांग के अन्तर्गत कई छोटी छोटी मदें हैं जिनका पूरा ब्यौरा इस मेमोरैण्डम में जो माननीय सदस्यों के पास है दे दिया गया है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--मैं प्रस्ताव करता हूं कि..........

उपाध्यक्ष--आप का कोई कटौती का प्रस्ताव समय के अन्दर नहीं आया।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--तो मैं वैसे ही कहे देता हूं। श्रीमान् जी, मैं इस अनुदान के संबंध में केवल एक बात की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यों तो सरकार के समक्ष बड़ी बड़ी और बहुत सुन्दर योजनायें कृषि विकास की हैं लेकिन वह सब इस प्रकार की हैं कि उन से बड़े काश्तकारों को ही विशेष लाभ पहुंच सकता है और बड़े बड़े फार्मों को ही ज्यादा सुविधायें मिल सकती हैं। वह ऐसी योजनायें हैं जो पश्चिमी जिलों में ही लागू की जा सकती हैं। पूर्वी जिलों के लिये ट्यूबवेल की योजना है। पूर्वी जिलों के लिये ट्यूबवेल मौजूद हैं या नहीं इसका अनुसंधान कराया गया। पता नहीं कि ट्यूबवेल जौनपुर और बनारस वगैरह जिलों में कामयाबी के साथ चलाये जा सकेंगे या नहीं। हमारे इन जिलों में बहुत छोटे छोटे किसान हैं। वे बड़ी बड़ी रक़में नहीं लगा सकते और न उनको उन्हें आवश्यकता ही है। ऐसी सूरत में कोआपरेटिव से या किसी और तरीक़े से सहायता लेकर उनको काम चलाने में लाभ होगा या नहीं, यह भी एक प्रश्न है। फिर छोटा किसान छोटी ही रक़म खर्च कर सकता है। उनके लिये छोटे पैमाने पर कोई छोटी मशीन की योजना बनाई जाय तो अधिक अच्छा हो। मैंने इसमें देखा कि उद्योग के अन्तर्गत ग्रांट नं० २८ में जिक्र है कि बनारस के किसी आदमी ने, जिसका नाम इसमें फ़क़ीरचन्द लिखा है, उसने कोई पानी खींचने की चरस जैसी चीज बनाई है। इससे बिना बैलों के पानी खींचा जा सकेगा। पता नहीं यह चीज उद्योग

में क्यों रखी गयी है। यदि यह कृषि में होता तो अधिक अच्छा मालूम होता। इसका संबंध तो कृषि से ही है। यदि यह कृषि में होती तो माननीय कृषि मंत्री इसमें अधिक दिलचस्पी ले सकते थे। ऐसी छोटी छोटी मशीनें ईजाद करानी चाहियें। ये हमारे पूर्वी जिलों में किसानों के लिये बहुत लाभकर सिद्ध होंगी। और यदि छोटे किसानों की तरफ अधिक ध्यान दिया जायगा तो वह अधिक अन्न पैदा कर सकेंगे और इससे उनका भी लाभ होगा। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे पूर्वी छोटे किसानों की दशा सुधारने की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाय।

माननीय श्री चरण सिंह--श्रीमन्, माननीय सदस्य का भाषण मैंने सुना परन्तु मैं यह नहीं समझ सकता कि इसका इस ग्रांट विशेष से क्या संबंध है जो मैंने पेश की है। उन्होंने एक आम बात उठाई और वह यह कि हमारे पूर्वी जिलों में छोटे छोटे किसानों को अधिक से अधिक सहूलियतें हासिल करायी जावें तो अच्छा हो। इस संबंध में दो राय नहीं हो सकतीं। मैं माननीय सदस्य का ध्यान इसी ग्रांट की जो दूसरी मद है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। फ़ूड ऐंड एग्रीकल्चरल आर्गेनीजेशन यूनाइटेड नेशन्स की तरफ से हमने ८ विशेषज्ञ मंगाये हैं इनमें विशेषकर जिनका कि जिक्र दूसरे नम्बर पर है

"A Farm machinery specialist for the purpose of advising and instructing personnel operating in village communities and on individual farms in the operating and maint enance of farm equipments."

(एक क्षेत्र-यान्त्रिक विशेषज्ञ, जो उस कर्मचारीवृन्द को जो ग्रामवासियों में तथा व्यक्तिगत क्षेत्रों में खेती के सामान के प्रयोग एवं संरक्षण में लगा है परामर्श और अनुदेश दे।) तो एक विशेषज्ञ हमने इस काम के लिये बुलाया भी है ताकि वह इस चीज को देख सकें कि छोटे पैमाने पर जो हमारे यहां खेती होती है उसके औजारों में हल वगैरह में कहां तक सुधार और तरक्की हो सकती है। वह यहां आये हुये हैं और विचार कर रहे हैं। जो राय वह हमें देंगे यदि वह हमें फ़ायदे की मालूम हुई तो उस पर अमल करने की कोशिश की जायगी। अब जो पूर्व और पश्चिम के जिलों की बात कही गयी, मुझे इस बात से इन्कार नहीं है कि हमारे पूर्व के किसान अपेक्षातः अधिक ग़रीब हैं। लेकिन बार बार इस बात का जिक्र करना और एक इस तरह का इम्प्रेशन (भावना) पैदा करना कि यह गवर्नमेंट कोई डिस्क्रिमिनेशन (भेद) कर रही है और पूर्व की तरफ ध्यान कम देती है, मुझे यह बात तसलीम नहीं है। ऐसी हर्गिज बात नहीं है। यह बात ठीक है कि अंग्रेजों के जमाने में कई कारणों से पश्चिम की तरफ नहरें ज्यादा बनीं और पश्चिम के किसान सिंचाई की सुविधा के कारण पूर्व के किसानों की अपेक्षाकृत ज्यादा मालदार हैं। लेकिन यह कहना कि यह गवर्नमेंट पूर्व की तरफ उतना ध्यान नहीं देती जितना ध्यान देना चाहिये, यह बात सही नहीं है। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री ने सामान्य बहस के जवाब में फ़रमाया था, कई योजनायें इस तरह की हैं, जिनसे हमारे पूर्व के किसानों को फायदा होगा, इस गवर्नमेंट के विचारधीन भी हैं और जेरे अमल भी हैं। इन शब्दों के साथ में उम्मीद करता हूं कि यह सदन इस मांग को स्वीकार करेगा।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१--लेखा शीर्षक ४०–कृषि के अन्तर्गत ७,५४,६०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१–५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २२–लेखा शीर्षक ४०–कृषि (कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन)

माननीय श्री चरण सिंह--गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२–लेखा शीर्षक ४०--कृषि (कृषि इजीनियरिंग और उपनिवेशन) के अन्तर्गत ८,४१,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१–५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

[माननीय श्री चरण सिंह]

किन मदों के लिये कितने रुपये की जरूरत है इसका ब्यौरा इस स्मृति-पत्र में दिया हुआ है। इसलिये मैं जरूरी नहीं समझता कि उनका यहां बखान करके भवन का समय नष्ट करूं।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२--लेखा शीर्षक ४०--कृषि (कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन) के अन्तर्गत ८,४१,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २४--लेखा शीर्षक ४१--पशु-चिकित्सा

माननीय श्री चरण सिंह---गवर्नर महोदय की सिफ़ारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४--लेखा शीर्षक ४१--पशु--चिकित्सा के अन्तर्गत ६०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री मुहम्मद रज़ा खां---जनाबवाला, मैं आनरेबिल मिनिस्टर की तवज्जह अपने मग़रबी अज़ला के मवेशियों की तरफ़ दिलाना चाहता हूं और ख़सूसन गाय की तरफ़ कि जिनकी नस्लें इस क़दर कमज़ोर हो गयी हैं कि वे डेढ़ पाव और आधा सेर दूध देती हैं। मैंने यह भी देखा कि पूर्व के अज़ला की गायें बहुत अच्छी हैं, जो लखनऊ में नुमायश हुई थी उसमें मैंने देखा था। तो खासतौर से इसकी तरफ तवज्जह करनी चाहिये कि ख़ासतौर से बरेली की गायों की नस्ल अच्छी हो जाय।

माननीय श्री चरण सिंह---जहां तक माननीय सदस्य ने यह बात कही कि हमारे पशुओं की नस्ल बहुत खराब है और उसमें सुधार होना चाहिये, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं और यह बात कि पूर्व की गायें अच्छी होती हैं बनिस्बत पश्चिम की गायों के, इस सिलसिले में मैं कुछ अर्ज करना नहीं चाहता। केवल जो पूर्व जिलों के दोस्त यहां बैठे हुये हैं उनका ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। बाक़ी स्मृति-पत्र में तो साफ़ दिया हुआ है कि गवर्नमेंट आफ़ इंडिया की एक 'की विलेज स्कीम थी, उसको हम यहां कार्यान्वित कर रहे हैं और उसके लिये रुपये की जरूरत है। वह स्कीम यह है कि जिन गांवों में दो हजार के क़रीब गायें मौजूद हों उनमें एक की विलेज सेंटर खोला जाय और ५०० गायों को पिचकारी के जरिये गाभिन किया जाय। इसका नतीजा यह होगा कि गाय की जो नस्ल है वह धीरे-धीरे बेहतर हो जायगी। तो इस तरह से ७६ ब्लाक्स हमको अपने सूबे में कायम करने हैं। उसमें से हमने थोड़े से कायम कर दिये हैं उसी के लिये रुपये की जरूरत है।

यों तो इसमें बहुत खर्च होगा लेकिन जो मुहकमे का बजट मंजूर हो चुका है उसमें जो बचत होगी उसमें से वह खर्च होगा। केवल टोकेन ग्राण्ट के रूप में ६०० रुपयों की अनुपूरक मांग रखी है।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४---लेखा शीर्षक ४१---पशु--चिकित्सा के अन्तर्गत ६०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या २८--लेखा शीर्षक ४३--उद्योग

माननीय श्री हरगोविंद सिंह (उद्योग मंत्री)---श्रीमान्, गवर्नर महोदय की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८--लेखा शीर्षक ४३--उद्योग के अन्तर्गत ८,७०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

इस मांग के अन्दर तीन मदें हैं। एक तो गाजीपुर में जो स्कूल खोला गया है उसमें लड़कों को कोई स्कालरशिप (छात्रवृत्ति) अभी तक नहीं दी जाती थी उसमें स्कालरशिप दी जायगी। दूसरे एक श्री फ़क़ीरचन्द हैं उन्होंने एक मशीन बनाई है जिससे कि बैलों के बिना कुओं से पानी खींचा जा सकता है तो उसकी चार मशीनों को खरीदा गया है और

उसमें कुछ अनुसंधान करके उसको और सहल बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। तीसरी मद यह है कि रुड़की में जबलपुर से कुछ टीक उड (लकड़ी) खरीदी गयी थी। उसकी निस्बत उसमें कुछ कमी थी। इस वजह से पूरा रुपया नहीं दिया जा सकता था। इस पर फर्म ने जबलपुर में दावा किया, लेकिन वह आपस में गवर्नमेंट ने सुलह कर लिया। उसमें रुपया देने की जरूरत पड़ी। तो इस प्रकार से यह ८,७०० रुपये की मांग आपके संमुख है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात की तरफ़ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो सहायक अनुदान रखी गयी है "उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये" उसमें जो पानी खींचने की मशीन का जिक्र किया गया है तो मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि उद्योग के और काम जैसे धीमी धीमी रफ्तार से चलते हैं और उद्योग की तरफ़ जो कामों में निर्जीवपन सा है वैसा ही इस यंत्र के संबंध में भी उद्योग विभाग में दिखाई देता है। जरूरत इस बात की है कि उसकी ज़रा जल्दी से जांच कराके और अगर मशीन ठीक काम की हो तो कृषि के काम के लिये इस पर ध्यान दिया जाय और किसानों में प्रचलित किया जाय और इसकी रफ्तार ज्यादा तेज होनी चाहिये। कवल इतना ही निवेदन करना है।

श्री मुहम्मद रज़ा खां--जनाबवाला, यह बड़ी खुशी की बात है कि ऐसी मशीन ईजाद हुई कि जिससे कूवें से पानी काश्तकार बिला बैलों के ले सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट ने जो ४ मशीनें खरीदी हैं उस सिलसिले में पच्छिम के अज़ला का भी कुछ खयाल रखा जायगा। जनता को इस वक्त ऐसी मशीनों की जरूरत है।

मैं समझता हूं कि इसके अलावा और तरफ भी तवज्जह करने की जरूरत है। मेरे जिले में ईख बहुत ज्यादा होती है और बैलों के जरिये से पेरी जाती है। तो पहले मैंने देखा कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंण्ट ने एक छोटी सी मशीन काश्तकारों के लिये शक्कर निकालने के लिये बनाई थी। पहले उसकी क़ीमत शायद ७० रुपये थी, उसके बाद वह ढाई सौ हो गयी, अब शायद और बढ़ गई हो। मैं उन काश्तकारों के लिये जहां बैलें होती हैं गवर्नमेंट की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। काश्तकारों को ऐसी मशीनें मुहइया करनी चाहियें कि जिनसे वह अपनी राब बना कर शकर हासिल कर सकें। मेरे जिले के अन्दर खासतौर से ईख बहुत ज्यादा है और इस वक्त काश्तकारों को बड़ी तक़लीफ़ हो रही है, क्योंकि फ़ैक्टरीज गन्ना ले नहीं रही हैं और बैलों पर दाम कम लग रहे हैं। काश्तकार मुसीबत में मुब्तला हैं। तो गवर्नमेंट काबिले शुक्रिया काम करेगी अगर वह ऐसी मशीनें ईजाद करेगी मैं इस मतालबे की ताईद करता हूं, मुखालिफत नहीं।

माननीय श्री हरगोविन्द सिंह--जिस मशीन का जिक्र किया गया है, जैसा मैंने पहले बताया कि एक फ़कीरचन्द साहब जो बनारस के रहने वाले हैं उन्होंने उसे ईजाद किया है। ऐसा समझा जाता है कि अगर और कुछ अनुसंधान इस मशीन में किया जायगा तो यह मशीन और सहल तरीके से चल सकती है। इस मशीन का जो प्रदर्शन किया गया उसमें देखा गया कि एक १२ वर्ष का लड़का या काफ़ी बुड्ढा आदमी इस मशीन को बिला मेहनत के चला सकता है और इतना पानी निकाल सकता है जितना कि करीब चार चरसों से निकलता है। तो इसमें यह प्रयत्न किया जा रहा है कि जल्द से जल्द यह मशीन परफ़ेक्ट (पूर्ण) करके बाजार में भेजी जाय और ऐसा इन्तजाम किया जाय कि वह काश्तकारों को मिलने लग जाय। तो मैं अपने मित्र मौर्य जी को यह विश्वास दिलाता हूं कि जितनी जल्दी भी हो सकेगा ऐसा प्रयत्न किया जायगा। जहां तक रज़ा साहब ने कहा है वह भी एक अनुसंधान की बात है। ऐसे लोग अपने कार्यों में लगे हुए हैं और अगर किसी ने ऐसी मशीन का आविष्कार किया तो सरकार की तरफ से इतना ही कहा जा सकता है कि इस बात का अधिक से अधिक प्रयत्न किया जायगा कि ऐसी मशीनों को बना कर जल्द से जल्द बाजार में रखकर काश्तकारों को दस्तयाब बनाने की कोशिश की जाय।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२-लेखा शीर्षक ४३-उद्योग के अन्तर्गत ८,७०० रूपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २९-लेखा शीर्षक ४७-विविध विभाग (श्रम और संख्या)

माननीय श्री सैयद अली जहीर (न्याय मंत्री)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से में यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९-लेखा शीर्षक ४७-विविध विभाग (श्रम और संख्या) के अन्तर्गत १,२१,४०० रूपयों की अनुपूरक मांग स्वीकार की जाय।

यह जो पहला वाल्यूम (खंड) है इसके सफा ४५ के ऊपर तफसीलात दर्ज हैं। उससे यह मालूम होगा कि जहां तक कि दो मदों का ताल्लुक है वे सिर्फ एक टोकन ग्रांट हैं। इनमें सौ सौ रूपयों की मांग की गई है। उस पर मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है।

एक रकम है १,२०,९०० रुपयों की, जो कि नेशनल रजिस्टर आफ सिटीजेंस (नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर) के सिलसिले में सप्लीमेंटरी ग्रांट के जरिये से मांगी जा रही है। इसके मुताल्लिक मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ५ लाख इस कार्य के लिये मंजूर हो चुका है। लेकिन वह सब रूपया खर्च नहीं हो सका और लैप्स (समाप्त) हो गया। इसलिये इसकी जरूरत हुई कि रूपये की मांग फिर पेश की जाय। कुल रकम जिसकी मांग की गई है वह १ लाख ५८ हजार १ सौ की है, लेकिन इस में कुछ रकम यानी ३७ हाजार २ सौ रुपये की मौजूद है इसलिये एक लाख बीस हजार नौ सौ रूपये की रकम मांगी जा रही है।

मुझे उम्मीद है कि यह ग्रांट स्वीकार की जायगी।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९--लेखा शीर्षक ४७--विविध विभाग (श्रम और संख्या) के अन्तर्गत १,२१,४०० रूपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३०-लेखा शीर्षक ४७-विविध विभाग (वाहन विभाग)

माननीय श्री हुकुम सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०--लेखा शीर्षक ४७--विविध विभाग (वाहन विभाग) के अन्तर्गत ४,६२,००० रूपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

इसमें केवल दो मदें हैं। दो लाख स्टाफ के एनुअल इन्क्रीमेंट्स (वार्षिक वृद्धि) के लिये है और कन्टीजेंसी में ६ लाख ६२ हजार की कमी है। लेकिन डेप्रीसियेशन फंड से चार लाख की बचत है। वह उससे पूरी हो जायेगी। इस तरह से ४ लाख ६२ हजार रूपये की जरूरत है।

आशा है कि सदन इस को स्वीकार करेगा।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०--लेखा शीर्षक ४७--विविध विभाग (वाहन विभाग) के अन्तर्गत ४,६२,००० रूपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३१-लेखा शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य (निर्माण कार्यों पर लागत)

श्री लताफ़त हुसैन--जनाबवाला, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य (निर्माण कार्यों पर लागत) के अन्तर्गत ५,९९,६०० रूपयों की अनुपूरक मांग स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१ लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य (निर्माण कार्यों पर लागत) के अन्तर्गत ५,९९,६०० रूपयों की अनुपूरक मांग १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३४-लेखा शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण-कार्य

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--श्रीमान जी, गवर्नर महोदय की सिफारिश से में प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३४--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत १,०७,००० रूपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

इस रकम का व्योरा स्मरणपत्र में दिया हुआ है। उसमें से एक लाख रूपये तो बनारस के आनन्दमयी घाट के लिये हैं और ७ हजार रूपये म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के लिये तहबाजारी और प्रोजेक्शन फीस के लिये हैं। इसमें जो कमी रह गई थी वह पूरी की गई है। एक लाख रूपये आनन्दमयी घाट के लिये हैं। तखमीना ४ लाख रूपये का है, जिनमें से दो लाख रूपये सरकार देगी और दो लाख रूपये जनता में से एकत्रित होगा। एक लाख रूपये के वायदे हो चुके हैं और ५० हजार रूपये जमा हो चुके हैं। इस साल सरकार को एक लाख खर्च करने की आवश्यकता है। घाट की मरम्मत बनारस को सुरक्षित रखने के लिये भी आवश्यक है और मरम्मत बरसात से पहले होनी आवश्यक है। इसलिये यह मांग रखी गई है। मुझे आशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत १,०७,००० रूपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३५-लेखा शीर्षक ५४-दुर्भिक्ष सहायता

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५--लेखा शीर्षक ५४--दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत ६,५०,००० रूपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

इस बारे में जब मैंने पहले यहां भाषण दिया था उस समय में काफी बातें कह चुका हूं। लिहाजा अब अधिक समय लेना गैर जरूरी है।

श्री रामजी सहाय--उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुदान आवश्यक तो बहुत ही है, लेकिन इसका जो प्रयोग हुआ है वह बहुत ही सीमित क्षेत्र में हुआ है। केवल चार जगहों के लिये यह रखा गया है। मैं आपका ध्यान उसी अकाल क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां कि सूखा पड़ा है वह जगह है देवरिया। यहां पर १३ मिलें हैं। वैसे वह हमेशा डिफीसिट (कमी वाले) एरिया रहा है। लेकिन आजकल तो वहां की अवस्था बड़ी भयंकर हो गई है। वहां के लिये यह चीज नहीं की गई है। बल्कि इसके अलावा सूखा क्षेत्रों में जो लगान और मालगुजारी वगैरह में छूट हुई है उससे भी यह जिला वंचित रहा है। आज वहां की प्रजा त्राहि-त्राहि कर रही है और वहां की जिला कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया है और सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और मुझे पूर्ण आशा है कि वह सरकार के पास पहुंचा होगा। मेरा केवल अनुरोध यह है कि इसको भी दुर्भिक्ष क्षेत्र करार दिया जाय। वहां जो असमय वर्षा हुई है उससे रबी की फसल को भारी क्षति हुई है और अकाल जैसी अवस्था पैदा हो गई है। हमारी जिला कांग्रेस कमेटी ने इसको अकाल क्षेत्र घोषित करने की सरकार से प्रार्थना की है और मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में बड़ी उदारता के साथ कृपा कर के विचार करेंगे और इसकी सहायता करेंगे।

श्री रामकुमार शास्त्री--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भिक्ष सहायता का प्रश्न जब इस सदन के समक्ष आता है तो सहसा मुझे भी अपने जिले की जो करुणाजनक स्थिति है वह याद आ जाती है। इन दो-तीन महीनों में प्रांत के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे सदस्य-गण अपने चुनाव कार्य में लगे हुये थे और भरसक उन्होंने अपनी अपनी सफलता के लिये प्रयत्न भी किया होगा। लेकिन इस सूबे में एकाध ही ऐसे क्षेत्र होंगे जहां ज्यादातर वक्त इस दुर्भिक्ष के सिलसिले में चुनाव के समय में भी लोगों को लगाना पड़ा है। वस्ती जिले का जिक्र इस अनुदान में आया है और ४५ हजार रुपये टेस्ट वर्क्स में रखे गये हैं। बांसी और डुमरियागंज दो तहसीलें उस जिले में हैं और वहां की आबादी दोनों तहसीलों को मिलाकर करीब १० लाख की है। उक्त दोनों तहसीलों का जो उत्तरी भाग है वहां एक फसल होती है। वह अगहनी की फसल है जो कि करीब तीन सालों से रद्द होती आ रही है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैसी परिस्थिति जनप्रिय सरकार की है उसके हिसाब से वह अन्न द्वारा लोगों की मदद करती रही है। किन्तु जिस अनुपात में वहां के दुखित लोगों की मांग थी दुर्भाग्य से उसकी पूर्ति नहीं हुई है। एस्चुरिटि प्राविजन शाप्स (दूकानें) जो खोली गईं उनमें बजरी भेजी जाती रही है। इस बात का उलाहना देना कि हमको बजरी व इसी ढंग का मोटा अन्न मिले हमारे लिये उचित न होगा। जो कुछ भी सरकार के अन्न स्टोरों में अन्न उपलब्ध रहा उससे हमको सहायता मिलती रही। उसके लिये हम अनुगृहीत हैं। पिछले वर्षों में उक्त क्षेत्रों से काफी चावल बाहर जाता रहा है। लेकिन अब वहां के लोग जो लाखों मन चावल दूसरे स्थानों को भेजते रहे हैं वह उन्हें खुद नहीं मिलता है। ऐसे भी मौके आये हैं बांसी तहसील में खास तौर से जब लोगों ने आलू के पौध के डंठल खा कर कमल के नीचे की जड़ खा-खाकर वक्त गुजारा है और अब तो उन तालाबों में पानी भी नहीं है, मिट्टी के ढेर दिखलाई पड़ते हैं। शकरकंद खा खा कर उन्होंने अपने वक्त को काटा है। ऐसे भी बहुत से मजदूर पेशा लोग हैं जिन्होंने ईख चूस चूस कर अपने वक्त को व्यतीत किया। इस सदन के समक्ष मैं इस वास्ते उन बातों को लाना नहीं चाहता कि कोई प्रचार हो, बल्कि वहां की जो वास्तविक स्थिति है उसका दिग्दर्शन कराना चाहता हूं। इसका जिक्र मैं समय समय पर मुख्य मंत्री जी की सेवा में करता भी रहा हूं और सौभाग्य है कि हमें उनसे आश्वासन भी मिलता रहा है कि सरकार ऐसा मौका कतई नहीं आने देगी कि बस्ती के लोग भूखे रहें। अगर सरकार और जनता के बीच में कोई कड़ी रही है तो हम साधारण सदस्यगण ही हैं। यदि वहां के शासन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है और उसको हम माननीय सदस्यों और माननीय मुख्य मन्त्री के समक्ष नहीं ले आते हैं तो हम अपने फर्ज की अदायगी पूरी तरह से नहीं करते हैं। चुनाव के सिलसिले में भी जब हम वहां गये तो हमारा सबसे बड़ा जिला तबाही में मिला। यह हमारे लिये कहना उचित न होगा कि बस्ती के अफसरान का वक्त आराम से गुजरता रहा। उनका वक्त मानना पड़ेगा मुनासिब कामों में लगता रहा। लेकिन कितने ही आवश्यक से आवश्यक काम के सामने भूख तो भूख ही रहती है। वह अपनी आर्तनाद को ऐसे स्थान तक अवश्य पहुंचाती है जहां से उसको कोई आशा भूख प्यास बुझाने को मिलती है। बांसी तहसील में एस्चुरिटि प्राविजन की दूकानें खुलीं, डुमरियागंज में भी खोली गईं लेकिन बांसी में बहुत कम दूकानें खोली गईं थीं, एस्चुरिटि प्राविजन की दूकानों के लिये कुछ कायदे-कानून हैं। उसके लिये कम से कम ३ हजार रुपये जमा करने चाहिये। विचार करने की बात है कि जहां के रहने वाले शकरकंद, भसीड़, शरकी और तमाम अन्य जंगली चीजें खा खा कर वक्त गुजारते हों वह कैसे इस बात की पाबन्दी पूरी कर पायेंगे कि ३-४ हजार रुपया जमा कर सकें।

मैंने मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना की थी कि वहां टेस्ट वर्क के कायदे कानूनों में अगर थोड़ी ढिलाई कर दी जाय तो सुविधा होगी। आजकल आर्थिक संकट तो है ही। टेस्ट वर्क में केवल १० आने मजदूरों को प्रतिदिन मिलते हैं। उससे अकेले उनका पेट भी नहीं भर सकता।

खाद्य मंत्री जी ने राज्यपाल के संबोधन के सिलसिले में कहा था कि ४५ हजार रुपया टेस्ट वर्क के लिये बस्ती के हिस्से में रखा गया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि

उनको पता भी है कि ४५ हजार में से कै हजार खर्च हुआ है। मुश्किल से २० हजार रुपया खर्च हुआ होगा। ४५ हजार रुपया जो खर्च होने को है नहीं के बराबर है। पड़ोस ही में, जिला बहराइच के लिये मैं देखता हूं कि १ लाख रुपया खर्च करने को दिया गया। किस हिसाब-किताब से एक जगह १ लाख ५५ हजार रुपया रखा जाता है और एक जगह ४५ हजार। यदि कोई व्योरा दिया होता तो मैं समझता कि बहराइच की सब तहसीलों में अकाल है और बस्ती में कुछ तहसीलों में है। जाहिर है कि फुटकर ढंग से १,५५,००० और ४५ हजार रुपया रख दिये गये हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि यह दोनों तहसीलें डुमरियागंज और बांसी में अन्न की स्थिति बहुत ही खराब है और जो दूकानें खोली गई हैं वे बहुत ही कम तादाद में हैं।

सरकारी अहलकार जो हैं उनकी मैं शिकायत तो नहीं करता शायद उनके सामने कोई रुकावट हो। लेकिन जिस तरह एस्चुरिटि प्राविजन शाप्स (दूकानों) का काम चलना चाहिये वह नहीं चल पा रहा है। ४५-४६ रुपये दे कर ट्रक पर सामान खानगी ढंग से आ सकता है। लेकिन वहां कुछ कांट्रेक्टर्स हैं उनको डबल चार्जेज देने पड़ते हैं। जब इस तरह चार्जेज पड़ जाते हैं तो दूकानदारों को कुछ मुनाफा ही नहीं होता। कुछ लोग अपवाद में ऐसे भी आते हैं जिनको वास्तव में तो सेवा करना चाहिये लेकिन ऐसा करने के बजाय वे बहक जाते हैं। इसके साथ साथ दूकानदारों को खजाने में जब रुपया जमा करना होता है तो गलत तरीके से पैसा देना पड़ता है। सप्लाई विभाग में क्लर्कों को भी सेवा करनी पड़ती है। एहतियात बरते जाने पर भी अन्न वहां समय से नहीं पहुंच पाता। एक तरफ तो मुनाफा खत्म, फिर भी हेडक्वार्टर पर कभी कभी उन दूकानदारों को चार-चार, और पांच-पांच रोज ठहरे रहना पड़ता है। इससे खर्च बढ़ जाता है। बांसी का उत्तरी भाग चावल पैदा होने वाला क्षेत्र है। हालांकि गवर्नमेंट की पालिसी (नीति) है कि ऐसी जगहों पर चावल भेजा जायगा। लेकिन जब सरकार ने यही मुनासिब समझा कि जहां की खास गिज़ा चावल है वहां बजड़ी भेजी जाती है जिसको जानवर भी खाने से हिचकते हैं तो विवशता ही समझना चाहिये। मगर अन्न के अभाव में लोग खुशी से खाते हैं। ऐसा करने के लिये मजबूर हैं। ऐसी दशा में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि अगर हो सके तो चना-गेहूं भी भेज दिया जाया करे, चाहे थोड़ी ही मात्रा में क्यों न हो। उक्त दोनों तहसीलों में जो लोग मजदूर पेशा हैं उनको बहुत ही परेशानी है। जब खेत में कुछ पैदा हुआ ही नहीं तब जो मध्यम वर्ग के छोटे छोटे जमींदार हैं वे दिल मसोस कर रह जाते हैं कि किस तरह से अपनी जिन्दगी बितावें। कोई कारोबार भी नहीं है न कोई उद्योग धंधा ही है, जिसमें मजदूर काम कर सकें। उसके ऊपर मालगुजारी और लगान की अदायगी का सवाल आता है। जब वह क्षेत्र दुर्भिक्षग्रस्त है, वहां खाने-पीने और रोटी के लाले हैं तो लगान और मालगुजारी कैसे अदा हो सकती है। मैं यह नहीं कहता कि सरकार के खजाने में मालगुजारी न आये। अगर सुचारु रूप से शासन चलाना है तो मालगुजारी की अदायगी पहले होनी चाहिये, लेकिन जब हम बजट में एक शीर्षक देते हैं कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट दुर्भिक्षग्रस्त है, वह अकाल पीड़ित एरिया है तो बड़े बड़े जमींदार, ताल्लुकदार, राजा महाराजा, हो सकता है कि वह अपनी पुरानी स्थिति की वजह से किसी ढंग से मालगुजारी को अदा कर सकें। परन्तु छोटे जमींदार बड़े संकट में पड़े हुये हैं।

छोटे छोटे जमींदार वर्ग की सूरत यह हो रही है कि उनके बैल मवेशीखाने में डाल दिये जाते हैं ७-७,८-८ रोज वहां रहते हैं। उसका भार भी उनके ऊपर पड़ जाता है। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि मालगुजारी की वसूली न की जाय बल्कि जो लोग अपनी मजबूरी की वजह से अपनी मालगुजारी नहीं दे पाते हैं उनको इस प्रकार परेशान न किया जाय। जैसा जिक्र है कि सरकार और जनता के बीच में हम लोग ही एक अङ्ग हैं। इस लिये सरकार को हमारी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और वास्तविक परिस्थिति को सरकार के सामने रख देना हमारा फर्ज भी है। इसलिये मैं सरकार से नम्रतापूर्वक यह निवेदन करता हूं कि टेस्ट वर्क के जो काम चलाये जा रहे हैं वे तेजी के साथ चलाये जायं। सड़कों पर मिट्टी डाली जा रही है जो बरसात में फिर बह जायेगी और रुपया भी बर्बाद हो जायेगा।

[श्री राम कुमार शास्त्री]

इस लिये सरकार को ऐसा काम कराना चाहिये जिससे लोगों का भला हो, और वह काम भी कुछ दिनों तक के लिये कायम रहे।

अस्तु इन थोड़े से शब्दों के कहने से मेरी तो यही मन्शा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी बस्ती की तरफ ध्यान दें। अनुदान में लिखा हुआ है कि बस्ती डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब भी सम्भवतः सिफारिश करें कि रुपया बढ़ाया जावे। जब वहां की हालत इतनी दयनीय है तो सिफारिश करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं समझता हूं कि इतनी दौड़-धूप में जो अफसरों पर रुपया बर्बाद किया जाता है उससे लोगों की मदद की जाय तो दो-एक परिवार का भला हो सकता है, उनका पालन-पोषण हो सकता है। स्पष्ट रूप से बस्ती की स्थिति आपके सामने है। इस लिये आप से बार बार मेरी यही प्रार्थना है कि वहां की आर्थिक दशा को सुधारने के लिये सरकार जहां तक हो सके प्रयत्न करे जिससे गरीब जनता दुर्भिक्ष के प्रकोप से बच सके।

श्री नवाजिश अली खां--उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के ऊपर मैं चाहता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी की तवज्जुह मुनकिद करूं। जिला बहराइच के माननीय सदस्य भगवानदीन मिश्र जी ने हालांकि वहां की बहुत सी बातों को मुख्यमंत्री जी के सामने रख दिया है और उसका जवाब भी माननीय मुख्य मंत्री ने बहुत तसल्लीबख्श दिया है फिर भी मैं सिर्फ एक-दो बातें और उनकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। आपने वहां १०-१० आना और ४-४ आना दो रेट रखे हैं अगर उसके बजाय आप एक ही फ्लेट रेट रख दें तो बेहतर होगा।

दूसरी बात यह कि जो सड़कें बनाई जा रही हैं उनसे कोई फायदा नहीं है। नैपाली इलाका वहां पास ही में लगा हुआ है। रोजमर्रा वहां पर चोरियां होती हैं। फिर मुसलसल तीन साल हो गये पत्थर से फसल खराब हो रही है। ५ लाख रुपये से ज्यादा इन कामों पर खर्च होना चाहिये। अब १ लाख ५५ हजार का जो अनुदान है वह इसके लिये बिलकुल नाकाफी है। मेरा ख्याल है कि जितना रुपया पहिले खर्च हुआ है उसका तीन गुना रुपया और खर्च किया जाना चाहिये और उन मदों में खर्च किया जाना चाहिये जो उनके लिये मुफीद साबित हों। मस्लन वहां तालाब हैं जो १५--१५, २०--२० फीट नीचे थे जिनकी गहराई अगर आज नापी जाय तो १--१, २--२फुट ही रह गई है। उनको ठीक करा दिया जाय तो बेहतर होगा। मैंने इस चीज के बारे में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से भी कहा था कि इन सड़कों के बजाय तालाबों को बना दिया जाय, जिससे उनमें बरसात के जमाने में पानी भर जाय और उसके बाद में उन्हें फायदा हो सके और वे लोग उनका इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने कहा कि हमें फेमिन कोड इसकी इजाजत नहीं देता।

जिस जगह का मैं जिक्र कर रहा हूं उसका आप मुलाहिजा करें कि पहले दिन एलान किया गया कि फेमिन की मदद के लिये सड़क बनेगी तो साढ़े सात हजार आदमी आये, दूसरे दिन ९ हजार आदमी आये और तीसरे दिन १२ हजार आदमी आये। अब इंजीनियर ने, जो फेमिन के इन्चार्ज थे, कहा कि १० हजार से ज्यादा हम फेमिन कोड के मुताबिक नहीं रख सकते हैं लिहाजा आप लोग रुके रहिये। तो जो मजदूर थे उनको सात-सात, आठ-आठ दिन और नौ-नौ दिन बाद मजदूरी मिली और जो लोग दस-दस कोस चल कर आये थे वे फाका करने लगे और जो कुछ अपने साथ लाये थे उसको लेकर भाग गये। ऐसी सूरत में मैं गवर्नमेंट की खिदमत में यह अर्ज करूंगा कि बेहतर यह है कि आप उन सड़कों को बनाने के बजाय फेमिन कोड में तरमीम कर दें और इस तरह से उन तालाबों को बनवाया जाय तो उससे ज्यादा फायदा होगा। तालाबों से मिट्टी निकलवा कर उन सड़कों पर अगर उसे डलवाया जाय तो यह चीज ज्यादा बेहतर होगी। वहां के लोग वाकई में फाका कर रहे हैं। पहनने के लिये कपड़े नहीं हैं। वहां के लोग जंगल के अन्दर जाकर घास खा रहे हैं। यह ऐक्चुअल (वास्तविक) चीज है जो मैं कह रहा हूं। दूसरी चीज इस सिलसिले में मुझे यह अर्ज करनी है कि तीन वर्ष से यह हालत हो रही है। जब तक गवर्नमेंट खुद पक्के इरादे से इसको टैकल नहीं करेगी (हाथों में नहीं लेगी) तब तक यह हालत नहीं सुधर सकती है। उसके लिये बेहतर तरीका यह है कि फेमिन

तो रोजमर्रा आता रहेगा, पत्थर आता रहेगा, अभी परसों-नरसों ही पत्थर आया था, सूखा आता रहेगा, वहां ट्यूबवेल का सिस्टम जारी कर दिया जाय। हमारे यहां जितनी सड़कें हैं कोई भी ऐसी नहीं है जो अच्छी हालत में हों।

(इस समय ४ बजकर १० मिनट पर माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

बदकिस्मती से हमारे जिले में कोई पक्की सड़क नहीं है सिवाय गोंडा बहराइच सड़क के। वहां पर आबपाशी के लिये पानी का किसी किस्म का इन्तजाम नहीं है। न नल का इन्तजाम है, न ट्यूबवेल का इन्तजाम है। इसलिये मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि वह आइन्दा के प्रोग्राम में इस चीज को रख ले कि गांजर का इलाका जहां की हालत बहुत ही खराब है और जो बहुत हाट (गरम) है वहां पर ट्यूबवेल सिस्टम जारी हो जाय। मैं समझता हूं कि यह डिस्ट्रिक्ट ऐसा एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट है कि वह अवध के पूरे पापुलेशन के लिये काफी हो सकता है। इन अल्फाज के साथ मैं गवर्नमेंट से इल्तमास करूंगा कि इन सड़कों के साथ ही तालाबों की रकम को भी बढ़ाया जाय और वहां पर ट्यूबवेल व नहरों का भी ख्याल रखा जाय।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---मैंने इस कहतसाली और फसल नुकसान होने की वजह से जो पूर्वी जिलों के कुछ हिस्सों में रहने वालों को तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं उसके बारे मेंने अपनी पहली तकरीर में कुछ कहा था। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तिफाक करता हूं कि जहां इस किस्म की कोई तकलीफें हों उन्हें हर तरह से दूर करने का काम होना चाहिये और इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिये। इस तरह की हिदायतें हमारी तरफ से जिलों में दी भी गई हैं। इस तरह की हिदायतें फूड डिपार्टमेंट की तरफ से गई हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से भी गई हैं। लाखों रुपये तकावी भी दी गई है। टेस्ट वर्क भी खोले गये हैं, आस्टरिटी प्राविजनिंग स्कीम (मित्ताहार अन्न योजना) के मातहत लाखों मन गल्ला दिया गया है। कुछ थोड़ी रकम के लिये ग्रैट्यूटस रिलीफ (मुफ्त सहायता) के मातहत जो कि बिल्कुल काम नहीं कर सकते उनको भी कुछ मदद दी जा रही है।

मैं यह चाहता हूं कि हर तरह से जो उनकी तकलीफें हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाय। देवरिया, बस्ती और बहराइच के बारे में इस वक्त खासतौर पर कहा गया है। बहराइच के बारे में मैंने सवेरे भी कुछ कहा था कि जो रकम इसके अन्दर उसके लिये रखी गई है उससे अगर काम नहीं चले तो ज्यादा रुपया वहां पर खर्च किया जाय। सिर्फ इसी रकम के अन्दर हम अपने को महदूद नहीं कर सकते। अगर कोई कायदे कानून भी इसके लिये हमको बदलना पड़ें तो उनको बदलना चाहिये। महज किसी कायदे कानून की वजह से हम किसी की तकलीफ़ को दूर न कर सकें और हम आगे न बढ़ें यह नहीं होना चाहिये। हमारे रास्ते में जो भी इस तरह की चीजें आवें उनको हमको बदलना चाहिये और दूसरे कायदे बनाने चाहियें। उनकी वजह से लोगों की तकलीफ़ें बढ़ें यह गुंजाइश किसी तरह से नहीं छोड़ना चाहिये। सिर्फ देखने की बात यह है कि आया जो जरिये हैं उनको अमल करने का जो तरीक़ा है उससे वह कारामद होते हैं या नहीं और उनसे फायदा होगा या नहीं। बहुत से वाटर लौग्ड एरिया हैं वहां से पानी को निकाल कर कोई नाला या नहर बनाई जा सके तो उस पानी का भी इस्तेमाल हो सकता है और जमीन में खेती भी हो सकती है और उनमें टेस्ट वर्क करने की बात भी अच्छी है। इससे फसल भी हो सकती है और हमारी पैदावार भी बढ़ सकती है और वह पानी जो बेकार पड़ा हुआ है वह फसलों को सुधारने के काम में आ सकता है। इस तरीके से और भी बातें की जा सकती हैं। अगर हम नहर निकालें या गूल बनावें या कोई टेस्ट वर्क खोलें तो उनके लिये हमको सोचना चाहिये। यह हो सकता है कि महज सड़कों पर मिट्टी फेंकना ज्यादा फायदामन्द न हो। बहुत जगहों पर जो दूसरे बेहतर काम हों उनको करना चाहिये।

जहां तक बस्ती का ताल्लुक है रामकुमार जी ने बराबर मुझे लिखा है और जो उनकी तजवीज है उसके मुताबिक काम करने की कोशिश की गई है फिर भी मुझे जरूरत मालूम

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

हुई और देखभाल करने की जरूरत समझी गई तो फूड डिपार्टमेंट के एक अफसर को वहां पर भेजा जायगा। अब वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बुलाया है ताकि अगर कोई किसी तरहकी कोताही हो तो उसको दूर किया जा सके। देवरिया के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बात हुई उनसे भी पूछा कि क्या करना चाहिये ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो उसको दूर किया जा सके। जहां पर इन्सान की जिन्दगी का सवाल आता हो वहां पर पैसे को खर्च करने का सवाल कोई चीज नहीं है। यह बात जरूर है कि हमारे पास पैसा महदूद है लेकिन जहां पर जिन्दगी बचाने का सवाल है वहां पर चाहे हम किसी ढंग से पैसे लाएं उस काम में किसी तरह से कोताही करना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से भी ठीक हो सके उस तरह से उस काम को करना चाहते हैं। इन तीन जिलों के बारे में और बातें भी दरियाफ्त करने की कोशिश की जायेगी। जो साहबान वहां के रहने वाले हैं अगर वे बतलायेंगे तो मैं उनका मश्कूर हूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी तकलीफ जिसको हम दूर कर सकते हैं उसकी वजह से कोई इन्सान परेशान होता है और उसको तकलीफ बरदाश्त करनी पड़ती है तो उसको दूर करना हमारा फ़र्ज है। अगर जो हम कर सकते हैं उसमें किसी तरह से कोताही हो तो यह बात नहीं होनी चाहिये। इस लिये जो खर्चा इसमें दिया गया है उसमें तकावी का जिकर नहीं है मगर वह खर्चा उसमें किया जायगा। अगर यह खर्चा नाकाफी है तो हम और रुपया खर्च करेंगे और जो भी हम कर सकते हैं उसको करेंगे। उन जिलों के जो सदस्य हैं उनकी हम मदद चाहते हैं ताकि अगर कहीं पर कमी हो तो वह हमको बतलायें।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५--लेखा शीर्षक ५४--दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत ६,५०,००० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३७--लेखा शीर्षक ५५--बुढ़ौती भत्ते और पेन्शनें

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३७--लेखा शीर्षक ५५--बुढ़ौती भत्ते और पेंशनों के अन्तर्गत २,०५,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

इसका भी व्योरा दिया हुआ है और इसके बारे में भी और कुछ कहना नहीं है।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७--लेखा शीर्षक ५५--बुढ़ौती भत्ते और पेंशनों के अन्तर्गत २,०५,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३८--लेखा शीर्षक ५६--लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि, सरकारी छापाखाना

माननीय श्री हरगोविन्द सिंह--महामान्य गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं की अनुदान संख्या ३८--लेखा शीर्षक ५६--लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि, सरकारी छापेखाने के अन्तर्गत ४७,५०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन्१९५१-५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना के कारण जो एक प्रेस या छापाखाना वहां था उसमें काम की बहुतायत हो गई है इस लिये आवश्यक हो गया है कि कुछ नई मशीनें खरीदी जायें

और नैनीताल के छापेखाने की मशीन वहां से रुड़की लाई जाय। यही खर्च इस मांग के अन्तर्गत है। मैं आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८––लेखा शीर्षक ५६––लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि, सरकारी छापेखाने के अन्तर्गत ४७,५०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१–५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३९––लेखा शीर्षक ५७––विविध व्यय

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त––गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९––लेखा शीर्षक ५७––विविध व्यय के अन्तर्गत ६०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१–५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९––लेखा शीर्षक ५७––विविध व्यय के अन्तर्गत ६०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१–५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४०––लेखा शीर्षक ५७––विविध व्यय (अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान)

माननीय श्री गिरधारी लाल––गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४०––लेखा शीर्षक ५७––विविध व्यय (अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के सुधार और उत्थान) के अन्तर्गत ३,९३,१०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१–५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, इसके अन्तर्गत भी मुझे कोई विशेष बात नहीं कहनी है। इसका पूरा विवरण जो बजट साहित्य सामने है उसमें दिया गया है। पिछड़ी हुई जातियों के उत्थान के सम्बन्ध में ही यह खर्च है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य––अध्यक्ष महोदय, केवल एक बात मुझे इस सम्बन्ध में निवेदन करना है। जहां तक मुझे मालूम है हमारी सरकार ने पिछड़ी जातियों की शिक्षा के कार्य के लिये एक सूची स्वीकार की है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने भी पिछड़ी जातियों की एक इसी तरह की सूची बनाई है। मेरे ख्याल में इन दोनों सूचियों में अन्तर है, लेकिन यदि अन्तर न भी हो तो भी मैं निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार इन सूचियों को फिर से देखने का कष्ट करे और अगर संशोधन अपनी तरफ से हो तो वह किया जाय और अगर गवर्नमेंट आफ इंडिया से सिफारिश करने की जरूरत हो तो वह की जाय ताकि जिनको सहायता की जरूरत है जो दबे हैं वह भी उस में शामिल हो जायं।

माननीय श्री गिरधारी लाल––माननीय सदस्य ने ऐसा सवाल उठाया है कि उस पर विचार करके ही मुनासिब जवाब दिया जा सकता है। यहां सिर्फ इतना मैं कह देना चाहता हूं कि हमारी पिछड़ी हुई जातियों की सूची केन्द्रीय सरकार से स्वीकृत है और उसी के अनुसार हम अमल करते हैं। अगर कोई खास पिछड़ी हुई जाति सूची से रह गई है तो उसपर विचार किया जा सकता है और उसकी केन्द्रीय सरकार से मंजूरी लेकर उसके अनुसार अमल कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०––लेखा शीर्षक ५७–विविध व्यय (अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के सुधार और उत्थान) के अन्तर्गत ३,९३,१०० रुपयें की अनुपूरक मांग सन् १९५१–५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४१––लेखा शीर्षक ६३––असाधारण व्यय

माननीय श्री चन्द्र भानु गुप्त––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१–लेखा शीर्षक ६३–असाधारण व्यय के अन्तर्गत ९२,९३,७०० रु० की अनुपूरक मांग सन् १९५१–५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१–लेखा शीर्षक ६३–असाधारण व्यय के अन्तर्गत ९२,९३,७०० रु० की अनुपूरक मांग सन् १९५१–५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४३––लेखा शीर्षक ६८––सिंचाई, नौचालन, बाँध तथा पानी के निकास सम्बन्धी निर्माण कार्यों का सम्पादन

श्री लताफ़त हुसैन––जनाबवाला, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३––लेखा शीर्षक ६८––सिंचाई, नौचालन, बांध तथा पानी के निकास सम्बन्धी निर्माण कार्यों के सम्पादन के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग सन् १९५१–५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३––लेखा शीर्षक ६८––सिंचाई, नौचालन, बांध तथा पानी के निकास सम्बन्धी निर्माण कार्यों के सम्पादन के अन्तर्गत २०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१–५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४६––लेखा शीर्षक ८१–राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी-लेखा

श्री लताफ़त हुसैन––जनाबवाला, मैं गवर्नर महोदय की सिफ़ारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६––लेखा शीर्षक ८१––राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों के पूंजी लेखे के अन्तर्गत १,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१–५२ ई० के लिए स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६––लेखा शीर्षक ८१––राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों के पूंजी लेखे के अन्तर्गत १,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१–५२ ई० के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४८–लेखा शीर्षक ८२–राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण कार्यों का पूंजी-लेखा

माननीय श्री चरण सिंह––अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८––लेखा शीर्षक ८२––राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण कार्यों के पूंजी लेखें के अन्तर्गत ३०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१–५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

यह केवल टोकन ग्रांट है ३०० रुपयें की, बाक़ी रुपये तो लाखों खर्च होंगे लेकिन वह हमारे बजट की बचत से पूरा हो जायगा।

अनुदान संख्या ४८–लेखा शीर्षक ८२–राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८—लेखा शीर्षक ८२—राजस्व लेखे को बाहर राज्य के दूसरे निर्माण कार्यों के पूंजी लेखे के अन्तर्गत ३०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१–५२ ई० के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४९–लेखा शीर्षक ८३–पेन्शनों की संराशि का भुगतान

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९—लेखा शीर्षक ८३—पेंशनों की संराशि के भुगतान के अन्तर्गत १,८६,४०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१–५२ ई० के लिए स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९—लेखा शीर्षक ८३—पेंशनों की संराशि के भुगतान के अन्तर्गत १,८६,४०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१–५२ ई० के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५०—लेखाशीर्षक ८५ क–राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी-लागत

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५०—लेखा शीर्षक ८५क—राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी-लागत के अन्तर्गत ४,९५,४३,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१–५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०—लेखा शीर्षक ८५–क—राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी-लागत के अन्तर्गत ४,९५,४३,००० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१–५२ ई० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५१—लेखा शीर्षक द–राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—गवर्नर महोदय की सिफ़ारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१—लेखा शीर्षक द—राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण के अन्तर्गत २१,००,२०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१–५२ ई० के लिए स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१—लेखा शीर्षक द—राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण के अन्तर्गत २१,००,२०० रुपयों की अनुपूरक मांग सन् १९५१–५२ ई० के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल)

माननीय अध्यक्ष—मैं जानना चाहूंगा कि इन मांगों से सम्बन्धित विनियोग विधेयक, यानी एप्रोप्रियेशन बिल अब ले लिया जाय, अभी कुछ समय है।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी हां।

मैं इजाजत चाहता हूं कि १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) पेश करूं।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सन् १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैं १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) पेश करता हूं।

(कुछ रुक कर)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि १६५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) पर विचार किया जाय।

यह बिल जिसकी मदें अभी हमने अनुपूरक अनुदानों के रूप में पास की हैं उन्हीं के बारे में है और वही तफसील इसमें दी गई है। लिहाजा इसके बारे में कुछ और अधिक कहने की जरूरत नहीं। इस पर विचार किया जाय।

श्रीमती इनाम हबीबुल्ला—जनाबवाला, एप्रोप्रियेशन बिल जो इस वक्त पेश है इस पर कई तक़रीरें हो चुकी हैं इस ज़िम्न में मैं चन्द अल्फाज़ कहना चाहती हूं। हमारे मुख्य मंत्री ने जो तक़रीरें कीं वे निहायत ही उम्मीद अफज़ा थीं और उससे मुझे और भी ज्यादा हिम्मत हुई कि मैं अपने उन ख़यालात को चन्द अल्फाज़ में उन बातों की बाबत जाहिर करूं जिनसे कि इस वक्त लोगों को बहुत ज्यादा तक़लीफ है। आपने फरमाया कि हमारा रुपया ज्यादा सर्फ हो जाय तो कोई हर्ज नहीं लेकिन हमको दूसरों के सुख का ख्याल करना जरूरी है और हम लोग इसमें दरेग नहीं करेंगे। ये बातें उम्मीद अफज़ा हैं।

मैं समझती हूं कि गल्ले और खाने-कपड़े वग़ैरह की जो दुश्वारी हो रही है उसके अलावा सब से ज्यादा आजकल जो तकलीफदेह चीज़ है वह यह है कि देहात के आने-जाने के रास्ते और सड़कें इस क़दर बर्बाद और ख़राब हो रही हैं कि गाड़ी की बात तो अलग रही कोई पैदल भी चलना चाहे तो भी उसको दुश्वारी होती है। मैंने देखा कि सन् ४७ से पेश्तर जब दूसरी गवर्नमेंट कायम थी तब वह देहातों के लोगों से फंड के जरिये से और टैक्सों के जरिये से रुपया वसूल करती थी, मैं भी उस कमेटी में थी, तो लोग जब पूछते थे कि इससे ग़रीबों को फायदा क्या होगा तो उन्होंने कहा था कि हम सब से पहला काम यह करेंगे कि उनके लिये सड़कें बनवायेंगे ताकि उनको आसानी हो। वह गवर्नमेंट तो नहीं रही मगर अपनी गवर्नमेंट के आने पर हमको बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी कि ऐसी चीजों में आसानियां हो जायंगी। लेकिन अब तो यह हालत है कि उन सड़कों पर गाड़ियां ही चलना दुश्वार हो गया है, जिसका मुझे ज़ाती तजुर्बा भी है। एक मर्तबा जब मैं गाड़ी ले गयी तो वहां पर यह हालत थी कि गाड़ी तो दरकिनार पैदल चलना भी दुश्वार था। मैंने पैदल चलने की कोशिश की मगर चल न पाई। मैं समझती हूं कि गवर्नमेंट के लिये यह जरूरी है कि सड़कें अच्छी बनवाये। आपके ट्रांसपोर्ट की भी तरक्की होगी और वहां से चीजें लाने और ले जाने में दुश्वारी न होगी।

दूसरे आज कल जरूरत इस बात की है कि हमारा मुल्क तिजारत में तरक्की कर सके हालांकि वह अभी तक इस काबिल नहीं हो सका कि दूसरों का मुकाबला कर सके। इस मुल्क में इतनी सनअतें हैं, इतनी चीजें हैं कि अगर हम उनको तरक्की दें तो कोई वजह नहीं है कि हम मुकाबला न कर पायें। मैं खुद जानती हूं बाराबंकी का हाल कि वहां के जुलाहे इस कदर उम्दा कपड़ा बुनते हैं कि अगर आप उनको ले जाकर दूसरी जगह दिखाइये तो कोई यकीन नहीं कर सकता कि वह हाथ के बुने हुए हैं। मैंने उसके नमूने सब जगह भेजे थे। वहां पर सैदनपुर, जैदपुर और रामपुर के जुलाहों का कपड़ा जो बुना हुआ होता है वह बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनको वैसा सूत नहीं मिलता है जैसा कि मिलना चाहिये। बारीक के बजाय मोटा सूत दिया जाता है। कई मर्तबा मैंने इस पर तवज्जह दिलाई कि उनको सही तरीक़े का तागा मिलना चाहिये, ताकि वे इस

पर काम कर सकें लेकिन इस वक्त तक उनको कोई चीज ऐसी मुहइया नहीं हो सकी कि वह अपना काम बाकायदा चला सकें। मैं उम्मीद करती हूं कि आइंदा मैं तो यहां नहीं हूंगी लेकिन आप लोग इसका जरूर खयाल रखेंगे और इन चीजों के बढ़ाने में कोशिश करेंगे।

तीसरी एक चीज यह है कि जो मैं एजुकेशन मिनिस्टर साहब से अर्ज करना चाहती हूं कि तालीम का चर्चा तो बहुत है और वाक़या यह है कि तालीम ने इस ज़माने में तरक्क़ी की है, लेकिन औरतों की तालीम पर खासतौर से आपको तवज्जह देने की जरूरत है और यह आपका फर्ज है इसलिए कि आपका मुल्क बहुत अर्से तक पीछे रह चुका है और अब हरगिज इसको पीछे नहीं रहना चाहिए और खास तौर से इसकी बाबत कोशिश करनी चाहिये कि औरतों में तालीम आम हो। इसके अलावा जो एडेड स्कूल हैं उन पर भी खास तौर से तवज्जह कीजिये। उनसे आपके काम में भी आसानी होती है। जो लोग इन स्कूलों को अपनी कोशिशों से चलाते हैं अगर आप उनकी हिम्मत अफ़ज़ाई करेंगे तो इसकी बहुत तरक्की कर सकते हैं। इन तीन चीजों का आप जरूर ख्याल कीजिये। अब मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूं और मुआफी मांगती हूं कि मैंने आपको तक़लीफ़ दी, लेकिन इसके बाद नहीं दूंगी।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--बेगम साहिबा ने तीन बातें कहीं, मुझे इस बात का अफसोस है कि वह आइन्दा हमारे बीच में नहीं होंगी। मगर उनकी मदद हमको मिलती रहेगी, यह मैं उम्मीद करता हूं। जो कुछ भी सलाह-मशविरा हो और जो काम उनसे हो सके, उनमें वे हमें सहयोग देती रहेंगी यह भी मुझे आशा है।

उन्होंने गांव की सड़कों के बारे में कहा। गरीबों को भी सड़कों की जरूरत होती है और अमीरों को भी। दोनों के लिए ही सड़कें जरूरी हैं। लेकिन देखना यह है कि गांव की सड़कें क्या गांव वाले नहीं बना सकते। हम लोगों के यहां पहले अंग्रेजी हुकूमत थी। उसने इस किस्म की एक आबहवा पैदा कर दी थी कि हमारे यहां के लोग खुद अपना काम करने के बारे में कोई फिक्र न करें। मां बाप गवर्नमेंट के पास जायं। वह भी कुछ न करें और वह हाथ-पैर बांधे हुए बेकार रहें, जिससे मुल्क की तरक्की न हो। आज तो लोगों की सरकार है, यहां की जनता की सरकार है। यहां के आम लोगों को यह समझना है कि अब इस मुल्क के बनाने का पूरा अख्तियार, पूरा मजाज उनको है और जो कुछ भी यहां काम करने वाली सरकार है, वह उनके मातहत है उनकी तरफ से काम करती है। आज उनको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिये। अपने पैरों पर खड़े होकर अपना काम करने की उनमें हिम्मत होनी चाहिए। मुझे अफसोस है जब मैं बाज वक्त सुनता हूं कि गांव में सड़क नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे यहां आदमियों की तादाद बहुत काफी है, मेहनत भी कर सकते हैं, करने के आदी भी हैं। फिर गांवों में सड़कें क्यों नहीं होती हैं। इसके लिए उनको यह बात नहीं बतलायी जाती है कि उनको यह काम खुद करना चाहिए। उनका वक्त खाली रहता है। जब उनकी मेहनत बेकार जाती है तो मेहनत को करके उन्हें अपने गांव की हालत को सुधारना चाहिए।

हर गांव में हर मर्द जो कि १८, २० या २१ साल का है वह कम से कम दो दिन महीने में अपने गांव के काम के लिये और आम लोगों की भलाई के लिए दे। अगर सिर्फ इस तरीक़े पर काम किया जाय तो जिस गांव में हजार-दो हजार की भी आबादी है उसमें १५-२० आदमी गांव के काम के लिए मिल सकते हैं, जिसका नतीजा यह हो सकता है कि वहां की सड़कें बन सकती हैं। इससे गांव का बहुत सुधार हो सकता है। हमारी जो पंचायतें हैं उनको भी इस काम को करना है। इसलिए जो आम सड़कें हैं उनको और बड़ी-बड़ी सड़कों को भी गांव वालों और हम सब लोगों को मिल कर बनाना है। आइन्दा जो वक्त आ रहा है उसमें हमें समझना है कि अपने मुल्क को बनाने का

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

मजाज और जिम्मेदारी उनकी है और जो जिस चीज को दे सकता है, जिन साधनों को इसमें लगा सकता है, मुल्क के जितने भी रिसोर्सेज (साधन) हैं उन सबको पूल (एकत्र) करके उन्हें काम में लाकर हमें अपने मुल्क को थोड़े से अरसे के अन्दर बदल देना है। हमारे पास एक साधन है। हमारे पास इतनी बड़ी मैन पावर (मानव शक्ति) है जो खाली रहती है उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं। दुःख की बात है कि लोग गांवों में हों और उनके रास्ते बरसात में न रहें, जैसा कि कहा गया है उनकी गाड़ी भी न चल सके और बाज वक्त आदमियों का जाना भी मुश्किल हो जाय क्योंकि वह लोग अपना वक्त नहीं लगाते हैं। इस तरफ उन्हें ध्यान देना चाहिये और जो कुछ भी काम हो सके वह करना चाहिये।

मै समझता हूं कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हर काम के लिए है, इससे मैं इन्कार नहीं करता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट तो लोगों की तरफ से ही मुक़र्रर हुई है। वह तो उन्हीं की एक ऐजेन्सी है जिससे उन्हें काम लेना है। इसलिये जितनी भी ताकतें हैं उन सबसे काम लेना है। मैं समझता हूं कि गांवों में अच्छी सड़कें बननी चाहियें। अगर गांव के लोग अपनी ताक़त काम में लायें तो फिर सड़कों की कमी नहीं रह सकती। बस अपनी शक्ति को संचित कर के काम में लायें। हमारी प्लानिंग कमेटी को करना चाहिये, गांव पंचायतों को करना चाहिये, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को करना चाहिये और हमको भी करना चाहिये। मगर मुल्क की हालत को बदलना है और ऐसे ही बहुत दिनों तक चलने नहीं देना है और जो गफलत करें उनको हमें मिल कर समझाना है, सुझाना है। आज तक तो यह रहा कि गांव की सड़कें तक सरकार बनाती थी और यह समझा जाता था कि यह गैरों का काम है और वहां गांव वाले जो मजदूरी करते थे वह चाहते थे कि उनको मजदूरी ज्यादा मिले और उनको यह ख्याल कतई न था कि यह हमारा काम है। अब यह तबियत बदलना है और एक ढंग से काम करना है और अपने काम को काम समझ कर बनाना है, जिससे उन्हें गर्व रहे और वे हिम्मत के साथ काम करें। इसके अलावा उन्हें इस बात का फ़ख्र है कि हमने अपनी सड़कें बनाई हैं, अपनी नहर बनाई हैं, मदरसा बनाया है और अपना पंचायतघर बनाया है। ये सब चीजें बनेंगी उनकी कुव्वत से और हमारे उनके सहयोग से। फिर किसी बात की कमी नहीं रहेगी।

दूसरी बात आपने सूत की कही है। सभी जानते हैं कि सूत दो ही तरह से बन सकता है एक तो यह कि लोग खुद कातें और काम में लायें। लेकिन महात्मा गांधी के कहने के बावजूद भी लोग इसके लिये तैयार नहीं हुये और बहुत थोड़े से आदमी इस काम को करते हैं। दूसरा सूत वही हो सकता है जो मिलों से आता है, मुकर्ररा मिकदार ही में मिलता है। इससे जितने हिस्सों को जितना मिल सकता है दिया जाता है और जाहिरा बात है कि वह काफी नहीं है। इसलिये इसकी पैदावार को बढ़ाया जाय और तक़सीम के तरीक़े में भी सुधार की जरूरत है। जहां तक हो सकता है वह हमने किया है। उन दिक्क़तों को दूर करने की कोशिश की है, लेकिन वे दूर नहीं हो सकी हैं। इसलिये जब तक पैदावार न बढ़े तब तक यह दिक्क़त दूर नहीं हो सकती। एक दिक्क़त तो यह है। दूसरी दिक्क़त यह है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज को ही हम देते हैं जो वीवर्स (बुनने वालों) की ही बनाई जाती हैं, लेकिन उनके बीच में भी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। सीतापुर में एक नेक आदमी इस काम को चलाते थे। इसलिये कि वे ईमानदारी से काम करते थे उनके खिलाफ शिकायतें हुईं, क्योंकि वे किसी की तरफदारी नहीं करते थे। काफी लोग उनसे नाराज रहे।

जहां तक औरतों में तालीम बढ़ाने की बात है। उसका तो हमारे सम्पूर्णानन्द जी को काफी ख्याल रहता ही है। इसके साथ साथ हम यह भी समझते हैं कि अगर औरतें तालीमयाफ्ता न भी हों तब भी वे तालीमयाफ्ता मर्दों से बेहतर होती हैं। लिहाजा उनमें तालीम न होने की वजह से कोई ऐसी खास बात नहीं है लेकिन यह बात सही है कि उनकी तालीम आगे बढ़ाई जाय और उनके लिये एडेड स्कूल्स को मदद दी जाय,

क्योंकि उसी काम को अगर गवर्नमेंट करती है तो उसका ज्यादा खर्चा पड़ता है। और एडेड स्कूल्स के जरिये वही काम कम खर्चे मे हो जाता है। मगर औरतें पढ़ी हुई न भी हों तब भी मर्द उनसे काफी डरते हैं।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना, खण्ड १ से ३ तथा अनुसूची

यह उचित और आवश्यक है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५२ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय, अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम।

१--यह अधिनियम १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) अधिनियम कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५१-५२ के लिए ७,४६,७८,८०० रु० का दिया जाना।

२--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९५२ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं के सम्बन्ध में करने पड़ें, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सब का कुल जोड़ ७,४६,७८,८०० रु० (सात करोड़, छियालीस लाख, अठहत्तर हजार, आठ सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग।

३--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उन-उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५२ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

१	२	३		
स्वीकृत अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	जोड़
		रु०	रु०	रु०
	क--राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट) वाले व्यय			
२	मालगुजारी .	३,९१,०००	--	३,९१,०००
३	राज्य आबकारी (स्टेट एक्साइज)	५०,६००	--	५०,६००
४	स्टाम्प	१,२८,०००	--	१,२८,०००
५	बन (फारेस्ट)	४,१५,१००	--	४,१५,१००
७	मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय ..	३५,६४,२००	--	३५,६४,२००

१	२	३		
स्वीकृत अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	जोड़
		रु०	रु०	रु०
१०	सिंचाई (ईरिगेशन) और जल-विद्युत् स्थापना (हाइड्रो एलक्ट्रिक इस्टैब्लिशमेंट) पर व्यय	१००	—	१००
११	सामान्य प्रशासन के कारण व्यय	२००	—	२००
१२	कमिश्नरों और जिला प्रशासन (एडमिनिस्ट्रेशन) का व्यय	१५,८४,०००	—	१५,८४,०००
१३	गांव सभाएं और पंचायतें	१४,२५,०००	—	१४,२५,०००
१५	जेल	६,६८,२००	—	६,६८,२००
१६	पुलिस	२००	—	२००
१७	वैज्ञानिक विभाग (साइन्टिफ़िक डिपार्टमेंट्स) ..	१००	—	१००
१८	शिक्षा	४००	—	४००
१९	चिकित्सा (मेडिकल) ..	७,७०,३००	—	७,७०,३००
२०	जन-स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ)	५००	—	५००
२१	कृषि-सम्बन्धी विकास और खोज (ऐग्रिकल्चरल डेवेलप्मेंट ऐन्ड रिसर्च) ..	७,५४,६००	—	७,५४,६००
२२	कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन (ऐग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ऐन्ड कालोनाइजेशन)	८,४१,०००	—	८,४१,०००
२४	पशु-चिकित्सा (वेटेरिनरी)	६००	—	६००
२८	उद्योग	८,७००	—	८,७००
२९	श्रम (लेबर) और संख्या	१,२१,४००	—	१,२१,४००
३०	वाहन (ट्रांस्पोर्ट) विभाग	४,६२,०००	—	४,६२,०००
३१	सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	५,९९,६००	२०,०००	६,१९,६००
३४	नागरिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान (ग्रान्टस-इन-एड आफ़ सिविल वर्क्स) ..	१,०७,०००	—	१,०७,०००
३५	दुर्भिक्ष सहायता (फ़ेमिन रिलीफ)	६,५०,०००	—	६,५०,०००
३७	बुढ़ौती भत्ते (सुपरऐनुएशन) और पेंशनें ..	२,०५,०००	१५,०००	२,२०,०००
३८	लेखन सामग्री (स्टेशनरी) और छपाई ..	४७,५००	—	४७,५००
३९	विविध व्यय (मिसलेनियस चार्जेज) ..	६००	—	६००

१	२	३		
स्वीकृत अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	जोड़
४०	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान ..	३,९३,१००	–	३,९३,१००
४१	असाधारण व्यय (एक्स्ट्रा-आर्डिनरी चार्जेज) ..	९२,९३,७००	–	९२,९३,७००
	जोड़ 'क' ..	२,२८,१२,७००	३५,०००	२,२८,४७,७००
	ख—राजस्व लेखों (Revenue Accounts) के बाहर पूंजी व्यय (Capital Expenditure)			
४३	राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट्स) के बाहर सिंचाई और जल-विद्युत् कार्यों (हाइड्रो एलेक्ट्रिक वर्क्स) का निर्माण (कन्स्ट्रक्शन)	२००	–	२००
४६	राजस्व (रेवेन्यू) लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों (सिविल वर्क्स) पर लागत (आउटले) ..	१,०००	–	१,०००
४८	कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों (गवर्नमेंट बस सर्विसेज), सहायता और पुनर्वासन (रिलीफ ऐंड रिहैबिलिटेशन) की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत ..	३००	–	३००
४९	पेंशनों की संराशि (कम्युटेड वैल्यू आफ पेंशन्स) ..	१,८६,४००	–	१,८६,४००
५०	राज्य व्यापार (स्टेट ट्रेडिंग) की योजनाएं ..	४,९५,४३,०००	–	४,९५,४३,०००
	जोड़ 'ख' ..	४,९७,३०,९००	–	४,९७,३०,९००

१	२	३		
स्वीकृत अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज़ एण्ड पर्पजेज़	निम्नलिखित धनराशिओं से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	जोड़
ग--ऋणों और अग्र-ऋणों (लोन्स एण्ड ऐडवान्सेज़) का भुगतावा (डिसबर्समेंट)				
५१	ब्याज वाले ऋण और अग्र-ऋण (ऐडवांसेज़)	२१,००,२००	—	२१,००,२००
	जोड़ 'ग' ..	२१,००,२००	—	२१,००,२००
	कुल जोड़ ..	७,४६,४३,८००	३५,०००	७,४६,७८,८००

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, खंड २ और खंड ३, अनुसूची और प्रस्तावना इस विधेयक के अंग बनें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) मंजूर किया जाय और पास किया जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आगामी दिवस के लिये कार्यक्रम

माननीय अध्यक्ष--अब दो दिन के लिये जो काम था वह खत्म हो गया। कल के लिए माननीय मुख्य मंत्री बतावें कि कल कुछ काम लियां जायगा या नहीं।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--कल वोट आन एकाउन्ट्स (लेखानुदान) पर अगर वाद-विवाद की आवश्यकता हुई तो वह होगा और उसके बाद वह मंजूर होगा। मुझे उम्मीद है कि दो मिनट में यह सब कार्यवाही पूरी हो जायगी। उसके बाद फिर एप्रोप्रियेशन बिल पेश होगा जो कि आज की तरह ही पास होगा। उसके बाद एक रिजोल्यूशन जो मैंने पेश किया था इस्टेट ड्यूटी के बारे में वह पेश होगा। अगर नवाब जमशेद अली खां साहब चाहें कि वह न पेश हो तो मैं उसे छोड़ने को भी तैयार हूं। अगर वह समझते हैं कि पेश हो तो वह पेश होगा। परसों जो प्रिविलेजेज़ (विशेषाधिकार) की दो रिपोर्टें थीं उन पर विचार होगा। एक तो बिलट्ज़ के बारे में जिसके कि डिप्टी एडीटर साहब आज कल शायद यहीं हैं। वह शायद यहां पेश भी हों और दूसरे एक दूसरी रिपोर्ट भी पेश हुई थी वह भी हाउस के सामने आवेगी।

नवाब मुहम्मद जमशेद अली खां--स्टेट ड्यूटी के मुताल्लिक़ मैंने यह अर्ज किया था कि अगर मुनासिब हो तो उसके ऊपर पूरी बहस कर ली जाय कि उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स (गुणावगुण) क्या हैं और अगर मुनासिब न हो तो आइन्दा जो असेम्बली आने वाली है वह उस पर गौर करे। बहरहाल अगर वह आवेगी तो उसके मुताल्लिक़ अपने ख्यालात कि इस्टेट ड्यूटी मुनासिब चीज है या नहीं मैं भी पेश कर दूंगा।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--सवाल तो इस वक्त आपके ख्यालात का है सवाल यह है कि उसको रखा जाय या न रखा जाय। अगर हाउस के कोई सदस्य भी न चाहें कि उस पर बहस हो तो उसको पेश नहीं होना है। इसलिये आपकी क्या राय है।

नवाब मुहम्मद जमशेद अली खां--मैं समझता हूं कि जब हाउस के सामने आ ही गया है तो इजहारे ख्याल हो जाना जरूरी है।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--फिर कल वह पेश हो जायगा।

माननीय अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि सारे सदन को यह बात मंजूर है कि यह वोट आन एकाउंट् (लेखानुदान) कल ही के लिये रख लिया जाय। मैंने पहले इसे परसों के लिये रखा था, लेकिन चूंकि काम नहीं है, इसलिये कल ही के लिये रखे देता हूं और अगर जरूरत होगी तो २० को बैठक होगी नहीं तो बहुत मुमकिन है कि १९ को ही काम खत्म हो जाय।

(इसके बाद सदन ४ बज कर ५७ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१७ मार्च, १९५२ ई०।

नत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ १४७ पर)

३१ मार्च, १९५३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ऐसे व्यय का तखमीना जिसके लिए लेखानुदान (Vote on account) की आवश्यकता है--

मांग या विनियोग की तालिका	कुल मांग (सहस्र रुपयों में) मतदेय	कुल मांग (सहस्र रुपयों में) प्रभृत्त	लेखे के लिए आवश्यक धनराशि (सहस्र रुपयों में) मतदेय	लेखे के लिए आवश्यक धनराशि (सहस्र रुपयों में) प्रभृत्त
क—राजस्व लेखा				
१—कृषि आयकर की उगाही पर व्यय	२,३२	–	७७	–
२—मालगुजारी ..	२,२५,८४	–	७५,२८	–
३—राज्य-आबकारी ..	९१,१७	–	३०,३९	–
४—स्टाम्प ..	४,८३	–	१,६१	–
५—वन	१,२२,२४	–	४०,७५	–
६—रजिस्ट्री ..	१३,३३	–	४,४४	–
७—मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय	५५,१६	–	–	–
८—अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय	२५,९१	–	८,६४	–
९—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य ..	२,८८,४६	–	९६,१५	–
१०—सिंचाई और जल-विद्युत् स्थापना (हाइड्रो एलेक्ट्रिक इस्टैब्लिशमेंट) पर व्यय	२,५९,१२	–	८६,३८	–
११—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय	३,०२,८७	९,७९	१,००,९६	३,२६
१२—कमिश्नरों और जिला प्रशासन (ऐडमिनिस्ट्रेशन) का व्यय ..	२,६०,४४	–	८६,८१	–
१३—गांव सभायें और पंचायतें ..	४४,०३	–	१४,६८	–
१४—न्याय प्रशासन ..	१,१७,२४	२४,२८	३९,०८	८,१०
१५—जेल	१,०९,३०	–	३६,४३	–
१६—पुलिस ..	७,२१,८२	–	२,४०,६१	–
१७—वैज्ञानिक विभाग (साइन्टिफिक डिपार्टमेंट) ..	१,०६	–	३५	–
१८—शिक्षा	७,८५,१९	–	२,६१,७३	–
१९—चिकित्सा (मेडिकल) ..	२,१४,७०	–	७१,५७	–

मांग या विनियोग की तालिका	कुल मांग (सहस्र रुपयों में)		लेखे के लिए आवश्यक धनराशि (सहस्र रुपयों में)	
	मतदेय	प्रभृत्त	मतदेय	प्रभृत्त
२०—जन-स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ) ..	१,००,२७	–	३३,४२	–
२१—कृषि सम्बन्धी विकास और खोज (ऐग्रीकलचरल डेवेलपमेंट ऐण्ड रिसर्च) ..	१,६७,६२	–	५५,८७	–
२२—कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन (ऐग्रीकलचरल इंजीनियरिंग ऐण्ड कालोनाइजेशन) ..	१,९८,१७	–	६६,०६	–
२३—ग्राम सुधार (रूरल डेवेलपमेंट)	–	–	–	–
२४—पशु चिकित्सा (वेटेरिनरी) ..	१,०६,०५	–	३५,३५	–
२५—विद्युत् योजनाओं पर व्यय ..	९६,७४	–	३२,२५	–
२६—विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय	१६,०७	–	५,३६	–
२७—सहकारिता के आधार पर ऋण ..	७०,७१	–	२३,५७	–
२८—उद्योग (इन्डस्ट्रीज) ..	८४,३१	–	२८,१०	–
२९—श्रम और संख्या (लेबर और स्टैटिस्टिक्स) ..	२२,५१	–	७,५०	–
३०—वाहन (ट्रांसपोर्ट) विभाग ..	३,३३,५९	–	१,११,२०	–
३१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों (पब्लिक वर्क्स) के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं ..	२,८६,०९	३,४९	९५,३६	१,१६
३२—यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्तपोषित) ..	११,५०	–	३,८३	–
३३—सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थापना पर व्यय ..	३९,७४	–	१३,२५	–
३४—नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान (ग्रांट इन एड आफ सिविल वर्क्स)	२३,५१	–	७,८४	–
३५—दुर्भिक्ष सहायता ..	१२,१६	–	४,०५	–

मांग या विनियोग की तालिका	कुल मांग (सहस्र रुपयों में)		लेखे के लिए आवश्यक धनराशि (सहस्र रुपयों में)	
	मतदेय	प्रभृत्त	मतदेय	प्रभृत्त
३६—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें	७,८८	—	२,६३	-
३७—बुढ़ौती भत्ते (सुपरएनुएशन) और पेंशनें	१,८९,०८	१,४०	६३,०३	४७
३८—लेखन सामग्री (स्टेशनरी) और छपाई (प्रिंटिंग) ..	७८,१७	—	२६,०६	-
३९—विविध व्यय (मिसेलेनियस चार्जेज)	७,०६,८५	—	१,१८,९५	-
४०—अनुसूचित (शिड्यूल्ड) और पिछड़ी हुई (बैकवर्ड) जातियों का विकास और उत्थान (इम्प्रूवमेंट एंड अपलिफ्ट)	४७,९७	—	१५,९९	-
४१—असाधारण व्यय ..	१,६६,२३	—	५५,४१	-
४२—योजना और एकीकरण ..	१४,४८	—	४,८२	-
ऋण तथा अन्य दायित्वों पर व्याज	—	२,२०,१५	—	७३,३८
ऋण को कम करना या उससे बचना	—	१९,०६,५०	—	६,३५,५०
योग, क ..	६४,२४,७३	२१,६५,६१	२०,०६,५३	७,२१,८७

ख—राजस्व लेखे के बाहर पूंजी व्यय

(कैपिटल एक्सपेण्डीचर)—

४३—राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट्स) के बाहर सिंचाई और जलविद्युत् निर्माण कार्यों (हाइड्रो एलेक्ट्रिक वर्क्स) का सम्पादन ..	५,७१,५५	—	१,९०,५२	-
४४—कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत	२,२४,००	—	७४,६७	-
४५—औद्योगिक विकास ..	२,१५,९८	—	७१,९९	-
४६—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों (सिविल वर्क्स) पर लागत	१,४४,९५	—	४८,३२	-
४७—विद्युत् योजनाओं पर पूंजी की लागत	३८,६२	—	१२,८७	-

मांग या विनियोग की तालिका	कुल मांग (सहस्त्र रुपयों में)		लेखे के लिए आवश्यक धनराशि (सहस्त्र रुपयों में)	
	मतदेय	प्रभृत्त	मतदेय	प्रभृत्त
४८—कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों इत्यादि पर पूंजी की लागत	१,५०,८३	–	५०,२८	–
४९—पेंशनों की संराशि (कम्युटेड वैल्यू आफ़ पेंशन्स) ..	१९,६०	१७	६,५३	६
५०—राज्य व्यापार (स्टेट ट्रेडिंग) की योजनाएं	३८,०२,८४	–	१९,००,००	–
योग, ख ..	५१,६८,३७	१७	२३,५५,१८	६
ग—ऋणों तथा अग्रऋणों (लोन्स ऐण्ड एडवान्सेज) का भुगतावा (डिस्बर्समेंट)।				
५१—ब्याजवाले ऋण और अग्रऋण (एडवान्सेज) ..	२,६३,९९	–	८८,००	–
योग, ग ..	२,६३,९९		८८,००	–
कुल योग ..	१,१८,५७,०९	२१,६५,७८	४४,४९,७१	७,२१,९३

PSUP—A.P. 2 L.A.—1952—660.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १८ मार्च, १९५२ ई०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में माननीय अध्यक्ष, श्री नफ़ीसुल हसन, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (१५८)

अक्षय कुमार करण, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अब्दुल गनी अन्सारी, श्री
अब्दुल बाक़ी, श्री
अब्दुल मजीद ख्वाजा, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अम्मार अहमद खां, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
इर्तिजा हुसैन, श्री
ई० एम० फ़िलिप्स, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किशनचन्द पुरी, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण चन्द गुप्त, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केशव गुप्त, श्री
खुशवक्त राय, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय चौबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गणपति सहाय, श्री
गिरधारी लाल, माननीय श्री
गुरुनारायण, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
गोविन्द सहाय, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चरण सिंह, माननीय श्री
चेतराम, श्री
छेदालाल गुप्त, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जफ़र अहमद, श्री
जमीलुर्रहमान क़िदवाई, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, श्री
जाहिद हसन, श्री
जुगलकिशोर, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
दयालदास भगत, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
नवाजिश अली खां, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दास, श्री
निसार अहमद शेरवानी, श्री
पुरुषोत्तमदास टंडन, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रयाग नारायण, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
प्रेमलाल वैद्य, श्री
फ़ख़रुल इस्लाम, श्री
फ़जलुर्रहमान खां, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री

फूलसिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
ब्रजरानी देवी, श्रीमती
ब्रेचनराम गुप्त, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानदीन मिश्र, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (रामपुर)
मिजाजी लाल, श्री
मुख़्तार अहमद क़िदवाई, श्री
मुज़फ़्फ़र हुसैन, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद एवज़, श्री
मुहम्मद जमशेद अली ख़ां, नवाब
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नज़ीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद रज़ा ख़ां, श्री
मुहम्मद रहमत ख़ां, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद शोएब, श्री
मुहम्मद सआदत अली ख़ां, राजा
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुवंश नारायण सिंह, श्री
राजकुंवार सिंह, राव श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृपाल सिंह, श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामधारी पांडेय, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामनारायण, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामेश्वर सहाय सिंह, श्री
रुक्नुद्दीन ख़ां, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबिहारी टंडन, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली ख़ां, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विजयानन्द मिश्र, श्री
विद्याधर वाजपेयी, श्री
विनय कुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
शंकर दत्त शर्मा, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्याम लाल वर्मा, श्री
श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
श्यामाचरण वाजपेई शास्त्री, श्री
सईद अहमद, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सरवत हुसैन, श्री
सलीम हामिद ख़ां, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सैयद ज़ाकिर अली, श्री
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सुल्तान आलम ख़ां, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हर प्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री

माननीय श्री सैयद अली ज़हीर तथा माननीय श्री हरगोविन्द सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

पश्चिमी पाकिस्तान से वापस आये हुये मुसलमानों की संख्या तथा उनकी सम्पत्ति की वापसी

†१—श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या माननीय शिक्षा मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि फरवरी, सन् १९५० ई० से मई, सन् १९५० ई० तक जो मुसलमान पश्चिमी पाकिस्तान गये थे उनमें से कितने मुस्तकिल परमिट पर इंडो-पाकिस्तान एग्रीमेंट (समझौते) के अधीन उत्तर प्रदेश में वापस आये ? (ज़िले का नाम, बालिग़ मर्दों, बालिग औरतों और बच्चों की संख्या अलग अलग ज़िलेवार दी जाय।)

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द (शिक्षा मंत्री)—जो मुसलमान फरवरी, १९५० ई० से मई, १९५० ई० तक पश्चिमी पाकिस्तान गये थे उनमें से जो मुस्तक़िल परमिट पर इंडो-पाकिस्तान एग्रीमेंट (समझौते) के अधीन उत्तर प्रदेश में वापस आये, उनके बारे में पूर्ण सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी हुई है। ऐसे आये हुये लोगों की कुल संख्या २०, ८७९ है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २५४ पर)

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या सरकार बतलायेगी कि जो लोग वापस आये हैं उनको जल्द बसाने के लिये गवर्नमेंट ने क्या कार्यवाही की ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यहां तो सवाल इस बात का है कि कितने लोगों की प्रापर्टी वापस की गई, उसकी बाबत जवाब दिया जा सकता है। यह तो बहुत व्यापक सवाल है और इसका जवाब देने के लिये सूचना की जरूरत होगी।

†२—श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि कितने मुसलमानों को रेस्टोरेशन आफ प्रापर्टी (संपत्ति की वापसी) के सर्टीफिकेट जो उपरोक्त एग्रीमेंट के अधीन वापस आये थे, जारी किये जा चुके हैं और उनमें से कितनों को उनकी प्रापर्टी वाकई वापस कर दी गई है ? (ज़िले का नाम वगैरा दिया जाय।)

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—५६० मुसलमानों को रेस्टोरेशन आफ़ प्रापर्टी संपत्ति की वापसी सर्टीफिकेट जो उपरोक्त एग्रीमेंट के अधीन वापस आये थे, जारी किये जा चुके हैं इनमें के से २८७ की जायदाद वापस हो चुकी है। जिलेवार विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २५६ पर)

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या सरकार बतलायेगी कि लगभग २० हजार आदमी आये और अब तक ५६० सर्टीफिकेट्स जारी हुये, तो इसमें इतनी देर क्यों लग रही है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—५६० सर्टीफिकेट्स जारी किये गये इसका मतलब यह नहीं है कि ५६० आदमियों को प्रापर्टी वापस की गई। एक एक प्रापर्टी में ६-६ और ७-७ आदमी इंट्रेस्टेड हैं। इस तरह से ३, ४ हजार तक नम्बर जा सकता है। देरी लगने की वजह यह है कि जो दरख्वास्तें रेस्टोरेशन के लिये दी जाती हैं उसमें बहुत से वेरिफिकेशंस (प्रमाणीकरण) देने होते हैं। मसलन् वह शख्स ईस्टर्न (पूर्वी) पाकिस्तान से आया है या वेस्टर्न (पश्चिमी) पाकिस्तान से। यह सिर्फ वेस्टर्न पाकिस्तान के लिये लागू है। जायदाद जिसे वह वापस चाहता है उसमें कितने लोग इंट्रस्टेड (हितधारी) है, यह लिखना पड़ता है। किस

ग्राउंड्स (कारण) पर वह जायदाद वापस चाहता है, यह सब लोगों को लिखना पड़ता है। इसके अलावा एक बात और है कि जो २० हजार लौटे हैं यह जरूरी नहीं है कि उन सबकी प्रापर्टी (सम्पत्ति) हो ही। एक तरह से जुडीशियल (न्यायिक) कार्रवाई की जाती है। अब फिर फ्रेश इंस्ट्रेक्शंस (नये आदेश) भेजे गये हैं और उम्मीद है कि अब दरख्वास्तें जल्दी ही एक्सपेडाईट (निस्तारित) हो जाया करेंगी।

थाना जलालपुर की मुसम्मात बलूजी चमारिन द्वारा मकान फूंकने और मारपीट करने के सम्बन्ध में पुलिस को रिपोर्ट

†३—क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि साकिन मौजा जेठपुरा, तालुका गुतवन, थाना जलालपुर की मुसम्मात बलजी चमारिन ने कुछ लोगों के खिलाफ मकान फूंक देने और लाठियों से मार-मार कर हाथ-पैर तोड़ देने की रिपोर्ट पुलिस कप्तान के यहां की थी?

†४—यदि हां, तो यह रिपोर्ट कब हुई थी और उसकी जांच कितने दिनों बाद हुई?

†५—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जांच में इतना बिलम्ब होने का क्या कारण है और इस मामले में अब क्या कार्रवाई हो रही है?

माननीय अध्यक्ष—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य के इन सवालों के जवाब मेरे पास अभी तक नहीं आये हैं। इनके स्थगित करने के लिये एक प्रार्थना-पत्र आया था। गालिबन माननीय मंत्री इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ये जो सवाल हैं उनकी इत्तिला खुद हमको डिपार्टमेंट से देर में मिली। ६ तारीख को इनकी इत्तिला मिली। इस बीच में होली की छुट्टियां पड़ गई इसलिये इत्तिला जिले से नहीं आ सकी। इसलिये मजबूरी है कि जवाब नहीं दिया जा सकता।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—किस तिथि के लिये इन सवालों को स्थगित किया जाता है?

माननीय अध्यक्ष—माननीय सदस्य जानते हैं कि कितने रोज हम लोग बैठ रहे हैं। लिहाजा इस मौके पर अब तिथि नियत करना जरा मुनासिब नहीं मालूम होता।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—फिर क्या ये लैप्स (व्ययगत) हो जायेंगे?

माननीय अध्यक्ष—उम्मीद तो यही है। आप फिर नोटिस दे देंगे तो फिर आ जायेंगे। इस वक्त जो स्थिति है उसमें लैप्स होने की ही ज्यादा संभावना है।

वित्तीय वर्ष १९५२-५३ ई० के लिये लेखानुदान

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त (मुख्य मंत्री)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, सन् १९५३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मदों के संबंध में होने वाले तखमीनी व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल (गवर्नर) महोदय को लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि दी जाय जो ४४, ४९, ७१,००० रुपये से अधिक न हो।

इसे वोट आन एकाउन्ट (लेखानुदान) कहते हैं। इसका बजट पहले पेश हुआ था और इस सिलसिले में मैंने जो बातें जरूरी थीं वह सदन के सामने रख दी थीं। इस समय कोई नई बात नहीं है। उसी बजट के आधार पर यह लेखानुदान पेश किया जा रहा है। इसमें ४ महीने के लिये जो खर्चा साल गुजिश्ता में हुआ उसकी बुनियाद पर यह लेखा तैयार किया गया है। चूंकि यह उम्मीद है कि चार महीने के भीतर आगामी साल का बजट सही तरीके पर पेश होकर बन जायगा इसलिये इन चार महीनों के लिये यह काम चलाऊ लेखा पेश किया जा रहा है। उसकी सब तफसील सूची में दी हुई है। इसमें २० करोड़ रुपया

राजस्व लेखे का है और २३ करोड़ ५५ लाख रुपया कैपिटल अकाउन्ट (पूंजी व्यय) का है जिसमें से १९ करोड़ ट्रेडिंग अकाउन्ट (राज्य व्यापार) का है, जो खास कर अनाज की राशनिंग उसके सिलसिले में जो रुपया लगाना पड़ रहा है उसके लिये यह रखा गया है। इस तरीके से जो रुपया रखा गया था उसका यह १/३ के करीब है। इसकी तफसील जैसा कि मैंने अर्ज किया, जो बजट पास हुआ है उसमें दी हुई है। उसी का करीब-करीब एक तिहाई हिस्सा इसमें पेश किया गया है। सिवाय उन मदों के जिनका खर्चा सिलसिलेवार नहीं होता और जो जरूरी हैं वे इसमें और रख दी गई। इसलिये इसके लिये और ज्यादा समय इस सदन का लेना नहीं चाहता।

श्री त्रिलोकी सिंह—अध्यक्ष महोदय, वोट आन अकाउन्ट (लेखानुदान) के सिलसिले में हाउस आफ कामंस की प्रैक्टिस यह है कि वह बिना किसी वाद-विवाद के स्वीकार किया जाता है। मैं आपसे और आपके द्वारा इस आदरणीय सदन से यह निवेदन करूंगा कि इसी नीति का हमें भी अनुसरण करना चाहिये और उसका कारण बिलकुल साफ है। वोट आन अकाउन्ट (लेखानुदान) की प्रथा इसलिये रखी गयी है कि बजट पर वाद-विवाद करने का पूरा मौका सदन को हो। इस वर्ष तो हमारे यहां असाधारण परिस्थिति है। नये इलेक्शन्स हुये हैं नई सरकार हमारे यहां बनेगी इसलिये इस सदन के लिये जो अपनी अवधि समाप्त कर चुका है यह मुनासिब न होगा कि वह अगले पूरे साल के लिये बजट पास करे। इसके अतिरिक्त हमारे पास समय भी नहीं है। यह मुझे मालूम है कि सेन्टरल गवर्नमेंट में, पालियामेंट में इस वोट आन अकाउंन्ट (लेखानुदान) के सिलसिले में काफी वाद-विवाद हुआ। मेरी समझ में नहीं आया कि यह वाद-विवाद क्या मानी रखता है। इसलिये कि अगले वर्ष जो सरकार होगी और उसकी जो जिम्मेदारियां होंगी उस जिम्मेदारी को आयद करना किसी तरह भी मुनासिब बात नहीं है क्योंकि आगे चल कर बजट पेश किया जायगा। इंगलैण्ड में भी यह प्रैक्टिस (रीति) है कि साधारण तौर पर बजट ३१ मार्च तक पास नहीं होता और हमेशा उसमें अधिक समय लग जाता है और ज्यादातर सरकारी बजट दूसरे वर्ष में ही पास किया जाता है। इस आदरणीय सदन ने भी अपने नियमों में इस प्रकार की गुंजाइश रखी है। इसलिये मैं आपसे और आपके द्वारा इस आदरणीय सदन से यह निवेदन करूंगा कि वह इस सिलसिले में कोई वादविवाद न करे और हम वैसा ही करें जैसा कि हाउस आफ कामन्स में किया जाता है, यानी बिना किसी वादविवाद के हम इस वोट आन अकाउन्ट को स्वीकार करें। अतः मैं जो माननीय मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव पेश किया है उसकी ताईद करता हूं।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९५३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में इसके साथ नत्थी अनुसूची [नत्थी (ख)] में दिये हुये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मदों के संबंध में होने वाले तखमीनों व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल (गवर्नर) महोदय को लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि दी जाय जो ४४,४९,७१,००० रुपये से अधिक न हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक [एप्रोप्रियेशन (वोट आन एकाउण्ट) बिल]

माननीय अध्यक्ष—अब माननीय मुख्य मंत्री इस १९५२ ई० के विनियोग (लेखानुदान) विधेयक [एप्रोप्रिएशन (वोट आन एकाउण्ट) बिल] पेश करने की इजाजत का प्रस्ताव पेश करेंगे।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैं १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक [एप्रोप्रियेशन (वोट आन एकाउण्ट) बिल] को पेश करने की इजाजत चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक [एप्रोप्रियेशन (वोट आन एकाउण्ट) बिल] को पेश करने की इजाजत दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मैं १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक [एप्रोप्रियेशन (वोट आन एकाउण्ट) बिल] को पेश करता हूं।

(कुछ ठहर कर)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक [एप्रोप्रियेशन (वोट आन एकाउण्ट) बिल] पर विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक [एप्रोप्रियेशन (वोट आन एकाउण्ट) बिल] पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना, खण्ड १--३ तथा अनुसूची

पहली अप्रैल, १९५२ ई०, को आरम्भ होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियां निकालने की व्यवस्था करने के लिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाय :-

संक्षिप्त शीर्षनाम

१--यह अधिनियम १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५२-५३ ई० के लिये ५१,७१,६४,००० रु० का दिया जाना।

२--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो पहली अप्रैल, १९५२ ई० को आरम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सिलसिले में करने पड़ें, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला जा सकता है, जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सब का कुल जोड़ ५१,७१,६४,००० रु० (एक्यावन करोड़, एकहत्तर लाख, चौंसठ हजार रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग।

३--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है उन-उन धनराशियों का विनियोग उक्त वर्ष के संबंध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

१	२	३		
स्वीकृत अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐंड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
	क--राजस्व लेखा (रेवेन्यू एकाउण्ट)-			
१	कृषि आय कर (ऐग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स) की उगाही (कलेक्शन) पर व्यय	७७,०००	...	७७,०००
२	मालगुजारी	७५,२८,०००	...	७५,२८,०००

१	२	३		४
स्वीकृत अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐंड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		योग
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	
३	राज्य आबकारी (स्टेट एक्साइज)	३०,३९,०००	...	३०,३९,०००
४	स्टाम्प	१,६१,०००	...	१,६१,०००
५	वन (फ़ारेस्ट)	४०,७५,०००	...	४०,७५,०००
६	रजिस्टरी	४,४४,०००	...	४,४४,०००
७	मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय	...	...	...
८	अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय	८,६४,०००	...	८,६४,०००
९	राजस्व (रेवेन्यू) से किये जाने वाले सिंचाई (ईरिगेशन) के निर्माण कार्य	९६,१५,०००	...	९६,१५,०००
१०	सिंचाई (ईरिगेशन) और जल-विद्युत स्थापना (हाइड्रो-एलेक्ट्रिक इस्टैब्लिशमेंट) पर व्यय	८६,३८,०००	...	८६,३८,०००
११	सामान्य प्रशासन के कारण व्यय	१,००,९६,०००	३,२६,०००	१,०४,२२,०००
१२	कमिश्नरों और ज़िला प्रशासन (एडमिनिस्ट्रेशन) का व्यय	८६,८१,०००	...	८६,८१,०००
१३	गांव सभायें और पंचायतें	१४,६८,०००	..	१४,६८,०००
१४	न्याय प्रशासन (ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ़ जस्टिस)	३९,०८,०००	८,१०,०००	४७,१८,०००
१५	जेल ..	३६,४३,०००	..	३६,४३,०००
१६	पुलिस ..	२,४०,६१,०००	..	२,४०,६१,०००
१७	वैज्ञानिक विभाग (साइन्टिफ़िक डिपार्टमेंट्स)	३५,०००	..	३५,०००
१८	शिक्षा ..	२,६१,७३,०००	..	२,६१,७३,०००
१९	चिकित्सा (मेडिकल)	७१,५७,०००	..	७१,५७,०००
२०	जन-स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ) ..	३३,४२,०००	..	३३,४२,०००

१	२	३		४
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
स्वीकृत अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन सर्विसेज एंड पर्पजेज	विधान सभा स्वीकृत	द्वारा राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
२१	कृषि संबंधी विकास और खोज (एग्रीकल्चरल-डेवलपमेंट ऐंड रिसर्च)	५५,८७,०००	..	५५,८७,०००
२२	कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन (एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ऐंड कालोनाइजेशन) ..	६६,०६,०००	..	६६,०६,०००
२३	ग्राम सुधार (रूरल डेवेलपमेंट) ..	..	..	..
२४	पशु-चिकित्सा (वेटेरिनरी) ..	३५,३५,०००	..	३५,३५,०००
२५	विद्युत योजनाओं पर व्यय ..	३२,२५,०००	..	३२,२५,०००
२६	विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय ..	५,३६,०००	..	५,३६,०००
२७	सहकारिता के आधार पर ऋण ..	२३,५७,०००	..	२३,५७,०००
२८	उद्योग ..	२८,१०,०००	..	२८,१०,०००
२९	श्रम (लेबर) और संख्या ..	७,५०,०००	..	७,५०,०००
३०	वाहन (ट्रांस्पोर्ट) विभाग ..	१,११,२०,०००	..	१,११,२०,०००
३१	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं ..	९५,३६,०००	१,१६,०००	९६,५२,०००
३२	यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त-पोषित) ..	३,८३,०००	..	३,८३,०००
३३	सार्वजनिक निर्माण-कार्य स्थापना पर व्यय ..	१३,२५,०००	..	१३,२५,०००
३४	नागरिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान (ग्रान्ट्स-इन-एड आफ़ सिविल वर्क्स) ..	७,८४,०००	..	७,८४,०००

१	२	३		४
स्वीकृत अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐंड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक — विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
३५	दुर्भिक्ष सहायता (फ़ैमिन रिलीफ़) ..	४,०५,०००	..	४,०५,०००
३६	प्रादेशिक और राजनीतिक पेन्शनें ..	२,६३,०००	..	२,६३,०००
३७	बुढ़ौती (सुपरिएनुएशन) भत्ते और पेंशनें	६३,०३,०००	४७,०००	६३,५०,०००
३८	लेखन सामग्री (स्टेशनरी) और छपाई ..	२६,०६,०००	..	२६,०६,०००
३९	विविध व्यय (मिसलेनियस चार्जेज) ..	१,१८,९५,०००	..	१,१८,९५,०००
४०	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान ..	१५,९९,०००	..	१५,९९,०००
४१	असाधारण व्यय (एक्सट्राआर्डिनरी चार्जेज)	५५,४१,०००	..	५५,४१,०००
४२	योजना और एकीकरण	४,८२,०००	..	४,८२,०००
	ऋण (डेट) और अन्य दायित्वों (आब्लिगेशन्स) पर व्याज ..	..	७३,३८,०००	७३,३८,०००
	ऋण को कम करना (रिडक्शन) या उससे बचना (अवायडेंस)	...	६,३५,५०,०००	६,३५,५०,०००
	योग, 'क' ..	२०,०६,५३,०००	७,२१,८७,०००	२७,२८,४०,०००
	ख—राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट) के बाहर पूंजी व्यय			
४३	राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई और जल-विद्युत निर्माण-कार्यों का सम्पादन ..	१,९०,५२,०००	..	१,९०,५२,०००
४४	कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत (कैपिटल आउटले) ..	७४,६७,०००	..	७४,६७,०००

१	२	३		
स्वीकृत अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज एंड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
४५	औद्योगिक विकास (इण्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट)	७१,९९,०००	..	७१,९९,०००
४६	राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों पर लागत ..	४८,३२,०००	..	४८,३२,०००
४७	विद्युत-योजनाओं पर पूंजी की लागत ..	१२,८७,०००	..	१२,८७,०००
४८	कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों (गवर्नमेंट बस सर्विसेज) सहायता और पुनर्वासन (रिलीफ ऐण्ड रिहैबिलिटेशन) की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत	५०,२८,०००	..	५०,२८,०००
४९	पेंशनों की संराशि (कम्युटेड वैल्यू आफ़ पेंशन्स)	६,५३,०००	६,०००	६,५९,०००
५०	राज्य व्यापार (स्टेट ट्रेडिंग) की योजनाएं	१९,००,००,०००	..	१९,००,००,०००
	योग, 'ख' ..	२३,५५,१८,०००	६,०००	२३,५५,२४,०००
	ग—ऋण और अग्रऋणों (लोन्स एंड ऐडवांसेज) का भुगतावा (डिस्बर्समेंट)			
५१	ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण (ऐडवांसेज) ..	८८,००,०००	..	८८,००,०००
	योग, 'ग' ..	८८,००,०००	..	८८,००,०००
	कुल योग ..	४४,४९,७१,०००	७,२१,९३,०००	५१,७१,६४,०००

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, २ ३, अनुसूची और प्रस्तावना इस विधेयक के अंश माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैं प्रस्ताव करता हूं कि १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक [एप्रोप्रियेशन (वोट आन एकाउण्ट) बिल] पारित किया जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक [एप्रोप्रियेशन (वोट आन एकाउंट) बिल] पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

संसद् के अधिनियम द्वारा कृषि सम्बन्धी भूमि पर सम्पत्ति शुल्क लगाये जाने के विनियमन होने के संबंध में संकल्प

माननीय अध्यक्ष--अब माननीय मुख्य मंत्री द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर विवाद जारी रहेगा।

नवाब मुहम्मद जमशेद अली खां--जनाबवाला, उस रोज जब कि मुख्य मंत्री साहब ने इस हाउस के सामने यह रेज़ोल्यूशन (संकल्प) पेश किया था तो फौरन् जो कुछ ख़्यालात मेरे ज़हन में पैदा हुये वह यह थे कि बेहतर और मुनासिब यह होगा कि अब जब कि इस हाउस की मुद्दत (जिन्दगी) खत्म हो रही है तो इस किस्म के उसूली सवाल और ऐसे मामलात पर जिनके अन्दर किसी उसूल का फैसला करना हो आयन्दा के लिये जो हाउस बना है और मुन्तखिब होकर आया है वह अपनी जिम्मेदारी को पूरे तौर पर महसूस करते हुये ऐसे अहम मसले का फैसला करे । लेकिन उसी के साथ जो मैंने गौर किया तो यह सोचा कि यह एक बड़ा भारी मसला है और बड़ी अहम चीज है जिसके ऊपर सूबे की इक्तसादी जिन्दगी, एग्रीकलचरल जिन्दगी का इन्हसार है इस वक्त जो हम लोग यहां पर बैठे हुये हैं अगर अपने ख्यालात का इज़हार न करें तो खुदा जाने आगे आने वाला हाउस हम लोगों के मुताल्लिक़ क्या ख्याल करे । लिहाज़ा मैंने यह सोचा कि जो कुछ मेरी हक़ीर राय और मेरी अदना राय इस सिलसिले में है उसको मैं बिला तक़ल्लुफ ज़ाहिर कर दूं और इसका ख़्याल न करूं कि वह राय गवर्नमेंट को पसन्द होगी या न होगी और वह हाउस (सदन) में मंजूर की जायगी या नहीं की जायगी।

इबतदाई उसूल के बाद मैं इस रिज़ोलूशन (संकल्प) के बारे में कुछ अर्ज़ करूंगा । सब से बड़ा सवाल एक उसूल का इस सिलसिले में यह है कि हम मरकज़ से यह कहने जा रहे हैं कि जो हक़ूक़ हमें कांस्टीट्यूशन (संविधान) के ज़रिये से हासिल होते हैं वह पावर (शक्ति) हम सेंटर को डेलीगेट (प्रत्यायोजित) करना चाहते हैं कि वह चाहे तो इन क़वानीन को हमारे लिये खुद बना दे । यह कही जाती है कि ताकि सारे भारत में क़वानीन यकसां हों और तमाम सूबों में एक यूनीफ़ार्मिटी रहे इसलिये ऐसा किया जा रहा है । यह दूसरा उसूली सवाल है। तीसरी चीज यह है कि आया आन मेरिट्स (गुण के आधार पर) हक़ीक़तन यह मामला आज की मुल्क की हालत को देखते हुये मरकज़ के सामने लाये जाने के क़ाबिल भी है या नहीं । यह तीसरी चीज है जिस की तरफ मैं आप की तवज्जह दिलाना चाहता हूं।

मैं उसूलन इसको पसन्द नहीं करता कि हम अपनी जिम्मेदारियों को और उन अख्त्यारात को जो कांस्टीट्यूशन (संविधान) से हमें हासिल हैं हम मरकज़ को डेलीगेट करें । इस वजह से कि ये अख्त्यारात क्या हमको दिये गये और वाजियाने कानून ने क्यों ये हक़ूक़ हमें दिये इसकी वजह महज़ यह है कि हर स्टेट (राज्य) अपने यहां के कानून को बनाते वक्त अपने यहां के हालात को ज्यादा समझ सकती है बनिस्बत इस के कि सेंटर तमाम स्टेट्स के हालात को इतनी अच्छी तरह से समझे । लिहाज़ा जिस वक्त वाजियाने क़ानून ने संविधान बनाया उस वक्त इस किस्म के कवानीन का बनाना स्टेट के जिम्मे ही रखा था कि खुद अपने यहां की हालात को देख कर ऐसे क़ानून बनावें और अगर अब हम इसको सेन्टर के सुपुर्द करते हैं तो वह ग़र्ज़ ही फौत हो जाती है जिस के लिये क़ानून में यह बात रखी गयी थी। दूसरी बात यूनीफार्मिटी के बारे में है । मेरा ख्याल है कि इस तरह के लेजिस्लेशन (विधान) चाहे टैक्सेशन (करारोपन) के मुताल्लिक हों या लैंड रिफार्म (भूमि-व्यवस्था) के मुताल्लिक हों या

[नवाब मुहम्मद जमशेद अली खां]

जमींदारी, काश्तकारी या जराअती मामलात पर हो उन सब के अन्दर यूनिफ़ार्मिटी का ख्याल करना ग़लत है। यह बात जितने भी एग्रीकल्चरल कमीशन बैठे हैं उन्होंने भी बड़े गौर व फ़िक्र के बाद तसलीम की है कि हर सूबे के हालात एक दूसरे सूबे से मुख्तलिफ होते हैं चाहे वह इक़तसादी हालात हों, जराअती हों, या रहन-सहन के बारे में हों। इसलिये तमाम भारत के लिये एक कानून बनाने का उसूल ठीक नहीं है कि जिस से आप यूनिफ़ार्मिटी (एकरूपता) चाहते हैं। जिस यूनिफ़ार्मिटी के लिये हम अपने अख्त्यारात को काम में न ला कर मरकज को डेलीगेट कर रहे हैं वह गरज ही ग़लत है। ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि यह रिज़ोलूशन बिल्कुल बेकार हो जाता है बल्कि इस से नुक़सान पहुंचता है।

अब सवाल यह है कि इस्टेट ड्यूटी (सम्पत्ति शुल्क) या डेथ ड्यूटी (मृत्यु-शुल्क) लगाना सूबे के मौजूदा हालात को पेशेनजर रखते हुये कहां तक मौजूं है। पहली बात इस सिलसिले में यह है कि जमींदारी अबालीशन (विनाश) होने के बाद, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स (कृषि आय कर) लगाने के बाद और सेसेज (उपकरों) के बढ़ जाने के बाद इस बात की गुंजाइश बाक़ी भी रहती है या नहीं कि जो कुछ रहा सहा हो वह भी दूसरे टैक्सेज (करों) के जरिये ले लिया जाय। इस ड्यूटी (शुल्क) का ख्याल बिलकुल मग़रबी मुमालिक का ख्याल है। यह हमें मग़रबी मुमालिक से मिला है। वहां का इनहेरिटेंस ला (उत्ताधिकार की विधि) हमारे इनहैरिटेंस के ला से बिलकुल मुख्तलिफ़ है। वहां पर, जहां तक मेरा महदूद इल्म है, विल, (वसीअत) जरिये से इनहैरिटेंस (उत्तराधिकार प्राप्त) होता है। जो शख्स अपनी प्रापर्टी को जिस तरह से मुनासिब समझे उसकी विल कर दे और वह उसी विल (वसीअत) के मुआफ़िक़ काम में लायी जायगी। इस तरह से वह एक मजमूई यूनिट (सब मिला कर इकाई) रहता है। हमारे यहां मुसलमानों में ऐसा नहीं होता है। हमारे यहां का विरासत का तरीक़ा बिल्कुल ही जुदा है। हमारे यहां जो आज एक प्रापर्टी है वह दूसरी पुश्त उससे छोटे टुकड़े और तीसरी में उससे भी छोटे टुकड़े हो जाती है। इस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज (पाश्चात्य देशों) में जो प्रापर्टी एक मजमूई यूनिट में रहती है तो उसके अन्दर मजीद टैक्स का बोझ उठाने की ताक़त कहीं ज्यादा होती है बनिस्बत हमारी प्रापर्टी के जो टुकड़े होती चली जाती है। टुकड़े कम बोझ उठा सकते हैं। जो कानून विरासत के सिलसिले में हमारे हिन्दू साहबान के यहां है वह और भी ज्यादा मनाज़ी है कि इस क़िस्म की डैथ ड्यूटीज (मृत्यु—शुल्क) लगाई जाय। वहां एनसैस्ट्रल प्रापर्टी (पैत्रिक सम्पत्ति) में बच्चे का मां के पेट से ही हक़ हो जाता है। मैं सबजैक्ट टू करैक्शन (शुद्धि के अधीन) हूं, इस वास्ते कि मुझे पूरी वाक़फ़ियत इस क़ानून के मुताल्लिक़ नहीं है। सिर्फ़ वह प्रापर्टी (सम्पत्ति) जो किसी शख्स ने कमाई है वही ऐसी रह जाती है कि जिस तरह से वह मुनासिब समझे उसे तक़सीम करे। इस तरह तमाम प्रापर्टी एक ही यूनिट हमारे यहां नहीं रहती है। तो जब उसके छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह कहां तक मुनासिब होगा कि उनपर और टैक्स लगाकर उनको बिल्कुल खत्म किया जाय। यह चीज बिलकुल गलत होगी। यह चीजें हमारे प्रदेश के रास्ते में और हमारे मुल्क की तरक्क़ी के रास्ते में रुकावट पैदा करती हैं। जिन लोगों ने, बड़े बड़े फ़िलासोफ़र्स (दार्शनिकों) ने, इस मसले पर गौर किया है उनकी यह राय रही है कि अगर इस तरह के टैक्सेशन (कर) से या और इनडाइरेक्ट तारीके से लैंडेड प्रापर्टी (भू सम्पत्ति) का नैशनैलाइजेशन (राष्ट्रीयकरण) करना है तो यह हाफ हार्टेड (अपूर्ण) तरीक़े से और टुकड़ों में नैशनैलाइजेशन करना मुल्क के लिये निहायत खराबी का बाअस होगा। इसके मुक़ाबले में फिर तो वही कम्युनिस्ट उसूल अच्छा होगा, हालां कि मैं उसके फेवर (पक्ष) में नहीं हूं। लेकिन इसके मुक़ाबले में कि आप स्लो प्वाइजनिंग (धीरे धीरे समाप्त) करें, आप यह करें कि हर चीज का नेशनलाइजेशन कर दें। (राष्ट्रीय करण)

लिहाज़ा इन हालात को देखते हुये मैं यह मुनासिब नहीं समझता कि किसी सूरत में भी हमारी तरफ़ से यह सिफारिश जाय कि हम पार्लियामेंट को अख्तियार देदें कि वह हमारे लिये

क़ानून बनाये और एक ऐसा क़ानून कि जिससे तमाम तबाही व बर्बादी हो जायगी और आयन्दा के लिये कोई कोशिश का माद्दा बाक़ी नहीं रहेगा। मैं यह अर्ज़ करने के लिये तैयार हूं बहैसियत एक मामूली जमींदार होने के कि अर्से से जब से ये मामलात जमींदारी के पेश हैं, न काश्तकारों की उस तरफ़ कोई ख़ास तवज्जह बाक़ी रही है उसकी पैदावार बढ़ाने की और जमींदारों का तो हश्र ही क्या हुआ है। वे समझते हैं कि खुदा जाने किस वक्त यह तलवार जो हमारे सिर पर लटक रही है हमें ख़त्म कर दे। अब एस्टेट ड्यूटी (सम्पत्ति शुल्क) का जो नया अफ़साना लाया जा रहा है वह हमारे मुल्क की तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देगी। इन अल्फाज़ के साथ में मुख्य मंत्री जी से अर्ज़ करूंगा कि जब वह इस मसले को इस हाउस (सदन) के सामने लायें तो हमारे सामने वह आदादो शुमार और वह हालात पेश करें कि जिनकी बिना पर इसकी जरूरत महसूस हुई और तब इस बात पर ग़ौर किया जाय कि आया ऐसा लेजिस्लेशन (विधान) बनने की जरूरत भी है या नहीं है। अगर बम्बई की हालत देखते हुये हम अपने यहां कोई क़ानून टैक्सशन (करारोपण) का बना लेते हैं तो वह क़ानून कितना ग़लत होगा। इन अल्फाज़ के साथ में यह गुज़ारिश करूंगा कि आनरेबिल चीफ़ मिनिस्टर इस रेज़ोल्यूशन (संकल्प) को वापस ले लें।

श्री त्रिलोकी सिंह--अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय नेता सदन ने एस्टेट ड्यूटी (सम्पत्ति शुल्क) के सिलसिले में उपस्थित किया है उसका संबंध एक नये प्रकार का कर लगाने से है। संविधान के अन्तर्गत इस प्रदेश के लेजिस्लेचर (विधान मंडल) को यह अधिकार है कि वह इस प्रकार का क़ानून बना सके या पार्लियामेंट से प्रस्ताव द्वारा यह दरख्वास्त करे कि वह इस प्रकार का क़ानून बनाये। मुझे नहीं मालूम कि पार्लियामेंट का जो इस सिलसिले में फ़र्ज़ है या उसको अधिकार है एग्रीकल्चरल लैंड्स (कृषि भूमि) के अलावा दूसरी जायदादों के सिलसिले में एस्टेट ड्यूटी (सम्पत्ति शुल्क) लगाने के बारे में उसने इस अधिकार को इस्तेमाल किया या नहीं। जहां तक मुझे मालूम है, नहीं इस्तमाल किया और अब तक पार्लियामेंट ने नान-एग्रीकल्चरल प्रापर्टी (कृषि भू के अतिरिक्त सम्पत्ति) के सिलसिले में एस्टेट ड्यूटी के संबंध में कोई क़ानून नहीं पास किया। मुझे, श्रीमन्, यह नहीं मालूम है कि एग्रीकल्चरल प्रापर्टी (कृषि-भू-सम्पत्ति) के ऊपर एस्टेट ड्यूटी लगाने के सिलसिले में किसी दूसरे प्रदेश ने कोई क़ानून पास किया है या नहीं अथवा इस प्रकार की कोई दरख्वास्त पार्लियामेंट से की है या नहीं कि पार्लियामेंट ऐसा क़ानून बनाये।

दो प्रश्न इस सिलसिले में उपस्थित होते हैं। एक तो यह है कि क्या यह मौका मुनासिब है कि एग्रीकल्चरल लैंड (कृषि-भू) के ऊपर कोई और नये प्रकार का टैक्स लगाया जाय। जहां तक जमींदारी के ख़ात्मे का सवाल है वह तो एक समय की बात अब रह गई है। अदालत का फैसला हो जाने में मेरी राय में कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और जमींदारी ख़त्म हो जायगी। उसके बाद एग्रीकल्चरल प्रापर्टी (कृषि सम्पत्ति) दो प्रकार की रहेगी, एक तो बागात और दूसरे खेत। इसमें शुबहा नहीं कि खेती के सिलसिले में इधर भी हाल में कुछ नये नये फार्म हजार हजार, पांच पांच सौ, दो दो सौ और सौ सौ एकड़ के खोले गये हैं। इसके कब्ल जमींदारों की बड़ी बड़ी सीरें थीं सौ सौ, दो दो सौ और तीन तीन सौ एकड़ की। लेकिन ऐसे लोगों की तादाद जिनके पास बड़े बड़े फार्म हों, खेती हो, बागात हों एक फीसदी नहीं बल्कि १।१० फीसदी शायद पूरे प्रान्त में हों। आज इत्तिफाक से मेरे पास आंकड़े मौजूद नहीं हैं, इसका मुझे दुख है, वर्ना मैं पेश करता। जाहिर सी बात है कि जब कोई इस प्रकार का कानून बनता है तो महज चन्द लोगों पर, थोड़े से लोगों पर टैक्स लगाने के सिलसिले में नहीं बनता। हो सकता है कि जो कानून सेण्ट्रल पार्लियामेंट इस सिलसिले में बनाये उसमें वह ऐसे लोगों पर भी एस्टेट ड्यूटी लगादे जिनका ५० एकड़ का फार्म है या २५, ३०, या ४० एकड़ में जिनका बाग है।

एक तरफ तो हम यह कहते हैं कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन (उत्पादन) बढ़ना चाहिये, खेती की पैदावार की कमी के कारण ९० करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार का महज दूसरे देशों से

[त्रिलोकी सिंह]
अन्न खरीदने में खर्च होता है, इस प्रदेश की सरकार को भी ३ या ४ करोड़ नुकसान इससाल हुआ और आइन्दा साल ८ या ९ करोड़ का नुकसान है। तो खेती की पैदावार को बढ़ाने और प्रोत्साहन देने के लिये एक बहुत बड़ा उपाय, श्रीमन्, यह है कि आप फार्म ओनर्स (खेतों के स्वामियों) को, किसानों को, इस प्रकार की मदद दीजिये कि वे अपने खेत की पैदावार को बढ़ायें। मुझे भय है कि ऐसे समय में जब कि केन्द्रीय सरकार और प्रादेशीय सरकार का जोर खेत की पैदावार को बढ़ाने की तरफ है उस मौके पर एग्रीकल्चरल लैंड (कृषि भू) के ऊपर ड्यूटी (शुल्क) लगाने की बात करने से क्या इस योजना में हमें प्रोत्साहन मिलेगा? जैसा मैंने अर्ज किया, मुझे भय है कि उसका असर उल्टा होगा। इसलिये मैं, श्रीमान् आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वह इस प्रश्न को इस प्रकार न लायें बल्कि इसके वादविवाद का पूरा मौका होना चाहिये, पूरे आंकड़े होने चाहिये कि इस प्रकार की एस्टेट ड्यूटी का प्रश्न पार्लियामेंट में उठा या नहीं उठा, दूसरे प्रदेशों में उठा या नहीं उठा और अगर उठा है तो वहां लोगों ने, और उन सरकारों ने इस सिलसिले में क्या राय कायम की है ताकि बहुत समझ बूझ कर इस सिलसिले में कदम उठाया जाय।

मुझे कोई ज्यादा अर्ज नहीं करना है, साफ बात है और उसमें कोई पेचीदगी भी नहीं है। सिर्फ मेरी निगाह में एक मोटी बात यह है कि ऐसे समय में जब कि खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिये सरकार हर तरह का प्रोत्साहन देने को तैयार है और खर्च करने को तैयार है और खेती की पैदावार की कमी से सौ करोड़ से अधिक केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों को घाटा होता है, या सालाना खर्च करना पड़ता है, तो इस प्रकार के नये टैक्स के लगाने की चर्चा छेड़ना कहां तक मुनासिब है।

मैं समझता हूं कि मुनासिब है और इस लिये मैं श्रीमान् आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें और आइंदा के लिये यदि इसकी जरूरत समझें तो पूरे आंकड़ों सहित और पूरे वादविवाद का मौका देकर इस सदन के सामने उपस्थित करें जब कि यह अनाज की कमी का प्रश्न दूर हो जाय जिससे कि इस बात से कि जो नई ड्यूटी खेती और बागात की पैदावार के ऊपर लगने जा रही है, लोगों के दिलों में भ्रम न पैदा करे और वह प्रयत्न जो खेती की पैदावार बढ़ाने के सिलसिल में हो उसमें किसी प्रकार की कमी न हो।

श्री बनारसी दास--अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय विरोधी दल के नेता ने जो अभी अपने विचार व्यक्त किये हैं उनको सुनकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक तो आशंका यह प्रकट की कि इस नये कर से खेत की पैदावार पर असर पड़ेगा। खेत की पैदावार कम हो जायगी, खेती के उत्पादन के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं होगा। प्रश्न तो हमारे सामने यह है कि आया हम उस कर के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि नहीं। फिर जहां तक उसके विस्तार का सवाल है कि किन वर्गों पर लगेगा, कितनी आय पर लगेगा यह तो एक आपके सोचने की चीज है और जहां तक टैक्स लगाने का सिद्धांत है जो भी जनता के प्रतिनिधि हैं वह जनता की मांग को और उनकी इच्छाओं को किसी भी तरह से ठुकरा नहीं सकते। तो हमें विचार करना है कि हमारे इस प्रान्त की आर्थिक स्थिति क्या है और आगे हमारे ऊपर क्या बोझा है।

हमारे सामने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आगामी साल का बजट पेश किया है उसमें नई योजनाओं के लिये किसी भी प्रकार की आय का कोई सिद्धांत उसमें नहीं दिखाया गया है। इसी तरह से जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का बजट है उसमें भी जो हमारी पंच वर्षीय योजनायें हैं उनको पूरा करने के लिये धन का पूर्णतया अभाव मालूम पड़ता है। नया सदन जिस वक्त बैठेगा उसके सामने यह प्रश्न होगा कि हम किस तरह से पंच वर्षीय योजना

के अनुसार अपने प्रान्त का विकास करें। यदि हमें पंच वर्षीय योजना के अनुसार इस प्रांत का विकास करना है तो हमको नये साधनों को खोजना होगा जिससे कि हमारे इस प्रान्त की सम्पत्ति बढ़े, हमारे प्रान्त का सिर ऊंचा हो और यहां की जनता को हम सुख और सुविधायें पहुंचा सकें। तो इस लिये नये टैक्स से हम किसी भी प्रकार से बच नहीं सकते। हमको उससे घबराना नहीं है। देखना केवल यह है कि उस टैक्स का मंशा क्या है। उससे हमारे इस प्रांत और समाज के सुख के अन्दर वृद्धि होगी या जनता के सर के ऊपर एक नया बोझा होगा।

टैक्स का एक माना हुआ सिद्धान्त है जो हमारे देश में अनादिकाल से चला आता है। टैक्स कैसे लगना चाहिये जैसे सूर्य जहां पर जल होता है उसको सुखा देता है, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर सूर्य जल को सुखायेगा तो वर्षा जिस समय होगी वह समान रूप से होगी। तो इस वक्त में दो विचार धारायें हमारे देश में काम कर रही हैं। एक तो गांधीजी का मार्ग है, हम यहां पर समानता और लोगों के सुख को और जिसको कि हम एक आर्थिक और सामाजिक जनतंत्र कहते हैं हम किस तरीके से कायम करें। दूसरा तरीका हिंसा का है, कम्युनिस्टों का है। वह जमीनो को छीन करके, सम्पत्ति को छीन करके गरीबों को ऊपर लाना चाहते हैं और इस प्रकार से समाज के अन्दर समता लाना चाहते हैं।

हमने जानबूझ कर अहिंसात्मक ढंग अपनाया है, शान्तिमय ढंग को हमने अपनाया है। एक बार जब आपने समानता का उसूल स्वीकार कर लिया, जब आपने प्रत्येक व्यक्ति को समानता दे दी राष्ट्र के कार्यों में हिस्सा लेने की तो फिर समानता देने के बाद भी आप समानता की तरफ सहर्ष कदम उठाने में संकोच क्यों करें ? इस से तो आप हिंसात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देंगें और इस देश के अन्दर क्रांति लाने की दावत देंगे इस लिये इस टैक्स का जो सिद्धांत है जो भी आज धनिक वर्ग है चाहे वह जमींदार हो चाहे अन्य प्रकार की सम्पत्ति का मालिक हो, जब कि पुलिस के पहरे के नीचे वह अपनी सम्पत्ति को संचित करते हैं तो क्या कारण है कि वह राज्य जो कि समाज की एक कार्यकारिणी है वह भी उस सम्पत्ति का भागीदार न हो।

इस टैक्स का मतलब हरगिज यह नहीं है कि जमीन की पैदावार न बढ़े। इस टैक्स का मतलब यह है कि किसी सम्पत्ति में राज्य का भाग भी होना चाहिये। तो जहां तक इस प्रस्ताव का संबंध है इसका मतलब तो यह है कि चूंकि सब प्रकार की सम्पत्ति पर, जमीन के अलावा, केन्द्रीय सरकार को कर लगाने का अधिकार है और एग्रीकल्चरल (कृषि) सम्पत्ति पर नहीं है, इसलिये एक ही सिद्धान्त के अनुसार जब नियम बने और हमारी केन्द्रीय सरकार जिस समय कि नान-एग्रीकल्चरल सम्पत्ति पर इस प्रकार का टैक्स लगाये तो एग्रीकल्चरल (कृषि) सम्पत्ति को भी उसके दायरे से बाहर न रखे।

पारसाल एस्टेट ड्यूटी (सम्पत्ति शुल्क) के सम्बन्ध में पालियामेंट में चर्चा हुई थी। उस वक्त यह इरादा था कि यह एस्टेट ड्युटी (सम्पत्ति शुक्ल) लगाई जाय और यह कोई नई चीज नहीं है। सभी प्रगतिशील राज्यों में एस्टेट ड्यूटी (सम्पत्ति शुल्क) का प्राविजन (उपन्धका) है। इसलिये हमारी यह असेम्बली जिसका कि जीवन अब खत्म हो रहा है, यदि एक प्रगतिशील कदम उठाये और नये सदन के लिये एक प्रेरणा दे तो यह हम सब लोगों के लिये गर्व की बात होनी चाहिये। हमें इस बात के देखने की जरूरत नहीं है कि हमें किस प्रांत ने मार्ग दिखाया है। हम दूसरे प्रांतों की तरफ क्यों देखें। हमें स्वयं अगुआ बनना चाहिये। तो हमको सोचना होगा कि जिस तरह से आज बिनोवा भावे जमींदारों से भूमि दान देने के लिये कहते हैं एक तरीका यह है और दूसरा शान्तिमय तरीका असेम्बलियों और पालियामेंट के द्वारा है। वह भी एक अहिंसात्मक तरीका है। हमको निश्चय करना होगा कि हम स्टेटस को (पूर्व स्थिति) कायम रखना चाहते हैं, हम मौजूदा समाज को कायम रखना चाहते हैं या मौजूदा समाज को शान्तिमय ढंग से बदलना चाहते हैं। एक ऐसा समाज जहां पर हमने जनता को समान रूप से वोट देने का अधिकार दे रखा है और जिन्होंने अपना वोट देकर हममें अपना विश्वास प्रगट किया है उन को हम

[श्री बनारसी दास]

वास्तविक स्वतंत्रता देना चाहते हैं उनको हम आर्थिक स्वतंत्रता देना चाहते हैं। हमारी असेम्बलियां यदि वास्तव में आर्थिक स्वतंत्रता जनता को देने में असफल रहेंगी तो क्रांति की शक्तियां आयेंगी। उसके अन्दर ये बह जायेंगी और उसके साथ-साथ जो लोग उनके संरक्षक बनना चाहते हैं वे भी उड़ जायेंगे। मैं तो हमेशा यह समझता हूं और मुझे ऐसा मालूम होता है कि हमारे यहां की विधान सभाएं एक प्रकार का ब्रेक (रुकावट) बन गई हैं जनता की प्रगति के अन्दर और आज जो हमारी चाल है वह हमको प्रगति के रास्ते की तरफ जाने से रोकती है। लेकिन मेरा विश्वास है कि जितनी भारी तादाद में हम को जनता का विश्वास प्राप्त हुआ है और वास्तव में हमको जो यह निधि मिली है यदि उसके हम सही मानों में अधिकारी हैं तो हमें जनता के विश्वास के योग्य बनना होगा और जनता हमसे यही मांग करती है कि जो लोग ऊपर हैं उन को नीचे की तरफ लाया जाय और जो लोग नीचे हैं उनको ऊपर की तरफ ले जाया जाय।

केवल वोट की समानता का नारा लगाना जनता को भ्रम में डालना है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करना चाहिये। जो जमींदार वर्ग के लोग हैं और जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं वह लोग इस चीज को समझें और देखें कि आज हमें एक अर्जेंसी (आपात) के अन्दर समय की मांग के अनुसार ऊपर उठना चाहिये। जो भी वर्ग अपने स्थापित स्वार्थ की रक्षा करने की कोशिश करते हैं वह लोग भूल जाते हैं इतिहास के सबक को। वह न केवल अपने स्थापित स्वार्थों की ही रक्षा कर सकते हैं बल्कि उनको उसकी कीमत अपने खून से देनी पड़ती है।

हिन्दुस्तान में हमने निश्चय कर लिया है कि हम इस खून के इतिहास को, इस खूनी क्रांति को नहीं दोहराने देंगे और जो परम्परा हमारे देश की है उससे हम एक ऐसे समाज का विकास करेंगे जो एक अहिन्सात्मक समाज होगा। इसलिये जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। हमारा प्रांत इस देश का सबसे अगुआ प्रांत है और यह सबसे आगे बढ़ा चढ़ा है। केन्द्रीय सरकार की ओर से यह एस्टेट एड्यूटी (सम्पत्ति शुल्क) शीघ्र लगाई जाय जिससे हमारे प्रांत की आय बढ़े और जो समाज को ऊंचा उठाने का कारण हो। समाज को ऊपर उठाने के लिये हमको पैसा काफी तादाद में मिल सके। गवर्नमेंट को इस बात की शिकायत न हो कि पैसे के अभाव में हम प्रांत की विकास योजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर पाये। जितनी विकास की योजनायें हमने ली थीं उनको हमें पैसे की कमी के कारण छोड़ना पड़ा। इस लिये अध्यक्ष महोदय मैं अपने सदन के सभी साथियों से यह अपील करना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव प्रगतिशील है और हमको सामाजिक और आर्थिक समानता की ओर ले जाने वाला है। इसलिये इसको हमें सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिये। जिनके हाथ में आज सम्पत्ति है, जो खुशकिस्मत हैं और जो अब तक हर तरह के आराम के साथ रहे हैं उनको युग की पुकार को समझना चाहिये अधिक समय तक आप अपना विश्वास जनता को नहीं दिला सकते इसलिये इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा है कि यह भवन सर्वसम्मति से इसको मंजूर करेगा और केन्द्रीय सरकार इस संबंध में जल्द एक बिल पेश करेगी।

श्री अक्षयकुमार करण--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो प्रस्ताव हमारे सामने है वह बड़े महत्व का है और उसका महत्व इसलिये भी है कि हमारे प्रदेश के इस तरह के मसले सुलझाने के लिये आज हिन्दुस्तान का सब से बड़ा फकीर गांव गांव में घूम रहा है और इस मसले सुलझाने की चर्चा घर-घर में कर रहा है। आज वह बड़ों और छोटों इस समस्या को सुलझाने की अपील कर रहा है। हम समझते हैं कि इस की चर्चा करने के लिए यह उपयुक्त सदन है और इसको फराखदिली के साथ इस मामले में फैसला करना चाहिये। आगे जो लोग चुनाव लड़कर आये हैं और जनता ने जिनको यहां भेजा है, मैं समझता हूं कि वह लोग इस मामले को और भी दिलेरी

और फराखदिली के साथ सोचेंगे और विचारेंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि जनता का जो विश्वास उनको प्राप्त हुआ है वह गरीब है। अभी जो लोग यहां मौजूद हैं उनमें से बहुत से लोग ऐसे वर्ग के हैं जिनके लि यह मसला बहुत बड़ा है लेकिन उन लोगों को चाहिये कि वह जरा दिलेरी और फराखदिली से इस पर विचार करें और लोगों को बतलाये कि हम लोगों ने अपनी सरकार को यह विश्वास दिलाया था कि हमारे पास जो सम्पत्ति है और जो हमारी आय है उस सबको हम राष्ट्र निर्माण के लिये लगा सकते हैं और हम फराख दिली के साथ सरकार कोसहयोग देते हैं। मैं इसलिये इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि हमारी सरकार यह बड़ा कदम उठावे।

किसी बड़े मसले को हल करने के लिये तीन तरीके हैं। तीसरा तरीका हम इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते क्योंकि इस सदन के सामने हमने जिस महापुरुष का चित्र टांग रखा है वह कार्य उनके आदेशों और हमारे सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा और अगर वह तरीका हम इस्तेमाल करेंगे तो वह अवैधानिक तरीका होगा। दो तरीके अब रह जाते हैं जिनमें एक तरीका तो है हृदय परिवर्तन का। लेकिन उसके लिये जनता जागरूक हो, लोगों की मनोभावना बदले और उसी को बदलने के लिये आज विनोबा जी घूम रहे हैं। वह चाहते हैं कि जमीन से जो आय होती है उस पर टैक्स लेने का अधिकार तो सरकार को है, लेकिन उसके लिये भी आवश्यकता है हृदय परिवर्तन की। जमीन से जो आय होतीन है वह र बहुत बड़ा मसला है। वे लोग जिनके पास जमीन की सम्पत्ति बहुत बड़ी है उको विचारेक करना होगा कि वह सम्पत्ति का कुछ हिस्सा उन लोगों को दें जिनके पास कुछ भी नहीं है। जिनके पास आज जमीन नहीं है उनकी तादाद ४५ फीसदी आदमियों की है और अगर आंकड़ों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफी लोग इस प्रकार के हैं जिनके पास जमीन नहीं है। तो ऐसे लोग जिनके पास जमीन है वह कुछ न कुछ हिस्सा अपने हिस्से में से छोड़ दें और दूसरा तरीका है कि उस पर कुछ कर लगायें और कर लगाकर उसका कुछ हिस्सा उन लोगों के पास आये।

हम तो उम्मीद करते हैं कि जो तरीका विनोबा जी ने आरम्भ किया है वह उत्तम है कि जिन के पास जमीन है वह अपनी सम्पत्ति में से कुछ हिस्सा स्वेच्छा से छोड़ दें, वह स्वेच्छा का तरीका होगा और सही तरीका होगा क्योंकि उस हालत में वह जनता के उस धन के सच्चे ट्रस्टी होंगे। दूसरा तरीका जो कर का है वह भी तभी सही होता है जब लोगों की मनोभावना बदले, वातावरण बदले। उस वातावरण को बदलने के लिये और लोगों को आगाह करने के लिये आज विनोबा जी घूम रहे हैं। विनोबा जी के साथ घूमते हुये हम लोगों को सैकड़ों जमींदारों से मिलने का मौका मिला है और बहुत से जमींदारों से बातें हुई हैं कि आज देश की परिस्थिति को देखते हुये यह सम्पत्ति उनके पास इस तरह से बहुत दिनों तक नहीं रह सकती। उसमें कुछ न कुछ हिस्सा लोगों को देना पड़ेगा। मुझे खुशी है और मैं सदन को बतलाता हूं कि हमारे बहुत से भाइयों ने उसमें हिस्सा लिया है। पीलीभीत के तीन परिवार ने साढ़े सात हजार एकड़ भूमि का दान किया है और इसी तरह से और बहुत से जमींदार हैं जिन्होंने अपनी जमीनें दी हैं और उन्होंने अपने जमीन के मुआविजे को भी दान कर दिया है और जमींदारों को वह कम्पेंसेशन (प्रतिकर) सीधा नहीं देना पड़ेगा और स्टेट को वह बचत होगी और वह उसको नेशन बिल्डिंग वर्क्स (राष्ट्रनिर्माण कार्यों) में खर्च कर सकती है। तो आज जो विनोबा जीक रहे हैं वह यही है कि गांव के लोग भी समझें और बड़े बड़े तबके के लोग भी समझें।

इसके अलावा जो जमींदारों की बहुत सी जमीन परती पड़ी हुई है आज वह उसका भी बन्दोबस्त कर रहे हैं उसमें से भी कुछ फायदा उन्होंने उठाया है। जमींदारी अबालीशन में जो देरी हुई है उसके कारण भी जमींदारों को काफी फायदा मिल गया। बहुत से जमींदारों से मुझे बातें करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि जमींदारी से हमें फायदा न होता लेकिन जमींदारी में देरी करके सरकार ने हमको मौका दिया और हमको आठगुना या दसगुना फायदा करने का मौका मिला। इसलिये उसमें से बहुत सा फायदा मिल चुका है और

वह इस समय दिलेरी से कुछ हिस्सा राष्ट्र के निर्माण में दें तो वह तरीका उचित और न्यायोचित होगा और इस प्रकार से वे राष्ट्र की मदद करेंगे। यह वातावरण एक सही वातावरण होगा और उस कार्य को पूर्ण करने में उनको अग्रसर होना चाहिये।

मैं बतलाना चाहता हूं कि विनोबा भावे जी के घूमने से इस समय जो सबसे बड़ा मौका हमारे सूबे को मिला है कि जमीन का समान वितरण करके जो आय हो उसका समान वितरण कर सकें उससे हमें लाभ उठाना चाहिये। इस आदरणीय सदन के सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि वे भी इससे लाभ उठायें और ज्यादा से ज्यादा उसमें दिलचस्पी लें ताकि वह जो वातावरण बन रहा है उसके बनने में सहायता मिले। जमीन के समान वितरण का यह एक सुनहरा मौका मिला है। उत्तर प्रदेश में अगर एक लाख एकड़ जमीन हस्तान्तरित हो, ५ लाख एकड़ में से अगर एक लाख एकड़ जमीन उन लोगों को दे दी जाय जिनके पास नहीं है, तो जमीन की सम्पत्ति की आय से हमको लाभ उठाने का मौका अनायास ही मिल जाता है। दोनों तरह के वातावरण बना कर अगर हम कानून बनायेंगे तो ही कानून ठीक होगा और उसके बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिये मैं अपने इस सदन के माननीय सदस्यों से और उनसे जिनके पास बहुत बड़ा हिस्सा जमीन का है, निवेदन करूंगा कि अमीर लोगों को गरीबों की सेवा करके लाभ उठाना चाहिये ताकि देश में समानता का वातावरण पैदा हो। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह जो सही कदम है इसमें सब लोग सहयोग दें क्योंकि आगे आने वाला सदन इस पर विचार करेगा क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं जो तबका चुन कर आया है वह तो हमारे उन गरीबों का तबका है जिसको इस पर विचार करना ही पड़ेगा और इस समय जो बहुत से लोग यहां बैठे हैं वह उस वक्त अपनी राय न दे सकेंगे, इसलिये आज जो लोग यहां हैं वह खुले दिल से अपनी राय दें और इससे सहमत हो कर राय देंगे तो बड़ा श्रेयष्कर होगा।

माननीय अध्यक्ष—मेरे पास श्री वीरेन्द्र शाह ने एक संशोधन की सूचना भेजी है। उसमें वह यह कहते हैं कि प्रस्ताव की पहली पंक्ति में तथा अंतिम खंड की पहली पंक्ति में से "कृषि संबंधी भूमि" शब्द निकालकर "कृषि भूमि आय से अन्य सम्पत्ति" रख दिये जायं।

मैं इसको नियमित संशोधन नहीं मानता। इसलिये कि कृषि संबंधी भूमि तो है ही। यह प्रस्ताव तो उसकी मुखालिफत में है। माननीय सदस्य उसकी मुखालिफत कर सकते हैं। इस संशोधन की गुंजाइश नहीं है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव इस समय माननीय मुख्य मंत्री द्वारा इस भवन के संमुख उपस्थित किया गया है उस के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री ने इस भवन के सदस्यों को यह बताने का कष्ट नहीं किया कि यह एस्टेट ड्यूटी आन एग्रिकल्चरल लैंड्स (कृषि संबंधी भूमि पर सम्पत्ति शुल्क) क्या चीज होगी और किस प्रकार इसका निफाज होगा। मेरी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। संभव है कि इस सदन के माननीय सदस्य कुछ जानकारी रखते हों। भारतीय संविधान के अनुसार एस्टेट ड्यूटी आन एग्रीकल्चरल लैंड लगाने का ए और बी स्टेट को स्वत: अधिकार दिया गया है। इस स्थिति में इस भवन को पूर्ण अधिकार है कि वह इस के लिये कानून बनाये। साथ ही साथ कांस्टिट्यूशन (संविधान) में यह भी दिया गया है कि यह स्टेट चाहे तो प्रस्ताव द्वारा पार्लियामेंट को अधिकार दे कि वह इस विषय पर कोई ऐसा कानून बनाये।

श्रीमान् जी, मैं यह ज्ञात करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को उपस्थित करने की क्या आवश्यकता प्रतीत हुई। क्या पार्लियामेंट में इस संबंध में किसी प्रकार का विचार हो रहा है। दूसरी स्टेट्स में भी इसके संबंध में प्रस्ताव पास हुये होंगे। उन सूबों की भी जानकारी इस भवन को देना आवश्यक थी। मैं इस संबंध में यह निवेदन करना चाहूंगा कि संविधान के अनुच्छेद २५२ में यह दिया हुआ है कि :—

"If it appears to the Legislatures of two or more States to be desirable had any of the matters with respect to which Parliament has no power to make laws for the States except as provided in articles 249 and 250 should be regulated in such States by Parliament by law, and if resolution to that effect are passed by all the Houses of the Legislatures of those States, it shall be lawful for Parliament to pass an Act for regulating that matter accordingly."

[यदि किन्हीं दो अथवा अधिक राज्यों के विधान मंडलों को यह वांछनीय प्रतीत हो कि उन विषयों में से, जिनके बारे में संसद् को अनुच्छेद २४९ और २५० में उपबन्धित रीति के अतिरिक्त उन राज्यों के लिये विधि बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसद् विधि द्वारा करे तथा यदि उन राज्यों के विधान मंडलों के सब सदनों ने उस लिय संकल्पों का पारण किया है तो उस विषय का तदनुकूल विनियमन करने के लिये किसी अधिनियम का पारण करना संसद् के लिये विधि संगत होगा ।]

उसके आगे का पोर्शन (भाग) यह है :—

"and any Act so passed shall apply to such States and to any other State by which it is adopted afterwards by resolution passed in that behalf by the House or, where there are two Houses, by each of the Houses of the Legislature of that State."

[तथा इस प्रकार पारित कोई अधिनियम ऐसे राज्यों को लागू होगा तथा किसी अन्य राज्य को, जो तत्पश्चात अपने विधान मंडल के सदन अथवा जहां दो सदन हों वहां दोनों में से प्रत्येक से इस लिये पारित संकल्प द्वारा उसको अंगीकार करे, लागू होगा ।]

तो हमको अगर कोई कानून पार्लियामेंट बनाती है उसको स्वीकार कर लेने का अधिकार है। हर एक स्टेट की भिन्न भिन्न परिस्थितियां होती है। पता नहीं वह किसी प्रकार से इस स्टेट की परिस्थितियों के अनुसार हो या न हो कि हमारे यहां किस प्रकार से एस्टेट ड्यूटी (सम्पत्ति शुल्क) होनी चाहिये और दूसरी स्टेट्स में किस प्रकार से होनी चाहिये । प्रस्ताव में कहा गया है कि समानता के लिये ही पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह ऐसा कानून बना दे। जहां तक इस प्रस्ताव का उद्देश्य है मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं । लेकिन देखना यह है कि हम एक ऐसे कानून को बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को दे रहे हैं जिसके लिये कानून बनाने का अधिकार स्वतः हमको है । पार्लियामेंट कोई कानून पास करे और बाद में हम कोई प्रस्ताव पास करें यह हमारे अधिकार में है। लेकिन जो अधिकार हम पार्लियामेंट को दे रहे हैं इस अधिकार को देने से इस भवन के माननीय सदस्यों को कुछ राय जाहिर करने का मौका नहीं मिलेगा। हम समझते हैं कि जब एस्टेट ड्यूटी के बनाने का अधिकार इस भवन के माननीय सदस्यों को है तो विचार विनिमय होना बहुत आवश्यक है। अगर उसकी रूपरेखा हमारे सामने होगी तो इस भवन के माननीय सदस्य उस पर विचार कर सकेंगे। जनता को भी उसकी जानकारी होगी और हम भी अपना उत्तरदायित्व समझेंगे। जिनके वोटों से चुनकर यहां आये थे उनके कष्टों और सहूलियत का ध्यान हम रखेंगे। इस प्रकार से प्रस्ताव पास करके दे देने से हमें अपनी बातों को कहने का मौका नहीं मिलेगा। मैं तो यही समझता हूं कि यह प्रस्ताव जल्दी में लाया गया है। हमें आगे भी इस प्रकार का प्रस्ताव लाने के लिये समय मिलेगा। अधिक जानकारी के बाद हम अपने विचारों को भवन के सामने अच्छी प्रकार से रख सकेंगे। इसलिये अगर इस प्रस्ताव को हम इस समय न रखें तो अच्छा हो। जब अगले चुने हुये मेम्बरान आयेंगे तो विशेषरूप से इस पर विचार हो सकेगा। मैं समझता हूं कि अगर प्रस्ताव को पास करना ही है तो हमको विशेष रूप से इसकी जानकारी होनी चाहिये कि ऐसी एस्टेट ड्यूटी जो एग्रीकल्चरल लैंड (कृषि संबंधी भूमि) पर लगेगी उसकी क्या रूपरेखा होगी, उससे कितनी आमदनी का अन्दाजा है और किस काम में उसे लगाया जायगा और वह कैसे खर्च होगी। इन सब बातों की जानकारी के बिना इस प्रकार

[श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य]

से प्रस्ताव पास कर देने में एक उलझन मालूम होती है, एक उजलत की चीज भी है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे।

श्री गोविन्द सहाय—अध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा इस डिबेट (वाद-विवाद) में हिस्सा लेने का नहीं था। चूंकि मैं ऐसा समझता हूं कि जो पार्टी पावर में (शासनारूढ़) हो उसकी ओर से अगर कोई अच्छा प्रपोजल आवे तो अपोजीशन का काम केवल यह नहीं होता है कि उस प्रपोजल को इसलिये मुखालिफत करे क्योंकि वह अपोजीशन की तरफ से आया है। मैं इस किस्म की चीजों को प्रोग्रेसिव (प्रगतिशील) चीजें समझता हूं और मुझे खुशी होती है कि हमारी पालिसी जो है वह उस तफ जा रही है जिस पालिसी के जरिये हम जिस समाज की रचना करना चाहते हैं उस तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। मगर मुझे अफसोस है कि अपने उस प्रपोजल के पक्ष में जो दलीलें दी गयी हैं, जिस हालत में उसे रखा गया है, मेरा यकीन है कि उससे कोई फायदा न स्टेट का होनेवाला है, न समाज का होने वाला है। वह सिर्फ एक आइडिआलाजिकल डिबेट (आदर्श संबंधी वाद-विवाद) के लिये यहां पर हमारे सामने पेश है। किसी अच्छे प्रोपोजल को लाने के लिये जरूरी है कि उसके अनुकूल पहले लोगों के दिल व दिमाग को तैयार करें। यह सही बात है कि इस स्टेट की हुकूमत को कई बहुत बड़ी-बड़ी बातें करने का मौका हुआ है लेकिन यह भी सही है कि किसी प्रगतिशील हुकूमत की जितनी भी अच्छी बातें हैं, वहां उन सब के सब को नाकामयाब होने का ज्यादा मौका भी इस सूबे को मिला है। गवर्नमेन्ट जितने भी प्रपोजल रख दे, लेकिन उसके पास करा देने से, या उसके कानून बनवा देने से या उसके लागू होने से कोई फायदा नहीं होता। किसी प्रपोजल को लाने के लिये यह जरूरी है कि आप लोगों को उसके लिये मानसिक तरीके से तैयार करें। आप किसी भी ऐसे प्रपोजल को कामयाब नहीं कर सकते हैं जिसको जनता का समर्थन न हो जैसा मैंने अभी कहा कि हमने जमींदारी खत्म करने का सवाल उठाया, हमने वेलफेयर स्टेट (जनहितकारी राज्य) बनाने की बात कही लेकिन जितनी बातें हमने कहीं उससे लोगों का कोई फायदा नहीं हुआ है, समाज का कोई फायदा नहीं हुआ है। हमें तो समाज के अन्दर जागृति पैदा करनी है। इसलिये मैं जरूरी समझता हूं कि प्रपोजल लाने के पहले आप लोगों के दिल व दिमाग को तैयार करें, उनके ख्याल को बदल दें समाज में एक ऐसी आबोहवा पैदा करें कि लोग अपने को समझें कि वे क्या हैं।

असल में लेजिस्लेचर जो होता है वह लोगों की आवाज की एक तस्वीर है। क्या लोग जो चाहते हैं उसका अक्स लेजिस्लेचर के जरिये होता है। लोग जो चाहते हैं उनकी ख्वाहिश के हम नुमाइन्दे हैं लेकिन तो भी हम जो चाहते हैं वह लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। जमींदारी एबालीशन को हमने शुरू में लिया, जमींदारी एबालीशन का मकसद था किसानों के अन्दर जमीन के प्रति मुहब्बत पैदा करना, लेकिन मेरा यकीन है कि हमारा वह मकसद पूरा नहीं हुआ। जो एबालिशन का कानून पास हुआ उसको वे अपने हित में नहीं समझते क्योंकि उनके अन्दर पब्लिक जज़बात का माद्दा जो पैदा होना चाहिये, वह नहीं है।

एक आनरेबिल मेम्बर ने गांधीवाद और कम्युनिज्म की चर्चा की। उन्होंने यह बतलाया कि चूंकि वे गांधी जी के उसूल को मानने वाले हैं और उस उसूल के मातहत काम करने को बाध्य हैं इसलिये वे गांधीवादी उसूल के मातहत काम कर रहे हैं। मैं बड़े अदब से कहूंगा कि गांधी जी के उसूलों का अक्सर चर्चा किया जाता है कि इस मुल्क के अन्दर गांधी जी के उसूलों का बड़ा असर है। अगर इस बात को देखा जाय तो मैं यह कह सकता हूं कि आज पब्लिक के अन्दर उनके विचार जीरो प्वाइंट पर (कुछ नहीं के बराबर) हैं—जब कि उनके नाम लेने वालों की हुकूमत है। इतना ही नहीं मैं समझता हूं कि गांधी जी के उसूलों को इस हुकूमत के जरिये और उनका नाम लेने वालों के जरिये जितना पैरों तले रौंदा जाता है उतना शायद कभी भी नहीं रौंदा गया है। जब तक किसी इज्म (वाद) को ठीक तौर पर समझा न जाय तब तक उसके विषय में बात करना फिजूल सा है।

वायलेंस और नान-वायलेंस (हिंसा तथा अहिंसा) का जहां तक ताल्लुक है कोई भी स्टेट अगर कोई कानून बनाती है तो वह नान-वायलेंट (अहिंसात्मक) तरीके से काम करने की जिम्मेदारी लेकर काम नहीं करती है। अगर आपने जमींदारी को खत्म करने का प्रस्ताव पास किया था तो उसके पीछे जो सेंक्शन (शक्ति) थी वह मिलिटरी और पुलिस की सेंक्शन थी। उस फोर्स (बल) के आधार पर आप उस काम को करना चाहते हैं तो यह नान-वायलेंस (अहिंसा) कहां हुआ। आप कम्यूनिजम की बात करते हैं और उसकी दुहाई देकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं लेकिन मेरा यह ख्याल है कि रूस में कम्युनिस्ट रेवोलूशन हुआ है वहां बहुत कम वायलेंस हुई है। उन मुल्कों के अन्दर जहां पर आप नान-वायलेंस से काम करने की बात करते हैं आज नान-वायलेंस के नाम की आड़ में ज्यादा वायलेंस हो रहा है। आज नान-वायलेंस का असर उतना भी नहीं है जितना पहिले था। खास कर कांग्रेस पार्टी के अन्दर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इसको पूरी तरह से मानते हों। मेरा ख्याल है कि ७०,७५ फीसदी लोग पहले इस तरह के थे जो नान-वायलेंस को नहीं मानते थे और आज तो उनकी तादाद बहुत बढ़ गई है। इस लिये मेरा यह कहना है कि आप इन बातों को अगर न उठायें तो ज्यादा अच्छा है। गांधी जी का नाम लेकर या कम्युनिस्ट का भूत दिखा कर कोई बात करना किसी तरह से भी फायदेमन्द नहीं हो सकता। जो हालत है जो आबोहवा है उसको देखकर और पूरी तरह से समझ कर अगर आप कोई कानून बनायें तो ज्यादा मुनासिब और फायदेमन्द होगा। आप सिर्फ उतने कानून बनायें जितने की जरूरत है, जितना जनता चाहती हो और जितने की मांग हो तब आप ज्यादा खिदमत कर सकते हैं। आज आप कानून बनाते हैं लोग उसको ओबे (पालन) नहीं करते हैं। इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है।

आज मैं देखता हूं हालांकि कुछ लोगों को यह बात सुनकर गुस्सा भी आता है लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं और मुझे इसकी वाकफियत है कि जितनी कानून की बेइज्जती आज हो रही है, जितना कानून आज तोड़ा जाता है उतना पिछले जमाने में कभी भी नहीं तोड़ा गया है। आज सिविल पापुलेशन बराबर कानून को तोड़ती है तो फिर इस तरह के कानून यहां पर पास करने से क्या खिदमत पब्लिक की हो सकती है। आप कानून बनाते जायं और फिर कहते रहें कि पब्लिक इसके साथ है और वह इसको मानती है तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस वास्ते इस तरह के बिल पेश करते हुये इस तरह की लम्बी-लम्बी बात करना फिजूल है और इन बातों की चर्चा करना कोई फायदेमंद साबित नहीं हो सकता चाहे आप कितने ही बिल पास कर दें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपको शौक ही है तो उतना ही कानून पास कीजिये जितने पर अमल हो सके और जिससे पब्लिक की भी कुछ खिदमत हो सके। आम आदमी की जिन्दगी का जिससे ताल्लुक हो और उसको जिससे कोई फायदा हो ऐसी बात आप करें तो हम लोग आपके साथ हैं। महज कोई बात ऊंची कहना सिर्फ इस वजह से कि इस सूबे से ऊंची बात होनी चाहिये और उसका नतीजा कुछ न निकले तो इससे क्या फायदा है।

अभी पिछले जमाने में हमने देखा कि आपने यह कैलकुलेशन (संगणना) किया कि हमारा काश्तकार हमको करोड़ों रुपया देगा लेकिन वह कैलकुलेशन गलत निकला। जो यकीन था वह फेल हुआ तो डेमोक्रेटिक तरीका तो यह था कि आप रिजाइन कर देते लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। डेमोक्रेटिक तरीका दूसरा यह हो सकता है कि आप यहां आकर कहते कि यह ख्याल गलत निकला लिहाजा कोई दूसरा रास्ता उस दिक्कत के लिये हम निकालना चाहते हैं। मगर आपने इस पर भी कोई ख्याल नहीं किया। आप तो बड़ी-बड़ी बातें करना चाहते हैं और दुनियां को यह दिखाना चाहते हैं कि हम बड़े प्रगतिशील हैं। बड़ी बात कहने से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक कि हम कोई अमलीतौर पर सही कदम आगे न बढ़ायें और न तब तक किसी कानून की रिस्पेक्ट (आदर) ही हो सकती है। इस लिये मैं आपसे बड़े अदब के साथ प्रार्थना करूंगा कि अगर इस रेजोल्यूशन का मकसद सिर्फ इतना ही

[श्री गोविन्द सहाय,]

है कि आपको शौक है कुछ बड़ी-बड़ी बात का और अच्छी बात कहने का तब तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ प्रगतिशील बनाना चाहते हैं और खिदमत करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूं। यहां पर जो हम कानून बनाते हैं वह पब्लिक की दिल दिमाग की आवाज होती है। इसका किसी तरह से वास्ता गांधीवाद या कम्युनिज्म से नहीं हो सकता है यह तो आप अपने आपको कायम रखने के लिये इस तरह की बातें कहते हैं।

मैं कह सकता हूं कि उन मुल्कों में ज्यादा काम होता है जहां पर बहुत कम ऊंची-ऊंची बातें कही जाती हैं बनिस्बत उन मुल्कों के कि जहां पर लम्बी लम्बी बातें कही जाती हों। जो प्रगतिशील स्टेट हैं वहां इस तरह की बातें नहीं कही जाती हैं। आप देखिये कि इधर २,३ साल के अन्दर चीन ने जितनी तरक्की की है वह एक आश्चर्यजनक तरक्की है लोगों के दिमाग में लोगों के अखलाक में यह चीज होनी चाहिये और एक इस तरह का जोश होना चाहिये और लोगों को इस बात का एक सही अहसास होना चाहिये कि यह कानून हमारा है और यह एक सिस्टम हमारा है। मैं आखिर में इतना ही कहूंगा कि मैं कोई किसी तरह के प्रगतिशील प्रोप्रोजल्स के मुखालिफ नहीं हूं बल्कि मैं उस जहनियत के मुखालिफ हूं कि जिसके मातहत आप एक शौकिया तरीके पर ऐसे प्रोपोजल रखते हैं जिनसे कोई फायदा स्टेट को या समाज को नहीं होता बल्कि जिससे एक तसादुम बढ़ता है, खींचातानी होती है, एक कैआस (गड़बड़) फैलता है एक परेशानी होती है और सब की दिक्कत बढ़ती है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक प्रस्ताव के उसूल का सवाल है मेरी समझ से विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने भी उसको माना है लेकिन कुछ आपत्तियां की गई हैं और अलग अलग दृष्टिकोण से वह आपत्तियां की गई हैं। प्रजा पार्टी के नेता साहब ने अभी जो यहां तकरीर की थी उन्होंने बताया कि चूंकि जमींदारी अबालिशन का प्रस्ताव हम पास कर चुके हैं, कृषि आयकर हम लगा चुके हैं इस वजह से इस नये कर की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने यह कहा कि नया हाउस इस पर विचार करे। अभी जो हमारे माननीय मित्र ने व्याख्यान दिया उन्होंने जाने किस तरह की कौन सी बात की कि उसूल तो यह सही है लेकिन इस पर अमल होगा या नहीं इस पर उनको शक है। मैं यह बतला देना चाहता हूं कि यह जो बिल है इस में हम यह प्रस्ताव कर रहे हैं कि हमारे कानून जो संसद बनाती है उस में उस को कृषि संबंधी टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है वह अधिकार इसके द्वारा हम उनको दे रहे हैं और वह इस लिये ताकि यह टैक्स सब जायदाद वालों पर यकसां लगे। उसपर विचार करने वाले जो सदस्यगण वहां पर होंगे वह नये वोट से चुने हुये नये मेम्बर होंगे और पुराने लोग नहीं होंगे। उन को भी जनता की बात का ख्याल होगा कि जनता के लोग यहां क्या चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। या तो वह साफ इस की मुखालिफत करें कि हम इस को नहीं चाहते कि सब पर यकसां टैक्स लगे और अगर चाहते हैं कि सब सम्पत्तिवालों पर यकसां टैक्स लगे और भूमि से सम्बन्धित लोगों पर भी लगे तो मैं नहीं समझता कि विरोध कहां रह जाता है।

जहां तक जमींदारी अबालिशन का सवाल है, हमने जमींदारी अबालिशन का कानून बनाया और उससे तमाम जायदाद की मिलकियत खत्म हुई लेकिन आमदनी के जरिये लोगों के दूसरे भी पैदा हो गये जैसा कि अभी कुछ लोगों ने कहा। कुछ लोगों ने जमीनें ज्यादा कर लीं या पहले से उन की ज्यादा जमीनें हैं। सवाल यह है कि अगर हमें गवर्नमेंट का खर्च चलाना है, अगर हम अपनी पंचवर्षीय योजना को जिसे हमने मंजूर कर लिया है कार्यान्वित करना चाहते हैं तो उसके लिये पैसा भी आना चाहिये वह कहां से आयगा? वह उन्हीं से आयेगा कि जिनके पास पैसा है। कृषि आय कर लगाया गया है इसके लिये इसकी जरूरत नहीं है।

तो फिर यह कहां की आमदनी वालों पर लगाया जायगा ? ज्यादातर जायदाद वाले कृषि में से ही संबन्ध रखते हैं।

यह कहना कि यह सब पर पड़ेगा यह गलत है क्योंकि कोई न कोई मियार अवश्य कायम किया जायेगा और उसमें ऐसे लोगों को अवश्य छोड़ दिया जायगा जिनकी आमदनी इतनी कम है कि वह अपनी ठीक तरह से गुजर नहीं कर सकेंगे। तो छोटे लोग तो इस ड्यूटी में आ ही नहीं सकते।

अभी मेरे माननीय मित्र गोविन्द सहाय जी ने कहा था कि यह कार्यान्वित भी होगा या नहीं, यह भी पता नहीं है। यह बात समझ में नहीं आई क्योंकि संसद जिस कानून को पास कर देगी वह तो लगेगा ही। इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कानून हमने पास किये हैं उनसे हमारी जनता का कोई सम्बन्ध नहीं रहा। उन्होंने एक जमींदारी अबालिशन की मिसाल दी और यह कहा कि भूमिधर उतने नहीं बन सके जितनी कि उम्मीद थी। लेकिन मैं उनसे कहूं कि यह क्या कम हुआ है कि कानून बनने से पहले ही ३० करोड़ रुपया जमा हो गया जो सारी चीजों को देखते हुये एक बड़ी रकम है और भूमिधर बनने अभी बन्द भी तो नहीं हुये हैं। उस कानून में मौजूद है कि लोग जब चाहेंगे भूमिधर बन सकेंगे। तो क्या उनका मंशा यह था कि यह जमींदारी अबालिशन का कानून बनना ही नहीं चाहिये था या अगर बनना चाहिये था तो किसी दूसरे तरीके से बनना चाहिये था ? उन्होंने कहा कि इसके लिये एक साईकालोजी (मनोवृत्ति) तैयार की जाय। उन्होंने इ लेक्शन लड़ा है। उनको एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला होगा जो यह कहता हो कि जो आदमी टैक्स दे सकता है उस पर वह न लगाया जाय, जो ज्यादा जायदाद वाले हैं उन पर टैक्स न लगाया जाय। ये दलीलें जो दी गई हैं वे ऐसी हैं कि उनसे ख्वामख्वाह मुखालिफत करके कुछ लोगों की हमदर्दी लेना है और मैं समझता हूं कि जनता से उनका कोई ताल्लुक नहीं है।

श्रीमान, जहां तक उसूल का सवाल है मैं समझता हूं कि यदि हमें इस मुल्क की ठीक तरीके से तरक्की करनी है तो ऐसे कानून बनाने होंगे जिनसे आर्थिक समानता आवे। जो लोग ज्यादा जमीन रखते हैं और उसको काम में नहीं ला पा रहे हैं लेकिन केवल इसलिये उसे अपने कब्जे में रखे हुये हैं कि उनकी हविश पूरी होती रहे, ऐसे लोगों पर जब टैक्स लगेगा और आर्थिक दृष्टि से वह देखेंगे कि अच्छा हो यदि वे फालतू जमीन को दूसरों को दे दें तो वे जरूर उस जमीन को दूसरों को देंगे। इस तरह से वह जमीन ऐसे लोगों को मिल सकेगी जो उसे जोत बो कर पैदावार बढ़ा सकेंगे। तो इस तरह से तो हमारे मुल्क की पैदावार बढ़ेगी, न कि घटेगी जैसा कि कुछ लोगों ने कहा। जब जमीन ऐसे लोगों के पास जायगी जो उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकें तो लाजमी बात है, उपज में वृद्धि होगी।

दूसरी चीज जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि जमींदारी अबालिशन (उन्मूलन) कानून अगर हमने यहां पास किया है तो उसके साथ-साथ हमें लाजिम है कि हम ही लोग उसके आगे की व्यवस्था को सोचें। यह कहना कि आने वाला हाउस आकर करे, कोई बड़ी तब्दीली उसमें नहीं हो जायगी। हमने जमींदारी अबालिशन कानून पास किया। अब हमको उससे संबधित प्रश्न जैसे जमीन का बटवारा जमीन से जिनको ज्यादा आमदनी है उनके ऊपर किस तरह का टैक्स लगाया जाय, आदि सवाल भी हल करना चाहिये। खाली एक जमींदारी अबालिशन (उन्मूलन) कानून पास कर देने से ही उससे संबधित सारे प्रश्न हल नहीं हो जाते। वह तो एक शुरुआत है एक नई व्यवस्था लाने की। तो जब नई व्यवस्था आपको लानी है तो आपको सोचना होगा कि जमीन का बटवारा कैसे किया जाय। आचार्य विनोबा भावे दौरा कर रहे हैं और जमीन मांग रहे हैं लेकिन दान देने वाले थोड़े ही लोग निकलते हैं। भले आदमी तो सब हैं लेकिन कानून की जरूरत इस लिये होती है कि जो लोग उस दायरे में नहीं आ रहे हैं और समाज का यह तकाजा है कि जल्दी से जल्दी यह काम किया जाय, इसमें समानता लाई जाय तो लोगों को मजबूर करने के लिये कानून बनाने की ज़रूरत होती है।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा ऐक्ट होगा जिसके द्वारा जिन्हें ज्यादा जायदाद रखने की हविस है वह कुछ कम हो जाय। फिर जिनके पास पैसा है वे सरकार को दें जिसके माने यह होते हैं कि सबके फायदे के लिये वे अपनी आमदनी में से अपना हिस्सा देते हैं। यह हम सब का मंशा है कि जिनके पास पैसा है वे उसको सार्वजनिक हित के लिये खर्च करें। तो इस बिल में हमने जो प्रस्ताव रखा है इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका विरोध जो यहां किया गया हो, वह ऐसा बुनियादी विरोध हो कि जिससे यह कहा जा सके कि इस वक्त यह मौजूं नहीं है। यह कहना जैसा कि एक मेरे मित्र ने कहा कि संसद् को भी विधान के द्वारा यह अख्तियार है कि वह एक कानून बना दे और उसके बाद हम उस पर वाद-विवाद करके फिर लायेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर संसद का कोई ऐक्ट बन जायगा तो उसको अगर हम अपने यहां लगायेंगे तो उसे वैसे ही लगाना पड़ेगा जैसे पास होगा। तो अगर हम पहले से प्रस्ताव पास कर के भेज देते हैं तो यह सदन के गौरव की बात है कि जिस तरह से हमने और प्रगतिशील काम किये हैं वैसे ही यह भी है।

मैं सिर्फ एक और बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा और वह यह है कि बातें चाहे जैसी कही गई हों, लेकिन जहां तक हमारे इस सदन का ताल्लुक है इस गवर्नमेंट का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि हमने इन पांच सालों के अन्दर काफी काम किया और काफी कानून बनाये और जनता में काफी जागृति आई। हमने पंचायत राज ऐक्ट बनाया उसका काम हुआ, जमींदारी अबालिशन का काम हुआ, प्रान्तीय रक्षा दल का काम हुआ। उसके बाद उनका यह कहना कि जनता की हालत में परिवर्तन नहीं हुआ था जो कानून बने उनसे जनता ने कोई फायदा नहीं उठाया यह गलत है, जनता में क्या परिवर्तन हुआ यह तो गांव का रहने वाला जानता है। किसान इतना बदल गया है, इतनी उसमें तबदीली आ गई है कि आज हर एक मामूली आदमी जो गांवों में रहता है समझता है कि उसके कुछ अधिकार हैं, उसके कुछ हक हैं और अगर जमींदार या और कोई साहब उसके साथ ज्यादती करते हैं तो उसकी वह मुखालिफत करता है और ऊपर तक अपनी बात ले जा सकता है। तो यह कहना कि जो कानून हमने पास किया उससे जनता का नुकसान रहा, मैं समझता हूं कि यह सही चीज नहीं है। उससे जनता को फायदा हुआ और उसी का नतीजा है कि आज जनता ने कांग्रेस में फिर विश्वास प्रकट किया है और सारे देश में, इसी अपने प्रदेश में, कांग्रेस को सबसे बड़ा बहुमत मिला है और वह इस बात का सबूत है कि हमारे काम को जनता ने सराहा, जनता ने उसकी दाद दी और उन कामों की वजह से ही कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ।

तो ऐसी चीजों से यह बात साबित नहीं होती कि हम कोरी बातें कर रहे हैं या देश को कम्युनिज्म की तरफ ले जा रहे हैं। आज कम्युनिस्ट पार्टी का एक भी आदमी हमारे यहां रिटर्न नहीं हुआ (चुना नहीं गया)। कम्युनिज्म से इस प्रदेश को कोई डर नहीं है। इस वजह से नहीं है कि कम्युनिज्म जिन चीजों से पैदा होता है उनको हम खत्म कर रहे हैं। हम जमींदार क्लास को, साहूकार क्लास को उस तरह से नहीं खत्म करना चाहते हैं जिस तरह से कम्युनिस्ट खत्म करना चाहते हैं। हम जमींदार क्लास में साहूकार क्लास में जो मनोवृत्ति है कि जनता से ज्यादा से ज्यादा धन खींचा जाय उस मनोवृत्ति को खत्म करना चाहते हैं और उनके सहयोग से ही खत्म करना चाहते हैं और उसके लिये हमने कानून बनाये। हमने एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच के फर्क को मिटाने की कोशिश की है और वह मिटाया है तो इस तरह से यह चीज कि हमने कोरी बातें कीं या कम्युनिज्म का डर फैलाया है गलत है। इस तरह से कहना मेरे ख्याल में सही नहीं है और बात तो उनकी वाकई उलटी है क्यों कि जो लोग इसके विरोध में हैं सीधे तरीके से या इनडाइरेक्ट तरीके से वह भी यह मानेंगे कि जनता का विश्वास इस गवर्नमेंट में और उस पार्टी में जो गवर्नमेंट को चला रही है नहीं खोया है और यह प्रस्ताव जो हम पास कर रहे हैं उसके बारे में यह अन्देशा न करना चाहिये कि यह एक लफ्जी चीज रह जायगी क्योंकि इससे तो हम एक ऐसे क्लास से जिसके पास ज्यादा पैसा है उम्मीद करते हैं वह हमें पैसा देंगे और उन

पैसों से हम जनता की भलाई के कामों को, उन बड़े-बड़े कामों को ज्यादा से ज्यादा तरक्की के कामों को जिनके लिये हमने योजनायें बना रखी हैं, पंचवर्षीय योजना में जिनका जिक्र है लगायें। तो इस प्रस्ताव के पास होने से बजाय नुकसान के फायदा होगा, हमारे प्रदेश को ...... और हमारे मुल्क को फायदा होगा।

श्री ई० एम० फ़िलिप्स--श्रीमान.......

माननीय अध्यक्ष--आपके तकरीर जारी करने से पहले मैं आपके इस संशोधनको बता दूं। माननीय सदस्य ने यह सूचना दी है कि खंड १ की पंक्ति १ के शब्द "कृषि संबंधी भूमि" तथा अन्तिम खंड की पहिली पंक्ति के "कृषि संबंधी भूमि" के बाद शब्द "तथा इंडस्ट्री" और बढ़ा दिया जाय।

तो माननीय सदस्य देखेंगे कि यह भूमि के सम्बन्ध में है यानी यह शुल्क जो है वह भूमि के संबंध में है। यह इस्टेट ड्यूटी है, तो इंडस्ट्री इस माने में कोई इस्टेट नहीं है। इसलिये भी इसको मंजूर नहीं होना चाहिये।

इसके अलावा इस प्रस्ताव की जो सीमा यानी स्कोप है उसके अन्दर भी नहीं आता। इसलिये मैं उसकी इजाजत नहीं दूंगा। माननीय सदस्य प्रस्ताव पर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

श्री ई० एम० फ़िलिप्स--श्रीमान् स्पीकर महोदय, जो रेजोल्यूशन हम लोगों के सामने है इस पर जब गौर किया जाय तो पहली बात इस बात के गौर करने में यह देखने की जरूरत है कि आया हमको इस किस्म के कुछ टैक्सेज (कर) लगाने की जरूरत है या नहीं। वाक्या यह है कि खाली लैंड्स (भूमि) के मुताल्लिक ही टैक्सेज (कर) नहीं होना चाहिये बल्कि इंडस्ट्रीज (उद्योग) के मुताल्लिक भी होना चाहिये। लेकिन अफसोस है कि जो रेजोल्यूशन (संकल्प) है वह उस हद तक बढ़ा नहीं किया गया है जिससे कि इंडस्ट्रयलिस्ट्स (उद्योगपति) भी उस स्कोप (दायरे) में आ जायं। मुल्क को चूंकि आगे बढ़ाने की जरूरत है और चूंकि इस सिलसिले में बहुत काम करने की जरूरत है इसलिये गवर्नमेंट को बहुत रुपये की जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त तक जो कुछ काम हुआ है उससे और बहुत ज्यादा होने की जरूरत है और अगर वह काम जो कि होने की जरूरत है किया जायगा तो वह बगैर रुपये के नहीं हो सकता। यह बात कि वह रुपया कहां से आये यह गौर तलब है। मौजूदा रेजोल्यूशन में उस रुपये के मुताल्लिक यह मुनासिब समझा गया है कि सिर्फ जमींन ही के मातहत उसको रखा जाय। मैं इस बात को जहां अच्छी नजर से देखता हूं कि ऐसा टैक्स लगाया जाय वहां और लोगों से भी जिनसे ऐसे किस्म के टैक्सेज वसूल हो सकते हैं उनसे भी एस्टेट ड्यूटी (सम्पत्ति शुल्क) लेना जरूरी समझता हूं। अगर सिर्फ इन लोगों के ऊपर जो कि जमींदारी से ताल्लुक रखते हैं ऐसे टैक्सेज लगाये जायेंगे तो इसका मतलब यह है कि एक रुखी तरीके के ऊपर यह टैक्स लगा, यानी यह कि और लोग जो इसी काबिल हैं उनके ऊपर नहीं लगा। सिर्फ इन लोगों के ऊपर जो कि इस वक्त जमींदारी अबालिशन के मातहत काफी दबाये जा चुके हैं और एग्रीकल्चरल टैक्स के मुताल्लिक भी काफी दबाये जा चुके हैं इन्हीं के ऊपर यह टैक्स लगाया जायगा। इस बात को सामने रखते हुये कि गवर्नमेंट को रुपये की जरूरत है और इस बात को भी सामने रखते हुये कि जमींदारों से बहुत काफी आमदनी होती थी और होती चली आई है, इस बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं कि गवर्नमेंट का यह रेजोल्यूशन सही है मगर मैं यह सोचता हूं कि गवर्नमेंट को इस बात के मुताल्लिक जरूर गौर करना चाहिये था कि क्यों इंडस्ट्रियलिस्ट्स (उद्योगपति) और ऐसे-ऐसे इंडस्ट्रियलिट्स जब कि वाकई में बहुत रुपया रखते हैं और दे सकते हैं उनको छोड़ दिया जाय। अगर आप इस बात को विलायत में देखिये तो विलायत में यह नहीं कि सिर्फ जमीन के ही मुताल्लिक ऐसे टैक्स हों।

माननीय श्री गोविन्द बल्लभ पन्त--मेरी समझ में फिलिप्स साहब को कुछ गलतफहमी है। कोई यह मतलब नहीं कि एग्रीकल्चरल लैंड (कृषि सम्बन्धी भूमि) में हो यह लगे । एग्रीकल्चरल लैंड में लगाने के लिये पार्लियामेंट को अख्तियार देना पड़ता है मगर इंडस्ट्रीज के लिये पार्लियामेंट को खुद अख्तियार है। पार्लियामेंट में एक बिल बना था, पेश हुआ था और इंडस्ट्रीज की सब चीजें उसमें शामिल थीं। उसकी सेलेक्ट कमेटी ने यह प्रपोजल किया कि उसमें एग्रिकल्चरल लैंड भी शामिल हो ताकि कम्प्रिहेंसिवली (व्यापक रूप से) बिल बने। इंडस्ट्री छोड़ने का इरादा नहीं है ।

श्री ई० एम० फ़िलिप्स--श्रीमान्, माननीय मुख्य मंत्री के इस सुझाव के बाद मुझे यह बात मालूम हुई, वरना मैं उससे वाकिफ नहीं था और मैं ही नहीं बल्कि मेरे ख्याल में एक नई बात मालूम हुई जो कि बहुत से लोगों को नहीं मालूम थी। मैं इस बात को सफ़ाई के साथ कहता हूं कि पार्लियामेंट में जो बिल पेश हुआ उसको मुझे देखने का मौका नहीं मिला, अगर मुख्यमंत्री को मिला तो बड़ी अच्छी बात है। अब इन सब चीजों को सामने रखते हुए जो कि पार्लियामेंट के सामने रही हैं इस बात की जरूर जरूरत है कि हम और रुपया हासिल करें जिससे कि हम आगे तरक्की कर सकें और यह टैक्स उसी टैक्स के साथ शामिल होकर के वसूल हो।

अब मैं इस बात के मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूं कि आया यह टैक्स जो यहां लगाया जा सकता है और वसूल हो सकता है यह पार्लियामेंट के मातहत कर दिया जाय या न किया जाय। मैं इस बात को समझता हूं कि अगर यह रेजोल्यूशन यहां जिस तरीके से पेश है, पास हो गया तो हम अपने अख्तियारात को पार्लियामेंट को दे देंगे। अगर मैं यह गलत कह रहा हूं तो जो साहब पीछे से कह रहे हैं कि हां गलत समझ रहे हैं तो वह समझा देंगे। मैं समझता हूं कि इस रेजोल्यूशन से जिस शक्ल में हम पार्लियामेंट को अख्तियार दे रहे हैं उस शक्ल से रोक लेना चाहिये, बल्कि यह होना चाहिये कि आपके सूबे को खुद अख्तियार होना चाहिये ऐसा टैक्स लगाने का। बल्कि लगानें से पेश्तर, जैसा कि मौर्य जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, ऐसा एक स्टेटमेंट बनाना चाहिये कि उससे कितनी आमदनी होगी और किस तरह से लागू होगा उसका पूरा हाल सामने आना चाहिये था। तभी निहायत उमदगी के साथ इसके मुताल्लिक़ ग़ौर हो सकता है। इसके अलावा मैं समझता हूं कि अगर हमारे अख्तियारात पार्लियामेंट को चले जायंगे उसके बाद हमें दिक्कतें होंगी और वह ऐसी दिक्कतें और तकलीफें होंगी जिनको हम नहीं हल कर सकेंगे अगर हमने इन अख्तियारात को पार्लियामेंट को दे दिया।

श्री खूब सिंह--अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के सिलसिले में जो व्याख्यान इस सदन में हुए हैं वह इसके स्कोप से कहीं आगे बढ़ गये। कुछ साहबान ने विनोबा भावे के कार्यक्रम को, उनकी नीति को यहां पर बतलाया, कुछ ने गांधियन फिलासोफी और कम्युनिस्ट फिलासोफी की बातों को बतलाया और डेमोक्रेसी के ऊपर डिक्टेटरशिप को तरजीह दी। कुछ ने और दूसरी बातों की तरफ इस हाउस की तवज्जह दिलायी। लेकिन यह एक सीधा सादा प्रस्ताव है और वह यह है कि आया कृषि सम्बन्धी सम्पत्ति पर कोई इस्टेट ड्यूटी लगायी जाय या न लगायी जाय, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वह इस हाउस में लगायी जाय या हमें इस हक को पार्लियामेंट को सिपुर्द कर देना चाहिए। यह दो बातें हैं इस प्रस्ताव के मुताल्लिक। दोनों पर हमें ग़ौर करना है ।

मुख्य मंत्री जी के स्पष्टीकरण के बाद मुझे ही नहीं मेरा ख्याल है इस सदन के करीब-करीब सभी सदस्यों को एक तरह से रिलीफ पहुंची। क्योंकि शुरू में जिस शक्ल से यह प्रस्ताव हमारे सामने आया उसमें कई किस्म के शुबहे पैदा होते थे और वह यह कि इस किस्म का टैक्स केवल कृषि संबंधी सम्पत्ति पर ही लगाया जाय और दूसरी किस्म की

जो सम्पत्तियां हैं उन सम्पत्तियों पर इस किस्म की कोई योजना है या नहीं है कि उन पर भी कोई टैक्स लगाया जा रहा है या नहीं। हमें यह जान कर बड़ी खुशी हुई कि कृषि सम्बन्धी सम्पत्ति पर ही लगाने का सवाल नहीं है बल्कि और जो दूसरी किस्म की सम्पत्तियां हैं उन सब पर केन्द्र में एक इस्टेट ड्यूटी लगाये जाने का सवाल दरपेश है और चूंकि एक कानून वहां पर बनाया जा रहा है उस सिलसिले में लोगों की आय को आंकने के वास्ते जिसमें हर किस्म की आय शामिल हो न सिर्फ इंडस्ट्रियल आय बल्कि इसके जरिये से जो भी आय होती है वह भी शामिल हो जाय और एक आय का रिश्ता दूसरी आय से निभ जाय। इस नुक्तेनजर से कि जो हक हमारा है कि कृषि सम्बन्धी सम्पत्ति पर सिर्फ एस्टेट लेजिस्लचर ही कोई कानून बना सकता है। हम इस हक को अपनी पार्लियामेंट को दे रहे हैं। हमें बड़ी खुशी होती कि अगर हम अपने अधिकार को स्वयं काम में लाते। लेकिन चूंकि जरूरत पैदा हो गयी है और वह जरूरत ऐसी है जो कि माकूल है इसलिये हम पार्लियामेंट को दे रहे हैं। हमें इसमें कुछ ज्यादा पश्चाताप भी नहीं होना चाहिए। इसी वजह से मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के वास्ते खड़ा हुआ हूं।

इससे हमारे सूबे का भी फायदा हो जायगा और वह यह कि जिस वक्त हमने जमींदारी अबालिशन कानून पास किया था उस वक्त हमें यह मालूम नहीं था कि इन चीजों के रेट्स में इतनी जल्दी कमी हो जायगी, और उनका असर सूबे की आमदनी पर क्या पड़ेगा। अब चूंकि रेट्स आम तौर से नीचे गिर रहे हैं, तो फिर हमारे जो बहुत से इस किस्म के कानून हैं सेल्स टैक्स वगैरह उनकी आमदनी भी शायद कम होगी और इस तरह से हमारे सूबे की आमदनी में भी कमी हो सकती है और मेरे ख्याल से उस हद तक जरूर होगी। इस तरह से हमारी जो जिम्मेदारी जमींदारी अबालिशन में जमींदारों को मुआविजा देने की है, जमींदारी अबालिशन कानून लागू होने पर मुआविजा तो उतना ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर जमींदारियों पर और कृषि संबंधी सम्पत्ति पर जिसमें जमींदारी भी शामिल है अगर उस पर कोई ड्यूटी लगाई जाती है तो एक असर जरूर होगा कि कम्पेंसेशन का अमाउंट जरूर कम हो जायगा। मुझे संतोष है कि इस तरह से हमें कम्पेंसेशन देने के मामले में कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिल जायगा और जिसका जितना हक है वह मुनासिब तरीके से उतना ही पायगा ज्यादा नहीं पा सकेगा। एक और रिलीफ आम लोगों को हो सकती है इस प्रस्ताव के पास होने से और ऐसा कानून बन जाने से, वह यह है कि बहुत से लोग बहुत ज्यादा जमीन या बड़े बड़े फार्म रखे हुये हैं अगर वह समझेंगे कि उन जमीनों से वह इतनी आमदनी कर सकते हैं कि वह एस्टेट ड्यूटी और कृषि आय कर वगैरा दे सकते हैं तब तो ठीक है। लेकिन अगर वह अच्छा इंतजाम नहीं कर सकेंगे तो फिर उनको ज्यादा जमीन छोड़ना पड़ेगी और बड़े बड़े फार्म्स छोड़ना पड़ेंगे और ऐसे भाइयों को जिनके पास थोड़ी जमीन है और ऐसे मजदूरों को जिनके पास जमीन बिल्कुल नहीं है, एक मौका मिल सकता है कि उनको भी जमीन मिले। क्योंकि इसमें कोई फायदा नहीं है कि महज हविस के वास्ते बड़े बड़े फार्म्स और जमीनें क़ब्जे में रखी जायं। यह दो फायदे इस कानून से होते हैं।

जहां तक पैसे की जरूरत का सवाल है वह तो है ही। हम अपने सूबे को देखते हैं कि सन् ५२-५३ ई० के बजट में दो तीन जिलों को छोड़ कर और जिलों में सड़कों के लिये पैसा नहीं है। हमारा दिल चाहता है कि हर सड़क के लिए पैसा हो और काम हो लेकिन हमारी आमदनी थोड़ी है इसलिये सड़कों के लिये पैसा नहीं रखा गया है। फिर आमदनी बढ़ाने की बात है, पंचवर्षीय योजना को पूरा करने का सवाल है और बड़े बड़े महत्व और विकास की योजनायें हमारे सामने हैं। उनको सुलझाने के वास्ते हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी ही। इसलिये अगर हमने यह तरीक़ा निकाला है कि जितने भी सम्पत्ति है

[श्री खूबसिंह]

मिनजुम्ला कृषि संबंधी सम्पत्ति जिन पर एस्टेट ड्यूटी लगाई जा सकती है मेरेख्याल में अच्छा है और मैं इसका खैर मकदम करता हूं । मैं तो यह चाहता हूं कि इस सदन की तरफ से मैं अपनी भाषा के जरिये से मरकज के यानी पार्लियामेंट के सदस्यों तक यह बात पहुंचा दूं कि जिस वक्त एस्टेट ड्यूटी लगाने का काम करें उस वक्त उनके दिमाग में यह बात आ जानी चाहिये कि जो थोड़ी सम्पत्ति वाले आदमी हैं उन पर यह नहीं लगनी चाहिये। सिर्फ बड़ी सम्पत्ति वालों पर ही यह लगनी चाहिये। इस प्रश्न को जब हम इस सदन से प्रस्ताव पास कर रहे हैं, इसमें इसको नहीं उठाया है, यह प्रश्न उठाना चाहिये था कि छोटे लोगों को इस बात का भय नहीं होना चाहिये कि उनके ऊपर भी इस्टेट ड्यूटी लग जायगी बल्कि संतोष होना चाहिये कि छोटे काश्तकारों पर छोटी सम्पत्ति वालों पर नही लगेगी, केवल उन लोगों पर ही लगेगी जो अदा कर सकते हैं और जो बड़ी बड़ी सम्पत्ति वाले आदमी हैं उन पर ही लगेगी। इन अलफ़ाज़ के साथ मैं, इस तरह से खुश हूं कि अब वह वक्त आ गया है कि जब दूसरी उन चीजों पर भी इस्टेट ड्यूटी लगाने का प्रश्न है न सिर्फ खेती सम्बन्धी सम्पत्ति पर ही बल्कि दूसरी चीजें भी शामिल हैं और सब वर्ग के लोगों पर एक उसूल के मातहत लगाने का सवाल है। सिर्फ खेती करने वाले आदमियों तक ही यह बात महदूद नहीं है। इन अल्फाज के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री मुहम्मद रजा खां---जनाबवाला, मैंने इस रेजोल्यूशन (संकल्प) पर बहुत काफी गौर किया। मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि आज दुनिया के अन्दर इस उसूल को तसलीम कर लिया गया है कि सूबेजाती आजादी और अख्तियारात को ज्यादा से ज्यादा होना चाहिये । मगर इस रिजोल्यूशन से सूरत यह मालूम होती है कि आजादी खत्म की जा रही है। कांस्टिट्यूशन (संविधान) के मुताबिक तो ठीक है लेकिन हम अपनी आजादी का एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ फेंक रहे हैं। मेरे ख्याल में तो टैक्सों में जैसे तम्बाकू पर टैक्स है वह सूबेजाती टैक्स होना चाहिये था लेकिन वह सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया है, वह टैक्स एक हद तक बहुत सख्त है। एक पौंड तम्बाकू पर ६ आने टैक्स पड़ता है। मैं समझता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अख्तियार दिया जाता है कि वह टैक्स लगाये तो मेरे ख्याल में वह ऐसा टैक्स होगा जैसे तम्बाकू का टैक्स है। तम्बाकू के मुताल्लिक़ मैं अर्ज करूं कि इब्तिदा में जब तम्बाकू फरोख्त किया जाता है तो उसका निर्ख ३० रुपये मन होता है लेकिन उस पर ड्यूटी साढ़े अड़तीस रुपये मन की पड़ती है। अगर ड्यूटी के अलावा वह बेंचा जाता है तब भी ८,१० रुपये के तकरीबन किसान को नुक़सान होता है। मेरे ख्याल में इस किस्म के टैक्सेज चाहे वह एग्रिकल्चरल टैक्स हो या कोई दूसरा टैक्स हो सूबे की गवर्नमेंट लगाये तो वह सूबे की हालत को जानती है उसीके मुताबिक टैक्स लगायेगी वरना तम्बाकू का सा टैक्स यह भी होगा।

दूसरी बात यह है कि अगर इस टैक्स को जमा करके जमींदारी अबोलीशन फंड के मुताल्लिक़ फायदा उठाना है तब भी मैं यह अर्ज करूंगा कि यह तो हमारा फर्ज है हम जमींदारी खत्म करें और रुपये को मुहइया करें। यह ठीक है कि जमींदारों को मुआविजा मिलना चाहिये। मगर इस वक्त तक हम इस मसले को हल नहीं कर पाये। अगर कोई इस किस्म का टैक्स लगाना है तो मेरे ख्याल में वह सरकारी दबाव से नहीं बल्कि काश्तकारों को समझा कर लगाया जाय तो काफी रुपया वसूल हो सकता है । लेकिन बाज गलतियां ऐसी हैं जैसे हमने काश्तकारों को अख्तियार नहीं दिया है कि वह अपनी आराजी को शिकमी पर उठा सकें पहले की तरह शिकमी पर उठा सकते तो यकीनन यह रुपया कभी का वसूल हो गया होता । इलेक्शन हो चुके हैं। कांग्रेस के ऊपर मुल्क ने ऐतमाद कर लिया है। हमारा फर्ज है कि इस वक्त हम किसी की मुखालिफत की

तरफ न देखें बल्कि हम कुछ अरसे तक कांग्रेस के बनाये हुए उसूलों और उन तरीकों पर जिनसे वह हुकूमत करना चाहती है चल कर उसकी इम्दाद करें। मैं यकीनी तौर पर यह कह सकता हूं कि हमें किसी तरफ भी देखना नहीं है लेकिन इस वक्त जो सूरत है वह यह है कि इस अरसे में अभी तक हम कोई बात ऐसी नहीं कर सके हैं कि हम पूरे तौर पर अपने सूबे के लोगों को मुतमईन कर सकें। मैं ख्याल करता हूं कि अगर यह रिजोल्यूशन इसलिये पास किया जाता कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंड जमा करे जिससे जमींदारी अबालीशन में मदद मिले तो यकीनन यह ठीक होता। लेकिन अगर यह बात नहीं है और किन्हीं दूसरे कामों के लिये यह रुपया लिया जा रहा है तो यह इस सूबे का काम है कि वह इस किस्म के टैक्सेज़ लगाये और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका अख्तियार नहीं देना चाहिए।

राजा वीरेन्द्र शाह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के सामने पेश किया है उसका विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं एक संशोधन पेश करना चाहता था लेकिन उस संशोधन को पेश करने की आज्ञा नहीं मिली। मैं इस बात को मानता हूं कि देश के कामों में और देश की तरक्की के लिए रुपये की जरूरत होती है लेकिन उसमें यह भी देखना चाहिये कि ज्यादा लोगों को उससे तकलीफ न हो। मैं यह देखता हूं कि हमारे देश में अन्न की कमी है। हमारे अन्न मंत्री बार बार यह कहते हैं कि अन्न की कमी है इसलिये हमें ऐसा कानून बनाना चाहिये कि जिससे अन्न के मामले में हम सब लोग मिल कर स्टेट की सहायता कर सकें। लेकिन मैं देखता हूं कि जिस तरह का यह प्रस्ताव है अगर ऐसा ही प्रस्ताव हम पास करेंगे तो वह चीज उन उद्देश्यों के खिलाफ पड़ेगी जिनको कि हमारी हिन्दोस्तान की सरकार चलाना चाहती है, हम चाहते हैं कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा अन्न पैदा हो लेकिन उसके साथ ही साथ ऐसे प्रस्ताव पास करना ठीक नहीं है कि ऐग्रीकल्चर से जो आय होती है उस पर टैक्स लगाया जाय। मैं यह मानता हूं कि हर स्वतंत्र मुल्क में ऐसे टैक्सेज अनिवार्य हैं और लगाये जाते हैं लेकिन उनके लगाने का एक समय भी होता है। मैं कहता हूं कि हमारे यहां अन्न की कमी है और हमारा प्रान्त ही सबसे ज्यादा अन्न पैदा करता है ऐसे वक्त में यह टैक्सेज सरकार को नहीं लगाना चाहिये। जो जमींदारी अबोलीशन बिल के जरिये से जिसको सरकार अभी तक लागू नहीं कर पायी है, कमजोर हो गये हैं और जो अपने बड़े-बड़े फार्मों में मिकेनाइज्ड फार्मिंग के जरिये से अन्न की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं, इससे उन लोगों को बहुत धक्का पहुंचेगा। हमारे यहां का एक बहुत बड़ा तबका जो कि शीघ्र ही बेकार हो जाने वाला है उसके लिये आपने पालन-पोषण करने की तो कोई तजवीज पेश नहीं की बल्कि और टेक्स लगाने की तजवीज पेश कर दी। यह आप कर सकते हैं।

इंडस्ट्रयलिस्ट्स पर यह टैक्स आसानी से लगाया जा सकता है। संसद ने अभी तक कोई ऐसा प्रस्ताव भी पास नहीं किया और न कोई कानून ही ऐसा लाया गया जिसमें इस किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाया जा रहा हो, क्योंकि वह समझते हैं कि देश को इंडस्ट्रियलाइज (उद्योगीकरण) करना है। वह यह जानते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे यहां की इंडस्ट्रीज को धक्का पहुंचेगा। इसी कारण से मैं इस प्रान्त के लिये भी कहता हूं कि संसद् का विचार भले ही ऐसा हो लेकिन हमारा प्रान्त जो एक कृषि प्रधान प्रान्त है उसकी भावना ऐसी नहीं होनी चाहिये। इस कारण से मैं कहता हूं कि हमें इस तरह का प्रस्ताव भेजना चाहिये कि हम कृषि आय कर के खिलाफ अपनी राय रखते हैं और मैं समझता हूं कि इस सदन के हर मेम्बर को यह सोचना चाहिये कि यह बड़े बड़े फार्म वालों का सवाल नहीं है बल्कि आपको अपने देश के लिये अन्न पैदा करना है। अरबों रुपये का अन्न आप दूसरे देशों से खरीद कर अप ने देश को देते हैं लेकिन जिन प्रान्तों में अन्न पैदा होता है

[श्री मुहम्मद रजा खां]

उनकी भावना को इस प्रकार से दबाना मेरी समझ में उचित नहीं होगा। यह समय ऐसा नहीं है कि ऐसी सिफारिश हमारी सरकार करे बल्कि हमारी सरकार की सिफारिश तो यह होनी चाहिये कि जो कृषि आय पर ड्यूटी लगाने का संसद में विचार हो रहा है, उसके लिये यह भवन यह चाहता है कि उसे कुछ दिनों के लिये, कम से कम इस प्रान्त के लिये स्थगित कर दिया जाय ताकि यहां के लोगों की भावना उसके बारे में मालूम हो सके।

यह तो आपको पूरा अधिकार है कि आप किसी आय के ऊपर या कृषि आय पर या किसी चीज पर जब चाहें टैक्स लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिये एक समय होता है। मैं बहुत अदब के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि मेरा विचार यह नहीं है कि ऐसे अच्छे कार्य जिससे देश का कल्याण होता है उस आमदनी में कमी करने में कोई रोड़ा बनूं लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि आप इस तरह से यह सोचें कि हम लोगों की भावना क्या है। मैं भी फार्म रखता हूं और आप सोचें कि ऐसे लोगों की भावना इसके प्रति क्या होगी कि हमने अभी कार्य शुरू भी नहीं किया कि फौरन एक न एक आफत आने को तैयार है। तो मैं बहुत अदब के साथ आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि आप इस प्रस्ताव को वापस ले लें और अगर आपको प्रस्ताव पास करके भेजना ही है तो प्रस्ताव को इस तरह से भेजें कि जो एस्टेट ड्यूटी (सम्पत्ति शुल्क) आप देश के लिये लगाने जा रहे हैं उसे कुछ दिनों के लिये रोक दें और फिर बाद में इस पर विचार करें। इस वक्त इस पर विचार करना ठीक नहीं है।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अब्दुल बाक़ी—जनाबवाला, इस हाउस में जो रेजोल्यूशन (संकल्प) इस वक्त आ रहा है वह उस वक्त आ रहा है जब पुराने लोगों में से काफी तादाद इस हाउस को छोड़ रही है। यह रिजोल्यूशन निहायत अहमियत रखता है और मुझे ताज्जुब है कि यह रेजोल्यूशन ऐसे वक्त में आया कि जिसका मन्शा यह मालूम होता है कि किसी न किसी तरह से यह मंजूर किया जाय। यह मंजूर हो जाय इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यह मंजूर होना चाहिये या नहीं यह एक सवाल है। यह रेजोल्यूशन आर्टिकिल (अनुच्छेद) २५२ के जिमन में आया है। इसके पढ़ने के बाद यह मालूम होगा कि यह आर्टिकिल दरहकीकत कांस्टीटयूशन (संविधान) में जो सबजेक्ट (विषय) तकसीम किये गये हैं उसकी तकसीम का एक्सेप्शन (अपवाद) है। कांस्टीटयूशन में एक लिस्ट दी गई है जो यूनियन की है, दूसरी लिस्ट स्टेट की है और तीसरी लिस्ट यूनियन और स्टेट दोनों के लिये है। आर्टिकिल २५२ उन सबजेक्ट्स को डील करता है जिनके मुताल्लिक कानून बनाने का तनहा स्टेट को अख्तियार है। सवाल यह है कि जो पावर हम अपने लेजिस्लेशन से पार्लियामेंट को सुपुर्द कर रहे हैं वह इस वक्त मौजूं है या नहीं और इन पावर को डेलिगेट (प्रत्यायोजन) करने के बाद जो तकरीर यहां पर हुई हैं जिनमें मफाद बताये गये हैं, वह फायदा इस मुल्क को होगा या नहीं।

आर्टिकिल २५२ (२) के पढ़ने से यह मालूम होगा कि जब एक मामला, हम अपने अख्तियार से सुपुर्द कर देंगे तब पार्लियामेंट कानून बनायेगी। तो उसमें यह दिक्कत पैदा हो जायगी, कि आयन्दा अगर हम तरमीम करना चाहे स्टेट की हालात के मुताबिक तो वह पावर हमको हासिल नहीं होगी। यह पावर पार्लियामेंट को होगी। सबसे बड़ी वजह पार्लियामेंट को सुपुर्द करने की यह बतलाई गई कि मुख्तलिफ स्टेट्स हैं और वे मुख्तलिफ हालात के मुताबिक अपने यहां कानून बनायेंगी किसी जमींदारी के मुताल्लिक या आराजी के मुताल्लिक तो उनमें यकसानियत नहीं होगी। पार्लियामेंट जो कानून बनायेगी उसमें यकसानियत होगी।

इसके मुताल्लिक कई बातें तो हमारे दोस्तों ने कही हैं मैं बड़े अदब से यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो यह बात कहीं वह उनके समझने का कसूर है जो स्टेट इस बात की जरूरत महसूस कर कि अपनी पावर को डेलीगेट करें तो वह करें लेकिन उनका मक़सद यह नहीं है कि क़ानून में यकसानियत पैदा हो बल्कि ऐसे हालात पैदा होंगे कि जिनमें सेंटर को ही कानून बनाना ज्यादा मुनासिब होगा और यह इसमें क़तई नहीं आता कि कानून बनाने में यकसानियत पैदा होगी। जिन लोगों ने तीनों लिस्टों का मुकाबिला किया होगा उनको मालम होगा कि उन तीनों में सबजेक्ट्स का डिवीज़न (विषय विभाजन) किया गया है। तीन डिवीज़न ही इसीलिये किये गये हैं वरना सेंटर को ही तमाम अख्तियार होता। ऐसी सूरत में अगर हम यह सबब पेश करते हैं कि यह इसलिये किया जा रहा है ताकि तमाम मुल्क में तमाम स्टेट्स में यकसानियत हो जाय तो यह बेमानी चीज है। अगर यही है तो आसानी से कहा जा सकता है कि हर स्टेट में टीनेन्सी एक्ट अलग-अलग है और उन सब में बहुत बड़े-बड़े फर्क हैं। अगर इसी सबब को रखा जाय कि जिसको पेश किया गया है तो क्या इसके मानी यह नहीं होंगे कि तमाम जगह के टीनेंसी एक्ट्स तोड़ कर तमाम स्टेट्स का अख्तियार सेंटर को दे दिया जाय कि वह सब के लिये कानून बना दे या फर्ज कीजिये कि जिस जगह से हर जगह के म्यूनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अलग-अलग है क्या यकसानियत की गरज से यह किया जा सकता है कि तमाम लोकल बाडीज के ऐक्ट में यकसानियत लाने के लिये तमाम पावर पार्लियामेंट को दे दी जाय कि वह तमाम मुल्क के लिए एक कानून बना दे। मेरे ख्याल में ऐसा करना कांस्टीट्यूशन की मनशा के खिलाफ होगा। तीन लिस्टों के मानी ही यह हैं कि हर सूबे के हालात जुदा हैं और मानी यह निकलते हैं कि हर सूबा हर सब्जेक्ट पर अपने यहां अलग अलग कानून बनाये। जमींदारी या टेनेंसी टैक्सेज का मामला पार्लियामेन्ट की लिस्ट में नहीं है। उसकी वजह भी साफ है और वह यह कि हर सूबे की जमींदारी की नवैयत जमींदारों और टीनेंसी की यकसां नहीं है। इसलिए इससे सही महफ़ूम यही निकलता है कि उसमें यकसानियत नहीं है बल्कि वह अलग-अलग है और एक को दूसरे के मयार पर न वजन किया जा सकता है न तोला जा सकता है। अगर हम यह सामने रखें कि हमें टैक्स लगाना है और इसलिये पूरे देश पर उसे लगाना चाहते हैं और इसी वजह से पार्लियामेंट से कानून बनवाना चाहते हैं तो हम उस उसूल को भूल जाते हैं कि जिसके तहत में जुदा-जुदा लिस्ट बनाई गई हैं।

मेरी मनशा यह है कि इस तरह की जो यकसानियत की बात चाही जाती हैं तो मेरे नजदीक इस तरह की यकसानियत कोई चीज नहीं है। दफा २५२ में लफ्ज "डिज़ायरेबिल" (वांछनीय) रखा गया है लेकिन इसके मानी यह नहीं है कि कानून से यकसानियत पैदा की जाय और अगर इसकी मनशा यह होती तो बजाय "डिज़ायरेबिल" के दूसरी चीज होती और उस हालत में जाहिर है कि तीन लिस्टों की जरूरत ही नहीं थी। मेरे ख्याल में यह सबब कोई वजन नहीं रखता। आर्टिकिल २५२ में जो पार्ट २ है उसमें अगर हम यह अख्तियार पार्लियामेंट को देते हैं तो यह बहुत ही खतरनाक होगा इसलिये कि हर जगह के हालात बदलते रहते हैं। मदरास में इस सूबे के से हालात नहीं हैं, उड़ीसा में इस सूबे के हालात नहीं है। ईस्ट पंजाब की वह हालत नहीं है जो इस सूबे की है। अगर जदीद हालात पैदा हो गये और जब उनको हम महसूस करेंगे तो फिर हमको यह अख्तियार नहीं रहेगा कि उनमें तरमीम और तंनसीख कर सकें। बज़ाहिरा यह एक रिज़ोल्यूशन मालूम होता है। मगर इसके तहत में जो चीज निकलती है वह यह है कि गवर्नमेंट चाहती है कि कोई जदीद टैक्स वह इस सूबे पर आयद करे। सूबे की हालत तो बिल्कुल खुली हुई है। इसमें मुख्तलिफ अज़ला ऐसे हैं जहां फ़ेमिन कण्डीशन्स (अकाल की दशा) मौजूद हैं और बहुत से जिले ऐसे हैं जो

[श्री अब्दुल बाक़ी]

डेफीसिट (कमी के प्रदेश) हैं। अगर आप यह चाहतें हैं कि और टैक्स लगाने की गुंजाइश है तो मैं बाअदब अर्ज करूंगा कि इस सूबे के हालात को पूरी तरह से सामने नहीं रखा गया है, या यह कहा जा सकता है कि आपको लोगों से जो १० गुना रक़म वसूल करनी चाहिये थी उसमें आप क़तई कामयाब नहीं हुये। तो बजाय इसके कि वह दोबारा कोई इल्जाम अपने ऊपर लें वह इसको टालना चाहते हैं पार्लियामेंट के ऊपर। अगर यह ख्याल है तो मैं समझता हूं कि वह भी अपनी जगह पर दुरुस्त नहीं है। इस सूबे में हम देख रहे हैं कि बजट सिर्फ एक साल सरप्लस (बचत का) रहा वरना हर साल डैफीसिट (घाटा) ही रहा है। तो हमें अपने बजट का भी ख्याल करना चाहिये और उसे इस तरह के टैक्सेशन (करारोपण) से नहीं पूरा करना चाहिये। हमको यह भी देखना है कि कितने सीगे और शाखें इस सूबे में ऐसी हैं जिनको दरअसल नहीं होना चाहिये।

मेरे बाज दोस्तों ने कहा है कि हमने पंचायत ऐक्ट पास किया और इस सूबे में पंचायतें फैला दी हैं। अगर वह इन पंचायतों के फैसलों, उनकी कार्यवाही और कारगुजारी से मुतमइयन हैं, तब तो इसका कोई इलाज नहीं है। मगर वाकया यह है कि पंचायत खुद अपनी जगह पर पूरी फ़ेल्योर (असफल) रही है। यहां से बाहर, जाकर आप देखें कि कितने सीगे ऐसे हैं जिनमें तरमीम और रिट्रैंचमेंट (छटनी) की जरूरत है। अगर उसको आप देखेंगे तो यह ख्याल आपके दिमाग से निकल जायगा कि हमको मजीद टैक्सेशन करने की जरूरत है।

तीसरा खतरा इसमें यह है कि हमारे बाज दोस्तों ने यह कहा है कि कम्युनिज्म के दरवाजे को हम बन्द करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से तो यह खुशफ़हमी है। जितना आप टैक्स ज्यादा लगायेंगे, लोग यह महसूस करेंगे कि हमारे पास रुपये की कमी है, दौलत की फरावानी खत्म हो रही है। तो वह कम्युनिज्म की तरफ झुकेंगे। इस तरह आप कम्युनिज्म का रास्ता खोल रहे हैं। आप चाहे सैकड़ों और हजारों कानून पास करा लीजिये। क़ानून का पास करा लेना कोई खूबी या हुनर नहीं है। बल्कि जो क़ानून पास हों उन पर अमल अच्छी तरह से और कामयाबी के साथ हो, तो यह ज्यादा बेहतर है क़ानून से।

जनाबवाला, मेरे लायक दोस्त ने अभी कहा था कि बहुत से कानून पास किये गये जिनके पास करते वक्त मैंने उनकी बड़ी तारीफ की मगर वह तारीफ बदल कर मजम्मत हो गयी। इतना अहम क़ानून कि जिसका असर इस सूबे के ६ करोड़ बसने वालों पर पड़ेगा। हम इस रेजोल्यूशन (संकल्प) को इस वक्त ला रहे हैं कि जब हमको सोचने का काफी मौका नहीं है। इस सूबे में राय देने वालों को मौका नहीं मिला कि क्या राय दी जाय। टैक्स का मामला है, इस पर राय जरूरी है उन लोगों की जिनपर इसका भार पड़ेगा। जमींदार महसूस करता है कि यह सारा भार हमारे ऊपर है, मुमकिन है कानून पास होने के बाद इसका भार जमींदारों पर न पड़े, लेकिन मालूम यही होता है कि पहली चोट जमींदारों पर पड़ेगी। तो जनाबवाला, इतना अहम है वह रेज्योल्यूशन। मुझे तो ताज्जुब मालूम होता है कि इस वक्त आनरेबिल मनिस्टर साहब ने इसे रखा है कि जब यह हाउस यक़ीनन इस पर अहमियत के साथ गौर करने के लिये तैयार नहीं है। मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि इस रेजोल्यूशन को पेश करने का यह मौका नहीं है इसलिए आनरेबिल मिनिस्टर साहब इस रेजोल्यूशन को फिलहाल वापस ले लें। अगर उनको वाकई जल्दी है और इस उम्दा अख्तियार को खुद इस्तेमाल करना नहीं चाहते और डेलीगेट करना चाहते हैं सेंटर (केन्द्र) को तो जो आइन्दा इनलार्ज्ड (बड़ा) हाउस होगा, जिसमें ज्यादा राय मिल सकेगी उसके सामने इसको आना चाहिये और इस वक्त इसको वापस ही लेना चाहिये। इन चन्द अल्फाज़ के साथ इस रेजोल्यूशन (संकल्प) की मैं मुखालिफत करता हूं।

श्री अब्दुल मजीद ख्वाजा--जनाबवाला, मैं उस प्रस्ताव का, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है, समर्थन भी करना चाहता हूं और विरोध भी। जहां तक कि उसके

बुनियादी उसूल का ताल्लुक़ है वह यह कि है गवर्नमेंट को चलाने के लिये और अपने सूबे को तरक्की देने के लिये रुपये की जरूरत है और रुपया जिस तरह से भी मुमकिन हो हासिल किया जाय। इस उसूल से तो किसी को इंकार नहीं हो सकता और यह भी जाहिर है कि रुपया लिया भी जा सकता है, तो उन्हीं लोगों से जो दे सकते हों और शायद यह उसूल एक ऐसा आम है कि जब से लोगों को यह मालूम हुआ कि मेरे घर में सिवाय कुछ फटे पुराने खद्दर के कपड़ों के और कुछ किताबों और फरनीचर के कुछ नहीं है मेरा मकान बहुत अरसे से महफूज है जबकि मकान के इर्द-गिर्द जिन लोगों के मुताल्लिक़ यह महसूस होता है कि उनके पास रुपया है वहांमेरे चोरियां होती रहती हैं। तो यह तो दुनिया का उसूल है कि रुपये वालों से ही रुपया लिया जाता है। तो हम में से जो अपने आप को अमीर समझते हों वे इससे घबरायें लेकिन जो हम में से यह समझते हों कि इसका बार हमारे ऊपर नहीं होगा उनको तो घबराने की कोई वजह नहीं है।

लेकिन एक चीज जरूर मुझे इसमें खटकती है कि यह एक क़ोरानी तक़लीद अंग्रेजों के वक्त से चली आती है। दूसरे यह कि मुझे एक बुनियादी खराबी इसमें यह भी महसूस होती है कि एक क़िस्म से डेथड्यूटीज जितनी हैं उनमें ख्वामख्वाह इसका इन्तजार करना पड़ता है कि कोई मरे तो ड्यूटी वसूल हो। तो यह बजाय मरने वालों से ड्यूटी लेने के कि जिसका असर उन गमजदों और मातम करने वाली औलाद और बालिगों पर पड़ता है अगर लेना ही है तो यह लाइफ ड्यूटी के तौर पर उन लोगों से क्यों न लिया जाय तो एवरेज ऐंज (औसत आयु) से ज्यादा जियें, मसलन हमारे मुल्क में एवरेज एज (औसत आयु) २६ वर्ष की समझी जाती है तो जो २६ वर्ष से ज्यादा जियें उसको हम टैक्स करें और वह जैसे-जैसे जियें वैसे-वैसे वह टैक्स प्रोग्रेसिवली (उत्तरोत्तर) बढ़ता जाय। यह भी कोशिश करें कि हम जियें और हम भी दुवा करें कि वह जियें। इसमें तो ख्वाहमख्वाह यह होगा कि जितनी जल्दी हो लोग मरें ताकि हमको डेथ ड्यूटी में ज्यादा रुपय मिले। यह मशरकी तहजीब के लिहाज से मुनासिब नहीं है। तवारीख और इतिहास बतलाता है कि हर किस्म के टैक्स लगे हैं लेकिन यह तहजीब कि आदमी मर गया तो उस पर टैक्स लग गया, यह चीज अच्छी नहीं मालूम होती।

रहा यह कि मेरे बाज भाइयों ने यह शिकायत की कि इसका मौका नहीं है और लोगों ने कहा कि अभी तो जमींदारी अबालीशन का थप्पड़ हम पर लगा और अब दूसरा यह आ रहा है तो मैंने कहा कि हमको सब्र करना चाहिये क्योंकि जैसा कि एक शायर ने कहा है—

छुरी के नीचे अभी जानेजार बाकी है,
जो चाहे टैक्स करो अख्तियार बाक़ी है।

इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब तक तुम जिन्दा हो इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन यह कोशिश करो कि जिन्दगी में ही जितना ज्यादा से ज्यादा फायदा गवर्नमेंट को पहुंचा सकते हो उसे पहुंचाओ। तुम्हारे मरने के बाद जो गवर्नमेंट वसूल करेगी उससे तुम्हारी आत्मा को कोई सवाब नहीं पहुंचेगा।

रहा यह कि जैसा अभी हमारे एक भाई ने एतराज किया कि आने वाली असेम्बली को इसका मौका दिया जाय तो मैं अर्ज करूंगा कि आने वाली असेम्बली को सारे सूबे वाले जानते हैं। आने वाली असेम्बली में यही हो सकता है कि अगर इस वक्त मौजूदा असेम्बली में २०० या १५० की कसरत राय से प्रस्ताव या बिल पास होगा तो उसमें ४०० की कसरत राय से हो जायगा। तो वह आपके लिये क्या तसल्ली की चीज होगी। मैं तो कहूंगा कि अगर हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी जरूरी समझते हैं कि इस असेम्बली में ही पास किया जाय तो जरूर किया जाय क्योंकि आने वालों के ऊपर इसका भार क्यों छोड़ा जाय। उनको एक क्लीन स्लेट दीजिये। उनको अनपापुलर (अप्रिय) करने की हम क्यों कोशिश करें, अगर इससे

अनपापुलैरिटी होती है। हम यह क्यों चाहें कि हम तो निकल गये और जो आने वाले हों वे अनपापुलर हों। हालांकि यह ख्याल ही गलत है क्योंकि मैं समझता हूं कि इस टैक्स से हमारी गवर्नमेंट अनपापुलर नहीं होगी।

जहां तक मासेज (जनसाधारण) का ताल्लुक है, इसका मासेज पर असर नहीं पड़ेगा, इसका तो चन्द उन गों पर असर होगा जिन्होंने कि बहुत जायदाद इकठ्ठा कर ली है। तो क्या हर्ज है कि उनकी जायदाद का एक टुकड़ा, एक मुनासिब टुकड़ा जो कि तय किया जाय, उसको ले लिया जाय। तो इससे किसी किस्म की अनपापुलैरिटी (अप्रियता) का अंदेशा नहीं हो सकता। हां यह जरूर है कि उसमें हमदर्दी का एक शायबां जरूर महसूस होता है कि बजाय इसके कि स्टेट अपने हर सिटीजन (नागरिक) के मरने पर शोक करे, गम करे, स्टेट और उसके मुलाजमीन और उसके कर्ता-धर्त्ता सब खुशी मनायेंगे कि कोई बड़ा आदमी मर जाय क्योंकि उससे स्टेट की आमदनी बढ़ जायगी। तो मैं इसके तो जरा खिलाफ हूं लेकिन उसकी जगह पर जैसा कि मैंने कहा, डेथ ड्यूटी की जगह लाइफ ड्यूटी लगाई जाय तो २७ बर्ष से जो बढ़े तो बढ़ते बढ़ते ७३ के ऊपर पहुंचते-पहुचते इतनी ड्यूटी हो जायगी कि अगर वह जिन्दा रहे तो हमारे लिये और अच्छा और जो अगर मर जाय तो औलाद इतनी हो जायगी कि उसकी औलाद से फिर वसूलयाबी काफी होगी। ७० बरस का कोई मरा तो औलाद २६ बरस से कम की न होगी। तो उनके ऊपर टैक्स लगेगा। तो उसके मरने से हमारा कोई खास नुक़सान नहीं होगा।

इसलिये मैं तो निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि हमको इस बात को ठंडे दिल से सोचने की जरूरत है कि फार्म आफ इनकम हमारे सूबे की ज्यादा आमदनी बढ़ाने की क्या हो और क्या तरीका हो। यह नहीं कि चूंकि इंगलिस्तान में इस किस्म का टैक्स लागू है तो आंख बन्द करके हम भी लगा दें। मैं तो इस किस्म की तक़लीद के हमेशा खिलाफ रहा, लेकिन अगर इसका मंशा सिर्फ इतना ही है कि सूबे और मुल्क की आमदनी को बढ़ाया जाय और उसकी बढ़ती हुई जरूरियात के लिये कोई रुपया सरमाया फराहम किया जाय जैसा कि आपको मालूम है कि अब तक तो इस हाउस के मेम्बर २२८ थे, अब खुदा के फ़ज्ल से ४३० हो गये। तो जैसा सुनने में आता है कुछ मिनिस्टर बढ़ेंगे, कुछ डिप्टी मिनिस्टर होंगे, कुछ तादाद पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज की बढ़ेगी, तो खर्चा तो सूबे का बढ़ेगा। इस बढ़ते हुये खर्च के लिये आमदनी को भी सोचना चाहियेऔर अभी से सोचना चाहिये, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं लेकिन जो तरीका हो उसको सोचने के लिये हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी मुनासिब समझें तो जैसे बाज लोगों की ख्वाहिश है, चलते चलाते उनकी इस प्रार्थना को कबूल कर लें तो यह उनकी पिछली मेहरबानियों से और अहसानों से बईद न होगा।

बाज अपोजीशन के मेम्बरान का ऐसा ख्याल है, जिनमें मैं तो अभी अपने आप को शुमार नहीं करता, मैं तो बीच आधार में हूं, तो शायद वे लोग इससे खुश हो जायं। मैं तो इस खुशी की भी तमन्ना नहीं करता। बहरहाल, मेरे कहने का मतलब यह है कि यह मामला ऐसा है कि इसके मुताल्लिक़ काफी सोच विचार की जरूरत है। यह कहना कि दूसरे मुल्कों में सके ऊपर सोच विचार होकर वहां जारी कर दिया जा चुका तो यह चीज अपने देश में, अपने मुल्क, अपने प्रदेश में, सूबे में इसको जारी कर दें यह काफी वजह नहीं होगी। इसलिये अगर मेहरबानी करके हमारे मुख्य मंत्री जी इसके ऊपर सोच विचार करके कोई ऐसा तरीका निकालें यह नहीं कि उससे हम लोगों का कोई फायदा या नुक़सान होगा बल्कि एक जनरल फायदे की गरज से, देश के फायदे के लिये कोई बेहतर सूरत निकालें आमदनी बढ़ाने की, या इसी आमदनी को जिसे वह अच्छी समझ रहे हैं उसको एक अच्छी शक्ल में वसूल करने का तरीका अख्तियार करें। जैसा कि मैं आपको बतलाऊं कि किसी काम के कराने के कई तरीके हुआ करते हैं। किसी से कहें कि "अबे खाना खा ले" और यह भी कहा जा सकता है कि "खाना जरा नोश फरमाइये"। मतलब तो एक होता है, लेकिन एक में जरा सी सख्ती होती है और एक में जरा सा लुत्फ होता है। तो यह मरने के वक्त की सख्ती ठीक नहीं होगी। जिन्दगी में

चाहे जितना खरचा हो फिर भी आदमी चाहेगा कि और जिन्दा रहूं। क्योंकि सबकी तमन्ना होती है कि वह ज्यादा से ज्यादा जिये। मुमकिन है वह अपनी लाइफ इंश्योर (जीवन बीमा) करा ले और दीगर तरीकों से स्टेट का फायदा करे। तो मैं यह अर्ज करूंगा लाइफ ड्यूटी के नाम से इसको जारी किया जाय, बजाय डेथ ड्यूटी के। मुझे इतना ही अर्ज करना है।

श्रीमती इनाम हबीबुल्ला—जनाबवाला, इस मजमून पर सुबह से बहुत तक़रीरें हो चुकी हैं, मैं चन्द अल्फाज़ में अपने ख्याल का इजहार करना चाहती हूं। इसमें शक नहीं कि जो यह स्टेट ड्यूटी (सम्पत्ति शुल्क) यहां पर लागू की जा रही है वह बिलकुल ही नामुनासिब है और नावक्त होने के अलावा हमारे मुल्क की आबोहवा के लिये किसी तौर से भी मौजूं नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह आप के दिल में ख्याल ही कैसे आया कि यह ड्यूटी लगायें। मरना और जीना जैसा इंगलिस्तान में समझा जाता है वैसा तो हिन्दोस्तान में नहीं समझा जाता। इस वक्त जो चीज पेश है वह मौजूं नहीं है क्योंकि इंगलिस्तान और हमारे यहां जमीन आसमान का फर्क़ है, रस्मो रिवाज का फर्क़ है यहां की और वहां की रोज मर्रा की जिन्दगी का फर्क है। इन सब बातों पर गौर किये बगैर यह चीज रखी गयी है तो मुझे बइन्तहा हैरत और ताज्जुब होता है। जिस तरह से इंगलिस्तान में लोग अपनी जिन्दगी गुजारते हैं उससे और हमारे यहां बहुत फर्क़ है। वहां पर हर शख्स अपने वास्ते ही पैदा हुआ है और वह दूसरों का ख्याल बहुत कम करता है। जहां तक होता है वह अपने और अपने बच्चों के लिये ही करता है और वह भी जब तक बच्चे छोटे रहते हैं तभी तक उस की जिम्मेदारी है। बच्चों के बड़े होने पर जैसे जानवरों का हिसाब होता है कि वह अपने बच्चों को जब तक छोटे रहते हैं दाना पानी देते हैं और बाद को उनकी कोई फिक्र नहीं करते हैं, इसी तरह से इंगलिस्तान के लोगों की हालत है। वे अपने घरों में रहते हैं और उनके बच्चे अपने घरों में रहते हैं। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है यहां तो ज्वाइण्ट फेमली सिस्टम (संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली) है। एक शख्स जो खानदान में सब से बड़ा होता है वही पूरे खान्दान में सब से बड़ा होता है और वही पूरे खान्दान के बार को संभालता है। यह नहीं होता है कि वह सिर्फ अपनी जान को संभालता हो। हमारा और उनका कोई मुकाबला नहीं है।

इस वक्त जो कुछ किया गया है जैसे जमींदारी अबालीशन हुआ उस से वैसे ही लोग बहुत ज्यादा परेशान रहे और उसके बाद उनके ऊपर जमींदारी टैक्स लगा दिया गया जिससे उनका बचा बचाया भी जाता रहा। लोगों के दिलों में परेशानी और घबराहट यों ही पैदा है और अब इससे बहुत ज्यादा हो जायगी। आप कहा करते थे कि अपने हाथों से तो हल चलाइये जिन्होंने कभी अपने हाथों से हल छुआ तक न था वे भी हल चलाने के वास्ते तैयार हो गये क्योंकि उन्होंने समझा कि चलो अपने मुल्क को फायदा पहुंचे तो अच्छा है। गवर्नमेंट का भी यह ख्याल है कि हम ऐसा करें लिहाजा इसमें हमारी जिल्लत नहीं होगी। जो जमीन उन्होंने काश्त के लिये रखी है जिस पर ही वह अपनी जिन्दगी को बसर करना चाहते हैं। अगर यह पास हो गया तो उनको यह ख्याल होगा कि उनके मरने के बाद यकीनन गवर्नमेन्ट उनकी जमीन को ले लेगी, यह उनकी कितनी परेशानी का बायस होगा। दूसरे यह चीज भी ऐसी है कि अवाम इसका नाम सुनकर घबरा जायेंगे कि मरने के बाद डेथ ड्यूटी भी ली जायगी। मैं समझती हूं कि हर शख्स जो यहां का रहने वाला है वह बहुत परेशान होगा और अगर कल कम्युनिज्म आने वाला है तो आप इसके जरिये आज ही उसको बुला लेंगे। इसलिए यह मुनासिब मालूम नहीं होता कि आप इस बिल को पास करें और ऐसी चीजें करें।

दूसरी बात यह है कि अभी बहुत से भाइयों ने यह बात बतलाई कि गवर्नमेंट को रुपये की जरूरत है इसलिए गवर्नमेंट ऐसा करती है।

बहुत से इस तरह के तक़रीर करने वालों ने इस चीज को बताया कि गवर्नमेंट के लिये यह कोई बहबूदी और फलाह का जरिया नहीं दे सकता है। जो मुल्क तरक्की कर रहे हैं उनके

[श्री मती इनाम हबी बुल्ला]

यहां यह हो रहा है कि तिजारत और सनद व हिरफत की तरक्की की तरफ खासतवज्जह कर रहे हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिन से मुल्क की तरक्की हो सकती है। इसके जरिये से बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन मरने वालों पर ड्यूटी लगाना किसी तरह से मुनासिब नहीं कहा जा सकता है। मैं समझती हूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जरूर इस को अच्छी तरह से समझ लेंगे और जो तजवीज इस वक्त पेश है उसको वापस लेंगे।

दूसरी एक बात सबसे बड़ी, जो कि दूसरे मुल्कों के लोग नहीं सोच सकते हैं, यह है कि हमारे यहां जो विरासत का कानून है वह एक मजहबी सूरत है। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही इस को मानते हैं। मुसलमानों में तो यह है कि इसमें एक हर्फ भी बदला नहीं जा सकता है। सरमायादारी को हमारे इस्लाम ने कभी पसन्द नहीं किया है। वहां सरमायादारी तो रह ही नहीं सकती है। थोड़ी-थोड़ी होकर तकसीम हो जाती है। लेकिन जिस तरह से तकसीम बतायी गयी है इस बिल के पास हो जाने से उसमें दस्तंदाजी होगी। इसलिए मैं समझती हूं, आप लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे जिससे इस वक्त की बदलती हुई मुल्क की हालत में इंतशार और परेशानी पैदा हो जाय इस पर बहुत ही अच्छी तरह से गौर करना चाहिये और इस संकल्प को वापस ले लेना चाहिए।

श्री नवाजिश अली खां—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस मौके पर और इस एटमास्फियर (वातावरण) में जिस वक्त हम पहुंच चुके हैं मैं यह सोच रहा हूं कि कोई ऐसी तकरीर का कुछ ज्यादा फायदा या असर तो मुझे नजर आ नहीं रहा है। अलबत्ता दो एक बातें पहले इसके कि मैं तकरीर को शुरू करूं कहना चाहता हूं। हमारे विरोधी दल की तरफ से कुछ सदस्य साहबान शायद यह समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से यह बिल या यह प्रोपोजल या यह रजोल्यूशन जबरन थोपा जा रहा है और इसके लिये वह ऐसे ऐटमास्फियर और ऐसे ऐटीट्यूट (रुख) में तकरीरें कर रहे हैं यह गलत है क्योंकि मुख्य मंत्री ने आज से तीन रोज पहले जब कि इस प्रोपोजल को पेश किया था तो उन्होंने इस बात को साफ कर दिया था कि अगर आप लोग इसे पसन्द करें तो हम इसको हाउस में रखें और अगर आप पसन्द न करें तो इस को उठा कर दूसरे हाउस में ले जायं। अब हम लोगों को इस मौके पर सिर्फ यह दिखलाना है कि आया यह मुनासिब है या नहीं है और आया इस हाउस में हम इसको डिसाइड (निर्णय) करें या न करें। फ़क़त इतना नजरिया है जो हमें पेश करना है और इसके ऊपर गवर्नमेंट भी कोई इंसिस्टेंट (उतारू) नहीं है कि वह जरूर ही इस वक्त इस को पास करे।

जहां तक कि यह एतराज है कि बहुत जल्दी की गयी है उस एतराज को खास तौर पर उस दिन मुख्य मंत्री ने पूरे तौर पर मीट किया (समझाया)। अब सिर्फ एक बात को देखना है कि आया उसूली तौर पर हम अपने बाजे अख्तियारात केन्द्रीय सरकार के सुपुर्द कर सकते हैं या नहीं। दूसरे यह कि इस प्रस्ताव के क्या मेरिट्स (गुण) हैं। आया इस प्रस्ताव को यहां से पास करना चाहिये या नहीं और अगर पास करें तो किन लाइन्स (दशाओं) पर।

मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां तक प्रस्ताव का ताल्लुक़ है वह नई जमीनों के लिये बनाया गया है और इसके अन्दर इण्डस्ट्रियल प्रापर्टीज (उद्योग संबंधी सम्पत्ति) जितनी है वह शामिल नहीं है। इसका मतलब यह साफ हुआ कि यह प्राविन्शियल सबजेक्ट (राज्य सूची का विषय) है जिसको हमेशा से जब से यह मौजूदा सिस्टम हुकूमत का कायम हुआ प्राविन्स डील करता रहा है। जब से ब्रिटिश ने यह सिस्टम रायज किया तब से यह प्राविंशियल सबजेक्ट है और यह सेण्ट्रल सबजेक्ट (केन्द्रीय विषय) नहीं है। इस तरह से चला आता है। और यह किस नई और ऐग्रीकलचर का सबजेक्ट प्राविंशियल है और हर सूबे को यह काम करने का मौक़ा मिला और उसके लिये उन्होंने कानून बनाये। अंग्रेजों ने जिन-जिन सूबों में कानून बनाये उन्हीं

लाइन्स पर प्राविंशियल टेनेन्सी लाज (सूबे का काश्तकारी कानून) रखा था। अगर हम अपने यहां के टेनेन्सी लाज को देखें तो हमें मालूम होगा कि हमारी लोकल (स्थानीय) चीज़ हैं। हमारे यहां कानून कब्जा आराज़ी या अवध रेंट ऐक्ट या यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट है। पंजाब में या मध्यभारत में या बिहार में इस किस्म का कोई कानून नहीं है और बम्बई, मद्रास और ट्रावनकोर से तो कोई लगाव है नहीं। यह बिलकुल एक सूबाई चीज़ है और हम लोगों से ताल्लुक रखती है। और इसके लिये हम अगर केन्द्रीय सरकार को अख्तियार दिये देते हैं कि वह जो चाहे और जिस में चाहे हमारे ऊपर एक टैक्स लगा दे, मैं समझता हूं कि खिलाफे अक्ल अख्तियारात के होगा। मैं नहीं जानता कि हमारा कांस्टीट्यूशन क्या कहता है लेकिन इतना जरूर अर्ज करूंगा कि हम उस ब्रेन (मस्तिष्क) के अन्दर जिसमें कि सेण्टर इसको बनाना चाहता है अपने ब्रेन (मस्तिष्क) को भी पहुंचावें और पूरे तौर पर वाजेह कर दें कि किन लाइन्स पर वे बनावें ताकि उनको अन्दाजा हो सके कि वह किन लाइंस पर चलें, क्योंकि मद्रास के ला में और यहां के ला में जमीन आसमान का फर्क है। यह मेरा पहला एतराज़ है कि उसूली तौर पर इसको सेंट्रल को नहीं देना चाहिये। अभी जिस वक्त यह हाउस नहीं था उस वक्त हमारे महामान्य राज्यपाल ने एक आर्डिनेंस एवाकुई ला (निष्क्रमणार्थी-विधि) के बारे में जारी किया था और वह एक नया सवाल था और सब प्रान्तीय सरकारों के सामने बराबर से पेश था और इसलिये उस रिजोल्यूशन, उस आर्डिनेंस को भेज दिया सेंटर में। लेकिन यह तो हमारा सबजेक्ट है और जो खालिस तौर पर हमारा सबजेक्ट हो उसका अधिकार उनको देना जिसका उनको तजुर्बा न हो, न किसी किस्म की वाकफियत हो इस बारे में उनके हाथ में दे देना एक मखदूश चीज़ है जो हमको नहीं करनी चाहिये।

अब मैं मेरिट्स (गुणों) पर आता हूं। इतना मैं अर्ज करूंगा कि ख्वाह इण्डस्ट्रियल लैंड की बात हो या एग्रीकल्चरल जिसका ज़िक्र इस प्रस्ताव के अन्दर मौजूद है। मैं समझता हूं कि हमारा मुल्क इस वक्त इस काबिल नहीं है कि उस पर जितना बार पड़ चुका है उससे ज्यादा बार उस पर डाला जाय। जहां तक एग्रिकल्चर (कृषि) का ताल्लुक था तीनों किस्म के टैक्स जरा-अतपेशा लोगों पर ही आयद होते हैं। पहला रेवेन्यू (मालगुजारी) था जो हमेशा से चला आ रहा था। दूसरा एग्रिकल्चरल टैक्स और तीसरा सेल्स टैक्स (बिक्री कर) कहा जायगा। सेल्स टैक्स जराअत पेशा लोगों पर कैसे लागू होता है इसके लिये मैं एक सिम्पिल (साधारण) बात पेश करता हूं। हम आज देखते हैं कि आज जो रेजर ब्लेड्स १ रुपये दर्जन मिलते हैं, जब जब हम उनको लेने जायंगे तो दूकानदार हमको १ रुपये १ आने पर १ दर्जन ब्लेड्स देता है। यह जो १ आना सेल्स टैक्स ट्रेडिंग क्लास (व्यवसाइयों) पर पड़ता है वह दरअसल हमारे ऊपर आ कर पड़ता है। चूंकि एग्रिकल्चरल क्लास मेजारिटी (खेती करने वाले बहुमत) में हैं लिहाजा सेल्स टैक्स का भार उसी पर जा कर पड़ता है। इंडस्ट्रियल टैक्स (उद्योग कर) से यह मुराद है कि आपने मुलाहिजा किया होगा कि गुजिश्ता ५ साल से जब से मुख्तलिफ किस्म की तकरीरें बाज जिम्मेदार मिनिस्टरों के जरिये, केन्द्रीय सरकार और प्राविन्शियल सरकार के हुई और यह कहा गया कि हम सरमायादारी को खत्म कर देंगे तो केपिटल शाई (पूंजी लगाना कम) हो गयी, मनी मार्केट टाइट हो गया। ट्रेडिंग क्लास ने रुपया बाहर निकालना बन्द कर दिया। नतीजा यह हुआ कि एक अजीब इंफ्लेशन और डिफ्लेशन (मुद्रास्फीति और विस्फीति का विशस सर्किल (दूषित) सा बन गया। इस सर्किल में इंफ्लेशन का यह हाल कि रुपये की कीमत सवा तीन आने रह गई और डिफ्लेशन की यह हालत कि मार्केट के अन्दर रुपया नहीं है। यह सर्किल ऐसा बन गया है कि इससे हम निकल नहीं पाते हमारा मुल्क जो इंडस्ट्रियालाइज होने (उद्योग बढ़ाने) जा रहा था जिससे मुल्क को बहुत फायदा पहुंचता वह चीज़ बिलकुल ठप हो गई।

अभी थोड़ा अर्सा हुआ हमारे एक केन्द्रीय मंत्री ने यह ऐलान किया कि इंडस्ट्रीज को प्राइवेट एंटरप्राइस (निजी उद्यम) खुद चला सकती हैं और मार्केट में अपना रुपया ला

[श्री नवाजिश अली खां]
सकती हैं, ताकि यह मनी टाइटनेस (रुपये की कमी) खत्म हो जाय। सोने का भाव १०९ से ८० रुपये पर पहुंच गया। स्टाक एक्सचेंज ने भी एग्रिकल्चरल कमोडिटीज (कृषि की चीजों) को ही हिट (प्रभावित) किया, मसलन आयल को ले लीजिये। दो रुपये से तेल सवा रुपये पर आ गया। इससे आयल इंडस्ट्रीज को धक्का लगा। १२ की १२ मिलें कानपुर में बन्द हो गईं। सब से पहले इस स्लम्प ने जिसे लोकल स्लम्प समझा जाता है एग्रिकल्चरल कमोडिटीज को हिट किया है। वजह यह है कि हमारे मुल्क की जितनी एकनामी (आर्थिक योजना) है वह रूरल एक्नामी (देहात पर आधारित आर्थिक योजना) है। जहां रूरल एक्नामी पर धक्का लगता है तो पूरे का पूरा फ्रेम (ढांचा) हिलने लगता है। जहां कोई गलत काम हुआ कि रूरल एक्नामी पर धक्का लगा और चीजों के दाम नीचे जाने लगे और मालूम नहीं किस स्टेज (प्रक्रम) पर जा कर ठहरेंगे। उनका ख्याल है कि यह वर्ल्डवाइड स्लम्प (जगत व्यापी मुल्यापकर्ष) है और इसके नतीजे बाद में मालूम होंगे और उसके बाद बड़ी मुसीबत बढ़ जायगी क्योंकि पिछला स्लम्प जो सन् ३० में आया था वह ब्राजील से शुरू हुआ और वहां के १२५ बैंक क्रैश (समाप्त) हो गये। वहां की गवर्नमेंट ने यह समझा कि यह मसला सिर्फ उन्हीं के लिये था, लेकिन बाद में यह स्लम्प इतना फैला कि उसने हम लोगों को भी हिट (प्रभावित) किया और वह बराबर हिट करता रहा, हालांकि लड़ाई सन् ३९ में आ गयी थी।

इसमें कोई शुबहा नहीं है कि गवर्नमेंट को पूरा हक़ हासिल है कि वह मुल्क की फलाह के लिये अगर उसको रुपये की जरूरत है तो वह हर चीज पर टैक्स लगा सकती है और अगर जरूरत समझे तो पब्लिक इंटरेस्ट (जनहित) में उसको ले ले। लेकिन यह उसी सूरत में हो सकता है जब हमें इस बात का पूरा इत्मिनान हो। हमारे यहां की पर कैपीटा (प्रति व्यक्ति) आमदनी भी उतनी नहीं है जितनी इंग्लिस्तान के लोगों की है। यहां तो हम वैसे ही हाइली टैक्स्ड (अधिक कर ग्रस्त) हैं। अब ४-५ साल के बाद आजादी की झलक कुछ दिखाई दी थी। आज हमारे हाथ में कतई तौर पर गवर्नमेंट है, हम चाहे जो कर सकते हैं। हम पोलीटिकली तो आजाद हो गये हैं लेकिन अभी इकोनोमीकली (आर्थिक दृष्टि से) स्टर्लिंग और डालर के चक्कर में पड़े हुये हैं; अभी नहीं कह सकते कि कब वह वक्त आयेगा जब कि हम अपनी आजादाना पालिसी अपने टर्म्स में डिक्टेट करा सकेंगे। इसलिये उसूली तौर पर अगर यह रहने दिया जाय तो बेहतर होगा और यह हमारी असेम्बली के ऊपर ही छोड़ दिया जाय कि वह जैसा चाहे करे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी तक़रीर को खत्म करता हूं।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---मैंने जब इस तजवीज को पहिले पेश किया था और इस सिलसिले में यह कहा था कि अगर कोई भी मेम्बर कहे कि इस पर इस वक्त यहां बहस-मुबाहिसा न हो तो मैं इसको छोड़ देने के लिये तैयार हूं इस पर किसी साहब ने कोई एतराज नहीं किया। मैंने यह मंजूर किया था कि इस पर ज्यादा वक्त दिया जायगा। कल भी इसका जिक्र आया। कल जब इसके लिये वक्त मुकर्रर हुआ और आज जब पेश हुआ तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। पेश करने के बाद और इतनी बहस मुबाहिसे के बाद हमारी भी कुछ जिम्मेदारी हो जाती है। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ही ऊपर नहीं है बल्कि सभी साहबों पर है। मैं इस बात को कह सकता हूं कि सारे हाउस की यह राय थी कि इस मसले पर गौर हो और इसका फैसला किया जाय।

जहां तक बहस का ताल्लुक है हमारे साथी जब इसके ऊपर बोलते हैं तो ऐसा कहते हैं मानो कि उन्हें दुनियां की सब मालूमात है और बाक़ी सब लोग कमअक्ल हैं और इस मुल्क में न जाने कितना जुल्म और कितनी ज्यादती हो रही है जिसे कोई भी नहीं जानता। जो चुनाव हुये उसका भी ख्याल उन्हें न रहा। उसमें उनका क्या हश्र हुआ ? कहते हैं कि जो प्रोग्राम था

कार्यक्रम हमारे सामने हैं वे सब गलत है और सारा मुल्क हमारे खिलाफ है। लेकिन वे यह बिलकुल भूल जाते हैं कि उनके बारे में लोगों ने उनको क्या जवाब दिया है। इस बात को वे कतई भूल जाते हैं। यह मैं समझता हूं कि यह बहुत ज्यादा फैयाजी की बात नहीं है। मैं कोई यह नहीं कहता और मैंने बार-बार कहा है कि हमने बहुत कुछ नहीं किया। इतने समय में जो कुछ हम करना है, जो कुछ हमने अब तक किया है उससे कई गुना ज्यादा है। उसकी निस्बत कोई मुकाबिला नहीं हो सकता। हमने अगर २० लाख की जगह ३५ या ३६ लाख लड़कों को पढ़ा दिया तो उससे क्या ? हम उससे और आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरह से और बातों को भी करना है। मगर मैं समझता हूं कि दानिशमन्द साहबान का यह कहना जो यहां पर कभी कम्युनिज्म का जिक्र करते हैं, कभी किसी चीज का जिक्र करते हैं मानों उन्हीं को सब बातों का इल्म है कि इस बात की जरूरत है कि अभी लोग सोचें समझें और तब उनके सामने यह मसला रखा जाय। मैं नहीं समझता कि वे मामूली बात को किस तरह से भूल जाते हैं। स्टेट ड्यूटी का मसला यहां पर पहली दफा नहीं रखा जा रहा है। हमारी समझ में इसकी चर्चा कम से कम आज कोई ३० साल के करीब से चल रही है। सन् १९२४-२५ में टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी बैठी थी जिसने इसके लिये सिफारिश की थी। उसके बाद उसके ऊपर काफी बातचीत, बहस-मुबाहसा और लिखा-पढ़ी हुई। उसके बाद फिर सन् ४६ में एक बिल आया हुआ, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर में पेश हुआ और उस बिल के ऊपर काफी बातचीत हुई। वह बिल सब जगह सरक्युलेट किया गया, उसके ऊपर राय ली गयी और यहां तक कि हमारे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के ताल्लुकेदारों ने, मर्चेण्ट्स चेम्बर्स ने और पब्लिक ने भी अपनी राय दी। चूंकि इस बीच में लेजिस्लेचर खत्म हो चुका था फिर उसके बाद दूसरा बिल सन् ४८ में पेश किया गया और वह सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया और फिर सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट लेजिस्लेचर के सामने रखी गयी। कम से कम वह रिपोर्ट आया हुई। यहां तक यह बात है जिसके बारे में कोई दो रायें नहीं हैं मगर कुछ साहबान ऐसे बोलते हैं कि पब्लिक को ज्यादा वक्त देना चाहिये कि वह उन बातों पर काफी गौर करे। आप सोचें कि यह कहां तक सही बात है जब कि इस तरह के लेजिस्लेशन बराबर होते आये हैं। यह पहली दफा पेश हुआ, फिर दूसरी दफा पेश हुआ, फिर सेलेक्ट कमेटी में गया सेलेक्ट कमेटी में गौर हुआ और गौर करने के बाद उसकी रिपोर्ट छपी। इस तरह से सब की राय ली गयी।

मैं मानता हूं कि इसके बारे में किसी की खिलाफ राय हो सकती है, लेकिन यह कहना कि साहब, अभी तक इस मसले का कभी जिक्र ही नहीं हुआ और हमारी गवर्नमेंट ने उसे हमारे सामने रख दिया, हम तो सब कुछ जानते हैं और तुम बड़े जाहिल हो, जो इस तरह का काम कर रहे हो। दानिशमन्द लोगों के लिये यह कोई बहुत ज्यादा फैय्याजी का रवैया नहीं है। इसलिये मुझे यह अजीब बात लगती है यह बात उन साहब ने कही है जो बड़े उसूलों की बुनियाद के ऊपर सारी बातें कहते हैं। वे कम्युनिज्म को भी समझते हैं, दूसरी बातों को भी समझते हैं मगर उनकी समझ से उसूली बात करना तो ठीक है लेकिन उस पर अमल करना ग़लत है। इस तरह की बातों को मैं ठीक नहीं समझता हूं। आखिर में मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो मैंने आप से कहा कि यह स्टेट ड्यूटी कोई नयी चीज नहीं है, पुरानी है, इस बारे में कोई इख्तलाफ राय हो सकती है, यह मैं समझ सकता हूं और ईमानदारी से हो सकती है, यह भी मैं मानता हूं। यह भी नहीं है कि जो दौलतमन्द आदमी हैं वे सिर्फ अपने दौलत के ख्याल से ऐसा करते हों, यह भी ख्याल हो सकता है कि यह तरीका ठीक नहीं है। मैं उस राय को नहीं रखता हूं। मैं दूसरी राय रखता हूं, मगर फिर भी मुमकिन है कि जो दूसरी राय रखते हैं उनकी राय उनके खयाल से सही हो। मगर यह कहना कि यह तो एक अजीब सी चीज है यह बात ऐसी नहीं है कि सही मालूम पड़े।

इग्लेंड में १८९४ ई० से इस्टेट ड्यूटी चली आती है। इस वक्त तो अगर कहीं पर बहुत बड़ा हिस्सा इस्टेट का खाली पड़ा है तो वह भी ड्यूटी के तौर पर चला जाता है। बाज वक्त में

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

समझता हूं आधा और तीन-चौथाई के क़रीब होता है। मैं इसको यक़ीन के साथ तो नहीं कह सकता मगर यूरोप के मुल्कों में ड्यूटी चली आती है और यहां पर भी यह कोई नई चीज नहीं है। ईजिप्ट में ६०० बी० सी० में इस्टेट ड्यूटी १० परसेंट ली जाती थी यह कहा जाता है। ग्रीस में थी, ईरान में थी। हमारे यहां तो यह रवैया था कि यहां पर मालदार आदमी नहीं होते थे। पुराने जमाने में यह था कि किसान अपनी खेती करते थे और आराम से अपना गुजारा करते थे और बड़े सुख से रहते थे। वैसे भी हमारे यहां बड़ा मालदार होना कोई शान की बात नहीं समझी जाती थी और जिस किसी की ऐसी हैसियत होती थी वह सरकार की तरफ से काम करता था और वह या तो जागीरदार होता था या और दूसरे इस तरह के लोग होते थे। उनको एक तरह से हीनहयाती हक मिलता था। सरकार का जो काम करते थे उसकी एवज में उनको इस तरह की चीजें मिलती थीं। उनका उसमें सिर्फ लाइफ इण्टरेस्ट (जीवन अधिकार) होता था। जब वह मर जाते थे उनका टेन्योर (अधिकार काल) खत्म हो जाता था और विरासत में उन के किसी आदमी को नहीं दिया जाता था। उस वक्त राजा या बादशाह जो होते थे उनके वारिस अगर उस काम के लायक होते थे तो उनको वह काम दिया जाता था नहीं तो टेन्योर इन ला (विधि की दृष्टि से अधिकार काल) खत्म हो जाता था। उनका लाइफ (जीवन भर) के लिये ही इण्टरेस्ट (अधिकार) था। यह रवैया बहुत पुराने जमाने का था। कल्टीवेटर का हक़ जाया नहीं होता या जैसा कि आज कल बड़े-बड़े ताल्लुकेदार हैं या परमानेंट सेटिलमेंट जैसा कि बंगाल में हुआ है इनके लिये वह चीज विरासत के तौर पर चलती है। इस तरह से हमारे यहां आजकल टेन्योर दूसरा है।

इसमें इसका सवाल नहीं उठता है कि यह चीज अजीब हुई है या यह हिस्टोरीकल (ऐतिहासिक) नुक्तेनजर से सही बात नहीं है। सारी दुनिया में जो बात है और जो हमारे ट्रेडीशनल बातें हैं उनके खिलाफ यह बात नहीं है। इस सिलसिले में मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सन् १९४६ ई० में इस्टेट ड्यूटी (सम्पत्ति शुल्क) के लिये जो बिल बनाया गया था उसके आबजेक्ट एण्ड रीजन्स (उद्देश्य और कारण) में यह लिखा हुआ है कि--

"Death duties in one form or another constitute an important element in the scheme of taxation of most progressive countries."

['अधिक उन्नति शील देशों में किसी न किसी रूपमें मृत्यु-कर कारारोपण की योजना का एक महत्वपूर्ण अंग होता है।]

इसमें और इसी तरह की बातें हैं जिनको मैंने अभी तशरीह के साथ कहा है और ज्यादा कहना मैं गैरज़रूरी समझता हूं। यहां पर सन् १९४८ ई० में जैसा कि मैंने कहा फिर दूसरा बिल छपा। वह बिल उस वक्त इण्ट्रोड्यूस (उपस्थित) किया गया था जब कि यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। उसके बाद दूसरा बिल उस वक्त आया था जब कि श्री षणमुखम् चेट्टी हमारे यहां के फाइनेंस मिनिस्टर (वित्त मंत्री) थे। फिर उसकी रिपोर्ट सेलेक्ट कमेटी में आयी और सब लोगों ने इस बिल को मंजूर किया और उनकी तरफ से यह रिपोर्ट निकली। इसमें सर्वश्री जान मथाई, सन्थानम् और षणमुखम् चेट्टी जैसे समझदार आदमियों की राय थी। उस कमेटी ने यह सिफ़ारिश की थी कि यह बिल जो बना था यह नान एग्रीकलचरल लैंड के (भूमि जो कृषि संबंधी न हो उसके) लिये और नान-एग्रीकल्चरल प्रापर्टी (जो सम्पत्ति कृषि से संबंधित न हो) के लिये था। चूंकि कांस्टीट्यूशन में, जैसा कि कांस्टीट्यूशन तब था और अब है सेण्टर को अधिकार नहीं था कि वह एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में कोई कानून बनावे। इसलिये उन्होंने ऐसा क़ानून खुद नहीं बनाया, मगर वहां से यह आया कि उनकी यह राय है कि एग्रीकलचरल लैंड भी उसमें शामिल हो जाय तो अच्छा होगा। इस के लिये यह खत पहले आया। यह खत अगस्त सन् १९४८ ई० का है इसमें भी लिखा है कि--

"It would be seen from clause 4 of the Bill that it seeks to impose an Estate Duty on all property excluding agricultural land which is within the legislative sphere of provincial legislatures. The net proceeds of the proposed duty would, of course, be distributed among the provinces. In the course of preliminary discussion on the Bill, the Select Committee stressed the view that the provincial governments should be addressed with thesuggestion that they should introduce similar legislation in the provinces to levy Estate Duty on agricultural land or in the alternative to consider desirability of allowing the Dominion Legislature to legislate on their behalf. They emphasisde that whichever alternative is followed there should be complete unanimity and uniformity in this regard among all the provinces. The Government of India would prefer the latter alternative as it would make for uniformity and efficiency of administration. They would also be agreeable to making a statutory provision to the effect that the whole of the net proceeds of the Estate Duty in respect of agricultural land situate in a province will be assigned to that province irrespective of the formula that may be devised thereafter for distribution of the duty on property other than agricultural land."

विधेयक के खंड ४ को देखने से यह ज्ञात होगा कि यह कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य समस्त सम्पत्ति पर सम्पत्ति शुल्क आरोपित करता है, जो प्रान्तीय विधान मंडलों के विधायिनी क्षेत्राधिकार में है। निःसन्देह प्रस्थापित शुल्क को शुद्ध प्राप्ति प्रान्तों को ही वितरित की जायगी। विधेयक की प्रारम्भिक चर्चा के मध्य में प्रवर समिति ने इस दृष्टिकोण पर बल दिया कि प्रान्तीय सरकारों को यह सुझाव भेजा जाय कि वे प्रान्ततों में कृषिभूमि पर सम्पत्ति शुल्क आरोपित करने के लिए इसी प्रकार का विधान पुरःस्थापित करें अथवा विकल्प के रूप में अधिराज्य विधान मंडल द्वारा इस विषय में विधान निर्माण की अनुज्ञा देने की वांछनीयता पर विचार करें। उसने इस बात पर भी बल दिया कि जिस किसी भी विकल्प का अनुसरण किया जाय उसमें सब प्रान्तों में पूर्ण सहमति तथा एकरूपता हो। भारत सरकार पिछले विकल्प को अधिक उपयुक्त समझती है, क्योंकि इसके द्वारा प्रशासन की एकरूपता और कार्य-क्षमता प्राप्त हो सकती है। वह एतत्प्रभावी परिनियत उपबन्ध करने में भी सहमत होगी कि किसी प्रान्त में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त हुई सम्पत्ति शुल्क की समस्त शुद्ध प्राप्ति उसी प्रान्त को दे दे और कृषि भूमि के अतिरिक्त सम्पत्ति पर लगाये गये शुल्क के वितरण के लिये बनाये गये सूत्र का इस पर कोई प्रभाव न पड़े।

अब इसका क़ानून बदल गया है और वह सब इस्टेट ड्यूटी (सम्पति कर) चाहे जिस सोर्स (स्रोत) से भी हो वह सब स्टेट्स (राज्यों) को जायगी और उसकी आमदनी सेण्टर (केन्द्र) को नहीं जायगी चाहे वह एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री (कृषि अथवा उद्योग) किसी चीज़ को भी हो वह सब स्टेट को मिलेगी। यह ख़त सन् १९४८ ई० में आया और उसके बाद हाल में गवर्नमेंट आफ़ इंडिया से एक दूसरा ख़त आया जिसमें उन्होंने फिर इसी क़िस्म की बात कही—

"The net proceeds of the estate duty even in respect of property other than agricultural land are to be wholly assigned to the States under Article 269 of the Constitution. The net proceeds of estae duty leviable on agricultural land situated in a State would, of course, be handed over to the State concerned as the duty is levied on behalf of that State. It is hardly necessary to mention how inequitable the impact of estate duty would be if it is confined to non-agricultural property. Moreover, the exclusion of agricultural estates from the purview of the Estate Duty Bill which is now before Parliament would facilitate evasion besides creating needless difficulties in the administration of the duty. It is very necessary therefore, that there should be complete uniformity in regard to the levy of estate duty on agricultural land and of duty on property other than

[माननीय श्री गोविन्द बल्लभ पन्त]

agricultural land and this can only be achieved by enabling Parliament to legislate on behalf of your State under Article 252 of the Constitution."

कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति से आगत सम्पत्ति शुल्क की शुद्ध प्राप्ति संविधान के अनुच्छेद २६९ के अधीन पूर्ण रूप से राज्यों को ही प्रतिभाजित की जायगी। किसी राज्य में स्थित कृषि भूमि पर आरोप्य सम्पत्ति शुल्क की शुद्ध प्राप्ति निःसन्देह संबद्ध राज्य को ही दे दी जायगी, क्योंकि शुल्क उस राज्य की ओर से ही आरोपित किया जायगा। यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि सम्पत्ति शुल्क का प्रतिघात कितना विषम होगा, यदि यह केवल भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति तक ही परिमित रखा जाय। इसके अतिरिक्त सम्पत्ति शुल्क विधेयक के जो इस समय संसद के समक्ष है क्षेत्राधिकार से कृषि आस्थानों का अपवर्जन शुल्क के प्रशासन में अनावश्यक असुविधाएं उत्पन्न करने के अतिरिक्त कर वंचना को सुगम बनायेगा। अतः यह अत्यावश्यक है कि कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति पर सम्पत्ति शुल्क के आरोपण में पूर्ण एकरूपता हो और यह तभी सम्भव है जब कि आप संविधान के अनुच्छेद २५२ के अधीन अपने राज की ओर से संसद् को विधान निर्माण का अधिकार दें।

पिछले साल फिर गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ने यह खत हमारे पास भेजा और उस में क़रीब क़रीब जो वजूहात हैं वह सब दिये हुये हैं।

अगर आप यह समझें कि यह ख्याल था कि सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड (कृषिभूमि) पर ही ड्यूटी लगाई जाय, तो ऐसा हमारा इरादा हरगिज नहीं है। इरादा यह है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया मुल्क की हालत को देखते हुये अगर मुनासिब समझें तो नान-एग्रीकल्चरल प्रापर्टी पर भी लगावें। इसके यह माने नहीं हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड पर तो जरूर लगाई ही जाय हालांकि यह दूसरी बात है कि ऐसी प्रापर्टी पर भी लगे। आप समझ सकते हैं, इसमें एग्ज़ेम्पशन (छूट) है जो १ लाख, ६ लाख या ३ लाख या कुछ भी हो सकती है। पालियामेंट में इसमें बदलाव हो सकता है। मगर एग्ज़ेम्पशन (छूट) की मिक़दार भी हमको क़ायम करनी होगी। किसी के पास नान-एग्रीकल्चर पापर्टी बहुत कम हो और एग्रीकल्चरल प्रापर्टी ज्यादा हो या इसी तरह से किसी के पास नान-एग्रीकल्चरल प्रापर्टी ज्यादा हो और एग्रीकल्चरल प्रापर्टी कम हो, तो ऐसे केसेज (मामलों) में कम्पलीकेशन्स (जटिलता) भी हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें इवेज़न (कर वञ्चना) की भी गुंजाइश हो सकती है, मसलन् प्राइवट फारेस्ट्स (निजी जंगल) हैं उसकी आमदनी एग्रीकल्चरल कही जाय या नान-एग्रीकल्चरल कही जाय? बाज दफ़ा यह कहा गया कि टिम्बर की सेल (लकड़ी की बिक्री) से जो आमदनी होती है उस पर एग्रीकल्चरल इनकमटैक्स (कृषि आय कर) लगे या नहीं। ऐसे ही और मामले हो सकते हैं जिनकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। लिहाजा एक सीधी सी बात है कि इस बात की जरूरत है कि अगर इस क़िस्म का कोई कानून बने तो अगर पार्लियामेंट मुनासिब समझे तो उसे एग्रीकल्चरल लैंड पर भी लगा दे। ऐसा अख्तियार पार्लियामेंट को देने का सवाल है। अख्तियार देने के यह मानी नहीं हैं कि वह जरूर टैक्स लगा ही दे। वहां भी हमारे रिप्रज़ेंटेटिव्ज (प्रतिनिधि) होंगे और अब तो वे ८६ हो गये हैं और कौंसिल आफ स्टेट्स में ३१ होंगे। उनकी आवाज काफ़ी बुलन्द होगी। वे हमारे प्राविंस को उसी तरह वहां रिप्रज़ेंट (प्रतिनिधित्व) करते हैं जैसे हम यहां करते हैं। लिहाजा कोई चीज बेजा नहीं हो सकती। अगर ऐसी कोई बात होगी तो वह सबके सामने आवेगी। हम इस बात की भी कोशिश करेंगे कि अगर एग्रीकल्चरल लैंड पर भी टैक्स लगे तो इसके बारे में जो भी बातें हों वे इस हाउस के सामने भी आवें ताकि हम भी उनके ऊपर अपनी राय का इजहार कर सकें। मान लीजिये कि हम अपने यहां एग्रीकल्चरल लैंड्स (कृषि भूमि) पर कोई टैक्स लगा दें जो और स्टेट्स में न हो, तो ऐसी सूरत में हमारे यहां के लोगों को दूसरे प्राविंसेज के लोगों से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में कम्पिटीशन (कृषि की उपज में प्रतियोगिता)

करने में दिक्क़त होगी। जब हम अपनी राय का इज़हार करेंगे तो पार्लियामेंट जरूर हमारी राय का कुछ तो लिहाज़ करेगी। आखिर फ़ैसला तो पार्लियामेंट का ही होगा मगर हमारी राय की क़द्र जरूर होगी।

एक बात जानकर मुझे खुशी हुई कि अपोजीशन (विरोधी दल) के मेम्बरों का ज्यादा भरोसा हम पर है बमुकाबले पार्लियामेंट के। वह यह समझते हैं कि हम चीजों को ज्यादा अच्छी तरह सोच कर तय कर सकते हैं बमुकाबले पार्लियामेंट के। इसे सुनकर मुझे बहुत तसकीन हुई। इससे तो मालूम होता है कि हमारी जमींदारी अबालीशन वगैरह की जो कुछ भी कार्यवाही हुई अब उनको यह मालूम होने लगा कि यह बहुत अच्छी हुई और अगर पार्लियामेंट के हाथ में होता तो न जाने क्या होता। इसलिये इन सब बातों को देख कर मुझे बड़ी खुशी हुई और यह जान कर कि एग्रीकल्चरल इण्टरेस्ट्स (कृषि से संबंधित व्यक्ति) इस बात को पसन्द करते हैं कि जो कोई क़ानून बने तो हम बनायें बमुक़ाबिल इसके कि पार्लियामेंट बनाये। इसके लिये मैं बहुत मशकूर हूं और हम इस बात की कोशिश करेंगे कि जो कोई क़ानून बने उसमें हमारी राय का काफी लिहाज रखा जाय और जैसा कि मैंने कहा इस हाउस में उसे रखने का भी हमारा इरादा रहेगा। हम जहां तक मुमकिन होगा पब्लिक की राय का भी उसमें लिहाज रखेंगे और यह देखेंगे कि सबको अपनी राय के इज़हार करने का मौका मिले। लिहाजा इसमें सिर्फ इतना ही है कि हम उनको जो अख्तियार दे रहे हैं वह इसलिये दे रहे हैं कि जो कोई कार्यवाही हो वह सारे मुल्क की हालत देखते हुये हो। इन्कम टैक्स (आयकर) को ही ले लीजिये। अगर हर सूबे का अलग अलग कानून होता तो अच्छा नहीं होता। सारे मुल्क का एक कानून होने से तिजारत वगैरह में फायदा और सहूलियत होती है। मुझे एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स (कृषि आय कर) के बारे में भी यह जान कर तसल्ली हुई कि हमारा एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स समझा जाता है कि ज्यादा अच्छा है। अगर पार्लियामेंट के हाथ में होता तो न जाने कितना बुरा होता। इस कानून में अगर सारे मुल्क के लिये एक यूनिफ़ार्म (समान) कानून हो जायगा तो वह अच्छा ही होगा और उस यूनिफ़ार्मिटी (समानता) के जरिये सबको कुछ न कुछ मैं समझता हूं सहूलियत हासिल होगी और कोई दिक्कत नहीं होगी।

हमें रुपये की जरूरत बहुत ज्यादा है। अस्पतालों में दवा नहीं है। जगह-जगह गांवों में सड़कें नहीं हैं, लोग चौमासे में जा नहीं सकते। तालीम की यह हालत है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूल ऐसे होते हैं कि बरसात में लड़कों को वहां पढ़ाना मुमकिन नहीं होता और भी इसी तरह से बीसियों बातें हैं। ये दिक्कतें कुछ हद तक इसलिये हैं कि हमारे यहां लोगों में इस तरह की चीज कि यह तो हमारी चीज है, हमें बनाना है वह पहली गवर्नमेंट ने पैदा नहीं की। मगर दूसरी बात यह भी है कि बगैर रुपये के कोई काम करना मुश्किल होता है। आज इंग्लैण्ड और अमरीका का हवाला दिया जाता है। अमरीका को छोड़ दीजिये क्योंकि वहां की गवर्नमेंट की जितनी आमदनी होती है उसका शुमार लगाना भी हमारे लिये मुश्किल है, मगर इंग्लैण्ड की गवर्नमेंट को क़रीब ६ हजार करोड़ की आमदनी है रेवेन्यू की। इसके माने यह हैं कि हमारे मुक़ाबिले में सौ गुनी आमदनी युनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट की है और उस सौ गुनी आमदनी में हमारे मुक़ाबिले में उनकी आबादी दो तिहाई है। हमारी आबादी ६, सवा ६ करोड़ की है और उनकी आबादी ४ करोड़ की है। इस तरह से १०० गुना आमदनी है और आबादी दो तिहाई है अब आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा वह लोगों की खिदमत कर सकते हैं। इसलिये जब हम मुकाबिला करते हैं कि इंग्लैण्ड में क्या हो रहा है और दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है तो फिर हमको यह भी देखना है कि हमारी आमदनी की क्या हालत है और वहां की आमदनी की क्या हालत है और किस तरह से हम अपनी आमदनी बढ़ायें कि जिससे आगे बढ़ सकें।

हमने तो कांग्रेस को यह कहा है कि कांग्रेस क्लासलेस सोसायटी (वर्गहीन समाज) बनाने के लिये अपनी ताक़त लगाये। इसलिये नहीं कि लोग गिर जायं, बल्कि इसलिये

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

कि सब लोग शान से रह सकें, सब की दिक्कतें दूर हों और सब अपना माथा ऊंचा करके बगैर इस बात की फिक्र के कि कैसे हमारा पेट भरेगा, बच्चों की तालीम कैसे होगी, हमारे बुढ़ापे की उम्र अच्छी तरह से कट सकेगी या नहीं, खुशी के साथ अपने मुल्क में ऊंचा सिर कर सकें। इसके लिये कांग्रेस काम करना चाहती है। मगर इन सब बातों के लिये कहीं न कहीं से कोई सरमाया कोई जरिया निकालना है। यह कहना कि जिन्दा आदमियों से पैसा लेना ज्यादा बेहतर है बमुकाबिले उनके जो कि गुजर जायं, मैं समझता हूं कि जिन्दों को भी कोई छोड़ नहीं रहा है। मगर फिक्र इसलिये नहीं कि जो गुजर गये उनसे क्यों लिया जाता है बल्कि फिक्र इसलिये है कि जो बच जाते हैं उनके ऊपर बोझ क्यों पड़ता है। उनके ऊपर बोझ न पड़े तो कोई फिक्र नहीं है।

यह सही है कि मुल्क की हालत ऐसी होनी चाहिये कि जो टैक्स का बोझा हो वह लोगों को तकलीफ न पहुंचावे। आज अमेरिका में अरबों का टैक्स लगा दिया जाय तो कोई फिक्र नहीं। वह कहते हैं कि हम हिन्दुस्तान को सौ करोड़ का अनाज देते हैं इसलिये टैक्स लगा दिया। एक हजार करोड़ चाहते हैं वह मिल जाता है, ,अपने लिये नहीं दूसरों की मदद के लिये। यह हालत मुल्कों की होती है लेकिन वह इसलिये ही होती है कि वह रुपया जमा करते हैं और वह पैदावार को, यहां तक कि दूसरे मुल्कों की पैदावार को बढ़ाने में सहायता करते हैं। हमारे यहां तो यह रहा है कि आदमी के पास जो कुछ सरमाया है वह अच्छे काम में आये। कारेखैर के लिये बड़ी-बड़ी जायदादें होती थीं और उसको मुल्क में कारेखैर का जरिया समझा जाता है। जो तालीमयाफ्ता लोग हैं उनकी जरूरत खुद ही नहीं पूरी होती, लेकिन पहले लोग कारेखैर में बहुत कुछ देते थे। तो यह भी कारेखैर का जरिया होगा क्योंकि यह गरीबों की हालत को सुधारने में, बीमारों के इलाज करने में, रास्तों को ठीक करने में, धर्मशालाओं और जगहों की हालत ठीक करने में, तालीम बढ़ाने में ही इसको काम में लाया जायगा। इसलिये मैं नहीं समझता कि यह टैक्स, अगर कभी लिया जायगा, तो उनकी रूह को इस टैक्स को लेते देख तकलीफ पहुंचेगी, उनको भी खुशी होगी कि जो जायदाद हम छोड़ गये थे वह बजाय इसके कि हमारे वारिस खराब करें और ऐसे बुरे-बुरे शौकों में बरबाद करें जिनमें उनको नहीं करना चाहिये और जिससे उनकी नेकनामी भी नहीं, गवर्नमेंट यह रुपये को ले कर अच्छे काम में लगाये। उन्हें यह अच्छा ही लगेगा और हमारे मुल्क की जो पुरानी तहजीब चली आती है उसके मुताल्लिक एक सही बात होगी यह सब तो बाद के देखने की बात है। इस वक्त तो सिर्फ एक कानूनी नुक्स को दूर करना है और मैं समझता हूं कि हाउस इसको पसन्द करेगा कि यह तजवीज मंजूर की जाय और पार्लियामेंट को यह अख्तियार दिया जाय।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

"सार्वजनिक हित की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कृषि सम्बन्धी भूमि पर सम्पत्ति शुल्क (इस्टेट ड्यूटी) लगाने की व्यवस्था करना आवश्यक है और यह एक ऐसा विषय है जिसके संबंध में संविधान की ७ वीं अनुसूची की सूची २ की मद ४८ के अधीन केवल राज्य विधान मंडल राज्य के लिये विधि बनाने की शक्ति रखता है;

और यह वांछनीय समझा गया है कि सभी राज्यों में इस संबंध में विधान की समानता हो और तदनुसार संसद् इस राज्य की ओर से विधान बनाये;

और संविधान के अनुच्छेद २५२ (१) में इस बात की व्यवस्था है कि यदि किन्हीं दो अथवा अधिक राज्यों के विधान मंडलों को यह वांछनीय प्रतीत हो कि उन विषयों में से,जिनके बारे में संसद् को उन राज्यों के लिये विधि बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसद विधि द्वारा करे तथा यदि उन राज्यों के विधान मंडलों के सब सदनों ने उन संकल्पों का पारण किया है तो उस विषय का तदनुकूल विनियमन करने के लिये किसी अधिनियम का पारण करना संसद् के लिये विधि संगत होगा।

अतएव उत्तर प्रदेश की विधान सभा एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि कृषि संबंधी भूमि पर सम्पत्ति शुल्क के लगाये जाने का विनियमन संसद् के अधिनियम द्वारा होवे और संसद को यह सिफारिश करती है कि इस प्रकार पारित किया गया अधिनियम इस राज्य में भी लागू किया जाय"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ३ बजकर ४५ मिनट पर अगले दिन, ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१८ मार्च, १९५२ ई०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २११ पर)

इंडो-पाकिस्तान एग्रीमेंट के अधीन उत्तर प्रदेश में वापिस आये मुसलमानों की जिलेवार संख्या

जिला	बालिग मर्द	बालिग औरत	बच्चे	कुल संख्या	विशेष विवरण
देहरादून ..	५	१	८	१४	..
सहारनपुर ..	५२	१५	२०	८७	..
मुजफ्फर नगर ..	३२	६	६	४४	..
मेरठ ..	२८१	१४७	२१३	६४१	..
बुलन्द शहर ..	१२७	५६	९२	२७५	..
अलीगढ़ ..	८६४	६३७	८३७	२,३३८	..
मथुरा ..	५१	४१	५९	१५१	..
आगरा ..	४३७	२५५	५४१	१२३३	..
मैनपुरी ..	३४	२२	२३	७९	..
एटा ..	१७३	१४२	२२०	५३५	..
बरेली ..	१२४२	११८६	१७५३	४१८१	..
बिजनौर ..	७४	४	१४	९२	..
बदायूं ..	१५७	१०१	१६५	४२३	..
मुरादाबाद ..	४८०	३२०	१२०	९२०	..
शाहजहांपुर ..	१९९४	१६८७	२२५२	५९३३	..
पीलीभीत ..	४६०	४०९	६९९	१५६८	..
फर्रुखाबाद ..	५६	२५	२४	१०५	..
इटावा ..	३९	१५	३१	८५	..
कानपुर ..	४६७	१७५	२४५	८८७	..
फतेहपुर ..	१६	५	६	२७	..
इलाहाबाद ..	६८	२६	३७	१३१	..
बांदा ..	..	..	..	..	..
हमीरपुर ..	..	..	..	..	..
झांसी ..	४	१	१	६	..
जालौन ..	..	..	..	२	..
बनारस ..	३२	६	७	४५	..
मिर्जापुर ..	१	१	..	२	..
जौनपुर ..	५	..	..	५	..
गाजीपुर ..	..	..	..	..	..
बलिया ..	..	..	..	..	..

जिला		बालिग मर्द	बालिग औरत	बच्चे कुल संख्या	विशेष विवरण
गोरखपुर	..	१	..	१	२
बस्ती	..	३	..	२	५
आजमगढ़	..	११	२	..	१३
नैनीताल	..	२०	११	६	४०
अल्मोड़ा	..	१	..	..	१
गाढ़वाल	..	..	..	..	..
लखनऊ	..	७४	२७	४४	१४५
उन्नाव	..	६	३	४	१६
रायबरेली	..	२	१	१	४
सीतापुर	..	७	२	६	१५
हरदोई	..	१०५	७१	१२२	२६८
खीरी	..	६८	५३	७१	१९२
फैजाबाद	..	११	५	१२	२८
गोंडा	..	८	२	..	१०
बहराइच	..	..	..	..	..
सुल्तानपुर	..	१०	..	१	११
प्रतापगढ़	..	१२	२	१	१५
बाराबंकी	..	४	१	२	७
देवरिया	..	..	..	..	..
टेहरी-गढ़वाल	..	..	..	..	..
रामपुर	..	१९२	२२	५४	२६८
कुल जोड़	..	७६९१	५४८५	७७०३	२०८७९

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ २११ पर)

इण्डो-पाकिस्तान एग्रीमेंट के अधीन रेस्टोरेशन आफ प्रापर्टी के सार्टीफिकेट दिये जाने वाले तथा प्रापर्टी वापिस किये जाने वाले मुसलमानों की जिलेवार संख्या

जिला	सार्टि-फिकेट दिये जाने वालों की संख्या	प्रापर्टी-वापिस किये जाने वालो की संख्या	विशेष विवरण
देहरादून	१	१	...
सहारनपुर	...	..	..
मुजफ्फरनगर	...	..	..
मेरठ	...	..	..
बुलन्दशहर	१	१	...
अलीगढ़	३९	३९	...
मथुरा	५	५	...
आगरा	१२	१	...
मैनपुरी	...	..	..
एटा	३	२	...
बरेली	१५०	७४	...
बिजनौर	...	१	..
बदायूं	८	१	...
मुरादाबाद	...	..	..
शाहजहांपुर	३०४	१२९	...
पीलीभीत	२	२	...
फर्रुखाबाद	४	...	..
इटावा	...	..	..
कानपुर	१	...	..
फतेहपुर	...	..	..
इलाहाबाद	...	..	..
बांदा	...	..	..
हमीरपुर	...	..	..
झांसी	...	..	..
जालौन	...	..	..
बनारस	...	..	..
मिर्जापुर	...	..	..
जौनपुर	...	..	..
गाजीपुर	...	..	..
बलिया	...	..	..
गोरखपुर	...	..	..
बस्ती	...	..	..
आजमगढ़	...	..	..

जिला	सार्टि-फिकेट दिये जाने वालों की संख्या	प्रापर्टी-वापिस किये जाने वालों की संख्या	विशेष विवरण
नैनीताल	१	...	..
अल्मोड़ा	...	..	..
गढ़वाल	...	..	..
लखनऊ	१	..	..
उन्नाव	...	..	..
रायबरेली	...	..	..
सीतापुर	...	१	..
हरदोई	२६	२६	..
खीरी	...	..	..
फैजाबाद	...	..	..
गोंडा	...	..	..
बहराइच	...	..	..
सुल्तानपुर	...	..	..
प्रतापगढ़	...	..	..
बाराबंकी	...	..	..
देवरिया	...	..	..
टेहरी-गढ़वाल	...	..	..
रामपुर	५६०	२८७	..

PSUP—A. P.39 L. A. 1952 660.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १९ मार्च, १९५२ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में माननीय अध्यक्ष, श्री नफ़ीसुल हसन, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (१७२)

अक्षय कुमार करण, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अब्दुल ग़नी अन्सारी, श्री
अब्दुल बाक़ी, श्री
अब्दुल मजीद ख्वाजा, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अब्दुल वाजिद, श्रीमती
अब्दुल हमीद, श्री
अम्मार अहमद खां, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम, श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
इर्तिज़ा हुसैन, श्री
ई० एम० फिलिप्स, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किशन चन्द पुरी, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केशव गुप्त, श्री
खानचन्द गौतम, श्री
खुशवक्त राय, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय चौबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गणपति सहाय, श्री
गिरधारीलाल, माननीय श्री
गुरुनारायण, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
गोविन्द सहाय, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चरण सिंह, माननीय श्री
चेतराम, श्री
छेदालाल गुप्त, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
ज़फ़र अहमद, श्री
जमीलुर्रहमान क़िदवाई, श्री
जयकृष्ण श्रीवास्तव, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, श्री
ज़ाहिद हसन, श्री
जुगलकिशोर, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
दयालदास भगत, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
नवाज़िश अली खां, श्री
नाज़िम अली, श्री

नारायण दास, श्री
निसार अहमद शेरवानी, श्री
पुरुषोत्तमदास टंडन, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रयाग नारायण, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
प्रेमलाल वैद्य, श्री
फ़खरुल इस्लाम, श्री
फ़जलुर्रहमान खां, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
ब्रजरानी देवी, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानदीन मिश्र, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
भीमसेन, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
महफ़ूज़ुर्रहमान, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
मिजाजी लाल, श्री
मुख्तार अहमद क़िदवाई, श्री
मुज़फ्फ़र हुसैन, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद एवज़, श्री
मुहम्मद जमशेद अली खां, नवाब
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नज़ीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद रज़ा खां, श्री
मुहम्मद रहमत खां, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद शोएब, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुवंश नारायण सिंह, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृपाल सिंह, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामधर मिश्र, श्री
रामधारी पांडे, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामनारायण, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफ़त हुसैन, श्री
लाखनदास जाटव, श्री
लालबिहारी टंडन, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विजयानन्द मिश्र, श्री
विद्याधर वाजपेयी, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय कुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
शंकर दत्त शर्मा, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पांडेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्याम लाल वर्मा, श्री
श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीपति सहाय, श्री

सईद अहमद, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सरवत हुसैन, श्री
सलीम हामिद खां, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सैयद जाकिर अली, श्री
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हर प्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री

माननीय श्री सैयद अली जहीर तथा माननीय श्री हरगोविन्द सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

बाराबंकी जिले के राजनीतिक पीड़ित पंचायत मंत्री

*१--**श्री हर प्रसाद सत्यप्रेमी**--क्या माननीय स्वशासन मंत्री कृपया बाराबंकी जिले के वर्तमान पंचायत मंत्रियों की सूची, उनके पते और योग्यता के साथ, मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर (स्वशासन मंत्री)--बाराबंकी के वर्तमान पंचायत मंत्रियों की सूची, उनके पते और योग्यता के साथ संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३१८ पर)

*२--**श्री हर प्रसाद सत्यप्रेमी**--उक्त मंत्रियों में से राजनीतिक पीड़ित कौन कौन से हैं और राजनीतिक पीड़ित उन्हें किन किन आधारों पर माना गया है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--राजनीतिक पीड़ित पंचायत मंत्रियों की सूची उनके राजनीतिक पीड़ित के आधारों सहित संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३३० पर)

वर्तमान सत्र की कालावधि के संबंध में परिप्रश्न

श्री राजाराम शास्त्री--माननीय अध्यक्ष जी, अभी भवन के आगे कुछ प्रश्न हमारे सामने बांटे गये हैं कि २१ तारीख की कार्यवाही में ये लिये जायेंगे। हम जानना चाहते हैं कि २१ तारीख को कोई कार्यवाही होगी भी या वैसे ही बांट दिये गये हैं ?

माननीय अध्यक्ष--यदि होगी तो ये प्रश्न आयेंगे।

श्री राजाराम शास्त्री--होगी या नहीं, क्या यह गवर्नमेंट बतलाने को तैयार नहीं है ?

माननीय अध्यक्ष--यह तो कार्यक्रम के ऊपर है। यदि वह पहले समाप्त हो गया तो नहीं होगी।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष--अब माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश विधान सभा विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार होगा।

श्री खुशवक़्त राय--मैं विधान का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वैधानिक आपत्ति मैं इस समय आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं वह इस प्रकार से है। इस वैधानिक आपत्ति में जिन बातों का सहारा लेना चाहता हूं वह एक तो विधान के अनुच्छेद १९६। . . .

माननीय अध्यक्ष--पहले माननीय सदस्य कृपया उस आपत्ति को बतायें।

श्री खुशवक़्त राय--मेरी वैधानिक आपत्ति यह है कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न जिस समय उपस्थिति किया गया उस समय के बाद सत्र का अवसान हो गया और उस सत्रावसान के कारण विशेषाधिकार का कार्य व्यपगत हो चुका है। मैं यह वैधानिक आपत्ति उपस्थित करना चाहता हूं। मेरे मित्र यह कहते हैं कि मैं अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करूं।

माननीय अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि जो मुश्किल शब्द हों उनको समझाने के लिये अगर आप उसका अनुवाद कर दें तो कोई हर्ज नहीं, वैसे तो हमारी कार्यवाही जिस ज़बान में होती है वह उसी में होनी चाहिये।

श्री खुशवक्त राय--तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान विधान के अनुच्छेद १६६(३) की तरफ लाना चाहता हूं जिसमें यह दिया हुआ है कि प्रोरोगेशन (सत्रावसान) के असर से क्या होता है।

यह बात पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में मान ली गयी है खासकर हाउस आफ कामंस के संबंध में जब वहां प्रोरोगेशन हो जाता है तो जितनी कार्यवाही होती है वह सारी की सारी समाप्त हो जाती है और उस संबंध में जो एक्सेप्शन (अपवाद) हमारे संविधान में किया गया है वह १६६ (३) में दिया हुआ है और वह यह है कि पेंडिंग बिल्स (लम्बित विधेयक) जो हैं वह लैप्स (व्यपगत) नहीं होंगे। बाकी सारी कार्यवाही व्यपगत हो जायगी।

इस संबंध में मैं आपका ध्यान इस सदन के बनाये हुये नियम १७१ की ओर लाना चाहता हूं। नियम १७१ इस प्रकार है--

"सभा के सत्रावसान होने पर समस्त लंबित सूचनायें व्यपगत हो जायेंगी, किन्तु ऐसे समस्त विधेयक, जो पुरःस्थापित हो चुके हों, आगामी सत्र के लंबित कार्य की सूची में रख दिये जायेंगे।"

मैं इसको अंग्रेजी में भी पढ़ देता हूं --

"*Effect of Prorogation of Assembly* :—When the Assembly is prorogued all pending notices shall lapse but all bills which have been introduced shall be carried over to the list of pending business of the next session."

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो नियम बना है वह अनुच्छद १६६ (३) को सामन रख कर बना है और आप देखेंगे कि उसका जिक्र भी फुटनोट में है। तो मेरा आप से यह निवेदन है कि हमारे संविधान में प्रोरोगेशन के संबंध में जो प्रोरोगेशन के माने हाउस आफ कामन्स में हैं, उसमें एक ही एक्सेप्शन किया है और वह एक्सेप्शन पेंडिंग बिल्स के संबंध में है। इसके अलावा जितनी भी कार्यवाही असेम्बली के सामन होती है वह सारी की सारी लैप्स हो जाती है।

इस संबंध में मैं आपका ध्यान नियम ४६ की ओर भी दिलाना चाहता हूं। इसमें यह है--

"At the commencement of every session or from time to time, as the case may be, the Speaker shall nominate a Committee of Privileges consisting of 10 members ...."

[प्रत्येक सत्र के आरम्भ में अथवा समय समय पर यथास्थिति अध्यक्ष दस सदस्यों की विशेषाधिकार समिति नाम-निर्देशित करेगा ......।]

तो इस नियम को भी पढ़ने से आपके सामने यह बात आती है कि जो कमेटी आफ प्रिविलेजेज (विशेषाधिकार समिति) अप्वाइण्ट (नियुक्त) होती है, उसका जो समय है वह सत्र का समय हुआ करता है। सत्र जिस समय प्रारम्भ हो उस वक्त आपको अधिकार है कि आप कमेटी नियुक्त कर दें और उस कमेटी की नियुक्ति सत्रावसान होने के साथ साथ अपन ही आप समाप्ति को प्राप्त हो जाती है। तो "फ्राम टाइम, टु टाइम" (समय समय पर) जो दिया हुआ है वह यह है कि एक कमेटी नियुक्त हुई, उस समय सत्र चल रहा था, लेकिन उसी सत्र के बीच में किसी मेम्बर ने इस्तीफा दे दिया। इसके संबंध में मैं आगे बताऊंगा। और "ऐट दि कमेंसमेंट" (आरम्भ में) जो है वह इस लिये है कि सत्रावसान होगा तो कमेटी समाप्त हो जायगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सत्रावसान हो जाने के बाद यह कमेटी आफ प्रिविलेज जो थी वह समाप्त हो गयी। इसी लिये जब यह नया सत्र प्रारम्भ हुआ और ६ तारीख को हम

[श्री खुशवक्त राय]

लोग यहां बैठे तो आपने नयी प्रिविलेज कमेटी (विशेषाधिकार समिति) नियुक्त कर दी। यह बात दूसरी है कि आपने वही मेम्बर्स उसमें रख दिये।

जो बात "फ्राम टाइम टु टाइम" के बारे में कहना चाहता था वह यह है कि हमारे माननीय सदस्य श्री होतीलाल जी अग्रवाल ने इस भवन से इस्तीफा दे दिया और वह मेम्बर नहीं रहे तो आपको अधिकार है कि उनके स्थान पर अन्य सदस्य को निर्देशित करें। तो उसके लिये "फ्राम टाइम टु टाइम" के शब्द इस्तेमाल किये गये हैं। मगर सत्र के आरम्भ हो जाने पर एक बार जब कमेटी की नियुक्ति हो जाती है तो उसके बाद फिर उसका समय उस वक्त तक चलता है जब तक सत्रावसान न हो।

ये सब बातें ऐसी हैं जिनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सत्रावसान हो जाने के बाद कुल लम्बित विधेयक (पेंडिंग बिल्स) के अलावा जितनी भी कार्यवाही चल रही हो वह सारी की सारी समाप्त हो जाती है। इस संबंध में आप देखेंगे कि आप एक पैनल आफ चेयरमैन अपाइण्ट (नियुक्त) करते हैं उसका भी समय वही है उनका भी अवधिकाल उसी समय समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से, और भवन मेंभी आपको स्मरण होगा कि आपने एक निर्णय दिया था कि जो प्रश्न होते हैं जिनके फाइनल रिप्लाइज (अंतिम उत्तर) नहीं दिये गये हैं वह सब समाप्त हो जायेंगे। इन सब से यह बात सिद्ध होती है कि जितनी भी कार्यवाई एक सत्र में चल रही थी उसका कोई भी संबंध दूसरे सत्र से नहीं हो सकता है सिवाय पेंण्डिग बिल्स यानी लम्बित विधेयकों के।

यह विशेषाधिकार का प्रश्न मेरे माननीय मित्र श्री त्रिलोकी सिंह जी ने इस भवन के सामने २६ अगस्त को उठाया था। मुझे ठीक तारीख याद नहीं है परन्तु ऐसा मेरा ख्याल है कि २८ अगस्त को यह प्रश्न उठाया गया था और उसके बाद विशेषाधिकार समिति को २९ अगस्त को दिया गया और समिति ने उस पर विचार किया और इसकी अंतिम रिपोर्ट जो आई है वह १५ अक्तूबर, सन् १९५१ ई० को आई है। अगर यह रिपोर्ट इस भवन के सामने २० फरवरी के पहले पेश हो जाती तब तो ठीक था। इससे पहले अगर यह रिपोर्ट सदन के सामने पेश हो जाती तब तो सदन को इस पर विचार करने का अधिकार था। परन्तु यह कि जब विशेषाधिकार समिति का प्रश्न और प्रतिवेदन भवन के सामने सत्रावसान के पहले नहीं आया तो इस सदन को जो नये सत्र में है, को कोई अधिकार नहीं है कि वह इस पर विचार करे। इस संबंध में मैं आप के सामने "पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस" के पृष्ठ ३२ पढ़ कर सुनाता हूं। वह यह है कि–

"The effect of prorogation is at once to suspend all business until the Parliament is summoned to meet again. Not only are the sitting of Parliament at an end but all proceedings pending at the time are quashed except impeachments by the Commons and appeals before the House of Lords."

[सत्रावसान का परिणाम यह होता है कि तुरन्त ही समस्त कार्य उस काल तक के लिये लम्बित हो जाता है जब तक कि नयी संसद् फिर समवेत होने के लिये आहूत न की जाय केवल संसद् के उपवेशन ही समाप्त नहीं हो जाते अपितु कामन्स द्वारा कृत महाभियोगों व हाउस आफ लार्ड स के सम्मुख प्रस्तुत अपीलों के अतिरिक्त तत्समय लंबित सभी कार्यवाही विरस्त हो जाती हैं]

मुझे यह कहना है कि इसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है। तो हाउस आफ कामन्स में यही एक्सेप्शन है कि इम्पीचमेंट बाई कामन्स (कामन्स द्वारा कृत महाभियोग) वह चीज है जो लैप्स नहीं होती है। अब पेंडिग प्रोसीडिंग्स क्या हैं। इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी भी कार्यवाही चल रही हो वह सभी उसमें आती हैं।

"नोटिसेज" (सूचनाएं) के बारे में मुझे यह बतलाया गया है कि यह शब्द नियम १७१ में इस्तेमाल हुआ है। इसके संकीर्ण मानें भी लगाये जाते हैं। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पेंडिग नोटिसेज (लम्बित सूचनायें) हर काम के लिये होती हैं। सिर्फ इसका संबंध प्रश्नों से ही नहीं होता है। आप देखें कि जितनी भी कार्यवाही भवन के [illegible] होती है उस सब के लिये नोटिस देना आवश्यक है चाहे वह गवर्नमेंट की तरफ से हो [illegible]

प्राइवेट मेम्बर की तरफ से हो । कोई भी कार्यवाही बिना नोटिस के नहीं हो सकती है सिवाय इसके कि जिसके लिये अपने नियमों में आदेश हो। उन बातों पर ही बिना नोटिस क कार्यवाही हो सकती हैं । परन्तु ऐसी जितनी कार्यवाहियां ऐसी हैं वे सब नोटिस से आती हैं। तो नोटिस जिन चीजों के लिये दिया जाय वह सभी चीजें पेंडिंग नोटिस में शामिल हो जाती हैं। विशेषाधिकार का प्रश्न भी नोटिस से होता है और इस तरह से जितनी भी कार्यवाही सदन के सामने होती है उसके लिये नोटिस की आवश्यकता हुआ करती है। तो बिना नोटिस का जो शब्द आया है उसमें यह भी प्रश्न आता है। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि यह जो नोटिस की बात है इसका ओरिजिन (उत्पत्ति) कहां से है । इसका ओरिजिन हाउस आफ कामन्स के नोटिस पेपर से है । वहां पर हाउस आफ कामंस के सामने जो नोटिस पेपर रखा जाता है उसमें सब चीजें दर्ज होती हैं। जिन चीजों का नोटिस दिया जाता है वे सब नोटिस मानी जाती हैं और हाउस आफ कामन्स में ली जाती हैं। तो नोटिस पेपर में जो चीजें चढ़ती है वे नोटिस कहलाती हैं। तो इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा यह निवेदन है कि यह जो विशेषाधिकार का प्रश्न था और जिस पर यह प्रतिवेदन माननीय उपाध्यक्ष ने बहैसियत उस कमेटी के सदर के उपस्थित किया है लैप्स हो गया है और इस पर यह सदन विचार नहीं कर सकता।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विशेषाधिकार का जो प्रश्न भवन के सामने उपस्थित है उसके ऊपर एक वैधानिक आपत्ति की गई है कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न यह भवन नहीं ले सकता है चूंकि इस सभा का सत्रावसान हो चुका था । मेरा निवेदन यह है कि यह आपत्ति भ्रम के ऊपर अवलम्बित है । इस संबंध में प्रक्रिया नियमावली का १७१ नियम रेलेवेंट [सुसंगत] हैं, जो इस प्रकार है: "सभा के सत्रावसान होने पर समस्त लंबित सूचनायें व्यपगत हो जायेंगी, किन्तु ऐसे समस्त विधेयक, जो पुरःस्थापित हो चुके हों, आगामी सत्र के लंबित कार्य की सूची में रख दिये जायंगे।" मेरा निवेदन यह है कि केवल वही सूचनायें व्यपगत हो सकती है जिनके लिये सूचनायें देने का इन नियमों में कोई स्थान है। यह आवश्यक नहीं है कि इस भवन में जितनी भी कार्यवाही हों वह सूचनाओं के ही द्वारा हो । बहुत सी ऐसी कायवाही है जिसके लिये किसी सूचना की आवश्यकता नहीं है। मैं आपका ध्यान नियम १७ (३) की ओर दिलाता हूं। वह इस भांति है---

"यदि अध्यक्ष अन्यथा निदेश न करे तो कोई ऐसा कार्य, जिसके लिये सूचना की आवश्यकता हो, अपेक्षित सूचना की अवधि पूरी होने से पहले किसी दिन भी कार्य सूची में नहीं रखा जायगा।" इसका तात्पर्य यह हुआ कि ऐसी भी कार्यवाही भवन में हो सकती है जिसके लिये सूचना की आवश्यकता न हो। सूचना की विधि भी अपने नियमों में दी गई है कि किस प्रकार दी जायगी।

यदि आप नियम १६९ की ओर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि उसमें यह दिया हुआ है "प्रत्येक सूचना, जिसकी नियमों के अन्तर्गत आवश्यकता हो, सचिव के नाम पर लिखकर दी जायगी और वह मेज पर या उसके कार्यालय में कार्य-काल के भीतर छोड़ दी जायगी। सूचना जो कार्यालय में उपर्युक्त उपनियम में दिये हुये समय के अतिरिक्त अन्य समयों में प्राप्त हो वह अगले खुलने वाले दिन प्राप्त हुई समझी जायगी" ।

नियम १७० इस भांति है "सचिव प्रत्येक सदस्य के पास सूचना अथवा अन्य पत्र की एक प्रतिलिपि, जिसको इन नियमों के अन्तर्गत सदस्यों के प्रयोग के लिये उपलभ्य कराना आवश्यक हो, घुमायेगा। "

मेरा निवेदन यह है कि यह जो विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न इस भवन में आया वह किसी सूचना के आधार पर नहीं आया। विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न इस सदन में निम्नलिखित भांति आ सकता है।

[श्री राधाकृष्ण अग्रवाल]

नियम ४४ इस भांति है--

"किसी सदस्य के, अथवा सदन के, अथवा उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार की अवहेलना को अध्यक्ष की सम्मति से :

(१) किसी सदस्य की ओर से शिकायत द्वारा,

(२) सचिव की ओर से प्रतिवेदन द्वारा,

(३) याचिका द्वारा, अथवा

(४) समिति की ओर से प्रतिवेदन द्वारा,

सदन की सूचना में लाया जा सकता है।

परन्तु यदि अवहेलना सदन की वास्तविक दृष्टि में ही की गयी हो तो सदन बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकता है।"

इस तरह से यह ४ तरीके हैं जिनसे सदन में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को उपस्थिति किया जा सकता है।

श्री खुशवक्त राय--नियम ४५ पढ़ लीजिये।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--मैं उसी पर आता हूं।

नियम ४५ इस भांति है--

"जो सदस्य विशेषाधिकार की अवहेलना की शिकायत करना चाहे वह जिस दिन शिकायत करने का विचार करता हो, उस दिन उपवेशन आरम्भ होने के पूर्व सचिव को लिखित सूचना देगा। यदि शिकायत का आधार कोई लेख्य हो तो मूल लेख्य या उसकी प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न की जायगी।"

इन चार तरीकों में से सिर्फ यही तरीका है जिसमें यदि सदस्य द्वारा शिकायत हो तो सूचना की आवश्यकता होगी। बाकी तीन तरीकों में सूचना की कोई आवश्यकता नहीं है।

नियम ५४ इस भांति है--

"सचिव का प्रतिवेदन--जब सचिव को विशेषाधिकार की अवहेलना के बारे में प्रतिवेदन करना हो तो अध्यक्ष, यदि वह इसके लिये सम्मति दे, सदन को इसका बोध करायेगा। तब सचिव सदन को अपना प्रतिवेदन पढ़ कर सुनावेगा। सदन उस प्रतिवेदन पर तत्काल अथवा किसी भावी समय में जिसके भीतर प्रतिवेदन मुद्रित किया जा सके और वह सदस्यों को दिया जा सके, विचार किया जा सकता है।"

अगर नियम ५६ के अन्तर्गत कोई विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित होता है तो किसी सूचना की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि नियम ५५ के अन्तर्गत विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित होता है तो किसी सूचना की आवश्यकता नहीं है।

नियम ५५ इस भांति है--

"जब विशेषाधिकार की अवहेलना की शिकायत की याचिका प्राप्त हो और जब उस पर अध्यक्ष अपनी सम्मति दे दे तब याचिका या उसका ऐसा भाग जो विशेषाधिकार की अवहेलना से संबद्ध हो, सचिव द्वारा सदन को पढ़ कर सुनाया जायगा। सदन उस याचिका को तत्काल विचारार्थ ले सकता है या यह निदेश दे सकता है कि किसी भावी समय में, जिसके भीतर याचिका मुद्रित की जा सके और उसकी प्रतिलिपियां सदस्यों को दी जा सकें, इसको विचारार्थ लिया जाय।"

नियम ५६ के अन्तर्गत भी अगर भवन के सामने किसी विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना आयेगी तो उसकी सूचना की आवश्यकता नहीं है। नियम ५६ इस भांति है--

"सदन की समिति का प्रतिवेदन जिसमें विशेषाधिकार की अवहेलना संबंधी शिकायत हो प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त भापतिया उसकी अनुपस्थिति में समिति का कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि स विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर तत्काल अथवा किसी भावी समय में चविर किया जाय।

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न इस भवन के सामने उपस्थित हुआ था वह सेक्रेटरी की शिकायत से हुआ था। इसके ऊपर विशेषाधिकार कमेटी ने अपना प्रतिवेदन उपस्थित किया है। उस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि माननीय अध्यक्ष ने ८ अक्तूबर को यह प्रश्न विचारार्थ भेजा था। उसमें लिखा हुआ है कि "मेरा ध्यान ब्लिट्ज़"

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--मैं एक वैधानिक आपत्ति उठाना चाहता हूं। यह मामला ब्लिट्ज़ का मामला नहीं है जो इस वक्त सदन के सामने पेश है।

माननीय अध्यक्ष--इसमें किसी खास मामले का हवाला देने का सवाल नहीं है बल्कि जो वैधानिक प्रश्न उठाया गया है उससे ताल्लुक रखता है।

श्रीराधाकृष्ण अग्रवाल--मैंने जो हवाला दिया है वह दोनों मामलों से संबन्ध रखता है, दोनों पर ही लागू होता है। मेरा निवेदन यह है कि सत्रावसान होने से कोई रुकावट नहीं होती और इस प्रश्न को भवन के सामने उपस्थित किया जा सकता है।

श्री फ़खरुल इस्लाम--जनाबवाला, यह एक उसूली सवाल है और बहुत ही अहम सवाल है कि इस हाउस के प्रोरोग (सत्रावसान) होने के बाद उसकी तमाम पिछली कार्यवाही जो इस भवन में जारी रही है खत्म होगी या नहीं। मैं यह समझता हूं कि इसके मुताल्लिक़ जो मेरे दोस्त श्री खुशवक्त राय जी ने सवाल उठाया है वह बिलकुल मुनासिब और सही है। यह एक बुनियादी सवाल है। इस पर इस हाउस को, जनाबवाला को अपनी रूलिंग ऐसी देनी चाहिये जिससे यह चीज़ बिलकुल साफ हो जाय। जनाबवाला को यह मालूम है कि इस हाउस के प्रोरोग होने के सिलसिले में इस हाउस के सबसे पुराने, सबसे काबिल और सबसे ज्यादा होशमन्द मेम्बर श्री तिवारी जी ने अपना इस्तीफा, जब यह सवाल सब-रूल कमेटी में उठाया, तब दिया था। उन्होंने कहा था कि जब कोई हाउस प्रोरोग हो जाता है तो उसके प्रोरोग होने के साथ ही उसका सब काम खत्म हो जाता है, वह जारी नहीं रह सकता। लेकिन उस वक्त भी ऐसा ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। इसके मुताल्लिक़ दो रायें थीं लेकिन इसके बावजूद वे अपनी राय पर कायम रहे और उसके बाद जब तक वह कमेटी बैठी तब तक वे उस कमेटी में शरीक़ नहीं हुये। मैं समझता हूं कि इसी की बिना पर रूल १७१ बहुत साफ है और बहुत ही क्लीअर है। इसके बाद मैं समझता हूं कि हाउस को और हाउस के मेम्बरान को यह अख्तियार नहीं रहता कि वे इसके खिलाफ आवाज उठायें। रूल १७१ के अल्फाज इस तरह से हैं --

"When the Assembly is prorogued all pending notices shall lapse but all Bills which have been introduced shall be carried over to the list of pending business of the next session."

[सभा का सत्रावसान होने पर समस्त लम्बित सूचनायें व्यपगत हो जायेंगी, किन्तु ऐसे समस्त विधेयक, जो पुरःस्थापित हो चुके हों, आगामी सत्र के लंबित कार्य की सूची में रख दिये जायेंगे।]

इसके साफ मानी यह हैं कि सिर्फ ऐसे बिल्स जो इस हाउस के सामने पेंडिंग हैं बाकी रहेंगे और इसके अलावा कोई भी कार्यवाही जारी नहीं रह सकती। जब तक यह रूल मौजूद है, जनाबवाला, मैं यह कहूंगा कि इसके बाद कोई भी कार्यवाही इस भवन के सामने नहीं हो सकती। एक सूरत हो सकती थी लेकिन वह भी नहीं की गई। वह यह कि एक तजवीज पेश होती कि यह भवन उस पर विचार कर ले। यह सवाल भी हमारे सामने रिजोल्यूशन (संकल्प) के तौर पर नहीं लाया गया। सिर्फ उसी तरह से पिछली कोई कार्यवाही हो सकती थी लेकिन इस भवन ने यह भी नहीं किया। इस तरह से यह हाउस उस जगह पर

[श्री फ़खरुल इस्लाम]

नहीं है कि वह इस मसले पर गौर कर सके और उसको लेकर आगे बढ़ सके। इसलिये यह जो प्रिविलेजेज़ कमेटी (विशेषाधिकार समिति) की रिपोर्ट है वह लैप्स (व्यपगत) हो जाती है और वह लैप्स हो जानी चाहिये।

माननीय अध्यक्ष--जो प्रश्न माननीय सदस्य श्री खुशवक्त राय ने इस आदरणीय सदन के सामने उठाया है उसी से मिलता जुलता एक प्रश्न उन्होंने इससे पहले भी उठाया था और उस वक्त भी उनका कहना वही था कि सत्रावसान या प्रोरोगेशन के बाद किसी कमेटी का चलाना या उसकी कार्यवाही को जायज़ मानना सही नहीं है। उस प्रश्न पर निर्णय मैंने ३ जनवरी, सन् १९५१ ई० को दिया था और वह उस दिन की कार्यवाही के १०६ सफा पर लिखा हुआ है। अभी इस बीच में एक बात जरूर हुई है कि हमने अपने नियम बनाये। इससे पहले हमारे नियम दूसरे थे और अब नये नियम हमने बनाये। उस निर्णय में मैंने यह कहा था कि, "यह बात कि सत्रावसान का सदन की कार्यवाही पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह एक सदन की प्रक्रिया का सवाल है और सदन उसे स्वयं तय कर सकता है।" हाउस आफ कामन्स पर इसका जो प्रभाव पड़ता है वही प्रभाव हमारे सदन पर भी पड़ेगा, इस को मानने के लिये मैं उस वक्त तैयार नहीं था। अब जब यह प्रश्न उठाया गया है और नियम १७१ का हवाला दिया गया है तो मुझे यह देखना है कि इससे पहले जो हमारे नियम थे वे क्या थे। आया कोई चीज़ इस नियम में हमने बदली है जिसकी वजह से मुझे अपने उस निर्णय में कुछ तरमीम करनी पड़े ? इससे पहले जो हमारा नियम इस विषय में था वह १४६ था। उसके अल्फाज़ ये हैं--

" When the Assembly is prorogued--

(*a*) all pending notices shall lapse except notices of questions to which final replies have not been given;

(*b*) all Bills which have been introduced shall be carried over to the list of pending business of the next session."

[सभा का सत्रावसान होने पर--

(क) ऐसे प्रश्नों की सूचनाओं के अतिरिक्त जिनके अंतिम उत्तर न दिये जा चुके हों, समस्त लंबित सूचनायें व्यपगत हो जायेंगी ;

(ख) ऐसे समस्त विधेयक जो पुरःस्थापित हो चुके हों, आगामी सत्र के लंबित कार्य की सूची में रख दिये जायेंगे।]

अब हमारे जो नियम हैं, आप देखेंगे कि नियम १७१ में जो शब्द हैं, ये सचमुच वे ही शब्द हैं जो दूसरे तरीके से हमारे पुराने नियम में थे। और जहां तक इसके शब्द हैं। "All notices shall lapse" [सब सूचनायें व्यपगत हो जायेंगी] उसका मतलब मैं यही समझता हूं कि जिन बातों की नोटिस देने की जरूरत होगी अगर उसका नोटिस दे दिया गया है और उन बातों के ऊपर नोटिस के बाद विचार शुरू नहीं हुआ है और उस पर विचार करना जरूरी है तो दूसरे नोटिस की जरूरत होगी। जो सूचना होगी वह व्यपगत हो जायगी। मगर यह बात कि सत्र की जितनी कार्यवाही है वह व्यपगत हो जायगी, मैं उससे सहमत नहीं हूं। जो आपत्ति श्री खुशवक्त राय ने उठायी है उसे मैं अनियमित समझता हूं।

श्री हरगोविन्द पन्त (उपाध्यक्ष)--श्रीमान्, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश विधान सभा विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर सदन विचार करे। इस संबंध में मुझे बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रतिवेदन कई दिनों से भवन के सामने उपस्थित है। जो सिफारिशें विधान सभा विशेषाधिकार समिति ने पेश

की हैं वह भी विचार के लिये माननीय सदस्यों के सामने एक अरसे से उपस्थित हैं। कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मेरा प्रस्ताव यह है कि इस प्रस्ताव पर भवन में विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश विधान सभा विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हरगोविन्द पन्त--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के तारीख १५ अक्तूबर, सन् १९५१ ई० के प्रतिवेदन के पैराग्राफ ११ से सहमत है। यह पैरा ११ इस प्रकार से हैं--

"इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये समिति का यह मत है कि माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त के वक्तव्य में कोई बात ऐसी नहीं है जो श्री त्रिलोकी सिंह के सभा में दिये गये भाषण पर आक्षेप समझी जा सके और इस कारण समिति का मत है कि इस वक्तव्य से सभा के या सभा के सदस्य श्री त्रिलोकी सिंह के किसी प्रकार के किसी विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं हुई है।"

श्री राजाराम शास्त्री--इस प्रश्न पर विचार करने से पहले मैं इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि विशेषाधिकार की अवहेलना माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त ने की है या नहीं की है, लेकिन उस वक्त जब कि इस प्रश्न पर विचार हो रहा हो, माननीय गुप्त जी का यहां पर रहना अनिवार्य है या नहीं?

माननीय अध्यक्ष--मैं यह समझता हूं कि गालिबन वह इसी वजह से चले गये हैं। उन्होंने मुझसे पूछा था। मैंने उनको बताया था कि जिस वक्त इस प्रश्न पर विचार हो रहा हो उस वक्त माननीय सदस्य को यहां पर मौजूद नहीं रहना चाहिये। जब उनकी आवश्यकता हो तो सदन उनको बुला सकता है। आपका नियम इस प्रकार का है। वह यहां पर आये थे और इस प्रश्न के सामने आते ही वह यहां से उठकर चले गये और उन्होंने इस बात का मौका नहीं दिया कि उनसे इसके मुताल्लिक़ कहा जाता। वह खुद ही चले गये।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष ने जो रिपोर्ट अभी इस भवन के सामने पेश की है और जो कमेटी ने सिफारिश की है उसको उन्होंने सामने रखा है। मैं जानता हूं कि ऐसे अवसर पर हाउस आफ कामन्स में ज्यादातर तरीका यह रहता है कि जो कमेटी की रिपोर्ट होती है और जो कमेटी का निश्चय होता है कि अवहेलना नहीं हुई है तो फिर उसके ऊपर ज्यादा बहस नहीं की जाती है। मैं सिर्फ एक बात की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं। चूंकि यह एक ब्रीच आफ प्रिविलेज (विशेषाधिकार अवहेलना) का सवाल है और इस ऐवान में इस बात का सवाल कि किस ने ब्रीच आफ प्रिविलेज किया है और किसने नहीं किया है इसमें किसी पार्टी का ख्याल नहीं होना चाहिये। यह इसलिये कि हर शख्स चाहे वह उस तरफ का बैठने वाला हो या इस तरफ का बैठने वाला हो हर एक फर्द का यह पूरा ख्याल होना चाहिये कि इस ऐवान की किसी भी तरीके से तौहीन न होने पाये। यह रिपोर्ट जो अभी पेश हुई है उसमें एक आश्चर्य की बात मालूम होती है कि एक पार्टी के मेम्बरान इस फैसले पर पहुंचे हैं जो

[श्री गोपाल नारायण सक्सेना]

अभी उपाध्यक्ष महोदय ने पेश किया और जितने मेम्बर मुखालिफ पार्टियों के थे उन्होंने एक राय से अपनी सम्मति दी है कि यह ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है। ९ मेम्बर्स में से ५ की राय वह है जो माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आपके सामने रखी है और बाकी ४ ने मुत्तफ़िक़ तौर पर यह राय दी थी कि नहीं, ब्रीच आफ़ प्रिविलेज हुआ है और माननीय मंत्री महोदय को एक किस्म की वार्निंग (चेतावनी) दी जाय। तो मेरा मतलब यही है कि गोकि यह हाउस आफ़ कामन्स की प्रेक्टिस है लेकिन फिर भी कम से कम ऐसे मामलों में पार्टी का किसी तरह का व्हिप (सचेतक) नहीं होना चाहिये और हर आदमी को एक आज़ादाना और स्वतंत्र तरीक़े से अपनी राय देना चाहिये। मैं जिस वक्त कमेटी में था, गोकि वहां के बहस मुबाहिसे का ज़िक्र यहां न करना चाहिये, लेकिन मैं फिर भी हाउस की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि आइन्दा जब भी ऐसे सवाल आयें उनमें हम बिल्कुल निश्पक्ष होकर एक जज की तरह से फ़ैसला करें।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--मैं एक विधान का प्रश्न उठाना चाहता हूं और वह यह कि माननीय सदस्य ने कहा कि विशेषाधिकार का जो प्रश्न था उस में कुछ मेम्बरों के ऊपर पार्टी का व्हिप था। यह किस आधार पर कहा गया? और माननीय सदस्य महोदय का ऐसा कहना स्वयं विशेषाधिकार की अवहेलना है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--जनाबवाला, मैं समझता हूं कि श्री राधाकृष्ण अग्रवाल ने मेरी तक़रीर को गौर से नहीं सुना। मैंने यह नहीं कहा, मैंने तो यह कहा कि ऐसे मसलों पर पार्टी का व्हिप नहीं होना चाहिये।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम (निर्माण मंत्री)--जनाब स्पीकर साहब, मैंने श्री गोपाल नारायण सक्सेना साहब ने जो इरशाद फरमाया उस को गौर से सुना और समझा था और मैं समझता हूं कि जब मैं अभी उनके इरशाद के मुताल्लिक़ अर्ज करूंगा तो कम से कम हाउस यह समझेगा कि जो कुछ उन्होंने इरशाद फरमाया उसको मैं सही समझा। हमारे इस ऐवान में एक कमेटी कायम हुई थी और एक ऐसे काम के लिये क़ायम हुई थी कि जिसको तमाम दुनिया पार्टी पालिटिक्स (दलगत नीति) से ऊपर रखती है। जिस वक्त इस मसले पर जिस पर रिपोर्ट आई है मैंने इस ऐवान में गुज़ारिश की थी कि यह मसला ऐसा नहीं है और इस ऐवान का कोई मेम्बर भी और कोई पार्टी भी इसको इस निगाह से नहीं देख सकती है कि कौन किस पार्टी का है और किसी का किसी से क्या ताल्लुक़ है बल्कि बिला लिहाज इस बात के हमारे सामने सिर्फ यह बात होगी कि इस ऐवान की किसी किस्म की कोई तौहीन या इज्जती किसी बात से हुई है या नहीं हुई है।

कोई आदमी भी जो इस ऐवान का मेम्बर हो, ख्वाह वह किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, इस बात को बरदाश्त कभी भी नहीं कर सकता है कि इस ऐवान की किसी किस्म की बेइज्जती को गवारा करे या इसकी बेइज्जती के मसले पर जो राय कायम की जाय वह किसी बेसिस (आधारों) पर न बनी हो। यह मुमकिन नहीं है। हर मेम्बर की इज्जत और शान इस हाउस की इज्जत और शान है और इस ऐवान की इज्जत हर मेम्बर की इज्जत है। यदि इसे कोई मानने को तैयार नहीं है तो वह गलती पर है, इससे कोई समझदार आदमी इन्कार नहीं कर सकता। इस लिये मैं पूरा भरोसा रखता हूं, ख्वाह कोई मेम्बर इस तरफ का बैठने वाला हो या उस जानिब का बैठने वाला हो, किसी भी पार्टी का हो। मैं यह समझूंगा कि अगर कोई

इस तरह की बदगुमानी करता है कि पार्टी का व्हिप था तो यह मुनासिब नहीं है ख्वाह इसके यह कहने की वजह कुछ भी हो। जो कुछ मेरे दोस्त पालनजी ने इरशाद फरमाया, हां मैं यह मानता हूं उन्होंने बचने की कोशिश की। अपनी तकरीर में उन्होंने इस बात का लिहाज रखा कि जो कुछ वह कहना चाहते हैं वह उनकी बदगुमानी जो है, उसकी बिना पर जो कुछ उनके दिल में है वह उनकी जबान पर इस तरीके से लाया जाय कि वह बच कर निकलने की कोशिश कर सकें। उनके दिल की बात को इस तरीके से लाया गया कि उन्होंने बच कर निकल जाने का तरीका अख्तियार किया। यह मैं मानता हूं सही है। इस लिये मैं अर्ज कर रहा था कि मैं उनकी तकरीर सही तरीके से समझा हूं। किसी बात के कहने की जब जरूरत होती है तभी उसको कहा जाता है, इसको सभी मानेंगे। मैं इसकी बाबत बदगुमानी नहीं कर सकता तो मैं अपने दोस्त गोपाल नारायण साहेब से, जनाब की वसातत से बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि जो कुछ उन्होंने तकरीर की वह तकरीर हरगिज इस हाउस की शायाने शान नही थी। अगर मेरे दोस्त अग्रवाल साहेब को यह शुबहा हुआ है कि इस ऐवान को पालन जी की तकरीर से कंटेम्प्ट (अवमान) हुई है तो मैं इसे बेजा नहीं समझता हूं, अपने नजदीक। राय इस ऐवान की और दूसरे लोगों की कुछ भी हो, लेकिन मेरी जो राय है वह यही है। सिर्फ एक ही पार्टी के लोगों के लिये पार्टी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ और जिन्होंने नोट आफ डिसेंट [विमति टिप्पणी] लिखा है उनके लिये पार्टी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया और डेलीबेटली (जानबूझ कर) नहीं किया गया।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—वे मुख्तलिफ पार्टीज के थे। एक ही पार्टी के थे ही नहीं।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम—इस हाउस की बनाई हुई कमेटी की राय है, इसलिये हमने उसपर ऐतमाद किया मैं नहीं समझता कि कोई वजह हो सकती है कि हम उसे न मानें या उस कमेटी के मेम्बरान पर किसी तरह का आक्षेप करें या उनकी रिपोर्ट के बारे में किसी किस्म की बदगुमानी पैदा करें। हमको इस ऐवान का मियार ऊंचा रखना चाहिये और अपने दिलों को साफ रखना चाहिये। इसमें मुखालिफत या मुआफिकत का कोई सवाल नहीं है। हम इस ऐवान की इज्जत के दिलदादा हैं। मैं हुजूरेवाला से दरख्वास्त करता हूं कि जो कुछ मैंने अर्ज किया है वह ठीक वही है जो कुछ मैंने पालन जी की स्पीच से समझा है। जो कुछ उन्होंने इरशाद फरमाया मैंने उसे इस तरह से समझा। मैं समझता हूं कि उनके अल्फाज से दूसरे लोग भी यही माने लगाते होंगे। अगर उनको कुछ गलतफहमी इसके मुताल्लिक है तो मैं अर्ज करता हूं कि वह दूर करलें और मैं इस ऐवान के सामने यह मोशन पेश नहीं कर रहा हूं कि इससे इस मोअज्जिज हाउस की तौहीन हुई है।

श्री अब्दुलग़नी अन्सारी—जनाबवाला, मुझे इसका अफ़सोस है कि इस मामले में हाफ़िज साहब ने बहैसियत लीडर आफ़ दि हाउस के जो तकरीर की है उसमें बिला वजह जरूरत से ज्यादा जोश से काम लिया है। जो कुछ इस वक्त कहा गया और जो मक़सद था वह सिर्फ इस हद तक था कि यह मामला इस कदर अहम है कि मेम्बरान को आजाद होना चाहिये कि वे अपनी राय को बिला किसी असर के क़बूल किये हुये पेश करें। यह वाक़या है कि इस मसले में प्रिविलेजज कमेटी (विशेषाधिकार समिति) में इख्तिलाफ़ राय हुई। पांच मेम्बरान की राय एक तरफ हुई और चार साहबान की राय दूसरी तरफ हुई। वह रिपोर्ट सब लोगों के सामने है। वाक़यात उसके यह हैं कि २३ अगस्त को इस ऐवान में त्रिलोकी सिंह साहब ने तकरीर फरमाई और उस सिलसिले में २५ तारीख को एक तकरीर रफी अहमद किदवाई साहब ने दूसरे मुकाम पर यानी ऐवान से बाहर की और २८ तारीख को एक स्टेटमेंट (वक्तव्य) इश्यू (जारी) किया गया। स्टेटमेन्ट जो कि ऐवान के सामने होना चाहिये था वह स्टेटमेन्ट (वक्तव्य) खुद एक ऐसी चीज है कि इस मसले को बिला किसी इमदाद के, बिला किसी दलील के वाजह करता है। मैं ऐवान से सिर्फ़ यह दरख्वास्त करूंगा कि उस स्टेटमेंट को एक दफा पढ़ लें और उसके बाद फैसला करें। यह मसला ऐसा है कि जिस पर इस ऐवान की अजमत और वक़ार का बहुत कुछ

[श्री अब्दुल ग़नी अन्सारी]
दारोमदार है। अगर यह ऐवान अपने फर्ज को उस तरीके से अन्जाम देता है जिस तरीके से कि उसको अन्जाम देना चाहिये तो उसकी इज्जत न सिर्फ इस मुल्क में बल्कि बाहर भी बढ़ेगी, इज्जत को बट्टा लगेगा मैं यह नहीं कहता हूं कि ईमानदारी और बेईमानी का सवाल है बल्कि गौर, खोज और फिक्र करने का सवाल है कि पांच मेम्बर साहबान ने जो एक राय रखी है और चार मेम्बर साहबान ने जो दूसरी राय रखी तो उसमें कौन किस हद तक सही है और कौन किस हद तक गलत है। अगर चार मेम्बरान की राय सही है तो तमाम मेम्बर साहबान को उनकी राय से इत्तफाक करना चाहिये और अगर अक्सरियत की राय सही है तो मेम्बर साहबान को उनसे इत्तफाक करना चाहिये। मैं आपकी इजाजत से उस स्टेटमेन्ट को पढ़ देना चाहता हूं बावजूद इसके कि वह ऐवान के सामने है लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों ने उसको नहीं पढ़ा होगा--

"A report has appeared in a section of the Press that Mr. Rafi Ahmad Kidwai made the allegation at a meeting in Allahabad district that Government foodgrains worth about Rs.5 crores were missing. The allegation has no foundation in fact.

A statement to this effect was first made by the Leader of the Opposition, Mr. Triloki Singh in the U. P. Assembly during the course of the food debate held on August 23. He had stated that there was a difference of 165,005 tons of foodgrains between the total quantity procured and imported from 1946 up to August 16, 1951, and the quantity that was expoorted from and consumed in the State during 1946 to July 31, 1951. Allowing for 60,000 tons to be consumed during the course of August 1951, he stated that 105,000 tons were unaccounted for."

[कुछ पत्रों में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि श्री रफी अहमद किदवाई ने इलाहाबाद जिले की एक सभा में यह आरोप लगाया कि लगभग पांच करोड़ रुपयों का सरकारी गल्ला गायब है। इस आरोप का वस्तुतः कोई आधार नहीं है।

इस आशय का एक वक्तव्य प्रथम बार विरोधी दल के नेता श्री त्रिलोकी सिंह ने यू० पी० असेम्बली में २३ अगस्त को खाद्य सम्बन्धी वाद-विवाद में के समय दिया था। उन्होंने कहा था कि सन् १६४६ ई० से लेकर १६ अगस्त, सन् १६५१ ई० के बीच जो गल्ला देश में संग्रह किया गया और बाहर से मंगवाया गया तथा उस गल्ले में जो १६४६ ई० से लेकर ३१ जुलाई, सन् १६५१ तक यहां के लोगों में बांटा गया तथा बाहर भेजा गया १,६५,००५ टन का अन्तर है। उन्होंने कहा कि यदि अगस्त सन् १६५१ में उपयोग किये गये ६०,००० टन को भी निकाल दिया जाय तो १,०५,००० टन का कोई "हिसाब नहीं मिलता।"

इस स्टेटमेंट में फिर आगे चलकर गुप्ता साहब फरमाते हैं--

"Then and there it was pointed out by the Chief Minister and myself that the stocks of foodgrains in Government godowns had not been included by him in his calculations."

[उसी समय मुख्य मंत्री ने तथा मैंने बता दिया था कि उन्होंने अपनी गणना में सरकारी गोदामों में जमा गल्ले को सम्मिलित नहीं किया था।]

श्री खानचन्द गौतम--एक वैधानिक आपत्ति है। अभी माननीय सदस्य श्री त्रिलोकी सिंह जी और माननीय श्री गुप्त जी के यहां दिये हुये भाषणों का उद्धरण देने को खड़े हुये ताकि उससे हम लोगों को मदद मिले लेकिन इसके बदले में वह प्रेस रिपोर्ट हमको दे रहे हैं। उससे मदद मिलने के बदले और घबराहट पैदा हो सकती है, भ्रम पैदा हो सकता है। अगर माननीय सदस्य जो यहां का भाषण है उसमें जो संबंधित अंश हैं उनका ही उद्धरण दें तो ठीक है।

माननीय अध्यक्ष---जो विवरण जारी किया गया है उसी को पढ़ रहे हैं। विशेषाधिकार का विषय वही है ।

श्री अब्दुलगनी अन्सारी---मैं समझता हूं कि खानचन्द गौतम साहब ने जरा जल्दी से काम लिया है । जरा सब्र से काम लेंगे तो वह समझेंगे कि यह बहुत जरूरी था ।

"Then and there it was pointed out by the Chief Minister and myself that the stocks of foodgrains in Government godowns had not been included by him in his calculations. The stocks of foodgrains in Government godowns on August 1, 1951 amounted to 135,000 tons. The consumption for the first forthnight of August would be 30,000 tons and thus the difference of 105,000 tons represented the stocks that were physically present in the Government godowns in the state at the end of the first fortnight of August."

[उसी समय मुख्य मंत्री ने तथा मैंने बता दिया कि उन्होंने अपनी गणना में सरकारी गोदामों में जमा गल्ले को सम्मिलित नहीं किया था । जो गल्ला सरकारी गोदामों में १ अगस्त, १९५१ ई० में जमा था वह १,३५,००० टन था । अगस्त के प्रथम पक्ष में जो गल्ला बांटा गया वह ३०,००० टन होगा और इस प्रकार १,०५,००० टन गल्ले का जो अन्तर है वह उस गल्ले को सूचित करता है, जो अगस्त के प्रथम पक्ष के अन्त में राज्य के सरकारी गोदामों में मौजूद था ।]

अब इसके बाद जो अन्तिम पैराग्राफ है वह बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के ऊपर सब कुछ दारोमदार है । गुप्ता साहब अपने विवरण में यह फरमाते हैं :--

"It is surprising that these elementary calculations should have evaded the comprehension of or should have been purposely ignored by those who are reported to have made" and repeated these allegations."

[यह आश्चर्य की बात है कि उन लोगों ने जिनके द्वारा ये आरोप लगाये और दोहराये गये बतलाये जाते हैं, इन प्रारंभिक गणना पर ध्यान देने का विचार नहीं किया या जानबूझ कर उनकी अपेक्षा कर दी ।]

इसी एक जुमले से मालूम होता है कि इसमें कम से कम दो शख्सों के मुताल्लिक कहा गया है । एक वह कि जिसने यह आरोप किया यह जुमला भी किसी तीसरे शख्स के मुताल्लिक नहीं हो सकता । यह तो सीधी-सीधी अंग्रेजी के समझाने का सवाल है इस पर बहुत ज्यादा बहस की गुंजाइश ही नहीं है । इस विवरण के पढ़ने से ही मालूम हो जायगा कि इसका रुख किस तरफ है ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर (श्रीमान् मैं विधान का एक प्रश्न प्रस्तुत करता हूं) रूल ६६ के अनुसार वाद विवाद संक्षेप्त होना चाहिये । आप देख लीजिये ।

माननीय अध्यक्ष---मैंने देख लिया । माननीय सदस्य मेरे जरिये से आपकी तवज्जह रूल ६६ की तरफ दिलाना चाहते हैं । चर्चा संक्षिप्त होना चाहिये ।

श्री अब्दुल गनी अन्सारी---मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है । मैंने स्टेटमेंट पढ़ दिया है और मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस स्टेटमेंट को मेम्बरान खुद गौर से पढ़कर अपना फैसला करें और उस जिम्मेदारी का अहसास करें कि जो उनके ऊपर है और जिस जिम्मेदारी को पेशनेजर रख कर उनको अपना फैसला देना चाहिये ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो इस बात के कहने की धृष्टता नहीं करूंगा कि यह जो विशेषाधिकार समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें किसी सदस्य या सदस्यों की क्या-क्या मानोभावनायें थीं। लेकिन हम तो जिस निष्कर्ष पर पहुंचे इसका मुख्य कारण यह था कि गुप्ता जी ने इस बात को स्पष्ट-तौर पर जब उनको बतलाया गया था तो समिति के सुझाव और मतभेद देने वाले सदस्यों के सामने कहा था कि मैंने ऐसा वक्तव्य कभी भी इस सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध देने के विचार से नहीं दिया। हमने जितने पत्रों में यह बात प्रकाशित देखी उसमें यह लिखा था कि, गुप्ता जी कि निदाई के विवरण का प्रतिवाद करते हैं जैसा मैं पूर्व कह चुका हूं मैं ऐसी भी धृष्टता नहीं करूंगा कि इस भवन के सदस्यों ने समिति की रिपोर्ट को पढ़ा नहीं, जैसा कि अब्दुल गनी अन्सारी साहब ने कहा कि बहुतों ने पढ़ा नहीं होगा। तो भवन के विरुद्ध यह एक बड़ा लांछन होगा। मैं तो समझूंगा कि सभी ने पढ़ लिया होगा और उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि इस रिपोर्ट में स्पष्टतौर से लिखा है कि हमारे देश के पत्रों ने अलग-अलग (शीर्षक) अपने पत्रों में दिये हैं जिनसे सिद्ध होता है कि गुप्ता जी ने ये जो शब्द कहे हैं उनका किसी प्रकार से कोई प्रसंग हमारे माननीय सदस्य श्री त्रिलोकी सिंह से नहीं है। मैंने स्वयं "जोक" शब्द को प्वाइंट आउट किया था, इस लिये मैं अधिक नहीं कहूंगा, संक्षेप में ही विचार प्रकट करूंगा।

दूसरी बात यह है कि आपके जिन ४ सदस्यों ने विमति टिप्पणी दीं उनके कहने पर जितनी बातें, जितना समय, जितनी इच्छायें उनकी थी वह पूरी की गईं और जितनी पुस्तकों का वह उद्धरण कर सकते थे, वह किया गया और इस प्रकार विशेषाधिकार समिति ने पार्टी लाइन पर काम नहीं किया बल्कि सब सदस्यों को पूरा-पूरा अवसर अपने विचार प्रकट करने को मिला। मैं समझता हूं कि वह भी हृदय के अन्दर इस बात को समझते हैं कि बहुमत रिपोर्ट न्यायसंगत है। मगर इस बात का मुझे सख्त अफसोस है कि उन्होंने अपने हृदय की भावनाओं को यहां पर दूसरे रूप में प्रकट किया और जिस प्रकार उन्होंने कहा कि हाफिज साहब ने क्रोध में कहा तो यह तो क्रोध की बात नहीं थी। बल्कि अफसोस की बात थी जो उन्होंने जाहिर की। वह तो सदन की मान-मर्यादा और उनके आत्म-सम्मान की बात थी और जितने विशेषाधि-कार समिति के मेम्बर बैठे हैं उनके हृदयों की पुकार थी। श्री गोपाल नारायण सक्सेना का इस प्रकार आक्षेप करना शोभाजनक नहीं था।

इन शब्दों के साथ मैं कहता हूं कि यह शब्दों का आडम्बर और जाल जो है इसमें पड़ने की आवश्यकता नहीं है। गुप्ता जी ने स्वयं यह कहा था मैं ऐसा दावा नहीं करता हूं कि उस वाक्य का अर्थ दूसरा नहीं हो सकता क्योंकि मैं अंग्रेजी भाषा का इतना विशेषज्ञ नहीं हूं। माननीय सदस्यों ने वहां पर यह भी कहा कि आप एम० ए० पास हैं। लेकिन एम० ए० होने के मानी यह नहीं हैं कि अंग्रेजी भाषा में पूर्ण रूप से पारंगत हों। हो सकता है कि कहीं भाषा के प्रयोग में कोई भूल हो जाय।

यह प्रश्न जस्टिस और ईक्विटी (न्याय और साम्या) का था। हर एक आदमी समझ सकता है कि पार्टी पर प्रतिबन्ध नहीं था। बल्कि सबने न्याय का साथ दिया। मैं समझता हूं कि वह विशेषाधिकार समिति के जिम्मेदार सदस्य होने के नाते स्वयं अपने शब्दों को वापस करेंगे और यहां की जो कार्यवाही है उसमें इस प्रकार के शब्द नहीं लिखे जावेंगे। यह मैं उन से प्रार्थना करता हूं कि वे अपने शब्दों को वापस ले लें, इसमें उनकी ही शोभा है।

श्री खानचन्द गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सुबह ही से एक बात मेरे मन में आ रही थी कि जिस समय यहां विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित हो तो उस वक्त प्रक्रिया संबंधी एक सुझाव मैं श्रीमान् के सामने रखूं। जब से इस प्रश्न पर विचार करना आरम्भ हुआ है उसी समय से मैं अवसर खोज रहा था कि मैं किस समय आपके सामने वह विचार रखूं। वास्तव में मेरा वह सुझाव श्री अब्दुलगनी अन्सारी की वक्तृता के पहले ही

आता तो मुनासिब होता और इसी के लिये मैं खड़ा भी हुआ था। माननीय श्री गोपाल नारायण सक्सेना जी ने इस सम्बन्ध में जो इंगित किया कुछ उसी प्रकार की बात मेरे मन में आ रही थी और वह इस रूप में कि यहां इस माननीय सदन में हम हर प्रकार के प्रश्न पर विचार करते हैं, उनमें बहुत से पार्टी के प्रश्न होते हैं, उनके लिये लाजिमी है कि वह प्रश्न, उस दल की सम्मिलित शक्ति से यहां तय हों। ऐसा अगर न हो तो हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाय। मगर जैसा कि सब लोग मानते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे आवश्यक होते हैं, जिन में किसी दल विशेष का प्रश्न नहीं होता। उसमें इस माननीय सदन की एक कमेटी की, समस्त सदन की या आप की मान-मर्यादा का प्रश्न हो सकता है। ऐसे प्रश्नों के सम्बन्ध में यह निर्विवाद है कि इस माननीय सदन का कोई सदस्य यह नहीं समझेगा कि यह प्रश्न किसी दल विशेष से सम्बन्ध रखता है। विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही में उसकी रिपोर्ट में जब यह देखा जाता है कि एक दल से सम्बन्ध रखने वाले सभी माननीय सदस्यों ने एक ओर हस्ताक्षर किये हैं और दूसरी ओर के लोगों ने दूसरी ओर दस्तखत किये हैं, इत्तिफाक की बात हो सकती है या उस विशेषाधिकार समिति के सदस्यों की खुशकिस्मती या बदकिस्मती हो सकती है, लेकिन मैं यह यकीन नहीं करना चाहता कि विशेषाधिकार समिति का सदस्य होने की हैसियत से इस माननीय सदन के कोई माननीय सदस्य इस बात का भी ध्यान रखते होंगे कि वह किस दल से सम्बन्ध रखते हैं और उनके सामने जिस व्यक्ति का मसला पेश है वह किस दल का है और प्रिविलेज कमेटी में ऐसी कार्यवाही हो सकती है कि वहां का विचार हमारे सामने पेश होगा। और इस समय वही स्थिति है कि जब इस माननीय सदन का प्रत्येक सदस्य उस मसले पर विचार करके एक जज की हैसियत से राय देने की स्थिति में है।

विशेषाधिकार का प्रश्न इससे भी विकट और महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसा कि आज एक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित है और इस वजह से यह बहुत ही आवश्यक है कि माननीय सदन का प्रत्येक सदस्य अपनी हैसियत को न भूले। साधारणतया सावधानी और सचेत कर देने के अतिरिक्त बड़ी-बड़ी सजायें देने का अधिकार इस माननीय सदन को है और इस वजह से यह जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि जिस प्रक्रिया के संबंध में मेरे मन में एक विचार आया और मैं आपके सामने और आपकी इजाजत से सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। वह यह है कि जब कभी विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित हो और उसकी रिपोर्ट हमारे सामने पेश हो, उस समय आपके आदेश पर या उसके औचित्य को समझकर इस सदन में उपस्थित सभी दलों के नेतागण अलग खड़े होकर सदन में यह घोषित कर दिया करें कि मेरी पार्टी के समस्त सदस्य इस समय हमारे सचेतक के अंकुश से बरी हैं और प्रत्येक सदस्य अपनी राय देने के लिये आजाद हैं।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—श्रीमान् नियम ६६ को ध्यान में रखते हुये क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह जो बहस हो रही है वह रेलेवेंट (संगत) है?

माननीय अध्यक्ष—नियम ६६ में मुख्तसिर होने के सिवाय और कुछ नहीं, और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसका ध्यान रखेंगे।

श्री खान चन्द गौतम—पहले अगर मुझे सचेत किया जाता तो मैं संक्षेप में कह सकता था लेकिन अब तो मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं इस लिये इसकी अब जरूरत नहीं रहती। मैं निवेदन करता हूं कि एक अच्छी परम्परा की शुरुआत समझकर सभी दल के नेतागण इस अवसर से लाभ उठायें और खड़े होकर घोषित कर दिया करें कि उनके दल का प्रत्येक सदस्य सचेतक के अंकुश से बरी है और जज की हैसियत से निष्पक्ष राय दे सकता है। इस प्रदेश की विधान सभा को गौरव प्राप्त है कि विशेषाधिकार के प्रश्न पर इसने पहले कदम उठाया

[श्री खानचन्द्र गौतम]

है और यह भी गौरव की बात होगी कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमेशा वैमनस्य और दलबन्दी से बरी होकर उस पर विचार करने की परम्परा को यहां डाल दें और सभी दल के नेतागण अपने दल के सदस्यों को व्हिप (सचेतक) के अंकुश से मुक्त कर दिया करें। केवल यही बात मुझे निवेदन करना है।

नवाब मुहम्मद जमशेद अली खां—जनाबवाला, मैं नहीं चाहता था कि इस बहस के अंदर में कोई हिस्सा लूं। इस मामले पर बहुत सी तकरीरें हो चुकी हैं। मैंने यह देखा कि जिन साहबान ने इस वक्त तक तकरीर की है उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इस हाउस की शान, अजमत, इसके विकार और इसकी बड़ाई का खयाल रखा जाय और हमारे लिये सब से अच्छी और प्यारी चीज यह है कि हमारे सदन की बात ऊंची हो और यही नहीं कि इस सूबे में हो बल्कि बाहर के मुल्कों में भी इसका नाम रौशन हो और इसकी शान, अजमत और बड़ाई कायम हो। लेकिन जो तकरीरें यहां की गई हैं उससे वह बात नहीं रहती। इस शान में जरूर फर्क आ जाता है जिसे कायम रखने के लिये यह सब कुछ किया जा रहा है। मैं तो इस मसले को इस तरह से देखता हूं कि इस सदन के मेम्बरान की एक कमेटी कायम हुई जो प्रिविलेज कमेटी (विशेषाधिकार समिति) के नाम से है जो तहफ्फुज करने वाली है और हमारे हुकूक की और उन चीजों की जो प्रिविलेज (विशेषाधिकार) से ताल्लुक रखती हैं।

जिस वक्त कोई कमेटी इस हाउस में फार्म होगी उस वक्त यह समझना कि उसमें किस-किस पार्टी के मेम्बरान थे और किस-किस पार्टी से उन मेम्बरान से ताल्लुक था यह अल्फाज और यह खयालात ही इस हाउस की शान के खिलाफ है। प्रिविलेज कमेटी (विशेषाधिकार समिति) प्रिविलेज कमेटी है। उसके अन्दर इसका सवाल कि वह किस पार्टी के मेम्बरान से मुश्तमिल है यह सवाल ही शायानेशान नहीं है हाउस के लिये। अगर हम लोग समझते हैं कि प्रिविलेज कमेटी (विशेषाधिकार समिति) के मेम्बरान वहां पर अपनी राय देते वक्त इस चीज का ख्याल रखते हैं कि हम फलां पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और फैसले का असर फलां पार्टी के फलां मेम्बर पर अच्छा या बुरा पड़ेगा और अगर ऐसी राय देते हैं तो प्रिविलेज कमेटी के मुताल्लिक यह ख़याल कायम करना हमारे लिये कोई शोभा नहीं देता। विशेषाधिकार समिति इस हाउस ने कायम की है और वह कायम हो गई तो वह किसी पार्टी के एलाइनमेंट (संबंध) से बालातर है। उसका फैसला भी उस तहत में होता है जिस तहत में यहां हाउस में फैसले होते हैं और जितने फैसले होते हैं वह अकसरियत और अकलियत की बिना पर होते हैं। जिस तरफ ज्यादा राय होती है उस तरफ वह फैसला माना जाता है और जिस तरफ रायें कम होती हैं उसका फैसला मुस्तरद कर दिया जाता है। कल के दिन की बात है कि जमींदारी का मसला इस हाउस के सामने आया। जमींदारों ने तरह-तरह के मसले उठाये, तरह-तरह की दलीलें दीं और हर-हर चीजों पर तवज्जह दिलाई लेकिन फैसला किस तरह से हुआ? फैसला वही समझा जाता है जो कि ज्यादा गिनती वाली जमात ने किया। लिहाजा आज वही चीज और वही उसूल आपके सामने है। जो उसका अकसरियत का फैसला है और जिस फैसले के अन्दर ज्यादा तादाद मेम्बरान की है वही फैसला काबिले कबूल होगा और यही आपके यहां का उसूल है।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार के इस प्रश्न पर जब हम विचार कर रहे हैं तो मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर हम पार्टी के लिहाज से विचार न करें और मुश्किल हमारे सामने यह हो जाती है कि जब मैं दस्तखतों को देखता हूं तो कांग्रेस पार्टी के मेम्बरों की सब की राय यह है और विपक्ष के विभिन्न दलों की राय दूसरी है। कमेटी अपने निर्णय में ही दो दलों के विचारों की मालूम पड़ती है। मैं इस बात को बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं पार्टी के नहीं, बल्कि इस सदन के सदस्य की हैसियत से अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। मैं इस तमाम बहस से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि

बहुत कुछ इसमें बाल की खाल निकाली जा रही है। मामला बिलकुल स्पष्ट इस तरह से है कि माननीय सी० बी० गुप्ता जी का एक वक्तव्य अखबारों में पढ़ा और माननीय श्री किदवाई जी ने उन पर यह आरोप लगाया कि पांच करोड़ का गल्ला कम हो रहा है। भवन के अन्दर जब यह मसला आया और माननीय गुप्ता जी का ध्यान इधर दिलाया गया तो उन्होंने यह बात कही कि इस तरह के जो आरोप लगाये जा रहे हैं वे गलत हैं और बेबुनियाद हैं। माननीय त्रिलोकी सिंह जी का यह आरोप था कि उन्होंने इस मसले को पेश किया है इससे किदवाई साहब और त्रिलोकी सिंह जी दोनों एक साथ बांध दिये जा रहे हैं।

मेरा अपना ऐसा खयाल है कि इन दोनों चीजों को हमें अलग ही रखना चाहिये। इस भवन के बाहर माननीय किदवाई जी और श्री त्रिलोकी सिंह जी एक विचार रखते हों, उससे हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन जहां तक इस भवन की बहस का ताल्लुक है उसका मेरे ऊपर यह प्रभाव पड़ता है कि बहस का मुख्य आधार माननीय किदवाई जी का भाषण है जो उन्होंने बाहर दिया है। ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा विचार है कि श्री त्रिलोकी सिंह जी का यह खयाल करना कि उनका अपमान करने की गरज से ही गुप्ता जी ने भवन में यह बयान दिया मुझे ऐसा प्रतीत होता है यह मुनासिब नहीं। साथ ही साथ जब मैं इस रिपोर्ट को देखता हूं और पृष्ठ दो पर जब मैंने यह देखा कि एक तरफ तो श्री त्रिलोकी सिंह जी यह महसूस करते हैं कि उनका अपमान हुआ और उनके नाते इस भवन का अपमान हुआ, मैं इसे मानता हूं कि अगर त्रिलोकी सिंह जी का किसी तरह से अपमान होता है तो वह भवन का अपमान है। लेकिन जब मैं यह देखता हूं कि माननीय गुप्ता जी ने जब इस बात को स्वीकार किया कि जब वक्तव्य उन्होंने दिया, तब उनकी निगाह के आगे माननीय किदवाई साहब थे त्रिलोकी सिंह जी नहीं थे और उन्होंने उनका केवल हवाला मात्र ही दिया ऐसी हालत में मेरा ख्याल है कि मामूली शिष्टाचार और मौजूदा परम्परा जो चली आई है कि एक व्यक्ति ने अगर गलती भी की है और उसके बाद वह यह कहता है कि मेरा मंशा आपके दिल को दुखाने को नहीं था तो उस आदमी की वह बात मान ली जाती है। ऐसी स्थिति में मेरा यह नम्र निवेदन है कि अगर गुप्ता जी इस बात की जिद करते कि श्री त्रिलोकी सिंह जी ने जो कहा वह गलत था और उनके वक्तव्य को ले कर वह उन पर आक्षेप करते तो मेरे ऊपर यह असर पड़ता कि हमारे सदन का अपमान किया गया। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आया उन्होंने त्रिलोकी सिंह जी का अपमान किया है या नहीं।

दूसरा प्रश्न यह उठता है कि जब वह साफ साफ अपने वक्तव्य में यह कह रहे हैं कि त्रिलोकी सिंहजी को सामने रख कर उन्होंने नहीं कहा उनका संकेत केवल इसलिये कर दिया क्योंकि उन्होंने भवन में यह प्रश्न सबसे पहले उठाया, तो मेरा खयाल है कि इस चीज को यहां खत्म किया जाय। इससे सदन का भी गौरव बढ़ता है और माननीय श्री त्रिलोकी सिंह जी का भी गौरव बढ़ता है।

माननीय मंत्री जी ने जब एक वक्तव्य द्वारा इस बात को स्वीकार किया है कि उनका मंशा किसी का अपमान करना नहीं था तो उसे स्वीकार करना चाहिये। रिपोर्ट देखने से भी यही पता चलता है कि अधिकांश सदस्यों पर भी यही असर पड़ा कि गुप्ता जी ने माननीय किदवाई को ही सामने रखा है, न कि त्रिलोकी सिंह जी को इन सब बातों पर विचार करने के बाद मेरे ऊपर यह असर पड़ता है कि इस सदन को इन बारीकियों को ध्यान में रखते हुए माननीय श्री त्रिलोकी सिंह जी का अपमान नहीं मानना चाहिये। माननीय श्री त्रिलोकी सिंह जी को यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर कभी भी कोई बात किसी मेम्बर को चोट पहुंचाने वाली कही जाती है तो वह अपमान सदन का अपमान होगा और सदन उसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन सब बातों पर विचार करने के बाद मेरा ऐसा खयाल है कि कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार की जाय और इस मामले को अधिक नहीं बढ़ाया जायगा। जो कुछ बयान

[श्री राजाराम शास्त्री]

माननीय श्री गुप्ता जी ने दिया है उसे श्री त्रिलोकी सिंह जी मान लें। इसमें हमारे सदन की प्रतिष्ठा है और माननीय श्री त्रिलोकी सिंह जी की भी प्रतिष्ठा है। ऐसे मामलों में जितनी ही ज्यादा खींचातानी करके और कानूनी चीजों को निकाल कर जो भी भवन के अन्दर कार्यवाही होगी, उस मसले पर जितनी ही ज्यादा बहस होगी, उसको जितने ही ज्यादा रंग में रंगने की कोशिश की जायगी उतने ही ज्यादा इस भवन के भाव खराब होते जायेंगे। सदन की भावना को कायम रखने का एकमात्र तरीका यही हो सकता है कि आप यही खयाल करें कि जितने मेम्बरान ने इस पर विचार किया है वह किसी पार्टी की भावना से विचार नहीं किया है और श्री त्रिलोकी सिंह जी ने जो सवाल पेश किया था वह भी इस गरज से पेश नहीं किया कि वह किसी दूसरी पार्टी के मेम्बर हैं या न इस गरज से किया था कि वे माननीय मंत्री को कुछ नीचा दिखाना चाहते थे। मेरा अपना खयाल है कि अगर इस तरह की भावना भवन के अन्दर रखी जाय तो इस भवन का गौरव भी बढ़ सकता है। मुझे आशा है कि इसी भावना से प्रेरित होकर दोनों पक्ष के लोग इस मसले पर विचार करेंगे।

श्री चतुर्भुज शर्मा--मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस मसले पर बहस अब बन्द की जाय।

माननीय अध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य श्री त्रिलोकी सिंह को और इस पर बोलने का मौका दूंगा।

श्री त्रिलोकी सिंह--अध्यक्ष महोदय, मेरा विचार इस वादविवाद में कतई हिस्सा लेने का नहीं था बावजूद इसके कि मैं इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हूं कि जब कभी प्रिविलेजेज का मामला इस सदन के सामने आये तो विरोधी दल के नेता का यह कर्तव्य है कि वह उस पर अपना मत प्रकट करे। लेकिन इत्तिफाक से जो मामला सदन के सामने पेश है उस प्रश्न को मेरे ही द्वारा इस सदन में उठाया गया था। इस लिये मैंने मुनासिब समझा कि मैं इस सिलसिले में अपना कोई मत अब प्रकट न करूं। श्रीमान्, मेरे माननीय मित्र श्री गोपाल नारायण सक्सेना ने शुरू मे ही यह बात फरमा दी थी कि हाउस आफ कामन्स का यह दस्तूर है कि जब कभी प्रिविलेजेज कमेटी की ऐसी रिपोर्ट आती है जिसमें यह कहा गया होता है कि अभियोग सिद्ध नहीं हुआ तो उस पर वादविवाद नहीं होता। मैं समझता हूं कि हमें उसी प्रथा का अनुसरण करना चाहिये। हां, जब कभी भी हाउस आफ कामन्स में ऐसी बात हुई है कि प्रिविलेज कमेटी (विशेषाधिकार समिति) ने यह कहा है कि अभियुक्त के खिलाफ अभियोग सिद्ध हो गया है तो उस पर लंबा वादविवाद भी हुआ है। हमारी प्रिविलेजेज कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, चाहे वह युनैनीमस रिपोर्ट (सर्वसम्मत प्रतिवेदन) हो या मैजोरिटी रिपोर्ट (बहुमत प्रतिवेदन) हो, लेकिन उसके यही अर्थ हैं कि यह अभियोग सिद्ध नहीं हुआ है इस लिये उस पर और कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

इस सिलसिले में मेरे मित्र श्री राजाराम शास्त्री ने कुछ ऐसी बातें कहीं जिनसे मैं मजबूर हुआ कि इस आदरणीय सदन के सामने अपने विचार रखूं। उनका ख्याल यह था कि जो बातें कही गई वे निजी हैसियत से कही गईं। श्रीमान्, आपके द्वारा मैं इस आदरणीय सदन की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब कभी भी इस आदरणीय सदन की कमेटी की, उसके किसी मेम्बर की, या पूरे सदन के विशेषाधिकारों की यदि कोई अवहेलना होती तो वह पूरे सदन का ही अपमान होगा और किसी एक व्यक्ति का अपमान न होगा। मैंने इसी ख्याल से जब यह मामला मेरे इल्म में आया, तुरन्त जितनी जल्दी हो सका, इस आदरणीय सदन का ध्यान मैंने उस ओर दिलाया और मेरी बात पर विचार करने के बाद ही माननीय अध्यक्ष ने प्राइमाफेसी प्रत्यक्षतः केस बना समझा। तभी उस कमेटी को बनाया गया था। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय श्री राजाराम शास्त्री अपने दिल से बिल्कुल यह बात निकाल दें कि इस सिलसिले में मेरी अपनी कोई राय है और मेरी अपनी कोई भावना है। मेरी जितनी भी भावनायें थीं वे उसी दिन समाप्त हो गयीं जिस दिन इस आदरणीय सदन के सामने मैंने अपनी शिकायत पेश कर दी और वह मामला प्रिविलेज कमेटी

(विशेषाधिकार समिति) के सामने चला गया। प्रीविलेज कमेटी की जब कभी भी यह ख्वाहिश हुई कि मे उस मामले मे उनको कुछ मदद दूं तो मैं हमेशा हाजिर हुआ और उनको मदद दी।

यह मामला किसी निजी व्यक्ति का मामला नहीं है। श्रीमान्, मैं आपकी सेवा में यह भी अर्ज करूंगा कि प्रीविलेज (विशेषाधिकार) के मामले में किसी भी सदन को बहुत ही भावुक नहीं होना चाहिये। यह मामला बड़ा गम्भीर है, इस पर बहुत सोच समझ कर फैसला करना चाहिये और इसलिये मैं हाउस आफ कामंस की नीति, प्रथा के अनुसार यह निवेदन करूंगा कि इस मामले में कोई मजीद कार्यवाही की जरूरत नहीं है।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त (मुख्य मंत्री)--मैं सिर्फ मुख्तसरन एक दो बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। एक तो यह है कि इस सदन के विशेषाधिकार की रक्षा के लिये यह परम आवश्यक है कि सब के लिये, प्रत्येक सदस्य के लिये, यह समझा जाय कि वह अपना काम ईमानदारी से करता है। उसके विरुद्ध किसी धारणा का होना वह विशेषाधिकार और इस सदन की शान पर कुठाराघात करना है। इसलिये किसी भी माननीय सदस्य का यह समझना कि कोई भी सदस्य ईमानदारी से काम नहीं करता है, इस सदन की इज्जत और शान के खिलाफ़ जाना है। ऐसी धारणा नहीं होनी चाहिये।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आखिर यह सवाल पैदा कैसे हुआ और इसमें क्या चीज थी। मैं उसकी कोई तफसील में नहीं जाना चाहता हूं, न कहता हूं कि इसमें जाना चाहिये और न उसके बारे में कोई बहस मुबाहिसा में हिस्सा ही लेना चाहता हूं। मगर यहां तो एक चीज अखबार में छपी और उसके बारे में यह कहा गया कि इस सदन के एक सदस्य के सिलसिले में सदन के विशेषाधिकार के विरुद्ध कुछ बातें हुई हैं। सबसे बुनियादी बात इस सदन के लिये सदस्य की हो सकती है कि उसकी यह नीयत नहीं थी, उसकी यह गरज नहीं थी, सदन उसकी बात माने या न माने। अगर आप उसे नहीं मानें तो यह सदन की शान नहीं हो सकती है। इस सदन के सदस्य की बात के ऊपर इस तरह की तोहमत लगायी जाय कि जो वह कहते हैं सही नहीं है, जो गरज यह बतलाते हैं वह गरज नहीं थी, जो यह कहते हैं उसका कतई यह इरादा नहीं था। मैं किसी भी सदस्य की इस तरह की बात को ठीक नहीं मानता। फिर मैं आम से कहता हूं कि हमें इस बात को मानना चाहिये कि हम इस सदन के हर एक सदस्य को सम्मानित सदस्य कहते हैं और आनरबिल मेम्बर कह कर बातें कही जाती हैं इसलिये उनकी जो बातें हों उन्हें हमें सही मानना चाहिये। उनकी बातों का, द्वंद्वी प्रतिद्वंद्वी, मुद्दई मुद्दाइलह, की तरह से माने निकालना मैं ठीक नहीं समझता। एक लफ्ज को लेकर के उसके डिक्शनरी में माने ढूंढ़ना और उसके तरह तरह के माने निकालना ठीक नहीं होता है। हमें तो देखना यह है कि इसका क्या मजमूई नतीजा निकलता है। इसलिये मेरी अर्ज यह है कि जब हम विशेषाधिकार की रक्षा की बातें करें तो उस अधिकार की जो बुनियाद है उसे कुरेद कर न फेंक दें। अल्फाज की बारीकी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इस आदरणीय सदन के सभी सदस्यों के सम्मान की बात है। जैसा कि इस रिपोर्ट में है उसके न मानने पर और उसके विरुद्ध जाने पर इस सदन के सदस्यों को फिर सोचना पड़ता यह तो जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है वह उसी के अनुसार है। माननीय सदस्यों न देखा कि इसमें जिनका सम्बन्ध था उनका ही बयान था उन्होंने कहा और अपनी सफाई दी। फिर इसके बाद इस रिपोर्ट में जो कुछ भी कहा गया उसको मानना तो आवश्यक होता ही है परन्तु उसकी बुनियाद में जो उसूली बात है उस को छोड़ दें और सभी बुनियादी बातों के खिलाफ जावें तो फिर इसको अपमानित करना ही हो जाता है। मेरा मतलब यह नहीं है कि किसी गर्ज से हो परन्तु जब हम व्यक्तिगत रूप से सदस्य का मान नहीं रखें तो फिर सदन के सम्मान की बात कैसे होती है? सदन के सम्मान

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

की बात तो सदस्यों के मिले-जुले सम्मान की ही बात होती है। अगर यह निकल जाय तो फिर सदन के विशेषाधिकार का प्रश्न कैसे रह जाता है? वह आधार ही नहीं रह जाता है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि जब हम इस बात पर विचार करते हैं तो हमको बुनियादी बातों को नहीं भूलना चाहिये और इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि जब हम सदस्यों को माननीय सदस्य कहते हैं। तो वह उसका सम्मान ही है और उसी आधार पर सबका सम्मान होना जरूरी है। इसी आधार पर अगर हम काम करेंगे तो ऐसे सवाल नहीं उठेंगे और अगर उठेंगे भी तो बहुत आसानी के साथ हल हो जायेंगे। जहां तक इसका सम्बन्ध है मुझे थोड़ा खेद है कि इस मामले पर इतनी लम्बी बहस हुई क्योंकि जहां विशेषाधिकार कमेटी की रिपोर्ट यह होती है कि उसके खिलाफ कोई बात ऐसी नहीं हुई तो फिर उसके बारे में कोई लम्बी बहस नहीं होती है क्योंकि सदन को शौक नहीं है कि ऐसी बात पर कोई बहस करे। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सर्वसम्मति से यह रिपोर्ट मंजूर की जायगी।

श्री हरगोविन्द पन्त---मैं अब कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं समझता हूं।

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सदन माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के दिनांक १५ अक्टूबर, सन् १९५१ ई०, के प्रतिवेदन के पैरा ११ से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

बम्बई के साप्ताहिक "ब्लिट्ज" द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष---अब "ब्लिट्ज" साप्ताहिक द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश विधान सभा विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार होगा। कब्ल इसके कि मैं माननीय उपाध्यक्ष को इसके मुताल्लिक प्रस्ताव पेश करने के लिये कहूं मैं अपना फर्ज समझता हूं कि इस आदरणीय सदन को इस बात की इत्तिला दूं कि श्री होमी दीनशा मिस्त्री, जिनके खिलाफ इस आदरणीय सदन ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, बम्बई से गिरफ्तार होकर यहां लाये गये थे और उनको आज यहां पर पेश किया जाने वाला था। कल सुप्रीम कोर्ट के हुकुम से उनको रिहा कर दिया गया था और इसके साथ ही मैंने उनको एक नोटिस दिया था जिसमें इस बात की उनको सूचना दी गई थी कि यह प्रश्न आज इस आदरणीय सदन के सामने लाया जायगा और यहां उनको मौका होगा कि वह अपनी सफाई या जो भी वह इसके मुताल्लिक कहना चाहें वह यहां आकर कहें लेकिन मुझे यह इत्तिला देनी है कि वह इस आदरणीय सदन में नहीं आये हैं। इसलिये बदरजहा मजबूरी जो भी कार्यवाही हम करेंगे उनकी अदम मौजूदगी में ही वह कार्यवाही करनी होगी।

श्री खुशवक्त राय---मुझे इस संबंध में भी वही आपत्ति उठानी है और मेरी इस पर भी वही वैधानिक आपत्ति नोट कर ली जाय।

माननीय अध्यक्ष---मैं माननीय सदस्य की इसी तरह की वैधानिक आपत्ति पर आज ही निर्णय दे चुका हूं। इसलिये फिर उसी आपत्ति पर कोई निर्णय देने की जरूरत नहीं समझता।

श्री हरगोविन्द पन्त---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर जिस के अनुसार बम्बई के साप्ताहिक "ब्लिट्ज" द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना की गई है यह सदन विचार करे।

मैं संक्षेप में इस संबंध में सदन के सामने यह कहना उचित समझता हूं कि यह मामला "ब्लिट्ज" साप्ताहिक पत्र जो बम्बई से छपता है उसके २९ सितम्बर, सन् १९५१ के सफा २ पर छपा हुआ है। यह अखबार बम्बई में छपता है और उस के काफी ग्राहक उत्तर प्रदेश में हैं और

वह यहां पढ़ा जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उस अखबार के मजमून को देखते हुये और इस मामले में इस भवन का अपमान समझते हुये इसे विशेषाधिकार समिति के समक्ष उस के निर्णय और राय के लिये भेज दिया था। उस लेख का शीर्षक अंग्रेजी में छपा था कि "यू० पी० स्पीकर वीटोज डिसकशन आन "ब्लिट्ज" "इन असेम्बली" विशेषाधिकार समिति ने इस लेख पर अच्छी तरह से विचार किया और जिन शब्दों को उसने आपत्तिजनक समझा वह शब्द इस तरह से हैं--

"U. P. Speaker vetoes discussion on Blitz.

It is an open secret that instead of trying to set up healthy parliamentary traditions he (Nafisul Hasan) is looking to Pant for guidance in his decisions."

[उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष ने ब्लिट्ज पर चर्चा करने की आज्ञा नहीं दी।

यह एक स्पष्ट बात है कि वे (श्री नफीसुल हसन) निरुपाध संसदीय परम्परायें स्थापित करने का प्रयत्न करने की अपेक्षा अपने विनिश्चियों में पन्त के इशारों पर चलते हैं।]

यह शब्द खास तौर पर इतने अपमानजनक हैं कि इनके विषय में कोई दो राय नहीं हो सकतीं। इन शब्दों के विषय में जो कुछ वह कहना चाहते हों, इसका उत्तर देने और सफाई दाखिल करने का उन्हें नोटिस देकर पूरा मौका दिया गया लेकिन वह यहां उपस्थित नहीं हुये। विशेषाधिकार समिति ने अपना निर्णय दिया है कि यह लेख न केवल इस सदन के आदरणीय स्पीकर महोदय का अपमान है बल्कि सारे भवन का अपमान है। इसी के लिये आज फिर इस सदन के सामने प्रकाशक और प्रिण्टर को बुलाया गया था और आशा यह थी कि शायद वह अपनी सफाई भवन के सामने उपस्थित करें। कल शाम तक उनका मौजूद होना सिद्ध ही है और यह आशा होती थी कि वह शायद अपनी सफाई सदन के सामने आज उपस्थित करें। उनका सब से हाल का अंक जो छपा था उसमें यह कोशिश की गई थी और उसमें लिखा गया है कि उन्होंने अपने यहां के संवाददाता के द्वारा कुछ सफाई भवन के लिये भेजी थी पर उनके चुनाव में पड़े रहने के कारण उन तक नहीं पहुंच पाई और वह कहां चली गयी इसका अभी पतानहीं है। जो भी हो, वह आज इस सदन के सामने उपस्थित नहीं हैं। माननीय सदस्यों न इरिपोर्ट पर विचार भी किया होगा और अब प्रस्ताव है कि इस पर पूरे तौर पर विचार किया सजाय।

श्री त्रिलोकी सिंह--अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि जो प्रस्ताव मेरे मित्र माननीय उपाध्यक्ष जी ने पेश किया है मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं आपकी आज्ञा से इस आदरणीय सदन के नियम १७३ (६) के अन्तर्गत यह प्रस्ताव करूंगा कि इस प्रतिवेदन पर विचार स्थगित किया जाय। मेरा मंशा यह है, जैसा मैंने अभी दूसरे सिलसिले में कहा था, विशेषाधिकार के प्रश्न पर इस आदरणीय सदन को काफी सजग रहना चाहिये और साथ ही साथ बड़ी होशियारी से काम करना चाहिये। मुझे भय है कि जहां इस मामले में काफी सजगता बरती गयी जाहिरा जो उस अखबार में निकला और हमारे सामने आया उससे मेरे दिमाग में तनिक भी इस बात का संदेह नहीं है कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है। उसमें अध्यक्ष पर बिलकुल साफ़ साफ़ लांछन लगाया गया है। यह कहा गया है कि वह इस प्रदेश के चीफ़ मिनिस्टर की तरफ देखते हैं और उनके इशारे से काम करते हैं। लेकिन प्रिविलेजेज के मामले में जो कार्यवाही करने के हमारे नियम हैं उनकी पाबन्दी करना हमारे लिये बहुत जरूरी है। हमारे यहां के प्रिविलेजेज के मामले में जो क़ायदे हैं वे क़ानून हैं इस प्रदेश के। " They form part of the law of the land. " (वे प्रदेश की विधि के भाग हैं।) और इस आदरणीय सदन का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि उसके प्रिविलेजेज की कहां अवहेलना हुई है और उसकी क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन साथ ही साथ इसको भी नहीं भूलना चाहिये कि यदि हमारे नियमों की कहीं जरा भी अवहेलना हुई तो फौरन् अदालत बीच में आ जाती है। इस मामले में हमने यह देखा भी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई का हुकुम

[श्री त्रिलोकी सिंह]

दे दिया हालां कि वह हमारे वारंट पर यहां गिरफ्तार करके लाये भी जा चुके थे। मामला उठ गया एक्स्ट्रा टैरिटोरियल जूरिसडिक्शन (क्षेत्राधिकार से बाहर होने) का। वह यह था कि आया इस आदरणीय सदन को कार्यवाही करने का अधिकार है उनके ख़िलाफ भी जो इस प्रदेश के बाहर के रहने वाले हैं। प्रोरोगेशन (सत्रावसान) पर श्रीमन् ने अभी अपना फैसला दिया है, उसका कोई असर इस पर नहीं पड़ता है। मैं समझता हूं कि यह हालत न हुई होती यदि एडवोकेट जनरल (महाधिवक्ता) ने कमेटीको अपनी राय दी होती जो उनसे मांगी गई थी। मुझे इस बातका और भी दुख है कि सरकार ने भी इस सिलसिले में कोई सहयोग कमेटी को नहीं दिया। कमेटी की रिपोर्ट में मैं लिखा पाता हूं कि सरकार को भी चिट्ठी भेजी गयी ऐडवोकेट जनरल की राय के संबंध में लेकिन सरकार ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरे देशों में और विलायत में, अमरीका में जहां कहीं भी प्रिविलेजेज़ का प्रश्न आता है यदि सरकार के अफसरान पालिया-मेंट या असेम्बली को वहां सहयोग न दें तो ज़ाहिर है कि कार्यवाही के चलाने में पूरी सफलता नहीं होती। हमें दुख है कि इस प्रदेश की सरकार ने भी इस सिलसिले में लापर्वाही बरती। मुझे यक़ीन है कि अगर इस प्रदेश के ऐडवोकेट जनरल की राय कमेटी को हासिल हो गयी होती तो कमेटी अपना एक दूसरा रुख़ अख़्तियार करती।

मामला सुप्रीम कोर्ट में पेश है। हमें यह भी मालूम हुआ, श्रीमन्, आपके द्वारा कि बाव-जूद इसके कि मिस्त्री साहब को कल हुक्म दिया गया था कि आज मामला यहां पेश है लेकिन उन्होंने यहां आने की जहमत गवारा नहीं की। हमको यह भी मालूम है कि इस सिलसिले में जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है वह यह है कि उनको सख़्त से सख़्त सज़ा दी जाय, कारा-वास का दंड दिया जाय। मैं यह निवेदन करूं कि पिछले १०० वर्षों के अन्दर हाउस आफ़ कामन्स में किसी व्यक्ति को भी विशेषाधिकार की अवहेलना में कारावास का दंड नहीं दिया गया हालांकि अधिकार उनको है और इस आदरणीय सदन को भी है। तो कमेटी की ऐसी सख़्त रिपोर्ट के बाद एक तरफ तो उनका निश्चित मत है और दूसरी तरफ़ अदालत की काट पेच है। इसलिये मैंने यह निवेदन किया कि इस पर विचार स्थगित किया जाय। विशेषाधिकार की अवहेलना में इस आदरणीय सदन का कर्त्तव्य है कि अपने मान और मर्यादा को क़ायम रखने के लिये जो भी उचित कार्यवाही हो उसको अमल में लाये। मुझे इस बात का भी ज्ञान है कि एक असेम्बली में एक पार्लियामेंट में जो उसके विशेषाधिकार की अवहेलना होती है तो दूसरे सेशन में भी उस पर कार्यवाही की जा सकती है। यह नहीं है कि आज यह असेम्बली ख़त्म हो जाय तो जो नई असेम्बली मई मास में बनेगी उसमें इस विशेषाधिकार के प्रश्न को उठा कर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। हाउस आफ़ कामन्स में ऐसा तरीक़ा है, मेज़ पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में इसकी मिसालें दी गयी हैं--

"Contempts Committed during one Parliament were punished by another Parliament."

(एक संसद् की कालावधि में कृत अवमान का दूसरी संसद् की कालावधिमें दंड दिया गया।) इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न पर कोई जल्दी नहीं होनी चाहिये। लीगल ओपी-नियन (विधिक अभिप्राय) के अभाव में कुछ ऐसी कार्यवाही हो गयी कि सुप्रीम कोर्ट के लिये यह मौक़ा हुआ कि वह इस आदरणीय सदन की आज्ञाओं के निफ़ाज़ होने के बीच में दख़ल दें। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आज इस प्रश्न पर विचार स्थगित किया जाय।

नवाब मुहम्मद जमशेद अली खां--जनाबवाला, लीडर आफ़ दि अपोज़ीशन ने जो तक़रीर अभी ख़त्म की है मुझे उनसे पूरा इत्तफ़ाक़ है। मुझे भी अफ़सोस होता है यह मालूम करके जब मैं यह देखता हूं कि विशेषाधिकार कमेटी ने जब यह चाहा कि क़ानूनी तरीक़े से पूरा इत्मिनान हासिलकर लिया जाय और ऐडवोकेट जनरल की राय हासिल की जाय और उसके ऊपर गवर्नमेंट से दरख़्वास्त की गयी कि वह क़ानूनी राय हासिल करने में मदद दें, लेकिन यह देखकर कि वह सलाह उनको हासिल न हो सकी यक़ीनन यह चीज़ क़ाबिल अफ़सोस है। उसी के

साथ साथ में उनके एक एक लफ्ज से इत्तफ़ाक़ करता हूं कि इस हाउस की इज्जत और अजमत को क़ायम रखने के लिये हमें हमेशा पूरी कोशिश करनी चाहिये और कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिये जिससे इस हाउस की इज्जत में फ़र्क़ आये। बेशक जबकि मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के अन्दर ऐसी मिसाल मौजूद है, जिसकी बहुत सी मिसालों पर हम अमल करते हैं, कि अगर एक पार्लियामेंट का ज़माना खत्म हो गया है तो उस मसले को दूसरी पार्लियामेंट में लें और उसके ऊपर अपनी राय को दें तो मेरी राय बिल्कुल यही है कि इस मामले की अहमियत को देखते हुये, इस चीज को देखते हुये कि इसके कितने फार रीचिंग अफेक्ट (दूरगामी प्रभाव) हैं, अगर इसका फैसला इस वक्त वैधानिक राय न होने की वजह से मुमकिन नहीं है तो यकीनन आइन्दा जो असेम्बली का इजलास हो उसमें इस मामले पर पूरे गौर और फ़िक्र के बाद फैसला किया जाय।

श्री राजाराम शास्त्री--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष जी ने यह प्रस्ताव किया है कि इस पर विचार किया जाय और माननीय श्री त्रिलोकी सिंह जी ने यह संशोधन किया है कि इसका विचार स्थगित किया जाय। समिति की रिपोर्ट हमारे सामने है। इस मसले पर कोई हम अंतिम निर्णय करें उसके पहले मैं यह जरूर चाहता हूं कि इन तमाम बातों के दौरान में जो कुछ चीजें हमारे सामने आ गयी हैं और उससे जो पेचीदगी पैदा हो गई है और इस वक्त जो हमारी स्थिति है इस सब पर पहले गौर कर लिया जाय।

जिस समय यह मामला पेश हुआ अध्यक्ष जी ने उसको समिति के सामने सुपुर्द किया, समिति ने तमाम विचार करने के बाद अब भवन के सामने पेश किया है कि हम उस पर क्या करें। इस बीच में हमने देखा कि अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया और वह गिरफ्तारी के चंगुल से निकल भी गया। अब हम लोग विचार कर रहे हैं कि अपमान हुआ या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हमारी कार्यवाही बिल्कुल गैर क़ानूनी थी। हम अभी इसका फैसला कर भी न पाये थे कि उन्होंने अपमान किया या नहीं, इसका फैसला पहले हो गया कि हमने जो कुछ किया वह बिलकुल ग़लत किया। अध्यक्ष महोदय, सच मानिये, मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि इस वक्त हालत क्या है, इस वक्त मैं निर्णय करने वाला हूं या अपराधी हूं। मुझे काम सौंपा गया था कि मैं निर्णय करूं कि ब्लिट्ज ने ग़लती की है या नहीं लेकिन मुझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसा लगता है कि भवन ने ऐसे ढंग से गिरफ्तारी कराई कि वह खुद ही गैर क़ानूनी बात हो गई लेकिन फिर भी मुझे चाहे अभियुक्त समझें, चाहे न्यायाधीश समझें, जो कुछ भी हमारे सामने स्थिति है उस पर हमें स्पष्ट दृष्टि से विचार करना है।

सब से पहले, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट हमको दी गयी है, इस पर लिखा हुआ है, गोपनीय। यह "कांफीडेंशल" रिपोर्ट है। गवर्नमेंट अपनी इस रिपोर्ट को कांफीडेंशल (गोपनीय) समझती है और भवन के अन्दर सब को यह वितरित कर दी गयी है और मैं यह देखता हूं कि बाहर भी इसकी खूब चर्चा होने लगी है। तो ऐसी हालत में जब कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह प्रस्ताव पेश करते हैं कि इस गोपनीय रिपोर्ट पर विचार किया जाय तो सचमुच मेरी समझ में नहीं आता कि यह रिपोर्ट गोपनीय है या यह बिलकुल खुली हुई है। अगर इसको हम मान भी लेते हैं कि गोपनीय थी तो अब नहीं रही और वह हमारे सामने है और उस पर विचार करें।

माननीय अध्यक्ष--यह कमेटी की कार्यवाही थी मेम्बरान को इत्तिला के लिये, इसलिये उसे गोपनीय लिखा गया था। रिपोर्ट का हिस्सा गोपनीय नहीं है।

श्री राजाराम शास्त्री--मेरी अपनी राय यह है कि जिस चीज को गवर्नमेंट......

माननीय अध्यक्ष--इसमें गवर्नमेंट का सवाल नहीं है। यह असेम्बली सेक्रेटेरियट से आई है।

श्री राजाराम शास्त्री---बहुत अच्छा, लेकिन जब मैं अख़बारों को पढ़ता हूं तो देखता हूं कि बम्बई के अख़बारों में भी इसके कोटेशन (उद्धरण) आ रहे हैं । यह गोपनीय रही नहीं, यह सही बात है ।

किसी बात को करने के पहले अदालत यह करती है कि वह मुद्दई और मुद्दाइलय दोनों की बात सुनती है और उसके बाद अदालत फैसला करती है कि क्या निर्णय देना चाहिये । हम ऐसी चीज़ का फैसला देने बैठे कि न अभियुक्त हमारे सामने आया और न उसकी कोई बात ही हम सुन पाये । खैर, दुर्भाग्य है कि हमने कोशिश काफी की, लेकिन अभियुक्त चंगुल में नहीं आया । दोनों रिपोर्ट के पढ़ने से एक बात का फर्क मालूम पड़ा । जिन रिपोर्टों के संबंध में अभी हमने बहस की थी चन्द्रभानु गुप्त जी के बारे में और इसमें दोनों में एक अन्तर मालूम पड़ता है । उस रिपोर्ट में लिखा है कि जो दोनों लड़ने वाले फ़रीक़ थे उन दोनों को बुलाया गया था लेकिन इस रिपोर्ट में मुझे ऐसा मालूम होता है कि समिति ने ब्लिट्ज़ के सम्पादक को तो बुलाया था लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय को जिनका अपमान किया गया और जिनकी बात भी समिति को सुननी चाहिये थी उनको समिति के अन्दर नहीं बुलाया गया था । ऐसा रिपोर्ट के देखने से मालूम होता है । खैर, समिति ने बुलाया हो या न हो । उनका मान और अपमान हमारे भवन का मान और अपमान है और इसलिये हमें केवल इसी बात पर विचार करना है कि जो कार्य-वाही हमने की या ब्लिट्ज़ के सम्पादक ने जो कार्यवाही की वह कहां तक जायज़ है । कोई अभियुक्त जब मुसीबत में पड़ता है तो अपने वकील को बुलाता है और हुकूमत जब मुसीबत में पड़ती है तो अपने ऐडवोकेट जनरल को बुलाती है ।

इस मामले में यक़ीन मानिये सारी रिपोर्ट पढ़ जाइये मुझको तो अपनी समिति की दयनीय दशा पर तरस आया । तरस इस माने में आता है कि काम बड़ा गम्भीर है, समिति चाहती है, कि जल्द से जल्द कोई फैसला हो, ऐडवोकेट जनरल को बुलाया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि आप मुझे किस हैसियत से बुला रहे हैं । अगर ऐडवोकेट जनरल की हैसियत से मेरी राय मांगते हैं तो क़ानून विभाग की तरफ से मांगिये और अगर प्यारे लाल बनर्जी के नाम से मांगते हैं तो आप मेरी फीस अदा कर दीजिये । यह बात भी इस रिपोर्ट के अन्दर लिखी हुई है । हमारी समिति ने इसे आवश्यक समझा कि इस भवन की एक कमेटी जिसके हाथ में इस भवन के मान और अपमान का प्रश्न सौंपा गया वह अपने ही ऐडवोकेट जेनरल से राय मांगे कि इस मुसीबत के वक्त हमारी मदद करो तो ऐडवोकेट जनरल कहते हैं कि आप फीस लाइये तब मदद की जाय । हमारी कमेटी के मेम्बरों को गुस्सा आया और उसने कहा कि ब्लिट्ज़ के रिपोर्टर को भी समन (आहूत) किया जाय, ब्लिट्ज़ के सम्पादक को भी समन किया जाय और ऐडवोकेट जनरल को भी समन किया जाय । हमारी कमेटी का गुस्सा बिलकुल जायज़ था । लेकिन मुझे अफसोस यह लगता है कि कमेटी को गुस्सा तो जायज़ आता है लेकिन वह अपने को इतना कमज़ोर पाती है कि किसी तारीके से वह अपने गुस्से को काम में नहीं ला पाती । ऐडवोकेट जनरल ने राय नहीं दी । कमेटी को क्रोध आया । उसने हुकूमत को लिखा कि ऐडवोकेट जनरल ने राय नहीं दी । हुकूमत को देखिए कि चिट्ठी का जवाब ही नदारद । अब ज़रा सोचिये कि हमारी समिति बेचारी करे तो क्या करे ? ऐडवोकेट जनरल साथ नहीं देता, हुकूमत साथ नहीं देती । मुझे सारी कार्यवाही को पढ़ने और सुनने के बाद ऐसा मालूम पड़ा कि समिति यह महसूस कर रही थी कि जितनी जल्दी हो सके और जितना सख़्त से सख़्त ऐक्शन लिया जा सके लिया जाय और ब्लिट्ज़ के सम्पादक को जेल की हवा खिला दी जाये । इधर ऐडवोकेट जनरल यहां फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना चाहिये । हुकूमत चिट्ठी का जवाब नहीं देना पसंद करती । ऐसा मालूम पड़ता है कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त । समिति कहती है कि ऐडवोकेट जनरल को जल्दी से बुला लो हुकूमत जवाब देना पसन्द नहीं करती नतीजा यह है कि समिति का जो हाल होना चाहिये वही हुआ ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें बड़े अफ़सोस के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि समिति बेचारी को जब कोई राय देने वाला न मिला तो अपनी अक्ल से उसने

काम लिया। जल्दबाजी में जो काम होता है वह कभी अच्छा नहीं हुआ करता। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत जल्दबाजी की। इस मामले में, इस मुसीबत के वक्त जितनी जल्दबाजी हो सकती थी उतनी हमारी हुकूमत ने की। पुलिस को भेजा और जितने तरीके हो सकते थे बुलाने के वह किये गये। लेकिन इस मौके पर यह बात भी कहनी पड़ेगी कि हमारी नियत बिल्कुल साफ थी कि ब्लिट्ज के सम्पादक के साथ हम कोई अपमानजनक बर्ताव करने के लिये तैयार नहीं हैं और मैं समझता हूं कि कोई निष्पक्ष व्यक्ति मानेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि ब्लिट्ज के सम्पादक को जितना आराम दिया जा सकता था वह दिया गया। एक आदमी जिसको हुकूमत समझती है कि उसने माननीय सदन का अपमान किया हो, उसको कार्लटन होटल में ठहराया गया और ठहराया भी एक दो दिन के लिये नहीं, बल्कि पूरे एक हफ्ते तक।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द (शिक्षा मंत्री)--मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं बार बार कि "जिसको हुकूमत समझती है"। हुकूमत से क्या ताल्लुक इन बातों से? अगर कोई गिरफ्तारी की गयी तो वह इस माननीय सदन के हुक्म के मुताबिक और उसकी विशेषाधिकार कमेटी के हुक्म के मुताबिक। हुकूमत का नाम क्यों लिया जा रहा है?

श्री राजाराम शास्त्री--माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बहुत बड़ी गलती मेरी दुरुस्त कर दी और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यह दोबारा गलती कभी न हो। मैं सदन का नाम लूंगा। तो सदन की तरफ से जितना आराम दिया जा सकता था उतना आराम उनको दिया गया। मैं इस बात को केवल इसलिये कहता हूं कि आज जब सारे देश में इस बात का शोर मचा हुआ है कि गिरफ्तारी चोर और डकैतों की तरह से की गयी, गलत ढंग से की गयी, तो कहीं हमारे सदन के ऊपर कोई रिफलेक्शन (आक्षेप) न आ जाय, इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि जहां तक इस सदन का ताल्लुक था आपने काफी आराम दिया। लेकिन इस बात को नजर-अन्दाज नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से गिरफ्तारी बम्बई में की गयी और जैसा बर्ताव पत्र के सम्पादक के साथ किया गया वह चोर और डकैत के साथ भी नहीं किया जा सकता था। गिरफ्तारी की जा सकती थी, कोई उन्होंने चोरी नहीं की थी कोई डकैती नहीं की थी। अखबार में कोई चीज छपी उसके लिये गिरफ्तारी जरूरी थी, उनको आना चाहिये था, मैं मानता हूं। लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी की गयी कि सुबह का वक्त था जब कि दुनिया सो रही थी तब जा कर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। उनको कपड़े तक नहीं लेने दिये गये। अभी कई रोज पहले जो उनकी माता विधवा हुई थीं उनसे मिलने की प्रार्थना उन्होंने की कि मिलने का मौका दे दिया जाय लेकिन पुलिस ने उनको मौका नहीं दिया। बिना उनको माता से मिलाये हुये, बिना उनको जरा सा वक्त दिये हुये मोटर में बिठाकर रवाना कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ अफसोस और कुछ अपमान सा मालूम होता है यह कहते हुये कि जिस तरह की गिरफ्तारी हुई, अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में.....

श्री फ़खरुल इस्लाम--एक बात पूछना चाहता हूं कि यह जो अफसर गये थे, किस गवर्नमेंट के अफसर गये थे?

श्री राजाराम शास्त्री--लीजिये यह सवाल हमसे पूछा जा रहा है! यह सवाल किसी वकील ही का हो सकता है। मैं यह कह रहा था कि अगर अंग्रेजी हुकूमत का जमाना होता और इस तरह की गिरफ्तारी की गयी होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उधर के बैठने वाले एक एक व्यक्ति जमीन आसमान एक कर देते। लेकिन आज इस स्वतंत्र भारत में जिसके संविधान में दुनिया के सामने ऐलान किया गया है कि व्यक्ति की हम प्रतिष्ठा करते हैं, उसकी स्वतंत्रता की हम इज्जत करते हैं, उसके साथ आज इस तरह का व्यवहार होता है और इस प्रकार से गिरफ्तारी होती है। मुझे अफसोस है कि अभी तक उस गिरफ्तारी के बाद सारे देश के अन्दर जिस तरह की आवाज उठनी चाहिये थी, एक जाग्रत नागरिकों की तरह से आवाज उठनी चाहिये थी कि यह तरीका गलत है, वह नहीं हो सका। पर मुझे अफसोस है कि इस सदन का सदस्य होने के नाते मैं साफ कहना चाहता हूं कि ब्लिट्ज के सम्पादक

[श्री राजाराम शास्त्री]
ने हमारे अध्यक्ष को जो अपमानजनक शब्द कहे हैं उसके लिये मैं बेशक ब्लिट्ज़ की निन्दा करता हूं । लेकिन साथ ही साथ हमारे वारंट के बाद जिस तरीके से ब्लिट्ज़ के सम्पादक की गिरफ्तारी की गयी उसको भी मैं निन्दा करता हूं । सदन क्या करेगा मैं नहीं जानता ।लेकिन मैं ईमानदारी के साथ समझता हूं कि हमारा गौरव इसी में है कि सदन को भी यह बात स्वीकार करनी चाहिये कि बेशक हमारी यह मंशा नहीं थी और ब्लिट्ज़ के सम्पादक की जिस तरीके से गिरफ्तारी की गयी है वह गलत है। हम नहीं चाहते थे कि इस तरह से उनकी गिरफ्तारी की जाय। जिस तरह से कभी पहले विचार करते वक्त माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हमारे माननीय सदन का गौरव तभी बढ़ सकता है जब हम इसका अपमान बरदाश्त न करें । मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इस सदन का गौरव तभी बढ़ सकता है जब हमारा कोई अपमान न कर सके । लेकिन साथ ही साथ हम दूसरे की भी इज्जत करें। हम यह बरदाश्त नहीं कर सकते कि हमारा कोई दूसरा अपमान करे। लेकिन हम यह भी बरदाश्त नहीं कर सकते कि हमारी तरफ से किसी तरीके से किसी व्यक्ति का अपमान किया जाय । उन्होंने माननीय अध्यक्ष के लिये जो अपमानजनक शब्द लिखे उसकी मैं निन्दा करता हूं लेकिन हमारे वारण्ट को जिस तरीके से लागू किया गया एक व्यक्ति की जिस तरीके से बेइज्जती की गयी मैं समझता हूं कि वह भी गलत बात है और अगर भवन सम्पादक को सजा देना स्वीकार करता है तो उसके साथ ही साथ भवन को यह भी स्वीकार करना चाहिये कि हमारे वारंट पर जो गिरफ्तारी की गयी, वह गलत है उस पर हमें अफसोस है क्योंकि अब सवाल यह उठता है कि हमारे लिये रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सख्त से सख्त सजा दी जाय। जेल खाने की हवा खिला दी जाय। मैं ऐसे मौके पर केवल एक बात कहना चाहता हूं कि किसी को जेल खाने की हवा खिला कर या फांसी के तख्ते पर लटका कर किसी का बड़प्पन नहीं बढ़ सकता है । महात्मा गांधी का जीवन हमारे सामने है । बड़े से बड़े अपराध तक को सुधारने का उन्होंने एक ही तरीका सीखा किउदारता से भी दंड दिया जा सकता है । वह कारागार के और फांसी के ढंग से कहीं महत्वपूर्ण और उच्च हुआ करता है । दुनिया की तवारीख हमें यह सिखाती है कि चाहे आप किसी को फांसी पर लटका दें, या चाहे जेलखाने की सजा ही क्यों न दें उससे कभी दुनिया की बुराइयां दूरनहींहोंगी।

माननीय श्री चरण सिंह (कृषि-मंत्री)——प्वाइंट आफ़ आर्डर, सर। प्रस्ताव विरोधी दल के नेता का यह था कि आज इस विषय पर विचार स्थगित कर दिया जाय और माननीय सदस्य का जो व्याख्यान हो रहा है वह उन का उपदेश हो रहा है या सेल्फ कंडेमनेशन कहा जा सकता है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि जो प्रस्ताव श्री त्रिलोकी सिंह जी ने पेश किया है उस का वह समर्थन कर रहे हैं या उसका वह विरोध कर रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि उस नियम के अनुसार, जिसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जा चुका है, बहस बहुत संक्षेप में होनी चाहिए । आप जो कुछ कह रहे हैं बहुत लम्बा हो गया है, मुख़्तसर होना चाहिये । इसलिये उस नियम की अवहेलना है ।

माननीय अध्यक्ष——मैं यह समझता हूं कि इस वक्त एक प्रस्ताव माननीय उपाध्यक्ष का है। उस का एक संशोधन है कि इस पर विचार स्थगित किया जाय और माननीय उपाध्यक्ष ने कहा कि इस पर विचार कर लिया जाय। तो इस वक्त जो बातें माननीय सदस्य कहते हैं गालिबन जब यह प्रस्ताव मंजूर हो जायगा कि इस पर विचार किया जाय तो यह ज़्यादा अच्छा होगा। असल प्रश्न यह है कि इस पर विचार किया जाय या स्थगित कर दिया जाय । इस का निर्णय हो जाने के बाद उसकी तफसील में जाने की जरूरत होगी।

श्री राजाराम शास्त्री——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह चाहा था कि प्रस्ताव और संशोधन दोनों की बात जरा सामने रख दी जाय और आखिर में मैं यह कहूं कि मेरी राय क्या है। समर्थन में दोनों ही चीजें भवन के आगे रखने के बाद मुझे जरूर इस बात का अफसोस है कि माननीय कृषि मंत्री की समझ में यह बात नहीं आ रही है कि मैं प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहा हूं या संशोधन के पक्ष में बोल रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष---वह तो मैंने आपको बतला दिया कि जो असल प्रश्न है उसी पर आप बोलें।

श्री राजाराम शास्त्री---हां, उसी पर मैं बोल रहा हूं। यह जरूरी नहीं है कि हर चीज को पहले ही कह दिया जाय। मैं चाहता था कि पहले समझा दिया जाय, फिर कहा जाय कि मेरी क्या राय है। मेरा ख्याल यह है कि माननीय मंत्री महोदय समझने की गलत कोशिश करते हैं। यकीन मानिये कि उनकी समझ में शर्तिया आ गया होगा। अब तो बहस सिर्फ इसी बात पर होगी कि इस पर विचार किया जाय या न किया जाय। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि एक सही काम को गलत ढंग से किया गया है। इसकी सजा किसको मिलनी चाहिये। जो गलत काम करे उसको मिलनी चाहिये। इसलिये जहां तक उस चीज का ताल्लुक है कि हमारे सदन का और माननीय अध्यक्ष का अपमान हुआ इस पर जब बहस होगी तब मैं कुछ कहूंगा।

इस वक्त तो यह चीज चल रही है कि आया हम इस पर इस वक्त विचार करें या न करें जब अभियुक्त मौजूद नहीं है और कटघरा खाली है। ऐसे मौके पर यक़ीन मानिये कि इस बात की जरूरत है कि हम लोगों को इस बात की जानकारी हो जाय और माननीय अध्यक्ष महोदय आप सख्त से सख्त स्टेप्स (क़दम) लीजिये कि हमने जो सही क़दम उठाया था उसमें कौन सा व्यक्ति भवन में है जिसके गलत काम की वजह से भवन को अपमानित होना पड़ा। अगर उसका पता लग जाय तो उसी को उस कटघरे में रखा जाय। हमने जो सही निर्णय किया था उसमें उसके गलत काम की वजह से हमें अपमानित होना पड़ा। मामला सारे देश के सामने है, सुप्रीम कोर्ट के सामने है। हम जल्दबाजी की वजह से फंस गये। अब हम कोई ऐसी गलती न कर बैठें जिससे दुबारा अपमानित होना पड़े। मुझे ऐसा खतरा लगता है इसलिये मैं, संशोधन के पक्ष में हूं। उस रोज जिस तरीके से रिपोर्ट पेश की गयी थी और उसी समय प्रस्ताव भी पास कर दिया गया हम लोगों को पता तक नहीं लगा। ऐसी हालत में जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिये। आप, अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष भी हैं और अच्छे नामी गरामी वकीलों में से भी हैं। आप ऐसा काम कीजिये जिससे अब तक जो कुछ हुआ सो हुआ। लेकिन आयंदा कोई गलती न हो जिससे भवन को अपमानित होना पड़े। मुझे पूरी आशा है कि इस पर माननीय अध्यक्ष ध्यान देंगे। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और संशोधन का समर्थन करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो कुछ मैंने कहा है उस भवन भी समझ गया होगा और माननीय कृषि मंत्री भी समझ गये होंगे।

(इस समय १ बजकर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य---माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में इस भवन में विचार विनिमय हो रहा है उसके सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए इस भवन के माननीय सदस्य श्री राजाराम शास्त्री ने कुछ ऐसी बातें कहीं जो इस भवन की मर्यादा के विरुद्ध थीं। जो प्रतिवेदन उपस्थित किया गया है उसके पढ़ने से यह साफ प्रकट होता है कि ब्लिट्ज के सम्पादक को प्रिविलेजेज कमेटी (विशेषाधिकार समिति) की तरफ से बुलाया गया लेकिन उसकी अवहेलना की गई। उनसे जिस प्रकार की सहायता की आशा की जाती थी उस जांच के सम्बन्ध में वह उनसे नहीं मिली। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कई मसलों पर विचार करने के बाद यह निर्णय किया कि ब्लिट्ज के सम्पादक के साथ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये। जो काम प्रिविलेजेज कमेटी के सुपुर्द हुआ था उसमें कोई संदेह नहीं कि वह इस माननीय सदन के स्पीकर महोदय के विरुद्ध जो आक्षेप किया गया था वह उस भवन के ऊपर एक आक्षेप था और भवन की शान के खिलाफ था। इसमें संदेह नहीं कि ब्लिट्ज के सम्पादक ने इस सदन की मान और प्रतिष्ठा का ध्यान

[श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य]

न रखते हुए अपने अखबार में जो कुछ लिखा वह उचित नहीं था। ऐसी सूरत में जो कार्यवाही इस सदन के द्वारा की गई, उन्हें गिरफ्तार कराया गया वह तो नियम के अनुसार और जैसी हाउस आफ कामन्स की प्रैक्टिस है उसके अनुसार उचित ही थी। इस भवन को यह अधिकार है कि नियम के अन्तर्गत और हाउस आफ कामन्स की प्रैक्टिस के अन्तर्गत वह गिरफ्तारी का वारंट भेज सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कांस्टिट्यूशन की अनुच्छेद २२ के अन्तर्गत उसे छोड़ने का आर्डर दे दिया। अनुच्छेद २२ के प्रथम खंड में यह लिखा हुआ है--

"No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice."

[कोई व्यक्ति जो बन्दी किया गया है, ऐसी बन्दीकरण के कारणों से यथाशक्य शीघ्र अवगत कराये गये बिना हवालात में निरुद्ध नहीं किया जायगा और न अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित रखा जायगा।]

इसी अनुच्छेद के अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया। इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि जो गिरफ्तारी की गई वह अवैधानिक की गई थी, अथवा इस माननीय सदन ने जो अधिकार का प्रयोग किया वह किसी मानी में गलत था। गलती केवल इतनी ही थी कि गिरफ्तारी के बाद किसी मैजिस्ट्रेट के सामने उस्थित नहीं किया गया।

यह भी एक प्रश्न है लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होना चाहिये था इसलिये उस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। परन्तु इस भवन के माननीय स्पीकर द्वारा उन्हें रिहा करते हुए एक यह नोटिस भी दिया गया कि आज आपके मामले पर विचार होगा और उसके द्वारा उन्हें भवन में उपस्थित होने का आदेश भी दिया गया। यद्यपि वे रिहा हो गये थे, लेकिन फिर भी आज वे इस भवन के सामने उपस्थित नहीं हुए हैं और जब कि इस मसले पर उनके संबंध में यहां चर्चा हो रही है, उन्हें अपनी बातें कहने का मौका था। ऐसी सूरत में उन्हें अवश्य उपस्थित होना चाहिये था। मैं समझता हूं कि चूंकि वे आज उपस्थित नहीं हुए हैं इसलिये इस भवन को यह अधिकार है कि वह उनके विरुद्ध कुछ कार्यवाही करे या न करे इस पर वह विचार कर सके। इसके साथ ही साथ इस भवन के बहुत जल्द डिजोल्व (विघटित) होने का भी प्रश्न है।

नियमावली के अन्तर्गत अगर हम आज ब्लिट्ज के सम्पादक के विरुद्ध दंड का प्रस्ताव करें तो उसमें भी एक कठिनाई यह होती है कि हाउस जब डिजोल्व हो जायगा और अगर हम कारावास के दंड का निर्णय करते हैं तो वह अमल में भी आ सकेगा या नहीं और अगर आ सकेगा तो कितने दिन और कितनी अवधि के लिये वह हो सकता है। ये सब कठिनाइयां हैं। माननीय श्री त्रिलोकी सिंह जी ने इस प्रतिवेदन को स्थगित करने का संशोधन पेश किया है। अब एक सवाल यह भी पैदा होता है कि अब स्थगित करने के बाद अगली नई असेम्बली में फिर इस प्रतिवेदन पर विचार हो सकेगा या नहीं। हमें इस बात को भी सोचना होगा। मामला इतना आगे बढ़ चुका है और प्रिविलेजेज कमेटी के सदस्यों की राय इतनी अहमियत रखती है तथा और भी जो कार्यवाही हुई है उसको देखते हुए हमें एक निश्चय पर पहुंचना है कि इस भवन के मान की रक्षा किस प्रकार से हो। इसमें संदेह नहीं है कि जितनी पहिले कार्यवाही हुई है उससे यह बात तो स्पष्ट ही है कि ब्लिट्ज के संपादक ने जो अवहेलना की है नोटिस की तामील की गई और उसकी भी आज अवहेलना की है, उसके द्वारा उसने भवन के मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को ठेस

पहुंचाई है और उनके ऐसा करने की मंशा है। ऐसी स्थिति में मैं यह मुनासिब समझता हूं कि इस भवन को उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अवश्य करनी चाहिये।

जहां तक कारावास में भेजने के अधिकार की बात है हाउस आफ कामन्स में इसकी प्रेक्टिस है। इसके अतिरिक्त हमें फाइन (अर्थ दंड) करने का अधिकार हो तो उस पर भी विचार करना है लेकिन अगर जुरमाना करने का कोई ऐसा नियम नहीं है और केवल कारावास के द्वारा ही दंड देने का अधिकार है तो उस समय एक कठिनाई यह भी आ जाती है कि यदि हम इस समय यह निर्णय दें तो क्या हमें उन्हें गिरफ्तार करने का भी अधिकार है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—जनाबवाला, इस वक्त सजा के बारे में तो कोई प्रश्न ही नहीं है। सवाल तो यह है कि आया इस पर विचार किया जाय या नहीं।

माननीय अध्यक्ष—उसी पर विचार करने के लिये तो वे कह रहे हैं कि उस वक्त विचार कर सकते हैं या नहीं। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस भवन को तो यह अधिकार है कि उनको फिर से गिरफ्तार करा ले और उन्हें कारावास का दंड दे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस पर कोई असर नहीं पड़ता। इससे कोई बाधा नहीं पहुंचती कि हम उन्हें फिर गिरफ्तार करा सकें। वह तो केवल इसलिये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि उन्हें २४ घंटे के अन्दर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस (उपस्थित) नहीं किया गया। अगर हम इस निर्णय पर पहुंचें कि उन्हें कारावास का दंड देना चाहिये तो फिर उन्हें गिरफ्तार करा सकते हैं और उन्हें दंड दिया जा सकता है। लेकिन कठिनाई जो कुछ है वह यह है कि गिरफ्तारी कराने और इस हाउस के डिजाल्व (विघटित) हो जाने पर फिर किस प्रकार उस पर अमल हो सकेगा। इसलिये इस कठिनाई को देखते हुए मैं तो यह समझता हूं कि नया हाउस जो आने वाला है, अगर उसमें हम फिर इस प्रतिवेदन को उपस्थित कर सकें तो अवश्य हमें आज इस प्रश्न को मुल्तवी कर देना चाहिये और इस सम्बन्ध में दूसरे माननीय सदस्य या स्वयं माननीय अध्यक्ष महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अगला अधिवेशन जो आने वाला है अगर उसमें हम इस पर विचार कर सकते हैं, तब इसको स्थगित कर देना चाहिये।

श्री नवाजिश अली खां—अध्यक्षम महोदय, मैं ११ बजे से बैठा तमाम हाउस की प्रोसीडिंग्स को बड़े गौर से वाच (निरीक्षण) कर रहा था कि यह कार्यवाही जो कल सुप्रीम कोर्ट में हुई है उसका रिऐक्शन (प्रतिक्रिया) इस हाउस में क्या पड़ता है, और किस किस्म की कार्यवाही हम इस हाउस में करते हैं। लेकिन इस दौरान में आज बाज तकरीरें ऐसी हमारे हाउस में हुईं कि जिसने मुझको मजबूर कर दिया कि मैं इस वक्त आराम से न बैठूं, बल्कि इस वक्त मैं खुद अपना प्रोटेस्ट पेश कर दूं। इस वक्त यह केस जो हमारे सामने पेश है वह हिन्दुस्तान में अपनी नौइयत का पहला केस है और यह महज एक टेकनिकल प्वाइंट है जो किसी गलती से छूट गया है। इसमें कोई मेरिट की बात नहीं है। लेकिन यहां पर इस किस्म की तकरीर करना कि कटघरा ऐसे ही रह गया या यह हो गया यह ठीक नहीं है।

मैं समझता हूं कि आज हम लोगों के सामने यह पहला केस आया है और हमारे हर नक्ल व हरकत को पूरे तौर पर तमाम मुल्क में वाच किया (देखा) जा रहा है। इस तरह की तजलील व तहदीक तकरीरें करके इस भवन की प्रेस्टिज (प्रतिष्ठा) को मेरे ख्याल में हम बढ़ाने के बजाय उसे और कम कर रहे हैं। यह रिजोल्यूशन ६ तारीख को पास हुआ। जिस दिन यह रिज्योल्यूशन पास हुआ क्या उस दिन माननीय सदस्य की आंख नहीं खुली? क्या एक मिनट के अन्दर ही रिज्योल्यूशन पास हो गया? अगर उनको ६ तारीख को पता नहीं हुआ तो ७ तारीख को उसे मालूम कर सकते थे या बाद में भी सेक्रेटरी साहब से दरियाफ्त सकते थे। स्पीकर साहब से पूछ सकते थे। लेकिन इस किस्म की बातें कर-

[श्री नवाजिश अली खां]

आज के मौके पर जो कि पहला ट्रायल अपनी नौइयत का है, ठीक नहीं है। मेरा तो सिर्फ यह कहना है कि हाउस की जिन्दगी में यह पहला ऐसा मामला है जो कि गम्भीर मामला है। इस पर बहुत संजीदगी के साथ गौर करना चाहिये। जैसा कि मौर्य जी ने अपनी तकरीर में इसकी तरफ इशारा किया है उन्होंने इसको बढ़ाकर नहीं कहा। अगर वह बढ़ाकर इसको कहते तो मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं थी और मैं खड़ा भी न होता। जब वह इशारा करते हुये चल दिये तब मुझको जरूरत हुई कि इसके मुताल्लिक कुछ अपने ख्यालात का भी इजहार करूं और अपने ऊपर ज्यादा लगाम न लगाऊं।

दूसरी बात यह है कि यहां पर एक मंत्री महोदय ने यह कहा कि गवर्नमेंट का इससे कुछ वास्ता नहीं है। यह बात सही है। यह हाउस का मसला है, लेकिन मैं यह अर्ज करूंगा कि अगर गवर्नमेंट के कर्मचारियों का कोआपरेशन (सहयोग) हाउस को न मिले तो वह एक मिनट के लिये भी नहीं चल सकता। लिहाजा गवर्नमेंट का ताल्लुक इससे तो है ही। अगर यहां पर गवर्नमेंट की मदद न मिले तो कुछ नहीं हो सकता। और एसेम्बली उनसे इस तरह की मदद जरूर एक्सपेक्ट (आशा) करती है।

हाउस में यह पहली ही शुरूआत है। अगर किसी मामले में किसी मशविरे की जरूरत हो तो वह सरकार से मिलती है और बगैर उसके काम नहीं चल सकता। तभी पूरी तरह से काम चल सकता है। यह हमारी आजादी का नन्हा सा पौदा है उसको पानी से इस तरह से सींचना चाहिये कि जिससे वह बुलन्द होता जाय। मैं तो यह कहता हूं, जैसा कि मेरे दोस्त ने फरमाया है, कि यह एक ब्रीच आफ प्रिविलेज (विशेषाधिकार की अवहेलना) का सवाल है अगर उसमें किसी मेम्बर को या उस कमेटी को जो हाउस ने बनाई है पूरी मदद न दी जाय तो फिर मुश्किल हो जाता है। बहरहाल, यह सब गवर्नमेंट के सामने है उसमें मैं यह अर्ज करूंगा कि आपको इन प्वाइंट्स (बातों) पर निहायत सही और बहुत सोच कर कदम उठाना चाहिये ताकि हाउस मुतमइन रहे।

तीसरी बात यह है कि इस मामले को अगले हाउस में ले जाया जाय। यह बात मैं इसी मोमेंट में तो नहीं कह सकता। अगला हाउस इसको करने के लिये कम्पीटेंट (योग्य) होगा या नहीं कि वह इस केस को कर सके, वहां पर यही टेक्नीकल प्वाइन्ट उठ सकता है। लेकिन अगर वह कर सकता हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। महज हमसे जरा सी टेक्नीकल गलती हो गई कि हम उसको २४ घंटे के अन्दर पेश नहीं कर सके। किसी मुलजिम को २४ घंटे से ज्यादा बन्द नहीं रखा जा सकता है। यह ऐसी चीज है कि जिसको हर एक समझता है। जो २४ घंटे से ज्यादा डिटेन (निरोध) करने की बात है वह फंडामेंटल राइट से क्लैश (मौलिक अधिकार से विरोध) करती है। इसलिये मेरी यह गुजारिश है कि अगर कोई इन्सान हाउस की डिगनिटी (प्रतिष्ठा) को किसी तरह से लो (नीची) करता है या कोई इस तरह की चीज लिखता है जिससे इसको धक्का पहुंचता है तो उसके मुताल्लिक गौर करना जरूरी है। इसी तरह से मैं यह समझता हूं कि इस केस के मुताल्लिक भी जो सही और मुनासिब कदम हो वह उठाना चाहिये। इन चन्द अल्फाज के साथ मैं अपनी तक़रीर को खत्म करता हूं।

माननीय श्री हुकुम सिंह (माल मंत्री)—इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में काफी बहसें उस तरफ से भी और इस तरफ से भी हुई। वह काफी हैं। किसी को चाहे ताज्जुब हो हमारे भाई राजाराम शास्त्री की तकरीर पर, लेकिन मुझे जरा भी कोई आश्चर्य नहीं मालूम होता और मैं इस बात की भी जुर्रत नहीं कर सकता कि उन्होंने जो इतनी लम्बी चौड़ी तकरीर की उस का ज्यादा हिस्सा गैरमुताल्लिक था और क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय ने उनको आज्ञा दी और उन्होंने तकरीर की, लेकिन उनके पास वजूहात थे लम्बी तकरीर करने के

और मेरे पास वह वजूहात नहीं हैं क्योंकि मुझे अभी आइन्दा भी सदन में बोलने का मौका मिलेगा और उनका शायद आखिरी मौक़ा है। इसलिए मैं तो लम्बी चौड़ी बातों में नहीं जाऊंगा। मैं तो मुख्तसरन कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मेरे दोस्त ने फरमाया कि यह गिरफ्तारी चोरों की सी गिरफ्तारी हुई और उनको इस बात की शिकायत है। शाह लोगों की गिरफ्तारी कैसे होती है, यह मैं नहीं जानता। उनको इस बात की भी शिकायत है कि इस गिरफ्तारी के मुताल्लिक कोई एजीटेशन (आन्दोलन) नहीं हुआ। उनका शायद यह खयाल था और शायद यह ख्वाहिश रही कि इस बात पर सारे सूबे की ज़मीन आसमान एक कर दी जाती और देश भर की ज़मीन उलट दी जाती। उनकी बम्बई में गिरफ्तारी की गई और वहां से उन्हे आराम से हवाई जहाज से लाया गया, उसके बाद कार्लटन होटल में उनको रखा गया। तो क्या उन को जो इतना आराम से रखा गया और लाया गया, इसी से गिरफ्तारी ग़लत तौर से हुई? और कहीं चोर भी कार्लटन होटल में रखे जाते हैं? आपने आक्षेप करते हुये यह भी फरमाया कि यह कैसे हुआ कि प्रिविलेज कमेटी में यह मुद्दई का बयान नहीं लिया गया, यानी माननीय अध्यक्ष महोदय का बयान नहीं लिया गया। लिहाजा यह भी ग़लती शायद वह समझते थे कि समन या वारंट का प्रोसीजर जो...

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—मैं आपके जरिये से अर्ज करना चाहता हूं कि राजाराम शास्त्री साहब ने जो तक़रीर दी है उसी का जवाब माननीय मंत्री जी इस ढंग से दे रहे हैं।

माननीय श्री हुकुम सिंह—आखिर में आप समझे कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं अर्ज कर रहा था कि उन्होंने फरमाया कि माननीय अध्यक्ष का बयान नहीं लिया गया। प्रिविलेज कमेटी ने निहायत अक्लमन्दी से काम किया कि जो मुलजिम था उसको मौक़ा दिया कि तुम हमारे सामने या तो खुद आओ या बजरिये खत जो कुछ आपको कहना है इस न्यूज आइटम (समाचार) के मुताल्लिक़ आप कहिये। उनको इतनी खातिर से रखा गया। इस तरह की फैसिलिटी (सुविधा) उनको पहले ही दी गई कि वह खुद आ सकें तो आवें या खत के जरिये से लिख भेजें, लेकिन उस पर भी यह कहना कि भलमनसाहत नहीं बरती कहां तक मुनासिब हो सकता है। अगर उनका क़ानूनी फर्ज नहीं था तो अखलाक़ी फर्ज तो था ही कि जब उनको ऐसा मौक़ा दिया गया तो कम से कम २ आने का जो टिकट लगता है वह लगाकर कोई मुख़्तसिर सा जवाब दे देते लेकिन ऐसा करना भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। जहां तक माननीय अध्यक्ष का ताल्लुक़ है, उस न्यूज आइटम में साफ़ चीज मौजूद थी और क्या यह जरूरी था कि वह आकर विटनेस बाक्स में कहते कि हाउस की मानहानि हुई और तौहीन हुई है? इस चीज की जरूरत थी? आर्डर मौजूद, न्यूज आइटम मौजूद और दूसरा फ़रीक़ इसको एक्सप्लेन भी नहीं करता। कमेटी के सामने काफी मसाला था। कमेटी के लिये बिल्कुल ओपिन था कि वह अपने पूरे वाक़यात हाउस के सामने रख देती और रखा, ६ तारीख को अगर ग़ालिबन मेरी याददाश्त ठीक है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—७ को।

माननीय श्री हुकुम सिंह—७ को यह सवाल यहां आया। हमारे सब दोस्त मौजूद थे। बहुत कम ऐसे लोग थे जो ग़ैरहाजिर थे। हां, हो सकता है कि वक्त से पहले ही घर चले गये हों। सदन के सामने यह सवाल पेश हुआ और यह फैसला हुआ कि वारंट आफ एरेस्ट (गिरफ्तारी का अधिपत्र) जाना चाहिये। मुझे खुशी है कि मेरे दोस्त राजाराम जी ने या किसी और ने यह नहीं कहा कि सदन का यह फैसला ग़लत था। राजाराम जी सर हिलाते हैं। गोया वह इत्तिफाक़ करते हैं कि फैसला ठीक हुआ। इस सदन का अधिकार था और इसने कोई ग़लती नहीं की। हमें अख्तियार है और हमने

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

वारंट जारी कर दिया। अगर कोई टैक्निकल मिस्टेक (प्राविधिक त्रुटि) हो गई और वह छूट गये तो मेरे लायक़ दोस्त इतने परेशान हुये कि हम इस पर अब विचार भी न करें। ऐसे बुज़दिलों के लिये यहां जगह नहीं है। मैं साफ कहता हूं। हमने फैसला किया। हमारे सामने वह सवाल आया और टैक्निकल ओमीशन (प्राविधिक त्रुटि) का सवाल भी हमारे सामने आया। रिलीज़ का भी आर्डर हमारे सामने हैं। इसके यह मानी नहीं हैं कि अब हम इस पर विचार भी न करें। इतना परेशान तो नहीं होना चाहिये कि बस अब हम सोचेंगे भी नहीं। तो मैं तो यह अर्ज करूंगा कि इस तरह से काम करने से काम नहीं चल सकता। यह बिल्कुल इन्नोसेंट (सरल) प्रस्ताव है कि आइये, हम लोग जरा अब इस पर सोचें कि यह जो कार्यवाही आज तक हुई है और जब यह प्रस्ताव मंजूर हो जाय तब उसे अमल की शक्ल क्या हम दें और क्या स्टेप (कार्यवाही) लें। यह हमको और आपको तय करना है। जो बात आप इस सिलसिले में मुनासिब कहेंगे उसे मैं फौरन मान लूंगा। इस प्रस्ताव के बाद हमारे उपाध्यक्ष महोदय कोई न कोई शक्ल लायेंगे। अगर वह चीज नापसन्द होगी तो हम उसे नामंजूर कर देंगे और अगर माकूल बात होगी तो क्या वजह है कि हम उसे न मानें? हमारे नवाब साहेब ने भी कहा कि रिलीज़ हो गया और हमारा ऐक्शन ग़लत लिया गया। ठीक है, रिलीज़ हो गया। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, उसके हम पाबन्द हैं। लेकिन इसके यह मानी नहीं हैं कि हम और आगे कुछ विचार भी न करें।

इन शब्दों के साथ मैं श्री त्रिलोकी सिंह की तरमीम की मुख़ालिफत और उपाध्यक्ष जी के प्रस्ताव की ताईद करता हूं।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो तरमीम हमारे भाई त्रिलोकी सिंह जी ने पेश की है, मैं उसकी ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। लेकिन इसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैं वैसी तक़रीर नहीं करना चाहता जैसी कि भाई राजाराम जी ने की थी या हमारे माल मंत्री ने की थी। वाक़ई जैसा कि भाई नवाज़िश अली जी ने कहा, ऐसा नाच तमाशा पहले कभी देखन में नहीं आया।

यह कोई शोभा भवन की नहीं है जिस तरीक़े की यह दो तक़रीरें हुई हैं और न मैं उस तरह की कोई तक़रीर करना चाहता हूं। यह एक बड़ा अहम मसला है। इसमें ख्वामख्वाह के लिये गर्मी, बुज़दिली और बहादुरी का जिक्र लाना इससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखता है। भाई त्रिलोकी सिंह ने यह तरमीम पेश की, मैं समझता हूं बहुत सोच समझ कर पेश की और एक अच्छा मौक़ा दिया भवन को कि उस पर ग़ौर किया जाय। क्योंकि जो फैसला कल सुप्रीम कोर्ट ने किया और आज जो अख़बारों में आया हुआ, यह तो मैं जानता हूं कि इस भवन के सब सदस्य मानेंगे कि उससे इस भवन का काफ़ी अपमान हुआ। यह मानना पड़ेगा और हमको यह ग़ौर भी करना पड़ेगा कि यह अपमान इस भवन का और, अध्यक्ष महोदय इस भवन के साथ आपका भी हुआ, क्योंकि जो मैंने रिपोर्ट आज पढ़ी और जिस तरीक़े से वहां के चीफ़ जज ने रिमार्क्स आपके लिये और इस भवन के लिये पास किये वे कोई ऐसे नहीं थे कि जिनसे आपकी और इस भवन की शोभा बढ़ती। वाक़या यह है कि जिस वक्त प्रिविलेजेज़ कमेटी की पहली मीटिंग हुई मैं भी उसमें शरीक था। हर एक मेम्बर की राय थी कि जो ब्लिट्ज़ अख़बार ने लिखा है यह वाक़ई में डिफ़ेमेटरी (अपमानजनक) है और इसके ख़िलाफ कोई न कोई कार्यवाही होनी चाहिये।

मेरी पार्टी ने पहले से ही इस ब्रीच आफ प्रिविलेज (विशेषाधिकार की अवहेलना) के सवाल को उठाया। हम हमेशा यह चाहते थे कि इस भवन की इज्जत और विकार ऊंच होता जाय

और इसी वजह से हर एक की उस वक्त राय थी और वाक़या यह है कि इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं कि जो ब्लिट्ज़ अखबार ने लिखा वह जरूर इस भवन की शान को घटाने वाला और अध्यक्ष महोदय की शान को तो बहुत ही ज्यादा घटाने वाला था। लेकिन जहां यह राय थी वहां उसके साथ-साथ हर एक मेम्बर की क़रीब क़रीब यह राय जरूर थी कि उसमें कानूनी मशविरा ले लिया जाय। मैंने हार्निमेन के केस की मिसाल दी थी। वह बड़ा मशहूर मुक़दमा था, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वारंट जारी किया था लेकिन वाक़ई में यही फैसला हुआ कि जब तक वे यहां के जुरिस्डिक्शन (क्षेत्राधिकार) में न आ जायं गिरफ्तार नहीं हो सकते हैं। इसलिये मैंने उसकी तरफ़ तवज्जह दिलायी थी और यह कहा था कि कानूनी मश्विरा लिया जाय और माननीय श्री चरण सिंह ने भी मेरा समर्थन किया था। उसके बाद दो मीटिंगों में मैं शरीक नहीं हुआ, लेकिन बाद को जब मैंने यह रिपोर्ट पढ़ी उससे भी साफ जाहिर होता है कि हर एक की यह जरूर राय थी कि आला से आला कानूनी राय लेने के बाद कोई कानूनी कार्यवाही की जाय।

श्री नवाजिश अली खां—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर (मैं एक विधान का प्रश्न उठाता हूं)। क्या वह बातें जो प्रिविलेज कमेटी में हुई थीं, हाउस के अन्दर पेश हो सकती हैं?

माननीय अध्यक्ष—उसकी तफ़सील में नहीं जाना चाहिये। रिपोर्ट में जितना लिखा है उसी का जिक्र किया जा सकता है।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है उसके अलावा मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन रिपोर्ट के पढ़ने से यह साफ जाहिर है कि क़ानूनी मश्विरा नहीं लिया जा सका। क्या वजह हुई? ऐडवोकेट जनरल (माहधिवक्ता) की इसमें क्यों राय नहीं ली गयी, मैं नहीं जानता। तो यह जाहिर है कि जल्दबाजी से जरूर काम लिया गया। इसमें भी मेरा ख्याल है कि किसी को शक और सन्देह न होना चाहिये कि अगर कानूनी मश्विरा आला दर्जे का ले लिया जाता तो शायद यह नौबत न आती कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को कर दे। आज, जनाबवाला, ब्लिट्ज़ के एडिटर ने सुप्रीम कोर्ट में यही सवाल नहीं छेड़ा है कि उसकी गिरफ्तारी ग़ैर-क़ानूनी है बल्कि उसने यह भी लिखा है कि यह प्रिविलेजेंज कमेटी का इस तरह का जुरिस्डिक्शन बम्बई में है ही नहीं यह भी मसला अब ग़ौरतलब है। मालूम नहीं इसके ऊपर जजेज़ क्या फैसला देते हैं। मुमकिन है कि कल वह उसका फैसला दें, परसों दें या ६ रोज़ के बाद दें। आज हम फिर कोई फैसला कर लें और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यह फैसला करे कि यह फैसला अल्ट्रा वायरिस (अवैध) है और बिल्कुल ग़लत है। वह कोई इस सभा भवन की इज्जत को ऊंचा नहीं करेगा। जैसा कि मैंने कहा इस जल्दबाजी का यह नतीजा हुआ—हमारे भाई माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा कि इस सदन ने उस दिन पास किया और इत्तिफाक राय से पास किया कि वारंट जारी किया जाय। वाक़या है, जो वाक़यात हैं उनको छिपाने की भी जरूरत नहीं है। वाक़या यह है कि ७ तारीख़ को जब यह पेश किया गया तो लोगों के दिमाग़ में ख्याल था कि जब माननीय उपाध्यक्ष महोदय इस तरह का प्रस्ताव यहां पेश कर रहे हैं कि वारंट जारी किया जाय तो जरूर कानूनी मश्विरा ले लिया गया होगा। हर तरीक़े से इस अम्र को माननीय अध्यक्ष महोदय और दूसरे मुत्तबिरों ने भी गौर कर लिया होगा।

माननीय अध्यक्ष—वह मश्विरा ले लिया गया था।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—तभी तो माननीय उपाध्यक्ष ने पेश किया होगा क्योंकि यह तो हर शख्स की राय थी कि डिफेमेटरी (अपमानजनक) है। मगर अब रिपोर्ट पढ़ने से यह मालूम होता है कि रिपोर्ट में इस तरह की कोई रोशनी नहीं डाली गई है कि किस

[श्री गोपाल नारायण सक्सेना]

वक्त किस से मशिवरा लिया गया। जैसा माननीय अध्यक्ष ने कहा कि मशिवरा ले लिया गया था तो जरूर लिया गया होगा । यह मैं मानता हूं, फिर भी मैं कहता हूं कि अगर इस पर और ग़ौर खोज किया गया होता तो शायद यह नौबत न आती । इसलिये मैं आपके जरिये से दरख्वास्त करता हूं कि इस मसले पर पूरी तरह से ग़ौर करें और जो तजवीज सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है उसके ऊपर भी अब आपको कानूनी मशिवरा ले लेना चाहिये और जब यह जाहिर है कि यह सवाल दूसरी असेम्बली में उठाया जा सकता है जहां हमारे माल मंत्री जी बड़ी बहादुरी और बड़े जोरों से आये हैं ज्यादा जोरों से बोल सकते हैं और वहां वह रोशनी डालेंगे और जो कुछ भी सजेशन (परामर्श) देना होगा देंगे। इस वक्त मैं भी सदन का मेम्बर हूं, उस वक्त नहीं होऊंगा, उस वक्त उनकी जिम्मेदारी होगी । इस वक्त मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं और उस जिम्मेदारी को समझते हुये मैं कोई ग़लत राय देने के लिये तैयार नहीं हूं। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय से मेरी दरख्वास्त है कि जो संशोधन श्री त्रिलोकी सिंह ने पेश किया है उसको वह मंजूर कर लें और इस बहस को आज स्थगित कर दें ।

श्री बेचनराम गुप्त--मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रश्न पर विवाद बन्द किया जाय ।

माननीय अध्यक्ष--अभी तो कई माननीय सदस्य और माननीय मंत्री बोलना चाहते हैं ।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, ताकि किसी किस्म की कोई ग़लतफहमी न हो, मैं शुरू में ही कह देना चाहता हूं कि मैं उस संशोधन का विरोध करना चाहता हूं जिसको कि सदन के सामने श्री त्रिलोकी सिंह जी ने पेश किया है। इसके साथ ही इस विषय पर कुछ कहने के पहले मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैं श्री गोपाल नारायण सक्सेना से इस मामले में बिलकुल सहमत हूं कि ऐसे गम्भीर मसले पर हमको हंसी मजाक के साथ विचार नहीं करना चाहिये। चाहे हम किसी पार्टी के हों, किसी दल के हों, लेकिन यह एक गम्भीर सवाल है, भले ही हमारी बातों पर कोई खुश हो और कुछ लोग दाद दें, लेकिन हमें यह भी सोचना है कि कहीं ऐसा करने से हम हाउस की डिगनिटी (प्रतिष्ठा) को, उसकी शान को नीचे नहीं गिरा रहे हैं। यह हममें हर एक को सोचना चाहिये। हो सकता है कि गवर्नमेंट ने नालायकी की हो, गवर्नमेंट के कामों को क्रिटिसाइज (आलोचना) करें, मगर ऐसी बात किसी मेम्बर को नहीं करनी चाहिये जिससे कि सदन के किसी सदस्य की या सदन की किसी कमेटी की हंसी होती हो। उदाहरण के लिये श्री राजाराम जी ने कई ऐसी बातें कहीं उनको सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ और आश्चर्य इसलिये हुआ कि वह गम्भीर मसले पर गम्भीरता के साथ बोल सकते हैं और बोलते रहे हैं, लेकिन आज न मालूम किस रौ में उस तरीक़े पर बोल गये जिसकी कम से कम मुझको तो उनसे आशंका नहीं थी। जैसा कि अभी गोपाल नारायण जी ने कहा कि यह बात सही है कि ७ तारीख को जब हाउस के सामने यह रिपोर्ट पेश हुई तो हो सकता है कि मेम्बरों ने यह मान लिया होगा कि उपाध्यक्ष महोदय ने इस सम्बन्ध में कानूनी राय ले ली होगी। मगर यह कहना कि हमने जल्दी में पास कर दिया। बग़ैर सोचे समझे, यह हाउस पर रिफलेक्शन (आक्षेप) होता है कि हमने जल्दी में पास कर दिया और अपने फर्ज को अदा नहीं किया। फिर यह कहना कि हमारी प्रिविलेज कमेटी ने जिद की वजह से किसी खास आदमी के खिलाफ फैसला कर दिया कि उसको सजा दी जाय, जब कि उसमें सभी पार्टी के लोग थे और यह कमेटी का युनानिमस डिसीजन (निर्विरोध निश्चय) था, यह भी एक ऐसी बात है जो आमतौर से इस सदन को सदस्य नहीं पसन्द करेंगे।

अब जहां तक कि इस मुख्य प्रश्न का सवाल है यह बिलकुल सही है कि यह मसला हिन्दुस्तान में बिलकुल नया है। हिन्दुस्तान में कम से कम इसके लिए हमारे सामने कोई नजीर नहीं है। और मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस देखने से भी पूरे पूरे तौर से कोई केस मिलता नहीं है, क्योंकि बहुत सी बातें कनवेंशंस (प्रथाओं) पर होती हैं। इंगलैण्ड में कुछ उनके कनवेंशंस हैं, जो वहां के सदस्य और हाउस के अधिकारी भी जानते हैं। हमको उनका पूरी तरह से ज्ञान नहीं है। इसलिये बहुत सम्भव है कि शुरू-शुरू में हमसे कुछ ग़लती भी हो जाय। मसला हमारे सामने यह नहीं है कि गिरफ्तारी जो हुई वह ग़लत हुई या सही हुई। सवाल हमारे सामने यह है जैसा कि श्री गोपाल नारायण जी ने कहा कि वह सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने किसी वजह से राय देना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन मुमकिन है कि किसी न किसी दिन यह मसला कोर्ट के सामने आ जाय। तो यह मामला सबजुडिस (विचाराधीन) कहा जा सकता है। इसलिये जिस आजादी के साथ उसकी बाबत यहां राय जाहिर की गयी है मैं अपने को उतना आजाद नहीं पाता खास तौर से इसलिये कि वह अप्रासंगिक है। सवाल यह है कि हम आगे बढ़ें या न बढ़ें। जहां तक मैं देखता हूं कोई कारण नहीं है कि अपने काम को क्यों रोकें। गिरफ्तारी सही हुई या ग़लत हुई, आगे चल कर जो कुछ फैसला करें, उसके मातहत गिरफ्तरी की जरूरत होगी या नहीं होगी यह बाद का मामला है। इस वक्त सवाल यह है कि हाउस की प्रिविलेज को तोड़ा गया या नहीं तोड़ा गया। मैं देखता हूं कि इसमें कोई दो राएं नहीं हैं कि यह कंटेम्पट (अवमान) हुआ। अब अगर कंटेम्प्ट हुआ तो हाउस को उस मामले को डील करने का अख्तियार है।

जहां तक यह सवाल है कि कोई ग़ैर कानूनी बात न हो जाय पहली बात तो यह है कि मैं देखता हूं कि इस प्रिविलेज कमेटी में सात मेम्बरों में से चार वकील हैं। उन्होंने जरूर ग़ौर किया होगा। साथ ही जैसा कि माननीय स्पीकर ने कहा कि इस कमेटी के बाहर भी लीगल ओपीनियन (विधिक-अभिप्राय) उन्होंने ले ली थी। मिसाल के तौर पर मैं बतलाना चाहता हूं कि इसके पहले जब एक मसला हाउस के सामने पेश था तब उसमें लीगल रेमेंबरेंसर की राय ले ली गयी थी। मैं समझता हूं कि सदन इस बात को पसन्द करेगा कि मैं इसमें का कुछ हिस्सा पढ़ दूं।

श्री खुशवक्त राय--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि पूरा ही पढ़ दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

माननीय अध्यक्ष--हां, बहुत ज्यादा नहीं है।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--

"I have examined the points in issue in this matter. Under Article 194 (3) of the Constitution, the powers, privileges and immunities of a House of the Legislature of a State, and of the members and the committees of a House of such Legislature, shall be such as may from time to time be defined by the legislature by law and until so defined shall be those of the House of Commons of the Parliament of the United Kingdom, and of its members and committees at the commencement of this Constitution.

This may be interpreted to mean that this article lays down only the quantum of the privileges and immunities of a House. The word 'powers', however, may be given a little wider meaning

[माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

and may also include powers in all matters and also powers in the matter of privileges. The privileges and the powers of the House of Commons have not been codified but are based on precedents and are, therefore, to some extent elastic. It will take quite an appreciable time before powers and privileges develop by a process of evolution based on precedents. At present, however, the only guide is the powers and privileges of the House of Commons. In various cases which have come up before the House of Commons it has been held that libellous attacks on the Speaker or on members of the House pertaining to their duties *qua* the House amount to contempt of the House and can be made the subject of Commitment. The only point which requires consideration in the present matter is whether the House can exercise jurisdiction over the persons who do not reside within the state of U. P., but may be charged with the offence of committing a contempt of the legislature. Obviously this question could not arise in any case in the House of Commons which has been reported as there are no states forming any federation there and the question will, therefore, have to be decided on general principles.

A parallel may be found in cases dealt with by the various High Courts for contempts committed against them. The earliest case is that of the well-known journalist, the late Sir Surendra Nath Banerji. This case is reported in 10 Indian Appeals on page 171. The only observation in the judgment of reported case which is relevant is that a contempt by a libel published out of court is not included amongst the various offences under the Indian Penal Code and that such contempts are not punished under the Indian Penal Code or the Code of Criminal Procedure. Section 5 of the Code of Criminal Procedure will also not be of much avail in attracting provisions of the Criminal Procedure Code to such an offence. In a more recent case it has been held by the Calcutta High Court—1949 Calcutta, I. L. R. page 355, Onkar Mal *versus* Padampat Singhania— that the High Court is entitled to punish a person for contempt of its orders even though he was residing outside its jurisdiction, provided he was residing in the Dominion of India and that if a different view is taken, a person residing beyond the jurisdiction in the Dominion can always escape punishment, which could not be a reasonable view. Taking all the circumstances into consideration I am of opinion that it is open to the House to take action for its contempt or for the contempt of the Hon'ble Speaker or any member of the House against persons residing outside the State. It is also open to the House to send for the person charged for contempt in custody

to be produced before the Bar of the House by warrant issued. It is the duty of the State to which the warrant is sent to give all aid for the due execution of the warrant issued by the Speaker of the House. The punishment which the House can award can be enforced by the Speaker under the authority of the House and executive authorities shall be bound to carry out the directions of the House."

[इस विषय में विवादग्रस्त बातों पर मैंने विचार किया है। संविधान के अनुच्छेद १६४(३) के अधीन राज्य के विधान मंडल के सदन की, तथा सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जिनको विधान मंडल विधि द्वारा समय समय पर निरूपित करेगा और जब तक वे इस प्रकार निरूपित न होंगी तब तक वे उसी प्रकार की होंगी जिस प्रकार की संयुक्त राज्य के पालिया-मेंट के हाउस आफ कामन्स की, उसके सदस्यों की और समितियों की इस संविधान के आरम्भ होने पर थीं।

इसका निर्वचन इस प्रकार किया जा सकता है कि इस अनुच्छेद में सदन के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों की नियत मात्रा ही बताई गई है। 'शक्तियां' शब्द का व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें समस्त विषयों की शक्तियां और विशेषाधिकार के विषयों की समस्त शक्तियां भी सम्मिलित की जा सकती हैं। हाउस आफ कामन्स के विशेषाधिकार और शक्तियां विधिबद्ध नहीं की गई हैं किन्तु पूर्वताओं के ऊपर आधारित हैं और इसलिये कुछ हद तक नमनशील हैं। इसके लिये काफी समय अपेक्षित है कि शक्तियां और विशेषाधिकार पूर्वताओं के आधार पर विकास की प्रणाली से उन्नत हों। तो भी इस समय पथ प्रदर्शन के लिये केवल हाउस आफ कामन्स के विशेषाधिकार और शक्तियां हैं। बहुत से मामले जो कि हाउस आफ कामन्स के सामने आये उनमें यह बात मानी गई कि सदन के अध्यक्ष या सदस्यों का, जो कि सदन की हैसियत से अपना कर्तव्य पालन करते रहे, अवमान करना सदन का अवमान करना है और उन पर वाग्वद्धता का आरोप किया जा सकता है। वर्तमान विषय में केवल एक ही बात है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या सदन अपने क्षेत्राधिकार का उन व्यक्तियों के ऊपर प्रयोग कर सकता है जो उत्तर प्रदेश के राज्य के भीतर नहीं रहते किन्तु वे विधान मण्डल के अवमान की वाग्वद्धता के अपराध में लिये जा सकते हैं। स्पष्ट है कि यह प्रश्न हाउस आफ कामन्स के किसी मामले में नहीं उठ सकता था जो कि बयान किया गया है क्योंकि वहां कोई राज्य नहीं है जो किसी संघ का निर्माण करें और इस लिए यह प्रश्न साधारण सिद्धान्तों पर निश्चित होना चाहिये।

इसी प्रकार समानान्तर उन मामलों में भी पाया जा सकता है जो विभिन्न हाई कोर्टों ने अपने विरुद्ध अवमान के किये हैं। उनमें हाल ही का मामला प्रसिद्ध पत्रकार स्वर्गीय सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का है। इस मामले की रिपोर्ट १० इंडियन अपील के पृष्ठ १७१ पर छपी है। इस मामले में जो निर्णय हुआ उसमें संगत बात यह है कि कोर्ट के बाहर अवमान-लेख के प्रकाशन से जो अवमान हुआ, वह इंडियन पीनल कोड के अधीन बहुत से अपराधों में सम्मिलित नहीं किया गया और यह कि ऐसे अवमान इंडियन पीनल कोड या कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अधीन दण्डनीय नहीं हैं। कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन ५ ऐसे अपराधों की ओर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के आदेशों के आकर्षण में अधिक लाभप्रद नहीं है। एक अधिक हाल ही के मामले में १९४९ कलकत्ता, आल इंडिया रिपोर्टर पृष्ठ ३५५, ओंकार मल बनाम पद्मपत सिंहानिया—कलकत्ता हाई कोर्ट ने

[माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

निर्णय किया कि हाई कोर्ट को अपने आदेश के अवमान के लिए किसी व्यक्ति को अपने क्षेत्राधिकार के बाहर भी रहते दण्ड देने का अधिकार है किन्तु शर्त यह है कि वह भारतीय उपनिवेश में रहता हो और यह दूसरा विचार लेना कि कोई आदमी डोमीनियन के क्षेत्राधिकार के बाहर रहता है तो वह सदैव दण्ड से छुटकारा पाजाता है न्यायोचित नहीं है। समस्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए मेरी सम्मति है कि सदन को इसका अधिकार है कि यदि उसका या माननीय अध्यक्ष का या सदन के किसी सदस्य का किन्हीं व्यक्तियों ने अवमान किया हो और वे राज्य के बाहर रहते हों तो उनके विरुद्ध वह सदन कार्यवाही कर सकता है। सदन को इसका भी अधिकार है कि यदि किसी व्यक्ति पर अवमान का अभियोग लगाया गया हो तो वह उसको अपने अभिक्षण में रख सकता है और वारंट जारी करके सदन के बार के सामने प्रस्तुत कर सकता है। उस राज्य का भी जिसके पास वारंट भेजा जाय यह कर्तव्य है कि वह राज्य उस वारंट के सम्पादन में पूर्ण सहयोग दे जो कि सदन के अध्यक्ष द्वारा जारी किया गया है। वह दण्ड जिसको सदन देना चाहता है, अध्यक्ष द्वारा सदन के अधिकार से प्रवर्त्तन किया जा सकता है और कार्यपालिका-अधिकारी सदन के निर्देशों के पालन के लिए बाध्य होंगे।]

यह उनकी राय का पोरशन (अंश) है। इसके माने यह हैं कि स्पीकर महोदय ने जब सदन के सामने यह मसला रखा तो उनके पास लीगल ओपीनियन थी जिससे साबित होता है कि उनके बाहर रहते हुए भी उन पर मुक़दमा चल सकता है और वारंट इश्यू (जारी) हो सकता है और जिस स्टेट का तालुक़ हो उस स्टेट की ड्यूटी होगी कि वह हर तरह की मदद करे और हाउस जैसे चाहे वैसे सजा दे। हो सकता है कि इसके खिलाफ भी कोई दूसरी लीगल ओपीनियन हो। जैसा कि श्री गोपाल नारायण सक्सेना ने हार्नीमैन के केस का जिक्र किया है। दोनों किस्म की राय हो सकती है। लेकिन मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस मामले में काफी छानबीन कर ली गई है। इसलिये मैं समझता हूं कि हमारे पास काफी सामग्री है और कोई वजह नहीं है कि इस मामले को आगे न चलाया जाय।

श्री ई० एम० फिलिप्स---माननीय स्पीकर महोदय, मैं बहुत मुख्तसरन चन्द बातें इस मामले में कहना चाहता हूं। पहली बात तो जो मैं यह समझता हूं कि आपके नोटिस में और आपके जरिये से गवर्नमेंट के नोटिस में आनी चाहिये, वह यह है कि वह गल्ती जिसकी वजह से मिस्टर मिस्त्री मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं पहुंचे वह क्यों हुई। वह इसलिये हुई कि कुछ कायदे और कवायद जो गवर्नमेंट के बने हुये हैं उनके मुताबिक पाबन्दी नहीं की गई। जाब्ता फौजदारी के मातहत जो कुछ कायदे हैं, उसके बमूजिब कोई भी मुल्जिम जब पकड़ कर आता है और खासकर जब कि वह पुलिस कस्टडी में हो तो पुलिस आफिसर का काम है कि उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। यह बात क्यों रह गई। मैं नहीं कह सकता और न मेरी ख्वाहिश ही है कि मैं इसको और आगे डिसकस (चर्चा) करूं।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम---जनाब स्पीकर साहब, इस वक्त जो तजवीज इस ऐवान के सामने है वह सिर्फ इतनी है कि आया उस रिपोर्ट पर जो कि प्रिविलेजेज कमेटी ने दी है ऐवान विचार करे या न करे। मेरे दोस्त लीडर आफ दि आपोजीशन (विरोधीदल के नेता) ने यह तजवीज पेश की कि इस तजवीज को स्थगित कर दिया जाय। मैं यह समझता हूं कि उनका इस तजवीज को पेश करना उनके नजदीक किसी सही राय है और उसकी कोई कीमत हो सकती है, लेकिन मैं जब उस मामले को पूरी तौर पर अपने दिमाग में दुहराता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस वक्त ऐसा करना मेरे नजदीक इस ऐवान के लिये एक गलती होगी। जो मौका कि आज दरपेश है वह इस ऐवान की तारीख में इससे पहले कभी नहीं आया और

वह इतना अहम है मेरे नजदीक कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने उसकी सही और पूरी अहमियत को समझा नहीं है। वह बहुत अहम है। इस ऐवान के ग्रानरेबिल स्पीकर के मुताल्लिक़ एक अखबार में इस किस्म की बात कही जाय यह इस तमाम लेजिस्लेचर की इज्जत की जड़ों की बुनियाद को खोदकर फेंक देना है। बहुत ही ज्यादती की बात है जिस किसी ने भी की है। मुझे इसका अफसोस है कि ऐसा मौका आया और एक अखबार के एक डिप्टी एडीटर के खिलाफ इस ऐवान को इस किस्म की कार्यवाही करनी पड़ी। हो सकता है कि यहां के रहनेवालों को उस कानून से नावाकफियत हो जो कानून बगैर लिखा रायज है. मैं उससे वाकिफ़ न हूं और मुमकिन है कि मुझसे उसके अन्दर गलती हो जाय।

श्री ई० एम० फिलिप्स--मैं यह सोचता हूं कि इस बात की तरफ अफसरान की तवज्जह दिलाने की जरूरत है ताकि आइन्दा भी अगर ऐसा मौका फिर आवे तो ऐसी गलती न हो। इसके बाद दूसरी बात जो है वह यह है कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइण्ट आफ व्यू को सामने रखा जावे। ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइन्ट आफ व्यू (प्रशासन के दृष्टिकोण) को सामने रखने का मैं मश्शाक हूं लेकिन जब इस बात को देखना हो कि ऐडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ साद हो तो है और इस वजह से यह जरूरत है कि थोड़ी देर कर दी जाय तो देर करना बेहतर है बजाय इसके कि कोई जल्दी की जाय। मैं इन शब्दों के साथ अपनी राय यह पेश करना चाहता हूं कि बेहतर यही है कि ऐसी तरमीम को जो कि मेरे लायक दोस्त ने इस तरफ से पेश की है, मंजूर किया जाय बशरतेकि आइन्दा सदन को यह अख्तियार कुल्ली हासिल हो कि वह इस पर ऐक्शन (कार्यवाही) ले सकें और हुक्म मुनासिब सादिर कर सकें। इन शब्दों के बाद मैं बैठ जाऊंगा।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम--लेकिन मुझे उनके खिलाफ कुछ कहना नहीं है। मैं समझता हूं कि हर आदमी महसूस करेगा कि सब बातें कही गईं मुताल्लिक़ और गैर मुताल्लिक़ लेकिन जहां तक मैं समझा हूं मेरे दिमाग ने उसकी अहमियत को ग्रास्प (ग्रहण) नहीं किया और वह यह कि जब यह बड़े बड़े अखबारों में रेफर (निर्दिष्ट) किया गया, कमेटी बैठाई गई और कमेटी ने लिखनेवालों की खिदमत में बाजाब्ता तौर पर यह दरख्वास्त भेजी और उनसे इसके मुताल्लिक दरयाफ्त किया और यह मौका दिया कि वह तशरीफ लावें और जो कुछ भी कमेटी को उसके मुताल्लिक़ समझाना चाहते हैं वे समझावें, लेकिन उन्होंने उससे कोई फायदा नहीं उठाया।

एक पुराने मेम्बर होने के नाते मैं समझता हूं कि यहां लेजिस्लेचर का कुछ ज्यादा तरीका नहीं रहा है कि अखबारों की बातों को इस फ्लोर के ऊपर दोहराया जा सके। लेकिन इस सिलसिले में मुझे कहना पड़ता है, जो शायद कल की खबर है, किसी अखबार में इसके मुताल्लिक़ लिखा है कि वह रिप्रेजेण्टेशन उनकी तरफ से क्यों नहीं हो सका। लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि एक शख्स ने मुझे बुलाया और मैंने किसी वजह से दूसरे से कह दिया कि तुम जाकर मेरी तरफ से यह कह देना तो जहां मैंने उन साहब को यह इत्तिला दी थी वहां उस कमेटी को भी, जिसने मुझसे दरख्वास्त की थी, यह लिख सकता था कि फलां शख्स मेरी तरफ से आ कर वेरिफिकेशन देगा (सिद्ध करेगा)। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह उन साहब ने क्यों नहीं किया यह काबिले बहस नहीं है, न इस पर कोई बहस होनी चाहिये। खुलासा यह है कि उस कमेटी को जो इस हाउस ने बनाया था उसको कोई रोशनी इस मामले के मुताल्लिक़ उस तरफ से नहीं मिली। ऐसी हालत में उसने एक रास्ता, जो उसको रूल्स की रोशनी में था, अख्तियार किया। यहां से वारण्ट जारी हुआ। वहां पर गिरफ्तारी कैसे हुई इसके मुताल्लिक़ कुछ कहा गया, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। मगर इतनी बात जरूर अर्ज करूंगा कि इस हाउस का मेम्बर होने की हैसियत से मेरे दिमाग में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं किसी की शख्सियत पर जाऊं या उसके मुताल्लिक़ नुकताचीनी करूं। लिहाजा जो बातें कही गईं उनको छोड़ता हूं। यहां से वारण्ट जारी हुआ। वारन्ट गवर्नमेंट

[माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम]

ने नहीं भेजा, वरन् स्पीकर साहब ने हाउस के सामने दरख्वास्त पेश की। हाउस ने उसे मंजूर किया। उसके मातहत वह वारण्ट जारी हुआ। वारंट गया, वह गिरफ्तार होकर आया फेडरल कोर्ट के सामने मामला पेश हुआ और फेडरल कोर्ट के डिसीजन के सामने हुकूमत ने तरेइ तात खम किया और उसको छोड़ दिया। जहां तक इसका ताल्लुक़ है कि उनके साथ बरताव कैसा हुआ वह तो राजाराम जी ने बयान कर दिया। मुमकिन है उसमें हमने गलती की हो। स्टेशन पर आये तो लाने के लिये कार भेजी गई, कार में बैठ कर वह आये। कार्लटन होटल में ठहराये गये, जिसका बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड, बड़ा सुपीरियर होटल है। लखनऊ का सबसे बड़ा होटल है, जहां बमुक़ाबले और होटलों के सब तरह की सहूलियतें मिलती हैं। बहुत ज्यादा रिस्पेक्टिबल (प्रतिष्ठित) जगहों में समझा जाता है। पुलिस वहां रही हो, लेकिन उनके पास आदमी आते जाते रहे, जैसा कि उन्होंने खुद अपने बयान में कहा है। और किसी तरह से यह बात किसी के सामने नहीं आई, किसी की यह जुरअत नहीं हुई कि कोई यह कहे कि खुदा न खास्ता जिस इज्जत के वे मुस्तहक़ थे, उसको ख्याल में नहीं रखा गया। बल्कि उसका पूरा पूरा ख्याल रखा गया। जब उन्हें रिलीज का आर्डर दिया गया तो दुबारा अपनी तरफ से उनकी खिदमत में यह दरख्वास्त दी गई कि आपका मामला कल हाउस के सामने पेश है, आप तकलीफ फरमायें, वहां तशरीफ ले आयें। और उस मामले पर रोशनी डालें, लेकिन उससे भी उन्होंने हमें महरूम रखा। मैं नहीं समझ सका कि इसके क्या माने हैं यह क्या तरीका है? अगर किसी ने ठीक काम किया है तो उसके पास पूरी इखलाक़ी जुरअत होनी चाहिये, उसके पास कुव्वत होनी चाहिये कि वह आकर उस चीज का मुकाबला करे। अगर किसी से गलती हो गई है तो उस गलती को मान लेने में किसी को ज़रा भी गुरेज नहीं होना चाहिये। जब वे यहां लखनऊ में मौजूद थे, यहां ठहरे हुये थे और आज हाउस के सामने उनका मामला था तो वे भी हाउस की बात को सुन लेते और हाउस के सामने अपनी बात भी रखते। अब कहा यह जाता है कि इस मामले को मुल्तवी कर दिया जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि हमने इस बात की अहमियत समझी भी है या नहीं और यह कि उसके मुताल्लिक़ हमको क्या प्रोसीजर अडाप्ट करना है कि हाउस को जो प्रिविलेजेज मिले हुये हैं उनको कायम रखने का क्या जरिया हमारे पास हो सकता है। मेरे दोस्त फरमा रहे थे कि एक यह मसला भी सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया है कि चूंकि वे इस प्राविंस से आउटसाइड (बाहर) रहते हैं इसलिये उनको पकड़ा भी जा सकता है या नहीं। ठीक है, एक मसला यह भी है। लेकिन यह भी हो सकता है कि सवालों के मुताल्लिक़ दो रायें हो सकती हैं। किसी काम को करने का यह तरीका नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट को हम लिख कर भेजें कि हुजूरवाला यह सवाल पैदा हुआ है, हम इस मामले में जनाब से राय लेना चाहते हैं। हमको खुदा ने अक्ल दी है, थोड़े पढ़े हैं या ज्यादा पढ़े हैं हमको उससे काम लेना चाहिये। उसके लिये हमारे पास जो लोग मशविरे के लिये हैं, उन्होंने यह मान लिया है कि आउटसाइडर को पकड़ा जा सकता है। इसलिये जो एहतियात किसी काम को करने की बरती जा सकती है वह बरती गई। बाज साहबान ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह जो छोड़ने का फैसला दे दिया उससे इस हाउस की बेइज्जती हो गई, लेकिन मैं इसको बेइज्जती महसूस नहीं करता हूं। यह तो एक ईमानदारी की बात है कि किसी काम को करने में मामले की हकीकत तो देखकर कार्यवाही की गई। हमारी सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। हम उसके आर्डर्स की तामील करते हैं। उन्होंने जो राय कायम की है उसकी हम इज्जत करते हैं। यह तो सब लोग ही मानते हैं कि लोगों में इख्तलाफ राय हुआ करती है। दो वकीलों में, दो जजों में और दो हाईकोर्टों की राय में इख्तलाफ हुआ करता है। एक ही मसले पर एक हाईकोर्ट की एक राय होती है और दूसरे हाईकोर्ट की दूसरी राय होती है। वकील लोग इस चीज को बखूबी समझते हैं कि लोगों की राय में इख्तिलाफ राय हुआ करता है। किसी ने इस बात का एहसास नहीं किया कि एक आदमी हमारी इज्जत का एम्ब्लेम (प्रतीक) है उसके मुताल्लिक़ यह कहा जाय कि वह ईमानदारी से काम नहीं करता वह दूसरों के कहने से काम करता है। मैं कह सकता

हूं कि इस हाउस के लिये इससे जलील बात और कोई हो नहीं सकती। मेरे दोस्त यह कह रहे थे कि हम अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें, लेकिन मेरा कहना तो यह है कि वे अपनी जिम्मेदारी से बच कर निकल रहे हैं। मैं सोच रहा था कि मैं इस बात को नहीं कहता लेकिन उन्होंने खुद कहा, इसलिये कहता हूं कि वे तो खुद इस हाउस में आ नहीं रहे हैं। उनके आने जाने का मैं कतई जिक्र नहीं करता, लेकिन वे चाहते हैं कि जिस जमाने में वे इस हाउस के मेम्बर हैं उस जमाने में तो यह बात पैदा हुई, बहैसियत मेम्बर के वे उसमें बैठे, इस मामले में अपनी राय दी और फिर इसे मुल्तवी करा कर छोड़ कर चले जायेंगे और आगे आने वाले हाउस पर इसे छोड़ जायेंगे कि वह इस पर फैसला करे। मैं नहीं समझ सका कि फिलवाक़ै इसका मक़सद क्या है कि उसको स्थगित कर दिया जाय। इस बात को कहना कि जो कुछ कहा गया वह क्या कहा गया और उसके अन्दर क्या चीज है, उनके खिलाफ क्या होगा? क्या उनको सजा मिलेगी? यह तो एक दूसरा क्वेश्चन (प्रश्न) है। सब से बड़ा क्वेश्चन यह है कि जो बात कही गयी वह बात बिलकुल ऐसी है जिसको कंटेम्पट (अवमान) समझना चाहिये। इस हाउस में कुछ चीजों के मुताल्लिक़ हिस्टरी बनेगी जो कि रेकार्डेड (उल्लिखित) है। इस मसले के ऊपर यहीं से हिस्टरी शुरू होगी। हमको इस मसले पर सीरिअसली (गंभीरता पूर्वक) और विचारना है। यह जो मोशन पेश किया गया है वह सिर्फ इतना ही है उस रिपोर्ट पर विचार किया जाय। रिपोर्ट पर विचार करने का माने हैं कि मोशन प्रीमिलिनरी (प्रारम्भिक) है और हाउस को मंजूर करना है कि उस रिपोर्ट पर विचार किया जाय।

मेरी समझ में नहीं आता कि जब कि इस हाउस में इस पर विचार हो सकता है तब फिर वह इसको क्यों छोड़ दे कि उसे आगे लिया जाय। इसकी अहमियत को समझना चाहिये और हमें इस बात को महसूस भी करना चाहिये कि अखबार कहते हैं, आदमी भी कहते हैं, उनका बीच आफ प्रिविलेज (विशेषाधिकार अवहेलना) भी होता है, सारी चीजें दुनिया के अन्दर होती हैं, यह ठीक है और दुनिया का हर एक शख्स गलत और सही काम करता है। लेकिन इस किस्म की बातें, जिस किस्म की यहां कही गयी हैं यह मेरे नजदीक इतनी बड़ी बात है कि इसको यह करार देना कि रेज्योलूशन की बुनियाद पर फैसला हो यह वाक़ई कंडेमेबिल (निन्दनीय) बात है। यह कहा गया कि इसको स्थगित कर दिया जाय। तो इस मसले को स्थगित तो कतई नहीं किया जायगा। यह मोशन जो इस वक्त हमारे सामने विचार करने के लिये है उसे इस हाउस को पास करना है। मैं नहीं कह सकता कि नेक्स्ट स्टेप (अगली कार्यवाही) क्या होगा। हम इस पर जो कुछ भी अपनी राय देना चाहें वह दे सकते हैं। आखिर में मैं एक बात और अर्ज कर दूं कि कुछ साहबान ने यह भी कहा कि इस मामले में बहुत जल्दबाजी की गयी है। जिन्होंने यह कहा उनमें श्री गोपाल नारायण सक्सेना जी भी हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसका दूसरा स्टेज क्या था। इसमें किसी तरह की जल्दबाजी नहीं की गई है।

जिस वक्त से यह मामला रखा गया और जिस वक्त से हाउस ने कमेटी बनाई तो यह मामला उसके सुपुर्द किया गया। उसने क्या-क्या किस वक्त काम किया वह इसमें लिखा हुआ है। जिस वक्त हाउस ने यह हुक्म दिया कि वारण्ट भेजा जाय तो वहां पर वारण्ट भेज दिया गया। अगर यह जल्दबाजी है तो फिर और कितना इसके ऊपर गौर होता। हाउस का हुक्म था तब वारण्ट भेजा गया। इसी हाउस में इस चीज को लाना था क्योंकि यह हाउस खत्म होने वाला है अगले हाउस के लिये यह काम रह जाता यह मुमकिन नहीं था। वहां पर वारण्ट भेजा गया और वह वहां से गिरफ्तार होकर आये। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। तो उसके मुताबिक़ किया गया जो कुछ भी हो हम इस पर गौर करें और उसके बाद जो रेजोलूशन आवे उसके ऊपर गौर करें और सही राय कायम करें। पहले इसके ऊपर संजीदगी के साथ गौर कर लिया जाय। यह हाउस की जिन्दगी के आखिरी लमहे हैं। इस आखिरी वक्त में हमारे ऊपर ऐसा काम आकर पड़ा है, जिससे हम यह साबित करें कि वाक़ई हम ठीक मेम्बर

[माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम]

लेजिस्लेचर के थे और हमने अपने फरायज को अच्छी तरह से अदा किया जो कि हमारे ऊपर आयद होते थे। इस वास्ते जो मोशन हमारे डिप्टी स्पीकर साहब ने पेश किया है उसके मुताल्लिक़ मेरी दरख्वास्त है कि वह मंजूर किया जाय।

श्री अब्दुल बाक़ी---जनाबवाला, मैं इस तरमीम की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं इस राय का नहीं हूं कि इस मामले पर गौर करने में किसी तरह से जल्दबाजी की गयी। बल्कि मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो राय कायम की गई है और जो कार्यवाही की गई है उसमें तमाम चीजों को पेशेनजर नहीं रखा गया है। अब जो दिक्कत पहले थी उससे कई गुना दिक्कत पैदा हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया है। मेरे लायक दोस्त जो उधर से तकरीर कर रहे हैं उन्होंने यह नहीं बताया है कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या कदम उठाया जाय। सुप्रीम कोर्ट की पूरी तजवीज हमारे सामने नहीं है। जब तक हमारे सामने पूरी तजवीज न हो तब तक पूरी तरह से सही कदम उठाने के लिये गौर करना कुछ सही नहीं है। इसलिये क़ब्ल इसके कि हम कोई फैसला लें हमारे सामने पूरी पिक्चर होना लाजिमी है। नहीं तो उससे यह अन्देशा हो सकता है कि उससे कोई दिक्कत पैदा न हो जाय। मेरे उस तरफ के दोस्त यह समझते हैं कि जो दिक्कत थी वह हल हो गई है। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि इस हाउस के सामने किसी मुक़दमे को चलाने का और सजा देने का काफी और डिटेल (विस्तार) के साथ कोई प्रोसिजर (प्रक्रिया) मौजूद नहीं है। अगर हम ऐसी ही प्रोसीजर शुरू करें तो हमको सिविल प्रोसीजर से मदद लेनी पड़ेगी। यह कहना कि जो कन्वैन्शन्स (प्रथायें) हैं उनसे काम चल जायगा और वही काफी है यह गलत है। बहरहाल हम को मदद लेनी पड़ेगी पैनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल ही हुआ है और अब तक जो राय आई है वह पहले की है। उसके बाद किसी लायक दोस्त ने नहीं बताया कि क्या राय है। फिर भी जो साहबे राय हैं या जिन में क़ानूनी सलाहियत है उनसे इस फैसले के बाद राय ली गई है या नहीं? अभी किसी ने इस तरफ रोशनी नहीं डाली है। पहले बताया गया कि लीगल रिमेम्ब्रेन्सर की राय थी कि ऐसा किया जाय, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है उसके बाद हमारा काम किस नवइयत का होना चाहिये और हम क्या प्रोसीजर अख्तियार करें यह राय हमारे सामने अभी नहीं है। जो कुछ राय आप इस वक्त दे रहे हैं वह तो लीगल रिमेम्ब्रेन्सर की राय पर ही है। एक मर्तबा जब इन्सान को ठोकर लगती है, जहां उससे ओमिशन (चूक) होता है या उसने जहां फरो गुज़ाश्त की हो, वहां अगर वह फिर गौर कर ले कि कोई चीज छूट तो नहीं रही है तो बेहतर है। अगर हम उसी तजवीज को एडाप्ट करते (अपनाते) हैं तो इसके मानी हैं कि हमने क़ानून के दोनों रुख सामने नहीं रखे। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि उजलत की जा रही है, लेकिन आप पहले यह बता दीजिये कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई कानूनी मशवरा लिया है या नहीं और अगर लिया है तो वह क्या है। देखना है कि किस प्वाइण्ट आफ ला (विधि-बिन्दु) पर अब गिरफ्तारी हो सकती है। यह भी देखने की जरूरत है कि किस निजा पर दोबारा एरेस्ट या ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस पर भी गौर करना है कि जैसा श्री खुशवक्त राय जी ने कहा था कि इस तरह की तमाम कार्यवाही प्रोरोगेशन (सत्रावसान) के बाद लेप्स (निरस्त) हो जाती है। हालांकि इस पर हम को रूलिंग मिल चुकी है, लेकिन जब मामला बाहर जायगा तो वहां जिस तरह से कि एक काम हमने किया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला उस के खिलाफ दिया और इसी तरह से अगर यह रूलिंग जो हुई है कि प्रोरोगेशन के बाद.......

माननीय अध्यक्ष---मैं इसको कहने की इजाजत नहीं दूंगा और जहां तक इस सदन का ताल्लुक़ है इस रूलिंग को मानना ही है।

श्री अब्दुल बाक़ी---चूंकि अभी क़ानून के इस रुख पर मशविरा नहीं आया है इस वास्ते सही राय यही है कि इस तजवीज़ को इस वक्त मुल्तवी किया जाय और तरमीम

को मंजूर किया जाय और फिर आइन्दा मौका कब होगा यह तो जनाबवाला और उस तरफ के बैठने वाले ही फ़ैसला करेंगे और अगर लेना ही है तो फिर दोबारा कानूनी मशविरा लेने के बाद इसको लिया जाय। इन अल्फाज के साथ मैं इस तरमीम की मुआफ़िक़त और इस रिजोल्यूशन की मुखालिफत करता हूं।

श्री हरगोविन्द पन्त---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री त्रिलोकी सिंह जी ने पेश किया है उसके संबंध में केवल मुझे यह कहना है कि उन का जो अभिप्राय है वह इस बात से भी पूरा हो सकता है कि हम इस समय इस सदन की राय को जो रिपोर्ट आई है उस पर प्रकट कर दें और पनिशमेंट (दंड) के बारे में विचार करने के लिये भविष्य में इस बात को मुल्तवी कर दें। इससे उन का अभिप्राय पूरा हो सकता है। इस समय केवल इस पर विचार करने का प्रश्न है और वह विचार इस भवन में इतने समय से हो भी रहा है। कम से कम भवन की क्या राय है कि जो रिपोर्ट प्रिविलेज कमेटी ने भेजी है उस पर सदन को राय तो प्रकट होना ही चाहिये ताकि नैतिक समर्थन उस रिपोर्ट का भवन प्रकट कर दे। इसलिये मैं समझता हूं कि श्री त्रिलोकी सिंह जी अपने इस संशोधन को वापस ले लें तो अच्छा है।

श्री त्रिलोकी सिंह---अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र माननीय उपाध्यक्ष जी ने जो बात अभी फ़रमायी उसमें जो मैं चाहता था वही बात है लेकिन वे चाहते हैं कि मैं अपने इस संशोधन को कि "विचार स्थगित किया जाय" वापस ले लूं और इस लिये कि उनका प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद जो प्रस्ताव सदन पारित करेगा उसमें सजा के प्रश्न को उठा रखा जायगा। वह एक आगे की बात है, लेकिन मैंने जो कुछ कहा था वह यह था और वही मेरी दिक्क़त अभी है। मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी काम हो उससे इस आदरणीय सदन के विशेषाधिकारों को और उसके मान को ऊंचा किया जाय। मेरा जो प्रस्ताव था वह महज़ इसी नियत से था कि बहुत सोच समझ कर यह आदरणीय सदन जो कुछ भी कार्यवाही इस सिलसिले में मुनासिब समझता हो वह करे। माननीय उपाध्यक्ष जी ने जो फ़रमाया उससे यह मालूम होता है कि मेरे दिल में जो विचार था उसको आगे जो यह सदन फ़ैसला करने जा रहा है उसमें उसका लिहाज रखा जायगा। ज़रा सी दिक्क़त की बात है। मैं अगर उस प्रस्ताव की शक्ल देख लेता तो मेरे लिये बड़ा आसान हो जाता।

(माननीय सदस्य तथा कुछ अन्य सदस्यों ने उस प्रस्ताव को देखा।)

माननीय अध्यक्ष---माननीय नेता विरोधीदल ने मैं समझता हूं कि अब फैसला कर लिया होगा।

श्री त्रिलोकी सिंह---मुझे देर इसलिये हुई, श्रीमान्, आपकी सेवा में अर्ज़ करने से कि कई साथी चाहते थे कि उसे देख लें। यह प्रश्न ऐसा है कि इसमें सभी की दिलचस्पी है और इसलिये मैं आपसे दो, तीन मिनट की मोहलत चाहूंगा। श्री जमशेद अली खां साहब भी चाहते हैं कि उसे देख लें। मुझे इसका मौका नहीं मिला था कि मैं माननीय सदस्यों से इस संबंध में कुछ सलाह कर सकूं।

(कुछ ठहर कर)

अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव का मसविदा मुझे मिला उस पर इस आदरणीय सदन के कुछ सदस्यों से सलाह कर लेने के बाद मैं अब आपसे इस बात की इजाजत चाहूंगा कि जो संशोधन मैंने पेश किया था उसे वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर, जिसके अनुसार २६ सितम्बर, १६५१ ई०, के प्रकाशित बम्बई के साप्ताहिक "ब्लिट्ज" के प्रकाशक व मुद्रक श्री होमी दीनशा मिस्त्री, इस सदन के अध्यक्ष की मानहानि के अपराधी हैं, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

"ब्लिट्ज" के सम्पादक श्री होमी दीनशा मिस्त्री को सदन के अवमान का अपराधी ठहराने के सम्बंध में प्रस्ताव

माननीय श्री सैयद अली जहीर (न्याय मंत्री)—जनाबवाला, मैं चाहता था कि मूव करने के पहले कुछ अर्ज करता, लेकिन चूंकि यह गालिबन हाउस के हर हिस्से से मंजूर इस तहरीक के होने जा रही है लिहाजा कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मेरी तहरीक यह है। अभी तरजुमा नहीं हो सका है बाद में हो जायगा।

"This House accepts the finding of the Committee of Privileges dated 18th January, 1952, and adjudges Sri Homi Dinshaw Mistry to be guilty of contempt of the House and requests the Speaker to issue necessary process for his presence at the Bar of the House for receiving such punishment as the House may determine after hearing such submission as he may wish to make."

[यह सदन विशेषाधिकार समिति के १८ जनवरी, सन् १९५२ ई० के विनिश्चय को स्वीकार करता है और श्री होमी दीनशा मिस्त्री को सदन के अवमान का अपराधी ठहराता है और अध्यक्ष से प्रार्थना करता है कि वे उनके (श्री मिस्त्री के) सदन के "बार" पर उपस्थित होने के लिए और ऐसा दंड पाने के लिये, जो सदन उनके स्पष्टीकरण को, जो भी वह प्रस्तुत करना चाहें विचार में लेकर तय करें, आवश्यक आदेश जारी करें।]

इस तहरीक के जरिये से, जो रिपोर्ट कमेटी आफ प्रिविलेजेज की है वह मंजूर की जा रही है। सिर्फ यह कि क्या सजा उनको दी जावे यह इस वजह से मुलतवी किया जा रहा है कि वह आ करके जो कुछ उनको कहना है अपनी सफाई में वह उसको बयान कर सकें ताकि हाउस को मौका मिले कि फैसला कर सकें कि कितना और किस किस्म की सजा उनको दी जावे। चूंकि यह ला आफ क्रिमिनल जस्टिस का बहुत एलीमेंट्री रूल है कि किसी के एबसेंस (अनुपस्थित) में नहीं होना चाहिये, हालांकि यह जाहिर है कि मिस्टर मिस्त्री को आज के लिये हाजिर होने का हर किस्म का मौका था लेकिन उन्होंने अपनी किसी मसलहत की बिना पर आज यहां हाजिर होना पसन्द नहीं किया।

ऐसी सूरत में उन को एक मौका और दिया जाता है कि अब भी वह आना चाहें तो आकर के अपनी सफाई में जो कुछ कहना चाहें कह सकते हैं। इतना ही मुझको अर्ज करना है। मुझे उम्मीद है कि इस तजवीज को पूरा हाउस मंजूर करेगा।

श्री त्रिलोकी सिंह—अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय न्याय मंत्री ने अभी उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैंने इसी सिलसिले में जो विचार इस आदरणीय सदन में प्रगट किये थे उन का बहुत कुछ समाधान माननीय न्यायमंत्री के प्रस्ताव से हो जाता है। मैं इस सिलसिले में यह बात बिलकुल साफ निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक कि इस सदन की प्रिविलेजेज का प्रश्न है उन पर निर्णय देने का अधिकार सम्पूर्णतया इसी आदरणीय सदन को है। किसी दूसरी अथारिटी को नहीं है चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो और यह इस आदरणीय सदन का कर्त्तव्य है कि वह विचार करे कि अपने विशेषाधिकारों को कैसे सुरक्षित रखा जाय, उस सिलसिले में जो मुनासिब कार्यवाही वह अमल में लाये। साथ ही साथ मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जहां तक कि इस मामले का प्रश्न है जो कुछ ब्लिट्ज अखबार ने निकाला वह साधारण तौर पर ऐसा मालूम होता है कि उसमें स्पीकर महोदय के ऊपर कुछ आक्षेप किया गया है और यह इस प्रकार का आक्षेप स्पीकर का अवमान नहीं है, किसी एक सदस्य का अवमान नहीं है, बल्कि पूरे हाउस का

अवमान है और उसके विशेषाधिकारों की अवहेलना है और हमारा यह कर्त्तव्य है कि इस आदरणीय सदन के विशेषाधिकारों की रक्षा हर प्रकार से की जाय। मैं यह समझता हूं कि जब माननीय उपाध्यक्ष ने अपना प्रस्ताव पेश किया था तब उस समय इस बात का भी हवाला दिया था कि ब्लिट्ज अखबार में कुछ ऐसी खबर निकली थी, जिस समय कमेटी ने उनको नोटिस इश्यू (जारी) किया था कि वह आकर कमेटी के सामने सफाई दें तो उन्होंने ताकीद भेजी थी कि वह वहां जाकर कमेटी के सामने इस सिलसिले में सफाई दे दें। यहां तक उसमें लिखा हुआ था कि अगर इस सिलसिले में रेग्रेट एक्सप्रेस (खेद प्रकट) करने की जरूरत हो तो वह भी कर दें। मैं समझता हूं कि किसी जिम्मेदार अखबार को किसी भी नागरिक को इस बात की जैसे कि हम को इस बात की, फिक्र है कि इस सदन के विशेषाधिकारों की अवहेलना न हो, उसकी रक्षा हो, वैसे ही इस देश के जितने भी नागरिक हैं और अखबार हैं उन को भी हम से कम फिक्र नहीं है कि इस आदरणीय सदन के विशेषाधिकारों की रक्षा हो। उसका किसी प्रकार अवमान न हो। मैं मुल्तवी करने के प्रस्ताव के द्वारा यही चाहता था कि उस अखबार के जो मिस्त्री साहब हैं या जो भी हों उन को पूरा मौका दिया जाय कि वे इस सिलसिले में यदि कुछ कहना चाहें तो आकर कहें।

जो प्रस्ताव माननीय न्याय मंत्री जी ने पेश किया है उसमें इस की गुंजाइश रखी गयी है कि मिस्त्री साहब यहां आकर अपने सिलसिले में जो कुछ भी कहना चाहें वह कहें। उनको इस बात का मौका दिया जायगा। मैं इसमें यह भी अर्ज करूं कि साधारण तौर पर यह विचार है कि एक बार जब इस आदरणीय सदन ने यह फैसला दे दिया कि कंटेम्प्ट आफ हाउस (सदन का अवमान) हो गया तो अब उस फ़ैसले को पलटा नहीं जा सकता। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस आदरणीय सदन को पूरा अधिकार है कि मिस्त्री साहब को सुनने के बाद अपने उस फैसले को भी रद कर दे कि इससे कोई कंटेम्प्ट हाउस का नहीं होता है। तो यह कोई ऐसी बात नहीं है जैसा कि साधारण तौर पर समझा जाता है कि एक बार ऐसा फैसला हो गया तो उसकी कोई सफाई नहीं हो सकती। इस संबंध में हाउस के जो रूल्स (नियम) हैं उन में भी हर मौके पर गुंजाइश है कि आप का ऐसा निर्णय हो जाने के बाद भी यह आदरणीय सदन इस प्रश्न पर विचार करे और जो कुछ फ़ैसला करना हो वह करें।

इसलिये मैं जो न्यायमंत्री ने प्रस्ताव उपस्थित किया है उसका समर्थन करता हूं।

नवाब मुहम्मद जमशेद अली खां—जनाबवाला, जो तरमीम इस वक्त आनरेबिल मिनिस्टर आफ़ जस्टिस ने पेश की है मैं उसकी ताईद के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके पहले मैं इस सिलसिले में एक दो बात जरूर अर्ज करूंगा। बेशक यह चीज अच्छी तरीके से यहां पर तय हो जाने की जरूरत थी कि इस अखबार के इस फेल को और इस बात को जो उन्होंने आनरेबिल स्पीकर के सिलसिले में खयाल जाहिर किये हैं उसको निहायत नफरत की निगाह से हम लोग देखते हैं और इस काबिल समझते हैं कि वह सजा के मुस्तौजिब हैं। लिहाजा इस तरमीम के जरिये से यह चीज साबित हो चुकी है कि यह हाउस पूरे तौर पर मुत्तफिक है कि जो कुछ आनरेबिल स्पीकर के मुताल्लिक कहा गया है वह इस काबिल है कि जरूर कहने वाले को सजा मिलनी चाहिये और सजा के काबिल चीज है। लेकिन जैसा कि आनरेबिल मिनिस्टर आफ जस्टिस ने कहा है कि उनको फिर एक दफा मौका दिया जाय, गो उनको एक दफा मौका दिया गया था, लेकिन फिर मौका दिया जाय कि जो कुछ वह कहना चाहें, इस हाउस के सामने पेश करें हाउस को पूरा अख्तियार हासिल है कि जो सजा वह मुनासिब समझें इस सिलसिले में तजवीज करें।

यह सवाल मेरे खयाल में नहीं है कि जो कुछ हाउस ने राय तय कर ली है कि जुर्म सरजद हुआ उनकी जानिब से, इसके अन्दर दो रायें नहीं हो सकतीं और इस मसले पर दुबारा गौर नहीं किया जा सकता। अब तो देखना यह है कि वह क्या कहते हैं अपनी सफाई में और उनकी सफाई के बाद हमें यह तय करना है कि उनको क्या सजा दी जाय। यह मसला हरगिज

[नवाब मुहम्मद जमशेद अली खां]
तय करना नहीं है कि आया यह चीज काबिले इल्जाम थी या नहीं थी । यह मसला तो आज पूरे तौर से तय हो गया है कि हाउस इसको काबिले इल्जाम समझता है और मुस्तौजिब सजा समझता है जिसकी जबान से या कलम से इस किस्म के अल्फाज निकलें । सिर्फ यह मसला रह जाता है कि एक और मौका उनको सफाई का दिया जाता है और उसके बाद हाउस को यह तय करना है कि किस नौइयत की सजा दी जाय यानी सजा की तफसील तय करना है। इन अल्फाज के साथ में पूरेतौर पर इस तजवीज की ताईद करता हूं।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय न्याय मंत्री ने जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं । आप इस बात को शायद मानेंगे कि जिस दिन आपका चुनाव इस भवन के अन्दर हुआ था इस उच्च पद के लिये उस दिन भवन में सब तरफ से एक मत से प्रसन्नता जाहिर की गयी थी । इस बीच हममें से प्रत्येक ने इस बात का प्रयत्न किया कि आप की मान मर्यादा इस भवन की मान मर्यादा है। हमने इस भवन में न मालूम कितनी बार एक पार्टी ने दूसरी पार्टी की कड़ी से कड़ी आलोचना की, लेकिन यह हमेशा महसूस किया कि जहां तक आपके इस पद का ताल्लुक है हमारा हमेशा यह विश्वास रहा कि आपका हमेशा निष्पक्षता के साथ व्यवहार रहा है । गो हमारी पार्टी के लोग दो-चार ही सदन में रहे, लेकिन कभी भी हमने यह महसूस नहीं किया कि भवन के हुकूमत के पक्ष में बैठने वाला इतना बड़ा समुदाय किसी भी मौके पर कोई ज्यादती कर सके। इसका श्रेय मैं दे सकता हूं आपके निष्पक्ष होने का। हमने हमेशा इस बात को महसूस किया है और अब भी विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ब्लिट्ज ने जो कुछ निकाला उससे आपका और इस भवन का अपमान हुआ, इसमें दो रायें नहीं हैं। यह इलजाम लगाना कि जब कभी इस भवन के अन्दर कोई मसला आता है, उस वक्त आप स्वयं कोई निर्णय न करके सदैव हुकूमत की तरफ निगाह रखते हैं यह बात मुनासिब नहीं है। मैं मान सकता हूं कि कोई व्यक्ति भवन में न हो और उसे कोई शिकायत आप से रही हो और इस तरह से यह अल्फाज आप के लिये लिख दिया हो, लेकिन मेरा विश्वास है कि इस भवन में बैठने वाले माननीय सदस्य चाहे इधर के हों या चाहे उधर के हों हर व्यक्ति यह कहेगा कि हमेंशा आपने निष्पक्ष भाव से काम किया है।

मैंने भी जब ब्लिट्ज अखबार देखा मेरे ऊपर यह असर पड़ा कि वास्तव में अगर यह देखा जाय और सच्चे और ठंढे दिल से विचार किया जाय तो मेरा विश्वास है कि ब्लिट्ज के सम्पादक भी अपनी जगह पर शायद और शायद क्यों में यक़ीन से कह सकता हूं कि उनको भी वह चीज पसन्द नहीं है, क्योंकि उस अखबार में यह बात भी शाया हुई है क्योंकि उसी समय जब कि आप का खत ब्लिट्ज के पास पहुंचा उसी वक्त उन्होंने अपने लखनऊ के सम्बाददाता के पास लिखा और उसमें उन्होंने यह भाषा इस्तेमाल की कि वह यहां पर कमेटी के पास जायें और इस मामले में मिल कर बातें करके रफा-दफा कर लें । इससे मेरा अपना ख़याल यह है कि जहां तक ब्लिट्ज के सम्पादक का ताल्लुक था उसकी बातचीत से यह प्रतीत होता है कि उन्होंने भी अपने दिल में यह महसूस किया कि हमारे यहां एक ऐसी चीज छपी जो कि खत्म होनी चाहिये, तो उन्होंने अपने सम्बाददाता को लिख दिया कि तुम ऐसा करो। मेरे ख़याल में उनके दिल में यही असर रहा होगा और इसीलिये उन्होंने इस काम को किया होगा, लेकिन मैं इतनी गलती उनकी जरूर मानता हूं कि जिस तरह से उन्होंने अपने सम्वाददाता के पास लिखा अगर उसकी एक प्रति आपके पत्र के जवाब में आपके यहां भी भेज देते तो इस तरीके से इस कमेटी को शायद न करना पड़ता और शायद उसकी यह राय होती कि जहां तक ब्लिट्ज के सम्पादक का ताल्लुक है उसकी खेद भावना है और उसने भवन का अपमान करने की ग़रज से इसको नहीं छापा । मैं यह मानने के लिये अब तैयार नहीं हूं कि उन्होंने जिद से इसको लिखा होगा । हां, इसके लिये मुझे अफसोस है कि ब्लिट्ज के स्थानीय सम्बाददाता ने उस चीज को विशेषाधिकार समिति को नहीं पहुंचाया और वे इस गलतफहमी में थे कि बात आपको पहुंच गई और प्रिविलेज कमेटी के बिल

र यह असर पड़ा कि उनकी जिद है। जिस जिद की वजह से उन्होंने यह बात नहीं की और एक संघर्ष जिसे कहते हैं इस भवन के और ब्लिट्ज़ के सम्पादक के बीच में शुरू हो गया है। उसके बाद की जो घटनायें हैं व सारी एक मामूली सी खेद भावना के साथ सुलझाई जा सकती थीं। उसमें कटुता आ गई इसमें कोई शक नहीं है कि कल आपने एक मौका दिया कि वह इस भवन में आयें और सफाई दें और मेरा ख़्याल है कि भवन ने काफी मौका दिया। मैं समझता हूं कि भवन ने सही काम किया है। और आज भी इतनी सब बातों के बाद भी आपने उनको एक और मौका दिया। वह आज भी नहीं आये इसके लिये आदरणीय सदन ने कोई नाराजगी जाहिर नहीं की, बल्कि उनको फिर एक मौका दिया कि वह इस भवन के सामने आयें और अपनी बात कहें। हम चाहते हैं कि उनकी बातें सुनकरके ही सदन इस बात का फैसला करे कि वास्तव में क्या करना है। मैं अपने दिमाग़ में बिलकुल स्पष्ट हूं कि जहां तक इस चीज़ का फैसला है कि आपका और सदन का अपमान हुआ इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। अब सवाल यह आयेगा कि हम आगे का प्रोसीजर क्या अख़्तियार करें। इसके संबंध में मैं अदब के साथ यह अर्ज़ करूंगा कि सवाल बार-बार यह आता है कि उन्हींको यहां लाया जाय और उनको सुनने के बाद कोई फैसला करें। मैं केवल इतना चाहूंगा कि जो भी क़दम हम उठावें काफी सोच समझ कर उठावें। कहीं ऐसा न हो की असल मसला जो है वह तो पीछे रह जाय और क़ानूनी अड़चनों की वजह से दूसरे मसले हमारे सामने आजायें। अंत में मैं इस सदन के जरिये खासतौर से ब्लिट्ज़ के सम्पादक से अपील करूंगा कि जहां सदन बार-बार इस बात की सद्भावना दिखलाना चाहता है कि आप आवें, अपनी बात कहें और इस बीच में जो कुछ हो गया जिसकी वजह से एक कटुता सी आ गयी, मैं चाहता हूं कि सदन इस बात को नजरअन्दाज कर दे। जो एक जिद शुरू हो गयी थी और जिसमें वह सुप्रीम कोर्ट से छूट गये थे, उनके दिल में यह ख़्याल पैदा हो कि मेरे लिये जो कटघरा बना था वह खाली रहा और हम छूट गये। अब हम क्यों उसके अन्दर जा कर खड़े हों, ऐसा सोचना गलत है।

मेरा अपना ख़्याल है कि सदन ने एक सही क़दम उठाया है। कोई क्रोध से नहीं बल्कि सद्भावना से हमने यह मौक़ा दिया था, इसी तरह से मेरा विश्वास है ब्लिट्ज़ के सम्पादक उसे उसी माने में लेकर उस सद्भावना की क़द्र करेंगे और यह भवन उनकी बात सुने बिना कोई फैसला नहीं करना चाहता, लिहाजा उनका फ़र्ज़ हो जाता है कि वह अपनी बात आ कर कहें। मैं भी इसी बात पर जोर देना चाहता हूं क्योंकि हमारे देश की जो प्रजातंत्र की नींव है उसकी रक्षा करने के लिये जरूरी है कि हम इस सदन के अधिकारों की रक्षा करें और तभी हम प्रजातंत्र राज्य का गौरव बढ़ा सकते हैं। पत्रकार कला जो है उसकी भी उस गौरव के रखने में उतनी ही जिम्मेदारी है और यह गौरव तभी बढ़ सकता है जब किसी मुल्क की पत्रकार कला और व्यवस्थापिका सभा दोनों मिल कर सद्भावना से काम करें। जितनी जिम्मेदारी हमारी है कि हम इस सदन के अन्दर प्रजातंत्र की रक्षा करें, उतना ही मेरा ऐसा विश्वास है कि पत्रकारों का भी फर्ज हो जाता है कि वह भी इस बात का ख़्याल रखें कि जो आजादी उनको मिली है उसका वह दुरुपयोग न करें। सही तरीके की पत्रकारिता पर हमारे देश का भविष्य बहुत कुछ निर्भर है। जो कुछ दुखद घटनायें हुई हैं उनको नजरअन्दाज करके भवन ने जिस सद्भावना से रास्ता अख़्तियार किया है, ब्लिट्ज़ के सम्पादक भी उसे उसी रूप में लेकर एक उदाहरण पेश करें, ताकि ऐसी घटना न हो कि पत्रकार जगत् और भवन के बीच में कोई कटुता पैदा हो जाय जिससे हमारा देश एक ग़लत रास्ते पर चला जाय।

मैं आशा करता हूं कि जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसको उसी सद्भावना के साथ लिया जायगा जिस सद्भावना का इजहार इस सदन ने किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन बातों को हमने सही समझा वहां पर सही कहा और जहां गलत समझा वहां गलत कहा। लेकिन

[श्री राजाराम शास्त्री]

जो बातें मैंने कहीं उनका यह मंशा कभी नहीं रहा कि इस सदन के जो माननीय अध्यक्ष हैं, उनका जो उच्चासन है, उसकी मान मर्यादा के खिलाफ हों। हो सकता है कि मेरे शब्दों से कोई ऐसा माने निकाले लेकिन मैं यह समझता हूं कि भाषा में गलत शब्द का प्रयोग भले ही हो गया हो लेकिन जहां तक भावना का ताल्लुक है मैं आपको यक़ीन दिलाना चाहता हूं कि इस भवन की मान मर्यादा, गौरव की रक्षा करना हमारा सब का फर्ज है। उसी भावना को लेकर मैंने कहा होगा। इसी भावना से प्रेरित हो कर मैंने कहा और उसी भावना से प्रेरित होकर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इसी भावना को लेकर यह प्रस्ताव पास किया जाय, इसी में हमारे भवन का गौरव है।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई लम्बी तक़रीर करनी नहीं है लेकिन जब इस किस्म का मसला सदन के सामने आता है तो मैं समझता हूं कि दो चार लफ्ज कहने मेरे लिये भी जरूरी हो जाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जो प्रस्ताव माननीय न्याय मंत्री जी ने रखा है वह सबको मान्य है। हमारी सदन की कीर्ति और मान-मर्यादा को रखने के लिये यह जरूरी भी था कि हम सब इस तरह के मसले पर एक मत होते। जहां तक इस सदन की मान मर्यादा का सवाल है उसमें हम सब काम एक मत हो कर कर रहे हैं। क्योंकि वह किसी वर्ग या दल का सवाल नहीं है। वह तो हम में से कोई भी यहां हो, हर एक की जगह तभी कायम रह सकती है जब कि इस सदन की इज्जत और शान कायम रहे। अलग-अलग नजरियों से उन बातों को जो सदन की मान और मर्यादा से ताल्लुक रखती हैं देखना नहीं है बल्कि एक ही नजरिये से देखना है और मुझको वास्तव में इस बात का संतोष है कि यह जो प्रस्ताव इस सदन के सामने है वह सब को मान्य है और इस बात में सारा सदन एक मत है कि ब्लिट्ज में जो आक्षेप हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय पर किया गया है वह सर्वथा अनुचित है। इस बात को इस सदन का हर एक सदस्य मानता है और इस को मान कर इस बात को साफ कर दिया कि जहां तक इस मसले का सवाल है इस सदन के अन्दर कोई मतभेद नहीं है। इससे हमारी यह कतई इच्छा नहीं है कि ब्लिट्ज के साथ या किसी दूसरे के साथ हम अनावश्यक निष्ठुरता का व्यवहार करें। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे सदन की मर्यादा बनी रहे और इसमें हम सब को सहायता पहुंचाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा प्रेस भी स्वतंत्र बना रहे।

प्रेस हमारे देश में एक शक्तिशाली संस्था है और प्रेस की स्वतंत्रता के जरिये एक और तरह से हम शासन का काम करते हैं। जहां हम डेमोक्रेटिक संस्था के रूप में काम करते हैं वहां हमको इनसे अधिक सहायता मिल सकती है। किसी देश के प्रेस को शक्तिशाली होने के लिये और उसकी शक्ति को कायम रखने के लिये इस बात की जरूरत है कि वहां की व्यवस्थापिका सभा की शान और शुद्धता बनी रहे क्योंकि उन्हीं के जरिये प्रेस की भी स्वतंत्रता कायम रह सकती है। अगर उनकी शान नहीं रहती है तो प्रेस की भी स्वतंत्रता और आजादी में कमी आ जाती है उनके भी नीचे एक खाई खुद जाती है। इसलिये दोनों का एक ही उद्देश्य होना चाहिये कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हो, हरएक की शान कायम रहे। एक दूसरे का अनादर करना अच्छा नहीं है। समालोचना करना एक बात है लेकिन किसी के खिलाफ यह कहना कि वह शख्स स्वतंत्रता से काम नहीं करता है यह उचित नहीं है यह किसी को जंचा नहीं देता। कितने ही जोरदार शब्दों में कोई बात कही जाय मगर इस क़िस्म की बात कही जाय जिससे दूसरे की ईमानदारी, बेलाग काम करने, शुद्ध विचारों से काम करने पर आक्षेप हो। तो वह सर्वथा बेजा और अनुचित है। इसलिये यदि इस सिलसिले में स्पीकर साहब को कोई कार्यवाही करनी पड़ी तो कोई व्यक्तिगत रूप से उसका जात का सवाल नहीं है, बल्कि इसलिये कि इस सदन की जो कुछ भी शान है वह पूरी तरह से यदि कायम न रहे तो फिर इस सदन की बातों का जनता पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ सकेगा। हमारा काम चाहे कितने ही अच्छे ढंग से किया जाय उनमें गलतफहमी पैदा हो सकती है। इसलिये यह सिर्फ इस गरज से नहीं कि किसी को खास दंड देने का कोई विचार हो, बल्कि आइन्दा जो काम हो उसके लिये यह जरूरी हो जाता है और असल में इस बात के

लिये अब हम सब को ज्यादा सजग रहना है क्योंकि इधर बहुत जगह के अखबारों में बाज वक्त ऐसी बातें आ जाती हैं कि जिनसे फायदा किसी का नहीं होता और हम सब का स्तर कुछ नीचे गिरता है। इस तरह की चीजें बन्द होनी चाहिये। समालोचना कड़ी से कड़ी हो, इसकी बात नहीं है लेकिन जातिगत आक्षेप, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होना चाहिय। गैर ईमानदारी से उनके ऊपर हमला होना यह ठीक नहीं है।

जहां तक कि सारे सादन का ताल्लुक है, सदन के जो सर्वोच्च अधिकारी यहां के अध्यक्ष हैं, अगर उनका अपयश किसी तरह से किया जाता है तो फिर यह जरूरी हो जाता है कि इसके ऊपर कार्यवाही की जाय। इस संबंध में अगर कोई बात की गयी तो वह काफी सहिष्णुता और सब्र के साथ की गयी। पहले नोटिस दी गयी, उसके ऊपर जब वह नहीं आये तो फिर नोटिस दी गयी। फिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, उसके ऊपर मुझे कुछ कहना नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कानूनी मसले के बारे में इस हाउस में कोई वाद-विवाद करना उचित नहीं है। उसके बाद आज उनको फिर बुलाया गया। लेकिन वे नहीं आये। मगर फिर भी यह समझा गया कि एक मौका और दिया जाय और अगर वे नहीं आवेंगे तो हमारा हाथ तो खुला हुआ है। जो हम आज कर सकते हैं वह फिर बाद में भी कर सकते हैं। मगर वे फिर इस बात की शिकायत नहीं कर सकेंगे कि उनके साथ फय्याजी का बर्ताव नहीं किया गया। और हम यह दिखलाना चाहते हैं कि हम सिर्फ इंसाफ करना चाहते हैं बल्कि एक भलमनसाहत का व्यवहार भी करना चाहते हैं। अगर इस पर भी वे ऐसा करें तो फिर इस हाउस की कोई कोताही नहीं होगी और इसके लिये फिर वे ही जिम्मेदार रहेंगे। इस बारे में कोई शुबहा नहीं है कि हाउस के माने यह है कि हमारी असेम्बली जो आज है, अगर इस बीच में बदल जाय, जब तक कि यह मामला तय न हो डिजाल्व (भंग) हो जाय या प्रोरोग (अनिश्चित काल के लिये बैठक थगित) हो जाय तो फिर असेम्बली जो होगी उसको भी यही अधिकार होगा जो कि आज की असेम्बली को है। जो कार्यवाही इस संबंध में की गयी है उस जगह पर हम रुकते हैं तो फिर जो दूसरा हाउस बनेगा वह इसके लिये जिम्मेदार होगा और उसका यह फर्ज होगा कि उसको आगे बढ़ाये और उसके मुताबिक अमल करे। इस बारे में मैं समझता हूं कि यहां कोई किसी तरह का शुबहा नहीं है और न इख्तलाफ राय है, इस खयाल से इस तजवीज को पेश कर रहे हैं।

मुझे इस सिलसिले में यह कहना है कि जहां तक सदन का, स्पीकर का और गवर्नमेंट का ताल्लुक़ है किसी तरह से मिस्त्री साहब, ब्लिट्ज के सम्पादक और सहायक सम्पादक को तकलीफ पहुंचाने का इरादा नहीं था। उनको एक बहुत अच्छे होटल में रखा गया और जो भी उनसे मिलना चाहता था उनसे मिलने का मौका दिया गया, उन्हें बाहर घूमने की भी इजाजत दी गयी। तो मैं नहीं समझता कि उनके साथ कोई ऐसी बात हुई हैं जो अपमानजनक या तकलीफदेह हो। यह अफसोस की बात जरूर है कि उनको बम्बई से यहां लाना पड़ा लेकिन लखनऊ भी एक अच्छा शहर है। दो चार दिन के लिये यहां आना कोई बात नहीं है हवाई जहाज से आने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगा। मगर इसकी भी जिम्मेदारी हम पर नहीं हो सकती है। अगर पहली मर्तबाही वह आ जाते या कुछ लिख कर ही दे देते कि हम फलां तारीख को आवेंगे तो भी उनको यह तकलीफ नहीं उठानी पड़ती और हमें भी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। मगर मजबूर हो कर इस किस्म की कार्यवाही करनी पड़ी जिससे उनको तकलीफ पहुंची। जो कुछ भी तकलीफ हुई है उससे मैं समझता हूं कि आयन्दा वह समझेंगे कि ऐसे मामले में फौरन् ही कुछ न कुछ जवाब दे देना बेहतर है और उसमें किसी तरह की ढिलाई या कोताही करना कोई फायदेमन्द बात नहीं है। जहां तक इस मसले का सवाल है वह तो साफ कर दिया गया है। उनको मौका दिया जायगा और उनको जो कुछ मौका दिया जा रहा है उससे वह फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अगर वह भी न चाहें तो स्पीकर साहब को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वे उनको मौका दें कि जिससे यहां पर अपने स्पष्टीकरण के लिये आ सकें। यह एक मानने के लायक़ बात है और सब ने इसको माना है। लीगल रिमेम्बरेन्सर (सरकारी कानूनी अधि-

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

कारी) की जो राय थी वह तो आपके सामने रख दी गई । मैं उम्मीद करता हूं कि इसका "ब्लिट्ज़" पर असर होगा और यहां पर उनके साथ जो हमदर्दी जाहिर की गयी है उसका उनको खयाल होगा । इस सदन के सब माननीय सदस्यों की यह राय है कि जो लेख था, वह हमारे स्पीकर पर आक्षेप है और निन्दनीय है। इस बात को उनको मान लेना चाहिये कि आइन्दा के लिये ऐसी बात न होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सदन की शान हमेशा ऊंची रहेगी और उस शान को ऊंची बनाने में हममें से हरएक पूरी कोशिश करेगा और कभी कोई कोताही किसी किस्म की नहीं रखेगा।

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह सदन विशेषाधिकार समिति के १८ जनवरी, सन् १९५२ ई० के विनिश्चय को स्वीकार करता है और श्री होमी दीनशा मिस्त्री को सदन के अवमान का अपराधी ठहराता है और अध्यक्ष से प्रार्थना करता है कि वे उनके (श्री मिस्त्री के) सदन के "बार" पर उपस्थित होने के लिये और ऐसा दंड पाने के लिये जो सदन उनके स्पष्टीकरण को जो भी वह प्रस्तुत करना चाहें विचार में लेकर तय करें, आवश्यक आदेश जारी करें ।

अंग्रेजी में यह इस तरह है---

"This House accepts the finding of the Committee of Privileges dated 18th January, 1952 and adjudges Sri Homi Dinshaw Mistry to be guilty of contempt of the House and requests the Speaker to issue necessary process for his presence at the Bar of the House for receiving such punishment as the House may determine after hearing such submission as he may wish to make."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन के विघटन से पूर्व विदाई सम्बन्धी भाषण

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---अध्यक्ष महोदय, आज हमारे सदन की यह आखिरी बैठक मालूम होती है। अब इसके बाद जो कि हाल में चुनाव हुये उसके अनुसार थे अब नये ढंग से सदन की कार्यवाही होगी और एक दूसरा अध्याय शुरु होगा । मैंने इस बारे में कुछ थोड़ा सा जिक्र अपने बजट के भाषण में भी किया था, पर आज जब कि हम बिदा हो रहे हैं कम से कम जहां तक इस हाउस का संबंध है मैं समझता हूं कि मेरा यह फ़र्ज़ है कि इस सदन के सभी सदस्यों को और विशेषकर जो कि हमारे सामने की बेंचों पर बैठने वाले हैं उनको धन्यवाद दूं। हम ने कई सालों से यहां काम किया और उस काम को करने में हमने अपनी बुद्धि और विचार के मुताबिक अपने इस प्रदेश की और अपने देश की और अपनी जनता की सेवा करने का यत्न किया । उस में हमारे विचारों में हमारी परेशानियों को हल करने में बहुत अंश तक आपस में एक मत भी रहा और कभी-कभी हम में एक दूसरे से मतभेद भी हुआ और कभी-कभी वह मतभेद तीव्र भी हुआ, परन्तु यह तो किसी भी जीती जागती संस्था में जहां तक अपने मन और अक्ल को काम में ला कर लोग जो सवाल उनके सामने आते हैं उन पर गौर करते हैं तो ऐसे मतभेद का होना लाजिमी और अनिवार्य है और यह न हो तो हम सब को इतनी संख्या में बैठ कर काम करने का पूरा लाभ ही नहीं हो सकता है। कभी-कभी तीव्र मतभेद होने पर भाषा भी कुछ जोरदार हो सकती है और उसका भी एक संस्था में होना एक तरह से बाज़ समय में आवश्यक सा हो जाता है, परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि हमारे बीच सदैव एक सद्भाव रहा और हमने अपनी-अपनी तरफ से अपने नुक्तेनिगाह को सामने रखते हुये देश की सेवा करने का यत्न किया है।

इस में मतभेद हो सकता है, मुख़्तलिफ राय हो सकती हैं कि जो कुछ भी काम किये गये वे सभी ठीक ढंग से किये गये या नहीं और सब उन्हीं कामों को करते या नहीं और अगर उनको भी करते तो उसी तरीके से करते या नहीं जिस तरीके पर हम लोगों ने कर नेकी

कोशिश की। हमारा दावा कभी नहीं रहा और आज भी नहीं है कि हमने कोई गलती नहीं की और न कोई यह दावा है कि हमने जो कुछ किया उस से इतना काम हुआ कि आइन्दा के लिये सब सहूलियतें हो गईं। मैंने तो बजट में भी कहा था और अब भी कहता हूं कि जो कुछ हमने किया है और जिन हालात में हमने काम किया है उनमें हम ज्यादा काम करने में कामयाब न हुये हों पर जो कुछ भी हमने किया है वह यह भी समझा जाय कि इन वाक़यात में इतना ही हो सकता था, वह कोई काफी और ज्यादा नहीं है। हमारे मुल्क में लोगों को तरह-तरह की तकलीफें हैं, लोगों को हर तरह की परेशानियां हैं और उन सब को हमें अभी दूर करना है और उन तकलीफों को दूर करना ही नहीं है बल्कि लोगों के आराम व आसायश को बढ़ाना है और उनकी जिन्दगी के मयार को ऊंचा करना है और सब के भावों और दिलों को इस तरह से एक करना है कि जिससे सब एक हो कर अपना काम कर सकें। इन सब बातों के लिये इस बात की जरूरत है कि चाहे हम सब यहां हों या न हों, चाहे हम में से कुछ लोग यहां न हों तब भी हम सब यथासंभव जहां तक हो सके मिलजुल कर काम करें क्योंकि जो समस्यायें हमारे यहां की अन्न, वस्त्र, मकानों की और रहन-सहन की हैं वे सब ऐसी हैं जिनके बारे में कोई मतभेद नहीं होता। और हम सब एक दूसरे से मिलजुल कर काम करें तो बहुत कुछ काम हो सकता है। मुझे तो सबको धन्यवाद देना है और खास कर, जैसा मैंने पहले कहा था, जो कि मुख़तलिफ विरोधी दल बने हैं उनके नेता जो हैं उनके प्रति तो मुझे और भी अधिक अपनी कृतज्ञता जाहिर करनी है। हमने काम करने में एक दूसरे को समझने की पूरी कोशिश की है और उससे हम कुछ आगे बढ़े हैं। अभी हमको फिर भी आगे काम करना है। परन्तु इस बात की जरूरत है कि जिस अवस्था में आज हैं उसमें जहां-जहां भी हमारा मेल हो सके उन बातों पर ज्यादा जोर दें, बमुक़ाबले उनके जिनमें कि हमारे विचार पूरी तरह से एक न हों क्योंकि किसी भी जीवित संस्था में, विचारशैली में भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का या दलों का भेद होना तो शायद अनिवार्य होता है। परन्तु कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनमें कोई मतभेद नहीं होता है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस सदन के सदस्य जो हैं चाहे यहां रहें चाहे बाहर रहें वे उदारता से अपनी सहायता देते रहेंगे। जो कुछ अब तक यहां कार्य हुआ है, यदि कोई जनहित का कार्य हुआ है तो उसका श्रेय केवल गवर्नमेंट को ही नहीं है, उसका श्रेय तो इस सारे सदन को है और के विरोधी दल को भी उतना ही है जितना कि हम लोगों को है क्योंकि सब ने मिल कर उन बातों को किया है, किन्हीं ने संशोधनों के जरिये से और किन्हीं ने प्रस्तावों के जरिये से।

हमारा देश अभी स्वतंत्र हुआ है, चार साल के क़रीब हुये। दुनिया की हालत अब भी एक तरह से उलझन की है। बड़ी बड़ी शक्तियां परस्पर विरोधी हैं और उनका एक दूसरे पर अविश्वास ही नहीं है बल्कि एक दूसरे से खिचाव-तनाव रहता है। हमें अपनी स्वतंत्रता को दृढ़ करना है। अपने देश में जो सदियों की दासता की अवस्था में कमियां रही हैं उनको पूरा करना है और इस बड़े देश को ऊंचा उठाना है। हमारे आपस में मतभेद होते हुये भी सद्भाव की आशा है और जहां भी उसके लिये अवसर हो, मिल जुल कर काम करने की जरूरत है।

मैं अपने सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं चाहे वे इधर के हों और चाहे उधर के हों और यह आशा करता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि हम सब अपने देश को आगे ले जाने में और स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने में और जो कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हमारा सब से ऊंचा स्थान होना चाहिये उसे प्राप्त करने में परस्पर सहयोग और सहायता देने में सफल हों।

श्री त्रिलोकी सिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन ने जो उद्गार अभी प्रकट किये उनसे मैं अपनी सम्पूर्ण सम्मति प्रकट करता हूं। मुझे इस सदन के द्वारा पिछले ६ वर्ष सेवा करने का मौक़ा मिला। और यह मेरा सौभाग्य था कि इन ६ वर्षों में मुझे इस सदन के दोनों हिस्सों में शरीक होने और बैठने का मौक़ा हासिल हुआ। जो कुछ भी इन चार वर्षों में काम हुआ उस से मुझे इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है कि हमारे प्रदेश की तरक्क़ी हुई, हमारे प्रदेश की गति आगे बढ़ी और इसका रुख उस तरफ हुआ कि जिससे इस प्रदेश की रहने वाली ६ करोड़ जनता की समस्यायें थीं जो दिक्कतें थीं उनके दूर होने में सहायता

[श्री त्रिलोकी सिंह]

होगी। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि आगे आने वाला सदन उन तमाम कामों को जिनको कि यह सदन नहीं कर सका और उन तमाम बातों को जो इस प्रदेश की तरक्की के लिये जरूरी है उन्हें सफलतापूर्वक और कामयाबी से करेगा। श्रीमन्, मैं आज यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, मैंने सदा इस सदन के हर माननीय सदस्य में यह इच्छा पाई कि वह इस ढंग से काम करे, रुख और अन्दाज यह हो कि जिससे इस सदन के काम चलाने में सुविधा हो और सदन के ऊपर जो इस प्रदेश के राज्य के कार्य को करने का बोझ है उसमें सहूलियत पैदा हो। यह काम सफलतापूर्वक हुआ और उसका गौरव माननीय नेता सदन को प्राप्त है। यह माननीय नेता सदन की खूबी थी, यह उनकी कार्यकुशलता थी, यह उनकी होशियारी थी कि जिसने पिछले छः वर्षों के अन्दर इतने बड़े प्रदेश का इस प्रकार राज्य किया और इस-आदरणीय सदन में ऐसे-ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न लाये कि जिनसे इसमें किसी को भी संदेह नहीं कि हमारे प्रदेश और देश की प्रगति में बहुत बड़ी तरक्की हुई।

मैं आशा करता हूं कि और विश्वास दिलाता हूं अपने माननीय नेता सदन को और अपने दूसरे भाइयों को कि जो इच्छा, जो भावना जिससे कि इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य पिछले ६ वर्षों प्रेरित रहें हैं वह भावना उनकी आज भी है और उसमें कमी नहीं है, चाहे उनको इस बात का मौका मिले कि वह सदन में रह कर इस प्रदेश की सेवा करें या इस सदन के बाहर जा कर इस प्रदेश की सेवा करें। मेरा तो यह सौभाग्य था कि मैं इस सदन के दोनों हिस्सों में शरीक हुआ और अगर सौभाग्य होगा तो इस सदन के बाहर भी जा कर इस प्रदेश की सेवा करूंगा।

मैं इस सदन के माननीय नेता तथा दूसरे माननीय सदस्यों का कृतज्ञ हूं कि जिनसे मुझे इस बात का गौरव पिछले ६ वर्षों काम करने का प्राप्त हुआ और श्रीमन्, साथ ही साथ मैं आपका भी कृतज्ञ हूं क्योंकि इस सदन का अध्यक्ष, उसके मान और हितों का रक्षक ही नहीं है बल्कि वह उसकी शान का भी द्योतक है और मुझे इस बात को इस मौके पर प्रकट करने में बड़ी खुशी होती है कि इस आदरणीय सदन की कार्यवाही को चलाने में जिस ढंग से आपने काम लिया उससे हमारे इस सदन का गौरव बढ़ा और मैं आशा कारता हूं कि आइन्दा का जो सदन होगा और उसके बाद का जो सदन होगा वह इस आदरणीय सदन के ६ वर्षों के कार्य को और इस आदरणीय सदन को अच्छी निगाह से देखेगा और जो प्रथा इन ६ वर्षों में कायम हुई है उससे उसको अपने काम को चलाने में सहूलियत और आसानी पैदा होगी।

नवाब मुहम्मद जमशेद अली खां—जनाबवाला, जो कुछ लीडर आफ दि हाउस (सदन के नेता) ने इस जुदाई के सिलसिले में फरमाया है मैं उससे इत्तिफाक करता हूं। अलहदगी और जुदाई का वक्त यक़ीनन थोड़ा सा तकलीफदेह हुआ करता है, लेकिन मुझे मसर्रत है कि वह जिम्मेदारियां जो इस हाउस के मेम्बरान पर, जो इस वक्त सदन में मौजूद हैं, आयद होती थीं वह बहुत अच्छे हाथों के अन्दर जा रही हैं और मुझे यकीन है कि आइंदा वह साहबान जो इस सदन में आइन्दा आकर बैठेंगे वह मुल्क और कौम की खिदमत हम लोगों से कहीं ज्यादा अंजाम देंगे। इस हाउस के अन्दर मुख्तलिफ मजामीन पर, मुख्तलिफ मसलों पर मुख्तलिफ गुफ्तगुयें रहीं, बहस और मुबाहिसे हुये, लेकिन मुझे, जनाबवाला, निहायत मसर्रत है यह कहने की और इस तरफ के तमाम बैठने वाले गालिबन मुझसे मुत्तफिक होंगे कि जितने मुबाहिसे यहां हुये वह निहायत अच्छे तौर के साथ, बहुत अच्छे लहजे में और बहुत दिलचस्प तरीके से हुये और कभी इस तरफ के बैठने वालों ने इसकी कोशिश नहीं की कि कोई दिल दुखाने वाली बात इस किस्म की अपोजीशन (विरोधी दल) की तरफ से हो कि जिसका असर बाद में कायम रहे। जो भी इस तरफ से कहा गया हमेशा इस ख़याल को मलहूज रखते हुए कहा गया कि यह ऐवान अपने फरायज को खूबी के साथ अंजाम दे सके। न कि यह कि किसी जाती ऐतबार से कोई चीज कही गयी हो। मुझे बेइन्तहा खुशी है और मैं शुक्रगुजार हूं और आनरेबिल चीफ मिनिस्टर साहब और उनकी केबिनट के तमाम हजरात का जिनसे

अपोजीशन को इस बात के सिलसिले में बहुत कुछ इत्तिफाक रहा है, उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि जहां तक मुमकिन हो सके अपोजीशन की बात का ख्याल रक्खें और जहां तक उनसे हो सके, उन मामलात के अन्दर जितनी दूर तक जा सकें उनके साथ, इस का लिहाज और ख़याल रखें।

मैं जनाब वाला से अर्ज करूंगा कि इस हाउस के ऊपर वक्त आज जिसकी मुद्दत तकरीबन खत्म हो रही है इसके ऊपर आजाद हिन्दुस्तान के बाद बड़ी जिम्मेदारियां थीं। बहुत से नये-नये मसायल जो पहले कभी पेश नहीं हुआ करते थे वह सब नये-नये मसायल इस हाउस के सामने पेश हुए और उनको हल करना और सुलझाना पड़ा।

मैं मुबारकबाद देता हूं चीफ मिनिस्टर साहब को कि उनकी लीडरशिप और कयादत के अन्दर इस मुल्क की खिदमत निहायत खूबी के साथ अंजाम दी गयी। मैं इस तरफ के बैठने वालों की जानिब से अगर यह कहूं तो शायद बेजा न होगा कि—

दुवाएं दें मेरे बाद आने वाले मेरी वहशत को।
बहुत कांटे निकल आये मेरे हमराह मंजिल से।

गालिबन इस तरफ के बैठने वालों ने और इस हाउस के दोनों तरफ बैठने वाले मेम्बर साहबान ने जो खिदमत इस सिलसिले में अंजाम दी है वह गालिबन आइन्दा हमारे भाइयों के लिए जो इस हाउस में बैठेंगे जरूर सहूलियत की मूजिब होगी।

जनाबवाला, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से जनाबवाला का शुक्रगुजार हूं। जनाब ने हम लोगों को इजहार ख्याल का पूरा-पूरा मौका दिया। निहायत आजादाना तरीके से, हर तरीके की बात का लिहाज रखते हुये आपने हम लोगों की कयादत बहैसियत स्पीकर के की और हम सब लोग शुक्रगुजार हैं कि जिस शान के साथ आपने जिस बेलौसी के साथ अपनी स्पीकरी के फरायज को अन्जाम दिया है, आपने ऐवान के वकार का हमेशा ख़्याल रखा है और आपकी मौजूदगी से हमारे इस हाउस की डिगनिटी (प्रतिष्ठा) बहुत ज्यादा ऊंची और बुलन्द हो गयी। मैं आनरेबिल चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, सांथ ही माफी का ख्वास्तगार हूं, खसूसन आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू साहब से जिन को मुझे इस हाउस में ज्यादा मुखातिब करने का मौका हुआ है और मैं यह कह सकता हूं कि जब कभी भी जिस किस्म की भी तकरीरें हुई हैं तो आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू की तरफ से गोकि वह बहुत ही अहम मसायल कम से कम हम लोगों के लिये थे और हमारे आइन्दा के खाने-पीने का दारोमदार उनके ऊपर था, तो वह तल्ख और कडवी बातें भी ऐसे लहजे में कहा करते थे कि वह भी नागवार नहीं हुआ करती थीं और मैं हमेशा उन की तकरीर सुनने के बाद यह कह दिया करता था—

लगती हैं गालियां भी तेरे मुंह से क्या भली।
कुर्बान जाऊं, फिर मुझे कहदे उसी तरह।।

हुजूरवाला, हम लोगों से जो कुछ खामियां हुईं हों या जो कुछ हम लोगों की कमजोरियां हों, मुझे उम्मीद है कि आप और ट्रेजरी बेंचेज के बैठने वाले साहबान को कोई शिकवा या शिकायत का मौका इस तरफ के बैठने वालों से और खसूसन मुझसे और मेरी पार्टी की जानिब से हुआ हो तो मुझे उम्मीद है कि आप माफ फरमायेंगे। मुझे आज इस तरह का मौका हासिल हो रहा है, क्योंकि गालिबन मैं बहुत पुराने गुनहगारों में से हूं। सन् १६२० से बराबर मुझे इस सदन के हाजिरी का इत्तिफाक रहा है। इसलिये मेरी जात से गुनाह भी ज्यादा सरजद हुये होंगे। इसलिये मैं अपनी जानिब से ख्वास्तगार माफी हूं। बड़ी खुशी और मसर्रत के साथ हम सब ने इस इंतजाम की नाव को जिसका खेना कुदरत ने हमारे सुपुर्द किया था अपनी दानिश्त में हमने पूरी कुव्वत के साथ साहिले मुराद तक पहुंचाने की कोशिश की है।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस अवसर पर जो विचार प्रकट किये हैं उन्हें सुनकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। आज जिस वातावरण में इस भवन की

[श्री राजाराम शास्त्री]

कार्यवाही समाप्त हो रही है वह भी इस बात का द्योतक है कि इस प्रकार से सरकार और विरोधी पक्ष के लोगों ने आपस के सहयोग के साथ काम किया है। ऐसे मौके भी कई बार आये हैं जब हमें कड़ी से कड़ी भाषा में हुकूमत के कार्यों की आलोचना करनी पड़ी है, लकिन मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो कुछ भी हमने कहा है वह अपना कर्तव्य या पालन समझ कर कहा है। हुकूमत ने जब कभी कोई ऐसा काम किया है जिसको हमने जनता क पक्ष में समझा ह तो हमने बिना किसी बात के ख्याल के सरकार की नीति का पूरा पूरा समर्थन किया है। लेकिन इसके साथ ही साथ जब हमने महसूस किया है कि जनता की सेवा इस तरह स नहीं बल्कि दूसरे ढंग से की जा सकती थी तो उसी भावना से प्रेरित हो कर हमने हुकूमत की कड़ी से कड़ी आलोचना की है।

इस बात को हम जरूरी समझते हैं कि जहां एक तरफ हुकूमत का यह फर्ज है कि जनता को अधिक से अधिक सेवा करे और प्रयत्न करे कि जनता को अख्तियार प्राप्त हुये हैं जनतंत्र के बाद उनकी रक्षा होगी। वहां निश्चित रूप से हम मानते हैं कि उतनी ही जिम्मेदारी विरोधी पक्ष वालों के ऊपर भी है कि उन अधिकारों की रक्षा करें और प्रजातंत्रवाद को सूबे में फलत-फूलते देखें।

देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में भी हमारा प्रदेश काफी आगे रहा है और स्वतंत्रता मिलने का श्रेय हमारे संयुक्त प्रांत को भी है। स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारा प्रदेश आज सब से आगे बढ़ा हुआ है। और शासन की व्यवस्था की तरफ भी हमार प्रदेश का ध्यान रहा है। हमारे इस भवन में जो कार्यवाई हुई है, हमने वैधानिक तरीके के निर्णय किये उनकी तरफ देश का ध्यान गया। स्वतंत्रता संग्राम में जिस तरह से हमने नाम पैदा किया है उसी तरह से स्वराज्य के बाद जब शासन करने का मौका आया है तब हमारा सूबा अच्छे शासक पैदा करेगा, जो दूसरे प्रदेशों के लिये नमूना होंगे।

मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हुकूमत और जनता के बीच में कभी-कभी संघर्ष भी हो जाया करता है और मेरा ऐसा खयाल है कि हमारे देश की जो दशा है उसको देखते हुये मुझे ऐसा लगता है कि एक नैतिक पतन हमारा होता जा रहा है और इस वातावरण क बीच में चाहे सरकार को काम करना पड़े, चाहे हमको काम करना पड़े लकिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जहां हुकूमत कोई काम करती है हमने इस बात का सदैव खयाल रखा है कि किन कठिनाइयों के बीच में हुकूमत को कार्य करना पड़ा है। जो विपक्ष क लोग हैं, जिनको जनता के बीच में जा कर कार्य करना पड़ता है उनके सामने भी कठिनाइयां आती हैं। जनता की मुसीबतें होती हैं तो उनका निराकरण होना ही चाहिये, अगर उन पर किसी प्रकार का जुल्म होता है तो उसका विरोध होना ही चाहिये और जब कभी हमें या समाजवादी पार्टी के लोगों को हुकूमत की मुखालिफत करनी पड़ी है या जनता के संघर्ष को ले जाना पड़ा है तो मैं इस हुकूमत को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी आपकी नीति में मतभेद हो सकता है, लेकिन जहां तक जनता की सेवा करने की भावना का ताल्लुक है वहां तक तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जितना प्रदेश की उन्नति का ख्याल उधर के बैठने वाले लोगों को है उतना ही या उससे अधिक हम लोगों को भी है। अगर हमारे सूबे पर कभी भी कोई आंच आवेगी तो मैं हुकूमत को विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी मौके पर चाहे वह आन्तरिक खतरा हो और चाहे बाहर का, जब कभी इस प्रदेश की शान्ति और व्यवस्था के लिये खतरे आवेंगे हम लोग जो सदैव हुकूमत की आलोचना करते हैं उन खतरों को रोकने के लिये हुकूमत के साथ रहेंगे। जहां मैं इस बात को कहता हूं वहां एक बात और यह भी कह देना चाहता हूं कि जैसी लोगों की हालत है उसमें जिस तरीके से भी बुरी परिस्थितियां चल पड़ती हैं वहां हमें कितनी ही परिस्थितियों में जनता की हालत को सुधारने के लिये कभी-कभी अवैधानिक तरीकों से भी आपका विरोध करना पड़ता है। कभी सत्याग्रह का सहारा लेना पड़ता और कभी आन्दोलन करना पड़ता है, लेकिन उसके अन्दर यह भावना कभी भी नहीं है

है कि इस हुकूमत को या यहां की राज्य-व्यवस्था को नुक्सान हो या उसको कमजोर करना चाहते हैं नहीं तो सुधार के दृष्टि से ही यह काम करने पड़ते हैं। ऐसी हालत में मुझे हुकूमत से बड़े नम्र शब्दों में निवेदन करना पड़ता है कि अगर हमारे प्रान्त में कभी सत्याग्रह होते हैं या हमारे जैसे लोग जो जनता के पक्ष का संचालन करते हैं वह ऐसा कार्य करते हैं, जो जनहित की दृष्टि से होता है तो उसको ऐसी भावना से नहीं करना चाहिये जिसमें यहां कहीं भी यह मालूम पड़े कि हमने किसी और भावना से कार्य किया है। जैसा आज के अखबार में हमने पढ़ा कि दो-दो साल की कड़ी से कड़ी सजायें दे दी गयी हैं, तो जरूर यह विचार हुआ कि हम सब को ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि जिससे हम अधिक से अधिक जनता की सेवा कर सकें और कायदे-कानून के खिलाफ काम न करें और जब मजबूरी की वजह से सत्याग्रह का सहारा लें तो उसमें भी दोनों पक्षों में कोई कटुता न आवे। सत्याग्रह तो हमारा एक आदर्श रहेगा और किसी भी मौके पर गांधी जी ने जो हमको अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिये सत्याग्रह का मार्ग बताया, उसी को हम अपनायेंगे और उससे विमुख नहीं होंगे। हम सत्याग्रह की लड़ाई या जन-आन्दोलन इसी भावना से करते हैं कि प्रजातंत्र की रक्षा के लिये, जनता के हितों की रक्षा के लिये यही सब से अच्छा हथियार है और अगर कभी उसका मौका आता है तो उसको भी उसी भावना से देखा जाय।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि इस भवन के अन्दर और मन्त्रि-मंडल के अन्दर और माननीय सदस्यों के अन्दर कई एक हमारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने वर्षों तक मुझे शिक्षा दी है और कई बार तो इस भवन में जब मैं खड़ा हुआ तो मुझे ऐसा मालूम होता था कि कहीं निरादर न मान जायं, लेकिन मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि भवन के बाहर वे हमारे गुरु रहे हैं और आज भी मानता हूं लेकिन जहां भवन के अन्दर किसी भी कार्य के लिये कहीं मौका आ गया है उसमें जनता के हित में उनके विरुद्ध आवाज उठानी पड़ी है और अक्सर उठानी पड़ी है तो मैं समझता हूं कि अगर हमने ऐसा किया है तो हमने कर्त्तव्यपालन की भावना से यह काम किया है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कभी अगर हमारे बुजुर्गों ने हमारा ध्यान किसी बात की तरफ दिलाया है तो मैंने उसको उसी रूप में मानने की कोशिश की है।

अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय जैसा मैंने अभी कहा था और फिर कहता हूं कि आपने जिस निष्पक्षता के साथ इस भवन के अन्दर कार्य का संचालन किया है उसकी हम सराहना करते हैं। माननीय टंडन जी यहां के स्पीकर रहे। प्रत्येक सदस्य ने उनकी बात को माना और उनकी अध्यक्षता में हमारे राज्य का गौरव बढ़ा। उसके बाद आपने उस पद को संभाला। मैं इस बात को कह सकता हूं, जैसा पहले कह चुका हूं कि इस भवन में कांग्रेस पक्ष का बहुत बड़ा बहुमत है, हम लोग बहुत थोड़ी तादाद में हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि कभी इस भवन के अन्दर ऐसा मौका नहीं आया जब हमने एक पक्ष के लिये भी यह महसूस किया हो कि हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं हुई और उसके सब से बड़े रक्षक आप हमारे सामने रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप पर हमारा सदैव विश्वास रहा, अभी भी है और मैं यह आशा करता हूं कि भविष्य में जब कभी भवन यहां बैठेगा, उसमें सदस्य चाहे सरकारी पक्ष के हों चाहे विरोधी पक्ष के, वे सदैव इस भावना से काम करेंगे कि हमारा यह उत्तर प्रदेश का राज्य दिन-दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। यह भावना उनकी रहेगी और इस भावना को लेकर हम काम करते रहेंगे। इसी में सदन का गौरव है और इसी में इस प्रान्त की जनता का हित है।

श्री ई० एम० फ़िलिप्स--श्रीमान् सभापति महोदय, चन्द अल्फाज इस वजह से कि मैं ईसाई बिरादरी का नुमाइंदा हूं इस सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। इस मिनिस्ट्री के जमाने में हम लोगों को बड़ा फख् रहा है और आपका ईसाई बिरादरी से बड़ा कोआपरेशन रहा और जो खिदमात आपने कीं वह हम लोगों को पसन्द आईं।

[श्री ई० एम० फ़िलिप्स]
खासतौर से मैं शिक्षा मंत्री और मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। शिक्षा फैलाने में इसाई बिरादरी से बड़ा सम्बन्ध रहा है। हमको शिक्षा के मुताल्लिक़ हर किस्म की इमदाद मिली। मुख्य मंत्री जी से मुझे एक बात कहना है कि ऐसे मौके आये कि बहैसियत विरोधी दल के मेम्बर के मेरे कुछ कहने पर अगर कोई गलतफहमी हुई हो तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि उसका यह मंशा नहीं था कि आपकी गवर्नमेंट की तौहीन हो। अगर सही तरीक़े पर देखा जाय तो इतने बड़े सूबे में इतनी कठिनाइयों के साथ इस मिनिस्ट्री ने जो खिदमात सूबे की कीं उसके मुताल्लिक़ वह मुबारकबाद के मुस्तहक़ है। मैं इतना और कहूंगा कि श्रीमान् टंडन जी जब यहां के स्पीकर थे जो बड़ा साफ सुथरा जजमेंट उनसे मिलता था और वैसा जजमेंट उनके बाद, लोग कहते थे, नहीं मिलेगा। लेकिन आप उनकी शागिर्दी से निकल कर आये और उस पर पूरी तरह से अमल करके दिखला दिया। हम लोगों को इसका फख्र है कि हम को आपकी रहबरी से अपने हुकूक को बहुत महफूज पाते रहे जिनको कि बहैसियत स्पीकर के आपके लिये तहफ्फुज करना बहुत जरूरी था। इन शब्दों के साथ मैं बैठता हूं।

श्री अब्दुल बाक़ी--जनाबवाला, ६ साल गुज़र गये जब कि हम इस ऐवान में आये थे। हम आये तो मुस्लिम लीग के टिकट पर थे पर बाद को हमने जनता पार्टी में अपने आपको तबदील कर लिया। इस अरसे में ज़रूर ऐसे मवाके आये जब कि हमने गवर्नमेंट बेंचेज की नुक्ताचीनी की। मगर उसका कभी भी यह मंशा नहीं था, कि गवर्नमेंट बेंचेज की तरफ से हमारे कोई शुकूक थे। मगर हम अपने दिल में यह ख़याल रखते थे कि हमको इस सूबे के ६ करोड़ आदमियों की खिदमत करनी है। इसलिये अगर हमने कोई इख्तिलाफ किया तो सिर्फ इस वजह से किया कि हम यह समझते थे कि हम जो राय रखते हैं इससे सूबे के लोगों की ज्यादाख़िदमत हो सकती है चाहे वह राय अपनी जगह पर सही हो या ग़लत। मगर, जनाबवाला, एक बात मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि हम इस ६ साल के ज़माने में कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं आया जब कि हमारे और गवर्नमेंट के दरमियान ऐसी खलीज पैदा हो गई हो, जो बंद न हो जाय। एक कानूनी मसला आया जिसमें इस सूबे की खिदमत का सवाल था। हमने उसके मुताल्लिक एक राय रखी, गवर्नमेंट की उसके मुताल्लिक़ दूसरी राय थी। लेकिन कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया। हमने गवर्नमेंट की ताईद भी की और मुखालिफत भी की, लेकिन वह सब इस सूबे के रहने वालों की ख़िदमत के लिहाज से ही की।

हमने आनरेबिल चीफ़ मिनिस्टर के, जो बड़ी शिगुफ्तगी के साथ तक़रीर करते हैं, उनके साथ ६ साल गुजार दिये। हमारी तरफ से और उस तरफ से भी इस वक्त काफी लोग ऐसे हैं जो यह समझ कर जा रहे हैं कि यह आखिरी वक्त है, लेकिन चीफ मिनिस्टर और मंत्रियों में काफी लोग ऐसे हैं जो अपनी जगह फिर आने वाले हैं। हमने अपना ६ साल का ज़माना निहायत खूबी और खैरियत के साथ चीफ मिनिस्टर के साथ गुजार दिया और हमारा यही नजरिया रहा कि हम इस ऐवान की शान को, उसकी क़द्र को और बुलन्द करें।

जनाबवाला, मैं आपको अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमने यह कभी भी महसूस नहीं किया कि हमारे साथ कोई बेइंसाफी हुई है। आपने बहैसियत स्पीकर जो खिदमत अंजाम दी है वे काबिले क़द्र रही हैं। मैं उन तमाम अल्फाज़ के साथ जो आनरेबिल चीफ मिनिस्टर और आनरेबिल मेम्बरान ने कहे हैं ताईद करता हूं और मैं इस खुशी के साथ वापिस जाता हूं कि ये ६ साल जो गुज़रे वे खूबी और खैरियत से गुज़रे। कोई ऐसी बात नहीं हुई कि हमारे और गवर्नमेंट के दर्मियान में कोई ऐसी ख़लीज पैदा हो जाय

जो भर न सके। इन चन्द अल्फाज के साथ हमारी गुजारिश यह है कि इन ६ सालों में आनरेबिल चीफ मिनिस्टर, या इधर या उधर के बैठने वालों को अगर किसी किस्म की हमसे कोई तक़लीफ पहुंची हो तो वे दरगुजर करके माफ फरमायें।

माननीय अध्यक्ष--इस मौजूदा असेम्बली की जिन्दगी के ६ वर्ष अब करीब करीब खत्म होने जा रहे हैं और कोई उम्मीद नहीं है कि आज के बाद फिर इस असेम्बली की कोई बैठक हो। इस मौक़े पर माननीय मुख्य मंत्री और अन्य माननीय सदस्यों ने जो ख़यालात जाहिर किये हैं उनकी मैं पूरी तरह से ताईद करता हूं। इस ६ वर्ष के जमाने में ज्यादातर तो, बल्कि ५ वर्ष के करीब मेरे बुजुर्ग श्री पुरुषोत्तमदास जी टंडन जो इस वक्त आपके सामने बैठे हुए हैं उन्होंने ही इस स्पीकरी के ओहदे को सुशोभित किया। जो कुछ कार्यवाही इस असेम्बली के जमाने में हुई वह सब उन्हीं की हिदायतों के मुताबिक हुई। मुझे यह फख्र रहा कि मैं उनकी हिदायतों के मुताबिक काम करता रहा। एक साल भर जरूर मुझे ऐसा मिला जब वह हम लोगों की बदकिस्मती से यहां से हमें छोड़ कर चले गये और तब मुझे इस जगह को कबूल करना पड़ा। कुछ माननीय सदस्यगण ने मेरे मुताल्लिक कुछ कहा है, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं लेकिन मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि यह जो कुछ मैं थोड़ी बहुत सेवा इस सिलसिले में कर सका हूं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस आदरणीय सदन के हर एक कोने से मुझे सहयोग मिलता रहा और मैं यह समझता रहा कि इस आदरणीय सदन का हर एक शख्स मेरे साथ पूरा तुआवुन कर रहा है और मुझे सहयोग दे रहा है। इसलिये अगर मैं कुछ कर पाया हूं तो वह मेरी खूबी नहीं है बल्कि वह खूबी माननीय सदस्यों की है। यह जमाना बहुत ही अहमियत का गुजरा। इसलिये कि इसी असेम्बली के जमाने में हमारे मुल्क को आजादी मिली, इसी असेम्बली के जमाने में नया संविधान रायज हुआ और इसी जमाने में हमें यह भी मौका हुआ कि हम अपने नियम बनायें और उनको पास कर सकें और कई प्रथायें इस जमाने में ऐसी कायम हुई हैं कि गालिबन आगे आने वाली असेम्बली उनसे पूरा फायदा उठा सकेगी। एक और खास बात इस असेम्बली के जमाने में यह हुई कि बावजूद रायों में इख्तलाफ होने के, बावजूद एक मत रखने वाले एक दल के मेम्बर दूसरा मत रखने वाले दूसरे दल के मेम्बरों से आपस में एक दूसरे से बड़ी खुशी से मिलते जुलते थे और यह बात मैं समझता हूं कि अगर प्रजातन्त्र और जम्हूरियत को आगे बढ़ाना है तो उसके लिये यह जरूरी है कि हमारे इख्तलाफ राय होने के, एक दूसरे की राय में अन्तर होने के, हमारे जाती ताल्लुकात एक दूसरे से मिलने जुलने के ज्यादा हों। उसके ऊपर किसी किस्म का असर न पड़े। हो सकता है कि एक आदमी एक राय रखता हो और दूसरा आदमी दूसरी राय रखता हो, लेकिन इस वजह से अगर जाती ताल्लुक़ात में कोई फर्क पड़ जाता है तो गालिबन हमारे यहां का प्रजातन्त्र तरक्की नहीं कर सकता है। यहां पर जो मुबाहसे उस जमाने में होते रहे और जितनी भी बातें कही गईं मैं यह समझता हूं कि उसमें एक दूसरे के सम्मान का काफी ख्याल रखा गया और हमारे यहां जो कार्यवाही हुई जैसी कि हमारे यहां उत्तर प्रदेश अपनी तहजीब के मियार के लिये ऊंचा समझा जाता है उसी तरह से उसकी झलक हमारे यहां इस आदरणीय सदन में तमाम कार्यवाहियों में हर मौके पर पाई गई। इस वक्त जब कि हम गालिबन आखिरी दफा मिल रहे हैं मैं इस आदरणीय सदन के प्रत्येक सदस्य का तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १२ मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१९ मार्च, १९५२ ई०।

नत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ २६२ पर)

बाराबंकी जिले के वर्तमान पंचायत मंत्रियों की सूची

पंचायत निरीक्षक क्षेत्र नवाबगंज

क्रमांक	नाम	पता	योग्यता	पं० अ० क्षेत्र	अ० वि०
१	२	३	४	५	६
१	श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र	ग्रा० नरौली, पो० रूदौली	हिन्दी मिडिल पास	टेरा कलां	
२	श्री छुंगा लाल पासी	ग्रा० गड़िया, पो० खिझना	,, ,,	हर्रई	
३	श्री राम लषन सिनहा	उखरी, पो० खैवली	उर्दू व हिन्दी, अंग्रेजी ८वां पास	खैवली	
४	श्री राधेश्याम जैसवाल	ग्राम० व पो० सआदतगंज	हिन्दी मिडिल पास	मामापुर	
५	श्री दया राम ..	ग्रा० बकौली, पो० पूरे कामगार	मिडिल तक पढ़ा	मलूकपुर	
६	श्री श्रीपाल वर्मा ..	ग्राम व पो० हर्रई	हिन्दी मिडिल पास	रसूलपूर किदवाई	
७	श्री महेन्द्रपाल सिंह ..	गौरिया, पो० खैवली	हिंदी कक्षा ६ तक	गौरिया	
८	श्री दुर्गा बक्श सिंह ..	ग्राम मड़वा, पोस्ट हथौंधा	हिन्दी मिडिल पास	कोटवा कलां	
९	श्री राम दुलारे ..	नकटा सिहरिया, पो० उसमानपुर	हिन्दी, उर्दू मिडिल पास	मयरा	
१०	श्री ईश्वर दीन सिंह	ग्राम सराय परसंडा पो० सतरिख	,, ,,	जहांगिराबाद	
११	श्री माता प्रसाद ..	ग्राम पाटमऊ, पो० पाटमऊ	हिन्दी मिडिल पास	पाटमऊ	

क्रमांक	नाम	पता	योग्यता	पं० अ० क्षेत्र	अ० वि०
१	२	३	४	५	६
१२	श्री तुलाराम पासी . .	ग्राम पूरे गुरदयाल सिंह, पो० त्रिवेदी-गंज	उर्दू, हिन्दी मिडिल	टिकरिया	
१३	श्री राम सागर वर्मा	ग्राम पूरे दुलार, पो० उधौली	हाई स्कूल परीक्षा पास, दूसरे श्रणी में हिन्दी व उर्दू	तिन्दोली	
१४	श्री हर नारायण श्रीवास्तव	ग्राम व पो० शाह-पुर	मिडिल पास	खसपरिया	
१५	श्री बाबूलाल कुर्मी . .	अकबरपुर धनेठी, पो० सफदरगंज	हिन्दी मिडिल व इन्टरमीडियट प्रथम साल पास	गदिया	
१६	श्री कन्हैया लाल चौबे .	ग्रा० व पो० राम-नागर	हिन्दी कक्षा ४ पास	बरौलिया	
१७	श्री बाबूराम . .	अमरादेवी, पो० बदो सराय	हिन्दी मिडिल तक	माथुरी	
१८	श्री स्वामी दयाल सिंह	कोटवा कलां पो० देवा	,, ,,	बड़ैल	
१९	श्री मनीराम . .	जौरास, पो० गढ़ी भिलवल	हिन्दी मिडिल पास हाई स्कूल फेल।	शहाबपुर	
२०	श्री द्वारिका प्रसाद यादव	रामचरनपुरवा, पो० सफदाबाद	हिन्दी मिडिल पास	बाराबंकी	

पंचायत निरीक्षक क्षेत्र जैदपुर

२१	श्री मोहम्मद असगर	ग्राम टेसुवा, पो० टिकरा	उर्दू मिडिल पास	टेरा	
२२	श्री गया प्रसाद	ग्रा० बेरी, पो० उधौली	हिन्दी, उर्दू मिडिल पास	गोठिया	
२३	श्री देवानन्द शुक्ल	ग्राम भटखोरिया पो० लाही	हिन्दी, उर्दू मिडिल पास	बलछत	

क्रमांक	नाम	पता	योग्यता	पं० अ० क्षेत्र	अ० वि०
१	२	३	४	५	६
२४	श्री कल्लू राम पासी	ग्राम व पोस्ट भानमऊ	हिंदी-उर्दू मिडिल पास	भानमऊ	
२५	श्री ईश्वर दीन सिंह	ग्राम सराय परसंडा पो० सतरिख	,,	इब्राहिमाबाद	
२६	श्री दुर्गा सिंह	ग्राम ग्वालामऊ, पो० सतरिख	,,	हरख	
२७	श्री गोपाल सिंह	ग्राम नेमापुर पो० सतरिख	,,	शरीफाबाद	
२८	श्री पुत्तीलाल स्वर्णकार	ग्राम व पो० मसौली	हिन्दी मिडिल तक	मसौली	
२९	श्री छेदा लाल	ग्राम भनौली, पो० रसौली	हिन्दी मिडिल पास	बड़ा गांव	
३०	श्री बाबू लाल	ग्राम रायपुर, पो० सफदरगंज	हिन्दी उर्दू मिडिल पास	लछवरवजहा	
३१	श्री खुशी राम	ग्राम मचौची, पो० जैदपुर	,,	सैदाबाद	
३२	श्री अच्युतानन्द	ग्राम ववेना, पो० मवासीह, जिला मुरादाबाद।	हिन्दी मिडिल पास	सफदरगंज	राजनीतिक पीड़ित
३३	श्री श्याम सुन्दर	ग्राम सूरजपुर खपरेला पो० उधौली	,,	उधौली	
३४	श्री रामनरेश वर्मा	याकूतगंज, पो० परतापगंज	हिन्दी उर्दू मिडिल पास	रसौली	
३५	श्री सन्तराम	डिहवा, पो० टिकरा	,,	पडरा	
३६	श्री त्रिभुवन दत्त पांडे	ग्राम बहादुरपुर पो० लाही	,,	न्यूछना	
३७	श्री माता प्रसाद	ग्राम अतरौली, पो० उसमानपुर	,,	सिद्धौर	

क्रमांक	नाम	पता	योग्यता	पं० अ० क्षेत्र	अ० वि०
१	२	३	४	५	६
३८	श्री नागेश्वर प्रसाद	ग्राम० चांदपुर, पो० उसमानपुर	हिन्दी मिडिल पास	बीबीपुर	
३९	श्री शिव सहाय	ग्राम सराय परखू, पो० उसमानपुर	छठा दर्जा पास	सेमरावां	
४०	श्री राम दुलारे वर्मा	ग्राम नकटासिहरिया पो० उसमानपुर	हिंदी उर्दू मिडिल पास	नकटा-सिहरिया	

पंचायत निरीक्षक प्रथम क्षेत्र राम सनेही घाट

क्रमांक	नाम	पता	योग्यता	पं० अ० क्षेत्र	अ० वि०
४१	श्री विजय बहादुर शर्मा	ग्राम व पो० दरिया-बाद	हिन्दी मिडिल पास	वनीकोडर	
४२	श्री रमाकान्त मिश्र	ग्राम धनौली, मिश्रान पो० दरियाबाद	,,	उमरापुर राय साहब	
४३	श्री भारत राम वर्मा	ग्राम व पो० मऊ-गोरपुर	हिन्दी उर्दू मिडिल पास	अहमदपुर	
४४	श्री जगतनारायण तिवारी	ग्राम राजपुर, पो० हथोधा	हिन्दी के साथ हाई स्कूल फेल	सनौली	
४५	श्री नागेन्द्र नारायण	ग्राम व पो० उधौली	हिन्दी मिडिल पास	गोरपुर	
४६	श्री उमादत्त मिश्र	ग्राम व पो० धनौली मिश्रान	,,	महुलारा	
४७	श्री शिव शर्मा अवस्थी	ग्राम व पो० उधौली	,,	खुसहटी	
४८	श्री रामपाल द्विवेदी	ग्राम० वरोली, पो० धनौली मिश्रान	,,	रामपुर	
४९	श्री राम बहादुर त्रिपाठी	ग्राम ववुरीगांव पो० धनौली मिश्रान	हिन्दी मिडिल प्रथम श्रेणी से पास	ढिकरा	
५०	श्री वंश बहादुर सिंह	ग्राम मालिनपुर, पो० सुमेरगंज	हिन्दी उर्दू मिडिल पास	मवैया	
५१	श्री रामगोपाल लाल	ग्राम व पो० सुमेर-गंज	हिन्दी मिडिल पास	लालगंज	

क्रमांक	नाम	पता	योग्यता	पं० अ० क्षेत्र	अ० वि०
१	२	३	४	५	६
५२	श्री श्रीनाथ उर्फ मेऊ	ग्राम अरूवा पो० टिकैतनगर	हिन्दी मिडिल	उदईमऊ	राजनैतिक पीड़ित ।
५३	श्री द्वारिका प्रसाद	ग्राम व पो० दरिया-बाद	मिडिल पास		हसौर
५४	श्री रामचन्द्र दीक्षित	ग्राम अरियामऊ, पो० रानी कटरा	हिन्दी मिडिल पास	इटहुआ पूरब	राजनैतिक पीड़ित।
५५	श्री पृथ्वीनाथ मिश्र	ग्राम अरूवा, पो० टिकैतनगर	हिन्दी मिडिल तक	सेमरी	
५६	श्री श्याम सिंह	ग्राम ढड़ियामऊ, पो० रानी कटरा	,, ,,	कसबा इचौली	राजनैतिक पीड़ित।
५७	श्री लक्ष्मी नारायण सिंह	ग्राम भवानीपुर-ददरौली पो० मैला रायगंज	हिन्दी मिडिल पास	भवानीपुर ददरौली	
५८	श्री पुत्तन लाल श्रीवास्तव	ग्राम व पो० रामपुर कटरा	हिन्दी मिडिल तक	चौखण्डी	
५९	श्री वीरेन्द्र नारायण दीक्षित	ग्राम अटवा, पो० मैला रायगंज	हाई स्कूल फेल हिन्दी के साथ	मैला रायगंज	
६०	श्री छोटे लाल	ग्राम गाजीपुर पो० हथोधा	हिन्दी मिडिल पास	खजुरी	
६१	श्री नन्दकिशोर मिश्र	ग्राम जरौली, पो० घनौली मिश्रान	,,	विरौली	
६२	श्री मथुरा सिंह	ग्रा० सिनौना, पो० उधौली	,,	हमीदनगर	
६३	श्री मारकंडे बख्श सिंह	ग्राम कसभर, पो० दरियाबाद	हिन्दी मिडिल पास	कमौली	
६४	श्री विहारी लाल लोध	ग्राम व पोस्ट रानी कटरा	हिन्दी मिडिल तक	कोटवा जगजीवन दास	राजनैतिक पीड़ित ।

क्रमांक	नाम	पता	योग्यता	पं० अ० क्षेत्र	अ० वि०
१	२	३	४	५	६
६५	श्री रामपाल यादव	ग्राम पूरे भवानीगंज पो० टिकैतनगर	हिन्दी मिडिल पास	मियागंज	
६६	श्री महेन्द्र पाल सिंह	ग्राम एहार, पो० रुदौली	कक्षा ६ तक पढ़ा	गाजीपुर	

पंचायत निरीक्षक क्षेत्र रुदौली

क्रमांक	नाम	पता	योग्यता	पं० अ० क्षेत्र	अ० वि०
६७	श्री भगोले प्रसाद	रसूलपुर, पो० अलियाबाद	हिन्दी उर्दू मिडिल पास	मखदूमपुर	
६८	श्री रघुराज बहादुर	ग्राम पुरई चितई, पो० राम सनेही घाट	हिन्दी उर्दू मिडिल पास	रानीमऊ	
६९	श्री गुरुप्रसाद श्रीवास्तव	ग्राम० हलीमनगर, पो० शुजागंज	हिन्दी मिडिल पास	लखीमपुर	राजनैतिक पीड़ित
७०	श्री जगदम्बा प्रसाद	ग्राम पुरई चितई, पो० राम सनेही घाट	हिन्दी उर्दू मिडिल पास	अमेसिया	
७१	श्री मंजूर अहमद खांन	ग्राम डिहवल, पो० पूरे कामगार	हिन्दी उर्दू मिडिल पास	मवई	
७२	श्री रामभजन	ग्राम सवुवा, पो० मवई	”	सिपहिया-कोटवा	
७३	श्री सूर्य बख्श चतुर्वेदी	ग्राव व पोस्ट नेवेरा	हिन्दी मिडिल पास	देवैत	
७४	श्री श्याम नारायण	ग्राम वरावा, पोस्ट रुदौली	”	गनेशपुर	
७५	श्री पाटन दीन	ग्राम रामपुर, पो० सैमसी	”	सैमसी	
७६	श्री बुनियाद हुसैन	ग्राम कटरा, पो० रूदौली	हिन्दी उर्दू मिडिल पास	ऐहार	
७७	श्री मो० आबिद	ग्राम मीरापुर, पो० रूदौली	हाई स्कूल पास	फिरोजपुर मखदूमी	

क्रमांक	नाम	पता	योग्यता	पं० अ० अ० वि० क्षेत्र	
१	२	३	४	५	६
७८	श्री गौरी शंकर	ग्राम तालगांव, पो० मीरमऊ	हाई स्कूल पास	मीरमऊ	
७९	श्री शिव प्रसाद वर्मा	ग्राम नरौली, पो० रूदौली	हिन्दी मिडिल पास	नरौली	
८०	श्री मु० मुसलिम	ग्राम रुदौली	उर्दू हिन्दी मिडिल पास	सरैठा	
८१	श्री भवानी प्रसाद द्विवेदी	ग्राम हलीम नगर शुजागंज	हिन्दी मिडिल पास	फिरोजपुर पवारान	
८२	श्री जानकी प्रसाद खरे	ग्राम लखनीपुर, पो० मवई	हिन्दी मिडिल तक	भेलमर	राजनैतिक पीड़ित।
८३	श्री देवराज सिंह	ग्राम नेवती, पो० रूदौली	हिन्दी मिडिल पास	हलीमनगर	
८४	श्री रामनेवल सिंह	ग्राम पस्ता, पो० शुजागंज	,,	वरई	
८५	श्री शाह आलम हुसेन	ग्राम रजागंज, पो० अलियाबाद	,,	अलीयाबाद	
८६	श्री चौहान राम	ग्राम पटरंगा, पो० पटरंगा	हिन्दी मिडिल तक	सोवन	राजनैतिक पीड़ित।
८७	श्री मु० अनवर हुसैन	ग्राम महदीपुर, पो० अलियाबाद	हाई स्कूल पास हिन्दी के साथ	खमौली	
८८	श्री तेजपाल सिंह	ग्राम नीसा, पो० रूदौली	हिन्दी मिडिल तक	चिर्रा	
८९	श्री भगौती प्रसाद	ग्राम टाडा, सोफिया पो० रूदौली	हिन्दी मिडिल पास	पूरे डलई	

पंचायत निरीक्षक क्षेत्र हैदरगढ़

९०	श्री छेदा सिंह	ग्राम मुहम्मदपुर, पो० त्रिवेदीगंज	उर्दू हिन्दी मिडिल व पी० टी० सी० व ऐडवांस पास	भिलवल	

क्रमांक	नाम	पता	योग्यता	पं० अ० क्षेत्र	अ० वि०
१	२	३	४	५	६
९१	श्री रामसुमेर तिवारी	ग्राम शाहपुर, पो० जामो सुल्तानपुर	हिन्दी के साथ कक्षा ८ तक पढ़ा	शिवनाम	
९२	श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी	ग्रा० ठाकुरपूर, पो० त्रिवेदीगंज	हिन्दी मिडिल पास	खैरा कनक	
९३	श्री राम प्रताप मिश्र	ग्राम व पो० सआदतगंज	हिन्दी मिडिल तक	रामनगर	राजनैतिक पीड़ित
९४	श्री रघुपति सिंह	ग्रा० इलियाजपुर पो० गढ़ी	उर्दू मिडिल पास	दहिला	
९५	श्री रामकृष्ण त्रिवेदी	ग्राम मदारपुर, पो० लाही	दर्जा ४ तथा संस्कृत से मध्यमा पास	बहुता	
९६	श्री रामसेवक श्रीवास्तव	ग्राम लालपुर मजरे अनसारी, पो० हैदरगढ़	हि० उ० मि० पास	हैदरगढ़	
९७	श्री आदित्य प्रसाद मिश्र	ग्राम व पो० त्रिवेदीगंज	हिन्दी उर्दू मिडिल पास	त्रिवेदीगंज	
९८	श्री रामेश्वर प्रसाद मिश्र	ग्राम जरौली, पो० धनौली निशान	हिन्दी मिडिल पास	सुबेहा	
९९	श्री नारायण दत्त पांडे	ग्राम रामपुर, पो० सुबेहा	,,	बलिया	
१००	श्री शारदा बख्श सिंह	ग्राम भिखरा, पो० हैदरगढ़	हिन्दी उर्दू मिडिल पास	गेरावां	
१०१	श्री शिव प्रसाद पांडे	ग्राम देवपुरा पो० सुबेहा	हिन्दी मिडिल पास	सरायगोपी	
१०२	श्री सन्त बख्स सिंह	ग्राम मरूई, पो० कमेला	हि० दर्जा ४ तक	चौबीसी	
१०३	श्री गिरीशदत्त द्विवेदी	ग्राम व पो० हैदरगढ़	हिन्दी दर्जा २ तक	कमेला	

क्रमांक	नाम	पता	योग्यता	पं० अ० क्षेत्र	अ० वि०
१	२	३	४	५	६
१०४	श्री राम नरेश सिंह	ग्राम बरावा, पो० कमेला	हिन्दी उर्दू मिडिल पास	बरावां	
१०५	श्री त्रिभुवन बहादुर सिंह	ग्राम बहादुरपुर, पो० लाही	,,	बम्हरोली खरसतिया	
१०६	श्री रामनारायण तिवारी	ग्राम रौनी, पो० त्रिवेदीगंज	हिन्दी कक्षा ६ तक	दतौली चन्वा	
१०७	श्री पूर्णमासी	ग्राम पूरे कुवेर, पो० उसमानपुर	हिन्दी मिडिल तक	कोठी	
१०८	श्री देवकली दीन मिश्र	ग्राम शेखपुर, पो० मौतिकपुर	,,	कन्सारा	
१०९	श्री विश्वनाथ प्रसाद	ग्राम शेखपुर, पो० मौतिकपुर	,,	शेखपुर जाहिपल्ली	
११०	श्री भोलानाथ मिश्र	सराय रावत, पो० हैदरगढ़	,,	विवियापुर थाना	

पंचायत निरीक्षक क्षेत्र रामनगर

क्रमांक	नाम	पता	योग्यता	पं० अ० क्षेत्र	अ० वि०
१११	श्री रामदास वर्मा	सुहई, पो० मामापुर खाला	हिन्दी मिडिल तक	छेदा	
११२	श्री राम बिहारी शुक्ल	ग्राम पल्हरी, पो० मुहम्मदपुर	हिन्दी मिडिल पास	वखारी	
११३	श्री देव बख्श सिंह	मुड कुन्डा, पो० मुहम्मदपुर	,,	मोहम्मदपुर खाला	
११४	श्री शौकत अली	चन्दूरा, पो० मोहम्मदपुर	दर्जा ५ पास हिन्दी के साथ	दसौली	
११५	श्री रामनाथ चतुर्वेदी	दौलतपुर, पो० सूरत गंज	हाई स्कूल फेल हिन्दी से	दुर्गापुर नौबस्ता	
११६	श्री स्वामी दयाल	चन्दूरा, पो० मोहम्मदपुर	हिन्दी मिडिल पास	रूहेरा	

क्रमांक	नाम	पता	योग्यता	पं० अ० अ० वि० क्षेत्र	
१	२	३	४	५	६
११७	श्री राम प्रताप वैद्य	चन्दूरा, पो० मुहम्मदपुर	हिन्दी मिडिलपास		सूरतगंज
११८	श्री जगन्नाथ प्रसाद	उमरी बिशुन, पो० बेलहरा	,,		डिहवा
११९	श्री मनीराम अवस्थी	ग्राम मथुरा, पो० भिटौली	,,		लालपुर करौता
१२०	श्री राम पदारथ पांडे	अशोकपुर, पो० रामनगर	,,		भिटौली
१२१	श्री राम सहारे	तिलयानी, पो० तिलोकपुर	,,		बरौलिया
१२२	श्री हर नन्दन सिंह	ग्राम डडियामऊ, पो० रानी कटरा	८वां दर्जा तक पढ़ा		किन्तूर
१२३	श्री जगजीवन प्रसाद	तासीपुर, पो० रानी कटरा	हिन्दी मिडिल तक		भरकामऊ
१२४	श्री शिवदुलारे सरन त्रिवेदी	लोहटी जई, पो० बहराम घाट	हिन्दी मिडिल पास		गनेशपुर
१२५	श्री राम तिवारी	रामनगर	हिन्दी मिडिल तक		बिछलखा राजनैतिक पीड़ित
१२६	श्री ईश्वर दीन मिश्र	बिछलखा, पो० राम नगर	,, पास		सुरवारी
१२७	श्री जय किशोर अवस्थी	मुकाम व पोस्ट सहादतगंज	हिन्दी मिडिल पास हाई स्कूल फेल		सहाद
१२८	श्री बद्री प्रसाद निगम	मुकाम व पोस्ट रामपुर कटरा	हिन्दी मिडिल पास		तिलो
१२९	श्री देवी प्रसाद	मुकाम व पोस्ट अमोली कलां	हिन्दी मिडिल तक		अमोल
१३०	श्री कालिका प्रसाद अवस्थी	लोधौरा पोस्ट रामनगर	मध्यमा संस्कृत पास		जुरौड
१३१	श्री धर्मदास पासी	रौली, पोस्ट लाही	हिन्दी मिडिल पास		बुढ़व

क्रमांक	नाम	पता	योग्यता	पं० अ० क्षेत्र	अ० वि०
१	२	३	४	५	६
१३२	श्री इन्द्रजीत सिंह	अकोहरा, पो० रामनगर	हिन्दी मिडिल पास	सेमराय	

पंचायत निरीक्षक क्षेत्र फतेहपुर

१३३	श्री मनोहर लाल वर्मा	ग्राम महसन्द	हिंदी-उर्दू मिडिल पास	कुर्सी	
१३४	श्री श्रीकृष्ण	निन्दुरा	,,	निन्दुरा	
१३५	श्री लाल बिहारी पांडे	ग्राम जुमवा, पोस्ट कुर्सी	हिन्दी मिडिल तक	धौरहरा	
१३६	श्री माखनलाल	मुकाम व पोस्ट बावरा	,,	दीन पनाह	
१२७	श्री बाबू लाल	मुकाम व पोस्ट खिझना	हिन्दी मिडिल पास	खिझना	
१३८	श्री नन्दराम	अटहरा, पो० खिझना	हिन्दी मिडिल तक	अटहरा	
१३९	श्री रामदत्त पासी	ग्राम वड़िया, पो० खिझना	हिन्दी मिडिल तक	कडुतरी कलां	
१४०	श्री रामदत्त तिवारी	गैरिया	हिन्दी-उर्दू मिडिल पास	बहुपुर	
१४१	श्री विद्या प्रसाद	मियांपुर, पो० फतेहपुर	हिन्दी मिडिल तक	सिहाली	
१४२	श्री चन्द्रिका प्रसाद	ररिया, पो० फतेहपुर	हिन्दी उर्दू मिडिल पास	ररिया	
१४३	श्री नानक सरण	ग्राम व पो० फतेहपुर	हिन्दी-उर्दू मिडिल पास	विशुनपुर	
१४४	श्री रामअली पासी	बुढ़ानपुर, पो० सूरतगंज	कक्षा ६ तक	बसारा	
१४५	श्री चन्द्र मोहन	रामपुर, पोस्ट मोहम्मदपुर	हिन्दी मिडिल तक	शाहपुर	
१४६	श्री देवकली प्रसाद	मुकाम व पोस्ट मुहम्मदपुर खाला	हिन्दी मिडिल पास	तालगाव	

क्रमांक	नाम	पता	योग्यता	पं० अ० क्षेत्र	अ० वि०
१	२	३	४	५	६
१४७	श्री राम खेलवान	खैरिया पो० फतेहपुर	हिन्दी मिडिल पास	बिलौली	
१४८	श्री रामानन्द	मुकाम व पोस्ट फतेहपुर	,,	रसूल-पनाह	
१४९	श्री मेढी लाल	मंदाभारी, पो० मोहम्मदपुर	हिन्दी मिडिल तक	बिलहरा	
१५०	श्री टेकचन्द वर्मा	मन्दाभारी, पोस्ट मोहम्मदपुर	हाई स्कूल पास	मिठौरा	
१५१	श्री जानकी प्रसाद	खजुरिहा, पोस्ट मैलारायगंज	हिन्दी मिडिल तक	साढ़ेमऊ	राजनैतिक पीड़ित
१५२	श्री माता प्रसाद	गुरसैल	,,	शेखपुर अलीपुर	

नोट—पंचायती अदालत अमर संडा का कार्यभार श्री लाल बिहारी पांडे पंचायती अदालत क्षेत्र धौरहरा ने ग्रहण किया है।

निम्नलिखित मंत्री मुअत्तल हैं इनके स्थानों पर कुछ चुने हुए और कुछ स्थायी मंत्री कार्य कर रहे हैं

१	श्री इन्द्रसेन सिंह	भिखारीराम पुरवा पो० जहांगिराबाद	कक्षा ६ तक पढ़ा है	मैला रायगंज
२	श्री गया प्रसाद पांडे	ग्राम भिलौना, पोस्ट दरियाबाद	हिन्दी मिडिल पास	मवैया
३	श्री खलीक अहमद	मो० कानूनगोयान नवाबगंज	हिन्दी उर्दू मिडिल पास	कोटवां कलां
४	श्री आत्माराम	ग्राम हिवायतपुर, पो० शाहपुर भगौली	हिन्दी मिडिल पास	बिशुनपुर
५	श्री सुन्दरलाल	मुकाम व पोस्ट किन्तूर	,,	किन्तूर
६	श्री महादेव प्रसाद वैद्य	ग्राम परसा, पोस्ट रामनगर	,,	गदिया

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ. २६२.. पर)

राजनीतिक पीड़ित पंचायत-मंत्रियों की सूची

क्रमांक	सूची क्रमांक	नाम मंत्री	विवरण राजनीतिक पीड़ित होने के प्रमाण में
१	२	३	४
१	५२	श्रीनाथ मिश्र ..	प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में लिखा है कि "गत कांग्रेस आन्दोलन में भाग लेने के कारण पढ़ न सका और इस समय कांग्रेस मंडल में प्रधान-मंत्री पद पर कार्य कर रहा हूं।" इसी प्रार्थना पत्र पर चुनाव समिति के अध्यक्ष ने इनको राजनैतिक पीड़ित मान कर मंत्री पद पर नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाण-पत्र राजनैतिक पीड़ित होने का नहीं है।
२	५३	श्री द्वारिका प्रसाद अवस्थी ..	मंडल कांग्रेस कमेटी दरियाबाद तथा जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री के द्वारा प्रमाणित किया गया है कि १६४० के आन्दोलन में इन्होंने सक्रिय भाग लिया और तब से अब तक कांग्रेस का कार्य कर रहे हैं। इसी के आधार पर इनका चुनाव किया गया।
३	५५	श्री पृथ्वीनाथ मिश्र ..	श्री सत्यप्रेमी जी एम० एल० ए० द्वारा इन शब्दों में कि "प्रार्थी एक तेज कार्यकर्ता है यदि अधिक योग्य उम्मीदवारों की कमी हो तो प्रार्थी तरजीह देने योग्य है।" प्रार्थी समिति द्वारा चुना गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र में यह भी अंकित किया है कि इस समय वह रानीमऊ कांग्रेस दफ्तर में कार्य कर रहा है। इन्हीं आधारों पर चुनाव समिति के अध्यक्ष ने इनको राजनीतिक पीड़ित मान लिया था। इसके अतिरिक्त और कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।
४	६६	श्री गुरुप्रसाद श्रीवास्तव	प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र में यह अंकित किया है कि "गत १६३० के आन्दोलन में ६ मास कारावास-भोग फैजाबाद तथा बदायूं जेल में किया है। तब से आज तक कांग्रेस का

क्रमांक	सूची क्रमांक	नाम मंत्री	विवरण राजनीतिक पीड़ित होने के प्रमाण में
१	२	३	४
			कार्य करता आ रहा हूं। १६३६ में कांग्रेस कमेटी फैजाबाद का मंत्री भी रह चुका हूं।" इसी के आधार पर चुनाव समिति द्वारा इनको चुना गया है। इसके अतिरिक्त और अन्य राजनीतिक पीड़ित होने का कोई भी प्रमाण नहीं है।
५	७२	श्री राम भजन सिंह ..	प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में अंकित किया है कि कांग्रेस कमेटी बसौढ़ी का मंत्री हूं, साथ ही मंत्री जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रमाणित किया है कि प्रार्थी प्राचीन कांग्रेस कार्यकर्ता है, वर्तमान काल में भी मं० कां० क० का प्रधान-मंत्री है। इसी आधार पर इनको चुना गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण-पत्र राजनैतिक पीड़ित होने का नहीं है।
६	८३	श्री जानकी प्रसाद खरे	प्रधान-मंत्री जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रमाणित किया है कि प्रार्थी को भली प्रकार जानता हूं और राजनैतिक क्षेत्र में कई बार कारागार भोग चुके है। इसी आधार पर चुनाव कमेटी ने इनको मंत्री चुना। श्री सत्यप्रेमी एम० एल० ए० ने भी प्रमाणित किया है कि प्रार्थी कई बार जेल गये हैं और हिन्दी उर्दू में मिडिल के समकक्ष योग्यता रखते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है।
७	८६	श्री चौहान राम .	श्री सत्यप्रेमी जी द्वारा प्रमाणित किया गया है कि प्रार्थी कांग्रेस कार्यकर्ता है और अल्प-संख्यक जाति का है।
८	९३	श्री राम प्रताप मिश्र..	श्री सत्यप्रेमी एम० एल० ए० ने प्रमाणित किया है कि ये कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता और सच्चरित्र व्यक्ति हैं।
९	१२५	श्री श्रीराम तिवारी..	श्री सत्यप्रेमी जी एम० एल० ए० ने प्रमाणित किया है कि प्रार्थी को मैं भली भांति जानता हूं। यह वास्तव में १६३० ई० में कांग्रेस आन्दोलन में जेल गये थे और सच्चरित्र व्यक्ति हैं।

क्रमांक	सूची	नाम मंत्री	विवरण राजनीतिक पीड़ित होने के प्रमाण में
१	२	३	४
१०	१३६	श्री माखन लाल ..	श्री सत्यप्रेमी जी एम० एल० ए० ने प्रमाणित किया है कि प्रार्थी जेल यात्री कांग्रेसी भी है और अल्पसंख्यक जाति गड़रिया से सम्बन्ध रखता है । इसी आधार पर इसका चुनाव किया गया है ।
११	१५१	श्री जानकी प्रसाद पांडे	श्री सत्यप्रेमी जी एम० एल० ए० ने प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर प्रमाणित किया है कि मैं प्रमाणित करता हूं कि जानकी प्रसाद जी पांडे एक राजनैतिक पीड़ित हैं। इसी के आधार पर चुनाव समिति ने प्रार्थी को मंत्री के पद पर चुना है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण-पत्र नहीं है ।

PSUP A.P. 1 L.A.—1952—660.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खण्ड १००

घ

स्थानिक प्रश्न

पी० एस० यू० पी०--२ एल० ए०--१९५२--६१०